



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड



क्रूज़ 2030

वार्षिक रिपोर्ट 2019-20

विषयवस्तु

	पृ.सं.
कूज़ 2030	1
वर्ष की मुख्य विशिष्टताएं	2
विस्तारित क्षमताएं	6
अध्यक्षीय भाषण	9
हम मूल्य कैसे बनाते हैं	15
हमारे बारे में	16
हमारे प्रचालन पदचिह्न	18
हमारे परिचय-पत्र	19
वित्तीय विशिष्टताएं	20
हमारे लोग	22
निदेशक मंडल	23
निगमित सूचना	25
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व	26
निदेशकों की रिपोर्ट	27
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	70
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	90
व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट	99
निगमित शासन पर रिपोर्ट	107
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (स्टैंडअलॉन)	131
स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण	138
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (समेकित)	199
समेकित वित्तीय विवरण	204
नोटिस	268

अस्वीकरण

इस रिपोर्ट में विवरण, कंपनी के लक्ष्यों, तथ्यों, अनुमानों, उम्मीदों या भविष्य कथन को अंकित करता है जो लागू सुरक्षा नियमों और विनियमों के अधीन प्रकृत हैं। कंपनी चेतावनी देती है कि ऐसे विवरण में जोखिम और अनिश्चितता शामिल हैं और वास्तविक लक्ष्य व्यक्त किए या लक्षित से असल में अलग हो सकता है। महत्वपूर्ण तथ्यों जिसमें कच्ची सामग्री की लागत या उपलब्धता, कंपनी के मुख्य विपणन में चक्रीय मांग और मूल्य निर्धारण, सरकारी विनियमों में परिवर्तन, देशों के अंतर्गत आर्थिक विकास जिसमें कंपनी के प्रचालन जैसे कि मुकदमेबाजी, श्रम बातचीत और वित्त वर्ष प्रशासन, से संबंधित व्यापार, और अन्य तथ्यों कंपनी आयोजित करती है, में परिवर्तन हो सकता है।



क्रूज़ 2030

कंपनी समझती है कि सीएसएल को एक पहचान कंपनी के रूप में स्थापित करने हेतु दीर्घकालिक अवलंब है, जो तकनीकी विकास, नवाचार और वाणिज्यिक आक्रामकता सहित आत्मसात करने हेतु सक्षम है। यह गैर-पठन, पुनर्गठन, पुनर्निर्माण और पुनर्गणना की प्रक्रिया सहित दीर्घकालिक सामरिक योजना सहित 2030 तक लक्ष्यता के साथ भविष्य के एक संगठन के रूप में पुनरुत्थान की मांग करेगा।

मार्च 2019 में, सीएसएल ने मेसर्स बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) के साथ क्रूज़ 2030 के लोकार्पण हेतु (सीएसएल का राजस्व और लाभप्रदता एकीकृत सामरिक उत्कृष्टता 2030 के ज़रिए प्रकट किया गया) 6-8 विकास की अपने 2030 लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु योजना तैयार किया। अगले 10 वर्षों में सीएसएल ने प्रमुख भारतीय शिपयार्ड से एक प्रमुख वैश्विक शिपयार्ड में परिवर्तित होने हेतु एक साहसिक महत्वाकांक्षा स्थापित की है। इस परिवर्तन को व्यवस्थित विकास उत्कृष्टता के ज़रिए वैश्विक विकास को विकसित करने और बनाए रखने के साथ-साथ राजस्व वृद्धि पर लगातार ध्यान देने की आवश्यकता है।



वर्ष की मुख्य विशिष्टताएं

अप्रैल 2019

अप्रैल 25: श्री संजय बंदोपाध्याय आईएएस, अपर सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय भारत सरकार की उपस्थिति में आईडब्ल्यूआई के लिए 2 सं. रो-पैक्स जहाजों का जलावतरण।

अप्रैल 30: सीएसएल ने भारतीय नौसेना के लिए 8 सं. पनडुब्बी रोधी युद्धक जलप्रपात के निर्माण हेतु अनुबंध पर हस्ताक्षर किया।

मई 2019

मई 17: सीएसएल ने तमिलनाडु मत्स्य पालन विभाग के लाभार्थियों के लिए 1 सं. ट्यूना लॉग लाइनर कम गिलनेट्टर फिशिंग वेसल सौंपा।

जून 2019

जून 04: श्रीमती शोभा ए, अधीक्षक (कार्यालय), सीएसएल द्वारा तमिलनाडु मत्स्य पालन विभाग के लाभार्थियों के लिए 1 सं. ट्यूना लॉग लाइनर कम गिलनेट्टर फिशिंग वेसल का जलावतरण।

जून 14: श्रीमती माधवी के के, प्रमुख सेवा सहायक (कार्यालय), सीएसएल द्वारा तमिलनाडु मत्स्य पालन विभाग के लाभार्थियों के लिए 1 सं. ट्यूना लॉग लाइनर कम गिलनेट्टर फिशिंग वेसल का जलावतरण।

जून 14: श्री आलोक रंजन, आईसीएएस, सदस्य (वित्त), आईडब्ल्यूआई द्वारा आईडब्ल्यूआई के लिए 2 सं. रो-रो वेसल्स का स्टील कटिंग।

जून 26: श्री पॉल रंजन डी, निदेशक (वित्त), सीएसएल और आईडब्ल्यूआई के निदेशक श्री मैथ्यू जॉर्ज द्वारा आईडब्ल्यूआई के लिए 2 सं. रो-पैक्स वेसल के खंड निर्माण का शुभारंभ।

जुलाई 2019

जुलाई 01: सीएसएल ने तमिलनाडु मत्स्य पालन विभाग के लाभार्थियों के लिए 1 सं. ट्यूना लॉग लाइनर कम गिलनेट्टर फिशिंग वेसल का वितरण किया।

जुलाई 10: कप्तान रमेश कृष्ण, एसएसओ (परियोजना), एचक्यूएसएनसी, भारतीय नौसेना द्वारा दक्षिणी नौसेना कमान, कोच्ची के लिए आईएनएस विक्रमादित्या और आईएसी हेतु ब्रेस और पोट्टून्स का स्टील कटिंग।

अगस्त 2019

अगस्त 02: श्रीमती सुसम्मा पी, वरिष्ठ सेवा सहायक (कार्यालय), सीएसएल द्वारा तमिलनाडु मत्स्य पालन विभाग के लाभार्थियों के लिए 1 सं. ट्यूना लॉग लाइनर कम गिलनेट्टर फिशिंग वेसल का जलावतरण।

अगस्त 12: श्रीमती आशा पॉल, श्री मैथ्यू जॉर्ज, निदेशक, आईडब्ल्यूआई की सुपत्नी और श्रीमती मिनी सी सी, श्री सुरेश बाबु एन वी, निदेशक (प्रचालन), सीएसएल की सुपत्नी द्वारा आईडब्ल्यूआई के लिए 2 सं. रो-पैक्स वेसल का जलावतरण।

अगस्त 16: श्रीमती ई ए राजलक्ष्मी, प्रमुख सेवा सहायक (एच के), सीएसएल द्वारा तमिलनाडु मत्स्य पालन विभाग के लाभार्थियों के लिए 1 सं. ट्यूना लॉग लाइनर कम गिलनेट्टर फिशिंग वेसल का जलावतरण।

अगस्त 28: सीएसएल ने तमिलनाडु मत्स्य पालन विभाग के लाभार्थियों के लिए 1 सं. ट्यूना लॉग लाइनर कम गिलनेट्टर फिशिंग वेसल सौंपा।

अगस्त 29: श्रीमती शोभा के बी, सेवा सहायक (कैटीन), सीएसएल द्वारा तमिलनाडु मत्स्य पालन विभाग के लाभार्थियों के लिए 1 सं. ट्यूना लॉग लाइनर कम गिलनेट्टर फिशिंग वेसल का जलावतरण।

सितंबर 2019

सितंबर 04: श्री प्रणव झा, उपाध्यक्ष, नौहन, जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड द्वारा उत्कृष्ट सलाहकार सेवा प्राइवेट लिमिटेड (जेएसडब्ल्यू ग्रूप) के लिए 4 सं. 8000 डीडब्ल्यूटी मिनी जनरल कार्गो जहाज का स्टील कटिंग।

सितंबर 16: श्री सुरेश बाबु एन वी, निदेशक (प्रचालन), सीएसएल और सीएसएल के निदेशक (तकनीकी) श्री बिजोय भास्कर द्वारा आईडब्ल्यूआई के लिए 2 सं. रो-पैक्स वेसल के खंड निर्माण का शुभारंभ।

सितंबर 19: श्री मनसुख एल मांडविया, माननीय पोत परिवहन (स्वतंत्र प्रभार) और रसायन व उर्वरक राज्य मंत्री द्वारा सीएसएल के समुद्री पार्क का उद्घाटन।

सितंबर 20: श्रीमती जे मर्सीकुट्टी अम्मा, माननीय मत्स्य पालन, हार्बर इंजीनियरिंग और काजू उद्योग मंत्री द्वारा मत्स्यपालन विभाग, केरल सरकार के लिए 1 सं. मराइन एंबुलेस बोट का शिलान्यास।

सितंबर 30: श्रीमती चंद्रिका देवी डी, कनिष्ठ अधीक्षक (कार्यालय), सीएसएल द्वारा तमिलनाडु मत्स्य पालन विभाग के लाभार्थियों के लिए 1 सं. ट्यूना लॉग लाइनर कम गिलनेट्टर फिशिंग वेसल का जलावतरण।

कारोबार

₹ **3422** करोड़

रिकॉर्ड कारोबार हासिल किया

पोत निर्माण कुल कारोबार

₹ **2852** करोड़

रिकॉर्ड पोत निर्माण कारोबार हासिल किया

कर के बाद लाभ

₹ **638** करोड़

रिकॉर्ड कर के बाद लाभ हासिल किया



अशोका
ASHOKA

COCHIN SHIPYARD LIMITED
LAUNCHING CEREMONY
SHIP 023
(13000 PACELENSHIP VESSEL)
ANDAMAN NICOBAR ADMINISTRATION
Smt. KAMESHA, N. G. (Smt. G. K. NPOL)
In the presence of Smt. N. Ravi, CMD, CSL
28 JANUARY 2020 (Tuesday)

वर्ष की मुख्य विशिष्टताएं

अक्तूबर 2019

अक्तूबर 21: श्रीमती जूली जोस, श्री जोस वी जे, निदेशक(वित्त), सीएसएल की सपत्नी और श्रीमती बिन एन एस, श्री बिजोय भास्कर, निदेशक (तकनीकी), सीएसएल की सपत्नी द्वारा आईडब्ल्यूआई के लिए 2 सं. रो-पैक्स वेसल का जलावतरण ।

अक्तूबर 28: श्री सुरेश बाबु एन वी, निदेशक (प्रचालन), सीएसएल और आईडब्ल्यूआई के निदेशक श्री मैथ्यू जॉर्ज, द्वारा आईडब्ल्यूआई के लिए 2 सं. रो-पैक्स वेसल के खंड निर्माण का शुभारंभ।

अक्तूबर 29: सीएसएल ने कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के लिए 23 सं. हाइब्रिड इलेक्ट्रिक - यात्री घाट के डिजाइन और निर्माण हेतु अनुबंध पर हस्ताक्षर किया।

अक्तूबर 31: सीएसएल ने भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी विमान वाहक के निर्माण हेतु चरण III अनुबंध पर हस्ताक्षर किया।

नवंबर 2019

नवंबर 01: सीएसएल ने संयुक्त उद्यम भागीदार सीएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनने हेतु हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की 26 प्रतिशत इकविटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया।

नवंबर 07: श्री मुकेश त्यागी, डीआईजी (जल खंड), सीमा सुरक्षा बल, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के लिए फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट की स्टील कटिंग ।

नवंबर 07: श्रीमती राधामणि जी, प्रमुख सेवा सहायक (एच के), सीएसएल द्वारा तमिलनाडु मत्स्य पालन विभाग के लाभार्थियों के लिए 1 सं. ट्यूना लॉग लाइनर कम गिलनेट्टर फिशिंग वेसल का जलावतरण ।

नवंबर 08: सीएसएल ने तमिलनाडु मत्स्य पालन विभाग के लाभार्थियों के लिए 1 सं. ट्यूना लॉग लाइनर कम गिलनेट्टर फिशिंग वेसल सौंपा।

नवंबर 21: श्रीमती ओमना ई एस, वरिष्ठ सहायक (वित्त), सीएसएल द्वारा तमिलनाडु मत्स्य पालन विभाग के लाभार्थियों के लिए 1 सं. ट्यूना लॉग लाइनर कम गिलनेट्टर फिशिंग वेसल का जलावतरण ।

नवंबर 2019

नवंबर 22: सीएसएल ने तमिलनाडु मत्स्य पालन विभाग के लाभार्थियों के लिए 2 सं. ट्यूना लॉग लाइनर कम गिलनेट्टर फिशिंग वेसल सौंपा।

नवंबर 28: सीएसएल ने पोर्ट ब्लेयर, मराइन डॉकयार्ड के प्रचालन और प्रबंधन एवं द्विपों के पोत मरम्मत पारिस्थितिकी तंत्र के विकास हेतु अंडमान व निकोबार प्रशासन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया।

दिसंबर 2019

दिसंबर 04: सीएसएल में कागज़ रहित कार्यालय तहज़ीब को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, कंपनी ने एसएपी फाइल लाइफ साइकिल प्रबंधन को लागू किया, जो एक पूर्ण विकसित ऑनलाइन फाइल और दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली है।

दिसंबर 19: श्रीमती पी डी लिसम्मा, प्रमुख सेवा सहायक (एच के), सीएसएल द्वारा तमिलनाडु मत्स्य पालन विभाग के लाभार्थियों के लिए 1 सं. ट्यूना लॉग लाइनर कम गिलनेट्टर फिशिंग वेसल का जलावतरण।

दिसंबर 21: सीएसएल ने तमिलनाडु मत्स्य पालन विभाग के लाभार्थियों के लिए 1 सं. ट्यूना लॉग लाइनर कम गिलनेट्टर फिशिंग वेसल सौंपा।

जनवरी 2020

जनवरी 04: श्रीमती गायत्री एम, उपायुक्त, आयकर, कोच्ची और श्रीमती बिन्दु पी आर, सहायक आयुक्त, राज्य माल व सेवा कर, एर्णाकुलम द्वारा आईडब्ल्यूआई के लिए 2 सं. रो-पैक्स वेसल का जलावतरण ।

जनवरी 24: श्रीमती अमिता प्रसाद आईएस, अध्यक्ष, आईडब्ल्यूआई द्वारा आईडब्ल्यूआई के लिए 2 सं. रो-पैक्स वेसल के खंड निर्माण का शुभारंभ।

जनवरी 28: श्रीमती रमीता के, वैज्ञानिक "जी", एनपीओएल (डीआरडीओ) और श्री मधु एस नायर, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, सीएसएल की सपत्नी द्वारा अंडमान और निकोबार प्रशासन के लिए 1200 पैक्स सह 1000 टन कार्गो जहाज़ का जलावतरण ।

जनवरी 2020

जनवरी 29: श्रीमती वी कला, कंपनी सचिव और महाप्रबंधक (वित्त), सीएसएल द्वारा तमिलनाडु मत्स्य पालन विभाग के लाभार्थियों के लिए 1 सं. ट्यूना लॉग लाइनर कम गिलनेट्टर फिशिंग वेसल का जलावतरण।

फरवरी 2020

फरवरी 15: श्रीमती नित्य कल्याणी, लाभार्थी और श्रीमती मिनी बी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी (व.ग्रे.) सीएसएल द्वारा तमिलनाडु मत्स्य पालन विभाग के लाभार्थियों के लिए 2 सं. ट्यूना लॉग लाइनर कम गिलनेट्टर फिशिंग वेसलों का जलावतरण।

मार्च 2020

मार्च 04: श्री प्रणव झा, उपाध्यक्ष, जेएसडब्ल्यू नौवहन और श्री विपन चोपड़ा, सलाहकार, नौवहन द्वारा जेएसडब्ल्यू नौवहन और लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए 2 सं. 8000 डीडब्ल्यूटी मिनी जनरल कार्गो जहाज़ों का शिलान्यास।

मार्च 04: सीएसएल दिवाला और शोधन अक्षमता कोड, 2016 के तहत कॉर्पोरेट दिवाला शोधन प्रक्रिया से गुज़रने वाले टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड के लिए एक सफल प्रस्ताव आवेदक के रूप में उभरा है।

मार्च 09: श्रीमती श्रीलू एन एस, संयुक्त निदेशक मत्स्यपालन और कार्यकारी निदेशक एसएएफ द्वारा मत्स्यपालन विभाग, केरल सरकार के लिए 1 सं. मराइन एम्बुलेंस बोट का जलावतरण।

मार्च 09: सीएसएल ने तमिलनाडु मत्स्य पालन विभाग के लाभार्थियों के लिए 1 सं. ट्यूना लॉग लाइनर कम गिलनेट्टर फिशिंग वेसल सौंपा।

मार्च 11: आईडब्ल्यूआई के लिए 4 सं. रो-पैक्स वेसलों के वितरण के लिए प्रोटोकॉल हस्ताक्षर समारोह।

मार्च 13: आईडब्ल्यूआई के लिए 4 सं. रो-पैक्स वेसलों के वितरण के लिए प्रोटोकॉल हस्ताक्षर समारोह।

भारतीय पोत निर्माण में एक अनोखा परिदृश्य

सीएसएल में निर्मित रो-पैक्स जहाज़ों और मत्स्य ग्रहण जहाज़ों को अपनी यात्रा के लिए तैयार किया गया। मार्च 2020 में, सीएसएल ने भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूआई) को 8 रो-पैक्स जहाज़ों को वितरित किया। यात्रियों और वाहनों दोनों के ले जाने के लिए डिज़ाइन किए गए जहाज़ों को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और 2 में सामरिक स्थानों में संचालित किया जाएगा। वर्ष के दौरान, सीएसएल ने 8 मत्स्य ग्रहण जहाज़ वितरित किए और 5 जहाज़ वितरण के लिए तैयार हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई 'ब्लू रिवोल्यूशन स्कीम' के तहत तमिलनाडु मत्स्य पालन विभाग के लाभार्थियों के लिए जहाज़ बनाए गए हैं। ये जहाज़ गहरे समुद्र में मत्स्य ग्रहण की स्थायी प्रथाओं जैसे गिल नेटिंग और लॉग लाइनिंग को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखते हैं और साथ ही गहरे समुद्र में मत्स्य ग्रहण के लिए आवश्यक ढांचागत सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। यह वास्तव में सीएसएल पोत निर्माण प्रभाग की प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है।



विस्तारित पोत निर्माण और मरम्मत क्षमताएं

नई सूखी - गोदी

सीएसएल एक नई सूखी-गोदी स्थापित करने की प्रक्रिया में है। 600 टन गैट्री क्रेन सहित $310 \times 75/60 \times 13$ मीटर मापने वाली नई सूखी-गोदी 70000 टन विस्थापन के विमान वाहक, जैक-अप रिसाव, एलएनजी जहाज, स्वेज़मैक्स आदि तक के जहाजों के संभालने में सक्षम होगा।



हम कैसे प्रगति कर रहे हैं

जून 2018 में शुरू की गई निर्माण गतिविधियां काफी प्रगति कर रही थीं। भूमि सुधार कार्य संपन्न हो चुका है। आरसीसी पाइलिंग और शीट पाइल इंस्टॉलेशन कार्य प्रगति पर हैं। लगभग 40% आरसीसी पाइलिंग और 70% शीट पाइलिंग कार्य संपन्न हो चुका है। दिनांक 14 मार्च 2019 को 600 टन गैट्री क्रेन की आपूर्ति और कमीशनिंग हेतु अनुबंध जारी किया गया था और ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत डिज़ाइन की समीक्षा की जा रही है।

आईएसआरएफ

अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) सीएसएल में मौजूदा पोत मरम्मत सुविधा का आधुनिकीकरण और विस्तार करेगी। आईएसआरएफ में छह कार्य स्टेशनों और संबद्ध सुविधाओं सहित 130 × 25 मीटर तक के जहाजों के लिए 6000 टन शिपलिफ्ट शामिल है। लगभग 1500 मीटर की कुल आउट फिटिंग बर्थ।



हम कैसे प्रगति कर रहे हैं

आईएसआरएफ की 95% से अधिक पाइलिंग कार्य, 50% से अधिक डेक कंक्रीटिंग और 80% से अधिक ड्रेजिंग गतिविधियां संपन्न हो चुकी है और यह सुविधा वित्त वर्ष 2021-22 में चालू होने की उम्मीद है।

सीएसएल-मुंबई पोत मरम्मत यूनिट (सीएमएसआरयू)

सीएसएल ने इंदिरा डॉक के भीतर पोत मरम्मत क्षमता के विस्तार हेतु मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में पोत मरम्मत सुविधाओं के प्रबंधन और संचालन के लिए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (एमबीपीटी) के साथ एक समझौता किया जिसमें फ्लोटिंग सूखी-गोदी की स्थापना और ट्यूजेस सूखी-गोदी में मौजूदा सुविधा का उन्नयन शामिल हो सकता है, जिससे मुंबई क्षेत्र में मौजूदा पोत मरम्मत क्षमता में वृद्धि होगी। वर्ष के दौरान 24 जहाजों की मरम्मत सीएमएसआरयू में की गई।

सीएसएल-कोलकाता पोत मरम्मत यूनिट (सीकेएसआरयू)

सीएसएल ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट (केओपीटी) के साथ 15 साल की अवधि के लिए नेताजी सुभाष डॉक और बर्थ सं. 6 में दो सूखी-गोदी के उपयोग हेतु एक समझौता किया, जिसमें 30 साल तक का विस्तार करने का विकल्प था। सीएसएल एक पेशेवर पोत मरम्मत पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करेगा, जो भारत के पूर्वी तट में वाणिज्यिक और रक्षा पोत मरम्मत उद्योग के लिए फायदेमंद होगा। भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिनांक 12 जनवरी 2020 को औपचारिक रूप से कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के सेसकंटेनरी समारोह के शुभारंभ में आयोजित एक समारोह में सीकेएसआरयू सुविधा का उद्घाटन किया।



सीएसएल-अंडमान और निकोबार पोत मरम्मत यूनिट (सीएनएसआरयू)

सीएसएल ने पोर्ट ब्लेयर में मराइन डॉकयार्ड में परिचालन शुरू करने हेतु अंडमान और निकोबार प्रशासन के साथ एक समझौता किया है, जो कि वर्तमान में अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा सीधे संचालित किया जा रहा है। इस समझौते के दायरे में, सीएसएल अंडमान और निकोबार पोत मरम्मत यूनिट, जिसका नाम (सीएनएसआरयू) है, वह प्रशासन को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक समग्र पोत मरम्मत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने में सहायता करेगा। सीएनएसआरयू भी मौजूदा सुविधाओं में वृद्धि और आधुनिकीकरण में सहायता और सहयोगी होगा। द्वीप समूह में स्थित प्रशासन और तकनीकी संस्थानों के परामर्श से कौशल विकास पर ध्यान देना भी समझौते के जनादेश का हिस्सा है। यह समझौता 30 वर्षों की अवधि के लिए है, जिसके दौरान सीएसएल को डॉकयार्ड की परिचालन दक्षता को बढ़ाने और साथ ही साथ तेज़ी से बदलाव सुनिश्चित करने और जहाजों के डाउनटाइम को कम करने के लिए द्वीप में समग्र पोत मरम्मत पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार की उम्मीद है, जो द्वीपों के लिए जीवन रेखा है।

अध्यक्षीय भाषण



प्रिय शेयरधारकों

यह आपकी कंपनी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) की 48 वीं वार्षिक आम बैठक के लिए निदेशक मंडल की ओर से आप सभी का स्वागत करने के लिए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं आपको वर्ष 2019-20 में कंपनी के निष्पादन और उपलब्धियों, कोविड-19 का प्रभाव और भविष्य के लिए पहल की ओर प्रकाश डालना चाहूंगा।

संचालन परिदृश्य

इस वर्ष परिचालन परिदृश्य में मुंबई में सीएसएल मुंबई पोत मरम्मत यूनिट (सीएमएसआरयू) के साथ महत्वपूर्ण बदलाव हुए और परिचालन में तेज़ी आई। कोलकाता के सीएसएल कोलकाता पोत मरम्मत यूनिट (सीकेएसआरयू) का प्रचालन शुरू हो गया है और तीन परियोजनाओं को पूरा किया है। पोर्ट ब्लेयर में सीएसएल अंडमान और निकोबार पोत मरम्मत यूनिट (सीएएनएसआरयू) के उद्घाटन के साथ ही वर्ष में सीएसएल ने अंडमान और निकोबार में कदम रखा। व्यावसायिक और रक्षा दोनों क्षेत्रों में सक्रिय विपणन प्रयासों की आवश्यकता को मज़बूती से इंगित करते हुए दीर्घकालिक व्यापार रणनीति का दिशानिर्देश काम आया। वाणिज्यिक मोर्चे पर मुख्य केंद्र क्षेत्र में शामिल है तटीय, अंतर्देशीय, मत्स्य ग्रहण, विशेष पोत आदि। एन डब्ल्यू 1 और एन डब्ल्यू 2 में परिचालन के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूआई) के लिए अनुबंधित 8 रो-पैक्स जहाज़ों को कोविड-19 लॉकडाउन के बीच वितरित किया गया और

कोलकाता रवाना कर दिया गया। हुगली कोचीन शिपयार्ड (एचसीएसएल) में यार्ड निर्माण, कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के कारण विलंब के सिवाय कोलकाता में सीएसएल की 100% सहायक कंपनी अच्छी प्रगति कर रही है। अंतर्देशीय जल जहाज़ों के निर्माण हेतु यह एक समर्पित सुविधा के रूप में स्थापित किया जा रहा है। अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय क्षेत्र के आगे के विकास सहित कंपनी यहां और अधिक अवसर देखती है। सीएसएल ने तमिलनाडु के लाभार्थियों के लिए अनुबंधित 16 मत्स्य ग्रहण जहाज़ों में से 11 का वितरण किया है। शेष 5 जहाज़ वितरण के लिए तैयार हैं। इस क्षेत्र में अच्छी गुणवत्ता के लिए सुरक्षित और तकनीकी रूप से उन्नत पोत की उच्च क्षमता को महसूस करते हुए सीएसएल एक समर्पित शीर्ष को बनाए रखने की इच्छा रखता है जिससे इन जहाज़ों की परिकल्पना की गई उच्च मांग मात्रा को पूरा करने हेतु उत्पादन को सक्षम करेगा। इसकी ओर, सीएसएल ने टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड के लिए एक संकल्प योजना प्रस्तुत किया, जिसे राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के तहत सूचीबद्ध किया गया था और सुविधा लेने हेतु अनुकूल आदेश प्राप्त करने में सफल रहा। एक बार लॉकडाउन प्रतिबंध कम किए जाने के बाद इस दिशा में प्रत्यक्ष गतिविधियां शुरू हो जाएगी।

उपलब्धियां

हमें लगता है कि हमारे विविध ध्यान केंद्रित और पहल जबकि उसी समय मुख्य व्यवसाय खंडों जैसे रक्षा और वाणिज्यिक पोत निर्माणपर स्थलों को

बनाए रखने से हमें एक और प्रभावशाली वर्ष प्राप्त करने में मदद मिली है। कंपनी ने 3422.49 करोड़ रुपए का ऑल टाइम टर्नओवर और 637.69 करोड़ रुपए का पीएटी दर्ज किया। पोत निर्माण की आय 2852.27 करोड़ रुपए के उच्च स्तर पर थी। वर्ष के दौरान पोत मरम्मत का कारोबार 570.23 करोड़ रुपए था।

स्वदेशी विमान वाहक (आईएसी) का अनुबंध अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है और जहाज़ अपनी पहली समुद्री यात्रा के लिए तैयार हो रहा था, जब महामारी का प्रकोप हुआ तो परियोजना ने अपने परीक्षण चरण में प्रवेश किया। जहाज़ के सभी चार गैस टर्बाइन नवंबर 2019 महीने में शुरू किया गया था। इसके अलावा, पूर्व सीएसटी डॉकिंग का एक प्रमुख मील का पत्थर दिसंबर 2019 महीने को पूरा किया गया था, जिसके दौरान शाफ्टिंग, अंडरवाटर वाल्व, अंडरवाटर पेंटिंग और अन्य डॉकिंग संबंधी गतिविधियों पर व्यापक काम किया गया। इनमें लूना, कवच, रोज़िस्टर, ई, आरएएन 40 एल आदि शामिल थे। पोत के सभी आठ डीज़ल जनरेटर के परीक्षण पूरे हो चुके हैं। पोत के चार एयर कंडीशनिंग संयंत्रों को सक्रिय किया गया है। पोत प्रणाली जैसे कि सेल्वेज, हीलिंग और ट्रिमिंग, बिलज और फायरमैन के हार्बर स्वीकृति परीक्षण अनुसूची के अनुसार प्रगति कर रहे हैं। आईपीएमएस के परीक्षण (एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणाली) भी संतोषजनक ढंग से प्रगति कर रहा है। ऊर्जा वितरण केंद्रों, बिजली पैनलों, आरसीओएस / एचसीओएस और 24 वी डीसी ट्रांसरेक्टिफायर्स के संचालन जांच पूरी हो गई है। पोत के चरण -III अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया है और एएफसी और सुपर स्ट्रक्चर आउटफिटिंग से संबंधित इसकी गतिविधियां परिणति स्तर पर हैं। अगला तत्काल मील का पत्थर बेसिन परीक्षण है जो पोत के समुद्री परीक्षणों के बाद आता है और इसकी संबद्ध गतिविधियां संतोषजनक रूप से आगे बढ़ रही हैं। अंडमान और निकोबार प्रशासन के लिए दो 500 पैक्स यात्री जहाज़ों पर काम करना, जिसमें 500 पैक्स और 150 एमटी कार्गो ले जाने की क्षमता है वह भी अच्छी तरह से प्रगति कर रहा है और पहली पोत समुद्री परीक्षणों के लिए तैयार है। अंडमान और निकोबार के लिए शेष दो 1200 पैक्स यात्री पोत संयोजन / निर्माण चरण में हैं।

जेएसडब्ल्यू ग्रुप के लिए 8000 मिनी बल्क कैरियर के 4 सं की श्रृंखला में पहले दो जहाज़ों पर काम प्रगति कर रहा है और सूखी-गोदी में निर्माण के लिए तत्परता के करीब है। ये जहाज़ जो मूल रूप से अगस्त से दिसंबर 2020 के बीच वितरण के लिए निर्धारित किए गए थे, वे कोविड-19 लॉकडाउन के दोनों स्थानीय प्रभावों के साथ-साथ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर इसके प्रभाव को भी प्रभावित किया गया है। बीएसएफ के लिए 9 सं. फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट जहाज़ों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है जबकि भारतीय नौसेना के लिए ब्रोस और पॉटून परियोजना वितरण के कगार पर है।

पोत मरम्मत के मोर्चे पर कंपनी ने 570.23 करोड़ रुपए का कारोबार किया, जिसमें से मुंबई का कारोबार लगभग 51 करोड़ रुपए का था और कोलकाता की सुविधा का 1.7 करोड़ रुपए था। हमने सीएमएसआरयू में लगभग 30 जहाज़ों की मरम्मत की है, अर्थात्, हमारी मुंबई इकाई और 24 जहाज़ों की मरम्मत वित्त वर्ष 20 के दौरान की गई थी। वर्ष के दौरान सीकेएसआरयू में यानी कोलकाता पोत मरम्मत यूनिट में हमने 4 जहाज़ों



कंपनी ने ₹ 3422.49 करोड़ रुपए का ऑल टाइम टर्नओवर और ₹ 637.69 करोड़ रुपए का पीएटी दर्ज किया। पोत निर्माण की आय ₹ 2852.27 करोड़ रुपए के उच्च स्तर पर थी। वर्ष के दौरान पोत मरम्मत का कारोबार ₹ 570.23 करोड़ रुपए था।

की मरम्मत की है। कंपनी की पोत मरम्मत इकाई का समग्र प्रदर्शन हमारी उम्मीदों के अनुरूप है।

कोचीन शिपयार्ड आज वृद्धि और विकास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर है। पोत निर्माण और पोत मरम्मत में अपनी मुख्य दक्षताओं को मज़बूत करते हुए कंपनी नए मार्ग, सुविधाओं और व्यापार के अवसरों को देख रही है। रक्षा और बड़े पोत निर्माण के आदेशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीएसएल ने मत्स्य ग्रहण के क्षेत्र और अंतर्देशीय जलमार्ग खंड के क्षेत्र में राष्ट्र के सामरिक हितों में इसकी महत्वपूर्ण आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए छोटे पोत को भी लिया था। बहु-स्थानीय प्रचालन और सामरिक गंभीरता सहित कंपनी को उम्मीद है कि आनेवाले वर्षों में कड़ी मेहनत, संकेंद्रित विपणन और अभिनव व्यापार मॉडलों के ज़रिए महामारी के कारण उत्पादन हानि और नकदी प्रवाह पर हुए चुनौतियों को पार करते हुए अपनी वृद्धि को बनाए रखना है।

कोविड- 19

मार्च 2020 के अंत तक कोविड-19 से प्रेरित राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण औद्योगिक गतिविधियों के कामबंदी ने मार्च 2019 में 2.7% के मुकाबले मार्च 2020 तक 16.7% की वृद्धि के रूप में औद्योगिक उत्पादन के संकुचन द्वारा दिए गए प्रमाण के आधार पर भारतीय उद्योग में गंभीर सुधार हुआ है। इसका सीधा निहितार्थ वाणिज्यिक पोत निर्माण उद्योग की संभावनाओं से होगा चूंकि यह विश्व व्यापार और तेल, प्राकृतिक गैस, नौवहन, परिवहन और अन्य व्यापार से संबंधित उद्योगों की चक्रीयता पर निर्भर है।

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने अपनी उत्पादन गतिविधियों को 23 मार्च 2020 से 05 मई 2020 तक कोविड-19 महामारी के फैलाव को रोकने हेतु राज्य और केंद्र सरकारों के अनुरोधों के अनुपालन में निलंबित कर दिया था।

कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए कंपनी ने विभिन्न उपायों को अपनाया है। सीएसएल ने एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया का उल्लेख किया और सभी संबंधितों द्वारा अनुपालन के लिए जारी किया गया।

सीएसएल ने प्रधानमंत्री संरक्षण निधि में 2.5 करोड़ रुपए का योगदान दिया। कंपनी ने कोच्ची में समाज के कमज़ोर वर्गों को 30 लाख रुपए के भोजन और रसद किट भी वितरित किए। सीएसएल के सभी कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री संरक्षण निधि और मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष (सीएमडीआरएफ) में उनके के दिन के वेतन का योगदान दिया। सीएसएल द्वारा डिजिटल मीडिया के ज़रिए ग्राहक संपर्क बनाए रखा गया था जिससे ग्राहकों को परिस्थिति से अवगत कराते रहा जाए और ग्राहकों का विश्वास बनाए रखा जाए। काम की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी गई थी, यह सुनिश्चित किया गया कि प्रारंभिक कार्य किए गए और न्यूनतम समय में संचालन फिर से शुरू किया गया। इस बीच, सीएसएल ने 25 अप्रैल 2020 को कोच्ची से कोलकाता तक की अपनी पहली यात्रा पर भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के लिए 04 रो-पैक्स जहाज़ों को रवाना किया। जहाज़ों की बर्थिंग सुविधा के लिए सीएसएल जेटी की ड्रेजिंग गतिविधियों को शुरू करने हेतु लॉकडाउन अवधि को प्रभावी रूप से उपयोग किया गया था।

कंपनी का पोत निर्माण आदेश पुस्तक की स्थिति अप्रभावित है और मौजूदा पोत निर्माण आदेश रद्द नहीं किए गए हैं। चूंकि 23 मार्च 2020 से परिचालन बंद कर दिया गया था, वित्त वर्ष 19-20 में केवल छह दिनों का उत्पादन नष्ट हुआ था। अतः वित्तीय वर्ष 20 के वित्तीय पर कम से कम प्रभाव है। जैसा कि चल रही परियोजनाओं में देरी के लिए परिनिर्धारित क्षति के कारण कोई अतिरिक्त प्रभाव नहीं होगा क्योंकि कंपनी ने पहले ही सभी अनुबंधों में उपलब्ध अप्रत्याशित घटना (एफएम) खंड का आह्वान कर दिया है, जिससे संविदा वितरण की तारीख लॉकडाउन अवधि की भरपाई के लिए स्वचालित रूप से बढ़ जाएगी। चूंकि सीएसएल व्यावहारिक रूप से शून्य ऋण कंपनी है, सिवाय 123 करोड़ रुपए के कर मुक्त बॉन्ड के लिए और ऋण सेवा कोई गंभीर प्रभाव नहीं डालती है। हालांकि, विशेष रूप से सरकारी ग्राहकों से प्राप्तियों के संग्रह में देरी होने के कारण कंपनी किसी भी साख जोखिम की उम्मीद नहीं करती है।

विस्तार योजनाएं

कोच्ची में अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ)

आईएसआरएफ परियोजना का निर्माण कार्य, जो दिनांक 17 नवंबर 2017 को शुरू हुआ और पूरे ज़ोरों पर चल रहा है। 95% से अधिक पाइलिंग कार्य, 50% डेक कंक्रिटिंग और 80% ड्रेजिंग गतिविधियां संपन्न हो चुकी हैं और यह सुविधा वित्त वर्ष 2021-22 में चालू होने की उम्मीद है। कोच्ची को भारत का समुद्री केंद्र के रूप में विकसित करने के हमारे प्रयासों के एक हिस्से के रूप में, सीएसएल ने विल्लिंगडन द्वीपों में आंतरिक पोत मरम्मत सुविधा के पास एक समुद्री पार्क की स्थापना की थी, जिसका उद्घाटन दिनांक 19 सितंबर 2019 को पोत परिवहन के माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री मनसुख एल मांडविया ने किया था। पहले चरण में मैरीटाइम पार्क में अपनी इकाइयां स्थापित करने हेतु समुद्री उद्योग की दस विश्व प्रसिद्ध कंपनियों ने पहले ही सीएसएल के साथ भागीदारी की है। सीएसएल कोच्ची को एक प्रमुख पोत मरम्मत हब के रूप में पेश करने की उम्मीद करता है, जो वर्तमान में आईएसआरएफ के साधिकार होने पर उपलब्ध क्षमता के साथ युग्मित पोत मरम्मत में प्रमुख संचालन होता है।

कोच्ची में नई 310 मी सूखी-गोदी परियोजना

जून 2018 में शुरू की गई निर्माण गतिविधियां काफी प्रगति कर रही थीं। भूमि सुधार कार्य संपन्न हो चुका है। आरसीसी पाइलिंग और शीट पाइल इंस्टॉलेशन कार्य प्रगति पर हैं। लगभग 40% आरसीसी पाइलिंग और 70% शीट पाइलिंग कार्य संपन्न हो चुका है। दिनांक 14 मार्च 2019 को 600 टन गैट्री क्रेन की आपूर्ति और कमीशनिंग हेतु अनुबंध जारी किया गया था और ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत डिज़ाइन की समीक्षा की जा रही है। हालांकि, कोविड-19 ने बहुपक्षीय कारणों के कारण परियोजनाओं पर भारी प्रभाव डाला है, जिसमें प्रवासी मजदूरों की वापसी, सामग्री आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, समाजिक दूरी के मानदंडों के कारण सीमित कार्य बल का नियोजन, रात के दौरान सरकार द्वारा लगाए गए कर्फ्यू आदि कुछ शामिल हैं। इसके अलावा, अधिकांश उपकरण निर्माता, कैपेक्स मिशनरी आपूर्तिकर्ताओं ने अनुबंध में 6 उपलब्ध अप्रत्याशित घटना खंड को पहले ही लागू कर दिया है। अतः हम इस परियोजना में कुछ देरी की उम्मीद कर रहे हैं। अनिश्चितताओं के बावजूद, परियोजना की शुरुआत दिसंबर 2022 तक लक्षित है।

नई पहल

हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) को शुरू में सीएसएल और हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड (एचडीपीईएल) के बीच एक संयुक्त



कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए कंपनी ने विभिन्न उपायों को अपनाया है। सीएसएल ने एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया का उल्लेख किया और सभी संबंधितों द्वारा अनुपालन के लिए जारी किया गया। सीएसएल ने प्रधानमंत्री संरक्षण निधि में ₹ 2.5 करोड़ रुपए का योगदान दिया। कंपनी ने कोच्ची में समाज के कमज़ोर वर्गों को 30 लाख रुपए के भोजन और रसद किट भी वितरित किए। सीएसएल के सभी कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री संरक्षण निधि और मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष (सीएमडीआरएफ) में उनके के दिन के वेतन का योगदान दिया।

उद्यम (जेवी) के रूप में स्थापित किया गया था और केंद्रीय मंत्रीमंडल की मंजूरी के अनुसार एचसीएसएल दिनांक 01 नवंबर 2019 से सीएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है। दिनांक 15 फरवरी 2020 के एमओयू लक्ष्य के सामने नज़ीरगंज सुविधा में दो आउटफिटिंग जेटी का निर्माण कार्य दिनांक 31 दिसंबर 2019 को पूरा किया गया, जिससे पोत परिवहन मंत्रालय के साथ सीएसएल एमओयू की 'उत्कृष्ट' रेटिंग मानदंडों को पूरा किया गया। विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में दिनांक 30 जनवरी 2020 को जेटी का उद्घाटन किया गया। हाल ही में नागरिक निर्माण कार्य प्रगति पर है और 50% का आंकड़ा पार कर चुका है। इसके अलावा, विभिन्न गतिविधियों के तहत अन्य कार्य पैकेज अर्थात विद्युत, गैस, पाइपिंग, अग्निशमन आदि भी योजनाबद्ध सिविल कार्यों की प्रगति के साथ प्रगति कर रहे हैं।

परियोजना स्थल को दिनांक 23 मार्च 2020 से 08 जून 2020 तक महामारी के प्रसार को रोकने के लिए सरकारी प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण अपनी गतिविधियों को बंद करना पड़ा। भले ही परियोजना स्थल पर गतिविधियां 09 जून 2020 से फिर से शुरू हो गई हों, लेकिन सरकारी प्राधिकरणों द्वारा महामारी के कारण जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सीमित जनशक्ति का उपयोग किया जा रहा है। एचसीएसएल टीम लगातार परियोजना की निगरानी कर रही है और परियोजना के जल्द से जल्द पूरा करने और संचालन की शुरुआत का लक्ष्य रखती है।

टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड (टीएसएल)

सीएसएल की लंबी अवधि की रणनीति के हिस्से के रूप में, यानी 2030, सीएसएल 2030 तक 6x-8x वृद्धि हासिल करने की आकांक्षा रखता है और इसके लिए कंपनी ने कई अवसरों में से एक के रूप में गहरे समुद्र में मत्स्य ग्रहण जहाजों की पहचान की है। चूंकि मत्स्य ग्रहण जहाज खंड एक समर्पित सुविधा की मांग करता है ताकि पारंपरिक जहाज निर्माण प्रक्रिया से अलग व्यवसाय की बृहत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, इस खंड में प्रवेश करने हेतु एक उपयुक्त सुविधा की तलाश में थी। इस अवधि के दौरान, सीएसएल को टीएसएल, मालपे में एक अवसर मिला, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के तहत कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रक्रिया (सीआईआरपी) से गुजर रहा था और आईबीसी के माध्यम से टीएसएल के लिए बोली लगाना उचित माना गया था। तदनुसार सीएसएल ने अपनी संकल्प योजना प्रस्तुत की जिसे राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), चेन्नई द्वारा दिनांक 04 मार्च, 2020 को अनुमोदित किया गया था। सीएसएल उक्त संकल्प योजना को लागू करने की प्रक्रिया में है।

सीएसएल – मुंबई पोत मरम्मत यूनिट (सीएमएसआरयू)

सीएसएल ने मुंबई पोर्ट के इंदिरा डॉक के ट्यूजेस ड्राई-डॉक और बर्थ सं. 5,6,7 और 8 में पोत मरम्मत सुविधा के उन्नयन, संचालन और प्रबंधन के लिए दिनांक 20 अक्टूबर 2018 को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के साथ एक समझौता किया। समझौते के निष्पादन के बाद, सीएसएल ने दिनांक 18 जनवरी 2019 को मुंबई में पोत की मरम्मत के संचालन की शुरुआत की। वित्तीय



कोच्ची को भारत का समुद्री केंद्र के रूप में विकसित करने के हमारे प्रयासों के एक हिस्से के रूप में, सीएसएल ने विल्लिंगडन द्वीपों में आंतरिक पोत मरम्मत सुविधा के पास एक समुद्री पार्क की स्थापना की थी, जिसका उद्घाटन दिनांक 19 सितंबर 2019 को पोत परिवहन के माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री मनसुख एल मांडविया ने किया था। पहले चरण में मैरीटाइम पार्क में अपनी इकाइयां स्थापित करने हेतु समुद्री उद्योग की दस विश्व प्रसिद्ध कंपनियों ने पहले ही सीएसएल के साथ भागीदारी की है।

वर्ष 2019 में सीएमएसआरयू में लगभग नौ जहाजों के परिचालन और मरम्मत के बाद, सीएसएल ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान सफलतापूर्वक 24 जहाजों की मरम्मत का काम किया है। इसमें मेसर्स एमडीएल के माध्यम से भारतीय नौसेना पनडुब्बी पृथक्करण प्रचालन और निर्देशित-मिसाइल विध्वंसक आईएनएस दिल्ली की मरम्मत शामिल है। इस वर्ष इस नई सुविधा से आरंभ की गई अन्य सेवाओं में शामिल हैं – कई निजी मालिकों / एजेंसियों को मरम्मत सेवाएं प्रदान करने के अलावा, भारतीय तट रक्षक के 2 जहाजों, समुद्र निधि की प्रमुख मरम्मत सहित 5 एससीआई जहाजों की मरम्मत। सीएसएल ने एक विदेशी ग्राहक के लिए मरम्मत का काम भी लिया था और मेसर्स बायू मैरिटिम बर्काह, इंडोनेशिया के एसएस-3 बार्ज के मरम्मत को सफलतापूर्वक पूरा किया।

सीएसएल – कोलकाता पोत मरम्मत यूनिट (सीकेएसआरयू)

सीएसएल ने दिनांक 30 मार्च की अवधि के लिए नेताजी सुभाष डॉक (एनएसडी) में पोत मरम्मत की सुविधा के संचालन और प्रबंधन के लिए दिनांक 28 मार्च, 2019 को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। नए उद्यम को सीएसएल की अलग इकाई द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है जिसे “सीएसएल – कोलकाता पोत मरम्मत यूनिट (सीकेएसआरयू)” कहा जाता है। सीएसएल ने दिनांक 10 अक्टूबर 2019 को नौसेना जहाज आईएनएस कवारती के डॉकिंग के साथ एनएसडी में पोत मरम्मत कार्य शुरू किया। पहला व्यावसायिक मरम्मत पोत “ग्रेटशिप विद्या”, एंकर हैंडलिंग ऑफशोर सपोर्ट वेसल जनवरी 2020 में सीकेएसआरयू में

डॉक किया गया था। भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिनांक 12 जनवरी 2020 को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के सेसकॉन्टेनरी समारोहों की शुरुआत के हिस्से के रूप में औपचारिक रूप से आयोजित एक समारोह में सीकेएसआरयू सुविधा का उद्घाटन किया। सीएसएल हाल ही में आवश्यक बुनियादी सुविधाओं, समर्पित श्रमशक्ति की भर्ती, विक्रेता सूचीकरण और सीकेएसआरयू में पोत मरम्मत पारिस्थितिकी तंत्र के विकास की स्थापना की प्रक्रिया में है।

सीएसएल – अंडमान और निकोबार पोत मरम्मत यूनिट (सीएनएसआरयू)

सीएसएल ने पोर्ट ब्लेयर में मराइन डॉकयार्ड में परिचालन शुरू करने हेतु दिनांक 28 नवंबर 2019 को अंडमान और निकोबार (अं व नि) प्रशासन के साथ एक समझौता किया है, एक सुविधा जो वर्तमान में अं व नि प्रशासन द्वारा सीधे संचालित की जा रही है। इस समझौते के दायरे में सीएनएसआरयू अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर समग्र पोत मरम्मत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने में प्रशासन की सहायता करेगा। सीएनएसआरयू मौजूदा सुविधाओं के आधुनिकीकरण और वृद्धि में भी सहायता और सहयोगी होगा। द्वीप समूह में स्थित प्रशासन और तकनीकी संस्थानों के परामर्श से कौशल विकास पर ध्यान देना भी समझौते के अधिदेश का हिस्सा है। यह समझौता 30 वर्षों की अवधि के लिए है, जिसके दौरान सीएसएल को डॉकयार्ड की परिचालन क्षमता के साथ-साथ द्वीप पर तेजी से बदलाव सुनिश्चित करने और जहाजों की अवधि को कम करने के लिए द्वीप में समग्र पोत मरम्मत पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार लाने की उम्मीद है जो द्वीपों के लिए जीवन रेखा हैं। सीएसएल ने सीएनएसआरयू के लिए अपने पहले अधिकारियों को नामित किया है। विभिन्न प्रमुख विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों से युक्त सीएसएल टीम ने सीएनएसआरयू का डिपस्टिक ऑडिट किया जैसा कि समझौते में अनिवार्य है और डिपस्टिक ऑडिट रिपोर्ट भी तैयार की गई। कोविड प्रतिबंध हटा दिए जाने के बाद परिचालन पहलुओं पर समान और आगे की प्रगति संभव होगी। सीएसएल में सीएनएसआरयू कार्मिक आवश्यकता के टीम की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई है।

निगमित शासन

कंपनी ने अच्छे निगम संचालन प्रथाओं का पालन करना जारी रखा। कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण सूची और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) के लागू विनियमों, 2015 के नियमों और लोक उद्यम विभाग द्वारा निगम संचालन पर जारी दिशानिर्देशों का भी अनुपालन करती है, सिवाय इसके कि कंपनी के बोर्ड में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण सूची और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) के विनियम 17 (1) के तहत दिनांक 21 मार्च 2019 से 28 जुलाई 2019 की अवधि के लिए एक महिला निदेशक सहित तीन गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशकों की कमी थी। सीएसएल एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के साथ निहित है और कंपनी ने उपरोक्त आवश्यकताओं का पालन करने हेतु अपने अधिकार के भीतर सभी

संभव कदम उठाए हैं। इस संबंध में कंपनी प्रत्येक तिमाही की समाप्ति होने के 15 दिनों के भीतर निगम संचालन पर अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्ट डीपीई द्वारा अनुशंसित पोत परिवहन मंत्रालय को प्रस्तुत करती है। निगम संचालन पर रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा है।

मानव संसाधन विकास

कर्मचारियों के विकास और अभिप्रेरण हेतु विभिन्न कर्मचारियों को वर्ष के दौरान जारी रखा गया था। कंपनी आईआईएमए, आईआईएमके, आईआईएमसी, एएससीआई, आईएसबी आदि में विशिष्ट प्रबंधन विकास कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए सभी स्तरों पर अधिकारियों को नामित करती रही है। कंपनी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आईआईएमके), कोषिकोड के सहयोग से दो तदनुकूल प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया था। “सामान्य प्रबंधन” पर एक सप्ताह का कार्यक्रम आईआईएमके मुख्य परिसर में आयोजित किया गया था, जिसमें वरिष्ठ प्रबंधकों के स्तर तक के 24 कार्यपालकों को शामिल किया गया था। उद्योग के लिए सूक्ष्म अर्थशास्त्र और वित्तीय अनिवार्यता” विषय पर शीर्ष प्रबंधन के लिए आईआईएमके कोच्ची परिसर में एक दिन का तदनुकूल कार्यक्रम आयोजित किया गया। उप प्रबंधक के स्तर तक के युवा प्रबंधकों को शामिल करते हुए “युवा अधिकारियों” की क्षमता विकास कार्यक्रम” का संचालन किया गया। 25 कार्यपालकों वाले एक दूसरे बैच ने सत्र पूरा कर लिया है। 32 कार्यपालक प्रशिक्षार्थियों के तीसरे बैच ने कार्यक्रम के 40 सत्र पूरे किए हैं। इस कार्यक्रम के लिए संकाय मुख्य रूप से इन-हाउस प्रतिभा के साथ-साथ सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया है। ज्ञान हस्तांतरण की सुविधा के हिस्से के रूप में, वर्ष के दौरान वेल्डर, पाइप फिटर, स्ट्रक्चरल एंड इंजीनियरिंग फिटर और इलेक्ट्रिकल ट्रेडों में काम करनेवाले 155 कामगारों के लिए संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

औद्योगिक संबंध

कंपनी के औद्योगिक संबंध परिदृश्य में पूरे साल सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहा। वर्ष के दौरान, सीएसएल ने विभिन्न कर्मचारी कल्याण उपायों की शुरुआत की जिसमें कंपनी के पुरुष कर्मचारियों को पितृत्व अवकाश जिसमें एक वर्ष की आयु से कम बच्चे को वैध गोद लेना भी शामिल है, बांझपन के लिए उपचार के दौर से गुजर रहे कर्मचारियों के लिए विशेष अवकाश, बांझपन के दौर से गुजर रहे कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति आदि। कर्मचारियों के अच्छे स्वास्थ्य के महत्व को समझते हुए और सीएसएल की पहली नीति के तहत लोगों के लिए एक पहल के रूप में कंपनी के सभी नियमित कर्मचारियों के लिए समय-समय पर स्वास्थ्य जांच की योजना शुरू की गई थी। इस योजना में कर्मचारियों की महिला जीवनसाथी के लिए कैंसर का जल्द पता लगाने की व्यवस्था भी है। कंपनी ने कर्मचारियों के मनोबल को बनाए रखने के लिए कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के लिए पूरे कार्यबल को पूर्ण वेतन का भुगतान किया। इसके अलावा संरोधन क्षेत्र में रहनेवाले कर्मचारियों, अनुबंध के आधार पर कर्मियों और प्रशिक्षार्थियों को विशेष संगरोध छुट्टी दी गई थी।

अनुसंधान और विकास (आर एंड डी)

वर्ष के दौरान मुख्य रूप से वेल्डिंग प्रक्रिया विकास के क्षेत्रों में और वेल्डर की योग्यता में आर एंड डी गतिविधियां की गई हैं। कॉपर आधार सहित टिवन वायर्ड एसएडब्ल्यू प्रक्रिया का उपयोग करके ग्रेड एएच 36 प्लेट की निचली मोटाई की वेल्डिंग के इन-हाउस प्रक्रिया का विकास किया गया है। वेल्ड प्रक्रिया विनिर्देश तैयार किया गया है और एएच 36 ग्रेड स्टील प्लेट के 9 मिमी से 13 मिमी तक वेल्ड मोटाई के लिए योग्य है। इस नई प्रक्रिया में काफी श्रम घंटे और प्रयास की बचत होती है क्योंकि बड़ी वेल्डेड प्लेटों को मोड़ने से केवल एक साइड में वेल्डिंग को पूरा करने में सक्षम होने से बचा जाता है। यह प्रक्रिया आईआरएस वर्गीकरण सोसायटी द्वारा मान्य की गई है।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) के तहत एक शोध संस्थान, वेल्डिंग अनुसंधान संस्थान (डब्ल्यूआरआई), तिरुचिरापल्ली के साथ समझौता ज्ञापन के तहत इस अवधि के दौरान वेल्डिंग में क्षमता विकास और प्रशिक्षण किया गया है।

एकीकृत प्रबंधन प्रणाली

आईएसओ 9001:2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली और आईएसओ 14001:2015 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली मानकों के तहत कोचीन शिपयार्ड ने अपने एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) को बनाए रखा है। अंतिम निगरानी लेखा परीक्षा सितंबर 2019 में सफलतापूर्वक पूरा हुआ। सीएसएल अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को सितंबर 2020 में नवीनतम आईएसओ 45001:2018 को उन्नयन करेगा।

निगमित सामाजिक दायित्व

वर्ष के दौरान कंपनी को सामाजिक रूप से प्रभावी सीएसआर परियोजनाओं में 12.33 करोड़ रुपए खर्च करने की आवश्यकता थी। कंपनी ने लक्ष्य को पार कर लिया और वास्तविक खर्च 15.29 करोड़ रुपए था। कंपनी ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा विषय पर ध्यान केंद्रित किया और अपने कुल सीएसआर का 75% न्यूनतम 60% के जनादेश के खिलाफ विषय पर खर्च किया। वयनाड के आकांक्षी जिले में कंपनी ने वर्ष के दौरान 255.50 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं जिसमें से 129.87 लाख रुपए का भुगतान किया गया है।

पुरस्कार

कंपनी ने वर्ष 2019-20 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित एमओयू मापदंडों के संदर्भ में अनुकरणीय प्रदर्शन जारी रखा। हालांकि, एमओयू के तहत अंतिम रेटिंग होना अभी बाकी है। कोचीन शिपयार्ड ने विभिन्न क्षेत्रों में पुरस्कारों का ढेर प्राप्त किया उनमें उल्लेखनीय है “सीएसआर निधि के अभिनव और प्रभावी परिनिर्माण” योगदान की मान्यता के लिए केएमए सीएसआर पुरस्कार 2019 और “स्वास्थ्य और स्वच्छता” श्रेणी में भी विशिष्ट योगदान, एनआईपीएम राष्ट्रीय कार्मिक प्रबंधन संस्थान से सर्वश्रेष्ठ निगमित नागरिक पुरस्कार 2019, स्वास्थ्य सेवा” क्षेत्र में अपनी सीएसआर पहलों के लिए रोटरी इंटरनेशनल सीएसआर एक्सीलेंस पुरस्कार 2019, फैक्टरीस और बॉयलर्स विभाग, केरल सरकार से 500 से अधिक श्रमिकों

के साथ बहुत बड़ी इंजीनियरिंग / ऑटोमोबाइल, मरम्मत और सर्विसिंग, कपड़ा और कॉयर की श्रेणी में उत्कृष्ट सुरक्षा प्रदर्शन पुरस्कार 2019 और राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न पुरस्कार।

निष्कर्ष

सीएसएल हाल ही में बेहद चुनौतीपूर्ण और प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल में है। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच सीएसएल हमेशा अपने प्रतिस्पर्धात्मक लाभ और क्षमताओं को हासिल करने में सक्षम रहा है। पोत निर्माण और पोत मरम्मत में अपनी मूल दक्षताओं को मजबूत करते हुए कंपनी नए रास्ते, सुविधाओं और व्यापार के अवसरों को देख रही है। एक बहुपक्षीय संचालन और सामरिक गंभीरता के साथ, कंपनी आनेवाले वर्षों में अपेक्षित वृद्धि और विकास के लिए तैयार है।

मैं इस महान संगठन को आगे बढ़ाने में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए सभी बोर्ड सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ। मैं पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार के अन्य कार्यालयों, केरल सरकार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र तथा अंडमान और निकोबार प्रशासन को उनके प्रचुर समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूँ। अंत में मैं इस अवसर पर कंपनी के सभी शेरधारकों, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपके द्वारा प्रतिसाद में दिया गया विश्वास और आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए समर्थन जारी रखा जाएगा।

सधन्यवाद

जयहिंद

मधु एस नायर

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 07376798

हम मूल्य कैसे बनाते हैं

दूरदर्शिता

अग्र श्रेणी के वाणिज्य और नौसेना पोतों, अपतटीय यानों और संरचनाओं के निर्माण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिमत शिपयार्ड के रूप में प्रसिद्ध हो जाना।

परिवर्तन/उन्नयन सहित पोत मरम्मत के लिए भारत में बाजार अग्रणी बनना।

हमारे मूल्यवान ग्राहक द्वारा हमारी उपलब्धियों के लिए प्रशंसा करना, हमारी नैतिकता के लिए सम्मान किया जाना और हमारी सेवा उत्कृष्टता के लिए भरोसा करना।

दौत्य

अंतर्राष्ट्रीय मानक पर अपतटीय संरचना तथा यानों के निर्माण एवं मरम्मत करना और मूल्य पर जुड़नेवाली इंजीनियरी सेवाएं प्रदान करना।

प्रतियोगितात्मक पर्यावरण में निगमित संवृद्धि कायम रखना।

एक उत्तरदायी निगमित नागरिक बनने के लिए आदतों को स्वीकार करना और लेना।

उद्देश्य

प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं क्षमता संवर्धन के ज़रिए पोत निर्माण व पोत मरम्मत गतिविधियां कायम रखना और बढ़ाना।

नई सुविधाओं की स्थापना सहित शिपयार्ड की गतिविधियों के विकास/ विविधीकरण के लिए लगातार प्रयत्न करना।

पोत निर्माण प्रक्रिया की उभरती प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास कार्यान्वित करना।

अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्किंग की ओर जाने हेतु, भारत में अनुवर्तित सर्वश्रेष्ठ पोत निर्माण मानकों के साथ बेंचमार्क करना।

सुधरे विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना।

साफ एवं सुरक्षित पर्यावरण के लिए उत्कृष्ट आदत अपनाना।

क्षमता को उच्चतम सीमा तक बढ़ाने के लिए आक्रामक बोली लगाने से रुका काम समय कम करना और आदेश प्राप्त करना।

सकारात्मक ग्राहक उन्मुख पहलुओं को सुनिश्चित करना।

सीएसआर और धारणीयता परियोजनाओं तथा निगमित शासन सिद्धांतों के अनुपालन के जरिए एक उत्तरदायी निगमित नागरिक धारणा निर्मित करना।

सकल आय

₹ **3670** करोड़

राजकोष में अंशदान

₹ **514** करोड़

सीएसआर व्यय

₹ **15.29** करोड़

कर्मचारी लाभ व्यय

₹ **306** करोड़

हमारे बारे में

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) को वर्ष 1972 में पूर्ण स्वामित्व वाली भारत सरकार कंपनी के रूप में सम्मिलित किया गया था। हाल ही में भारत सरकार के पास कंपनी में 72.86% इक्विटी शेयर पूंजी है। पिछले चार दशकों में, कंपनी भारतीय पोत निर्माण और पोत मरम्मत उद्योग में एक अग्रदूत के रूप में उभरी है और वैश्विक पोत निर्माण के मोर्चे पर एक प्रसिद्ध खिलाड़ी भी है। सीएसएल ने भारत के बाहर विभिन्न वाणिज्यिक ग्राहकों को 45 पोतों का निर्यात किया है जैसे कि राष्ट्रीय पेट्रोलियम निर्माण कंपनी (अबुधाबी), क्लिप्पर ग्रुप (बहामास), ब्रोन ऑफशोर (नेदरलैंड्स) और एसआईजीवीए एएस (नॉर्वे)।

कंपनी ने भारते के कुछ सबसे बड़े पोतों का निर्माण और मरम्मत किया है और वर्तमान में भारतीय नौसेना के लिए प्रतिष्ठित स्वदेशी विमान वाहक का निर्माण कर रही है। इन वर्षों में, सीएसएल ने सफलतापूर्वक बाजारों के पोत निर्माण आवश्यकताओं में उतार-चढ़ाव का जवाब दिया है और प्लेटफॉर्म सप्लाय जहाजों (पीएसवी), और एंकर हैंडलिंग टग सप्लाय जहाजों (एएचटीएस) जैसे छोटे और अधिक तकनीकी रूप से परिष्कृत जहाजों के लिए थोक वाहक के निर्माण से विकसित हुआ है। सीएसएल ने उद्योग में कई प्रमुख प्रौद्योगिकी फर्मों के साथ काम किया है जिनमें रोल्स रॉयस मरीन (नॉर्वे), जीटीटी (फ्रांस), वॉर्ड ग्रुप (नॉर्वे) आदि शामिल हैं। इसने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमारी विश्वसनीयता में इजाफा किया है। आंतरिक मोर्चे पर हमारे प्रमुख पोत निर्माण ग्राहकों में भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड शामिल हैं। सीएसएल ने तेल अन्वेषण उद्योग के पोतों के उन्नयन के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के जहाजों की मरम्मत और पोतों का समय-समय पर रखरखाव एवं जीवन विस्तार भी किया है। सीएसएल हाल ही में भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन करनेवाला शिपयार्डों में से एक है।

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित और वितरित जहाजों
(कुल 31 मार्च 2020 तक)

15

बड़े जहाज

35

अपतटीय सहायक जहाज

71

लघु और मध्यम जहाज

20

रक्षा जहाज

हमारा प्रचालन पदचिह्न



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), कोच्ची
 ड्राई-डॉक 1 : 255 × 43 × 9 मी.
 ड्राई-डॉक 2 : 270 × 45 × 12 मी.
 ड्राई-डॉक 3 : 310 × 75/60 × 13 मी. (नया)
 बर्थ : 1.3 की.मी.

सीएसएल कोलकाता पोत मरम्मत यूनिट (सीकेएसआरयू), कोलकाता
 ड्राई-डॉक्स : 172 × 23 × 8 मी. (2 सं.)

सीएसएल – टेबमा शिपयार्ड, मालपे
 मध्यम आकार के जहाजों के लिए स्टैंडअलोन सुविधा
 स्लिपवे : 96 × 22 मी.

अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ), कोच्ची
 शिपलिफ्ट : 6000 टन (130 × 25 मी.)
 6 कार्य स्टेशन
 समर्पित शॉप और समुद्री पार्क

सीएसएल – अंडमान और निकोबार पोत मरम्मत यूनिट (सीएनएसआरयू), पोर्ट ब्लेयर
 ड्राई-डॉक 1 : 88 × 20 × 7 मी.
 ड्राई-डॉक 2 : 68 × 16 × 5 मी.
 स्लिपवे : 25 × 8 मी. (5 सं.)

सीएसएल मुंबई पोत मरम्मत यूनिट, (सीएमएसआरयू), मुंबई
 ड्राई-डॉक : 300 × 30 × 9 मी.
 जल मार्ग मरम्मत के लिए 1 की.मी. बर्थ

हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल), कोलकाता
 अंतर्देशीय पोत के लिए सहायक यार्ड
 स्लिपवे : 90 × 15 मी. × 2 सं.
 5 आउटफिटिंग जेटी

हमारा परिचय पत्र



पोत निर्माण

ऑइल टैंकर, बल्क कैरियर, टग्स, ड्रेजर, प्लेट फॉर्म सप्लाय वेसल, यात्री जहाज, ऍंकर हैंडलिंग टग सप्लाय वेसल आदि सहित विविध प्रकार के जहाजों का निर्माण कार्य किया। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक। फिलहाल, वायुयान वाहक, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन जहाज, यात्री जहाज, फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट जहाज, रो-रो जहाज, मराइन एम्बुलेंस, नाव, मत्स्य ग्रहण जहाज, मिनी जनरल कार्गो पोत, एसडब्ल्यू कॉरवेट्स, हाइड्रिड विद्युत यात्री जहाज आदि का निर्माण कर रहे हैं।

पोत मरम्मत

भारत का एकमात्र यार्ड जिसने वायुयान वाहक जैसे आईएनएस विराट और आईएनएस विक्रमादित्या का मरम्मत किया है। विविध तरह के वेसल जैसे ऑइल रिग्स, नेवल और कोस्ट गार्ड वेसल, ऑफशोर वेसल, ड्रेडजर, फिशिंग वेसल, यात्री पोत, पोर्ट क्राफ्ट और अन्य सभी तरह के मर्चेन्ट वेसलों का जटिल और परिष्कृत मरम्मत कर सकते हैं।

अपतट

विविध प्रकार के जटिल और परिष्कृत अपतटीय उन्नयन ठेके के ली हैं।



गुणवत्ता

कोचीन शिपयार्ड ने सितंबर, 2018 में, आईएसओ 9001:2015 - गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली और आईएसओ 14001 : 2015 - पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के अधीन प्रमाणित होकर एकीकृत प्रबंधन प्रणाली का उन्नयन किया है। सीएसएल 18001:2007 - व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली शामिल एकीकृत प्रबंधन प्रणाली का अनुपालन करता है। सीएसएल सितंबर 2020 तक अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को नवीनतम आईएसओ 45001:2018 में उन्नत करेंगे।

वित्तीय विशिष्टताएं

कुल कारोबार

(₹ करोड में)

वित्तीय वर्ष 15-16	1993.45
वित्तीय वर्ष 16-17	2058.87
वित्तीय वर्ष 17-18	2355.12
वित्तीय वर्ष 18-19	2965.60
वित्तीय वर्ष 19-20	3422.49

कर के बाद लाभ

(₹ करोड में)

वित्तीय वर्ष 15-16	419.65
वित्तीय वर्ष 16-17	493.40
वित्तीय वर्ष 17-18	604.86
वित्तीय वर्ष 18-19	751.38
वित्तीय वर्ष 19-20	863.43

कर के बाद लाभ

(₹ करोड में)

वित्तीय वर्ष 15-16	273.79
वित्तीय वर्ष 16-17	321.55
वित्तीय वर्ष 17-18	396.75
वित्तीय वर्ष 18-19	481.18
वित्तीय वर्ष 19-20	637.69

ईपीएस

(₹)

वित्तीय वर्ष 15-16	24.07
वित्तीय वर्ष 16-17	28.39
वित्तीय वर्ष 17-18	31.03
वित्तीय वर्ष 18-19	35.72
वित्तीय वर्ष 19-20	48.48

निवल मूल्य

(₹ करोड में)

वित्तीय वर्ष 15-16	1814
वित्तीय वर्ष 16-17	2029
वित्तीय वर्ष 17-18	3256
वित्तीय वर्ष 18-19	3332
वित्तीय वर्ष 19-20	3732

नियोजित पूंजी

(₹ करोड में)

वित्तीय वर्ष 15-16	1695
वित्तीय वर्ष 16-17	2089
वित्तीय वर्ष 17-18	3212
वित्तीय वर्ष 18-19	3018
वित्तीय वर्ष 19-20	3785

मुख्य सूचकांक	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11
ईपीएस (प्रति शेयर ₹)	48.48	35.72	31.03	28.39	24.07	20.75	17.15	16.35	15.21	20.09
प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ईबीडीआईटी/सकल कुल बिक्री)%	27.95	26.97	27.76	26.35	23.52	22.81	20.37	20.45	20.21	26.70
निवल लाभ गुंजाइश %	18.63	16.23	16.85	15.62	13.73	12.64	11.75	11.92	12.27	15.57
निवल मूल्य पर विवरणी %	17.09	14.44	12.19	15.85	15.09	15.06	14.15	15.76	16.40	23.51
उपयोगित पूंजी पर विवरणी %	16.85	15.94	12.35	15.39	16.15	14.50	13.97	19.08	18.76	27.44

(₹ करोड में)

विवरण	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11
कुल बिक्री	3422.49	2965.60	2355.12	2058.87	1993.45	1859.51	1652.66	1554.16	1404.85	1461.72
कुल आय	3669.99	3192.89	2544.28	2217.50	2107.37	1952.97	1728.64	1642.33	1481.54	1589.17
कर पूर्व लाभ	863.43	751.38	604.86	493.40	419.65	367.56	290.96	275.55	252.97	344.23
मूल्यहास एवं बट्टे खाता	48.73	34.16	37.51	38.51	37.19	38.33	26.43	19.22	18.07	17.06
कर के बाद लाभ	637.69	481.18	396.75	321.55	273.79	235.07	194.24	185.27	172.33	227.53
इक्विटी शेयर पूंजी	131.54	131.54	135.94	113.28	113.28	113.28	113.28	113.28	113.28	113.28
आरक्षण एवं अधिशेष	3600.25	3200.54	3119.93	1915.30	1701.05	1447.79	1239.25	1062.42	898.41	775.38
निवल मूल्य	3731.80	3332.08	3255.87	2028.58	1814.33	1561.07	1352.53	1175.70	1050.83	967.80
सकल अचल परिसंपत्तियां	853.82	426.69	369.79	357.72	569.53	636.84	602.38	444.35	376.73	362.10
निवल अचल परिसंपत्तियां	696.54	313.03	284.47	302.85	296.44	377.44	383.41	247.30	192.61	190.67
कर्मचारियों की सं.	1710	1744	1781	1829	1671	1786	1751	1656	1900	1818

हमारे लोग

मानव संसाधन दूरदर्शिता

निगमित मिशन वक्तव्यों में निहित लक्ष्यों और उद्देश्यों से निर्गत होकर, शिपयार्ड की सामरिक मानव संसाधन परिकल्पना एक अनोखी संस्था का निर्माण करने के लिए प्रयास करना है जो यार्ड के कार्यबल के कार्य जीवन की गुणवत्ता में सर्वांगीण सुधार के लिए रचनात्मकता, नवाचार, प्रौद्योगिकी, व्यापार और अच्छे निगमित प्रशासन प्रथाओं को एकीकृत करती है।

मानव संसाधन नीति

मानव संसाधन नीतियां मानव संसाधन का सही मिलाव, उनका सशक्तिकरण और संवर्धन प्रदान करने की ओर उन्मुख हैं ताकि संगठनात्मक लक्ष्यों और परिणामों को पूरा किया जा सके।

मानव संसाधन मिशन

यार्ड में काम करने वाले सभी अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए एक जीवंत मंच प्रदान करना और व्यक्ति और संगठन दोनों के लिए सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करें।

लक्ष्य

विकास, मान्यता, पुरस्कार, प्रेरणा, क्षमता निर्माण, प्रतिबद्धता और स्वस्थ नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों को सुनिश्चित करने वाले प्रदर्शन के आधार पर मानव संसाधन नीतियों को लागू / परिचय / और योजना बनाना।

सीएसएल दृष्टिकोण

कोचीन शिपयार्ड मानता है कि सभी संसाधनों के बीच यह शिपयार्ड का प्रचुर पेशेवर, कुशल और प्रशिक्षित मानव संसाधन (एचआर) है जो शिपयार्ड को लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए प्रेरित कर रहा है और एक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल करने में सीएसएल की सहायता कर रहा है। सीएसएल का मानव संसाधन कंपनी के व्यवसाय रणनीति का एक एहम हिस्सा है। सीएसएल में मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली प्रक्रियाओं और दृष्टिकोण को कर्मचारी कल्याण और निष्पादन को अधिकतम करने हेतु डिज़ाइन किया गया है। कंपनी मानव संसाधन, भर्ती, प्रशिक्षण और विकास, निष्पादन मूल्यांकन और पुरस्कारों के

प्रभावी प्रबंधन और विकास पर केंद्रित है। मानव संसाधन संगठनात्मक परिवर्तन और संगठन में एक स्वस्थ नियोक्ता कर्मचारी संबंध का वातावरण बनाए रखने से संबद्ध है।

हमारी श्रमशक्ति

1710

दिनांक 31 मार्च 2020 को कंपनी की श्रमशक्ति 1710 थी जिसमें 369 कार्यपालक, 136 पर्यवेक्षक और 1205 कामगार शामिल हैं।



निदेशक मंडल



श्री मधु एस नायर
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

श्री मधु एस नायर दिनांक 01 जनवरी 2016 को कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रूप में कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्व विद्यालय, भारत से नौसेना वास्तुकला और पोत निर्माण में प्रौद्योगिकी स्नातक उपाधि और ओसाका विश्वविद्यालय, जापान से नौसेना वास्तुकला और समुद्री इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता के साथ इंजीनियरी में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त किया है। शिपयार्ड प्रबंधन के संपूर्ण पहुँच में जून 1988 को कार्यपालक प्रशिक्षार्थी के रूप में नियुक्त होने के बाद से उनके पास कंपनी के साथ 32 साल से अधिक पेशेवर अनुभव है। वे अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी भागीदारों के साथ गठजोड़ करने में महत्वपूर्ण चालक थे। जब वे विपणन प्रभाग का नेतृत्व कर रहे थे, तब अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध हासिल करने में माहिर और लघु पोत प्रभाग की संकल्पना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके नेतृत्व में, सीएसएल एक बहुत ही सफल प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के बाद एक सूचीबद्ध कंपनी बन गई। अपने कार्यकाल के दौरान, सीएसएल ने 2769 करोड़ रुपए की दो बड़ी विस्तार परियोजनाओं का दायित्व लिया है। इसके अलावा सीएसएल कोलकाता में सहायक कंपनी स्थापित करके अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन पोत खंड में प्रवेश कर रहा है। सीएसएल ने भारत के प्रमुख पोर्ट ट्रस्टों अर्थात् मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के साथ पोत मरम्मत पारिस्थितिकी तंत्र के विकास और संचालन के लिए और उन बंदरगाहों में अलग इकाइयां स्थापित करने के लिए गठबंधन किया है। सीएसएल ने भी पोर्ट ब्लेयर में एक इकाई स्थापित की। उन्हें जनता की शक्ति में एक मज़बूत विश्वास है और उनके द्वारा कल्पना की गई 'लोक पहले नीति' का उद्देश्य सीएसएल को एक ज्ञान संगठन में शामिल करना है। वे हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, सीएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, के अध्यक्ष भी हैं।



श्री एन वी सुरेश बाबु
निदेशक (प्रचालन)

श्री सुरेश बाबु दिनांक 26 अप्रैल 2016 से कंपनी के निदेशक (प्रचालन) हैं। उन्हें केरल विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग (मेकानिकल) में स्नातक उपाधि और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ऑपन विश्वविद्यालय से प्रबंधन में डिप्लोमा है। उन्होंने कोलंबो योजना के अधीन जापान सरकार के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम के तहत विदेशी पोत निर्माण सहयोग केंद्र द्वारा आयोजित पोत निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण में एक साल का ग्रुप प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है। उन्होंने कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सेकाइड, जापान, में शिपयार्ड के साथ एक प्रायोगिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी किया है। इसके अलावा, उन्होंने ऑवरसीज शिपबिल्डिंग कॉ-ऑपरेशन सेंटर में आयोजित जापानी भाषा में पूरक पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है। उन्होंने फरवरी, 1985 में कार्यपालक प्रशिक्षार्थी के रूप में कंपनी में कार्यभार ग्रहण किया। उन्हें कंपनी में 35 वर्ष का कार्य अनुभव है जहां उन्हें वित्त पोत निर्माण, सामग्री और पोत मरम्मत प्रभागों जैसे शिपयार्ड के विविध क्षेत्रों में अनुभव रहा है। वे हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, सीएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के निदेशक भी हैं।



श्री विजय भास्कर
निदेशक (तकनीकी)

श्री विजय भास्कर दिनांक 05 अप्रैल 2018 से कंपनी के निदेशक (तकनीकी) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। उन्होंने केरल विश्वविद्यालय से प्रथम रैंक और स्वर्ण पदक के साथ प्रौद्योगिकी (मेकानिकल) में स्नातक उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास से प्रौद्योगिकी (मेकानिकल) में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ऑपन यूनिवर्सिटी से प्रबंधन में उच्च डिप्लोमा पूरा कर लिया है। उन्होंने दिनांक 29 जून, 1988 को कार्यपालक प्रशिक्षार्थी के रूप में कंपनी में कार्यभार ग्रहण किया। उन्हें वर्ष 2014 में केरल प्रबंधन एसोसिएशन द्वारा "वर्ष का प्रबंधक पुरस्कार" से सम्मानित किया गया। उन्हें कंपनी में 32 वर्ष का कार्य अनुभव है जहां वे कंपनी के पोत डिजाइन, पोत निर्माण, आउटफिट और पोत मरम्मत प्रभागों में शामिल हुए थे। वे हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, सीएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के निदेशक भी हैं।



श्री जोस वी जे
निदेशक (वित्त)

श्री जोस वी जे दिनांक 01 अगस्त 2019 से कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। वे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के एक सदस्य हैं और सरकारी लॉ कॉलेज से कानून में डिग्री भी हासिल की है। उन्हें विविध क्षेत्र जैसे कि : वित्तीय प्रबंधन, रणनीतिक योजना, जोखिम प्रबंधन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, बजट और लागत नियंत्रण में लगभग 19 वर्षों का कार्यानुभव है। वे कंपनी के सूचना प्रणाली विभाग के भी मुख्य हैं। वे हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, सीएसएल की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के निदेशक भी हैं।



श्री संजय बंदोपाध्याय
आईएएस
अंशकालिक सरकारी (नामिती)
निदेशक

श्री संजय बंदोपाध्याय दिनांक 03 फरवरी 2020 से भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाली कंपनी के एक अंशकालिक सरकारी (नामिती) निदेशक हैं। वे 1988 बैच के मध्यप्रदेश केडर के आईएएस अधिकारी हैं। श्री संजय बंदोपाध्याय वर्तमान में भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय के अपर सचिव के पद पर तैनात हैं और पोर्ट्स, नौवहन, पोत निर्माण एवं पुनर्चक्रण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संधियाँ, एड-टू-नेविगेशन आदि से संबंधित सभी नीतियों, संचालन और विकास कार्यों को सौंपा गया है। अपर सचिव के रूप में उन्होंने पोतों के पुनर्चक्रण विधेयक 2019 के पारित होने और हांगकांग सम्मेलन के अनुसमर्थन को समन्वित किया। वे नए व्यापारी पोत बिल, एड-टू-नेविगेशन बिल और भारतीय पोर्ट बिल के प्रारूपण का भी समन्वय कर रहे हैं।

उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली से संचार प्रौद्योगिकी और रडार इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर उपाधि और इलेक्ट्रॉनिक्स व संचार इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि और अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल की है। पूर्व में उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों दोनों में विभिन्न वरिष्ठ पदों पर रहे, यानी, मध्यप्रदेश सरकार की तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग के मुख्य सचिव, राष्ट्रीय मोटर वाहन परीक्षण और अनुसंधान व विकास संरचना परियोजना (एनएटीआरआईपी) (भारी उद्योग व लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारत सरकार के संयुक्त सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ऊर्जा सचिव (ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा), मध्य प्रदेश सरकार, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, मध्य प्रदेश सरकार के कृषि सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के सदस्य (वित्त) और मध्यप्रदेश सरकार के अपर सचिव। एनएटीआरआईपी के सीईओ के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, उन्हें भारत में ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए परीक्षण और अनुसंधान व विकास सुविधाओं के डिजाइन, योजना, प्रापण, निर्माण व कमीशनिंग, क्रैश जांच और डेटा विश्लेषण, परीक्षण व्यवस्था और विनियमों का विकास संबंधी कार्य सौंपा गया। इसके अलावा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रूप में, उन्हें सड़क परिवहन नीति, सड़क सुरक्षा, मोटर वाहन अधिनियम, राष्ट्रीय परमिट, परिवहन विकास परिषद (टीडीसी), सड़क परिवहन निगम अधिनियम और सड़क मार्ग द्वारा बहन अधिनियम आदि कार्य सौंपा गया। वे मंत्री मंडल में पेश करने हेतु नए सड़क परिवहन और सुरक्षा बिल के प्रारूप का भी समन्वय कर रहे थे।

उन्हें विभिन्न प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया है, जैसे भारत सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ नागरिक केंद्रीय सेवा के लिए 'वाहन' यातायात पंजीकरण और परमिट प्रणाली को कार्यान्वित करने हेतु 'प्लेटिनम आइकॉन वेब रत्न पुरस्कार 2012', इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से राज्य स्कूल पोर्टल और प्रबंधन के लिए प्रस्तात ई-गवर्नेंस (स्वर्ण), वर्ष 2009-10 हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार, इंडिया टेक फाउंडेशन 2007 -ऊर्जा विभाग में भारत में दूसरा सर्वश्रेष्ठ सुधार राज्य।



श्री ज्योतिलाल के आर
आईएएस
अंशकालिक सरकारी (नामिती)
निदेशक

श्री ज्योतिलाल के आर केरल सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाली कंपनी के अंशकालिक सरकारी (नामिती) निदेशक हैं। उन्हें दिनांक 24 अगस्त 2020 से बोर्ड में फिर से नियुक्त किया गया। उन्हें आईआईटी चेन्नई से केमिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेकनोलॉजी की उपाधि है। वे 1993 बैच (केरल केडर) के एक आईएएस अधिकारी हैं और उन्होंने केरल सरकार के विभिन्न विभागों जैसे भूमि राजस्व प्रबंधन और जिला प्रशासन, मत्स्य पालन / कृषि और सहयोग, सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले आदि में काम किया है। वर्तमान में वे केरल सरकार के प्रधान सचिव (परिवहन) के पद पर तैनात हैं।

निगमित सूचना

निदेशक मंडल

श्री मधु एस नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री सुरेश बाबु एन वी
निदेशक (प्रचालन)

श्री बिजोय भास्कर
निदेशक (तकनीकी)

श्री जोस वी जे
निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी

श्री संजय बंदोपाध्याय आईएएस
अपर सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार, अंशकालिक सरकारी (नामिति) निदेशक

श्री ज्योतिलाल के आर आईएएस
प्रधान सचिव (परिवहन)
केरल सरकार
अंशकालिक सरकारी (नामिति) निदेशक

मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री के राजेन्द्रन

प्रबंधन टीम

श्री रमेश के जे
मुख्य महाप्रबंधक
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)

श्री मुरुगुय्या एम
मुख्य महाप्रबंधक (तकनीकी)

श्री श्रीजित के एन
मुख्य महाप्रबंधक (पोत मरम्मत)

श्री नीलकंठन ए एन
महाप्रबंधक (योजना एवं परियोजना प्रबंधन)

श्री सुरेश कुमार ए वी
महाप्रबंधक (प्रशिक्षण)

श्री वरदराजन एस
महाप्रबंधक एवं विशेष अधिकारी
(केएमआरएल परियोजना)

श्री राजेश गोपालकृष्णन
महाप्रबंधक (व्यापार विकास एवं नई परियोजनाएं)

श्री हरिकृष्णन एस
महाप्रबंधक (सामग्री)

श्री एल्दो जॉन
महाप्रबंधक (इंफ्रा परियोजनाएं)

श्री सुब्रमण्य पिल्लै आर
महाप्रबंधक (यूएंडएम)

श्री शिवकुमार ए
महाप्रबंधक (पोत निर्माण)

श्री सुनिल कुमार के आर
महाप्रबंधक (आईएसी)

श्रीमती अंजना के आर
महाप्रबंधक (डिजाइन)

श्री जयन के तंपी
महाप्रबंधक (पोत मरम्मत-मुंबई)

श्री श्यामकमल एन
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

पंजीकृत कार्यालय

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर,
पेरुमानूर, एर्णाकुलम, केरल
भारत - 682 015

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक
कैनरा बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
आईडीबीआई बैंक
एक्सिस बैंक

सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स एलियास जॉर्ज एंड कं.
सनदी लेखकार
38/1968 ए, ईजीसी हाउस,
एचआईजी अवन्व्यू वेस्ट एंड
गांधी नगर, कोच्ची - 682 020

सचिवीय लेखापरीक्षक

मेसर्स मेहता एंड मेहता
कंपनी सचिव
201-206, शिव स्मृति, दूसरा तल
49/ए, डॉ आनी बसंट रोड,
कॉरपोरेशन बैंक के ऊपर, वेर्ली, मुंबई - 400 018

लागत लेखापरीक्षक

मेसर्स के ए फेलिक्स एंड कं.
डी 31/670, पार्वती निलयम
वेल्लेयर अस्पताल के सामने, वैटिला पी ओ,
एर्णाकुलम - 682 019

डिबेंचर ट्रस्टी

एसबीआईकेप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड
6 वीं तल, अपीजय हाउस,
3, दिनशा वच्चा रोड, चर्चगेट, मुंबई-400 020

रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट

लिक इनटाइम इंडिया प्रा. लि.
सूर्या, 35, मईफ्लवर अवन्व्यू
सेंतिल नगर के पीछे, सौरिपालयम रोड,
कोयंबतूर - 641 028

निगमित सामाजिक दायित्व

सीएसआर दूरदर्शिता

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड अपनी निगमित दृष्टि के अनुरूप, अपने उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता के लिए मान्यता प्राप्त जिम्मेदार निगमित नागरिक होने और व्यवसाय के संचालन के अपने नैतिक तरीके के लिए सम्मानित होने की सर्वोत्तम परंपरा को जारी रखने के लिए तत्पर है। इसमें समाज के जीवन स्तर में सुधार के प्रति अपनी समृद्धि का परिणाम देना और सतत विकास के लिए पर्यावरण और प्रकृति में योगदान देने के द्वारा यह साझा समावेशी विकास के मार्ग का अनुसरण करने का प्रयास करता है।



समुद्री छात्र दल के लिए आशावादी क्लास सेलबोटों की खरीद हेतु समर्थन ।



भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहर में स्वच्छता को बढ़ावा देने में योगदान में अटलांटिस जंक्शन, एमजी रोड, एर्णाकुलम में आधुनिक सार्वजनिक शौचालय ब्लॉक का निर्माण ।



नेत्रहीन स्कूल के लिए एक मार्मिक उपहार – केरल के नेत्रहीन स्कूल सोसाइटी, थोट्टुमुघम, आलुवा, एर्णाकुलम जिले के नेत्रहीन बच्चों के पार्क के लिए और फिज़ियोथेरापी सेंटर के लिए उपकरण प्रदान किया गया ।



मृत्यु के द्वार से डॉक्टर के हाथ – जनरल अस्पताल, एर्णाकुलम में प्रशामक देखभाल के लिए दो मास्र्ति ईको बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और तीन मास्र्ति ईको वाहनों की खरीद हेतु समर्थन ।



एक कम प्लास्टिक बैग अभियान - प्लास्टिक बैग के उपयोग को कम करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत टाइम्स ऑफ इंडिया के सहयोग में आम जनता को 20,000 जूट बैग वितरित किए।

वित्तीय वर्ष 20 में सीएसआर परियोजनाओं की संख्या

116

वर्ष के दौरान सीएसआर के लिए खर्च की गई राशि

₹ 15.29 करोड़

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारियों,

- आपके निदेशकों को कंपनी की 48 वीं वार्षिक रिपोर्ट और 31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने में संतोष है।



वित्तीय निष्पादन

- आपकी कंपनी ने इस वर्ष पोत निर्माण बाजार परिदृश्य के अभाव के बावजूद प्रभावशाली कार्य-निष्पादन प्रदर्शित किया है। वर्ष 2018-19 के 2965.60 करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष 3422.49 करोड़ रुपये के कुल कारोबार प्राप्त करने में कंपनी को विविध परिचालन खंडों और उत्पाद प्रोफाइल ने मदद की है। इस वर्ष कर पूर्व लाभ 863.43 करोड़ रुपये था, जबकि पिछले वर्ष में 751.38 करोड़ रुपये था। इस वर्ष निवल लाभ 637.69 करोड़ रुपये था, जबकि पिछले वर्ष में 481.18 करोड़ रुपये था।
- कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 2,50,00,00,000 रुपये है जो प्रत्येक 10 रुपये अंकित मूल्य के 25,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी की प्रदत्त पूंजी ₹ 1,31,54,03,900/- है जो प्रत्येक 10 रुपये अंकित मूल्य के 13,15,40,390 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

वित्तीय विशिष्टताएं

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2019-20	2018-19
(i)	कुल आय	3669.99	3192.89
(ii)	वित्तीय लागत, मूल्यहास व कर पूर्व लाभ	956.75	799.83
(iii)	वित्तीय लागत	44.59	14.30
(iv)	मूल्यहास व बढ़ा खाता	48.73	34.16
(v)	कर पूर्व लाभ	863.43	751.38
(vi)	कर व्यय	225.74	270.20
(vii)	निवल लाभ	637.69	481.18



लाभांश

- निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन (डीआईपीएएम) विभाग द्वारा जारी दिनांक 27 मई 2016 के कार्यालय ज्ञापन एफ सं. 5/2/2016-पॉलिसी के अनुसार, हर सीपीएसई के बाद लाभ के 30% और निवल-मूल्य के 5% जो भी उच्च हो, न्यूनतम वार्षिक लाभांश अदा करना है। तदनुसार, आपके निदेशकों प्रत्येक ₹10 के 13,15,40,390 पूर्ण रूप से प्रदत्त शेयरों पर प्रति इक्विटी शेयर ₹ 15/- का लाभांश देने के लिए सिफारिश करने में प्रसन्नता है। इससे पहले, वर्ष 2019-20 के दौरान शेयरधारकों को ₹ 1.63/- प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया गया है। इस प्रकार, वर्ष 2019-20 के लिए कुल लाभांश ₹ 16.63/- प्रति इक्विटी शेयर (166.30%) है, जिसकी राशि ₹ 218.75/- करोड़ है। निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित करने के लिए कोई वेदावा लाभांश (पिछले वर्षों का) नहीं है।

लाभांश वितरण नीति

5. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकट करण अपेक्षाएं) विनियमन 2015 के विनियमन 43 ए के अनुसार शीर्ष पांच सौ सूचीबद्ध संस्थाएं एक लाभांश वितरण नीति तैयार करेगी। तदनुसार, पैरामीटर और परिस्थितियों को निर्धारित करने के लिए लाभांश वितरण नीति अपनाया गया है जिसे बोर्ड द्वारा अपने शेयरधारकों को लाभांश के वितरण और /या लाभ को व्यापार में रखे रहने के लिए ध्यान में रखा जाएगा। नीति इस रिपोर्ट में **अनुबंध 1** के रूप में संलग्न है और सीएसएल की वेबसाइट <https://www.cochinshipyard.com/uploads/coporate/1776176ff06b7942265b7265e3f6bd97.pdf> पर उपलब्ध है।

संचित निधि का अंतरण

6. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचना सं. जीएसआर 574 (ई) द्वारा अधिसूचित कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 में किए गए संशोधन के अनुसार, कंपनी इसके द्वारा जारी बांड के संबंध में ऋणपत्र प्रतिदान संचित निधि सृजित करने की आवश्यकता नहीं है। दिनांक 31 मार्च 2020 की तिथि पर कंपनी के आरक्षण और अधिशेष ₹ 3,600.25 करोड़ था जो कंपनी की अंतर्निहित वित्तीय शक्ति प्रकट करती है।

राजकोष को अंशदान

7. आय कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, जीएसटी और लाभांश वितरण कर सहित लाभांश और के रूप में लगभग ₹ 513.73 करोड़ का कुल अंशदान दे दिया है।

पोत निर्माण



8. कंपनी ने वर्ष 2018-19 के दौरान 2,132.20 करोड़ रुपए के सामने वर्ष 2019-20 के दौरान 2,852.27 करोड़ रुपए का कुल पोत निर्माण आय प्राप्त किया है। वर्ष 2019-20 के दौरान, सीएसएल ने अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के लिए आठ रो-पैक्स वेसल को सुपुर्द किया है। यार्ड ने परियोजनाओं पर विभिन्न प्रमुख पहलुओं को भी पूरा किया है, जिसमें अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के लिए निर्माणाधीन दो 500 यात्री व 150 मे.ट. कार्गो वेसल और एक 1200 यात्री व 1000 मे.ट. कार्गो वेसल का जलावतरण, केरल सरकार के मत्स्य विभाग के लिए एक समुद्री एंबुलेंस बोट का जलावतरण, भारतीय नौसेना के लिए दो ब्राउस एंड पॉटून का जलावतरण, उत्कर्ष एडवाइसरी सर्वीसस प्राइवट लिमिटेड (जेएसडब्ल्यू ग्रुप) के लिए 8000 डीडब्ल्यूटी मिनी जनरल कार्गो पोत आदि शामिल हैं। सीएसएल ने तमिलनाडु

के लाभार्थियों के लिए आठ ट्यूना लॉग लाइनर व गिलनेडर फिशिंग बोट को भी सुपुर्द किया है और पांच ट्यूना लॉग लाइनर व गिलनेडर फिशिंग बोट सुपुर्दगी के अंतिम चरण में है। आगे, भारतीय नौसेना के लिए ब्राउज और पॉटून, गृह मंत्रालय के लिए फ्लोटिंग बोर्डर आउट पोस्ट वेसल और केरल सरकार के लिए दो समुद्री एंबुलेंस बोट प्रगति में है।

9. स्वदेशी वायुयान वाहक परियोजना ने अपने परीक्षण चरण में प्रवेश कर लिया है। पोत के चार गैस टरबाइन नवंबर 2019 महीने में शुरू किए गए थे। इसके अलावा, पूर्व-सीएसटी डॉकिंग का एक प्रमुख पहलु दिसंबर 2019 के महीने में पूरा हो गया था, जिसके दौरान शाफ्टिंग, अंडरवाटर वाल्व, अंडरवाटर पेंटिंग और डॉकिंग से संबंधित अन्य गतिविधियों पर व्यापक कार्य किया गया था। इनमें लुना, कवच, रेजिस्टर ई, आरएएन 40 एल आदि की स्थापना शामिल थी। पोत के सभी आठ डीजल जनरेटर की जांच पूरी हो चुकी थी। पोत के चार एयर कंडीशनिंग संयंत्रों को सक्रिय किया गया है। पोत प्रणाली जैसे कि निस्तारण, हीलिंग और ट्रिमिंग, बाइल और फायरमैन के हार्बर स्वीकृति परीक्षण अनुसूची के अनुसार प्रगति पा रहे हैं। आईपीएमएस (इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम) के परीक्षण भी संतोषजनक रूप से प्रगति पा रहे हैं। ऊर्जा वितरण केन्द्रों, बिजली पैनलों, आरसीओए/एचसीओएस और 24 वी डीसी ट्रांस-रेक्ट्रीफायर्स के संचालन की जांच पूरी हो गई है। पोत के चरण 3 अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं और एफसी और सूपर स्ट्रक्चर आउटफिटिंग से संबंधित इसकी गतिविधियां परिणति स्तर पर हैं। लॉकडाउन के बाद विभिन्न उपकरणों और प्रणाली की कमीशनिंग शुरू हो गई है। पोतों का बेसिन परीक्षण अक्टूबर 2020 में निर्धारित किया गया है।

पोत मरम्मत

10. कंपनी को वर्ष 2018-19 के ₹ 833.58 करोड़ के तुलना में चालू वर्ष के दौरान ₹ 570.23 करोड़ का कुल पोत मरम्मत आय प्राप्त किया है। मुख्य यार्ड में वर्ष के दौरान मरम्मत किए गए प्रमुख पोतों में आईएनएस शारदा, आईएनएस ज्योति, आईएनएस तीर, आईएनएस जमुना, समुद्र सर्वेक्षक, ट्रेज XXI, नानकोवरी और शांति सागर शामिल हैं। सीएसएल मुंबई पोत मरम्मत यूनिट में वर्ष के दौरान मरम्मत किए गए मुख्य पोतों में आईएनएस दिल्ली, सबमरीन का पृथक्करण - 4 (आईएनएस वेला), समुद्र निधि और सहायता स्टेशन-3 शामिल हैं। सीएसएल कोलकाता पोत मरम्मत यूनिट में वर्ष के दौरान मरम्मत किए गए मुख्य पोतों में ग्रेट शिप विद्या और आईएनएस कवरत्ती शामिल हैं।



पोत निर्माण आदेश पुस्तिका स्थिति

11. वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, सीएसएल ने महत् प्रतियोगिता में आदेश हासिल करने में सफल रहा था, जिसमें भारतीय नौसेना के लिए 8 एएसडब्ल्यू कोरवेट के लिए पोत निर्माण आदेश, भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी वायुयान वाहक के चरण III अनुबंध पर हस्ताक्षर और कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड (केएमआरएल) के लिए 23 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक - यात्री फेरी (100 यात्री) आदि शामिल हैं। दिनांक 31 मार्च 2020 तक आदेश पुस्तिका की स्थिति इस प्रकार है :

यान का प्रकार	सं.
भारतीय नौसेना के लिए देशी वायुयान वाहक	01
डीआरडीओ के लिए तकनॉलजी प्रदर्शन वेसल (विशेष उद्देश्य जहाज)	01
आंडमान व निकोबार प्रशासन के लिए 500 यात्री व 150 टन कार्गो वेसल	02
आंडमान व निकोबार प्रशासन के लिए 1200 यात्री व 1000 टन कार्गो वेसल	02
तमिलनाडु के लिए टूना लाँग लाइनर एवं गिल नेट्टर फिशिंग बोट	05

यान का प्रकार	सं.
एनडब्ल्यू 3 के लिए भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण के लिए रो-रो जहाज	02
भारतीय नौसेना के लिए ब्राउस पॉन्टून	02
केरल सरकार के लिए मराइन आम्बुलेंस बोट	03
उत्कर्ष एड्वाइसरी सर्वीस लिमिटेड (जेएसडब्ल्यू ग्रूप) के लिए 800 टन मिनी बल्क कैरियर	04
गृह मंत्रालय के लिए फ्लोटिंग बोर्डर आउटपोस्ट जहाज	09
भारतीय नौसेना के लिए एंटी सबमराइन शालो वाटर कोरवेट्स	08
केएमआरएल के लिए हाइब्रिड इलेक्ट्रिक-यात्री (100 यात्री)	23

विस्तार परियोजनाएं

12. वर्ष 2019-20 के दौरान ली गई प्रमुख परियोजनाओं और पहलों का विवरण निम्नानुसार है:

i) कोचीन पत्तन न्यास में अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा

सीएसएल ने कोचीन पोर्ट ट्रस्ट की पट्टे भूमि (प्रथम चरण) में सूखी गोदी व मौजूदा सुविधाओं को प्रचालित करना जारी रखा है। सीएसएल ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान ग्यारह पोतों की मरम्मत का काम पूरा किया है। दिनांक 17 नवंबर, 2017 को शुरू हुआ निर्माण कार्य पूरे जोरों पर चल रहा है। पाइलिंग के 95% से अधिक कार्य, 50% तक डेक कंक्रिटिंग और 80% तक ड्रेजिंग गतिविधियां पूरे हो चुके हैं और यह सुविधा वित्त वर्ष 2020-21 में चालू होने की उम्मीद है। कोच्ची को भारत के एक समुद्री केन्द्र के रूप में विकसित करने के हमारे प्रयासों के एक हिस्से के रूप में, सीएसएल ने विल्लिंगडन द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा के पास एक समुद्री पार्क की स्थापना की थी, जिसका उद्घाटन दिनांक 19 सितंबर, 2019 को माननीय पोत परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री मनसुख एल मांडव्या द्वारा किया गया था। पहले चरण में मैरीटाइम पार्क में अपनी इकाइयों की स्थापना के लिए समुद्री उद्योग में विश्व स्तर पर प्रसिद्ध कंपनियों ने पहले ही सीएसएल के साथ भागीदारी की है। वर्तमान आईएसआरएफ चालू होने पर उपलब्ध क्षमता के साथ युग्मित पोत मरम्मत में प्रमुख संचालन के साथ सीएसएल कोच्ची को एक प्रमुख पोत मरम्मत हब के रूप में पेश करने की उम्मीद करता है।

ii) **नई सूखी गोदी परियोजना**

600 टन ग्रैन्टी क्रेन के साथ 310x75/60x13m मापनेवाला नयी सूखी गोदी कंपनी के मौजूदा परिसर के उत्तरी छोर पर स्थित होगी। नई गोदी कंपनी के पोत निर्माण और पोत मरम्मत की क्षमता को बढ़ाएगा जो आवश्यक रूप से विशेष और तकनीकी रूप से उन्नत जहाजों के बाजार की क्षमता को पकड़ने में मदद करेगा जैसे कि एलएनजी वाहक, उच्च क्षमता के वायुयान वाहक, जैक अप रिग्स, ड्रिल पोत, बड़े ड्रेजर और ऑफशोर प्लॉटफॉर्म और बड़े जहाजों की मरम्मत आदि। जून 2018 में शुरू की गई निर्माण गतिविधियां प्रगति पर हैं। ग्राउंड सुधार कार्य पूरा हो गया है। आरसीसी पाइलिंग और शीट पाइल स्थापना कार्य प्रगति पर हैं। लगभग 40% आरसीसी पाइलिंग और 70% शीट पाइलिंग कार्य पूरा हो चुका है। वित्त वर्ष 2022-23 में नई सूखी गोदी की सुविधा शुरू होने की उम्मीद है। 600 टन ग्रैन्टी क्रेन की आपूर्ति और कमीशनिंग के लिए अनुबंध दिनांक 14 मार्च 2019 को जारी किया गया था और ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत डिजाइन की समीक्षा की जा रही है।

iii) **हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल)**

हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) को प्रारंभ में सीएसएल और हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड (एचडीपीईएल) के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था। केन्द्रीय मंत्रीमंडल के अनुमोदन के अनुसार, दिनांक 01 नवंबर 2019 से एचसीएसएल सीएसएल की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी बन गई। एचसीएसएल गुणवत्ता, अंतर्देशीय और तटीय पोत निर्माण के लिए पूर्वी तट में अग्रणी पोत निर्माण यार्ड के रूप में खुद को स्थापित करने की इरादा रखता है।

वित्तीय वर्ष के दौरान, सिविल कार्य पैकेज के तहत गतिविधियों के साथ निर्माण कार्य शुरू हो गया और सिविल कार्यों की प्रत्यक्ष प्रगति 50% के स्तर को पार कर गई है। विद्युत प्रणाली, अग्निशमन प्रणाली, गैस पाइपिंग, महत्वपूर्ण मशीनरी और क्रेन जैसे प्रमुख निविदाओं को प्रदान किया गया है और कार्य प्रगति में है। अन्य विभिन्न पैकेजों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और परियोजना की प्रगति के साथ मिलान करने के लिए निष्पादित किया जाएगा।

दो आउटफिटिंग जेटी का निर्माण कार्य दिनांक 31 दिसंबर 2019 को पूरा हुआ और इसका उद्घाटन दिनांक 30 जनवरी, 2020 को अध्यक्ष (एचसीएसएल) एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएसएल) श्री मधु एस नायर द्वारा श्री एस बालाजी अरुणकुमार आईआरटीएस (उपाध्यक्ष -केओपीटी) एवं अध्यक्ष (एचसीएसएल) की उपस्थिति में किया गया। दिनांक 15 फरवरी, 2020 को समझौता ज्ञापन लक्ष्य तिथि से पहले आउट फिटिंग जेटी का निर्माण पूरा हो गया था, जिससे पोत परिवहन

मंत्रालय के साथ सीएसएल समझौता ज्ञापन के 'उत्कृष्ट' दर-निर्धारण मानदंडों को पूरा किया जा सका।

कोविड-18 महामारी के कारण लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण, नजीरगंज में निर्माण गतिविधियों को दिनांक 23 मार्च 2020 से जून 08 2020 तक रोक दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना की पूर्ण तिथि को संशोधित करते हुए सितंबर 2021 हो गया। हालांकि इस परियोजना को पूरा करने और जून 2021 को मूल संविदा पूर्ण होने की तिथि के भीतर यार्ड के संचालन को शुरू करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

कंपनी अधिनियम 2013, की धारा 129 (3) के प्रावधानों के अनुसार, प्रपत्र एओसी-1 में सहायक/सहयोगी/संयुक्त उद्यम कंपनियों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताएं युक्त एक अलग विवरण, वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न किया है।

iv) **टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड (टीएसएल)**

सीएसएल की दीर्घकालिक रणनीति यानि कृज 2030, के एक भाग के रूप में, सीएसएल 6x-8x वृद्धि प्राप्त करने की आकांक्षा रखता है और इसके लिए कंपनी ने कई अवसरों में से एक के रूप में गहरे समुद्र में मत्स्य ग्रहण पोत की पहचान की है। चूंकि मत्स्य ग्रहण पोत खंड एक समर्पित सुविधा की मांग करते हैं, ताकि पारंपरिक पोत निर्माण प्रक्रिया से अलग व्यवसाय की बड़ी मात्रा को पूरा किया जा सके, सीएसएल इस खंड में प्रवेश करने के लिए एक उपयुक्त सुविधा की तलाश में था। इस अवधि के दौरान, सीएसएल को टीएसएल, माल्पे में एक अवसर मिला, जो इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 (आईबीसी) के अधीन कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी एंड रिजोल्यूशन प्रोसेस (सीआईआरपी) से गुजर रहा था और आईबीसी के माध्यम से टीएसएल के लिए बोली लगाना का कार्य उचित माना जाता था। तदनुसार, बोर्ड की मंजूरी प्राप्त करने के बाद, सीएसएल ने आईबीसी के अधीन टीएसएल की परिचालन और सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए अपनी संकल्प योजना प्रस्तुत की। लेनदारों की समिति (सीओसी) ने दिनांक 26 दिसंबर 2019 को संकल्प योजना को मंजूरी दी। टीएसएल के सीओसी द्वारा संकल्प योजना के सफलतापूर्वक पारित होने के बाद, रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल ने दिनांक 27 दिसंबर 2019 को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी), चेन्नै के साथ संकल्प योजना दायर किया। सुनवाई के बाद एनसीएलटी ने संकल्प योजना को मंजूरी दी और दिनांक 04 मार्च 2020 को आदेश स्पष्ट किया गया। सीएसएल उक्त संकल्प योजना को लागू करने की प्रक्रिया में है।

v) **सीएसएल - मुंबई पोत मरम्मत यूनिट (सीएमएसआरयू)**

सीएसएल ने ह्यूजेस ड्राई डॉक और मुंबई पोर्ट के इंदिरा डॉक के बर्थ सं. 5,6,7 और 8 में पोत मरम्मत सुविधा के उन्नयन, संचालन और प्रबंधन के लिए दिनांक 20 अक्टूबर 2018 को

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के साथ एक समझौते में प्रवेश किया। समझौते के निष्पादन के बाद, सीएसएल ने दिनांक 18 जनवरी, 2019 को मुंबई पोर्ट की मरम्मत के संचालन की शुरुआत की। वित्तीय वर्ष 2019 के अंत में सीएसएल आरयू में लगभग नौ पोर्टों के परिचालन और मरम्मत के बाद, सीएसएल ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 24 पोर्टों की मरम्मत का काम सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसमें मेसर्स एमडीएल के माध्यम से भारतीय नौसेना पनडुब्बी आईएनएस वेलाका पनडुब्बी पृथक्करण और गाइडेड-मिसाइल विध्वंसक आईएनएस दिल्ली की मरम्मत शामिल हैं। इस वर्ष इस नई सुविधा से की गई अन्य सेवाओं समुद्र निधि, भारतीय तटरक्षक के दो जहाज की प्रमुख मरम्मत सहित 5 एससीआई जहाज की मरम्मत शामिल हैं। यह कई निजी मालिकों/अधिकारियों को मरम्मत सेवाएं प्रदान करने के अलावा हैं। सीएसएल ने एक विदेशी ग्राहक के लिए मरम्मत का काम भी लिया था और मेसर्स बायु मैरिटिम बर्काह, इंडोनेशिया के एकोमेडेशन बार्ज एसएस-3 की मरम्मत पूरी की।

vi) सीएसएल – कोलकाता पोर्ट मरम्मत यूनिट (सीकेएसआरयू)

सीएसएल ने नेताजी सुभाष डॉक (एनएसडी) में 30 साल की अवधि के लिए पोर्ट मरम्मत की सुविधा के संचालन और प्रबंधन के लिए दिनांक 28 मार्च 2019 को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह नया उद्यम सीएसएल के एक अलग यूनिट द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है, जो 'सीएसएल-कोलकाता पोर्ट मरम्मत यूनिट (सीकेएसआरयू)' के रूप में जाना जाता है। सीएसएल ने दिनांक 10 अक्टूबर 2019 को नौसेना जहाज 'आईएनएस कवरत्ती' के डॉकिंग के साथ एनएसडी में पोर्ट मरम्मत का काम शुरू किया। पहला वाणिज्यिक मरम्मत पोर्ट 'ग्रेटशिप विद्या', एक ऐंकर हैंडलिंग ऑफ़शोर सपोर्ट वेसल को जनवरी 2020 में सीकेएसआरयू में डॉक किया गया। भारत के माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने दिनांक 12 जनवरी 2020 को औपचारिक रूप से कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के सेसकेन्टेनरी समारोह के प्रारंभ के भाग के रूप में आयोजित एक समारोह में सीकेएसआरयू सुविधा का उद्घाटन किया। सीएसएल, सीकेएसआरयू में, फिलहाल आवश्यक ढांचागत सुविधाओं की स्थापना, समर्पित श्रमशक्ति की भर्ती, विक्रेता उत्थान और सीकेएसआरयू में पोर्ट मरम्मत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की प्रक्रिया में है।

vii) सीएसएल - अंडमान एवं निकोबार पोर्ट मरम्मत यूनिट (सीएनएसआरयू)

सीएसएल ने दिनांक 28 नवंबर 2019 को पोर्ट ब्लेयर में मराइन डॉकयार्ड में परिचालन शुरू करने के लिए अंडमान एवं निकोबार

प्रशासन के साथ एक समझौता किया है, एक ऐसी सुविधा जो वर्तमान में सीधे अंडमान एवं प्रशासन द्वारा संचालित की जा रही है। इस समझौते के दायरे में, सीएनएसआरयू, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में एक समग्र पोर्ट मरम्मत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने में प्रशासन की सहायता करेगा। सीएनएसआरयू मौजूदा सुविधाओं को बढ़ाने और आधुनिकीकरण में सहायता और सहयोग प्रदान करेगा। द्वीपसमूह में स्थित प्रशासन और तकनीकी संस्थानों के परामर्श से कौशल विकास पर ध्यान देना भी समझौते के जनादेश का हिस्सा है। यह समझौता 30 वर्षों की अवधि के लिए है, जिसके दौरान तेजी से बदलाव सुनिश्चित करने और पोर्टों के डाउनटाइम को कम करने जो द्वीपों के लिए जीवन रेखा है, के लिए सीएसएल को डॉकयार्ड की परिचालन क्षमता के साथ-साथ द्वीप में समग्र पोर्ट मरम्मत पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार की उम्मीद है। सीएसएल ने सीएनएसआरयू के लिए अधिकारियों को नामित किया है। विभिन्न प्रमुख विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों से युक्त एक सीएसएल टीम ने सीएनएसआरयू का एक डिपस्टिक ऑडिट किया, जैसा कि समझौते में अनिवार्य है और डिपस्टिक ऑडिट रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है। कोविड प्रतिबंध हटने के बाद परिचालन पहलुओं पर और प्रगति संभव होगी। सीएनएसआरयू मैनिंग टीम की भर्ती प्रक्रिया और ठेकेदारों के सूचीबद्धीकरण को भी शुरू किया गया है।

आईपीओ आय का उपयोग

13. दिनांक 31 मार्च 2020 को आईपीओ आय से निधि का उपयोग के बारे में विवरण नीचे दिए गए हैं:

विवरण	रु. करोड़ों में
आईपीओ आय का उपयोग	961.95
घटाए: आईपीओ खर्च की ओर अनुमानित राशि (कंपनी का शेयर)	21.72
निवल आईपीओ उपयोग	940.23
जोडिए ब्याज राशि पुनर्निवेशित	88.04
कुल उपयोग प्लस ब्याज	1028.27
घटाइए आय के उपयोग के लिए:	
सामान्य निगमित उद्देश्य (जीसीपी)	165.23
नए सूखी गोदी का निर्माण	462.63
आईएसआरएफ	265.00
दिनांक 31 मार्च 2020 को शेष फंड	135.41
सावधि जमा में धन रखना	135.36
चालू खाते में फंड रखना	0.05
दिनांक 31 मार्च 2020को रखे फंड	135.41

सीपीएसई ईटीएफ एफएफओ 6 इश्यू

- योजना के परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी ('एएमसी') के रूप में निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड (पूर्व में रिलायंस निपॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड) के साथ निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन ('डीआईपीएएम') ने योजना के एक छठां फर्थर फंड ऑफर ('एफएफओ 6') तैयार है, जो भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (म्यूचल फंड) विनियम, 1996 और अन्य लागू कानूनों, नियमों और विनियमों, जैसा कि समय-समय पर तय किया गया है, के अनुसार सदस्यता के लिए सार्वजनिक के लिए प्रस्तुत किया गया है।
- यह इश्यू दिनांक 30 जनवरी, 2020 को खोला गया और दिनांक 31 जनवरी 2020 को बंद कर दिया गया। एफएफओ 6 के संबंध में, भारत के राष्ट्रपति जो पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कार्य करते हैं, ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के 30,90,978 इक्विटी शेयर एएमसी को विक्रय किया है।
- सीपीएसई ईटीएफ एफएफओ 6 के पूर्व और पोस्ट इश्यू के कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न निम्नानुसार हैं :

विवरण	पूर्व इश्यू		पोस्ट इश्यू	
	शेयरों की सं.	शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की सं.	शेयरों का प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति जो पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार के जरिए कार्य करते हैं	9,89,34,442	75.21	9,58,43,464	72.86
सार्वजनिक	3,26,05,948	24.79	3,56,96,926	27.14
कुल	13,15,40,390	100.00	13,15,40,390	100.00

कोविड -19 परिदृश्य का प्रभाव और सीएसएल की प्रतिक्रिया

- कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने अपने उत्पादन गतिविधियों को दिनांक 23 मार्च 2020 से 05 मई 2020 तक कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए राज्य और केन्द्र सरकारों के निर्देश के अनुपालन में निलंबित कर दिया था।
- कोविड-19 के प्रभाव में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर-राज्य यात्रा प्रतिबंधों के कारण विशेष रूप से विदेशी उपकरण से संबंधित ओईएम प्रतिनिधित्व उपलब्धता, सेवा इंजीनियर, आउटसोर्स श्रमशक्ति में कमी (जो कुछ हद तक प्रवासी श्रम उपलब्धता में कमी है), प्रतिबंधित कार्य व्यवस्थाएं,

यात्रा अवरोध सहित विविध कारकों के कारण उत्पादन में कमी आदि शामिल हैं। परियोजनाओं को भी देरी से ऊपर बताए गए कारकों के कारण और सामग्री उपलब्धता और लॉजिस्टिक में मामले, मूल (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय) राज्यों के लॉकडाउन से संबंधित मामले और ग्राहकों से नकदी प्रवाह से संबंधित मुद्दे के कारण चलाया जाता है। आगे, महामारी से कोच्ची, मुंबई, कोलकाता, पोर्ट ब्लेयर के साथ-साथ सीएसएल के सहायक कंपनियों, हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और टेवमा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की कैपेक्स परियोजनाओं में देरी हुई है, जिसे मार्च 2020 में एनसीएलटी में बोली लगाकर हासिल किया गया और इसके परिणामस्वरूप उत्पादन में नुकसान हुआ। वाणिज्यिक निहितार्थ और अनुबंध संबंधी मुद्दे विवादों के विभिन्न संदर्भों के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। भविष्य की परियोजनाओं की रोक/ कुछ चालू पूछताछ और संभावित परियोजनाओं की रद्दीकरण चल निधि मामलों का हवाला देते हुए रोक रखना है। पुनरुद्धार के उचित स्तर के होने के बाद ही संचयी प्रभाव का मूल्यांकन संभव होगा।

- सीएसएल ने दिनांक 06 मई 2020 से पूरे स्थायी कार्यबल के साथ कोच्ची में अपनी मुख्य इकाई में परिचालन का पुनरारंभ किया। कंपनी के सभी स्थायी कर्मचारियों को दिनांक 06 मई 2020 से दो पारियों में काम करने की सूचना दी। प्रत्येक पारी में कुल ताकत का 50% से अधिक नहीं होता है। अकेले कोच्ची इकाई एक वर्ष में कंपनी के कारोबार में 90% से अधिक का योगदान देती है। लॉकडाउन के कारण कोलकाता और मुंबई में इकाइयां बंद को गईं और दिनांक जून 08, 2020 से और जुलाई 01, 2020 से कोविड-19 पर सरकारी मार्गनिर्देश के अनुपालन में प्रचालन पुनरारंभ किया।
- कंपनी ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए विभिन्न उपायों को अपनाया। सीएसएल ने एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की और सभी संबंधितों द्वारा अनुपालन के लिए जारी किया गया, जिसमें शामिल हैं :
 - सामाजिक दूरी - प्रवेश द्वार पर दूरी अंकन और यार्ड परिसर के अंदर निदिष्ट मानदंड।
 - दो पारी प्रचालन।
 - प्रवेश द्वार पर संपर्क रहित तापमान मापन।
 - अनिवार्य रूप से मास्क पहनना - प्रवेश द्वार पर मुफ्त में मास्क का वितरण।
 - प्रवेश द्वार और कार्य क्षेत्रों में प्रदान किए गए हाथ धोने की और सैनिटाइजर की सुविधा।
 - सभी अधिकारियों को ई-आरपी प्रणाली में रिमोट एक्सेस के लिए लैपटॉप और डिजिटल कनेक्टिविटी और ई-मेल। यह सुनिश्चित

करता है कि सभी अधिकारी घर से प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम हों ।

- ऑनलाइन विभिन्न आंतरिक प्रलेखन और अनुमोदन प्रक्रियाएं घर से काम करने के जरिए ईआरपी सिस्टम के ऑनलाइन फाइल लाइफसाइकिल मैनेजमेंट (एफएलएम) मॉड्यूल के माध्यम से की जाती है ।

21. कंपनी ने कर्मचारियों के हौसला को बनाए रखने के लिए लॉकडाउन अवधि के लिए पूरे कार्यबल को पूर्ण वेतन का भुगतान किया गया । सीएसएल ने डिजिटल मीडिया के माध्यम से ग्राहकों की स्थिति से अवगत होने और ग्राहक के विश्वास को बनाए रखने के लिए ग्राहक संपर्क बनाए रखा था । काम की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी गई थी, यह सुनिश्चित किया गया कि प्रारंभिक कार्य किए गए और न्यूनतम समय में संचालन फिर से शुरू किया गया । इस बीच, सीएसएल ने दिनांक 25 अप्रैल 2020 को कोच्ची से कोलकाता की अपनी पहली यात्रा पर भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के लिए 2 रो-पैक्स पोतों को रवाना किया । जहाजों की बर्थिंग की सुविधा के लिए सीएसएल जेटी की ट्रेजिंग गतिविधियों को करने के लिए लॉकडाउन अवधि का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया था ।

22. सीएसएल द्वारा विभिन्न अवरोधों से बचने और आपूर्ति श्रृंखला की निरंतरता बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रयास सुनिश्चित किए गए :-

- आपूर्तिकर्ताओं को देय सभी भुगतानों को 'वर्क फ्रम हॉम' मोड के माध्यम से लॉकडाउन अवधि के दौरान भी जारी किए गए थे ।
- अपने कर्मचारियों को बनाए रखने के लिए सभी आउटसोर्स श्रम ठेकेदारों को वसूली योग्य अग्रिम दिया गया ।
- प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं के साथ संपर्क और नियमित संचार 'वर्क फ्रम हॉम' रीति से सुनिश्चित किया गया था ।
- कुछ मुख्य खरीद आदेशों को संसाधित किया गया, जैसे कि भारतीय नौसेना के लिए प्रतिष्ठित एंटी-सबमराइन वारफेयर कॉन्वेट्स के लिए स्टील और एल्यूमीनियम प्लेटें और कोच्ची जल मेट्रो परियोजना के लिए विशेष एल्यूमीनियम प्लेटें ।


23. सीएसएल ने प्रधानमंत्री संरक्षण निधि में 2.5 करोड़ रुपए का योगदान दिया । कंपनी ने कोच्ची में समाज के कमजोर वर्गों को 30 लाख रुपए के खाद्य और खाद्य आपूर्ति किट भी वितरित किए । सीएसएल के सभी कर्मचारियों ने अपने एक दिन के वेतन का योगदान क्रमशः प्रधानमंत्री संरक्षण निधि और मुख्यमंत्री आपदा राहत निधि में किया गया ।

24. कंपनी के पोत निर्माण आदेश पुस्तिका की स्थिति अप्रभावित है और मौजूदा पोत निर्माण आदेश रद्द नहीं किए गए हैं । जैसा कि दिनांक 23

मार्च 2020 से प्रचालन बंद कर दिया गया था, वित्तीय वर्ष 2019-20 में केवल छह दिनों का उत्पादन खो गया था । इसलिए, वित्तीय वर्ष 20 के वित्तीय पर प्रभाव न्यूनतम है । चालू परियोजनाओं में देरी, वित्तीय प्रदर्शन और कंपनी की लाभप्रदता पर वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, लेकिन यार्ड में परिचालन के स्थिरीकरण के बाद ही प्रभाव का आकलन संभाव होगा । हालांकि, चालू परियोजनाओं में देरी के लिए परिनिर्धारित क्षति के कारण कोई अतिरिक्त प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि कंपनी ने पहले सभी अनुबंधों में फॉर्स मैज्योर (एफएम) क्लॉस लागू कर दिया है, जिसके द्वारा अनुबंधात्मक सुपुर्दगी तारीख, लॉकडाउन अवधि को पूरी करने के लिए स्वतः बढ़ाई जाएगी । चूंकि सीएसएल, 123 करोड़ रुपए के कर मुक्त बांड को छोड़कर व्यावहारिक रूप से एक शून्य ऋण कंपनी है, ऋण सेवा कोई भी गंभीर प्रभाव नहीं डालता है । जबकि ग्राहकों से विशेष रूप से सरकार से प्राप्तियों की वसूली में देरी हो रही है, फिर भी कंपनी किसी भी क्रेडिट जोखिम की उम्मीद नहीं करती है । कंपनी अपने आपूर्तिकर्ता दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी परिनिर्धारित चुनौतियों का सामना नहीं करती है । चालू कैपेक्स पर चल निधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । फिर भी, कोविड-19 महामारी के कारण, कुल कैपेक्स परिव्यय विभिन्न अन्य कारकों के कारण कम हो जाएगा, जिसमें प्रवासी श्रम की कमी, उपलब्ध कर्मचारियों की तैनाती पर नियामक प्रतिबंध, निर्माण सामग्री के संबंध में सामग्री आपूर्ति श्रृंखला का विघटन आदि शामिल हैं । सीएसएल ने पहले एक क्राइसिस वार रूम की स्थापना की है जो एक शून्य आधारित बजट और अन्य मितव्ययिता उपायों को पेश करता है । एसओपी जारी करने के माध्यम से प्रभावी आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं ।

श्रमशक्ति स्थिति

25. दिनांक 31 मार्च 2020 की तिथि पर कंपनी की श्रमशक्ति 1710 थी जिसमें 369 कार्यपालक, 136 पर्यवेक्षक और 1205 कामगार शामिल हैं ।



औद्योगिक संबंध

26. सीएसएल ने वर्ष के दौरान सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध वातावरण को बनाए रखा है । कंपनी के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार कारणों से

श्रमिक हड़ताल या अशांति के कारण श्रमघंटे का कोई नुकसान नहीं हुआ है ।

27. कंपनी के मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों के साथ सीएसएल के स्थायी कामगारों के लिए लागू दीर्घकालीन वेतन समझौता को अंतिम रूप देने के लिए सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया को विभिन्न स्तरों पर आयोजित 46 बैठकों की एक श्रृंखला पर विचार-विमर्श के बाद निपटारा गया । औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (3) के अधीन दिनांक जून 18, 2019 को उप मुख्य श्रम आयुक्त के सामने समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किया गया । सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिनांक 24 नवंबर, 2017 के का.ज्ञा. सं.डब्ल्यू-2, 0015/2016-डीपीई (डब्ल्यूसी-जीएल-XIV/17) द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुरूप और समझौते के अनुसार, समझौते की अवधि दिनांक 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2027 तक दस वर्षों के लिए है । मूल वेतन के 15 प्रतिशत की कुल दर पर एक फिटमेंट लाभ, दिनांक 31 मार्च 2017 को परिवर्तनीय महंगाई भत्ते को उस तिथि तक शिपयार्ड के रॉल पर रहे सभी कामगारों को दिया गया था । सरकारी निदेशों के अनुरूप, तदनुसारी परिवर्तनीय महंगाई भत्ता अर्थात् दिनांक 31 मार्च 2019 को मूल वेतन के 119.50 प्रतिशत की दर पर औद्योगिक महंगाई भत्ता मूल वेतन के साथ विलय कर दिया गया । वेतन संशोधन से संबंधित एलटीएस ने कंपनी के कर्मचारियों के बीच सामान्य मनोबल और खुशी को बढ़ाया । बातचीत के दौरान मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों का समर्थक सक्रिय दृष्टिकोण वास्तव में सराहनीय था ।

28. कल्याणकारी उपायों का परिचय

1. वर्ष के दौरान, सीएसएल ने पुरुष कर्मचारियों के लिए पितृत्व अवकाश की शुरुआत की, जिसमें एक वर्ष से कम उम्र के बच्चे को वैध गोद लेने के लिए भी शामिल किया गया ।
2. सीएसएल ने आधुनिक चिकित्सा में बांझपन उपचार के भाग के रूप में प्रक्रियाओं में गुजरनेवाले और इलाज करनेवाले डॉक्टर द्वारा ऐसी प्रक्रियाओं के बाद विश्राम, यदि कोई हो, के लिए सलाह दिए सभी श्रेणियों के नियमित कर्मचारियों (अधिकारी/पर्यवेक्षक/कामगार) को वर्ष में दस दिन की विशेष छुट्टी पेश की गई है । कंपनी द्वारा 1,00,000 रुपये (केवल एक लाख रुपये) प्रति चक्र या वास्तविक लागत जो भी कम हो, की एक रोशि अधिकतम तीन नए चक्रों के अधीन प्रतिपूर्ति की जाएगी ।
3. कर्मचारियों के अच्छे स्वास्थ्य के महत्व को समझते हुए और सीएसएल के लोग पहली नीति के तहत एक पहल के रूप में, वर्ष के दौरान कंपनी के सभी नियमित कर्मचारियों के लिए समय-समय पर स्वास्थ्य जांच की योजना शुरू की गई थी । यह स्वास्थ्य जांच व्यापक है और व्यावसायिक स्वास्थ्य सहित

विभिन्न स्वास्थ्य मानदंडों को शामिल करती है । इस योजना में कर्मचारियों की महिला जीवनसाथी के लिए कैंसर का जल्द पता लगाने की व्यवस्था भी है ।

29. कार्यपालकों और असंघीकृत पर्यवेक्षकों ने भी वर्ष के दौरान कंपनी में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना जारी रखा ।
30. संयुक्त परिषद, शॉप परिषद, केन्द्रीय सुरक्षा समिति, शॉप स्तरीय सुरक्षा समिति, अनुबंध कामगार सुरक्षा समिति, कैंटीन प्रबंधन समिति, कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट आदि जैसे संयुक्त प्रबंधन फॉरम प्रभावी रूप से कार्य करना जारी रखा है ।
31. एक वैधानिक आवश्यकता के रूप में, हमने दिनांक 20 दिसंबर 2019 को सीएसएल कर्मचारी कैंटीन प्रबंध समिति और सीएसएल कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट के लिए गुप्त मतदान भी आयोजित किए हैं और नव निर्वाचित पदाधिकारियों ने भी तदनुसार कार्यभार संभाला है ।
32. कर्मचारियों और उनके आश्रितों के कल्याण और भलाई के लिए विभिन्न स्वैच्छिक योजनाओं जैसे कर्मचारी चिकित्सा सहायता योजना, कर्मचारी पेंशन योजना, शिपयार्ड परिवार प्रतिभा पुरस्कार योजना, कर्मचारी शैक्षिक सहायता योजना आदि का अच्छी तरह से ध्यान रखा जाता है ।
33. सीएसएल ने ' दिनांक 17 से 18 जनवरी 2019 तक कोच्ची से गोवा तक श्रम स्थायी समिति' का अध्ययन दौरे का आयोजन करते हुए सक्रिय भूमिका निभाई है । समिति ने सीएसएल द्वारा किए गए योगदान की पूरे दिल से सराहना की और साथ ही सीएसएल को श्रमिक वर्ग के लिए अच्छे काम, देखरेख और चिंता के साथ जारी रखने के लिए कहा ।

मानव संसाधन विकास

वर्ष 2019-20 के दौरान अध्ययन और विकास गतिविधियां

34. कंपनी ने उप प्रबंधक के स्तर तक युवा प्रबंधकों को शामिल करते हुए "युवा अधिकारी क्षमता विकास कार्यक्रम" का संचालन करना जारी रखा है । 25 अधिकारियोंवाले दूसरे बैच ने सत्रों को पूरा किया गया । तीसरा बैच कुल 32 कार्यकारी प्रशिक्षुओं के लिए 40 सत्रों को पूरा किया गया । इस कार्यक्रम के लिए संकाय मुख्य रूप से इन-हाउस प्रतिभा के साथ सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया है । ज्ञान हस्तांतरण की सुविधा के भाग के रूप में, वेल्डर, पाइप फिट्टर, स्ट्रक्चरल एंड इंजीनियरिंग फिट्टर और इलेक्ट्रिकल कवरींग के ट्रेडों में काम करनेवालों 155 कामगारों के लिए एक संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष के दौरान आयोजित किया गया था ।
35. कंपनी ने वर्ष 2019 में 22 पर्यवेक्षकों को शामिल करते हुए पर्यवेक्षक संवर्ग के लिए पर्यवेक्षी योग्यता विकास कार्यक्रम नामक इन-हाउस विकास कार्यक्रम शुरू किया । सत्र 16 सत्रों के साथ आगे बढ़ रहे हैं ।

36. कंपनी आईआईएमके, कोषिकोड के साथ मिलकर छह अनुकूलित प्रबंधन विकास कार्यक्रमों को करना जारी रखा है। सहायक महा प्रबंधकों के स्तर तक 24 कार्यपालकों को शामिल करते हुए आईआईएमके मुख्य कैम्पस में 'सामान्य प्रबंधन' पर एक हफ्ते का दो विस्तृत कार्यक्रम आयोजित किया गया। 'मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इम्पीरेटिव्स फॉर इंडस्ट्री' विषय पर शीर्ष प्रबंधन के लिए आईआईएमके कोच्ची परिसर में एक दिन का अनुकूलित कार्यक्रम आयोजित किया गया।
37. कंपनी ने आईआईएमए, आईआईएमसी, एएससीआई, आईएसबी आदि में विशिष्ट प्रबंधन विकास कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए सभी स्तरों पर अधिकारियों को नामित करना जारी रखा। 'प्रज्वलित मन' योजना के अधीन वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए लक्षित ऐसे पाठ्यक्रमों में उप महाप्रबंधक और उससे ऊपर के कैडर के कुल 17 कार्यपालक इसमें भाग लिए।
38. उप महा प्रबंधक के स्तर के 15 कार्यपालकों को पीएमए इंडिया नई दिल्ली द्वारा परियोजना प्रबंधन पर एक अनुकूलित 10 दिवस इन-हाउस सी स्तरीय प्रमाणीकरण कार्यक्रम दिया गया।
39. आगे, सीएसएल में सतर्कता संवेदीकरण से लेकर मेंटरिंग तक के कई विषयों पर बारह इन-हाउस कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन-हाउस आयोजित मुख्य तकनीकी कार्यक्रमों में प्रमुख क्लासिफिकेशन सोसाइटी, मेसर्स इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग (आईआरएस) द्वारा आयोजित 'आईएमओ, आईएसीएस एवं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सोसाइटी' से संबंधित कार्यक्रम शामिल हैं। मेसर्स कॉन्फेरी हे ग्रुप द्वारा किए क्षमता मैपिंग प्रयोग के अनुवर्ती कार्यक्रम के रूप में, 'कमर्शल ऐक्युमेन' पर दो इन-हाउस सत्र कुछ चयनित कार्यपालकों के लिए आयोजित किए गए थे।
40. महिला विकास कार्यक्रम : महिला कर्मचारियों और कार्यपालकों को मेंटरिंग, योगा आदि जैसे विषयों पर इन-हाउस कार्यक्रम के रूप में सत्र दिया गया। महिला कर्मचारियों को एक अंतर्राष्ट्रीय संकाय द्वारा एक प्रेरक प्रशिक्षण के साथ महिला दिवस समारोह के अवसर पर सहायक क्षेत्रीय निदेशक, इग्नो द्वारा वृत्ति विकास पाठ्यक्रम पर भी सत्र दिया गया।
41. सेवानिवृत्ति अभिविन्यास कार्यक्रम : उपरोक्त के अलावा, कंपनी की सेवाओं से सेवानिवृत्त होनेवाले सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को एक दिन का उन्मुखीकरण कार्यक्रम, जिसमें निवेश योजना और कर नियोजन सेवानिवृत्ति के बाद स्वस्थ जीवन शैली के टिप्स, प्रेरणा आदि दत्तोपंत तेंगडी नेशनल बोर्ड वर्कर्स एजुकेशन, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया था।
42. जापान में श्रमिक प्रशिक्षण : सीएसएल एसोसियेशन फॉर ओवरसीज टेक्निकल कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबल पार्टनरशिप (एओटीएस केरल)

के सहयोग से सीएसएल की 20 सदस्यीय टीम के लिए 'डिस्कवर जापान-मूल्यों की समझ' नामक एक अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। टीम में उनके उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन के आधार पर विभिन्न विभागों से चुने गए एक वरिष्ठ प्रबंधक, 4 पर्यवेक्षक और 15 कामगार शामिल थे। कार्यक्रम दिनांक 04 से 17 दिसंबर 2019 तक था। टीम ने कार्यक्रम के दौरान टॉकियो केन्शु सेंटर और कंसाई केन्शु सेंटर ओसाका में भाषण के साथ मित्सुई ई एंड एस शिप बिल्डिंग कंपनी लिमिटेड, टॉकियो, टोयोटा त्सुस्तुमी प्लांट, मिजुशिमा शिपयार्ड, ओसाका शिपयार्ड आदि का दौरा किया। प्रतिभागियों से प्राप्त प्रतिक्रिया भारी रही है। उन्होंने ईमानदारी से सिफारिश की है कि विशेष रूप से एओटीएम के साथ इस कार्यक्रम को भविष्य में जारी रखा जाए क्योंकि अच्छी तरह से संरचित कार्यक्रम से उत्कृष्ट सीखने के साथ मिलकर एक अलग कार्य संस्कृति के संपर्क में आनेवाले समय में शिपयार्ड को बहुत फायदा होगा।

प्रोत्साहक नेतृत्व

43. नेतृत्व संवृद्धि योजना - भारत और विदेश दोनों के प्रमुख संस्थानों में उच्च अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए ग्रेड ई1 से ई4 में कार्यपालकों को प्रोत्साहित करने और प्रेरित करने के लिए वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। योजना के तहत मुख्य लाभ केवल दो साल के लिए अध्ययन छुट्टी ही नहीं है, बल्कि ट्यूशन फीस की किस्तों में प्रतिपूर्ति, जब वे बाद में ड्यूटी में शामिल होने के बाद दी जाएगी। नेतृत्व संवृद्धि योजना के अधीन सालाना आधार पर अधिकतम तीन आवेदनों पर ही विचार किया जाता है। जनवरी 2019 के दौरान, तीन अधिकारियों को विभिन्न आईआईएम/मुख्य संस्थानों में स्नातकोत्तर उपाधि लेने के लिए लीप योजना के तहत अध्ययन छुट्टी प्रदान किया गया। इसके अलावा, अधिकारियों के लिए अध्ययन छुट्टी की एक अलग योजना के तहत, एक और कार्यकारी को आईआईटी दिल्ली में दो साल के एमबीए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अध्ययन छुट्टी दिया गया।

कर्मचारियों के बच्चों के लिए शैक्षणिक छात्रवृत्ति

44. वर्ष 2016 से शुरू की गई एक शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना "शिपयार्ड परिवार प्रतिभा पुरस्कार" सीएसएल के नियमित कर्मचारियों के बच्चों के बीच सर्वोत्तम प्रदर्शकों को पुरस्कृत और प्रोत्साहित करने के लिए लक्ष्य करता है। अधिकतम 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिवर्ष 25,000/- की छात्रवृत्ति बच्चों द्वारा कक्षा XII में अंतिम परीक्षा के लिए प्राप्त उच्चतर अंकों के क्रम में दी जाएगी। वर्ष 2019-20 के दौरान, 10 योग्य छात्रों को उक्त योजना के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

उत्कृष्टता को मान्यता

45. सीएसएल ने सहायक महा प्रबंधकों के स्तर के नीचे के कर्मचारियों के बीच अभिनव विचारों और कार्य प्रणालियों के लिए पुरस्कार एवं

मान्यता पर विचार करते हुए कर्मचारी उत्कृष्टता पुरस्कार योजना लागू की गई है। योजना के तहत उच्चतम पुरस्कार प्रशस्ति पत्र और 15000/- रुपए के नकद पुरस्कार सहित अध्यक्ष का पुरस्कार है। पुरस्कार हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर नियमित कर्मचारियों को दिया जाता है जबकि नियत अवधि ठेके कर्मचारियों और उन्नत प्रशिक्षार्थियों को उत्पादकता माह समारोह के समापन समारोह या सुरक्षा दिवस, स्वच्छता दिवस आदि पर सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2019-20 में 32 स्थायी कर्मचारियों और 32 ठेका कर्मिकों/ प्रशिक्षार्थियों को अध्यक्ष की प्रशंसा जो 2000/- नकद पुरस्कार शामिल है से सम्मानित किया गया है।

चिंता उत्तेजित विचारों को प्रोत्साहन

46. संभाषण श्रृंखला 'प्रज्योति' जहाँ प्रतिष्ठित व्यक्तित्व जिन्होंने अपने पेशेवर क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल की है, सीएसएल के कार्यपालकों के साथ अपने विचारों को शेयर करना जारी रखा। वर्ष के दौरान, इस तरह के तीन संभाषण सत्र आयोजित किए गए, जो श्री सी बालगोपाल आईएसएस, फाउंडर, टेरुमो पेनपोल लिमिटेड, वाइस एडमिरल (आरडीटी), श्री एस के के कृष्णन, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड और श्री जी विजयराघवन, संस्थापक, सीईओ, टेक्नोपार्क, तिरुवनंतपुरम द्वारा आयोजित किए गए। इसके अलावा, परम पावन स्वामी बोधानंद सरस्वती द्वारा दिनांक 24 जनवरी 2020 को नेतृत्व पर एक चर्चा भी की गई।
47. प्रज्ञान संभाषण श्रेणी वर्ष 2018 में शुरू की गई एक तकनीकी संभाषण श्रेणी है, जिसका उद्देश्य नवीनतम तकनीकों और हमारे चारों ओर परिवर्तन के बारे में ज्ञान का प्रसार करना है। यह कार्यपालकों के बीच निरंतर सीखने को बढ़ावा देगा, नए तकनीकी क्षेत्रों, उभरते क्षेत्रों और सामयिक प्रासंगिकता के अन्य क्षेत्रों पर संरचित आंतरिक चर्चा के लिए अवसर पैदा करेगा। वर्ष 2019-20 के दौरान, भारत में पेटेंट सिस्टम और पेटेंट फाइलिंग प्रक्रिया का अवलोकन, नवोन्मेष या पेरिश-आधुनिक तकनीकी वातावरण के लिए एक आवश्यक मंत्र, जेड- शून्य कर्मी और शून्य प्रभाव, इंटीग्रेटेड मास्ट, लॉजिस्टिक्स और मोबिलिटी का भविष्य - कैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता पारंपारिक खेलों को बदलने जा रहा है।
48. वर्ष 2016 में शुरू की गई मॅटर-मॅटी योजना इस साल भी जारी रही, जो एक वरिष्ठ कार्यपालक द्वारा व्यक्तिगत रूप से विशेष ध्यान देने के लिए है। यह सीएसएल में शामिल होनेवाले सभी नए अधिकारियों/ कार्यकारी प्रशिक्षुओं के लिए विस्तारित है। यह सहयोग नए कनिष्ठ अधिकारियों का बंधुत्व की भावना और अंतर व्यक्तिगत संबंधों में महत्वपूर्ण सुधार प्रदान कर देता है, जो बेहतर प्रतिधारण की ओर ले जाते हैं।

49. कार्यपालक प्रशिक्षुओं को नए बैच के प्रवेश के साथ वर्ष 2019 में बड़ी योजना शुरू की गई थी। योजना का उद्देश्य सीएसएल में युवा अधिकारियों को प्रोत्साहित करना है, ताकि नए प्रवेश करनेवाले विशेष रूप से कार्यकारी प्रशिक्षुओं को सीएसएल में शामिल होने के लिए एक मार्गदर्शक बनाया जा सके। यह योजना नए प्रवेशकों, विशेष रूप से कोच्ची के बाहर के लोगों को सामाजिककरण करने में मदद करेगी, और उनकी संगठनात्मक प्रविष्टि के दौरान एक समर्थन/मार्गदर्शन प्राप्त करेगी, साथ ही साथ कैंपस से काफ़ीरेट जीवन तक एक संक्रमण का अनुभव करेगी।
50. समन्वय, सभी सीपीएसई के लिए सामान्य ज्ञान प्रबंधन पोर्टल है। वेबसाइट को ओएनजीसी द्वारा डीपीई की ओर से डिजाइन और विकसित किया गया है। समन्वय ज्ञान प्रबंधन पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य व्यक्तियों, टीमों और पूरे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सामूहिक रूप से और व्यवस्थित रूप से ज्ञान, बुनियादी ढांचे, सर्वोत्तम प्रथाओं, एसओपी आदि को साझा करने, दूसरों के अनुभवों से सीखने के लिए सक्षम बनाने के लिए एक मंच बनाना है। समन्वय की उपयोग की डीपीई द्वारा कड़ी निगरानी की जा रही है। आवधिक बैठकें और समीक्षा डीपीई द्वारा सीपीएसई के साथ की जाती हैं जिनकी अध्यक्षता डीपीई के शीर्ष अधिकारी करते हैं और पोर्टल का उपयोग बढ़ाने के लिए डीपीई से लगातार अनुवर्ती कार्रवाई की गई है। सीएसएल ने सभी अधिकारियों को पोर्टल के लिए यूजर एक्सेस प्रदान की है, और उपयोगकर्ता पोर्टल के माध्यम से अपने कार्यस्थान से सीखे गए पाठों को साझा कर सकते हैं। सीएसएल ने पोर्टल के माध्यम से दिनांक 31 मार्च 2020 तक सीखे गए नवाचार और सर्वोत्तम प्रथाओं सहित लगभग 70 लेखों को साझा किया है।

पेशेवर आकलन

51. एक विस्तृत योग्यता मानचित्रण अभ्यास के माध्यम से, सीएसएल के लिए चार संस्कृतिक दक्षताओं जैसे टीमिंग, निष्पादन उत्कृष्टता, बाधा को तोड़ने और निरंतर सीखने की पहचान की गई है। यह निर्णय लिया गया है कि इन सांस्कृतिक दक्षताओं को भविष्य में सभी मानव संसाधन उप प्रणालियों जैसे भर्ती, प्रशिक्षण, प्रदर्शन प्रबंधन, कैरियर विकास आदि में शामिल किया जाएगा।
52. वर्ष 2018 के दौरान, कोन फेरी हे ग्रुप, ऐशिया के एक प्रमुख मानव संसाधन परामर्श कार्य संगठन को उत्तराधिकार योजना के लिए अधिकारियों के आकलन विकास केन्द्र के संचालन और व्यक्तिगत विकास योजनाओं के निर्माण के लिए कार्य आदेश से सम्मानित किया गया। वर्ष 2018 के दौरान, आवश्यक दक्षताओं के 100 अधिकारियों (वरिष्ठ प्रबंधक और उससे नीचे के ग्रेडों में 70 और सहायक महाप्रबंधक के ग्रेडों में 30) की क्षमता का आकलन करने के लिए आकलन विकास केन्द्र का आयोजन किया गया था। यह कार्य बहुत ही व्यापक था और प्रतिभागियों द्वारा बहुत सराहना की गई थी। कार्यक्रम

में वरिष्ठ प्रबंधन पदों के लिए उत्तराधिकार की योजना के लिए रोडमैप भी तैयार किया गया। वर्ष 2019 के दौरान भी, एडीसी को प्रबंधकों और उससे अधिक के ग्रेड में अतिरिक्त 102 चयनित अधिकारियों के लिए सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। मेसर्स कॉर्न फेरी हेय समूह ने ऑनलाइन मल्टी सोर्स फीडबैक टूल और विभिन्न अन्य मूल्यांकन टूल के माध्यम से अधिकारियों के विकास के लिए ताकत और क्षेत्रों का आकलन किया और विस्तृत एलआरपी तैयार किए। उत्तराधिकार योजना के निर्माण के अलावा, एडीसी सीएसएल के लिए फायदेमंद था क्योंकि इसने एचआर हस्तक्षेपों, विकास और सीखने की रणनीतियों की भविष्य की योजना के लिए सही दिशा प्रदान की।

लोग क्षमता परिपक्वता नमूना (पीसीएमएम)

53. वर्ष के दौरान कंपनी ने एक 3 स्तर पीसीएमएम प्रमाणन प्राप्त करने के लिए गतिविधियों को शुरू किया। इसे प्राप्त करने की समयावधि इस प्रकार है :
1. एससीएमपीआई - बी - रेडिनेस लेखापरीक्षा का आयोजन - अक्टूबर 2020
 2. एससीएमपीआई - ए - अंतिम लेखापरीक्षा का आयोजन - रेडिनेस लेखापरीक्षा की पूर्ति के बाद छह महीना अर्थात् मार्च 2021 तक।
54. पीसीएमएम एक परिपक्वता ढांचा है जो किसी संगठन की मानव संपत्ति के प्रबंधन और विकास में निरंतर सुधार पर केन्द्रित है। पीसीएमएम संगठनों को अपने कार्यबल कार्यों की परिपक्वता को चिह्नित करने में मदद करता है, निरंतर कार्यबल विकास एक कार्यक्रम स्थापित करता है, सुधार कार्यों के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करता है, कार्यबल विकास के साथ प्रक्रिया में सुधार को एकीकृत करता है और उत्कृष्टता की संस्कृति स्थापित करता है। पीसीएमएम में पांच परिपक्वता स्तर होते हैं : स्तर 1 से स्तर 5 तक। प्रत्येक परिपक्वता स्तर एक अच्छी तरह से परिभाषित विकासवादी पठार है जो संगठन के कार्यबल को विकसित करने के लिए नई क्षमताओं को संस्थागत करता है। अन्य मानव संसाधन के विपरीत, पीसीएमएम के लिए आवश्यक है कि प्रमुख कार्य/प्रक्रिया क्षेत्र, सुधार, हस्तक्षेप, नीतियां, प्रक्रियाएं और कार्यप्रणाली पूरे संगठन में संस्थागत रूप से कार्य की जाएं, भले ही कार्य या स्तर की परवाह किए बिना। इसलिए, टीम आधारित वातावरण में सत्रिहित भागीदारी संस्कृति पर जोर देने और व्यक्तिगत नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए सभी सुधारों को पूरे संगठन में सुधारना होगा।

प्रशिक्षण

55. प्रशिक्षण अधिनियम के अधीन, कंपनी ने वर्ष 2019 में 167 आईटीआई ट्रेड प्रशिक्षु, 49 इंजीनियरिंग स्नातकों, 68 डिप्लोमा धारकों और 08 पेशेवर प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया है। इसके अलावा, सीएसएल के इतिहास में पहली बार 30 गैर-इंजीनियरिंग स्नातकों को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ मिलकर सीएसएल में सहायक मानव संसाधन प्रशिक्षुओं के रूप में शामिल किया गया। इसके अलावा, विशेष रूप से तकनीकी धाराओं में विशेष प्रशिक्षण कंपनी योजना के तहत 302 प्रशिक्षार्थियों को दिया गया था। वर्ष के दौरान कंपनी ने एक वर्ष के प्रशिक्षण के लिए 40 कार्यकारी प्रशिक्षार्थियों को शामिल किया था। वर्ष के दौरान, जीएमई पाठ्यक्रम जो नौवहन महानिदेशक, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था, में 62 इंजीनियरिंग कैडरों में प्रशिक्षण पूरा किया गया जो पोत पर समुद्री इंजीनियरिंग कार्यों के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए है।
56. सीएसएल ने कोच्ची में किराए के आवास के लिए अपने खर्चों को पूरा करने के लिए 1500 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु वर्ष 2018 में अ.जा./अ.ज.जा. प्रशिक्षुओं पर लागू विशेष वित्तीय सहायता योजना शुरू की थी। वर्ष 2019 में, योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 10 से 20 तक बढ़ा दी गई थी और तदनुसार वर्ष 2019 के दौरान 20 प्रशिक्षुओं को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
- आरक्षणों पर राष्ट्रपति के निर्देशों को लागू करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई पर स्थिति**
57. कोचीन शिपयार्ड ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग और अशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण पर समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों और राष्ट्रपति के मार्ग निर्देशों को सख्ती से पालन किया गया है। शिपयार्ड ने आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पीडब्ल्यूडी/भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक संपर्क अधिकारी और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक अलग संपर्क अधिकारी को नियुक्त किया है। आरक्षण प्रतिशत को भारत सरकार द्वारा निर्धारितानुसार पद आधारित रोस्टर प्रणाली के रखरखाव के जरिए सुनिश्चित किया जाता है। वर्ष के दौरान, विशेष रूप से इन श्रेणियों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। सत्रों को मंत्रालय से उप सचिव द्वारा संभाला गया। इन वर्गों की शिकायतों पर चर्चा करने और निवारण के लिए इन वर्गों के कर्मचारियों के संघों के साथ नियमित बैठक आयोजित की गई।

अ जा/अ ज जा कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व

58. दिनांक 31 मार्च, 2020 की तिथि पर पदों के विभिन्न ग्रूपों में अ जा और अ ज जा कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व नीचे दिया गया है ।

वर्ग	सीएसएल की कुल संख्या	अ जा	अ ज जा
ग्रूप क	300	46	14
ग्रूप ख	139	21	14
ग्रूप ग	942	132	10
ग्रूप घ	329	40	8
कुल	1710	239	46

अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व

59. दिनांक 31 मार्च, 2020 की तिथि पर पदों के विभिन्न ग्रूपों में अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व नीचे दिया गया है ।

वर्ग	सीएसएल की कुल संख्या	अ पि व
ग्रूप क	300	76
ग्रूप ख	139	19
ग्रूप ग	942	404
ग्रूप घ	329	182
कुल	1710	681

अल्पसंख्यक कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व


60. दिनांक 31 मार्च, 2020 की तिथि पर पदों के विभिन्न ग्रूपों में अल्पसंख्यक कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व नीचे दिया गया है ।

वर्ग	सीएसएल की कुल संख्या	अल्पसंख्यक
ग्रूप क	300	82
ग्रूप ख	139	38
ग्रूप ग	942	237
ग्रूप घ	329	96
कुल	1710	453

अशक्त कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व

61. दिनांक 31 मार्च, 2020 की तिथि पर पदों के विभिन्न ग्रूपों में अशक्त कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व नीचे दिया गया है ।

वर्ग	सीएसएल की कुल संख्या	अशक्त व्यक्तियां
ग्रूप क	300	7
ग्रूप ख	139	5
ग्रूप ग	942	24
ग्रूप घ	329	21
कुल	1710	57



सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपाय

62. 'शिपयार्ड सांत्वना स्पर्शम' नामक एक योजना उन कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रचालन में है जो दिनांक 01 जनवरी 2007 से पहले सेवा से सेवानिवृत्त हो गए थे और वित्तीय अस्थिरता, शारीरिक बीमारी, अपंगता दूर करने के लिए उपकरणों की लागत, प्राकृतिक आपदाओं के कारण नुकसान आदि के लिए भी दिया जाता है। योजना प्रत्येक मामले की यथावत् परीक्षा आयोजित करनेवाली समिति की सिफारिशों के आधार पर मासिक या एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
63. 'शिपयार्ड आश्वास किरणम' एक वित्तीय सहायता योजना है, जो उन कर्मचारियों के समर्थन के लिए लागू की गई है, जो दिनांक 01 जनवरी 2007 से 31 दिसंबर, 2016 के दौरान सेवा से सेवानिवृत्त हुए और वित्तीय कठिनाइयों, शारीरिक बीमारियों, विकलांगता को दूर करने के लिए उपकरणों की लागत, प्राकृतिक आपदाओं के कारण घर का नुकसान आदि का सामना कर रहे हैं। यह योजना एक समिति द्वारा एक स्वस्थ अध्ययन और उनकी सिफारिशों के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भी है।
64. सीएसएल चिकित्सा केन्द्र में सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके जीवनसाथी के लिए आउपेशेंट उपचार सुविधा वर्ष के दौरान शुरू की गई है। उन्हें मुफ्त में दवाइयाँ भी दी जाती हैं।

महिलाओं की रक्षा के लिए प्रावधान

65. कार्यस्थल में महिलाओं को यौन उत्पीड़न की रोकथाम (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 और इस आधार पर बनाए गए नियम सख्ती से पालन किया जाता है। अधिनियम के अनुसार एक वरिष्ठ महिला कार्यपालक की अध्यक्षता में एक आंतरिक शिकायत समिति गठित की गई है। समिति को वर्ष 2018-19 में एक शिकायत प्राप्त हुई है, जो निपटाया गया था। समिति को वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
66. वर्ष के दौरान, सीएसएल ने विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए और कंपनी के महिला कर्मचारियों की जरूरतों के अनुसार कल्याणकारी उपायों को तैयार करने और लागू करने के लिए एक महिला कल्याण अधिकारी की भर्ती की।

एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस)

67. कोचीन शिपयार्ड ने आईएसओ 9001:2015, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली और आईएसओ 14001:2015 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली मानकों के तहत अपनी एकीकृत प्रबंधन प्रणाली को बनाए रखा है। अंतिम निगरानी लेखापरीक्षा को सितंबर 2019 में सफलतापूर्वक पूरा किया गया था। सीएसएल सितंबर 2020 तक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को नवीनतम आईएसओ 45001 : 2018 में उन्नत करेंगे।

सुविधा उन्नयन एवं पूंजी व्यय

68. वर्ष 2019-20 के दौरान हुए कुल पूंजी व्यय 494.87 करोड़ रुपए की राशि थी। यह, नवीकरण एवं प्रतिस्थापन, आधुनिकीकरण और विस्तार, सूखी गोदी, आईएसआरएफ, आईएसी, सीएमएसआरयू, सीकेएसआरयू आदि के लिए आधुनिक संरचना आदि से संबंधित है।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

69. राजभाषा नियम (संघ के सरकारी उद्देश्य के लिए प्रयोग) 1976 के नियम 10 के उप नियम 4 के तहत भारत सरकार ने सीएसएल को अधिसूचित किया है। यह मान लेता है कि कंपनी के 80% अनुसूचित वित्तीय कर्मचारी का हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान/प्रवीणता प्राप्त किया है।
70. कोचीन शिपयार्ड राजभाषा कार्यान्वयन में पीएसयू और सरकारी विभागों के उपलब्धियों के मान्यता में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार सम्मानित किया गया। सीएसएल 'ग' क्षेत्र जिसमें दक्षिणी राज्य और पूर्वोत्तर के कुछ राज्य भी इसमें शामिल हैं, में सभी पीएसयू श्रेणी में तृतीय पुरस्कार हासिल किया है। श्री मधु एस नायर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने दिनांक 14 सितंबर 2019 को माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में श्री नित्यानंद राय, माननीय गृह राज्य मंत्री से पुरस्कार स्वीकार किया।
71. श्रेष्ठ राजभाषा कार्यान्वयन के लिए, कोचीन शिपयार्ड को पोत परिवहन मंत्रालय से वर्ष 2018-19 के दौरान राजभाषा शीलड (प्रथम पुरस्कार) प्राप्त हुआ है।
72. कोचीन शिपयार्ड ने राजभाषा के उत्तम कार्यान्वयन के लिए कोच्ची टॉलिक से प्रथम पुरस्कार एवं इसके लिए एचआईएल द्वारा प्रायोजित ट्रॉफी भी जीत लिया। कोच्ची टॉलिक से वर्ष 2019 के लिए ऑवररॉल चैम्पियनशिप और इसके लिए युनाइटेड इंडिया इन्शुरेंस से प्रायोजित ट्रॉफी भी जीत लिया। वर्ष 2019 के लिए कोच्ची टॉलिक से 'सागर रत्न' हिंदी पत्रिका के लिए तृतीय पुरस्कार हासिल किया।
73. भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय से निदेशों के अनुसार वर्ष 2013 में सीएसएल में स्वर्गीय शंकर दयाल सिंह स्मृति पुरस्कार शुरू किया गया। इस वर्ष यह पुरस्कार श्रीमती नयना विजयन के, कनिष्ठ वाणिज्यिक सहायक - वरिष्ठ ग्रेड को प्रदान किया गया। हिंदी में अधिक काम करने हेतु कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि में हिंदी में मूल काम करने से संबंधित प्रोत्साहन योजना अधिक आकर्षक बना दिया है।

74. सीएसएल के कर्मचारियों, कर्मचारियों के बच्चे, प्रशिक्षार्थियों और अनुबंध कामगारों के लिए हिंदी माह समारोह 2019 के सिलसिले में हिंदी में विविध प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। 'सागर रत्न' का 11वां अंक और डेस्कटॉप कैलेडर हिंदी माह समारोह, 2019 के

समापन समारोह में विमोचित किया गया। विशेष कार्यक्रम के रूप में, कोच्ची के सरकारी स्कूल छात्रों के लिए निबंध एवं भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। भारत सरकार के राजभाषा नीति के भाग के रूप में, सीएसएल हर महीने प्रथम बुधवार को हिंदी दिवस के रूप में मनाता है।

75. वर्ष 2019 में वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए दो बैचों में एक राजभाषा प्रबंधन संगोष्ठी आयोजित की गई। कुल 140 कार्यपालक इसमें भाग लिया।
76. दिनांक नवंबर 28, 2019 को महाराजास कॉलेज, एर्णाकुलम में स्नातकोत्तर एवं पीएचडी छात्रों के लिए एक वृत्ति विकास संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें कुल 80 छात्रों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।
77. वर्ष 2019-20 के लिए तीन हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें 56 कर्मचारियों ने भाग लिया। बोलचाल की हिंदी कक्षाएं आयोजित की गईं जिसमें 40 कर्मचारियों ने भाग लिया।
78. कोच्ची टॉलिक के तत्वावधान में दिनांक नवंबर 16 से 30, 2019 तक संयुक्त हिंदी पखवाडा समारोह आयोजित किया गया। इस सिलसिले में 25 कर्मचारियों ने विविध प्रतियोगिताओं में भाग लिया। उपरोक्त में से, 12 कर्मचारियों ने पुरस्कार जीत लिया।
79. वर्ष 2018-19 शैक्षणिक वर्ष के दौरान दसवीं कक्षा में हिंदी में उच्च अंक प्राप्त करनेवालों को नकद पुरस्कार दिया गया। कुल 12 बच्चों ने इस योजना में भाग लिया।
80. कोच्ची टॉलिक के साथ एक संयुक्त उद्यम के रूप में एर्णाकुलम में बाढ़ ग्रस्त स्कूलों को हिंदी पुस्तकें प्रदान की गईं।
81. 32 कार्यपालक प्रशिक्षार्थियों और 3 आशुलिपिकों ने क्रमशः प्राज्ञ और आशुलिपि में अपनी सेवाकालीन प्रशिक्षण पूरा किया और सफल रूप में परीक्षा उत्तीर्ण किया।

कर्मचारियों का विवरण और संबंधित प्रकटन

82. दिनांक 05 जून 2015 के कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 और इसके नियमों से छूट दी गई है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और खर्च

83. विवरणों को अनुबंध-2 में प्रस्तुत किया है। सीएसएल परिसरों के अंदर विविध इमारतों की छत पर सॉलार पैनलों की स्थापना, ऊर्जा संरक्षण में कंपनी के मुख्य पहल थे। कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2013-14 से शुरू किया गया। दिनांक 31 मार्च 2020 की तिथि

तक 835 केडब्ल्यूपी की क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र सीएसएल में कमीशन किया गया। इसके अतिरिक्त, आउटफिट वेयरहाउस और बांडड स्टोर की छत के शीर्ष पर 450 केडब्ल्यूपी ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना और विभिन्न भवनों की छत की शीर्ष पर 200 के डब्ल्यूपी ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का कार्य प्रगति में है।

जोखिम प्रबंधन

84. कॉरपोरेट जोखिमों की समग्र समीक्षा के लिए सीएसएल ने दिनांक 08 फरवरी, 2019 को बोर्ड स्तर की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया। कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति का उद्देश्य जोखिम प्रबंधन की एक निर्धारित प्रक्रिया और पहचान, मूल्यांकन, प्रतिक्रिया, निगरानी और जोखिमों की रिपोर्टिंग की कार्यप्रणाली से युक्त एक व्यापक जोखिम प्रबंधन प्रणाली बनाना है। नीति प्रबंधन और निदेशक मंडल को यह आश्वासन देती है कि प्रमुख जोखिमों की ठीक से पहचान और प्रभावी प्रबंधन किया जा रहा है।
85. बोर्ड आवधिक अंतराल में समीक्षा सुनिश्चित करते हुए जोखिम चूक की ओर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। बोर्ड जोखिम प्रबंधन प्रणाली की प्रभाविता को स्वतंत्र रूप से आकलन और मूल्यांकन करने का कार्य किसी अन्य व्यक्ति या समिति को प्रत्यायुक्त भी कर सकते हैं। सीएसएल के बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर के नीचे के कार्यपालक सम्मिलित सीएसएल प्रबंधन को जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है। इस संबंध में सीएसएल में नीति को लागू करने के लिए जोखिम प्रबंधन समितियां (आरएमसी) और जोखिम प्रबंधन संचालन समितियां गठित की गईं हैं। लेखा- परीक्षा समिति और निदेशक मंडल समय-समय पर जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया और नीति की समीक्षा करेगी। रक्षा और वाणिज्यिक पोत निर्माण तथा पोत मरम्मत सम्मिलित यार्ड के उत्पाद मिश्रण कंपनी को विपणन जोखिम के सामने एक प्राकृतिक बचाव देता है।

अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां

86. सीएसएल की अनुसंधान एवं विकास नीति, अनुसंधान और विकास के जरिए पोत मरम्मत और अन्य चुने हुए क्षेत्रों और उत्पादों में कंपनी के उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए है। वर्ष 2019-20 के दौरान निम्नानुसार वेल्लिंग प्रक्रिया विकास और वेल्डरों की योग्यता के क्षेत्रों में इन-हाउस अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां की गईं हैं।
87. सिरैमिक बैंकिंग का उपयोग करते हुए जलमग्न चाप वेल्लिंग प्रक्रियाओं के साथ कम मोटाई की प्लेटों की वेल्लिंग एक नई तकनीक है जिसके लिए वेल्ड प्रक्रिया को विकसित करने की क्षमता निर्माण यार्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उपरोक्त संदर्भ में, कोप्पर बैंकिंग के साथ ट्विन

वाइर के एसएडब्ल्यू प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए ग्रेड एच 36 प्लेट के कम मोटाई के वेल्डिंग के लिए इन हाउस में वेल्ड प्रक्रिया का विकास किया गया है, सिरैमिक बैंकिंग के साथ एसएडब्ल्यू प्रक्रिया का उपयोग करके एक प्लेट और एक वेल्ड प्रक्रिया विनिर्देश तैयार किया गया है। वेल्ड प्रक्रिया विनिर्देश तैयार किया गया है और एच 36 ग्रेड स्टील प्लेट के 9 एमएम से 13 एमएम तक वेल्ड मोटाई के लिए योग्य है। इस नई प्रक्रिया से श्रमघंटे की काफी बचत होती है और बड़ी वेल्ड प्लेटों को मोडने से बचा जाता है और एकल पक्ष में वेल्ड पास को पूरा करने में मदद मिलती है। प्रक्रिया को एबीएस वर्गीकरण सोसायटी द्वारा मान्य किया गया है।

88. वेल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (डब्ल्यूआरआई), तिरुचिरापल्ली के साथ समझौता ज्ञापन के तहत, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के तहत एक अनुसंधान संस्थान द्वारा वर्ष के दौरान वेल्डिंग में क्षमता विकास और प्रशिक्षण किया गया है।

स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण (एचएसई)

89. सीएसएल अपने कर्मचारियों और हितधारकों के लिए शुन्य दुर्घटना कार्य वातावरण स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। विशेषज्ञ ज्ञान लाने के लिए, कंपनी ने एक अच्छी तरह से योग्य सुरक्षा और अग्निशमन सेवा विभाग की स्थापना की है और हाल ही में मजबूत किया है। विभाग यार्ड के अंदर सभी महत्वपूर्ण कार्यों का पर्यवेक्षण करता है और एक सुरक्षित कार्य वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा, किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए कुशल, योग्य और अच्छी तरह से सुसज्जित आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम यार्ड में उपलब्ध है।
90. सुरक्षा प्रशिक्षण, सुरक्षा अलर्ट, टूलबॉक्स वार्ता आदि जैसी विभिन्न पहलें हमारे कर्मचारियों को स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण से संबंधित पहलुओं पर जागरूक करती है। अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, कर्मचारियों और उप-ठेकेदारों के कामगारों सहित सीएसएल कार्यबल में प्रेरण, पुनश्चर्या प्रशिक्षण और विशेष सुरक्षा प्रशिक्षण अनिवार्य हैं। इसके अलावा, कंपनी आईएसओ 45001 प्रमाणन प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। इसके एक हिस्से के रूप में, सुधार स्वामित्व में सुधार और एक प्रमुख सांस्कृतिक सुधार लाने के लिए एक चार स्तरीय एचएसई शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इस सांस्कृतिक परिवर्तन में परिवर्तन अभिकर्ताओं के रूप में प्रत्येक अनुभाग के एक कर्मचारी को 'फील्ड सुरक्षा प्रतिनिधि' के रूप में चुना गया है।
91. मौजूदा कार्य प्रथाओं में सुधार करने के लिए, यार्ड के अंदर की गतिविधियों पर एक व्यापक कार्य-आधारित खतरा पहचान और जोखिम मूल्यांकन कार्य किया गया था।

92. पिछले तीन वर्षों के एचएसई निष्पादन नीचे सारणीबद्ध किया है:

वर्ग	2017	2018	2019
घातक	0	6	0
रिपोर्ट करने योग्य दुर्घटनाएं	2	25	4
रिपोर्ट न करने योग्य दुर्घटनाएं	100	98	106
आवृत्ति दर (रिपोर्ट करने योग्य दुर्घटना एक मिलियन श्रम घंटे में)	0.20	6.95	0.36
उपस्थित प्रवेश, पुनश्चर्या एवं विशेषीकृत प्रशिक्षण	8844	10724	13452

औद्योगिक सुरक्षा

93. कोचीन शिपयार्ड को राष्ट्रीय महत्वपूर्ण संगठन के रूप में वर्गीकृत किया गया है और स्थापना की सुरक्षा को राष्ट्रीय महत्व मिला है। स्थापना की सुरक्षा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के साथ 130 सीआईएसएफ कर्मियों की एक बटालियन के साथ उप कमांडेंट, सीआईएसएफ के तहत सौंपा गया है। वर्ष के दौरान किसी भी गंभीर सुरक्षा चिंता के कारण कंपनी की समग्र सुरक्षा मजबूत बनी रही। कंपनी में पेश और स्थापित किए गए सभी सुरक्षा प्रणालियां और उपाय अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हैं। कंपनी और सीआईएसएफ द्वारा समय-समय पर संयुक्त सर्वेक्षण किया गया। सभी महत्वपूर्ण स्थानों और प्रतिष्ठानों को शामिल करनेवाले सशस्त्र कर्मियों और वायरलेस सर्विलांस (सीसीटीवी) प्रणाली के साथ समर्पित स्पीड बोट में चौबीस घंटे वाटक्रंट गश्त लगा रहे हैं। कंपनी की सुरक्षा योजना और नीति के अनुसार, किसी भी सुरक्षा भंग, संकट या आपदा की स्थिति में त्वरित शमन कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर सुरक्षा अभ्यास किए गए थे। सीआईएसएफ बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, एक्स-रे बैगेज स्कैनर, डोर फ्रेम मेटल डिक्टक्टर, हैंड हेल्ड मेटल डिक्टक्टर, सांस विश्लेषक, वाहन गश्त, नाव गश्त, पैदल गश्त आदि सहित विभिन्न सुरक्षा उपकरणों के साथ अपनी सुरक्षा निगरानी कर रहा है। किसी भी सुरक्षा खतरे का मुकाबला करने के लिए सीआईएसएफ बल की तत्परता का आकलन करने के लिए राज्य पुलिस, राज्य अग्निशमन विभाग, बाम्ब स्काड और भारतीय नौसेना के साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो के निर्देशन में आवधिक मॉक ड्रिल अभ्यास किया जाता है। सीआईएसएफ के तकनीकी सर्वेक्षण के अनुसार सुरक्षा उपकरणों का उन्नयन सभी गेटों में एक विश्वसनीय फ्रिस्किंग तंत्र के लिए सीआईएसएफ को सुविधाजनक बनाने और मौजूदा सुरक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए सभी आधुनिक सुरक्षा उपकरणों को लाने का कार्य प्रगति में है।

94. स्वदेशी वायुयान वाहक पर विशेष सुरक्षा ध्यान दिया जा रहा है और स्थापना की समग्र सुरक्षा व्यवस्था के अलावा एक विशेष सुरक्षा प्रदान की जाती है। सहायक कमांडेंट के अधीन एक विशेष सुरक्षा बल जिसमें 46 सशस्त्र सीआईएसएफ कर्मी शामिल हैं, पोत की विशेष सुरक्षा के लिए सौंपा गया है। अतिरिक्त सुरक्षा गैजेट जिसमें सीसीटीवी सर्विलांस, बायोमेट्रिक एक्सस सिस्टम, दो नेट वाटर बैरियर, डीडीएस, बोट पैट्रोलिंग आदि शामिल हैं, पोत के लिए किसी भी आसन्न खतरे से बचाव और सुरक्षा के लिए व्यवस्था करते हैं। आईएसी में पिछले साल के दौरान रिपोर्ट की गई चोरी की घटना की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा की जा रही है। एनआईए ने इस घटना के सिलसिले में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और चोरी हुए कंप्यूटर हार्डवेयर घटकों को वापस लिया। सुरक्षा का मुद्दा सीआईएसएफ के उच्चतम स्तर पर उठाया गया था और 46 सीआईएसएफ सुरक्षा कर्मियों के एक अतिरिक्त दल को अब विशेष रूप से आईएसी के लिए तैनात किया गया है।
95. बयो मेट्रिक एम्बेडेड टर्नस्टाइल फाटकों सहित प्रभावी प्रवेश नियंत्रण प्रणालियों को कंपनी में प्रस्तुत है। कंपनी में आगंतुकों के परिचय पत्र के सत्यापन और जांच के लिए पूर्ण रूप से सज्जित सुविधा केन्द्र प्रचालन में है। कंपनी के मुख्य प्रवेश द्वार में बागेज स्कानिंग प्रणाली भी सत्यापित किया गया है। इनके अलावा, देशी वायुयान वाहक (आईएसी) की पूर्ण सुरक्षा के लिए विशेष प्रवेश पास और विशेष निगरानी प्रणाली, आईएसी के चारों तरफ अतिरिक्त तट सुरक्षा नेट आदि की व्यवस्था और प्रचालित की गई है। कंपनी द्वारा एक मजबूत साइबर सुरक्षा नीति भी अपनायी गयी है।
96. कंपनी में आगंतुकों, सामग्रियों और वाहनों के आवागमन की निगरानी आगंतुकों प्रबंधन प्रणाली के एक एकीकृत ईआरपी मॉड्यूल के माध्यम से की जाती है, जो कंपनी के अंदर और बाहर सामग्री के आवागमन की प्रभावी और सतर्क निगरानी सुनिश्चित करता है।
97. सीएसएल के बाहरी संपत्तियों और आंतरिक विशेष स्थानों पर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मौजूदा बलों में वृद्धि लाने के लिए डीजीआर अनुमोदित पूर्व सैनिकों की सुरक्षा सेवाओं को भी नियुक्त किया गया है।
98. अतिरिक्त सुरक्षा संवर्धन की सुरक्षा शक्ति और आवश्यकताएं, समय-समय पर सीआईएसएफ के मुख्यालय द्वारा सुरक्षा गैजेट के लिए तकनीकी पुनरुत्थान और जनशक्ति परिवर्धन के लिए पुनर्जीवन द्वारा निगरानी की जाती है। 130 सीआईएसएफ गार्ड बटालियन की वर्तमान ताकत को 230 गार्ड बटालियन में बढ़ाने के लिए सीआईएसएफ के प्रस्ताव को सर्वेक्षण के माध्यम से प्रबंधन द्वारा अनुमोदित किया गया है और तैनाती की प्रक्रिया प्रगति में है।

पुरस्कार एवं मान्यताएं

99. वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसएल को निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुआ:
1. सीएसआर निधि के अभिनव और प्रभावी अभिनियोजन श्रेणी में योगदान और स्वास्थ्य और स्वच्छता श्रेणी में योगदान की मान्यता के लिए केएमए पुरस्कार 2019।
 2. स्वास्थ्य देखभाल में अपनी सीएसआर पहलुओं की मान्यता में, राष्ट्रीय कार्मिक प्रबंधन संस्थान से एनआईपीएम उत्कृष्ट निगमित नागरिक पुरस्कार 2019।
 3. रोटरी इंटरनेशनल सीएसआर उत्कृष्टता पुरस्कार 2019। स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता क्षेत्र में अपनी योगदान के लिए कंपनी को स्वर्ण पुरस्कार और शिक्षा और विशेष शिक्षा क्षेत्र में अपनी योगदान के लिए प्लैटिनम पुरस्कार जीता।
 4. राजभाषा के कार्यान्वयन में पीएसयू और सरकारी विभागों में उपलब्धियों की मान्यता में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार।
 5. श्रेष्ठ राजभाषा कार्यान्वयन के लिए, कोचीन शिपयार्ड को पोत परिवहन मंत्रालय से वर्ष 2018-19 के दौरान राजभाषा शीलड (प्रथम पुरस्कार) प्राप्त हुआ है।
 6. कोचीन शिपयार्ड ने राजभाषा के उत्तम कार्यान्वयन के लिए कोच्ची टॉलिक से प्रथम पुरस्कार एवं इसके लिए एचआईएल द्वारा प्रायोजित ट्रॉफी भी जीत लिया। कोच्ची टॉलिक से वर्ष 2019 के लिए ऑवररॉल चैम्पियनशिप और इसके लिए युनाइटेड इंडिया इन्शुरेंस से प्रायोजित ट्रॉफी भी जीत लिया।
 7. वर्ष 2019 के लिए कोच्ची टॉलिक से 'सागर रत्न' हिंदी पत्रिका के लिए तृतीय पुरस्कार हासिल किया।
 8. 500 से ज्यादा कामगारों के साथ सबसे बड़े इंजीनियरिंग/ओटोमोबाइल मरम्मत और सर्विसिंग, वस्त्र और कयर की श्रेणी में फैक्टरीस एंड बॉयलेर्स विभाग, केरल सरकार से उत्कृष्ट सुरक्षा निष्पादन पुरस्कार 2019।

डीईएफईएक्सपीओ 2020 और अंतर्राष्ट्रीय सीफुड शो में भागीदारी

100. सीएसएल ने डीईएफईएक्सपीओ - 2020 में भाग लिया, यह पोत परिवहन मंत्रालय का एक मुख्य कार्यक्रम है और भूमि, नौसेना और आंतरिक मातृभूमि सुरक्षा प्रणालियों की एक श्रृंखला प्रदर्शनी दो सालों में एक बार आयोजित की जाती है, जो फरवरी 2020 में लखनाऊ में रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया।
101. प्रौद्योगिकी, ज्ञान और अनुभव के साथ सीएसएल भारतीय नौसेना के लिए प्रतिष्ठित स्वदेशी वायुयान वाहक का निर्माण और भारतीय नौसेना एवं भारतीय तटरक्षक जहाजों की मरम्मत पर अपना अधिकार

स्थापित किया है, डीईएफईएक्सपीओ, सीएसएल केलिए रक्षा पोत निर्माण/राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा कम्यूनिटी में मरम्मत सेवा में अपनी मुख्य योग्यता, विशेषज्ञता और क्षमता प्रदर्शित करने केलिए एक आदर्श मंच था ।

102. सीएसएल ने इंडिया इंटरनेशनल सीफुड शो (आईआईएसएस) में भी भाग लिया, जो एशिया में सबसे बड़े समुद्री खाद्य मेलों में से एक है, जो समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया जाता है । आईआईएसएस एक द्विवार्षिक घटना के रूप में निर्यातकों और भारतीय समुद्री उत्पादों के आयातकों केलिए अवसरों का समुद्र प्रदान करता है । चूंकि सीएसआर छोटे आकार की नावों के साथ मत्स्य ग्रहण के क्षेत्र में उतर रहा है, इसलिए यह सीएसएल को उत्पाद खंड को लांच करने और मत्स्य ग्रहण के उद्योग में इस महत्वपूर्ण अवधारणा को पेश करने का एक अच्छा मंच था । कोच्ची में आयोजित इस एक्सपो में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया । सम्मेलन स्थल के घाट पर खड़ी सीएसएल की मत्स्य ग्रहण के नाव एक्सपो की प्रमुख विशेषताओं में से एक थी ।

निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

103. दिनांक 31 मार्च 2020 को बोर्ड में 9 निदेशक हैं, जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 3 पूर्णकालिक निदेशक, 3 गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक और भारत सरकार और केरल सरकार से क्रमशः 1 सरकारी अंशकालिक (नामित) निदेशक शामिल हैं ।

104. श्री डी पॉल रंजन (डीआईएन : 06869452), निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी ने दिनांक जुलाई 31, 2019 से अधिवर्षिता सेवा से सेवानिवृत्त हुए । दिनांक 15 जुलाई 2019 के पोत परिवहन

107. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान मुख्य प्रबंधकीय व्यक्तियों में परिवर्तन का विवरण और इस रिपोर्ट का अद्यतन भी नीचे दिया जाता है:

क्र.सं.	नाम	डी आई एन	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	समाप्ति की तिथि	यदि परिवर्तन है तो
1	श्री मधु एस नायर	07376798	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	जनवरी 01, 2016	जारी*	परिवर्तन नहीं
2	श्री पॉल रंजन डी	06869452	निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी	मई 01, 2014	जुलाई 31, 2019	अधिवर्षिता
3	श्री सुरेश बाबु एन वी	07482491	निदेशक (प्रचालन)	अप्रैल 26, 2016	जारी	परिवर्तन नहीं
4	श्री बिजोय भास्कर	08103825	निदेशक (तकनीकी)	अप्रैल 05, 2018	जारी	परिवर्तन नहीं
5	श्री जोस वी जे	08444440	निदेशक (वित्त)	अगस्त 01, 2019	जारी	नियुक्ति
			मुख्य वित्तीय अधिकारी	अगस्त 13, 2019		
5	श्रीमती कला वी	-	कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी	मई 02, 1998	जनवरी 31, 2020	इस्तीफा
6.	श्री श्यामकमल एन		कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी	फरवरी 01, 2020	जारी	नियुक्ति

* दिनांक 13 अगस्त, 2019 को आयोजित 47वां वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति के माध्यम से श्री मधु एस नायर को निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया ।

मंत्रालय के पत्र सं. एसवाई- 11012/2/2018- सीएसएल द्वारा दिनांक अगस्त 01, 2019 से निदेशक (वित्त) के रूप में श्री जोस वी जे (डीआईएन : 08444440) कार्यभार ग्रहण किया गया था । श्री जोस वी जे, निदेशक (वित्त) को दिनांक अगस्त 13, 2019 को आयोजित अपनी 250वीं बोर्ड बैठक में कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया । दिनांक फरवरी 03, 2020 के पोत परिवहन मंत्रालय के पत्र सं. एसवाई- 11012/1/2017- सीएसएल द्वारा दिनांक फरवरी 03, 2020 से श्री सर्तींदर पाल सिंह आईपीएस (डीआईएन : 07490296) के स्थान पर सीएसएल के बोर्ड में सरकारी अंशकालिक (नामित) निदेशक के रूप में श्री संजय बंदोपाध्याय आईएएस (डीआईएन : 00088957) को नियुक्त किया गया ।

105. दिनांक जुलाई 29, 2019 के पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या एसवाई : 11012/01/2016-सीएसएल के अनुसार, श्रीमती रूपा शंखर रॉय (डीआईएन : 07565156), श्री राधाकृष्ण मेनन (डीआईएन : 07518727) और श्री कृष्ण दास ई (डीआईएन : 02731340) जो सीएसएल के बोर्ड में गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया, जिसकी अवधि दिनांक मार्च 20, 2019 को समाप्त हो गयी है ।

106. श्रीमती कला वी, कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी को एक अन्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में कंपनी सचिव के रूप में अपनी नियुक्ति के कारण सीएसएल से इस्तीफा दे दिया । सीएसएल के श्री श्यामकमल एन, सहायक कंपनी सचिव दिनांक फरवरी 01, 2020 से कंपनी के कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया ।

स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा और बैठक

108. कंपनी को सभी स्वतंत्र निदेशकों से कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारितानुसार स्वतंत्रता के मानदंडों को पुष्टि करते हुए घोषणाओं को प्राप्त हुआ है। स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक दिनांक जून 19, 2020 को आयोजित की गई, जिसमें सभी गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र) उपस्थित थे, यानि श्री जिजी तॉमसण आईएएस (सेवानिवृत्त), श्री प्रदीप्ता बानर्जी और श्री नंद कुमारन पुत्तेषत्त आदि ।

वर्ष 2019-20 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों का विवरण

109. वर्ष 2019-20 के दौरान बोर्ड की छह बैठकें आयोजित की गईं और दो बैठकों के बीच की अवधि 120 दिनों से अधिक नहीं थी। बोर्ड की बैठकें आयोजित होने की तिथियां निम्नानुसार हैं :

क्र.सं.	तारीख	बोर्ड के सदस्यों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	मई 21, 2019	9	8
2	जून 29, 2019	9	7
3	अगस्त 13, 2019	12	11
4	अक्टूबर 23, 2019	12	9
5	नवंबर 12, 2019	12	9
6	फरवरी 11, 2020	12	10

110. निदेशक, वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड और समिति की बैठक और इन बैठकों में उपस्थिति के संबंध में अधिक जानकारी के लिए निगमित शासन रिपोर्ट का संदर्भ लें, जो निदेशकों की रिपोर्ट के एक अंग है ।

पारिश्रमिक नीति / बोर्ड के निष्पादन का मूल्यांकन

111. कोचीन शिपयार्ड पोत परिवहन मंत्रालय के अधीन एक भारत सरकार कंपनी है । वर्तमान में कंपनी के निदेशकों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कर रहे हैं और उनके पारिश्रमिक सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार तक किया जाता है। तदनुसार सीएसएल के संगम नियमावली के अनुच्छेद 21 (क) बताते हैं कि राष्ट्रपति निदेशकों की नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक का निर्धारण करेगा। बोर्ड स्तर की नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति द्वारा किए जाने के कारण, ऐसे नियुक्त व्यक्तियों के निष्पादन के मूल्यांकन भी भारत सरकार द्वारा किया जाता है। स्वतंत्र निदेशकों ने दिनांक जून 19, 2020 को आयोजित स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक में संपूर्ण रूप से बोर्ड के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किया था ।

निदेशकों के पारिश्रमिक पर कंपनी की नीति पर नामांकन व पारिश्रमिक समिति की रिपोर्ट

112. फिलहाल, बोर्ड स्तर पर नियुक्त व्यक्तियों के पारिश्रमिक डीपीई के दिशा निर्देशों के अनुरूप में निर्धारित किया जाता है । सीएसएल ने दिनांक 14 दिसंबर 2016 को आयोजित अपनी 228वीं बोर्ड बैठक में नामांकन और पारिश्रमिक नीति को स्वीकार किया गया है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रावधानों और दिनांक 24 मई 2018 को आयोजित 241 वीं बैठक में संशोधित पॉलिसी के अनुपालन में है । सीएसएल ने दिनांक 24 मई, 2018 को आयोजित अपनी 241वीं बैठक में और आगे दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 को आयोजित 245वीं बोर्ड बैठक में पॉलिसी को संशोधित किया गया । यह नीति कंपनी के वेबसाइट <https://cochinshipyard.com/Investors> में उपलब्ध है ।

निदेशकों का उत्तरदायित्व कथन

113. आपके निदेशकें प्रकट करते हैं कि:

- क) दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों की तैयारी में, अधिनियम की अनुसूची III के तहत स्पष्ट की गई अपेक्षाओं के साथ पठित लागू लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया गया है और वही से कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं किया है।
- ख) आपके निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियां चुन लियी और सुसंगत रूप से उन्हें लागू किया है तथा निर्णय और अनुमान किया गया जो युक्ति संगत और विवेकपूर्ण है, ताकि दिनांक 31 मार्च 2019 की तिथि पर कंपनी के मामलों की स्थिति तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ से संबंधित सच्चा और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत किया जा सके,
- ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा करने तथा छल कपट और अन्य अनियमितताओं के निवारण एवं पता लगाने के लिए अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा है।
- घ) निदेशकों ने चालू कारोबार के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया है।
- ङ.) निदेशकों ने कंपनी द्वारा अनुपालनार्थ आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किया है और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है, और
- च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार कर ली है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही है।

संबंधित पार्टियों के साथ अनुबंध और व्यवस्थाएं

114. वर्ष के दौरान, कंपनी ने संबंधित पार्टियों के साथ किसी भी ठेका / व्यवस्था/लेन-देन में प्रवेश नहीं किया था जो महत्वपूर्ण विचार किया जा सकता है। आपका निदेशक वित्तीय बयान की टिप्पणी 46 जो संबंधित पार्टी के भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार प्रकटन के प्रदर्शन करते हैं की ओर सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया है। कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 134(3)(एच) के अधीन फॉर्म एओसी-2 **अनुबंध -3** में संलग्न किया गया है।

निगमित सामाजिक दायित्व व धारणीय विकास समिति (सीएसआर एंड एसडी समिति)

115. दिनांक 31 मार्च, 2020 को सीएसएल की सीएसआर और एसडी समिति में समिति के अध्यक्ष के रूप में श्री जिजी तॉमसण (डीआईएन: 01178227), गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक, सदस्यों के रूप में श्री नंदकुमारन पुत्तेषत्त (डीआईएन: 02547619), गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक, श्री बिजोय भास्कर (डीआईएन: 08103825), निदेशक (तकनीकी) और श्री जोस वी जे (डीआईएन: 08444440), निदेशक (वित्त) शामिल हैं। निगमित सामाजिक दायित्व और धारणीय विकास समिति (सीएसआर एंड एस डी) ने कंपनी द्वारा ले लिए जाने के लिए गतिविधियां जो बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया है, सूचित करते हुए एक निगमित सामाजिक नीति (सीएसआर पॉलिसी) सूत्रित करके बोर्ड को सिफारिश किया है। सीएसआर नीति कंपनी की वेबसाइट <https://cochinshipyard.com/Investors> पर देखा जा सकता है।

116. कोचीन शिपयार्ड ने सरकारी उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी किए गए दिशा- निर्देशों जो सरकारी कंपनियों के लिए लागू हैं, के आधार पर वर्ष 2010-11 में सीएसआर गतिविधियां प्रारंभ की। सीएसएल एक प्रभावी सीएसआर नीति और योजना कार्यान्वयन मशीनरी लागू किया है। सीएसआर कार्यान्वयन मशीनरी में तीन टायर सिस्टम : टाइअर I सीएसएल बोर्ड, टायर II सीएसएल बोर्ड स्तर सीएसआर समिति, जिसमें स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में बोर्ड के सात कार्यपालक शामिल हैं और टाइअर III सीएसएल सीएसआर कार्यपालक समिति जिसमें कंपनी के विविध विभागों के छह वरिष्ठ स्तर के कार्यपालक शामिल हैं, शामिल हैं।

117. वर्ष 2019-20 के दौरान, कंपनी सार्थक सीएसआर पहलों में संलग्न हो सकती है जिसे केरल और राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली।

118. वर्ष के लिए अनिवार्य सीएसआर खर्च 1,233 लाख है। कंपनी ने वर्ष के दौरान 1,271 लाख रुपए का खर्च किए हैं, जिसमें कोविड महामारी से उत्पन्न संकट के सिलसिले में प्रधानमंत्री संरक्षण निधि खाते 250 लाख रुपए का भुगतान भी शामिल हैं। उपरोक्त के अलावा,

कंपनी ने उपलब्ध गैर-वैधानिक सीएसआर निधि/गैर-वैधानिक निधि से 258 लाख रुपए का खर्च किए, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 के अधिनियमित से और इसके तहत बनाए नियमों से पहले की अवधि से आगे बढ़ाया गया था, इस प्रकार सीएसआर गतिविधियों के लिए कुल नकद बहिर्वाह 1,529 लाख रुपए हैं।

119. कंपनी ने 60% की आवश्यकता के सामने विषय पर अपने कुल खर्च का 75% से अधिक खर्च करके 'स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा' विषय पर ध्यान केन्द्रित किया। कंपनी ने अपने सीएसआर खर्च को स्थानीय क्षेत्र तक सीमित नहीं किया है। इसने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में परियोजनाएं शुरू की हैं। हालांकि स्वच्छ भारत पहल चालू वर्ष के लिए ध्यान केन्द्रित नहीं किया गया है, कंपनी सार्वजनिक स्वच्छता को बढ़ावा देनेवाली परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए उदार रही है। कंपनी ने सीपीएसई द्वारा सीएसआर खर्च के लिए भारत सरकार के निर्देशानुसार केरल में जिला 'वयनाड' पर फिर से 'आकांक्षात्मक जिले' में से एक पर ध्यान केन्द्रित करना जारी रखा है। कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान, कंपनी ने सीएसएल ग्राहक सहकारी सोसाइटी के माध्यम से आवश्यक खाद्य पदार्थों को उपलब्ध कराने के माध्यम से 36.50 लाख रुपए का समर्थन किया है। सीएसआर गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट **अनुबंध-4** में प्रस्तुत की गई है।

लेखापरीक्षा समिति

120. दिनांक 31 मार्च 2020 को, सीएसएल की लेखापरीक्षा समिति, अध्यक्ष के रूप में श्री नंद कुमारन पुत्तेषत्त (डीआईएन: 02547619), गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक, सदस्यों के लिए श्री जिजी तॉमसण (डीआईएन: 01178227), गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक और श्री प्रदीप्ता बानर्जी (डीआईएन: 00630615), गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक के साथ गठित की गई है। वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की सभी सिफारिशें निदेशक मंडल द्वारा स्वीकार की गईं। लेखापरीक्षा समिति से संबंधित विवरण, निगमित शासन पर रिपोर्ट में "बोर्ड समितियाँ" अनुभाग के अधीन प्रदान किया है।

निगमित शासन

121. निगमित शासन के उच्चतम मानक कायम रखने के लिए कंपनी वचनबद्ध है और एक प्रभावी निगमित शासन व्यवस्था चालू किया है। कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और सरकारी उद्यम विभाग द्वारा निगमित शासन पर जारी मार्ग निर्देशों और इस संबंध में अन्य विभिन्न मार्ग निर्देशों का अनुपालन करता है। इस संबंध में सरकारी उद्यम विभाग द्वारा दिए सिफारिश के अनुसार प्रत्येक तिमाही

से 15 दिनों के भीतर कंपनी अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्ट पोत परिवहन मंत्रालय को प्रस्तुत करता है। निगमित शासन पर रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग होता है।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

122. “प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट” नामक एक अलग भाग वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया गया है और वही निदेशकों की रिपोर्ट के एक अंग है।

आंतरिक वित्तीय संचालन

123. वित्तीय बयानों के संबंध में कंपनी को पर्याप्त आंतरिक वित्तीय संचालन व्यवस्थाएं हैं। वर्ष के दौरान, कंपनी ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समीक्षा और स्थापना के लिए और सभी लागू नियमों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए उचित तथा पर्याप्त प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए मेसर्स कृष्णमूर्ति एंड कृष्णमूर्ति, सनदी लेखाकार (फर्म पंजीकरण सं.001488एस) सनदी लेखाकारों को नियुक्त किया है। ऐसे नियंत्रण का निरीक्षण किया है और डिजाइन या प्रचालन में कोई रिपोर्ट करने योग्य महत्वपूर्ण कमी न पाया गया है। कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए, कंपनी को एक व्यवस्था है जिसमें निदेशक मंडल के वित्तीय अधिकार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को सौंपा है। निर्विघ्न एवं प्रभावी दैनिक कार्य निष्पादन के लिए ये वित्तीय अधिकार और आगे विभिन्न स्तर के अधिकारियों को सौंपा है। विभिन्न प्रचालनात्मक और वित्तीय मामलों की विस्तृत लेखा परीक्षा के आयोजन के लिए एक स्वतंत्र आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया प्रचालन में है। नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक स्वाम्य लेखापरीक्षा का संचालन करता है। निदेशक मंडल के एक स्वतंत्र लेखापरीक्षा समिति आंतरिक/सांविधिक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की भी जांच करती है और वही के आधार पर मार्गनिर्देश प्रदान करती है। लेखापरीक्षा समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, कंपनी प्रक्रियाएं और आंतरिक लेखापरीक्षा निष्पादन की जांच पडताल करती है और निदेशक मंडल को रिपोर्ट करती है। कंपनी ने एक एकीकृत ईआरपी प्रणाली (एसएपी) जुलाई 2014 से लागू किया है जो एक बेहतर प्रबंधन नियंत्रण सक्षम कर रहा है। एसएपी लेखापरीक्षा मेसर्स केपीएमजी द्वारा एसएपी उपयोगों के मूल्यांकन और सुधार के लिए आयोजित किया गया था। अपनी प्रक्रियाओं और परिचालनों के अनुकूलन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपनाने और उसका लाभ उठाने में सबसे आगे होने के नाते, सीएसएल ने लेगाट्रिक्स, एक डिजिटल रूप से सक्षम कानूनी और नियामक अनुपालन और समर्थन सेवा इंटरफेस की शुरुआत करके इस दिशा में एक और बड़म बढ़ाया। सीएसएल इस कानूनी और नियामक अनुपालन आवश्यकता को सुव्यवस्थित करने के लिए इस नए प्रणाली को लागू करनेवाला पहला नौवहन सेक्टर पीएसयू है।

सांविधिक लेखापरीक्षक

124. मै. एलियास जॉर्ज एवं कंपनी (फर्म पंजीकरण सं. 00801 एस), सनदी लेखाकार, एर्णाकुलम को वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में पुनःनियुक्त किए गए थे। शेयरधारकों को बोर्ड को सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक तय करने की शक्ति को प्रत्यायोजित किया है और तदनुसार, वही बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया है।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

125. मै. एलियास जॉर्ज एवं कंपनी, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलॉन और समेकित वित्तीय विवरण पर अपनी रिपोर्ट दिनांक जून 20, 2020 को प्रस्तुत किया है। रिपोर्ट में किसी पात्रता, आरक्षण या प्रतिकूल अभ्युक्ति या अस्वीकृति शामिल नहीं है।

नियंत्रक व लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

126. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां **अनुबंध-5** में रखी गई है।

लागत लेखापरीक्षक

127. कंपनी ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी के लागत अभिलेखों की लेखा परीक्षा के आयोजन के लिए लागत लेखापरीक्षकों के रूप में मै. फेलिक्स एण्ड कंपनी (फर्म पंजीकरण सं. 100416), लागत लेखाकार को नियुक्त किया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लागत लेखापरीक्षक के पारिश्रमिक दिनांक अगस्त 13, 2019 को आयोजित 47वीं वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुसमर्थित किया गया।

सचिवीय लेखापरीक्षक

128. बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा के आयोजन के लिए मेसर्स मेहता एंड मेहता, प्राकटीसिंह कंपनी सचिव को नियुक्त किया गया है। दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ **अनुबंध-6** के रूप में अंकित करके संलग्न है।

129. सचिवालय के लेखापरीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध अपेक्षाएं और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) के अधीन अपेक्षितानुसार, दिनांक 01 अप्रैल 2019 से 28 जुलाई, 2019 की अवधि के लिए कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक और महिला निदेशक की अपेक्षित संख्या नहीं थी और परिणामस्वरूप बीएसई एवं एनएसई द्वारा प्रत्येक पर 2,30,100 रुपए (जीएसटी सहित) के

बराबर जुर्माना राशि लगाए गए। यह सूचित किया जाता है निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है और उक्त स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशक के रिक्त पदों को भरने का कार्य भारत सरकार के पास लंबित थे। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई और एनएसई को निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में कंपनी की स्थिति के बारे में सूचित किया। एनएसई ने दिनांक 18 मार्च 2020 के अपने पत्र सं एनएसई/एलआईएसटी/एसओपी/103783 द्वारा सीएसएल पर लगाया गया जुर्माना राशि छोड़ दी। दिनांक मई 03, 2018 के सेबी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2018/77 के अनुसार जुर्माना राशियों को छोड़ दी जो यह बताता है कि स्टॉक एक्सचेंज एक-दूसरे के परामर्श से एक समान कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा, बीएसई ने इस संबंध में सेबी विनियमों के तहत आगे कोई कार्रवाई नहीं की है।

130. सचिवीय लेखापरीक्षकों ने यह भी देखा है कि कंपनी के निदेशक मंडल ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान सभी निदेशक मंडल की बैठकों के लिए श्री ज्योतिलाल के आर (डीआईएन : 016500017) अंशकालिक सरकारी (नामित) निदेशक की अनुपस्थिति की अनुमति के लिए मंजूदी दी है, जो अधिनियम की धारा 167(1)(ख) के तहत कार्यालय की समाप्त होने का कारण बना, जिसके परिणाम स्वरूप, कंपनी में उनके निदेशकता को समाप्त कर दिया गया। यह सूचित किया जाता है कि श्री ज्योतिलाल के आर, अंशकालिक सरकारी (नामित) निदेशक दिनांक 28 जून, 2019 को आयोजित 23वीं नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठक में भाग लिया। फिर भी, एक विवेकपूर्ण उपाय के रूप में, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 167 (1) (ख) के अनुसार केरल सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री ज्योतिलाल के आर, अंशकालिक सरकारी (नामित) निदेशक की निदेशकता की समाप्ति को ध्यान में रखा और सीएसएल के बोर्ड में अपने प्रतिनिधि को नामित करने के लिए केरल सरकार को सूचित किया।

आंतरिक लेखापरीक्षा

131. वित्तीय वर्ष 2019-20 के आंतरिक लेखापरीक्षा को आयोजित करने के लिए बोर्ड ने मै.वर्मा व वर्मा, सनदी लेखाकार, कोच्ची को नियुक्त किया गया।

वार्षिक विवरणी का उद्घरण

132. कंपनी नियम (प्रबंधन व प्रशासन) 2014 के नियम 12 (1) के अनुसार प्रपत्र एम जी टी 9 में वार्षिक विवरणी का उद्घरण **अनुबंध-7** में रखा है। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) के तहत आवश्यक रूप से कंपनी का वार्षिक विवरणी कंपनी

की वेबसाइट <https://cochinshipyard.com/Investors> पर उपलब्ध है।

निवेशक सेवाएं

133. कंपनी के शेयर बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) में सूचीबद्ध है। सीएसएल ने बीएसई और एनएसई को लिस्टिंग शुल्क समय पर दिया है। इन इक्विटी शेयरों के संबंध में रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट मै.लिक इंडाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। वर्ष 2013-14 के दौरान कंपनी द्वारा जारी कर मुक्त बांड दोनो जमाकर्ताओं, एनएसडीएल और सीडीएसएल के साथ पूरी तरह से डिमैटियलाइस किया है। ये बांडों को बीएसई के तोक ऋण बाजार (डब्ल्यूडीएम) सेगमेंट पर सूचीबद्ध है। सीएसएल ने इन बांडों के संबंध में बीएसई को लिस्टिंग शुल्क समय पर दिया है। इन बांडों के संबंध में मै. लिक इंडाइम प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रार एण्ड ट्रांसफर एजेंट है और मै. एसबीआईसीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड डिबेंचर ट्रस्टी है।

सतर्कता

134. सतर्कता विभाग सभी प्रापण में पारदर्शिता, इक्विटी और प्रतिस्पर्धात्मकता को समर्थन करने के लिए कार्यरत है। महत्वपूर्ण मुख्य सतर्कता आयोग के मार्गनिर्देशों के सख्त अनुपालन के लिए विभागों के मुख्यों के साथ चर्चा किया है। अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के बीच निवारक सतर्कता के लिए सतर्कता संवेदीकरण पर जोर दिया है।
135. सतर्कता विभाग त्रैमासिक आधार पर आंतरिक और साथ ही सीएजी ऑडिट दोनों के ऑडिट पैरा की जांच करता है और सतर्कता कोण से संबंधित मुद्दों पर कार्रवाई की जाती है, यदि कोई हो। वर्ष के दौरान सतर्कता पहल के माध्यम से प्राप्त विभिन्न प्रणालीगत सुधारों में शामिल हैं, विक्रेता सूची का अद्यतन, नए विक्रेताओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के लिए प्रावधान, अनुबंध समाप्ति की निगरानी, मासिक आधार पर नई विक्रेता सूची का परिवर्धन और समीक्षा, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बिल ट्रेकिंग सिस्टम की शुरुआत, ई-प्रापण पर जोर, कार्यपालकों एवं पर्यवेक्षकों के संपत्ति विवरण की ऑनलाइन सर्वेक्षण, ग्रेड पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पोत निर्माण एवं पोत मरम्मत में स्टील स्क्रेप का व्यवस्थित निपटान, पोत सं. 20 के लिए एसएई-फ्लैंगेस के प्रापण कार्यों के लिए गहन परीक्षाओं का आयोजन, समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान कॉम्प्लेक्स और हॉस्टल भवन का निर्माण एवं परिवहन सेवाओं को भाडे पर लेना आदि शामिल हैं।
136. सतर्कता संवेदीकरण कार्यक्रम - सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोग द्वारा निदेशानुसार उचित तरीके से मनाया गया। सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता पर एक विशेष कार्यशाला सीएसएल अधिकारियों क लिए आयोजित की गई थी और उसी का संचालन पूर्व सीटीई श्री वी रामचंद्रन द्वारा किया गया था। एर्णाकुलम जिले में कॉलेज और

स्कूल के छात्रों के लिए भाषण और निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। सीएसएल के आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों के लिए एक शिकायत निवारण बैठक की भी व्यवस्था की गई थी। दिनांक 01 अक्टूबर 2019 को आयोजित श्री वी रामचंद्रन के कार्यक्रम में पूर्व सीटीई मुख्य अतिथि थे। विजिलेंस स्टडी सर्कल, केरल ने एक वॉकथ्रॉन सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें सीएसएल कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

137. सतर्कता विभाग विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया की जांच कर रहा है। इसके अलावा, विभाग ने प्रचालन के विभिन्न क्षेत्रों में वर्ष के लिए 28 अप्रत्याशित/ आवधिक निरीक्षण किए और सतर्कता दृष्टि पर सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव दिया। केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सभी रिपोर्टें समय पर सौंपी जाती हैं और कोई भी मामला सीवीसी के पास लंबित नहीं है।
138. नौवहन मंत्रालय के अंतर्गत आनेवाले विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों की वार्षिक क्षेत्रीय समीक्षा बैठक दिनांक 18 जनवरी, 2020 को केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अनुरोध पर कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में आयोजित की गई थी।

सूचना का अधिकार अधिनियम

139. पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए आपकी कंपनी ने आरटीआई अधिनियम 2005 के प्रावधानों को उसके सच्चे अर्थ में लागू किया गया है और इस अधिनियम के तहत नागरिकों को सूचना प्रदान करने के लिए कंपनी में एक समर्पित केंद्रित आरटीआई कक्ष के साथ एक उचित तंत्र स्थापित किया गया है। वर्ष 2019-20 के दौरान दोनों ऑनलाइन और ऑफ लाइन में प्राप्त सभी आरटीआई आवेदनों और अपीलों की प्रक्रिया की और अधिनियम में निर्धारित अनुसार एक समयबद्ध तरीके में सूचना प्रदान की गई थी, सिवाय कुछ आरटीआई अनुरोधों के, जिन्हें कोविड-19 महामारी के अभूतपूर्व प्रकोप के कारण संसाधित नहीं किया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी का संचालन बंद हो गया। हालांकि, सीएसएल द्वारा अपना परिचालन फिर से शुरू करने के बाद उक्त आरटीआई अनुरोधों पर कार्रवाई की गई है।
140. कंपनी द्वारा गैर अनुपालन के कोई उदाहरण नहीं है। आरटीआई के संबंध में पिछले तीन वर्ष के दौरान कोई भी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर कोई जुर्माना या निंदा नहीं लगाया गया है।

जागरण तंत्र

141. दिनांक दिसंबर 14, 2016 को आयोजित 228 वीं बैठक में निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत कोचीन शिपयार्ड की जागरण तंत्र और विसिल ब्लॉवर नीति सीएसएल के जागरण तंत्र के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक

क्षेत्र उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों के अनुरूप, सीएसएल ने दिनांक 16 सितंबर 2014 को आयोजित 214 वीं बोर्ड बैठक में धोखाधड़ी रोकथाम और जांच नीति को अपनाया था। चूंकि दोनों नीतियों का बड़ा उद्देश्य समान था, इसलिए सीएसएल ने दिनांक 12 नवंबर 2019 को आयोजित 252वीं बोर्ड बैठक में एक संयुक्त नीति अर्थात् विसिल ब्लोअर और धोखाधड़ी रोकथाम नीति को अपनाया। सीएसएल की विसिल ब्लोअर और धोखाधड़ी रोकथाम नीति <https://cochinshipyard.com/Investors> लिंक पर उपलब्ध है।

लेखापरीक्षकों द्वारा धारा 143 के अधीन रिपोर्ट किए धोखाधड़ी का विवरण

142. शून्य

ऋण, गारंटी या निवेशों का विवरण

143. रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने

- क) किसी व्यक्ति या अन्य निगमित निकाय को किसी भी कोई ऋण नहीं दिया है।
- ख) किसी अन्य निगमित निकाय या व्यक्तियों के लिए ऋण के सिलसिले में प्रतिभूति प्रदान न किया है या कोई गारंटी नहीं दिया है।
- ग) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अधीन निर्धारितानुसार, सदस्यता, खरीद या अन्यथा, किसी अन्य निकाय कॉर्पोरेट की प्रतिभूतियों के रूप में अधिग्रहीत किया गया।

महत्वपूर्ण परिवर्तन और वचनबद्धता

144. कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत में और इस रिपोर्ट की तिथि के बीच कंपनी के वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हुए, कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और वचनबद्धता नहीं हुआ है।

व्यापार की प्रकृति में परिवर्तन का विवरण

145. रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के व्यापार के प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

निक्षेप

146. आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 के चैप्टर V के अधीन सार्वजनिक से कोई निक्षेप स्वीकार नहीं किया है।

सचिवालय मानक

147. कंपनी ने भारत के कंपनी सचिवों द्वारा जारी किए गए लागू सचिवीय मानकों का पालन किया है।

महत्वपूर्ण आदेश

148. कंपनी की चालू स्थिति और इसके प्रचालनों को प्रभावित करते हुए विनियामकों या किसी अदालतों या न्यायालय द्वारा कोई महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया है।

व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट

149. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने बाजार पूंजीकरण के आधार पर 500 सूचीबद्ध संस्थानों को व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट (बीआर रिपोर्ट) को वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में शामिल करना अधिदिष्ट किया है। इस सेबी आदेश सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 34(2) (एफ) के रूप में भी डाला गया है। सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 बीआर रिपोर्टों के लिए एक प्रारूप प्रदान करते हैं। इसमें नौ प्रमुख सिद्धांतों की एक सूची और पर्यावरण, सामाजिक और शासन मानकों के अनुपालन निर्धारित करने के लिए प्रत्येक सिद्धांत के तहत विभिन्न मूल तत्वों भी समाविष्ट किया है। वर्ष के लिए कंपनी की बीआर रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट का भाग बनता है।

पावती

150. निदेशक मंडल माननीय प्रधानमंत्री, माननीय पोत परिवहन मंत्री और मंत्रालय के सभी अधिकारियों के प्रति उनसे निरंतर प्राप्त हिमायत के लिए अत्यंत आभारी है। बोर्ड भारत सरकार और केरल सरकार के विभिन्न कार्यालयों, स्थानीय निकायों, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों, आंतरिक लेखापरीक्षकों, आपूर्तिकारों, उप ठेकेदारों, कंपनी के बैंकों और हमारे मूल्यावान ग्राहकों के प्रति प्राप्त समर्थन एवं सहयोग के लिए कृतज्ञ है। बोर्ड कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सभी कर्मचारियों द्वारा दिए योगदान और समर्थन का सराहना करता है। आपके निदेशक सभी शेरधारकों/ निवेशकों को कंपनी में रखे यकीन और आत्मविश्वास के लिए अपनी प्रशंसा और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तथा आगामी वर्षों में कंपनी के विकास को बनाए रखने के लिए उनके निरंतर सहायता और भागीदारी के लिए आशा करती है।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

मधु एस नायर

कोच्ची
अगस्त 07, 2020

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 07376798

अनुबंध-1

लाभांश वितरण नीति

1. प्रस्तावना

1.1. सीएसएल के शेयरों को बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध है। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) के विनियम 2015 के विनियम 43 ए के अनुसार बाजार पूंजीकरण प्रत्येक वर्ष में दि. 31 मार्च को परिचालित के आधार पर शीर्ष पांच सौ सूचीबद्ध संस्थाएं एक लाभांश वितरण नीति तैयार करने की आवश्यकता है जो वार्षिक रिपोर्ट और उनकी वेबसाइटों पर प्रकट किया जाएगा।

1.2. यह नीति कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश वितरण के विचार और निर्णय तथा/ या धारणीय विकास के लिए कमाई को बनाए रखने के लिए एक सामान्य ढांचा निर्धारित करती है।

2. नीतिगत ढांचा

2.1. वित्तीय मानकों सहित आंतरिक और बाहरी कारणों जो लाभांश वितरण पर निर्णय लेते समय विचार किया जाएगा, लाभांश की उम्मीद कर सकती है या नहीं और परिस्थितियां जिसके अधीन कंपनी के शेयरधारक कमाई के प्रतिधारण और उपयोग से संबंधित नीति को विस्तृत रूप से निर्दिष्ट करना इस नीति का उद्देश्य है। इस नीति सभी संगत कारकों नामतः इस नीति में उल्लिखित कारकों और अन्य अतिरिक्त कारकों जो बोर्ड कंपनी के समग्र हित में प्रासंगिक विचार कर सकते हैं के आधार पर प्रत्येक वर्ष लाभांश सिफारिश करने के लिए बोर्ड के निर्णय का विकल्प नहीं है। हालांकि, इस नीति के संशोधन में परिणत ऐसे अतिरिक्त कारक यदि कोई है तो कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट और वेबसाइट में प्रकट किया जाएगा।

2.2. सेबी (एलओडीआर) विनियमों और कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए और सेबी, डीपीई, डीआईपीएम, पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों तथा कंपनी को लागू सीमा तक अन्य दिशानिर्देशों को विचार करते हुए कंपनी द्वारा इस नीति लागू की जाएगी।

3. प्रभावी तिथि

3.1. नीति वित्त वर्ष 2017-18 से प्रभावी होगी।

4. अपवाद

4.1. नीति निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी :

- क) लाभांश का वितरण यानी पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से प्रदत्त बोनस शेयर या लागू नियम के अंतर्गत अन्य प्रतिभूतियों के वितरण द्वारा;
- ख) इक्विटी शेयरों के वापसी खरीद (बायबैक) के माध्यम से लाभांश के भुगतान के लिए एक विकल्प के रूप में नकद का वितरण।

5. लाभांश घोषित करते वक्त विचार किए गए कारक

5.1

क) अधिनियम की धारा 123 के अनुपालन में, उस वर्ष के लिए कंपनी के लाभों से या किसी भी पिछले वित्त वर्ष या वर्षों के लिए मूल्यहास के लिए प्रावधान के बाद पहुंचे कंपनी के लाभों से को छोड़कर किसी भी वित्त वर्ष के लिए कंपनी द्वारा लाभांश घोषित या दिया नहीं जाएगा। हालांकि, सामान्य रूप से, नियम के अनुसार, कंपनी केवल मूल्यहास के लिए प्रावधान के बाद और लाभों के ऐसे हिस्से जो भविष्य के विकास के लिए उचित माना जा सकता है, को कंपनी की आरक्षित निधि में हस्तांतरित करने के बाद चालू वर्ष के लाभों से लाभांश घोषित करने का निर्णय लेंगे।

ख) अंतरिम लाभांश नियम के अनुसार मूल्यहास के लिए प्रावधान के बाद गैर लेखापरीक्षित परिणामों के अनुसार चालू वर्ष के लाभों और प्रबंधन द्वारा पूरे वित्त वर्ष के लिए लाभों के आकलन पर आधारित होगा।

ग) शेयर धारकों को दिए गए लाभांश पर कंपनी द्वारा देय लाभांश वितरण कर भी विचार किया जाएगा।

5.2. कंपनी द्वारा घोषित लाभांश की मात्रा निम्नलिखित आंतरिक और बाहरी कारकों पर आधारित होगा :

क) बाहरी कारकों जो लाभांश देने के निर्णय को प्रभावित करेगा, में अन्य बातों के साथ- साथ आर्थिक वातावरण, बाजार स्थितियां, शेयरधारकों की उम्मीद सांविधिक अपेक्षाएं और समय समय पर लागू अनुसार सरकारी दिशा निर्देश शामिल है।

- ख) कंपनी की लाभकारिता, इसका निवल मूल्य, नवीकरण व प्रतिस्थापन/ उन्नयन/ अनुसंधान एवं विकास और विस्तार (केपेक्स), सहायक कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों में निवेश, कमाई की स्थिरता, अतीत लाभांश ट्रेन्ड, लेनदारों को दायित्व और अन्य कारक जो लाभांश घोषित करने के लिए निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं आदि आंतरिक कारक, लाभांश के लिए विचार किया जाएगा।
- ग) मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत अनुज्ञप्त अधिकतम लाभांश के अधीन, कंपनी कर के बाद लाभ (पीएटी) के 30% या निवल मूल्य के 5%, के न्यूनतम वार्षिक लाभांश जो भी उच्चतर है देने के लिए प्रयास की जा सकती है।

6. रोक रखे गए आय का उपयोग

- 6.1. कंपनी पोत निर्माण और पोत मरम्मत क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी है और बनाए रखने तथा संचालन और पूंजी निवेश के लिए पर्याप्त लाभों वितरित करने की आवश्यकता, और अधिक महत्वपूर्ण रूप से देश और विदेश के निजी खिलाड़ियों से होनेवाली प्रतियोगिता, वर्तमान प्रौद्योगिकियों के बराबर होने के लिए निवेश अपेक्षित उभरने वाले नई प्रौद्योगिकियों के नए चेहरे में इसकी बाजार स्थिति सुधारने के बारे में पूरी तरह से जागरूक है। कंपनी को एक महत्वाकांक्षी विस्तार कार्यक्रम है। कैपेक्स आवश्यकताओं जिसमें बहु स्थानीय पोत मरम्मत/ निर्माण सुविधा, दो प्रमुख पूंजी परियोजनाएं जैसे मौजूदा परिसर में एक नई पोतमरम्मत कॉम्प्लेक्स और उन्नयन व नवीकरण तथा मौजूदा सुविधा का प्रतिस्थापन और आर एंड डी परियोजना में निवेश करने के लिए आवश्यकता भी शामिल है। इसके अलावा, वर्षानुवर्ष बिक्री में अनुमानित उच्चतर वृद्धि से बढ़ती कार्यरत पूंजी आवश्यकताएं कंपनी के नकद और आरक्षित निधि से खर्च करने की वृद्धित आवश्यकता भी होगा।

7. परिस्थितियां जिसके अधीन शेयरधारक लाभांश की उम्मीद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं

- 7.1. कंपनी अपने शेयरधारकों को लगातार लाभांश दिया जा रहा है और भविष्य में ऐसा करना जारी रखना एक उचित उम्मीद है जबतक परिस्थितियां प्रतिकूल होता है।
- 7.2. कंपनी के शेयरधारक निम्नलिखित परिस्थितियां सहित, लेकिन सीमित नहीं है के आधार पर लाभांश की उम्मीद कर सकता है या नहीं कर सकता है :
- क) लाभों की अपर्याप्तता की स्थिति में या जब कभी कंपनी को हानि हुई है ;

- ख) जब कभी कंपनी व्यापार के नए क्षेत्रों में व्यापार, चाहे सीएसएल में या संयुक्त उद्यमों/ सहायक कंपनियों में महत्वपूर्ण पूंजी व्यय या निवेश करते हैं या निवेश करने के लिए प्रस्ताव करते हैं;
- ग) रोकड़ प्रवाह को प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाली महत्वपूर्ण उच्च कार्यशील पूंजी की आवश्यकता ;या
- घ) जब कभी कंपनी प्रतिभूतियों की वापसी खरीद के लिए अधिशेष नकद का उपयोग करने हेतु प्रस्ताव करते हैं ;
- ङ) कोई अन्य परिस्थिति/ घटना जो निदेशक मंडल लाभांश घोषणा निर्णय के लिए प्रासंगिक मान सकते हैं।

- 7.3. कंपनी सभी बाहरी और आंतरिक कारकों को ध्यान में रखते हुए और एक ओर लाभांश घोषणा के माध्यम से शेयरधारकों को सीधे पुरस्कृत और दूसरी ओर, परियोजनाओं के उचित प्रतिधारण और धारणीय विकास के लिए इसकी प्राप्ति के माध्यम से भविष्य में शेयरधारकों की संपत्ति की वृद्धि के बीच एक न्यायसंगत संतुलन विधिवत् अपनाते हुए लाभांश वितरण पर एक निर्णय लेंगे।

8. पैरामीटर जो शेयरों के विभिन्न श्रेणियों के संबंध में अपनाया जाना है

- 8.1. कंपनी ने शेयरों के केवल एक श्रेणी जारी की गई है अर्थात् बराबर मतदान का अधिकार सहित इक्विटी शेयर, कंपनी के सभी सदस्यों प्रति शियर लाभांश की एक ही राशि प्राप्त करने के लिए हकदार है।

9. व्याख्या और संशोधन

- 9.1. इस नीति में उपयोग किए गए किसी भी शब्द के लिए कंपनी अधिनियम 2013, सेबी लिस्टिंग विनियम, 2015 और किसी अन्य लागू सांविधिक विनियमों के तहत परिभाषित अनुसार वही अर्थ होना चाहिए।
- 9.2. निदेशक मंडल, किसी भी समय आवश्यक समझते हैं और/ अथवा जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी नियमों, परिपत्र, अधिसूचना, दिशानिर्देश में बाद के संशोधन के अतिरिक्त सेबी लिस्टिंग विनियम, 2015, वित्त मंत्रालय पोत परिवहन मंत्रालय, डीपीई, डीआईपीएएम आदि के संगत दिशा निर्देशों और अन्य लागू कानूनों के अनुसार समय समय पर आवश्यक है, समीक्षा, संशोधन और सुधार कर सकते हैं।

10. प्रकटीकरण

- 10.1. इस नीति को वैधानिक आवश्यकताएं यदि कोई हो तो, सामना करने के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में और वेबसाइट पर होस्ट प्रकाशित किया जाएगा।

अनुबंध-2

क. ऊर्जा का संरक्षण

<p>क. वर्ष 2019-20 के दौरान ऊर्जा संरक्षण पर लिए गए उपाय अथवा प्रभाव</p>	<p>लिए गए उपाय</p> <ul style="list-style-type: none"> • कनवेन्शनल डिस्चार्ज लैपों के बदले में एलईडी लाइटों से नई इमारतों का वैद्युतीकरण किया। • हल शॉप एवं पोत मरम्मत शॉपों के विविध बे में एलईडी के साथ हाई प्रेशर मेरकुरी वेप्पर लाइटों के प्रतिस्थापन। • संपीड़ित वायु वितरण पद्धति और अन्य औद्योगिक गैस लाइनों के रिसाव नियमित रूप से निरीक्षित और संशोधित किया है। • भोजन विराम के दौरान मुख्य वायु कम्प्रस्सर को स्विच ऑफ करना। • हर क्षण 12.15 बजे को शॉप, घाटों और गोदियों के लिए मुख्य विद्युत आपूर्ति स्विच बंद करना। यह मान कूलर, छत एकेसेट्राक्टरों (स्टाटरी से नियंत्रित) इत्यादि को स्विच ऑफ करते हैं, जो भोजन अवकाश के दौरान अपेक्षित नहीं होते हैं। • कर्मचारियों के बीच ऊर्जा संरक्षण लक्ष्य करने हेतु विद्युत शक्ति के इष्टतम उपयोग के लिए जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एनर्जी सेविंग स्टिकर और पोस्टर प्रदर्शित किया, संगोष्ठियों और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। • यूनिट के पास शक्ति गुणक लगातार मॉनिटर और अनुरक्षण करता है। <p>प्रभाव</p> <p>उपर्युक्त निर्दिष्ट उपायों के कार्यान्वयन से प्रति वर्ष करीब 3.94 लाख यूनिट तक ऊर्जा की बचत हुआ है।</p>
<p>ख. ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए उठाए गए कदम</p>	<ul style="list-style-type: none"> • वर्ष 2019-20 के दौरान मौजूदा 835 केडब्ल्यूपी ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र से 10.74 लाख यूनिट ऊर्जा उत्पन्न की गई थी। आउटफिट वेयरहाउस और बांडड स्टोर के ऊपरी छत पर 450 केडब्ल्यूपी ग्रिड कनेक्टड सौर ऊर्जा संयंत्र एवं विविध भवनों के रूफ टॉफ पर 200 केडब्ल्यूपी ग्रिड कनेक्टड सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का कार्य प्रगति में है।
<p>ग. ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ऊर्जा संरक्षण के लिए 35 लाख रुपए का राशि का निवेश किया गया है।

ख. प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन और नवाचार

<p>(i) प्रौद्योगिकी का अवशोषण की और किए प्रयासों का संक्षिप्त विवरण।</p>	<ul style="list-style-type: none"> व्यावहारिक चरण के दौरान पोत पतवार रूपों के उन्नत हाइड्रोडायनामिक्स अध्ययन को पूरा करने के लिए ऑपनफॉम कम्प्यूटेशनल द्रव गतिशीलता सॉफ्टवेयर लागू किया गया। ऑपनफॉम उद्योग में व्यापक रूप से उपयोग किया जानेवाला एक ऑपन सॉर्स सॉफ्टवेयर है। दिसंबर 2019 के दौरान आईआईटी खडगपूर में उन्नत प्रशिक्षण लेने के बाद कार्यान्वयन किया गया था। पोत संरचनाओं के संरचनात्मक विश्लेषण के लिए डसॉल्ट सिस्टम से अत्याधुनिक परिमित तत्व विश्लेषण सॉफ्टवेयर उपकरण लागू किया गया। निम्नलिखितानुसार बाहरी कार्यशाला/प्रशिक्षण दिया गया : भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, मुंबई द्वारा आयोजित शोर और कंपनी कार्यशाला। आईआईटी खडगपूर द्वारा आयोजित पोत और अपतटीय प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। एनएपीए स्थिरता और संरचनात्मक मॉड्यूल पर एनएपीए प्रयोक्ता बैठक, जो एनएपीए मुख्यालय, हेलसिंकी में आयोजित की गई थी। रो-रो पोतों/बर्थिंग पॉटून/एम्बुलेंस नावों/ एफबीओपी के लिए हल, मशीनरी और इलेक्ट्रिकल एवं आवास प्रणालियों के लिए 3 डी मॉडल, कार्यात्मक ड्रॉइंग और प्रोडक्शन ड्रॉइंग का इन-हाउस विकास। डसॉल्ट सिस्टम इंडिया प्रा. लिमिटेड से 3 डी युक्त पोत निर्माण सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस प्राप्त किया, जिसमें सीएटीआईए (3-डीमोडलिंग), एसआईएमयूएलआईए (सिमुलेशन और विश्लेषण के लिए), डेल्टिमया (मैनुफैक्चरिंग), आईएनएनओवीआईए (सहयोगी परियोजना प्रबंधन) शामिल हैं, जो आनेवाले वर्षों में वर्तमान सॉफ्टवेयर ट्रीबोन के प्रतिस्थापन के रूप में हैं। पतवार संरचना, बिजली, मशीनरी, पाइपिंग, एचवीएसी, आवास संगठन और परियोजना प्रबंधन के लिए 3 डी अनुभव पोत निर्माण सॉफ्टवेयर सोल्यूशन का प्रशिक्षण और स्थापना प्रगति पर है।
<p>(ii) प्रौद्योगिकी नवाचार की और किए प्रयासों का संक्षिप्त विवरण।</p>	<ul style="list-style-type: none"> कोच्ची जल मेट्रो के लिए 100 पैक्स इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कैटामरान इन-हाउस डिजाइन का विकास। पोत में डीजल जनरेटर और नवीनतम लिथियम-टाइटेनियम बैटरी से युक्त हाइब्रिड प्रोपल्शन प्रणाली है। एक बार पूरी तरह से चालू होने जाने के बाद, ये नावें दुनिया में सबसे अधिक पर्यावरण के अनुकूल जल परिवहन नेटवर्क में से एक होंगी। एमएआरआईएन, नेथरलैंड्स के सहयोग में कोच्ची जल मेट्रो परियोजना के लिए हलफॉर्म का विकास। न्यूनतम प्रणोदन शक्ति और निम्नतम वेक वॉश प्राप्त करने के लिए डिजाइन को अनुकूलित किया गया है। सीमा सुरक्षा बल के लिए फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट के बुनियादी डिजाइन का विकास। केरल मत्स्य विभाग के लिए एम्बुलेंस नौकाओं के मूल डिजाइन का विकास। भारतीय नौसेना के लिए भविष्य के लिए मिसाइल वेसल्स की अवधारणा डिजाइन का विकास। भारतीय नौसेना के लिए सर्वेक्षण प्रशिक्षण वेसल (एसटीवी) की अवधारणा डिजाइन का विकास। भारतीय नौसेना के लिए अर्ध-सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म (एसएसपी) की अवधारणा डिजाइन का विकास। भारतीय नौसेना के लिए बहुउद्देशीय पोत (एमपीवी) की अवधारणा डिजाइन का विकास। डल झील के लिए वीड-हार्वैस्टर पंटून के लिए अवधारणा डिजाइन का विकास। डिजाइन विभाग में श्रमघंटा उपयोग कैप्चर के लिए इन-हाउस वेब आधारित ऐप्लिकेशन, क्रोनोज का विकास। फाइल लाइफ साइकिल प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वयन जो फाइलों की बेहतर पारदर्शिता और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पेपरलेस कार्यालय की सुविधा प्रदान करता है। एसएपी पोर्टल का उपयोग करके आईएसी में 2600 आवास डिब्बों में कार्य की प्रगति की निगरानी के लिए हैबिट बिलिटी ऐप्लिकेशन का विकास। पोत मरम्मत में इस्पात नवीकरण परियोजनाओं की ट्रैकिंग रखने के लिए 'रूडर' नामक एक मोबाइल ऐप्लिकेशन का विकास। सीएसएल के अंदर अपने ठेकेदारों द्वारा बाहरी उप-ठेका श्रमिकों की पहुंच को नियंत्रित करने के लिए एक वेब/मोबाइल ऐप्लिकेशन का कार्यान्वयन।

अवशोषण संबंधी ब्योरे का प्रकटन

(ii) उपर्युक्त प्रयासों के सिद्ध फायदे उदा : उत्पाद सुधार, लागत कमी, उत्पाद विकास, आयात एवजी आदि।	<ul style="list-style-type: none"> बुनियादी डिजाइन विभाग में प्रभावी संचालन और श्रम घंटे की तैनाती, जहां मानव-घंटे कैप्चर टूल लागू किया गया है। इन-हाउस एफईए और सीएफडी क्षमता होने के कारण अनुकूलित उत्पादों के विकास के लिए डिजाइन पुनरावृत्तियों के प्रदर्शन में वृद्धि। शिपयार्ड के भीतर सीएफडी एवं एफईए की गणना करने की क्षमता लागत और समय की बचत प्रदान करती है, जो कि अगर किसी बाहरी कंसल्टेंसी को ऑफलॉड किया जाता है, तो, यह बहुत महंगा और समय लेनेवाला होगा और इसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा का बहिर्वाह हो सकता है। बेहतर आत्मनिर्भरता, बेहतर नियंत्रण और उत्पादकता में सुधार पर ध्यान देना। उच्च गुणवत्तावाले डिजाइन समाधानों के कारण उच्च अंत ग्राहकों तक पहुँच और बढी हुई विश्वसनीयता। समवर्ती कई परियोजनाओं को पूरा करने में क्षमता हासिल की। कम से कम रीवर्क के कारण लागत में कमी, सिस्टम के इंटरफेस को कंप्यूटर पर 3डी मॉडलिंग में देखा और ठीक किया जा सकता है।
आयातित प्रौद्योगिकी के विषय में (वित्तीय वर्ष के आरंभ से पिछले पांच वर्ष के दौरान आयातित) निम्नलिखित सूचना दी जाएं।	
क. आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण	प्लेट और प्रोफाइल केलिए एएलएमए ऐक्ट कट नेस्टिंग सॉफ्टवेयर
ख. आयात का वर्ष	2019-20
ग. क्या प्रौद्योगिकी का पूरा अवशोषण किया गया	उपरोक्त फिलहाल संस्थापित और कार्यान्वित किया जा रहा है और अवशोषण के दौर से गुजरनेवाली तकनीक के रूप में माना जा सकता है।
घ. यदि पूरा अवशोषण नहीं किया गया तो, जिन क्षेत्रों में नहीं हुआ है तथा उसके कारण एवं भविष्य कार्रवाई की योजना	एएलएमए ऐक्ट कट को 3 डी अनुभव सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के साथ एकीकृत किया जा रहा है और एक बार पूरी तरह से अवशोषित हो जाने के बाद यह संपूर्ण डिजाइन विभाग केलिए लाइव हो जाएगा।
(iii) अनुसंधान और विकास पर हुए खर्च	शून्य

ग. विदेशी मुद्रा का उपार्जन और व्यय

(रूपए लाखों में)

विदेशी मुद्रा से आय	2019-20	2018-19
पोत मरम्मत से	0.00	0.00
पोत निर्माण से	345.70	0.00
कुल	345.70	0.00
विदेशी मुद्रा से व्यय		
सामग्री (सीआईएफ मूल्य)	102864.31	82543.51
डिजाइन एवं डॉक्यूमेंटेशन	116.52	0.00
सेवा प्रभार और अन्य	10528.97	12523.09
कुल	113509.80	95066.60

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

मधु एस नायर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 07376798

कोच्ची

अगस्त 07, 2020

अनुबंध-3

फॉर्म सं. एओसी -2

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 के उप धारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 के उप धारा (1) में संदर्भित संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी द्वारा किए ठेके/ करार के विवरण के प्रकटीकरण के लिए फॉर्म जिसमें तीसरे प्रावधान के अधीन कुछ निष्पक्ष आधार पर लेनदेन भी शामिल है ।

1. ठेके या व्यवस्थाएं या लेनेदेन जो निष्पक्ष आधार पर न हो, के विवरण

(क)	संबंधित पार्टी का नाम और संबंधों की प्रकृति	लागू नहीं
(ख)	ठेके / व्यवस्थाएं/ लेन देन की प्रकृति	लागू नहीं
(ग)	ठेके / व्यवस्थाएं/ लेन देन की अवधि	लागू नहीं
(घ)	मूल्य सहित ठेके / व्यवस्थाएं/ लेन देन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो	लागू नहीं
(ङ)	ठेके या व्यवस्थाएं या लेनदेन में प्रवेश के लिए समर्थन	लागू नहीं
(च)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि	लागू नहीं
(छ)	अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो	लागू नहीं
(ज)	धारा 188 के पहले प्रावधान के तहत आवश्यकानुसार सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव की तारीख	लागू नहीं

2. महत्वपूर्ण ठेके या व्यवस्थाएं या लेनेदेन जो निष्पक्ष आधार पर हो, के विवरण

(क)	संबंधित पार्टी का नाम और संबंधों की प्रकृति	लागू नहीं
(ख)	ठेके / व्यवस्थाएं/ लेनदेन की प्रकृति	लागू नहीं
(ग)	ठेके / व्यवस्थाएं/ लेनदेन की अवधि	लागू नहीं
(घ)	मूल्य सहित ठेके / व्यवस्थाएं/ लेन देन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो	लागू नहीं
(ङ)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि	लागू नहीं
(च)	अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो	कुछ नहीं

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

मधु एस नायर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन : 07376798

कोच्ची

अगस्त 07, 2020

अनुबंध-4

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर रिपोर्ट

1. सीएसआर नीति और परियोजनाएं अथवा कार्यक्रमों के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों का अवलोकन और संदर्भ सहित कंपनी की सीएसआर नीति का एक संक्षिप्त रूपरेखा।

क) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति (सीएसएल सीएसआर नीति):

(i) दिनांक 16 सितंबर 2014 को आयोजित 213 वीं बैठक में सीएसएल के बोर्ड द्वारा अनुमोदित और अंगीकृत सीएसएल सीएसआर नीति, समुदाय और पर्यावरण के सहभाजी और समावेशी विकास के बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है और अपनी आर्थिक स्थिरता के बिना नुकसान के लोगों और ग्रह के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता का प्रत्यक्षीकरण है। एक अनिवार्य कार्य से अधिक सीएसआर सीएसएल के लिए व्यापार के आयोजन के अपना तरीका है। नीति कंपनी अधिनियम 2013 और अधिनियम के VII अनुसूची को विशेष संदर्भ सहित उनके नीचे बनाए गए सीएसआर नियमों में प्रतिष्ठापितानुसार सीएसआर गतिविधियों के क्षेत्र और सीएसआर के मूल सिद्धांतों शामिल है।

(ii) तदनुसार, सीएसएल सीएसआर नीति में निम्नलिखित बातें शामिल है :

- सीएसआर विजन और मिशन
- सीएसआर हस्तक्षेपों के महत्वपूर्ण क्षेत्र
- सीएसआर गतिविधियां
- सीएसएल में सीएसआर प्रबंधन संरचना
- सीएसआर कार्यान्वयन प्रक्रिया या कार्यप्रणाली
- सीएसआर बजट
- प्रलेखन और रिपोर्टिंग

(iii) सीएसआर नीति और परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए वेब लिंक :

https://cochinshipyard.com/uploads/CSL_CSR_14-15_policy.pdf

ख) आरंभ किए परियोजनाओं और कार्यक्रमों में सीएसआर खर्च का विवरण (नीचे 5 के तहत दिखाए अनुसार)

2. दिनांक 31 मार्च, 2020 को सीएसआर समिति (बोर्ड स्तर) का संयोजन:

i)	श्री जिजी तॉमसण	डीआईएन: 01178227	स्वतंत्र निदेशक और समिति के अध्यक्ष
ii)	श्री विजोय भास्कर	डीआईएन: 08103825	निदेशक (तकनीकी)
iii)	श्री जोस वो जे	डीआईएन: 08444440	निदेशक (वित्त)
iv)	श्री नंद कुमारन पुत्तेषत्त	डीआईएन: 02547619	स्वतंत्र निदेशक

3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत निवल लाभ 616.75 करोड़ रुपए है।

4. निर्धारित सीएसआर व्यय (उपर्युक्त मद सं. 3 के अनुसार राशि के दो प्रतिशत) : 12.33 करोड़ रुपए।

5. वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च किए सीएसआर के विवरण

क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जानेवाली कुल राशि	: 12.33 करोड़ रुपए
ख) खर्च की गई कुल राशि	: 15.29 करोड़ रुपए
ग) खर्च न की गई राशि, यदि कोई हो	: शून्य

उत्तरदायित्व विवरण

‘निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति के कार्यान्वयन और जांच, कंपनी के सीएसआर लक्ष्यों और नीति के अनुपालन में है।’

मधु एस नायर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 07376798)

जिजी तॉमसण

सीएसआर और धारणीयता विकास समिति के अध्यक्ष
(डीआईएन: 01178227)

कोच्ची

जून 20, 2020

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए सीएसआर हेतु परियोजना-वार खर्च

क्र.सं.	संक्षेप के साथ परियोजना का नाम	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है (कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के खंड संख्या, संशोधितानुसार)	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिला निर्दिष्ट करें जहाँ परियोजना या कार्यक्रम किया गया है।	राशि व्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम-वार (लाख रुपये में)	परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि उप शीर्ष : (1) परियोजना या कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष खर्च (2) उपरिगत (लाख रुपये में)	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी खर्च (लाख रुपये में)	खर्च की गई राशि : प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन अभिकरण के जरिए	परियोजना लाभार्थियों की संख्या और श्रेणी
क	विषय : स्वास्थ्य और शिक्षा							
1	कोट्टयम, एर्णाकुलम, आलपुषा, इडुक्की और त्रिशूर जिले में बीपीएल परिवारों के टाइप I डायबेटिक बच्चों के लिए मुफ्त में दवाईयों (इंसुलीन) का वितरण	खंड (i) निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ाने के लिए	केरल राज्य के आलपुषा, कोट्टयम, इडुक्की, एर्णाकुलम, और त्रिशूर जिला।	9.50	1.19	3.83	लॉर्ड अस्पताल, एर्णाकुलम	66 टाइप I डायबेटिक रोगी
2	मातृभूमि के मधुरम मलयालम योजना के लिए वित्तीय सहायता- इडुक्की, कोट्टयम और पत्तनमिट्टा जिले के जस्करतमंन स्कूलों में बच्चों के बीच पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए एक पहल।	खंड(ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	इडुक्की, कोट्टयम और पत्तनमिट्टा जिला	3.00	1.50	3.00	मातृभूमि, कोट्टयम यूनिट	6000 स्कूल छात्र
3	तेक्कुंभागम, विषिजम, तिरुवनंतपुरम के सीमांत महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और विकास केंद्र के लिए समर्थन	खंड(ii) विशेष रूप के बच्चों, महिलाओं, वृद्धों और अशक्त व्यक्तियों के बीच व्यावसायिक कौशल में रोजगार को बढ़ावा देना	तेक्कुंभागम, विषिजम, तिरुवनंतपुरम जिला, केरल राज्य	30.00	3.00	30.00	विषिजम, तेक्कुंभागम, मुस्लिम जमाअत	क्षेत्र के 50 सीमांत महिलाएं
4	पुण्यम ट्रस्ट, वाषूर, कोट्टयम जिले में वृद्धों के लिए एक पुनर्वास सह योगा केंद्र की स्थापना के लिए समर्थन।	खंड (ii) महिलाओं और अनाथों के लिए घरों और छात्रावासों की स्थापना	वाषूर, कोट्टयम जिला	40.00	1.50	40.00	पुण्यम ट्रस्ट, वाषूर, कोट्टयम जिला	40 वृद्ध लोग
5	रेड क्रॉस भवन, काक्कनाड, एर्णाकुलम में प्रचलित पालवीडू (वृद्धों के लिए डे केयर) के लिए वित्तीय सहायता	खंड (ii) वरिष्ठ नागरिकों के लिए ओल्ड ऐज हॉम, डेकेयर केंद्र और अन्य सुविधाएं स्थापित करना।	काक्कनाड, एर्णाकुलम जिला, केरल राज्य	5.00	0.46	4.96	रेड क्रॉस सोसाइटी, काक्कनाड, एर्णाकुलम जिला	40 वृद्ध लोग
6	मनोरमा दैनिक वितरण के लिए समर्थन- एर्णाकुलम जिले के सरकारी स्कूलों में बच्चों के बीच पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए एक पहल	खंड(ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	एर्णाकुलम जिला	0.95	0.48	0.95	मलयाल मनोरमा, कोच्ची यूनिट	2500 स्कूल छात्र
7	शिपयार्ड के भीतर विभिन्न स्थानों पर आम लोगों के हित के लिए सडक सुरक्षा सप्ताह का अवलोकन करने के लिए समर्थन।	खंड(ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	एर्णाकुलम जिला	0.95	0.95	0.95	मोटर वाहन विभाग, केरल सरकार	सामान्य जन
8	मातृभूमि के मधुरम मलयालम योजना के लिए वित्तीय सहायता- एर्णाकुलम जिले के जस्करतमंन स्कूलों में बच्चों के बीच पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए एक पहल।	खंड(ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	एर्णाकुलम जिला	2.00	1.00	2.00	मातृभूमि, कोच्ची यूनिट	4000 स्कूल छात्र
9	दररूल उलूम हायर सेंकन्डरी स्कूल, पुलपेडी, एर्णाकुलम जिले में एक इन्सिनेटर की स्थापना और शौचालयों के सुविधाओं और नवीकरण के लिए समर्थन।	खंड(ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए (स्वच्छ भारत)	दररूल उलूम हायर सेंकन्डरी स्कूल, पुलपेडी, एर्णाकुलम जिला	2.89	1.31	2.76	पीटीए, दररूल उलूम हायर सेंकन्डरी स्कूल, पुलपेडी, एर्णाकुलम जिला	300 छात्र

क्र.सं.	संक्षेप के साथ परियोजना का नाम	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है (कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के खंड संख्या, संशोधितानुसार)	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिला निर्दिष्ट करें जहां परियोजना या कार्यक्रम किया गया है।	राशि ध्वय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम-वार (लाख रुपये में)	परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि उप शीर्ष : (1) परियोजना या कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष खर्च (2) उभरिलगत (लाख रुपये में)	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी खर्च (लाख रुपये में)	खर्च की गई राशि : प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन अभिकरण के जरिए	परियोजना लाभार्थियों की संख्या और श्रेणी
10	सरकारी जूनियर बौतिक स्कूल, कुंडनूर, मरड, एणकुलम जिले में स्मार्ट क्लास रूम उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता।	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	कुंडनूर, एणकुलम जिला	3.00	2.95	2.95	पीटीए, सरकारी जूनियर बौतिक स्कूल, कुंडनूर, मरड, एणकुलम जिला	40 छात्र
11	कोशल विकास के लिए प्रेस क्लब, कोट्टयम के मौजूदा भवन में एक अतिरिक्त मॉडल के निर्माण के लिए समर्थन।	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए (iii) आजीविका और परियोजना वृद्धि और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा सामना किए असमानताओं को कम करना	कोट्टयम जिला, केरल राज्य	20.00	4.00	20.00	प्रेस क्लब, कोट्टयम	प्रतिवर्ष 100 छात्र
12	ए वी स्मारक सरकारी हायर सेकन्डरी स्कूल, करिवेलूर, कण्णूर जिले में नए शौचालय समुच्चय के निर्माण के लिए समर्थन	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए (स्वच्छ भारत)	करिवेलूर, कण्णूर जिला	8.06	4.03	8.06	ए वी स्मारक सरकारी हायर सेकन्डरी स्कूल, करिवेलूर, कण्णूर जिला	425 छात्र
13	मुप्पेक्काड एल पी स्कूल, मूलवट्टम, कोट्टयम जिले में नए शौचालय समुच्चय के निर्माण के लिए समर्थन	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए (स्वच्छ भारत)	मूलवट्टम, कोट्टयम जिला	8.84	4.42	8.84	मुप्पेक्काड एल पी स्कूल, मूलवट्टम, कोट्टयम जिला	165 छात्र
14	सरकारी यू पी स्कूल, बावली, मानंतवाडी, वयनाड जिले में नए क्लास रूम फर्नीचर की खरीद के लिए समर्थन	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	बावली, मानंतवाडी, वयनाड जिला	5.00	5.00	5.00	पीटीए, सरकारी यू पी स्कूल, बावली, मानंतवाडी, वयनाड जिला	135 छात्र
15	भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के अधीन सेक्रेड हार्ट हायर सेकन्डरी स्कूल, तेवरा, एणकुलम जिले में शौचालय समिश्र के निर्माण के लिए समर्थन।	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए (स्वच्छ भारत)	तेवरा, एणकुलम जिला	12.80	6.38	12.78	सेक्रेड हार्ट हायर सेकन्डरी स्कूल, तेवरा, एणकुलम जिला	639 छात्र
16	सी केडेट दल के लिए ऑटिडिस्ट क्लास सेल बॉट की खरीद के लिए समर्थन	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	तेवरा, एणकुलम जिला	6.53	6.53	6.53	दक्षिणय नौसेना कमान, कोच्ची	प्रतिवर्ष 50 केडेट
17	लाइब्रेरी स्क्रीम को अपनाने के लिए समर्थन- एणकुलम जिले में हाल में आई बाढ़ से प्रभावित पुस्तकालयों का समर्थन	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	एणकुलम जिला	6.70	6.70	6.70	समूह संरंभक कॉ-ऑपरेटिव सोसाइटी, कोच्ची	5000 पाठक
18	अंतर्राष्ट्रीय बुक फेयर- 2019 में हर पहल के लिए एक किताब का समर्थन करके स्कूलों बच्चों के बीच पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना।	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	एणकुलम जिला	8.00	8.00	8.00	समूह संरंभक कॉ-ऑपरेटिव सोसाइटी, कोच्ची	5000 छात्र
19	आलपुषा जिले में आंगनवाडी केंद्रों की मरम्मत/ उद्धार के लिए सहायता	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	कुट्टनाड, आलपुषा जिला	20.00	9.18	19.18	जिला सामाजिक न्याय विभाग, आलपुषा	180 आंगनवाडी छात्र
20	अमृता स्कूल ऑफ बिजिनेस के छात्र संघ में व्हीलचेयर, स्ट्रेचर और वॉकिंग स्टिक के साथ विशेष बच्चों के लिए समर्थन करने के लिए उनके प्रयास से प्राणा के लिए समर्थन।	खंड (ii) विशेष शिक्षा सहित शिक्षा को बढ़ाने के लिए	एणकुलम जिला	0.69	0.69	0.69	अमृता स्कूल ऑफ बिजिनेस, कोच्ची	30 दिव्यांग व्यक्ति

क्र.सं.	संक्षेप के साथ परियोजना का नाम	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है (कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के खंड संख्या, संशोधितानुसार)	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिला निर्दिष्ट करें जहाँ परियोजना या कार्यक्रम किया गया है।	राशि व्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम-वार (लाख रुपये में)	परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि उप शीर्ष : (1) परियोजना या कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष खर्च (2) उभरिलगत (लाख रुपये में)	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी खर्च (लाख रुपये में)	खर्च की गई राशि : प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन अभिकरण के जरिए	परियोजना लाभार्थियों की संख्या और श्रेणी
21	पालक्काड जिले के अट्टुपाडी में उरवा- वाटर एटीएम परियोजना के लिए समर्थन।	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए (स्वच्छ भारत)	अट्टुपाडी, पालक्काड जिले के शोलेयार ग्राम पंचायत	30.00	1.00	30.00	शांति मॉडकल सृचना केंद्र, गुन्वायूर	शोलेयार ग्राम पंचायत के 2500 घरलू परिवार
22	ए एन एम यूपी स्कूल, गोखले नगर, मयलंबाडी, वचनाड जिले में शौचालय कॉलेक्स के निर्माण के लिए समर्थन।	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए (स्वच्छ भारत)	मयलंबाडी, वचनाड जिला	4.00	4.00	4.00	पीटीए ए एन एम यूपी स्कूल, गोखले नगर, मयलंबाडी, वचनाड जिला	140 छात्र
23	अंबुरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पारशाला, तिरुवनंतपुरम जिले में प्रयोगशाला सुविधाओं में सुधार के लिए समर्थन	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए	अंबुरी, पारशाला, तिरुवनंतपुरम जिला	6.06	6.06	6.06	अस्पताल प्रबंधन समिति, अंबुरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पारशाला, तिरुवनंतपुरम जिला	प्रति महीने 200 रोगी
24	महिला और बच्चों के लिए एणकुलम दक्षिण पुलिस स्टेशन के प्रशिक्षण केंद्र में एक मटीरिजिम के लिए समर्थन।	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए	तेवरा, एणकुलम जिला	6.34	6.34	6.34	शहर के पुलिस आयुक्त, कोच्ची	सामान्य जन
25	सेवानिवृत्त तिरुहृदय निवास, पेरल, कुरुमुड, चंगनाशरी, कोट्टयम जिले में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए एक सेंसरी तैरोपीनूटीक केंद्र के लिए समर्थन।	खंड (ii) विशेष शिक्षा सहित शिक्षा को बढ़ाने के लिए	चंगनाशरी, कोट्टयम जिला	16.19	7.63	15.73	सेवानिवृत्त तिरुहृदय निवास, पेरल, कुरुमुड, चंगनाशरी, कोट्टयम जिला	62 विशेष बच्चों
26	तोडुपुषा, इडुक्की जिले में मानसिक रूप से विकलांगों के स्कूल - प्रतीक्षा भवन में एटीवैटर के लिए समर्थन।	खंड (iii) महिलाओं और अनाथों के लिए घर और होस्टलों की स्थापना	तोडुपुषा, इडुक्की जिला	20.00	8.40	18.40	प्रतीक्षा भवन - तोडुपुषा, इडुक्की जिले में मानसिक रूप से विकलांगों के स्कूल	140 अशक्त बच्चों
27	तालुक मुख्यालय अस्पताल, मन्नारक्काड, पालक्काड जिले में ब्लड बैंक की स्थापना के लिए समर्थन।	खंड (i) निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ाने के लिए	मन्नारक्काड, पालक्काड जिला	70.00	14.00	66.50	अस्पताल विकास सोसाइटी, तालुक मुख्यालय क्वाटर्स अस्पताल, मन्नारक्काड, पालक्काड जिला	प्रति महीने 200 रोगी
28	श्री ज्ञानेश्वर मौली मंदिर संस्थान, करजगांव, अमरावती जिला के लिए एंबुलेंस के प्राण के लिए समर्थन।	खंड (i) निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ाने के लिए	अमरावती, महाराष्ट्र	15.00	15.00	15.00	श्री ज्ञानेश्वर मौली मंदिर संस्थान, करजगांव, अमरावती जिला	सामान्य जन
29	घोदियार मंदिर झील के पुनर्जीवन के लिए और आईएमए वालसुरा, जामनगर, गुजरात के निकटवर्ती नौसेना पर्यावरण पार्क और प्रशिक्षण केंद्र के विकास के लिए समर्थन।	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए (स्वच्छ भारत)	जामनगर, गुजरात	25.00	23.92	23.92	आईएमएस वालसुरा, जामनगर, गुजरात	जो लाग पार्क में आते हैं
30	भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के तहत एणकुलम जिले के चेल्लानम पंचायत में घरलू शौचालयों के निर्माण के लिए समर्थन	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए (स्वच्छ भारत)	एणकुलम जिले के चेल्लानम ग्राम पंचायत	55.00	27.50	55.00	विन सोसाइटी, परमल्लूर, आलपुषा जिला	100 परिवार

क्र.सं.	क्षेत्र के साथ परियोजना का नाम	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है (कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के खंड संख्या, संशोधितानुसार)	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिला निर्दिष्ट करें जहां परियोजना या कार्यक्रम किया गया है।	राशि खर्च (बजट) परियोजना या कार्यक्रम-वार (लाख रुपये में)	परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि उप शीर्ष : (1) परियोजना या कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष खर्च (2) उभरिलगत (लाख रुपये में)	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी खर्च (लाख रुपये में)	खर्च की गई राशि : प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन अभिकरण के जरिए	परियोजना लाभार्थियों की संख्या और श्रेणी
31	सिंदखेड राजा, बुलदाना जिला, महाराष्ट्र के लोगों के लाभ के लिए निजामता प्राइमरी हेल्थ केयर और निदान केंद्र, क्वार्टर और एंजुलैस सहित अस्पताल उपकरणों के प्राणन के लिए समर्थन।	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए (स्वच्छ भारत)	सिंदखेड राजा, बुलदाना जिला, महाराष्ट्र	200.00	76.25	175.87	जिजाऊ सृष्टि मातृतिथी सिंदखेड राजा, बुलदाना जिला	प्रति महीने 3000 बाह्य रोगी
32	ए.पी. वर्को मिशन अस्पताल, अरक्कुलम जिले के कार्डियोलॉजी यूनिट में एक कैथ लैब की स्थापना के लिए समर्थन।	खंड (i) निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ाने के लिए	अरक्कुलम, एर्णाकुलम जिला, केरल राज्य	100.00	90.00	90.00	ए.पी वर्को मिशन अस्पताल, अरक्कुलम, एर्णाकुलम जिला	प्रति महीने 200 रोगी
33	बैकवॉटर 2018 के शिक्षा के लिए समर्थन- आईआईएम, कोषिकोड के वार्षिक प्रबंधन महोत्सव- 26 से 28 अक्टूबर 2018 तक।	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	कोषिकोड जिला	0.84	0.85	0.85	आईआईएम, कोषिकोड	1000 छात्र प्रतिभागी
34	वेंगानूर ग्राम पंचायत, तिरुवनंतपुरम जिले के संसद आदर्श ग्राम योजना के लिए समर्थन।	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	वेंगानूर ग्राम पंचायत, तिरुवनंतपुरम जिला	28.05	28.05	28.05	वेंगानूर ग्राम पंचायत, तिरुवनंतपुरम जिले	500 छात्र
35	पब्लिक लाइब्रेरी, तिरुवानकुलम, एर्णाकुलम जिले के आर्थारिक संरचना विकास के लिए समर्थन।	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	तिरुवानकुलम, एर्णाकुलम जिला, केरल राज्य	5.00	2.50	2.50	पब्लिक लाइब्रेरी, तिरुवानकुलम, एर्णाकुलम जिला	3000 पाठक
36	सोयस लाइब्रेरी व रीडिंग रीम, कडवंत्रा, कोच्चि के परिवर्तन के लिए समर्थन।	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	कडवंत्रा, एर्णाकुलम जिला, केरल राज्य	11.00	9.33	9.33	सोयस लाइब्रेरी व रीडिंग रीम, कडवंत्रा, कोच्चि	3000 पाठक
37	दो तिनों की अवधि के लिए आलुवा और त्रिशूर के गांवों के एसओएस बच्चों के प्रशिक्षण के लिए समर्थन	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	केरल राज्य के एर्णाकुलम और त्रिशूर जिला	1.00	1.00	1.00	आलुवा और त्रिशूर के गांवों के एसओएस बच्चों	100 छात्र
38	अमृता हाई स्कूल, मूलवट्टम, कोट्टयम जिले में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए समर्थन	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए (स्वच्छ भारत)	मूलवट्टम, कोट्टयम जिला	4.35	2.18	2.18	पीटीए अमृता हाई स्कूल, मूलवट्टम, कोट्टयम जिले	450 छात्र
39	सोहरन मेमोरियल हाई स्कूल, चेरई, एर्णाकुलम जिले में स्कूल के नवीकरण में स्मार्ट क्लास रूम के लिए उपयुक्त बनाने के लिए समर्थन।	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	चेरई, एर्णाकुलम जिला, केरल राज्य	5.00	2.50	2.50	पीटीए सोहरन मेमोरियल हाई स्कूल, चेरई, एर्णाकुलम जिला	700 छात्र
40	एसएनडीपी एचएसएस, आलुवा, एर्णाकुलम जिले में स्कूल के नवीकरण में स्मार्ट क्लास रूम के लिए उपयुक्त बनाने के लिए समर्थन।	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	आलुवा, एर्णाकुलम जिला, केरल राज्य	5.00	2.50	2.50	पीटीए एसएनडीपी एचएसएस, आलुवा, एर्णाकुलम जिला	780 छात्र
41	सेंट जोसेफ यूपी स्कूल, करिच्चला, एर्णाकुलम जिले के स्कूल भवन के निर्माण के लिए समर्थन।	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	करिच्चला, एर्णाकुलम जिला	5.00	2.50	2.50	सेंट जोसेफ यूपी स्कूल, करिच्चला, एर्णाकुलम जिला	210 छात्र

क्र.सं.	संक्षेप के साथ परियोजना का नाम	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है (कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के खंड संख्या, संशोधितानुसार)	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिला निर्दिष्ट करें जहां परियोजना या कार्यक्रम किया गया है।	राशि व्यय (खजत) परियोजना या कार्यक्रम-वार (लाख रुपये में)	परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि उप शीर्ष : (1) परियोजना या कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष खर्च (2) उभरिलगत (लाख रुपये में)	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी खर्च (लाख रुपये में)	खर्च की गई राशि : प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन अभिकरण के जरिए	परियोजना लाभार्थियों की संख्या और श्रेणी
42	डॉ बी आर अंबेडकर मेमोरियल यूपी स्कूल, मुडुपली, कोट्टयम जिले में शौचालय कोलेक्स के निर्माण के लिए समर्थन।	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए (स्वच्छ भारत)	मुडुपली, कोट्टयम जिला	5.00	2.50	2.50	पीटीए डॉ बी आर अंबेडकर मेमोरियल यूपी स्कूल, मुडुपली, कोट्टयम जिला	180 छात्र
43	एसआरवी यूपी स्कूल, पेरुमपडपु, चेंदरापित्री, त्रिशूर जिले में स्कूल के नवीकरण के लिए समर्थन।	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	पेरुमपडपु, चेंदरापित्री, त्रिशूर जिला, केरल राज्य	5.00	2.50	2.50	पीटीए एसआरवी यूपी स्कूल, पेरुमपडपु, चेंदरापित्री, त्रिशूर जिला	140 छात्र
44	केएमएलपी स्कूल, एस्ट, तृपुणितुरा, एर्णाकुलम जिले में स्मार्ट क्लास और अन्य सुविधाओं के लिए बलास रूम के नवीकरण के लिए समर्थन।	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	एस्ट, तृपुणितुरा, एर्णाकुलम जिला, केरल राज्य	5.00	3.35	3.35	पीटीए केएमएलपी स्कूल, एस्ट, तृपुणितुरा, एर्णाकुलम जिले	90 छात्र
45	सेंट मेरॉस हाई स्कूल, कणमाली, एर्णाकुलम जिले में स्मार्ट क्लास रूम के लिए योग्य बनाने के लिए स्कूल के नवीकरण हेतु समर्थन।	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	कणमाली, एर्णाकुलम जिला, केरल राज्य	5.00	5.00	5.00	पीटीए सेंट मेरॉस हाई स्कूल, कणमाली, एर्णाकुलम जिला	240 छात्र
46	सरकारी यूपी स्कूल, आवनाड, मुडुकुषा, एर्णाकुलम जिले में कोर्ट्स पार्क और क्लास रूमों के लिए फर्नीचर के नवीकरण के लिए समर्थन।	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	आवनाड, मुडुकुषा, एर्णाकुलम जिला, केरल राज्य	5.00	5.00	5.00	पीटीए सरकारी यूपी स्कूल, आवनाड, मुडुकुषा, एर्णाकुलम जिले	160 छात्र
47	एमटीएलपी स्कूल, पश्चिम बंगाला, एर्णाकुलम जिले में शौचालय कोलेक्स के निर्माण के लिए समर्थन।	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए (स्वच्छ भारत)	पश्चिम बंगाला, एर्णाकुलम जिला, केरल राज्य	5.00	5.00	5.00	पीटीए एमटीएलपी स्कूल, पश्चिम बंगाला, एर्णाकुलम जिला	80 छात्र
48	मानव सेवा लोक कल्याण महासंघ, नागपुर, महाराष्ट्र द्वारा थलासीमिया रोगियों के लिए दवाओं को आगे बढ़ाने के लिए समर्थन।	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए	नागपुर, महाराष्ट्र	5.00	5.00	5.00	मानव सेवा लोक कल्याण महासंघ, नागपुर, महाराष्ट्र	240 छात्र
49	एसबीटीएम एल पी स्कूल, राण्डारकरा पी ओ, मुवाडुपुषा, एर्णाकुलम जिले में नए स्कूल भवन के निर्माण के लिए समर्थन।	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	राण्डारकरा पी ओ, मुवाडुपुषा, एर्णाकुलम जिला	10.00	5.00	5.00	एसबीटीएम एल पी स्कूल, राण्डारकरा पी ओ, मुवाडुपुषा, एर्णाकुलम जिला	240 छात्र
50	एस वी एल पी स्कूल, तेक्कुमभागम, तृपुणितुरा, एर्णाकुलम जिले के पुराने स्कूल भवन के नवीकरण के लिए समर्थन।	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	तृपुणितुरा, एर्णाकुलम जिला, केरल राज्य	10.00	5.00	5.00	पीटीए एस वी एल पी स्कूल, तेक्कुमभागम, तृपुणितुरा, एर्णाकुलम जिले	165 छात्र
51	एसडीवी एल पी स्कूल, मरड, एर्णाकुलम जिले के पुराने स्कूल भवन के नवीकरण के लिए समर्थन।	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	मरड, एर्णाकुलम जिला, केरल राज्य	10.00	5.00	5.00	पीटीए एसडीवी एल पी स्कूल, मरड, एर्णाकुलम जिला	140 छात्र

क्र.सं.	संक्षेप के साथ परियोजना का नाम	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है (कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VIII के खंड संख्या, संशोधितानुसार)	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिला निर्दिष्ट करें जहां परियोजना या कार्यक्रम किया गया है।	राशि व्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम-वार (लाख रुपये में)	परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि उप शीर्ष : (1) परियोजना या कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष खर्च (2) उभरितगत (लाख रुपये में)	रिपोर्टिंग अवधि तक संवर्धी खर्च (लाख रुपये में)	खर्च की गई राशि : प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन अभिकरण के जरिए	परियोजना लाभार्थियों की संख्या और श्रेणी
52	कोच्ची शहर के पुलिस आयुक्त द्वारा साइबर सुरक्षा में जागरूकता बनाना और छात्रों को शिक्षित करने के लिए समर्थन।	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	एर्णाकुलम जिला	10.00	5.00	5.00	शहर के पुलिस आयुक्त, कोच्ची	5000 स्कूल छात्र
53	बी बी यू पी स्कूल, त्रिकोडितानम, चंगनाशेरी, कोट्टयम जिले में शौचालय कालेक्स के निर्माण के लिए समर्थन	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए (स्वच्छ भारत)	त्रिकोडितानम, चंगनाशेरी, कोट्टयम जिला, केरल राज्य	10.00	5.00	5.00	पीटीए बी बी यू पी स्कूल, त्रिकोडितानम, चंगनाशेरी, कोट्टयम जिला	230 छात्र
54	रक्षा सेवा अधिकारी संस्थान (डीएसओआई) पालक्काड द्वारा रक्षा सेवाओं में अधिकारियों के चयन के लिए प्रारंभिक अनुशिक्षण के लिए समर्थन।	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	पालक्काड जिला, केरल राज्य	10.00	5.00	5.00	रक्षा सेवा अधिकारी संस्थान (डीएसओआई) पालक्काड	प्रति वर्ष 50 छात्र
55	आलुवा और त्रिशूर के एसओएस बच्चों के गांवों के लिए कंप्यूटरों और वाटर फिल्टरों के प्राण के लिए समर्थन।	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	त्रिशूर और एर्णाकुलम जिला, केरल राज्य	15.00	6.89	6.89	आलुवा और त्रिशूर के एसओएस बच्चों के गांव	100 छात्र
56	वयनाड जिले में परीबी, दुब्यवहरों और पनिया जमातियों के शैक्षिक पिछड़ेपन को पता लगाने के लिए एकीकृत व्यवधान के लिए समर्थन।	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	वयनाड जिला, केरल राज्य	15.00	7.50	7.50	डॉ. एम एस स्वामीनाथन फाउंडेशन, कत्थुटा, वयनाड जिला	150 पनिया बॉलू परिवार
57	आरा सामाजिक कार्य संगठन, चिदुशेरी, त्रिशूर जिले में ड्रस द्वारा प्रभावित बच्चों के समग्र विकास के लिए सहायता।	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	त्रिशूर जिला, केरल राज्य	12.00	10.80	10.80	आरा सामाजिक कार्य संगठन, चिदुशेरी, त्रिशूर जिला	100 स्कूल छात्र
58	सरकारी हाई स्कूल, मुपतडम, आलुवा, एर्णाकुलम जिले में साईस लैब की स्थापना के लिए समर्थन।	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	मुपतडम, एर्णाकुलम जिला, केरल राज्य	12.00	11.33	11.33	पीटीए सरकारी हाई स्कूल, मुपतडम, आलुवा, एर्णाकुलम जिला	400 छात्र
59	एरूर, तृणपुरा, एर्णाकुलम जिले में अशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए डे-केयर केन्द्र- जेनी सेंटर के लिए एक स्कूल बस के लिए समर्थन।	खंड (ii) विशेष शिक्षा सहित शिक्षा को बढ़ाने के लिए	तृणपुरा, एर्णाकुलम जिला, केरल राज्य	15.00	15.00	15.00	एरूर, तृणपुरा, एर्णाकुलम जिले में अशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए डे-केयर केन्द्र- जेनी सेंटर	73 विशेष बच्चे
60	जिला प्रशासन, एर्णाकुलम द्वारा एक व्यापक शैक्षिक परियोजना (पीसीईपी) - पशुधुगम के लिए समर्थन।	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	एर्णाकुलम जिला, केरल राज्य	30.00	30.00	30.00	जिला प्रशासन, एर्णाकुलम	200 छात्र आकांक्षी
61	श्री रामकृष्ण गुरुकुला विद्यार्थिद्वारा हायर सेंकंडरी स्कूल, पूरनाडुकरा, त्रिशूर जिले में असंबली हॉल के निर्माण के लिए समर्थन।	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	पूरनाडुकरा, त्रिशूर जिला, केरल राज्य	30.00	30.00	30.00	पीटीए श्री रामकृष्ण गुरुकुला विद्यार्थिद्वारा हायर सेंकंडरी स्कूल, पूरनाडुकरा, त्रिशूर जिला	1800 छात्र

क्र.सं.	संक्षेप के साथ परियोजना का नाम	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है (कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के खंड संख्या, संशोधितानुसार)	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिला निर्दिष्ट करें जहां परियोजना या कार्यक्रम किया गया है।	राशि व्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम-वार (लाख रुपये में)	परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि उप शीर्ष : (1) परियोजना या कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष खर्च (2) उभरिलगत (लाख रुपये में)	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी खर्च (लाख रुपये में)	खर्च की गई राशि : प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन अभिकरण के जरिए	परियोजना लाभार्थियों की संख्या और श्रेणी
62	सरकारी एचएसएस, एलमक्करा, एर्णाकुलम जिले में प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए समर्थन	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	एर्णाकुलम जिला, केरल राज्य	80.00	40.00	40.00	पीटीए सरकारी एचएसएस, एलमक्करा, एर्णाकुलम जिला	600 हायर सैकंडरी छात्र
63	किडंगूर, अंगमाली, एर्णाकुलम जिले में मानसिक रूप से विकलांग छात्रों के सेंट अल्फोन्सो वोकेशनल प्रशिक्षण केंद्र के लिए एक मारुति इको वाहन के प्रापण के लिए समर्थन।	खंड (ii) विशेष शिक्षा सहित शिक्षा को बढ़ाने के लिए	किडंगूर, अंगमाली, एर्णाकुलम जिला, केरल राज्य।	5.56	5.56	5.56	किडंगूर, अंगमाली, एर्णाकुलम जिले में मानसिक रूप से विकलांग छात्रों के सेंट अल्फोन्सो वोकेशनल प्रशिक्षण केंद्र	43 अशक्त बच्चे
64	वयनाड जिले में अ.जा/ अ.ज.जा के छात्रों को शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए सहायता	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	वयनाड जिला, केरल राज्य।	7.50	5.87	5.87	एससी/ एसटी कर्मचारियों के केंद्रीय सरकार का संघ (केरल), कोचीन शिपयार्ड यूनिट	450 एसटी स्कूल बच्चे
65	वयनाड जिले में वार आंगनवाड़ी परियोजनाओं की स्थापना के लिए समर्थन।	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	वयनाड जिला, केरल राज्य।	120.00	80.00	80.00	जिला प्रशासन, वयनाड	80 आंगनवाड़ी छात्र
66	रामकृष्ण मिशन, न्यू टाउन, कोलकाता के मानव उत्कृष्टता भवन की पहली मंजिल के एक हिस्से के निर्माण के लिए समर्थन।	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए / खंड (v) राष्ट्रीय परंपरा, कला और संस्कृति का संरक्षण	न्यू टाउन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	120.00	100.00	100.00	रामकृष्ण मिशन, बैलूर मठ, कोलकाता	प्रति वर्ष 5000 छात्र
67	मोडल तकनीकी हायर सेंकडरी स्कूल, कन्नूरशेरी, नेडुंबाशेरी, एर्णाकुलम जिले में शौचालय कॉलेक्स के निर्माण के लिए समर्थन।	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए (स्वच्छ भारत)	कन्नूरशेरी, नेडुंबाशेरी, एर्णाकुलम जिला, केरल राज्य	5.00	5.00	5.00	पीटीए मोडल तकनीकी हायर सेंकडरी स्कूल, कन्नूरशेरी, नेडुंबाशेरी, एर्णाकुलम जिला	450 छात्र
68	भागवती विलासम हाई स्कूल, नायरंबलम, एर्णाकुलम जिले में शौचालय समिश्र के निर्माण के लिए समर्थन।	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए (स्वच्छ भारत)	नायरंबलम, एर्णाकुलम जिला, केरल राज्य	5.75	5.75	5.75	पीटीए भागवती विलासम हाई स्कूल, नायरंबलम, एर्णाकुलम जिला	300 छात्र
69	एआरटी केंद्र, जनरल अस्पताल, एर्णाकुलम के एचआईवी पीजिटिव रोगियों के समोलन के लिए समर्थन।	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए	एर्णाकुलम जिला, केरल राज्य	0.32	0.32	0.32	एआरटी केंद्र, जनरल अस्पताल, एर्णाकुलम	60 रोगी
70	श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, कुलपुल्ली, शोर्नूर, पालक्काड जिले में ऑथलमिक उपकरण के प्रापण के लिए समर्थन।	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए	कुलपुल्ली, शोर्नूर, पालक्काड जिला, केरल राज्य	4.00	4.00	4.00	श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, कुलपुल्ली, शोर्नूर, पालक्काड जिला	प्रति महीने 600 रोगी
71	कारुण्यवर्षम चारिटेबल ट्रस्ट, एर्णाकुलम को एक मारुति इको वान खरीदने के लिए समर्थन।	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए	एर्णाकुलम जिला, केरल राज्य	5.00	4.70	4.70	कारुण्यवर्षम चारिटेबल ट्रस्ट, एर्णाकुलम	प्रति दिन 12 शय्याप्रस्त रोगी

क्र.सं.	संक्षेप के साथ परियोजना का नाम	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है (कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के खंड संख्या, संशोधितानुसार)	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिला निर्दिष्ट करें जहां परियोजना या कार्यक्रम किया गया है।	राशि व्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम-वार (लाख रुपये में)	परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि उप शीर्ष : (1) परियोजना या कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष खर्च (2) उभरिलगत (लाख रुपये में)	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी खर्च (लाख रुपये में)	खर्च की गई राशि : प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन अभिकरण के जरिए	परियोजना लाभार्थियों की संख्या और श्रेणी
72	एरूर, एर्णाकुलम जिले के एआरडीएसआई डिमेंशिया डे केयर सेंटर के लिए एक वाहन के लिए समर्थन।	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए	एर्णाकुलम जिला, केरल राज्य	5.00	4.89	4.89	एआरडीएसआई डिमेंशिया डे केयर सेंटर, एरूर, एर्णाकुलम जिला	प्रति दिन 10 डिमेंशिया रोगी
73	निराश्रितों का घर, पेरुमानूर, कोच्ची के लिए ईको मारुति वान की खरीदी के लिए समर्थन।	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए	एर्णाकुलम जिला, केरल राज्य	5.00	4.98	4.98	निराश्रितों का घर, पेरुमानूर, कोच्ची	53 कैदी
74	वेरूर, चंगनाशरी, कोट्टयम जिले के आयुष्या सेंटर फॉर हीलिंग व होल्सेस को फॉल्लोअप केयर वाहन (मारुति ईको) के प्रापण के लिए समर्थन।	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए	चंगनाशरी, कोट्टयम जिला, केरल राज्य	5.00	4.96	4.96	आयुष्या सेंटर फॉर हीलिंग व होल्सेस, वेरूर, चंगनाशरी, कोट्टयम जिला	प्रति दिन 10 शय्याप्रस्त रोगी
75	एएसएमआई रिसर्च फाउंडेशन, कडवंबा, एर्णाकुलम जिले में अपव्य शिशुओं की वाहनों की लागत और प्रीमियुटी स्क्रीनिंग ऑफ रेटिनोपैथी के लिए तैयार की गई मोबाइल यूनिट की बाँच के लिए समर्थन।	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए	एर्णाकुलम जिला, केरल राज्य	21.00	9.00	9.00	एएसएमआई रिसर्च फाउंडेशन, कडवंबा, एर्णाकुलम जिला	प्रति महीने 300 रोगी
76	परिवार स्वास्थ्य केंद्र, नूलपुजा, वयनाड जिले में उपकरणों के साथ फिसिओथेरेपी केंद्र के निर्माण के लिए समर्थन	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए	नूलपुजा, वयनाड जिला, केरल राज्य	20.00	10.00	10.00	अस्पताल प्रबंधन समिति, परिवार स्वास्थ्य केंद्र, नूलपुजा, वयनाड जिला	प्रति दिन 300 रोगी
77	पनवल्ली, त्रिचाट्टुकुलम, आलपुषा जिले के असीसी मानसिक रूप से अशक्त बच्चों के लिए विशेष स्कूल को स्कूल बस के लिए समर्थन	खंड (ii) विशेष शिक्षा सहित शिक्षा को बढ़ाने के लिए	पनवल्ली, त्रिचाट्टुकुलम, आलपुषा जिला, केरल राज्य	14.00	14.00	14.00	असीसी मानसिक रूप से अशक्त बच्चों के लिए विशेष स्कूल, पनवल्ली, त्रिचाट्टुकुलम, आलपुषा जिला	75 विशेष बच्चे
78	पालक्काड जिले के अट्टुपाडी में नीरुवा परियोजना-10 संख्या के वाटर एटीएम के लिए समर्थन।	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए (स्वच्छ भारत)	अट्टुपाडी, पालक्काड जिले के शोलेशार ग्राम पंचायत, केरल राज्य	14.50	14.50	14.50	शांति मेडिकल सूचना केंद्र, गुरुवायूर	शोलेशार ग्राम पंचायत के 5750 घरों के लिए
79	केरला ब्लाइंड स्कूल सोसाइटी, तोट्टुमुखम, आलुवा, एर्णाकुलम जिले में फिसिओथेरेपी सेंटर के लिए उपकरणों और विब्रेशन पार्क में ब्लाइंड फ्रेंडली उपकरणों के लिए समर्थन	खंड (ii) विशेष शिक्षा सहित शिक्षा को बढ़ाने के लिए	तोट्टुमुखम, आलुवा, एर्णाकुलम जिला, केरल राज्य	15.00	15.00	15.00	केरला ब्लाइंड स्कूल सोसाइटी, तोट्टुमुखम, आलुवा, एर्णाकुलम जिला	73 अंधे बच्चे
80	पालिएटिव केयर विभाग, जनरल अस्पताल, एर्णाकुलम के लिए दो मारुति ईको बैसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और तीन मारुति ईको वाहनों की खरीद के लिए समर्थन।	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए	एर्णाकुलम जिला, केरल राज्य	32.00	16.87	16.87	अस्पताल विकास सोसाइटी, जनरल अस्पताल, एर्णाकुलम	प्रति दिन 30 शय्याप्रस्त रोगी

क्र.सं.	क्षेत्र के साथ परियोजना का नाम	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है (कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के खंड संख्या, संशोधितानुसार)	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिला निर्दिष्ट करें जहां परियोजना या कार्यक्रम किया गया है।	राशि व्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम-वार (लाख रुपये में)	परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि उप शीर्ष : (1) परियोजना या कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष खर्च (2) उभरिलगत (लाख रुपये में)	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी खर्च (लाख रुपये में)	खर्च की गई राशि : प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन अभिकरण के जरिए	परियोजना लाभार्थियों की संख्या और श्रेणी
81	मद्रास कोलनी क्लस्टर और सन लाइट कॉलोनी, दिल्ली में गरीब लोगों को कंबल वितरण के लिए समर्थन।	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए	सन लाइट कॉलोनी, दिल्ली	2.00	2.00	2.00	चय ट्रस्ट, मयूर विहार, दिल्ली	500 गरीब लोग
82	08 से 10 अगस्त 2019 के बाद के दौरान अट्टपाड़ी निवासियों के लिए तत्काल बाढ़ राहत के लिए समर्थन।	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए	अट्टपाड़ी, पालक्काड जिला, केरल राज्य	0.44	0.44	0.44	शांति मॉडकल सूचना केन्द्र, गुरुवायूर	40 ग्रंथू परिवार
	उप कुल (क)			1,517.81	918.47	1,263.20		
ख	अन्य परियोजनाएं							
83	भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहर में स्वच्छता को बढ़ावा देने में योगदान करते हुए सीएसएल के उत्तर बाग में एक सार्वजनिक शौचालय ब्लॉक का निर्माण।	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए (स्वच्छ भारत)	अटलांटिस जंक्शन, एम जी रोड, एर्णाकुलम	20.00	13.49	19.49	फ्रीडाई, कोच्ची	आम जनता
84	हरिश्चंद्रा सांत्वन के लिए समर्थन- 27 दिन स्वच्छता जागरूकता अभियान	खंड भारत सरकार का स्वच्छ भारत अभियान	केरल राज्य के सभी जिला	1.00	0.29	0.92	बोधानंद सेवा ट्रस्ट, वयट्टिला	2000 लोग छात्रों सहित
85	पीआईएमसी (प्रतिबद्धता के साथ सरलता की रक्षा करना), कलवूर, आलपुषा जिले द्वारा बेसहारा और परिवर्तकों के लिए घरों के निर्माण के लिए समर्थन।	खंड (iii) महिलाओं और अमाओं के लिए घर और होस्टलों की स्थापना।	कलवूर, आलपुषा जिला	15.00	2.47	9.97	पीआईएमसी (प्रतिबद्धता के साथ सरलता की रक्षा करना), कलवूर, आलपुषा जिला	दो बेसहारा परिवार
86	स्पीक मकान द्वारा शास्त्रीय संगीत और युत्च, फॉक, योग, सिनेमा स्क्रीनिंग, क्लासिक्स, पारंपरिक चित्रकला और अन्य कला रूपों को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों/ कॉलेजों में काथशाला/ व्याख्यान/ प्रदर्शन का आयोजन करने के लिए समर्थन।	खंड (v) राष्ट्रीय परंपरा, कला और संस्कृति का संरक्षण	एर्णाकुलम जिले के चयनित सरकारी/ सरकारी एड्ड स्कूल	10.00	4.00	9.00	स्पीक मकान, नई दिल्ली	5000 स्कूल छात्र
87	भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के अधीन विवेकानंद छात्रावास, राजश्री कॉलोनी, दस्तूर नगर, अमरावती, महाराष्ट्र में एक शौचालय कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए समर्थन।	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए (स्वच्छ भारत)	विवेकानंद छात्रावास, राजश्री कॉलोनी, दस्तूर नगर, अमरावती, महाराष्ट्र	10.00	5.00	10.00	प्राधन्या प्रबोधिनी, अमरावती, महाराष्ट्र	170 छात्र
88	राष्ट्र निर्माण हेतु वेल्लिडा के लिए समर्थन- 60 सीमांत युवाओं की उन्नत वेल्लिडा में एक कौशल विकास प्रशिक्षण- तीसरा चरण।	खंड (ii) और (iii) आजीविका और परियोजना वृद्धि और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा सामना किए असमानताओं को कम करना।	केरल के विविध जिले	35.00	8.21	24.63	डॉन बोस्को टेक, वडुत्तला, एर्णाकुलम	60 छात्र
89	काजिरपल्ली, कोट्टयम जिले में मानसिक रूप से विकलांगों के लिए वोकेशनल प्रशिक्षण केन्द्र- आश्वस वोकेशनल प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण के लिए समर्थन।	खंड (ii) विशेष शिक्षा सहित शिक्षा को बढ़ाने के लिए (iii) आजीविका और परियोजना वृद्धि और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा सामना किए असमानताओं को कम करना।	काजिरपल्ली, कोट्टयम जिला	90.00	20.00	42.50	डॉ केयर केन्द्र, पास्टोरल केन्द्र, पी बी नं. 22, काजिरपल्ली, कोट्टयम जिला	100 मानसिक रूप से विकलांग बच्चे

क्र.सं.	संक्षेप के साथ परियोजना का नाम	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है (कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के खंड संख्या, संशोधितानुसार)	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिला निर्दिष्ट करें जहां परियोजना या कार्यक्रम किया गया है।	राशि ध्वय (खजेट) परियोजना या कार्यक्रम-वार (लाख रूप में)	परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि उप शीर्ष : (1) परियोजना या कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष खर्च (2) उभरिलगत (लाख रूप में)	रिपोर्टिंग अवधि तक संवर्धी खर्च (लाख रूप में)	खर्च की गई राशि : प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन अभिकरण के जरिए	परियोजना लाभार्थियों की संख्या और श्रेणी
90	सुरक्षा औद्योगिक कौशल निर्माण केंद्र को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के लिए अतिरिक्त समर्थन।	खंड (ii) आजीविका और परियोजना वृद्धि और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा सामना किए असमानताओं को कम करना।	इरुधम, एर्णाकुलम जिला, केरल राज्य	35.00	31.81	31.81	राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद- केरल चैप्टर, एर्णाकुलम	प्रति वर्ष 600 प्रशिक्षार्थी
91	कोयितरा पार्क, पनापिल्ली नगर, कोच्ची के संरक्षण और प्रबंधन के लिए समर्थन।	खंड भारत सरकार का स्वच्छ भारत अभियान	कोयितरा पार्क, पनापिल्ली नगर, कोच्ची	6.00	3.00	6.00	हेरिटेज, वातावरण और विकास के लिए केन्द्र (सी-एचईडी), कचेरीपट्टी, कोचीन	जो लोग पार्क का दौरा करते हैं
92	अलिम्को के साथ भगीदारी में विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए 50 मोटराइज्ड ट्राइसाइकलों के लिए समर्थन।	खंड (ii) और (iii) आजीविका और परियोजना वृद्धि और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा सामना किए असमानताओं को कम करना।	त्रिशूर जिला, केरल राज्य	22.50	1.10	20.00	जिला सामाजिक न्याय विभाग, त्रिशूर के सहयोग से अलिम्को	त्रिशूर जिले में 50 अशक्त व्यक्तियां
93	सुवर्ण थियेटर्स, वलर्यनियंपरा द्वारा सैलोजिक फंसस की सांस्कृतिक घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए समर्थन।	खंड (ii) और (iii) आजीविका और परियोजना वृद्धि और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा सामना किए असमानताओं को कम करना।	एर्णाकुलम जिला, केरल राज्य	2.70	2.70	2.70	सुवर्ण थियेटर्स, वलर्यनियंपरा, एर्णाकुलम जिला	8 अशक्त व्यक्तियों और उनके परिवार
94	ग्रामीण रोजगार और आर्थिक विकास केन्द्र (सीआरईडी), आरानमुला, पत्तमतिट्टा जिले में चरखा और संबोधित सुविधाओं की भरमत्त/ प्रतिस्थापन और बिक्री आउटलेट का पुनर्निर्माण।	खंड (iii) आजीविका और परियोजना वृद्धि और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा सामना किए असमानताओं को कम करना।	आरानमुला, पत्तमतिट्टा जिला, केरल राज्य	11.55	5.54	11.32	ग्रामीण रोजगार और आर्थिक विकास केन्द्र (सीआरईडी), आरानमुला, पत्तमतिट्टा जिला	75 खादी कारीगर
95	कला स्थापना के लिए समर्थन- चंगमपुषा स्मारका ग्रंथशाला, एडपल्ली, कोच्ची द्वारा प्रस्तावित	खंड (v) राष्ट्रीय परंपरा, कला और संस्कृति का संरक्षण	फाटं कोच्ची बीच, एर्णाकुलम जिला, केरल राज्य	1.50	1.50	1.50	चंगमपुषा स्मारका ग्रंथशाला, एडपल्ली, कोच्ची	5000 आम जनता
96	रसरंजम के लिए समर्थन- तृपुणितुरा कथकली केंद्रम द्वारा एक कथकली प्रदर्शन	खंड (v) राष्ट्रीय परंपरा, कला और संस्कृति का संरक्षण	तृपुणितुरा, एर्णाकुलम जिला	5.90	5.90	5.90	तृपुणितुरा कथकली केंद्रम, तृपुणितुरा, एर्णाकुलम जिला	5000 प्रतिभागी
97	27 वें अखिल केरल चिफ्टून फेस्ट 2019 के लिए समर्थन- कोचीन शिपयार्ड रिक्रिएशन क्लब की एक परियोजना	खंड (v) राष्ट्रीय परंपरा, कला और संस्कृति का संरक्षण	पूरे केरल राज्य में	15.00	15.00	15.00	कोचीन शिपयार्ड रिक्रिएशन क्लब, कोच्ची	6000 बच्चे
98	एम वी देवन फाउंडेशन, पल्लिमण, कोल्लम जिले में आर्ट गैलरी के निर्माण के लिए समर्थन।	खंड (v) राष्ट्रीय परंपरा, कला और संस्कृति का संरक्षण	पल्लिमण, कोल्लम जिला, केरल राज्य	30.00	15.00	15.00	एम वी देवन फाउंडेशन व देवन कलाग्रामम, पल्लिमण पी ओ, कोल्लम जिला	प्रतिवर्ष 10000 पयटक

क्र.सं.	संक्षेप के साथ परियोजना का नाम	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है (कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के खंड संख्या, संशोधितानुसार)	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिला निर्दिष्ट करें जहां परियोजना या कार्यक्रम किया गया है।	राशि व्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम-वार (लाख रूप में)	परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि उप शीर्ष : (1) परियोजना या कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष खर्च (2) उभरिलगत (लाख रूप में)	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी खर्च (लाख रूप में)	खर्च की गई राशि : प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन अभिकरण के जरिए	परियोजना लाभार्थियों की संख्या और श्रेणी
99	बोध पौर्णिमा के लिए समर्थन- कोट्टयम और इडुक्की जिले में केरला कौमुदी द्वारा नशा विरोधी आंदोलन	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	कोट्टयम और इडुक्की जिला- केरल राज्य	2.00	2.00	2.00	केरला कौमुदी , कोट्टयम यूनिट	5000 स्कूल छात्र
100	श्रद्धा विशेष स्कूल, एर्णाकुलम के लिए समर्थन।	खंड (ii) विशेष शिक्षा सहित शिक्षा को बढ़ाने के लिए	एर्णाकुलम जिला- केरल राज्य	15.25	9.31	9.31	एर्णाकुलम बुर्मेन्, असोसिएशन	60 विशेष बच्चे
101	वयनाड गिरिजन सेवा ट्रस्ट, मड्डिलयम, वेल्लमुंड, वयनाड जिले में जनजातीय छात्रों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए सहायता।	खंड (ii) और (iii) आजीविका और परियोजना वृद्धि और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा सामना किए असमानताओं को कम करना।	वयनाड जिला- केरल राज्य	25.00	12.50	12.50	वयनाड गिरिजन सेवा ट्रस्ट, मड्डिलयम, वेल्लमुंड, वयनाड जिला	60 अ.ज.जा छात्र
102	रोटरी क्लब ऑफ कोचीन- वयपिन द्वीप द्वारा आयोजित एयर द्वारा बुजुर्ग लोगों के परिवहन के लिए समर्थन।	खंड (ii) और (iii) आजीविका और परियोजना वृद्धि और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा सामना किए असमानताओं को कम करना।	वयपिन, एर्णाकुलम जिला, केरल राज्य	0.25	0.25	0.25	वयपिन द्वीप के रोटरी क्लब	30 बुजुर्ग लोग
103	केरल राज्य उत्पादकता परिषद्, कोचीन द्वारा महिलाओं के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम के लिए समर्थन।	खंड (ii) आजीविका और परियोजना वृद्धि और महिलाओं के बीच शिक्षा, व्यावसायिक कौशल बढ़ाने के लिए रोजगार को बढ़ावा देना खंड (iii) सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा सामना किए असमानताओं को कम करना और महिलाओं को सशक्त करना।	एर्णाकुलम जिला, केरल राज्य	2.50	1.91	1.91	केरल राज्य उत्पादकता परिषद्, कोचीन	50 आकांक्षी महिला उद्यमी
104	दिव्यांगों के लिए स्वाश्रया विशेष बाल विकास और वोकेशनल प्रशिक्षण केन्द्र, कुट्टूर, त्रिश्यूर जिले में दिव्यांगों के लिए वोकेशनल प्रशिक्षण केन्द्र के लिए समर्थन।	खंड (ii) विशेष शिक्षा सहित शिक्षा को बढ़ाने के लिए (iii) आजीविका और परियोजना वृद्धि और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा सामना किए असमानताओं को कम करना।	त्रिश्यूर जिला, केरल राज्य।	58.00	26.71	26.71	दिव्यांगों के लिए स्वाश्रया विशेष बाल विकास और वोकेशनल प्रशिक्षण केन्द्र, कुट्टूर, त्रिश्यूर जिला	150 केटी
105	नेचर ग्रीन गार्डियन फाउंडेशन, तिरुवनंतुरम द्वारा सीएसएल आवासीय क्वार्टर के पास एक खाली प्लॉट में मियावाकी विधि बनीकरण के कार्यान्वयन के लिए समर्थन।	खंड (iv) पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन, वनस्पतियों और जोंबों को सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मिट्टी, वायु और जल गुणवत्ता को बनाए रखना।	पनीफ्ल्ली नगर, एर्णाकुलम जिला	15.00	3.75	3.75	नेचर ग्रीन गार्डियन फाउंडेशन, तिरुवनंतुरम	आम जनता

क्र.सं.	संक्षेप के साथ परियोजना का नाम	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है (कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VIII के खंड संख्या, संशोधितानुसार)	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिला निर्दिष्ट करें जहां परियोजना या कार्यक्रम किया गया है।	राशि खर्च (खजेट) परियोजना या कार्यक्रम-वार (लाख रुपए में)	परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि उप शीर्ष : (1) परियोजना या कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष खर्च (2) उभरिलगत (लाख रुपए में)	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी खर्च (लाख रुपए में)	खर्च की गई राशि : प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन अभिकरण के जरिए	परियोजना लाभार्थियों की संख्या और श्रेणी
106	स्वच्छ भारत अभियान के अर्धीन टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ मिलकर 1 कम प्लास्टिक बैग के लिए समर्थन।	खंड भारत सरकार का स्वच्छ भारत अभियान	एर्णाकुलम जिला , केरल राज्य	15.00	15.00	15.00	टाइम्स ऑफ इंडिया, कोच्ची यूनिट	20000 आम जनता के बीच जूट बैग वितरित किया गया।
107	सॉइएफई, एर्णाकुलम द्वारा 14 नवंबर के अवसर पर दिव्यांगों के लिए यूनीकलरी मी के लिए समर्थन।	खंड (ii) विशेष शिक्षा सहित शिक्षा को बढ़ाने के लिए	एर्णाकुलम जिला , केरल राज्य	0.50	0.50	0.50	सशक्तिकरण और समृद्ध का केन्द्र (सॉइएफई), कोच्ची	300 विशेष बच्चे
108	रामेश्वरम, तमिलनाडु में पहचान किए गए लाभार्थियों के लिए मत्स्य पालन जाल और लॉग लाइनर टुक प्रदान करने के लिए समर्थन।	खंड (iii) आजीविका और परियोजना वृद्धि और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा सामना किए असमानताओं को कम करना।	रामेश्वरम, तमिलनाडु	60.00	48.00	48.00	मत्स्य पालन के उप निदेशक (क्षेत्रीय), रामनाथपुरम, तमिलनाडु	32 मछुवारे
109	गार्डन वेट कंपोस्टर के 5 यूनिटों को स्थापित करने के लिए समर्थन।	खंड भारत सरकार का स्वच्छ भारत अभियान	एर्णाकुलम जिला , केरल राज्य	0.93	0.93	0.93	उप जिलाधिकारी, फोर्ट कोच्ची	आम जनता
110	पुस्कूड, वयनाड जिले के एन उरु आदिवासी गांव में पेयजल योजना के लिए समर्थन।	खंड भारत सरकार का स्वच्छ भारत अभियान	वयनाड जिला, केरल राज्य	10.00	5.00	5.00	उप जिलाधिकारी, मानंतवाडी	15 अ.ज.जा घरलू परिवार और आम जनता
111	भारतीय नौसेना द्वारा उनके परिसर में उपलब्ध कराई गई भूमि पर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन प्रणाली के लिए समर्थन। नौसेना और आसपास के प्रदेशों द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट का उपयोग किया जाना। जिला प्रशासन, भारतीय नौसेना द्वारा लागू किया जाएगा।	खंड भारत सरकार का स्वच्छ भारत अभियान	एर्णाकुलम जिला , केरल राज्य	40.00	8.00	8.00	जिला प्रशासन, एर्णाकुलम	भारतीय नौसेना और आम जनता
112	केरल पुलवार महा सभा, वी एच कॉलनी, आलुवा, एर्णाकुलम जिले में एक नए पुस्तकालय सह कौशल विकास केंद्र के निर्माण के लिए समर्थन।	खंड (iii) आजीविका और परियोजना वृद्धि और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा सामना किए असमानताओं को कम करना।	आलुवा, एर्णाकुलम जिला, केरल राज्य	23.70	11.85	11.85	केरल पुलवार महा सभा, वी एच कॉलनी, आलुवा, एर्णाकुलम जिला	600 अ.जा घरलू परिवार
113	केरल राज्य उत्पादकता परिषद, कलमशरी, एर्णाकुलम जिले में प्रशिक्षण और अनुसंधान सुविधा के नवीकरण और निर्माण के लिए समर्थन।	खंड (ii) और (iii) आजीविका और परियोजना वृद्धि और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा सामना किए असमानताओं को कम करना।	कलमशरी, एर्णाकुलम जिला , केरल राज्य	15.00	7.50	7.50	केरल राज्य उत्पादकता परिषद, कलमशरी, एर्णाकुलम जिला	प्रतिवर्ष 100 छात्र
114	मैजिकल साइंस अकादमी, तिरुवनंतपुरम में विभिन्न कला केंद्र के लिए समर्थन।	खंड (i) और (iii) आजीविका और परियोजना वृद्धि और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा सामना किए असमानताओं को कम करना।	तिरुवनंतपुरम , केरल राज्य	20.00	20.00	20.00	मैजिकल साइंस अकादमी, तिरुवनंतपुरम	प्रतिवर्ष 300 दिव्यांग बच्चे

क्र.सं.	संक्षेप के साथ परियोजना का नाम	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है (कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के खंड संख्या, संशोधितानुसार)	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिला निर्दिष्ट करें जहां परियोजना या कार्यक्रम किया गया है।	राशि व्यय (खजेट) परियोजना या कार्यक्रम-वार (लाख रूप में)	परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि उप शीर्ष : (1) परियोजना या कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष खर्च (2) उभरिलगत (लाख रूप में)	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी खर्च (लाख रूप में)	खर्च की गई राशि : प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन अभिकरण के जरिए	परियोजना लाभार्थियों की संख्या और श्रेणी
115	मोहम्मदस स्पोर्टिंग क्लब, बडुत्तला, आलपुषा जिले द्वारा एक वर्ष, फुट बॉल कोचिंग कैंप आयोजित करने के लिए समर्थन।	खंड (vii) ग्रामीण खेल, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल, पैरालिम्पिक्स खेल और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	बडुत्तला, आलपुषा जिला, केरल राज्य	2.00	1.00	1.00	मोहम्मदस स्पोर्टिंग क्लब, बडुत्तला, आलपुषा जिला	50 स्कूल छात्र
116	पीएम केचर के लिए समर्थन	पीएम केचर	पैन इंडिया	250.00	250.00	250.00	पीएम केचर	
	उप कुल (ख)			866.28	559.21	649.98		
ग	अप्रत्यक्ष खर्च							
I	अतिरिक्त/ प्रशासनिक खर्च			58.91	51.39	51.91		
	उप कुल (ग)			58.91	51.39	51.91		
	कुल योग (क+ख+ग)			2443.00	1529.08	1964.44		

अनुबंध-5

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(ख) के अधीन कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के दि. 31 मार्च 2020 के समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन रूपरेखा के अनुसार दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष से संबंधित कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करने का दायित्व कंपनी के प्रबंधक वर्ग का है। अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा एवं आश्वासन मानक के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम की धारा 143 के अधीन इन वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करने के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक व लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक उत्तरदायी है। दिनांक 20 जून 2020 के उनके लेखापरीक्षा रिपोर्ट में यह बताया है कि उनके द्वारा यह किया गया है।

मैं, भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक के वास्ते कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अधीन कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों का एक अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अतिरिक्त लेखापरीक्षा, सांविधिक लेखा परीक्षकों की कार्य पत्रों की प्राप्ति के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कार्मिकों की पृष्ठताओं तक तथा कुछ लेखापरीक्षा अभिलेखों की चयनात्मक परीक्षा तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर कोई महत्वपूर्ण विषय मेरी जानकारी में नहीं पाया गया है जो अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अधीन सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को कोई परिशिष्ट या टिप्पणी देने के लिए प्रकट हो जाएगा।

भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षकों के लिए और के वास्ते

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 07.08.2020

(आर अम्बलवनन)
वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के महानिदेशक, चेन्नै

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 (4) के साथ पढित धारा 146 (6)(ख) के अधीन कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन रूपरेखा के अनुसार दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष से संबंधित कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करने का दायित्व कंपनी के प्रबंधक वर्ग का है। अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा एवं आश्वासन मानक के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम की धारा 143 के अधीन इन वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करने के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक व लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक उत्तरदायी है। दिनांक 21 जून 2020 के उनके लेखापरीक्षा रिपोर्ट में यह बताया है कि उनके द्वारा यह किया गया है।

मैं, भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक के वास्ते दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों का अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पढित धारा 143(6)(क) के अधीन एक अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। हमने उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अतिरिक्त लेखापरीक्षा, सांविधिक लेखा परीक्षकों की कार्य पत्रों की प्राप्ति के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कार्मिकों की पृष्ठताओं तक तथा कुछ लेखापरीक्षा अभिलेखों की चयनात्मक परीक्षा तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर कोई महत्वपूर्ण विषय मेरी जानकारी में नहीं पाया गया है जो अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अधीन सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को कोई परिशिष्ट या टिप्पणी देने के लिए प्रकट हो जाएगा।

भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षकों के लिए और के वास्ते

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 07.08.2020

(आर अम्बलवनन)
वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के महानिदेशक, चेन्नै

अनुबंध-6

फार्म सं. एमआर-3

दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं.9 के अनुसार)

सेवा में
सदस्य

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
प्रशासनिक भवन, 39/6080
कोचीन शिपयार्ड परिसर
पेरूमनूर, एम जी रोड
एर्णाकुलम केरल - 682015

हमने **कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड** (बाद में 'कंपनी' बुला हुआ) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे निगमित कार्यों के पालन के सचिवीय लेखापरीक्षा आयोजित की। सचिवीय लेखापरीक्षा एक तरीके से आयोजित किया, जो निगमित आचरण/ सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन के लिए और इसमें हमारी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।

कंपनी की बही, कागज, कार्यवृत्त बही, प्रपत्र और फाइल किए रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए रखे अन्य रिकॉर्डों के हमारे सत्यापन के आधार पर और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, अभिकर्ताओं और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं के अनुसार, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष में शामिल लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, इसके नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कंपनी को ऐसे तरीके में और इसके बाद किए रिपोर्टिंग के अधीन इस हद तक उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र है:

हमने निम्न प्रावधानों के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा बनाए रखे बही, कागज, कार्यवृत्त बही, प्रपत्र और फाइल किए रिटर्न और अन्य रिकॉर्डों की जांच की:

- कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके अधीन बनाए गए नियम;
- प्रतिभूति ठेका (विनियम) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) और इसके अधीन बनाए गए नियम;

- निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और विनियम और इसके अधीन बनाए गए उपनियम ;
- विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी सीधा निवेश, समुद्रपार सीधा निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार राशियों की सीमा तक इसके अधीन बनाए गए नियम व विनियम; (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं है।)
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन निर्धारित निम्नलिखित विनियमों और मार्गनिर्देश:-
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का निषेध) विनियम, 2015
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा) विनियम 2018 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं है।)
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं है।)
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूति का मुद्दा और सूचीकरण) विनियम, 2008 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं है।)
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (एक इश्यू और शेयर ट्रांसफर एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 जो कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार से संबंधित है (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं है।)
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों का असूचीयन) विनियम 2009 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं है।)
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी खरीद) विनियम 2018 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं है।)

- vi. केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों के लिए निगमित शासन पर मार्ग निर्देश, 2010
- vii. केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों के लिए निगमित सामाजिक दायित्व और धारणीयता पर मार्गनिर्देश

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की जांच भी की है:

- (क) भारत के कंपनी सचिवों के संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।
- (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताओं की सूचीकरण) विनियम, 2015

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने उपरोक्त सूचितानुसार अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है, जो निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन है।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के निगमित शासन शर्तों के गैर-अनुपालन के लिए बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) द्वारा निम्नानुसार जुर्माना लगाया गया है। अर्थात् महिला निदेशक की गैर-नियुक्ति एवं स्वतंत्र निदेशकों की गैर-नियुक्ति।

क्र.सं.	स्टॉक एक्सचेंज द्वारा लगाया गया जुर्माना	राशि	अवधि जिसके लिए जुर्माना लगाया गया
1	बीएसई लिमिटेड (बीएसई) एवं राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)	*एनएसई : आईएनआर 64,900/- (केवल चौसठ हजार नौ सौ मात्र) ^० बीएसई : आईएनआर 64,900/- (केवल चौसठ हजार नौ सौ मात्र) ^०	दिनांक जून 30, 2019 को समाप्त तिमाही
2	बीएसई लिमिटेड (बीएसई) एवं राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)	*एनएसई : आईएनआर 1,65,200/- (केवल एक लाख पैसठ हजार दो सौ मात्र) ^० बीएसई : आईएनआर 1,65,200/- (केवल एक लाख पैसठ हजार दो सौ मात्र) ^०	दिनांक सितंबर 30, 2019 को समाप्त तिमाही

* कंपनी द्वारा किए गए अभ्यावेदन के बाद एनएसई द्वारा लगाया गया जुर्माना छोड़ दिया गया।

उपरोक्त राशि में 18% की दर पर माल और सेवा कर शामिल हैं।

4. कंपनी के निदेशक मंडल ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान सभी निदेशक मंडल की बैठकों के लिए श्री कल्लुविलावीड रवीन्द्रन ज्योतिलाल के आर (डीआईएन : 016500017) अंशकालिक सरकारी (नामित) निदेशक की अनुपस्थिति की अनुमति के लिए मंजूदी दी है, जो अधिनियम की धारा 167(1)(ख) के तहत कार्यालय की समाप्त होने का कारण बना, जिसके परिणाम स्वरूप, कंपनी में उनके निदेशकता को समाप्त कर दिया गया।

हम रिपोर्ट करते हैं कि :

कंपनी के निदेशक मंडल कार्यपालक निदेशक, गैर कार्यपालक निदेशक और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन से विधिवत् गठित किया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल के संयोजन में किए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में और केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन में किया था।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठक अनुसूचित करने के लिए पर्याप्त नोटिस दिया गया। कार्यसूची और कार्यसूची के विस्तृत नोट कम से कम सात दिनों से पहले भेज दिया गया और बैठक के पहले कार्यसूची पर आगे सूचना और स्पष्टीकरण की मांग और प्राप्त करने के लिए तथा बैठक में एक सार्थक भागीदारी हेतु एक प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड के सभी निर्णय सर्वसम्मति के थे और वही कार्यवृत्त के भाग के रूप में लिया और रिकॉर्ड किया गया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानून, नियम, विनियम और मार्गनिर्देश के अनुपालन सुनिश्चित करने और निरीक्षण करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुरूप कंपनी में एक पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी के पास उपरोक्त उल्लिखित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर एक प्रमुख असर होनेवाली निम्नलिखित विशिष्ट घटनाएं/क्रियाएं थीं ।

1. दिनांक अगस्त 13, 2019 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में कंपनी के सदस्यों ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 13.00 रुपए के प्रति शेयर के लाभांश अनुमोदित किया गया ।

2. दिनांक 12 नवंबर, 2019 को आयोजित अपने बोर्ड बैठक में निदेशक मंडल ने 1.63 रुपए (प्रति शेयर) के एक अंतरिम लाभांश घोषित किया गया ।

कृते **मेहता एंड मेहता**
कंपनी सचिव

(आईसीएसआई यूनीक कोड पी1996एमएच007500)

अतुल मेहता

साझेदार

पीसीएस सं. : 5782

सीपी सं. : 2486

यूडीआईएन :

एफ005782बी00037470

स्थान : कोच्ची

दिनांक : जून 24, 2020

नोट : इस रिपोर्ट को हमारे सम-तिथ के पत्र के साथ पढा जाना है जिसे 'अनुबंध क' के रूप में संलग्न किया गया है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न भाग है ।

अनुबंध क

सेवा में

सदस्य

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

प्रशासनिक भवन

कोचीन शिपयार्ड परिसर

पेरुमानूर, कोच्ची

एर्णाकुलम, केरल - 682015

सम-तिथि की हमारी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढा जाना है ।

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है । हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर एक राय व्यक्त करना है ।
2. हमने लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है, जो सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे । सत्यापन, परीक्षण के आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सही तथ्य सचिवीय रिकॉर्ड में परिलक्षित होते हैं । हम मानते हैं हमने जिन प्रक्रियाओं के प्रथाओं का पालन किया है, वे हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करते हैं ।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और बहियों की लेखा की शुद्धता और उपयुक्तता की पुष्टि नहीं की है ।
4. जहां भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों, और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन से अभिवेदन प्राप्त किया है ।
5. कापोरेट कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है । हमारी जांच, परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी ।
6. प्रपत्र सं. एमआर-3 में हमारे सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट के बिंदु vi और vii में उल्लिखित प्रावधानों के तहत कंपनी द्वारा दायर की गई बहियों, कागजात, फॉर्म, रिपोर्ट और रिटर्न के संबंध में, उक्त विनियमों का अपेक्षाओं के पालन एवं अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है । हमारी जांच विभिन्न रूपों, रिपोर्टों, रिटर्न और दस्तावेजों के फाइलिंग के निष्पादन और समयबद्धता की जांच करने के लिए सीमित थी, जिन्हें कंपनी द्वारा उक्त नियमों के तहत विभिन्न अधिकारियों के साथ दायर करने की आवश्यकता है । हमने ऐसे फॉर्म, रिपोर्ट, रिटर्न और दस्तावेजों की सामग्री शुद्धता और व्याप्ति को सत्यापित नहीं किया है ।
7. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के साथ, जिसके लिए प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है ।

कृते मेहता एंड मेहता

कंपनी सचिव

(आईसीएसआई यूनीक कोड पी1996एमएच007500)

अतुल मेहता

साझेदार

पीसीएस सं. : 5782

सीपी सं. : 2486

यूडीआईएन : एफ005782बी00037470

स्थान : कोच्ची

दिनांक : जून 24, 2020

अनुबंध-7

फॉर्म सं. एमजीटी 9 वार्षिक विवरणी का सार

दिनांक 31.03.2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन व प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12(1) के अनुसार

I. पंजीकरण व अन्य विवरण:

1.	सीआईएन	L63032KL1972GOI002414
2.	पंजीकरण तिथि	29 मार्च 1972
3.	कंपनी की नाम	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
4.	कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी	निजी कंपनी / सीमित शेयर्स
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता व संपर्क विवरण	प्रशासनिक भवन कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरूमनूर कोचीन, एर्णाकुलम- 682 015, केरल, भारत दूरभाष : +91 484-2501307 फैक्स : +91 484-2384001 ई-मेल : secretary@cochinshipyard.com वेब : www.cochinshipyard.com
6.	क्या सूचीबद्ध कंपनी है	जी हां
7.	पंजीयक व ट्रांसफर एजेंट कोई है तो, उनका नाम, पता व संपर्क विवरण	लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सूर्या, 35, मईफ्लवर एवेन्यू सेंटिल नगर के पीछे सौरिपाल्यम रोड, कोयंबतूर, तमिलनाडु, 641028 दूरभाष : +91 422 2314792, 2315792 फैक्स : +91 422 2314792 ई-मेल : coimbatore@linkintime.co.in वेब: www.linkintime.co.in

II. कंपनी का प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियां (कंपनी के कुल कारोबार का 10% या उससे अधिक अंशदान देने वाले सभी व्यावसायिक गतिविधियां बताना चाहिए)

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों / सेवाओं का नाम व विवरण	उत्पादों / सेवाओं का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार की प्रतिशतता
1	पोतों का निर्माण व फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स	3011	83.34
2	पोतों व फ्लोटिंग स्ट्रक्चरों की विशेष मरम्मत और अनुरक्षण	3315	16.66

III. होल्डिंग, सहायक और सहयोगी कंपनियों का ब्योरा

क्र.सं.	कंपनी का नाम व पता	सीआईएन/ जीएलएन	होल्डिंग /सहायक/ असोसिएट	आयोजित शेयर्स की प्रतिशतता	लागू धारा
1	हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द लिगसी, 25 ए शेक्सपियर सारणी, लेवल 1, कोलकत्ता -700017	U35900WB2017GOI223197	सहायक	100	2(87)

क्र. सं.	शेयरहोल्डरों की श्रेणी	वर्ष 2019 की शुरुआत में शेयरधारिता			वर्ष 2020 के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान परिवर्तन की प्रतिशतता
		डीमैट	प्रत्यक्ष	कुल	डीमैट	प्रत्यक्ष	कुल	
[2]	केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार/ भारत के राष्ट्रपति							
	उप कुल (ख)(2)	0	0	0	0	0	0	0.0000
[3]	गैर-संस्थान							
(क)	व्यक्तिगत							
(i)	1 लाख रुपए तक अंकित शेयर पूंजी धारण करनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारक	10390822	7	10390829	7.8993	6	11123278	8.4562
(ii)	1 लाख रुपए से ज्यादा अंकित शेयर पूंजी धारण करनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारक	973130	0	973130	0.7398	0	1384126	1.0522
(ख)	आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी	11871	0	11871	0.0090	0	9900	0.0075
(ग)	विदेशी जमा राशि (होलिंग डीआर)/(शेअर अंक)	0	0	0	0.0000	0	0	0.0000
(घ)	अन्य कोई (निर्दिष्ट करें)							
	ट्रस्ट	17665	0	17665	0.0134	0	23665	0.0180
	विदेशी नागरिक	30	0	30	0.0000	0	60	0.0000
	हिंदु अविभाजित परिवार	577208	0	577208	0.4388	0	684648	0.5205
	अनिवासीय भारतीय (गैर रिपेट)	203118	0	203118	0.1544	0	253055	0.1924
	अनिवासीय भारतीय (रिपेट)	755937	0	755937	0.5747	0	800807	0.6088
	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (व्यक्तिगत)	1550	0	1550	0.0012	0	4700	0.0036
	कौचरिंग सदस्य	142427	0	142427	0.1083	0	188334	0.1432
	निकाय कॉर्पोरेट	2753390	0	2753390	2.0932	0	1310745	0.9965
	कुल (ख)(3)	15827148	7	15827155	12.0322	6	15783324	11.9988
	कुल सार्वजनिक शेयरहोल्डिंग (बी)=(बी)(1)+(बी)(2)+(बी)(3)	32605941	7	32605948	24.7878	6	35696920	27.1376
	कुल (क)+(ख)	131540383	7	131540390	100.0000	6	131540390	100.0000
(ग)	गैर प्रमोटर - गैर सार्वजनिक							
[1]	अभिरक्षक/डीआर होल्डर	0	0	0	0.0000	0	0	0.0000
[2]	कर्मचारी लाभ ट्रस्ट (संबंधी शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014)	0	0	0	0.0000	0	0	0.0000
	कुल (क)+(ख)+(ग)	131540383	7	131540390	100.0000	6	131540390	100.0000

(ii) प्रमोटर्स की शेयरधारिता

क्र.सं.	शेयरधारकों का नाम	वर्ष 2019 की शुरुआत में शेयरधारिता			वर्ष 2020 के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयरधारिता परिवर्तन की प्रतिशतता
		संभाले शेयरों की सं.	कंपनी की शेयरों की प्रतिशतता	कुल शेयरों में गिरावटी रकमी शेयरों की प्रतिशतता	संभाले शेयरों की सं.	कंपनी की शेयरों की प्रतिशतता	कुल शेयरों में गिरावटी रकमी शेयरों की प्रतिशतता	
1	भारत के राष्ट्रपति	98934442	75.2122	0	95843464	72.8624	0	-2.3498
	कुल	98934442	75.2122	0	95843464	72.8624	0	-2.3498

(iii) प्रमोटर्स की शेयरधारिता में परिवर्तन (कोई परिवर्तन नहीं आया है, जो स्पष्ट करें)

क्र.सं.	लेनदेन का नाम एवं प्रकार	वर्ष 2019 की शुरुआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान लेनदेन		वर्ष के अंत में संचित शेयरधारिता	
		संभाले शेयरों की सं.	कंपनी की कुल शेयरों की प्रतिशतता	लेनदेन की तिथि	शेयरों की सं.	संभाले शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों की सं.
1	भारत के राष्ट्रपति	98960314	75.2319			98960314	75.2319
	अंतरण			अप्रैल 05, 2019	(12936)	98947378	75.2221
	अंतरण			फरवरी 07, 2020	(3090978)	95856400	72.8722
	वर्ष के अंत में					95895208	72.9017

(iv) सर्वोच्च दस शेयरधारकों के शेयरहोल्डिंग पैटर्न (निदेशक, जीडीआर और एडीआर के प्रमोटर्स एवं धारकों को छोड़कर)

क्र.सं.	लेनदेन का नाम एवं प्रकार	वर्ष 2019 की शुरुआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान लेनदेन		वर्ष 2020 के अंत तक संचित शेयरधारिता	
		संभाले शेयरों की सं.	कंपनी की कुल शेयरों की प्रतिशतता	लेनदेन की तिथि	शेयरों की सं.	संभाले शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों की सं.
1	भारत के राष्ट्रपति	98947378	75.2221			98947378	75.2221
	अंतरण			फरवरी 07, 2020	(3090978)	95856400	72.8722
	वर्ष के अंत में					287543328	218.5970
2	रिलाइन्स कैपिटल ट्रस्टी कं. लिमिटेड-ए/सी निप्पॉन इंडिया टेक्स सेवर (इंग्लैण्डएसएस) फंड	8323743	6.3279			8323743	6.3279
	अंतरण			अप्रैल 26, 2019	(34823)	8288920	6.3014
	अंतरण			मई 03, 2019	(74797)	8214123	6.2446

क्र.सं.	लेनदेन का नाम एवं प्रकार	वर्ष 2019 की शुरुआत में शेषरधारिता		वर्ष के दौरान लेनदेन		वर्ष 2020 के अंत तक संचित शेषरधारिता	
		संभाले शेयरों की सं.	कंपनी की कुल शेयरों की प्रतिशतता	लेनदेन की तिथि	शेयरों की सं.	संभाले शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों की सं.
	अंतरण			मई 10, 2019	(12280)	8201843	6.2352
	अंतरण			मई 24, 2019	(251860)	7949983	6.0438
	अंतरण			मई 31, 2019	(7120)	7942863	6.0383
	अंतरण			जून 07, 2019	116376	8059239	6.1268
	अंतरण			जून 14, 2019	74000	8133239	6.1831
	अंतरण			जून 21, 2019	80000	8213239	6.2439
	अंतरण			अगस्त 09, 2019	20000	8233239	6.2591
	अंतरण			अगस्त 23, 2019	100000	8333239	6.3351
	अंतरण			सितंबर 13, 2019	111750	8444989	6.4201
	अंतरण			सितंबर 20, 2019	9240	8454229	6.4271
	अंतरण			सितंबर 27, 2019	10000	8464229	6.4347
	अंतरण			अक्टूबर 18, 2019	10000	8474229	6.4423
	अंतरण			अक्टूबर 25, 2019	1200000	9674229	7.3546
	अंतरण			नवंबर 15, 2019	71800	9746029	7.4092
	अंतरण			नवंबर 29, 2019	(177759)	9568270	7.2740
	अंतरण			दिसंबर 06, 2019	(261572)	9306698	7.0752
	अंतरण			दिसंबर 13, 2019	(71333)	9235365	7.0209
	अंतरण			दिसंबर 20, 2019	(140579)	9094786	6.9141
	अंतरण			दिसंबर 27, 2019	(27966)	9066820	6.8928
	अंतरण			जनवरी 17, 2020	(50000)	9016820	6.8548
	अंतरण			जनवरी 24, 2020	86307	9103127	6.9204
	अंतरण			जनवरी 31, 2020	1366812	10469939	7.9595
	अंतरण			फरवरी 07, 2020	2569162	13039101	9.9126
	अंतरण			फरवरी 14, 2020	(739378)	12299723	9.3505
	अंतरण			फरवरी 21, 2020	(375478)	11924245	9.0651
	अंतरण			फरवरी 28, 2020	(153968)	11770277	8.9480

क्र.सं.	लेनदेन का नाम एवं प्रकार	वर्ष 2019 की शुरुआत में शेषरधारिता		वर्ष के दौरान लेनदेन		वर्ष 2020 के अंत तक संचित शेषरधारिता	
		संभाले शेषों की सं.	कंपनी की कुल शेषों की प्रतिशतता	लेनदेन की तिथि	शेषों की सं.	संभाले शेषों की सं.	कंपनी के कुल शेषों की सं.
	अंतरण			मार्च 06, 2020	(12765)	11757512	8.9383
	अंतरण			मार्च 13, 2020	(669028)	11088484	8.4297
	अंतरण			मार्च 20, 2020	(417977)	10670507	8.1120
	अंतरण			मार्च 27, 2020	51879	10722386	8.1514
	अंतरण			मार्च 31, 2020	72966	10795352	8.2069
	वर्ष के अंत में					10795352	8.2069
3	भारतीय जीवन बीमा निगम	207670	0.1579			207670	0.1579
	अंतरण			दिसंबर 06, 2019	110000	317670	0.2415
	अंतरण			दिसंबर 13, 2019	146364	464034	0.3528
	अंतरण			दिसंबर 20, 2019	128891	592925	0.4508
	अंतरण			दिसंबर 27, 2019	97841	690766	0.5251
	अंतरण			दिसंबर 31, 2019	12095	702861	0.5343
	अंतरण			जनवरी 03, 2020	31521	734382	0.5583
	अंतरण			जनवरी 10, 2020	31988	766370	0.5826
	अंतरण			जनवरी 17, 2020	48096	814466	0.6192
	अंतरण			फरवरी 07, 2020	96759	911225	0.6927
	अंतरण			फरवरी 14, 2020	184642	1095867	0.8331
	अंतरण			फरवरी 21, 2020	170656	1266523	0.9628
	अंतरण			फरवरी 28, 2020	275844	1542367	1.1725
	अंतरण			मार्च 06, 2020	357099	1899466	1.4440
	अंतरण			मार्च 13, 2020	242031	2141497	1.6280
	अंतरण			मार्च 20, 2020	199469	2340966	1.7797
	वर्ष के अंत में					2340966	1.7797
4	आईसीसी लॉन्गवॉर्ड जनरल इश्युंरंस कंपनी लिमिटेड	1300000	0.9883			1300000	0.9883
	अंतरण			सितंबर 20, 2019	100000	1400000	1.0643
	अंतरण			जनवरी 24, 2020	300000	1700000	1.2924
	वर्ष के अंत में					1700000	1.2924

क्र.सं.	लेनदेन का नाम एवं प्रकार	वर्ष 2019 की शुरुआत में शेषरधारिता		वर्ष के दौरान लेनदेन		वर्ष 2020 के अंत तक संचित शेषरधारिता	
		संभाले शेषों की सं.	कंपनी की कुल शेषों की प्रतिशतता	लेनदेन की तिथि	शेषों की सं.	संभाले शेषों की सं.	कंपनी के कुल शेषों की सं.
5	आईसीआईसीआई प्रुडन्शाल बैलेन्सड एडवैन्टेज फंड	86871	0.0660			86871	0.0660
	अंतरण			मई 17, 2019	32	86903	0.0661
	अंतरण			मई 24, 2019	16	86919	0.0661
	अंतरण			जुलाई 05, 2019	16	86935	0.0661
	अंतरण			जुलाई 26, 2019	16	86951	0.0661
	अंतरण			अगस्त 09, 2019	37799	124750	0.0948
	अंतरण			अगस्त 16, 2019	28670	153420	0.1166
	अंतरण			अगस्त 23, 2019	69596	223016	0.1695
	अंतरण			अगस्त 30, 2019	72011	295027	0.2243
	अंतरण			सितंबर 06, 2019	9756	304783	0.2317
	अंतरण			सितंबर 20, 2019	150000	454783	0.3457
	अंतरण			सितंबर 27, 2019	32	454815	0.3458
	अंतरण			सितंबर 30, 2019	16	454831	0.3458
	अंतरण			अक्टूबर 04, 2019	16	454847	0.3458
	अंतरण			अक्टूबर 11, 2019	16	454863	0.3458
	अंतरण			अक्टूबर 18, 2019	2	454865	0.3458
	अंतरण			अक्टूबर 25, 2019	(83461)	371404	0.2823
	अंतरण			नवंबर 22, 2019	16	371420	0.2824
	अंतरण			दिसंबर 27, 2019	25	371445	0.2824
	अंतरण			जनवरी 10, 2020	16	371461	0.2824
	अंतरण			जनवरी 24, 2020	(371154)	307	0.0002
	अंतरण			जनवरी 31, 2020	16	323	0.0002
	अंतरण			फरवरी 07, 2020	16	339	0.0003
	अंतरण			फरवरी 14, 2020	230008	230347	0.1751
	अंतरण			फरवरी 28, 2020	722	231069	0.1757

क्र.सं.	लेनदेन का नाम एवं प्रकार	वर्ष 2019 की शुरुआत में शेषरधारिता		वर्ष के दौरान लेनदेन		वर्ष 2020 के अंत तक संचित शेषरधारिता	
		संभाले शेयरों की सं.	कंपनी की कुल शेयरों की प्रतिशतता	लेनदेन की तिथि	शेयरों की सं.	संभाले शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों की सं.
	अंतरण			मार्च 06, 2020	335082	566151	0.4304
	अंतरण			मार्च 13, 2020	420849	987000	0.7503
	अंतरण			मार्च 20, 2020	10767	997767	0.7585
	अंतरण			मार्च 27, 2020	(11178)	986589	0.7500
	अंतरण			मार्च 31, 2020	(29890)	956699	0.7273
	वर्ष के अंत में					956699	0.7273
6	वाल्यूक्वस्टि इंडिया मोट फंड लिमिटेड	0	0.0000			0	0.0000
	अंतरण			फरवरी 28, 2020	648414	648414	0.4929
	अंतरण			मार्च 27, 2020	145000	793414	0.6032
	वर्ष के अंत में					793414	0.6032
7	आदित्या बिल्डिंग्स सन लाइफ ट्रस्टी प्राइवट लिमिटेड ए/सी आदित्या बिल्डिंग्स सन लाइफ स्मॉल कैप फंड	911255	0.6928			911255	0.6928
	अंतरण			अप्रैल 05, 2019	(12755)	898500	0.6831
	अंतरण			जनवरी 24, 2020	(6006)	892494	0.6785
	अंतरण			जनवरी 31, 2020	(22382)	870112	0.6615
	अंतरण			फरवरी 07, 2020	(62785)	807327	0.6137
	अंतरण			फरवरी 14, 2020	(32327)	775000	0.5892
	अंतरण			फरवरी 28, 2020	(100000)	675000	0.5132
	अंतरण			मार्च 27, 2020	(117250)	557750	0.4240
	अंतरण			मार्च 31, 2020	(22334)	535416	0.4070
	वर्ष के अंत में					535416	0.4070
8	राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड	317682	0.2415			317682	0.2415
	वर्ष के अंत में					317682	0.2415
9	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ए/सी एचडीएफसी बेलोन्सड एडवेंचरेज फंड	1900556	1.4448			1900556	1.4448
	अंतरण			जनवरी 24, 2020	(642800)	1257756	0.9562

क्र.सं.	लेनदेन का नाम एवं प्रकार	वर्ष 2019 की शुरुआत में शेषधारिता		वर्ष के दौरान लेनदेन		वर्ष 2020 के अंत तक संचित शेषधारिता	
		संभाले शेयरों की सं.	कंपनी की कुल शेयरों की प्रतिशतता	लेनदेन की तिथि	शेयरों की सं.	संभाले शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों की सं.
	अंतरण			फरवरी 28, 2020	(624000)	633756	0.4818
	अंतरण			मार्च 06, 2020	(373756)	260000	0.1977
	वर्ष के अंत में					260000	0.1977
10	मिसूरी स्थानीय सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति प्रणाली	0	0.0000			0	0.0000
	अंतरण			अप्रैल 05, 2019	2438	2438	0.0019
	अंतरण			अप्रैल 12, 2019	5705	8143	0.0062
	अंतरण			दिसंबर 27, 2019	4938	13081	0.0099
	अंतरण			जनवरी 03, 2020	15958	29039	0.0221
	अंतरण			जनवरी 10, 2020	14391	43430	0.0330
	अंतरण			जनवरी 17, 2020	20330	63760	0.0485
	अंतरण			जनवरी 24, 2020	4146	67906	0.0516
	अंतरण			जनवरी 31, 2020	54842	122748	0.0933
	अंतरण			फरवरी 14, 2020	20186	142934	0.1087
	अंतरण			मार्च 06, 2020	23560	166494	0.1266
	वर्ष के अंत में					166494	0.1266
11	पैनब्रिड्ज ग्लोबल फंड - पैनब्रिड्ज इंडिया इक्विटी फंड	2531818	1.9247			2531818	1.9247
	अंतरण			अप्रैल 12, 2019	(6449)	2525369	1.9198
	अंतरण			अप्रैल 19, 2019	(8806)	2516563	1.9131
	अंतरण			अप्रैल 26, 2019	(2931)	2513632	1.9109
	अंतरण			जून 14, 2019	(40454)	2473178	1.8802
	अंतरण			जून 21, 2019	(24003)	2449175	1.8619
	अंतरण			सितंबर 20, 2019	(149998)	2299177	1.7479
	अंतरण			अक्टूबर 11, 2019	(1000000)	1299177	0.9877
	अंतरण			अक्टूबर 18, 2019	(56000)	1243177	0.9451
	अंतरण			अक्टूबर 25, 2019	(1243177)	0	0.0000
	वर्ष के अंत में					0	0.0000

क्र.सं.	लेनदेन का नाम एवं प्रकार	वर्ष 2019 की शुरुआत में शेषरधारिता		वर्ष के दौरान लेनदेन		वर्ष 2020 के अंत तक संचित शेषरधारिता	
		संभाले शेषों की सं.	कंपनी की कुल शेषों की प्रतिशतता	लेनदेन की तिथि	शेषों की सं.	संभाले शेषों की सं.	कंपनी के कुल शेषों की सं.
12	भारतीय स्टेट बैंक	428814	0.3260			428814	0.3260
	अंतरण			मई10, 2019	(4290)	424524	0.3227
	अंतरण			मई17, 2019	(15000)	409524	0.3113
	अंतरण			मई24, 2019	(30777)	378747	0.2879
	अंतरण			मई31, 2019	(83000)	295747	0.2248
	अंतरण			जून 07, 2019	(79000)	216747	0.1648
	अंतरण			जून 14, 2019	(42830)	173917	0.1322
	अंतरण			जून 21, 2019	(81886)	92031	0.0700
	अंतरण			जनवरी 29, 2019	(26677)	65354	0.0497
	अंतरण			जुलाई 05, 2019	(53353)	12001	0.0091
	अंतरण			जुलाई 12, 2019	(12001)	0	0.0000
	वर्ष के अंत में					0	0.0000
13	यूनियन स्मॉल कैप फंड	311530	0.2368			311530	0.2368
	अंतरण			अप्रैल 05, 2019	(69429)	242101	0.1841
	अंतरण			मई31, 2019	(16963)	225138	0.1712
	अंतरण			सितंबर20, 2019	(45251)	179887	0.1368
	अंतरण			सितंबर 27, 2019	(94454)	85433	0.0649
	अंतरण			अक्टूबर 11, 2019	(867)	84566	0.0643
	अंतरण			नवंबर 22, 2019	1086	85652	0.0651
	अंतरण			जनवरी 03, 2020	(774)	84878	0.0645
	अंतरण			जनवरी 10, 2020	3147	88025	0.0669
	अंतरण			जनवरी 17, 2020	(948)	87077	0.0662
	अंतरण			जनवरी 24, 2020	(87077)	0	0.0000
	वर्ष के अंत में					0	0.0000
14	गवर्नमेंट सिंगापुर - ई	233194	0.1773			233194	0.1773
	अंतरण			अगस्त23, 2019	(82997)	150197	0.1142
	अंतरण			सितंबर 20, 2019	(21892)	128305	0.0975
	अंतरण			सितंबर 27, 2019	(24238)	104067	0.0791
	अंतरण			सितंबर 30, 2019	(1495)	102572	0.0780
	अंतरण			अक्टूबर 25, 2019	(102572)	0	0.0000
	वर्ष के अंत में					0	0.0000

(v) निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक की शेयरधारिता

क्र.सं.	नाम	वर्ष 2019 की शुरुआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान लेनदेन		वर्ष 2020 के अंत में संचित शेयरधारिता	
		संभाले शेयरों की सं.	कंपनी की कुल शेयरों की प्रतिशतता	लेनदेन की तिथि	शेयरों की सं.	संभाले शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों की सं.
1	मधु एस नायर	600	0.0005	-	-	600	0.0005
2	बिजोय भास्कर	510	0.0004	-	-	510	0.0004
3	राधाकृष्ण मेनन	30	0.0000	-	-	लागू नहीं*	लागू नहीं*
4	कृष्णदास ई	125	0.0001	-	-	लागू नहीं*	लागू नहीं*

*अवधि की समाप्ति के कारण दिनांक 20 मार्च 2020 को कार्यालय से इस्तीफा लिया ।

(vi) ऋणप्रस्तता -कंपनी का ऋणप्रस्तता जिसमें बकाया/ उपाजित ब्याज शामिल है जो भुगतान के लिए देय नहीं है : (करोड रुपए में)

वित्तीय वर्ष की शुरुआत में	जमे सहित प्रतिभूति ऋण	अप्रतिभूति ऋण	जमा	कुल ऋणप्रस्तता
i. मूल राशि	123.00	-	-	123.00
ii. ब्याज देय है लेकिन भुगतान नहीं किया गया	-	-	-	-
iii. ब्याज उपाजित है लेकिन भुगतान नहीं किया गया	2.82	-	-	2.82
कुल (i+ii+iii)	125.82	-	-	125.82
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणप्रस्तता में परिवर्तन				
जोड	-	-	-	-
कमी	-	-	-	-
निवल परिवर्तन	-	-	-	-
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणप्रस्तता				
i. मूल राशि	123.00	-	-	123.00
ii. ब्याज देय है लेकिन भुगतान नहीं किया गया	-	-	-	-
iii. उपाजित है लेकिन भुगतान नहीं किया गया	2.82	-	-	2.82
कुल (i+ii+iii)	125.82	-	-	125.82

(vii) निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्ण कालिक निदेशक और/या प्रबंधक

(रुप में)

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/डिप्टीडी/प्रबंधक का नाम					कुल राशि	
		श्री मधु एस नायर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (डीआईएन: 07376798)	श्री डी पॉल रंजन निदेशक (वित्त) एवं मू. वि.अ. (डीआईएन: 06869452)	श्री सुरेश बाबु एन वी निदेशक (प्रचालन) (डीआईएन: 07482491)	श्री बिजोय भास्कर निदेशक (तकनीकी) (डीआईएन: 08103825)	श्री जोस वी जे निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ (डीआईएन: 08444440)		
1.	सकल वेतन	7813014.90	5756476.78	6608986.34	5346972.35	414885.46	29674335.83	
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में शामिल प्रावधानों के अनुसार वेतन	7664562.90	5748726.78	6492537.34	5251151.35	4019150.46	29176128.83	
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) अनुलाभ का मूल्य	148452.00	7750.00	116449.00	95821.00	129735.00	498207.00	
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) वेतन के बदले लाभ	-	-	-	-	-	-	
2.	स्टॉक विकल्प	-	-	-	-	-	-	
3.	स्विट इक्विटी	-	-	-	-	-	-	
4.	कमीशन	-	-	-	-	-	-	
5.	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	-	-	-	-	-	-	
	कुल (क)	7813014.90	5756476.78	6608986.34	5346972.35	414885.46	29674335.83	
अधिनियम के अनुसार उच्चतम सीमा		दिनांक 5 जून 2015 के कॉरपोरेट मामला अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (इ) के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 और इसके नियमों से छूट दी जाती है।						

ख. अन्य निदेशकों के पारिश्रमिक

(रुपए में)

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम	श्री कृष्णदास ई (डीआईएन: 02731340)	श्री जित्जी तॉमसण (डीआईएन: 01178227)	श्री प्रदीप्ता बानर्जी (डीआईएन: 00630615)	श्री नंद कुमारन पुत्तेवत्त (डीआईएन: 02547619)	कुल राशि
1.	स्वतंत्र निदेशक	श्रीमती रूपा शंखर रॉय (डीआईएन: 07565156)	श्री राधाकृष्ण मेनन (डीआईएन: 07518727)	150000	135000	150000	1035000
	बोर्ड/समिति बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-
	कमीशन	-	-	-	-	-	-
	अन्य, कृपया स्पष्ट करें।	-	-	-	-	-	-
कुल (1)		150000	135000	150000	180000	225000	1035000
2.	अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक	श्री सतीन्द्र पाल सिंह आईपीएस, नामिति निदेशक, भारत सरकार (डीआईएन: 07490296)	श्री ज्योतिराल के आर, आईएएस, नामिति निदेशक, केरल सरकार (डीआईएन: 01650017)	श्री संजय बंदोपाध्यायआईएएस, नामिति निदेशक, भारत सरकार (डीआईएन: 0088957)			
	बोर्ड/समिति बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-
	कमीशन	-	-	-	-	-	-
	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	-	-	-	-	-	-
कुल (2)		150000	135000	150000	180000	225000	1035000
	कुल (ख)=(1+2)						
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक (क+ख)						30709336
	अधिनियम के अनुसार समग्र उच्चतम सीमा	दिनांक 5 जून 2015 के कॉरपोरेट मामला अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 और इसके नियमों से छूट दी जाती है।					

ग. प्रबंध निदेशक/ प्रबंधक/डिप्युटीडी को छोड़कर मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(रुपए में)

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक		
		श्रीमती कला वी, कंपनी सचिव*	श्री श्याम कमल एन, कंपनी सचिव#	कुल
1.	सकल वेतन	4706845.16	1392854.10	6099699.26
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में शामिल प्रावधानों के अनुसार वेतन	4556653.16	1344228.10	5900881.26
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) अनुलाभ का मूल्य	150192.00	48626.00	198818.00
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) वेतन के बदले लाभ	-	-	-
2.	स्टॉक विकल्प	-	-	-
3.	स्विट इक्विटी	-	-	-
4.	कमीशन	-	-	-
	- लाभ के प्रतिशत के रूप में	-	-	-
	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	-	-	-
5.	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	-	-	-
	कुल	4706845.16	1392854.10	6099699.26

* दिनांक 31 जनवरी 2020 से सेवा से इस्तीफा दिया ।

दिनांक फरवरी 01, 2020 से कंपनी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया ।

(viii) **दंड/ सजा/ अपराधों का निपटान :**

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	दंड/सजा/लगाई निपटान शुल्क	प्राधिकरण (आरडी/एनसीएलटी/कोर्ट)	किए गए अपील, यदि कोई (विवरण दें)
क. कंपनी					
दंड	-	-	-	-	-
सजा	-	-	-	-	-
निपटान	-	-	-	-	-
ख. निदेशक					
दंड	-	-	-	-	-
सजा	-	-	-	-	-
निपटान	-	-	-	-	-
ग. अन्य अधिकारियों					
दंड	-	-	-	-	-
सजा	-	-	-	-	-
निपटान	-	-	-	-	-

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

मधु एस नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 07376798

कोच्ची
अगस्त 07, 2020

प्रबंधन की चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

दूरदेशी विवरण

1. कंपनी के प्रबंधन की चर्चा और वित्तीय स्थिति का विश्लेषण और प्रचालनों का परिणाम के विवरण में कंपनी के लक्ष्य, उम्मीद या भविष्यवाणियों को चित्रित करता है, जो लागू प्रतिभूति कानूनों और विनियमों की दृष्टि में दूरदेशी हो सकता है। दूरदेशी विवरण भविष्य की घटनाओं की कुछ धारणाओं और अपेक्षाओं पर आधारित है। कंपनी गारंटी नहीं दे सकती है कि ये धारणाएं और अपेक्षाएं सटीक हैं या उसे समझा जाएगा। कंपनी किसी भी आगामी विकास, सूचना या घटनाओं के आधार पर सार्वजनिक रूप से दूरदेशी विवरण में संशोधन, आशोधन या सुधार करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है। वास्तविक परिणाम विवरण में व्यक्त किए से वस्तुतः भिन्न हो सकते हैं। कंपनी के संचालन को प्रभावित करनेवाले महत्वपूर्ण कारणों में नौसेना के प्लेट फार्मों के अधिग्रहण से संबंधित सरकार की रणनीति, सरकारी नियमों में परिवर्तन, कर कानून, देश के भीतर आर्थिक विकास और वैश्विक स्तर पर ऐसे अन्य कारक शामिल हैं। वित्तीय विवरणों को लेखांकन के संचित आधार पर और कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) के प्रावधानों के अनुसार पारंपरिक लागत कन्वेंशन के अधीन तैयार किया जाता है और अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के साथ अनुपालन किया जाता है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के प्रबंधन (“सीएसएल” या “कंपनी”) ने दूरदेशी और उचित आधार पर वित्तीय विवरणों से संबंधित अनुमान और निर्णय का उपयोग किया है ताकि वित्तीय विवरण सही और निष्पक्ष तरीके से प्रतिबिंबित हो जाएं।
2. हमारी वित्तीय स्थिति और प्रचालनों के परिणाम पर निम्नलिखित चर्चा को हमारे लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरण के साथ एक साथ पढ़ा जाना चाहिए और इन विवरणों की टिप्पणियां वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया है।

पोत निर्माण उद्योग

वैश्विक पोत निर्माण उद्योग

3. वैश्विक पोत निर्माण संभावनाओं को सबसे बड़े एंजिंग फ्लीट प्रतिस्थापनों और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) द्वारा लागू नए नियामक प्रतिबंध के कारण कुछ प्रोत्साहन मिला है। वैश्विक ईंधन, सल्फर कैप, जो जनवरी 2020 में लागू हुई, जो पोतों से हानिकरण उत्सर्जन द्वारा पर्यावरणीय चिंताओं को बढ़ाने में आईएमओ की प्रतिक्रिया का हिस्सा है। इसके अलावा, वर्ष 2050 तक कुल उत्सर्जन को 50% तक कम करने की प्रतिबद्धता उद्योग के लिए नई तकनीक को अपनाने और

इस तरह अगली पीढ़ी के बड़े प्रतिस्थापनों को चलाने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करनेवाली दूरदर्शी प्रभाव-वाली एक अग्रगामी पहल है। यह मध्यम और दीर्घकालिक आधार पर शिपयार्ड और आपूर्तिकर्ताओं के लिए मामूली सकारात्मक प्रभाव होने की संभावना है।

4. राजनीतिक क्षेत्र में अनिश्चितताएं और बड़े पैमाने पर होनेवाले व्यापार युद्ध, दुनिया की वास्तविक जीडीपी में साल दर साल आधार पर तेजी रही है। इसका समुद्री व्यापार पर सीधा प्रभाव पड़ा और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नए पोत निर्माण के आदेशों की आवश्यकता सीमित हो गई।

भारतीय पोत निर्माण उद्योग

5. भारतीय पोत निर्माण उद्योग अभी भी मुख्य रूप से तटीय और अंतर्देशीय जहाजों में रक्षा आवश्यकताओं और घरेलू मांग से प्रेरित है। प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय नौसेना की परिप्रेक्ष्य योजना का लक्ष्य नौसेना के बेड़े को वर्तमान 137 से बढ़ाकर 2027 तक 200 संख्या तक कर देना है। इससे स्वदेशी जहाज निर्माण में तेजी लाने की उम्मीद है। इसके अलावा भारतीय नौसेना की स्वदेशीकरण योजना से सहायक कंपनियों के विकास को गति मिलने और आमतौर पर देश में जहाज निर्माण के माहौल में सुधार होने की भी उम्मीद है। रक्षा उत्पादन नीति के मसौदे के अनुसार भारत सरकार की दृष्टि, हाल ही में परिचालित की गई थी कि, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी के साथ “भारत को विश्व के शीर्ष पांच देशों में एयरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्रीज में शामिल करना” और आत्मनिर्भरता के उद्देश्य के साथ-साथ अन्य मैत्रीपूर्ण देशों की मांग को पूरा करना। इस खंड में, कंपनी ने 8 संख्या में एएसडब्ल्यू-एसडब्ल्यूसी जहाजों (एंटी-सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट) के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।
6. भारत में तटीय नौवहन वर्ष 2015 में भारत सरकार द्वारा घोषित सागरमाला कार्यक्रम से बाहर होने की उम्मीद के लिए एक प्रोत्साहन का इंतजार कर रहा है। कार्यक्रम के भाग के रूप में, भारत के 7,500 कि.मी. समुद्र तट, 14,500 कि.मी. के संभावित नौगम्य जलमार्ग, समुद्री क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) वर्ष 2016 में पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया था। बंदरगाह औद्योगीकरण, बंदरगाह आधुनिकीकरण, बंदरगाह विकास और कनेक्टिविटी संवर्धन से भारत में तटीय पोत परिवहन और अंतर्देशीय जलमार्ग खंड में व्यापक प्रभाव पैदा करने की उम्मीद है। अंतर्देशीय जलमार्ग खंड में, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित जल मार्ग विकास परियोजना के माध्यम से सरकार अगले दो वर्षों में अंतर्देशीय

जलमार्ग माल संचलन को वर्तमान 8 मिलियन टन से बढ़ाकर 27 मिलियन टन करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। असम सरकार को दिए गए 88 मिलियन डॉलर के प्रतिबंधों को असम के यात्री नौका क्षेत्र को आधुनिक बनाने में मदद करने के लिए एक अतिरिक्त बढ़ावा है जो ब्रह्मपुत्र सहित इसकी नदियों पर चलता है। इन योजनाओं के साथ, भारतीय वाणिज्यिक खंड अब से 3-5 वर्ष की अवधि में भी पोत निर्माण खंडों में सकारात्मक वृद्धि का अनुमान लगाता है।

7. कोचीन शिपयार्ड ने दिनांक 11 जुलाई, 2018 को अंतर्देशीय जलमार्ग खंड में उपयोग के लिए 10 रोपैक्स/ रो रो जहाजों के निर्माण के लिए आईडब्ल्यूआई के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, उनमें से 8 कोलकाता में वितरित किए गए हैं जो शीघ्र ही परिचालन शुरू करेंगे।
8. 'नील क्रांति योजना' के तहत सीएसएल द्वारा बनाए गए मत्स्य ग्रहण जहाज भी एक सफल उद्यम रहे हैं, और यह मत्स्य पालन उद्योग में एक अभियांत्रिकी मत्स्य ग्रहण पोतों की मांग सृजित की है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से गहरे समुद्र में मत्स्य ग्रहण जहाजों के साथ मत्स्य ग्रहण नौकाओं को बदलना है, जो 'नील क्रांति योजना' के तहत भारत सरकार और राज्य सरकारों से वित्त पोषण सहायता के साथ है। यह गहरे समुद्र में मत्स्य ग्रहण की स्थायी प्रथाओं जैसे गिल नैटिंग और लॉग लाईनिंग को बढ़ावा देने में मदद करता है और गहरे समुद्र में मत्स्य ग्रहण के लिए आवश्यक ढांचागत सुविधाएं भी प्रदान करता है, जो मत्स्य ग्रहण के उद्योग में भी अनिवार्य परिवर्तन होगा।

पोत मरम्मत उद्योग

वैश्विक पोत मरम्मत उद्योग

9. भविष्य के बाजार की अंतर्दृष्टि से प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, पोत मरम्मत और रखरखाव सेवा के लिए वैश्विक बाजार में 2018 में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की उम्मीद है, जो 2017 की तुलना में 6.4% की वर्ष दर वर्ष विकास दर से बढ़ते हुए 20,532.6 मिलियन डॉलर के बाजार मूल्य तक पहुंच गई है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 2028 तक पोत मरम्मत और रखरखाव सेवाओं का बाजार 40 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के बाजारों में विकास द्वारा समर्थित है। पोत मरम्मत पर मेसर्स ए टी केर्नी के रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि वैश्विक जहाज मरम्मत में भारत की हिस्सेदारी 1% से कम है, लेकिन देश का स्थान समुद्र तट के 300 एन एम के भीतर गुजरने वाले वैश्विक व्यापार में 7-9% के अनुकूल है।
10. नए पर्यावरण नियमों, जैसे कि बैलस्ट वॉटर मैनेजमेंट कन्वेंशन और 2020 सल्फर कैप, के रूप में अच्छे तरह से पोत मरम्मत बाजार को प्रभावित करने की उम्मीद है।

भारतीय पोत मरम्मत उद्योग

11. एटी केर्नी की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में घरेलू बेड़े की मरम्मत से बाजार की क्षमता 2,600 करोड़ रूपए है, जिसमें से केवल 15% हिस्सा वर्तमान में अधिकृत कर लिया गया है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि भारत अगले 10 वर्षों में बुनियादी ढांचे और प्रक्रिया सुधार के जरिए अपने पोत मरम्मत उद्योग को 9000 करोड़ रूपए तक बढ़ा सकता है। रिपोर्ट में उद्योग के विकास के लिए मार्ग रोक के सूर में प्रक्रिया दक्षता का निम्न स्तर, 10000 डीडब्ल्यूटी से ऊपर के सेवा वाहिकाओं के लिए बुनियादी ढांचे की कमी और कमजोर सहायक परिदृश्य पर प्रकाश जाला गया है। रिपोर्ट का एक प्रमुख सुझाव राजस्व अवसर को बढ़ाने के लिए प्रमुख बंदरगाहों पर मरम्मत की सुविधाओं को विशेषज्ञ को पेटे पर देना था।

पोत निर्माण और पोत मरम्मत पर सरकार की नीति

12. समुद्री क्षेत्र में भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण नीतिगत पहल सागरमाला कार्यक्रम है, जिसके तहत बंदरगाह का निर्माण सीईजेड के भीतर तटीय आर्थिक क्षेत्र और तटीय आर्थिक इकाइयों की स्थापना के माध्यम से औद्योगीकरण का नेतृत्व किया।
13. पोत निर्माण खंड में पिछले कुछ वर्षों में वित्तीय सहायता योजना, बुनियादी ढांचा की स्थिति 100% एफडीआई की अनुमति, सरकारी खरीद आदि के मामले में भारतीय यार्ड को पहले इनकार करने का अधिकार सहित कई उपायों की मेजबानी की गई है। ये प्रोत्साहन अभी भी जारी है।
14. पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी समुद्री कार्यसूची 2010-2020 के अनुसार, पोत मरम्मत उद्योग के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं :
 - क. देश की पोत मरम्मत आवश्यकताओं में आत्मनिर्भर होना और एक प्रमुख पोत मरम्मत केंद्र के रूप में उभरना।
 - ख. वर्ष 2020 तक वैश्विक पोत मरम्मत उद्योग में 10% की हिस्सेदारी हासिल करना।
15. सागरमाला परियोजना के तहत प्रमुख पहलों में से एक था, अधिक राजस्व उत्पन्न करने और एक सकारात्मक पोत मरम्मत औद्योगिक वातावरण का निर्माण करने हेतु विशेषज्ञों को प्रमुख बंदरगाहों पर उपलब्ध पोत मरम्मत सुविधाओं को पेटे पर देना। इसके आधार पर मंत्रालय ने यह फैसला किया कि उसी मंत्रालय के तहत आने वाली सरकारी इकाई सीएसएल को विभिन्न बंदरगाह सुविधाओं पर पोत मरम्मत कार्यों के लिए पहला अवसर दिया जा सकता है। सीएसएल ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के नेताजी सुभाष डॉक में पोत मरम्मत कार्य भी शुरू किया है, जो पेटे के आधार पर लिया गया था। इसके बाद,

सीएसएल ने पोर्ट ब्लेयर में समुद्री डॉकयार्ड सुविधा में पोत की मरम्मत का भी संभाला जो वर्तमान में अंडमान एवं प्रशासन द्वारा संचालित किया जा रहा है। तदुसार, सीएसएल ने दिनांक 20 अक्टूबर 2018 को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के साथ एक समझौता किया और दिनांक 18 जनवरी 2019 को इंदिरा डॉक के संचालन और प्रबंधन को शुरू किया। इन पहलों से देश में मौजूदा पोत मरम्मत सुविधाओं के बेहतर उपयोग में मदद मिलेगी और कंपनी के राजस्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है।

16. कोचीन पोर्ट परिसर में अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) की स्थापना के माध्यम से कोचीन बंदरगाह परिसर में पोत मरम्मत सुविधाओं की स्थापना में सीएसएल की पहल का वर्ष के दौरान प्रगति हुई। कोचीन पोर्ट ट्रस्ट परिसर में आईएसआरएफ का निर्माण 17 नवंबर 2017 को शुरू हुआ। श्री नितिन गडकरी, माननीय केंद्रीय मंत्री पोत परिवहन, सड़क परिवहन, राजमार्ग, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्जीवन ने आईएसआरएफ के लिए भूभंजक समारोह निष्पादित किया। अन्य समुद्री सुविधाओं के साथ छोटे और मध्यम आकार के जहाजों की मरम्मत के लिए उपरोक्त सुविधा की स्थापना से सहायक उद्योगों का विकास होगा और कोच्ची के भारत के समुद्री केंद्र के रूप में उभरने में सुविधा होगी।
17. उपरोक्त सभी पहल से कंपनी को जहाज मरम्मत खंड में एक अखिल भारतीय उपस्थिति मिलेगी।

प्रचालन

18. हमारी कंपनी का प्रदर्शन सभी खंडों में आशाजनक रहा है। कंपनी का कुल कारोबार पिछले वर्ष के ₹ 2,965.60 करोड़ रुपए के सामने

वित्तीय सूचना

19. पिछले दशक से संबंधित कंपनी के वित्तीय सूचना निम्नानुसार है:-

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्ष	प्रदत्त पूंजी	शेयरों की अंकित मूल्य (₹.प्रति शेयर)	उपयोगिता पूंजी	निवल मूल्य	करपूर्व लाभ	प्रदत्त लाभों पर कर	निवल लाभ	ईपीएस (₹)	लाभांश	खर्च अनुपात
19-20	131.54	10	3784.81	3731.80	863.43	225.74	637.69	48.48	218.75	0.34
18-19	131.54	10	3017.66	3332.08	751.38	270.20	481.18	35.72	171.00	0.35
17-18	135.94	10	3212.22	3255.87	604.86	208.11	396.75	31.03	163.12	0.41
16-17	113.28	10	2089.05	2028.58	493.40	171.85	321.55	28.39	101.61	0.32
15-16	113.28	10	1695.35	1814.33	419.65	145.86	273.79	24.07	86.65	0.32
14-15	113.28	10	1621.24	1561.07	367.56	132.49	235.07	20.75	16.99	0.07
13-14	113.28	10	1389.98	1352.53	290.96	96.71	194.24	17.15	16.99	0.08
12-13	113.28	10	970.84	1175.70	275.55	90.28	185.27	16.35	16.99	0.09
11-12	152.42	10	918.68	1050.83	252.97	80.63	172.33	15.21	16.99	0.10
10-11	192.42	10	829.27	967.80	344.23	116.70	227.53	20.09	11.32	0.05

₹ 3,422.49 करोड़ रुपए है। वर्ष के दौरान पोत निर्माण आय पिछले वर्ष के ₹ 2,132.02 करोड़ रुपए के सामने ₹ 2,852.27 करोड़ रुपए है। वर्ष के दौरान, सीएसएल ने 8 मत्स्य ग्रहण जहाज और 5 जहाज सुपुर्द करने के लिए तैयार है। रामेश्वरम में मछुआरों को दिए जानेवाले पोतों की बहुत सराहना की गई और यार्ड वर्तमान में अपने मत्स्य ग्रहण खंड को बढ़ाने और भारत में आम मछुआरों के लिए सस्ती नई पीढी के मत्स्य ग्रहण जहाजों को विकसित करने में ध्यान केन्द्रित कर रहा है। यार्ड भी इस क्षेत्र में उद्योग की बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए मत्स्य ग्रहण के जहाजों के निर्माण की तलाश करता है। सीएसएल ने आईडब्ल्यूआई के लिए 8 रो-रो जहाज भी सुपुर्द किया है। रो-पैक्स जहाजों (2 सं.) को सुपुर्दगी के लिए तैयार किया जा रहा है। इन जहाजों, जिन्हें आंतरिक डिजाइन के साथ भी विकसित किया गया है, इस खंड को जबरदस्त प्रोत्साहन देने की संभावना है जो बदले में सीएसएल के लिए अंतर्देशीय जल परिवहन खंड में अधिक व्यवसाय खोजने का अवसर होगा, जो पहले से ही कई बुनियादी ढांचे के निवेश के साथ सरकार का एक मुख्य क्षेत्र है। डीआरडीओ के लिए अंडमान एवं निकोबार प्रशासन और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन पोत के लिए 500 यात्री एवं 150 टन कार्गो जहाजों का निर्माण पूरा होने के अंतिम चरण में है। भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी वायुयान वाहक निर्माण में अंतिम चरण भी प्रगति कर रहा है और जल्द ही इसका परीक्षण शुरू होगा। रिवर सी मिनी बल्क कैरियर (4) अनुसूची के अनुसार बनाया जा रहा है। तटीय नौवहन में यह खंड महत्वपूर्ण विकास के लिए भी कामर कस रहा है, कई बड़े पोतकर्ताओं से अधिक ध्यान आकर्षित कर रहा है और कंपनी के लिए और अधिक प्रस्ताव पाने की संभावना है।

मुख्य वित्तीय अनुपात

क्र.सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2018-19 की तुलना में परिवर्तन (% में)	25% या अधिक के परिवर्तन हेतु विस्तृत विवरण
1.	ऋणी कारोबार	10.06	6.09	65.10	वित्त वर्ष 2019-20 में देनदारों में कमी का मुख्य कारण आईएनएस विक्रमादित्य के लिए भारतीय नौसेना से 1.28 करोड़ रुपए का संग्रह है ।
2.	स्टॉक कारोबार	11.47	9.91	15.76	लागू नहीं
3.	ब्याज कवरेज	86.36	53.54	61.29	सुधार मुख्य रूप से लाभ में वृद्धि और पट्टे पर नए लेखा मानक के रूप में है ।
4.	वर्तमान अनुपात	2.05	2.31	-10.97	लागू नहीं ।
5.	ऋण इक्विटी अनुपात	0.03	0.04	-10.71	लागू नहीं ।
6.	परिचालन लाभ सीमांत (%)	18.00	17.67	1.88	लागू नहीं ।
7.	शुद्ध लाभ सीमांत(%)	18.63	16.24	14.70	लागू नहीं ।

निवल संपत्ति पर विवरणी

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2018-19 की तुलना में परिवर्तन (% में)	परिवर्तन हेतु विस्तृत विवरण
निवल संपत्ति पर विवरणी	17.09%	14.44%	18.33	अधिशेष में वृद्धि के कारण परिवर्तन जारी है ।

प्रस्तावित / घोषित लाभांश

(₹ लाख में)

20. निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन द्वारा जारी दिनांक 27 मई, 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ सं. 5/2/2016-पॉलिसी के अनुसार, हर सीपीएसई को कर के बाद लाभ के 30 या निवल मूल्य के 5 के न्यूनतम वार्षिक लाभांश, जो भी उच्च हो, भुगतान करना है । तदनुसार, आपके निदेशकों को प्रत्येक 10 रुपए के 13,15,40,390 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों पर 15 रुपए प्रति शेयर के लाभांश के लिए सिफारिश करने में खुशी है । इससे पहले, वर्ष 2019-20 के दौरान शेयरधारकों को 1.63 रुपए प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया गया है । इस तरह, वर्ष 2019-20 के लिए कुल लाभांश 16.63 रुपए प्रति इक्विटी शेयर (166.30%) है जो 218.75 करोड़ रुपए की राशि है ।

खंडवार अथवा उत्पादवार लाभांश

21. कंपनी मुख्य गतिविधियों यानी पोत निर्माण और पोतों/ अपतट रिगों की मरम्मत लगी हुई है । उपर्युक्त के आधार पर खंडवार विश्लेषण किया गया है और तर्कसंगत आधार पर राशियां आर्बिट्रि की गई है । सेंगमेंटवार निष्पादन का विवरण नीचे दिया जाता है :

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
सेंगमेंट परिसंपत्तियां		
पोत निर्माण	292812.55	246394.20
पोत मरम्मत	243285.53	195899.31
अन्य	104364.17	82062.66
कुल	640462.25	524356.17
सेंगमेंट देयता		
पोत निर्माण	67144.21	39406.47
पोत मरम्मत	12715.35	25944.31
अन्य	187423.19	125797.58
कुल	267282.75	191148.36
सेंगमेंट राजस्व		
पोत निर्माण	285226.50	213202.07
पोत मरम्मत	57022.89	83358.26
अनार्बिट्रि	24750.03	22728.42
कुल	366999.42	319288.75
सेंगमेंट परिणाम		
पोत निर्माण	66459.10	44494.96
पोत मरम्मत	14741.55	23789.32
अनार्बिट्रि	5141.93	6853.24
कुल	86342.58	75137.52

कंपनी दो प्रमुख व्यवसाय खंड है- पोत निर्माण और पोत मरम्मत। पोत निर्माण के तहत राजस्व में दो ग्राहकों (पिछले वर्ष एक ग्राहक) से ₹ 2,37,746.87 लाख (पिछले वर्ष ₹ 2,06,934.28 लाख) जो कुल राजस्व का 10% से अधिक शामिल है और पोत मरम्मत के लिए राजस्व में ₹ 49,582.22 लाख (पिछले वर्ष ₹ 61,572 लाख) एक ग्राहक (पिछले वर्ष एक ग्राहक) से कुल राजस्व का 10% से अधिक राजस्व शामिल है।

शक्तियां, अपर्याप्तता, मौकाएं और धमकियां

शक्तियां:

1. संगठन अधिकांश के सभी स्तरों में औसत 15 साल के अनुभव सहित अति प्रशिक्षित, उत्प्रेरित और सुविज्ञ श्रमिक से अत्यधिक अत्यंत उच्च गुणवत्ता के कर्म कौशल प्राप्त होता है।
2. एक सुनियोजित और अभिन्यासित शिपयार्ड सुचारु कार्य प्रगति को सक्षम बनाता है।
3. उच्च प्रशिक्षित, अनुभवी और सक्षम नौ वास्तुविद्/ इंजीनियरों, ड्राफ्ट्समैन आदि से चलाने वाला एक अत्याधुनिक डिजाइन केंद्र।
4. अत्यधिक विकसित पोत निर्माण प्रक्रियाओं और कार्य प्रणालियों पोतों के मॉड्यूलर निर्माण के लिए मंजूरी दे देता है।
5. रक्षा पोतों, वाणिज्यिक पोतों और अपतटीय समर्थन पोतों शामिल एक बहुत अच्छा उत्पाद मिश्रण अनुकूलता।
6. उत्कृष्ट उप ठेकेदारों और अच्छी पूर्ति श्रृंखला जाल की उपलब्धता।
7. अत्याधुनिक प्रौद्योगिक सुविधाएं, विशेष रूप से क्रेनेज, वाहक आवृत मोबाइल शॉप, आवृत मराइन कोटिंग सुविधा, श्रेष्ठ वेल्डिंग उपस्कर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हल फैब्रिकेशन सुविधाएं, बहुत अधिक सामग्री भंडारण सुविधाएं, आदि के संबंध में।

अपर्याप्तता

- क. असल में गैर अस्तित्ववान देशी आनुषंगिक उद्योग और इस कारण से भारत में मुख्य उपस्करों/कच्ची सामग्रियों की अनुपलब्धता।
- ख. क्रमशः 1,10,000 डीडब्ल्यूटी और 1,25,000 डीडब्ल्यूटी के परे पोतों के निर्माण और मरम्मत के लिए बड़े आकार की गोदी की अनुपलब्धता के कारण बुनियादी संरचना की कमी यह प्रस्तावित नई सूखी गोदी से काबू पाएगा।
- ग. पोत मालिकों के लिए दीर्घकालीन प्रस्तावित वित्त की व्यवस्था करना मुश्किल है, जो अन्य विदेशी पोत निर्माण देशों द्वारा किया जाता है।
- घ. विशेष रूप से ठेका श्रम के लिए तुलनात्मक रूप से उच्च सामाजिक और कर्मचारी उपरिव्यय और कुछ प्रतिबंधात्मक श्रम प्रथाएं।

मौकाएं:

- क. भारत सरकार की नई नीति "मेक इन इंडिया" को प्रोत्साहित करने के कारण देशी वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए श्रोतों की आवश्यकता में प्रस्तावित वृद्धि।
- ख. दूसरे वायुयान वाहक के लिए भारतीय नौसेना की आवश्यकता हेतु रक्षा क्षेत्र में प्रस्तावित मांग।
- ग. भारतीय नौसेना, तटरक्षक और अन्य समुद्री सुरक्षा अभिकरणों ने महत्वाकांक्षी विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया है जो नए अवसर खोलेगा।
- घ. दोनों गहरे समुद्र और तटीय/ एलएनजी ईंधनवाले यान।
- ङ. भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय नौवहन में उभरते अवसर।
- च. घरेलू और विदेशी बाजार के लिए फिशिंग वेसल।
- छ. तटीय सुरक्षा के लिए एफआरपी बोटों के लिए अवसरों की प्राप्ति।
- ज. बड़ी मांग - वाणिज्यिक और रक्षा पोतों की मरम्मत के लिए आपूर्ति अंतर और वास्तव में, भारत में कोई प्रतियोगिता नहीं है।

धमकियां

- क) कोविड-19 महामारी जैसे संक्रामक रोगों का प्रसार।
- ख) प्राकृतिक आपदाएं।
- ग) प्रतियोगियों की संकट मूल्य निर्धारण नीतियां।
- घ) भारतीय यादों द्वारा कम निष्पादन के कारण भारतीय पोत निर्माण उद्योग पर प्रतिकूल ख्याति प्रभाव।
- ङ) श्रम की बढ़ती लागत।
- च) गैर लचीला सरकारी विनियम या प्राणन नीतिसयों से समय पर उत्पाद सुपुर्दगी और लागत में देरी आती है।

कूज - 2030

22. सीएसएल के दीर्घकालिक जीविका की कुंजी, कंपनी को ज्ञान आधारित संगठन के रूप में स्थापित करने के लिए, नवाचार और वाणिज्यिक आक्रामकता के साथ संयुक्त तकनीकी विकास को सक्षम करने में होगी। यह भविष्य के एक संगठन के रूप में पुनर्जीवन के लिए अपठन, पुनर्पठन, पैबंद लगाना और पुनर्निर्माण प्रक्रिया के लिए मांग करेगा। तदनुसार, 2030 तक दृश्यता के साथ एक दीर्घकालिक रणनीति सडक नक्शा तैयार करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए यार्ड ने क्रूस 2030 (एकीकृत रणनीतिक उत्कृष्टता के माध्यम से सीएसएल राजस्व वितालपन) को अपनाया है। प्रमुख वैश्विक सलाहकार मेसर्स बीसीजी ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिपयार्ड के सम्मुख कीर्तिमान सीएसएल की मदद

करने हेतु, उत्पादकता दक्षता सुधार क्षेत्रों की पहचान करने, विभिन्न विकास के अवसरों का पता लगाने और मूल्यांकन करने और 2030 हेतु सीएसएल के लिए एक रणनीतिक विकास योजना बनाने के लिए तैयार हुए हैं। रणनीति और योजना के आधार पर, सीएसएल 2030 के लिए निर्धारित अपने लक्ष्य की ओर पर्यटन करने के लिए तैयार है। सीएसएल के लिए प्रमुख ध्यान केन्द्रित करने का क्षेत्र रक्षा खंड, तटीय खंड और अन्य छोटे पोत खंड होंगे। कंपनी नई तकनीकी उभरते क्षेत्रों जैसे कि स्वायत्त जहाजों, हाइब्रिड/बैटरी संचालित पोतों, वैकल्पिक ईंधन के साथ-साथ विभिन्न समुद्री उन्नत समाधानों में उद्यम करने की क्षमता को हासिल करने की दिशा में भी काम कर रही है। स्वचालन और विस्तार के माध्यम से बुनियादी ढांचे में वृद्धि सीएसएल के लिए निर्धारित नई रणनीति के अनुसार कार्ड पर भी है।

जोखिम और चिंताएं

23. कंपनी के लिए जोखिम पोत निर्माण उद्योग की अंतर्निहित प्रकृति से उत्पन्न होता है। कंपनी का लगभग 20 से 30% राजस्व वाणिज्यिक पोत निर्माण से है जो प्रकृति में अत्यधिक चक्रीय है। वाणिज्यिक पोत निर्माण उद्योग की संभावनाएं विश्व व्यापार और तेल, प्राकृतिक गैस, शिपिंग, परिवहन और अन्य व्यापार से संबंधित उद्योगों की चक्रीयता पर निर्भर है। अपतटीय उद्योग कम दबाव के क्षेत्र में अपना स्थान जारी रखा है। पिछली तिमाही में महामारी की स्थिति ने दुनिया-भर में चिंताएं पैदा की हैं और पोत निर्माण और मरम्मत उद्योगों में महत्वपूर्ण प्रभाव के साथ अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विवर्तनिक बदलाव की दिशा में संभावित संकेत के लिए स्थिति पर ध्यान केन्द्रित है।
24. कंपनी की गतिविधियों के प्रमुख हिस्से में बड़ी इस्पात संरचनाओं का निर्माण और नवीनीकरण शामिल हैं और इसके निर्माण में क्रेन और अन्य भारी मशीनरी और अन्य ऑपरेटिंग खतरों का संचालन होगा। कंपनी के सामने आनेवाले परिचालनगत जोखिमों के कारण आग और विस्फोट आदि भी हो सकते हैं। हालांकि इस तरह की घटनाओं के कारण होनेवाले नुकसान को एक मानक आग और विशेष खतरों नीति के तहत शामिल किया जाता है, लेकिन सीएसएल के पास व्यापार रुकावट के लिए बीमा नहीं है। ये जोखिम कंपनी को व्यक्तिगत चोट, गलत तरीके से मौत, उत्पाद, दायित्व, संपत्ति की क्षति, प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय नुकसानों के लिए पर्याप्त देयता को उजागर करवा सकते हैं।
25. कंपनी के लिए एक और उच्च जोखिम वाला क्षेत्र प्रमुख कच्चे माल की उपलब्धता और कीमत है। प्रमुख कच्चे माल में स्टील (ग्रेड और गुणवत्ता, प्रत्येक परियोजना में, लागी वर्गीकरण नियमों पर निर्भर करता है) और अन्य सामग्री, उपकरण और अन्य घटक जैसे पंप, प्रोपलर और इंजन शामिल है। वित्तीय वर्ष क्रमशः 2018, 2019 और 2020

में कंपनी की समाग्री की खपत की लागत कुल लागत का क्रमशः 60.10%, 61.61% और 63.99% थी। विशेष रूप से खरीदे गए घटकों को इन हाल ही के वित्तीय वर्षों में हमारे कुल कच्चे माल की लागत का लगभग 95% हिस्सा है।

26. कच्चे माल की आपूर्ति में कमी के कारण इन कच्चे माल की कीमत में वृद्धि हो सकती है। उदाहरण के लिए, भारत में स्टील के संबंध में आपूर्ति-पक्ष की बाधाएं हैं जिन्हें हम भविष्य में जारी रखने की उम्मीद करते हैं। भारतीय स्टील उद्योग विश्वस्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ रहा है इसलिए कि भारत सरकार ने देशी स्टील उद्योग की रक्षा के लिए चीन जैसे अन्य राज्यों से स्टील के आयात पर महत्वपूर्ण शुल्क लगाया है। इससे प्रापण की लागत में वृद्धि करके सीएसएल पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक कच्चे सामग्रियों जैसे कि स्टील, अलुमीनियम, कॉपर आदि के लागत, वैश्विक आपूर्ति और मांग में किसी भी बदलाव के साथ-साथ उतार-चढ़ाव आ सकती है और इस प्रकार सामग्री की लागत को प्रभावित कर रहा है।
27. यदि कंपनी की कच्ची सामग्रियों की कीमत में वृद्धि हुई है, तो, कंपनी अपने मौजूदा ठेके में अपने ग्राहकों को इन मूल्यों में वृद्धि नहीं कर पाएगी और अपने व्यापार, वित्तीय स्थिति और प्रचालनों का परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।
28. मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन हमारे परिचालन के परिणामों को प्रभावित कर सकता है। वैश्विक रूप से, दुनिया भर में सभी पोत विक्री लेनदेन और अपतटीय संरचनाओं की खरीद का एक बड़ा हिस्सा आम तौर पर यूएसडी में आयोजित किया जाता है। वर्तमान में कोई निर्यात आदेश बकाया नहीं है, और इसलिए निर्यात प्राप्ति पर कोई प्रतिरक्षा ऋण जोखिम नहीं है। हालांकि, पोत निर्माण/पोत मरम्मत अनुबंध के संदर्भ में आयात घटकों के मामले में रूप में मूल्यवर्ग में गिरावट दर्ज की गई है, सीएसएल विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के जोखिम से अवगत कराया जाता है जब तक कि पोत के मालिक के साथ अनुबंध विनिमय भिन्नता प्रतिपूर्ति खंड के लिए प्रदान नहीं करता है। वर्तमान में पोत निर्माण के कुछ अनुबंधों में ऐसा प्रावधान नहीं है। इसलिए, मुद्रा दरों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव हमारे संचालन के परिणामों को प्रभावित और प्रवृत्त करेगा।
29. कोविड-19 की तरह महामारी और परिणाम लॉकडाउन भी कंपनी के संचालन पर विभिन्न जोखिमों को थोपा गया है। विभिन्न कारकों, जिसमें शामिल हैं, प्रतिबंधित कार्य-व्यवस्था, यात्रा अवरोध, आउटसोर्स श्रमशक्ति में कमी (जो कुछ हद तक प्रवासी श्रम उपलब्धता के कारण कम है), सेवा इंजीनियरों और ओईएम प्रतिनिधियों की गैर-उपलब्धता जो विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय और अंतर राज्य यात्रा प्रतिबंधों के कारण विदेशी उपकरणों से संबंधित है, आदि के कारण उत्पादन का पैमाना

कम हो जाएगा। उपरोक्त वर्णित कारकों और सामग्री उपलब्धता और लॉजिस्टिक में मुद्दों एवं मूल (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय) राज्यों की बंद स्थिति से संबंधित मुद्दे तथा ग्राहकों से नकदी प्रवाह से संबंधित मुद्दे के कारण परियोजनाएं विलंबित गति से भी चल सकती हैं।

30. इसके अलावा, ग्राहकों द्वारा भविष्य की परियोजनाओं को वापस लेने की, चल रहे पूछताछों को रद्द करने की संभावनाएं हैं और चल निधि मामले का हवाला देते हुए संभावित परियोजनाओं को रोकना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त, सड़क, नौवहन मार्गों और हवाई मार्गों के माध्यम से बिगड़ा हुआ माल संचालन (श्रमशक्ति की कमी, पतनों में परिचालन बाधाएं, परिचालन में कटौती करनेवाली एयरलाइंस के कारण) आयात एवं निर्यात लागत में वृद्धि जोड़ देगा, जो आगे कंपनी को दबाव में डाल देगा। पुनरुद्धार के उचित स्तर के होने के बाद ही संचयी प्रभाव का मूल्यांकन संभव होगा।

उत्पाद विविधता

31. भारत सरकार के साथ नीली क्रांति और तटीय भारत के साथ-साथ सतस्य ग्रहण के समुदाय के उत्थान केलिए हालिया आवेग पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, सीएसएल भारत में मत्स्य ग्रहण के पोत खंड की गुणवत्ता के साथ-साथ मांग में वृद्धि को देखता है। 16 से 11 मत्स्य ग्रहण नौकाओं के निर्माण के साथ और उद्योग द्वारा अनुमानित कई हजारों की मात्रा में संस्करणों के साथ, सीएसएल को लगता है कि यह अंततः अपने आप से एक अलग शीर्ष हो सकता है, अगर सब कुछ सरकार द्वारा नियोजित हो जाता है। इस खंड में तेजी लाने केलिए, कंपनी एनसीएलटी प्रक्रिया के माध्यम से टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड केलिए सफलतापूर्वक बोली लगाई और मार्च 2020 में आदेश प्राप्त किया।
32. अंतर्देशीय परिवहन खंड पर अच्छा अवसर है। इस संबंध में कंपनी पहले से ही अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि अंतर्देशीय जलमार्ग केलिए 10 पोतों का निर्माण किया जा सके और इस खंड से अधिक परियोजनाओं की उम्मीद है। एचसीएसएल का परिचालन इस खंड में ग्राहकों की मांगों को पूरा करने केलिए कंपनी को बेहतर स्थिति में लाएगा, जो प्रारंभिक चरण में मुख्य रूप से एनडब्ल्यू 1 और एनडब्ल्यू 2 में बढ़ने जा रहा है। इसी तरह, शहरी जल परिवहन खंड नई परियोजना पहल देख रहा है और कंपनी ने सफलतापूर्वक 23 निर्मित बैटरीचालित नौकाओं का अनुबंध जीता है जो कंपनी को इस तरह की भावी पीढ़ी के पोतों का निर्माण केलिए एक विशिष्ट समूह में रखेगी और इस प्रकार बाजार को आगे बढ़ाएगी। कंपनी मेथनॉल ईंधन पर चलने केलिए जहाजों के रूपांतरण की संभावना की जांच कर रही है, जिसके लिए प्रस्तुत एक प्रस्ताव मंत्रालय/ आईडब्ल्यूआई के विचार में है।

आंतरिक नियंत्रण

33. कंपनी को एक आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखा मैनुवल प्रख्यापित किया है और एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है। आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य सनदी लेखाकारों के एक स्वतंत्र कंपनी द्वारा किया जाता है और वे स्वतंत्र निदेशक के अध्यक्षता में बोर्ड स्तर के लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित लेखा परीक्षा कार्यक्रम पर आधारित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आंतरिक नियंत्रण व्यवस्थाओं की गहराई से समीक्षा करते हैं। एक अलग प्रयास के रूप में मै. कृष्णमूर्ति व कृष्णमूर्ति, सनदी लेखाकार, (फर्म पंजीकरण संख्या 001488एस,) द्वारा आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं की समीक्षा की गई।

मानव संसाधन विकास और औद्योगिक संबंध

34. मानव संसाधन विकास और औद्योगिक संबंध से संबंधित प्रवचन को अधिक विशेष रूप से निदेशकों की रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

स्त्री सशक्तिकरण

35. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने कार्य स्थान पर महिलाओं के यौन उत्पीडन (प्रावधान, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 नामक नए कानून द्वारा निर्धारित दिशा निदेशों और मानकों के अनुसार एक आंतरिक शिकायत समिति गठित की है। आंतरिक शिकायत समिति की अध्यक्षता कंपनी की एक वरिष्ठ महिला कार्यपालक है। श्रमिकों केलिए लागू प्रमाणित स्थायी आदेश में यौन उत्पीडन एक दुराचार अधिनियम के रूप में शामिल है। आंतरिक शिकायत समिति को प्रमाणित स्थायी आदेश और औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियमों और नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऐसी शिकायतों की जांच करने का अधिकार है।
36. सीएसएल के विप्स सेल ने महिला कर्मचारियों के लाभ केलिए निम्नलिखित कार्यक्रम किए :
- सीएसएल ने 26 जुलाई, 2019 को होटल मानसून एमप्रस में विप्स दक्षिणी क्षेत्रीय बैठक की मेजबानी की। अन्य दक्षिणी क्षेत्र सीपीएसयू जैसे बीएचईएल, एनएलसी, एनपीसीआईएल, एचएएल, ओएनजीसी आदि के प्रतिनिधियों और सीएसएल की 50 से अधिक महिलाओं ने पूरे दिन की बैठक में भाग लिया। प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक, सुश्री जेसिका मोंड्रोइना ने 'पॉवर ऑफ ब्यूटी, ब्रेन एंड ब्रॉन' विषय से संबंधित महिला सशक्तिकरण पर एक सत्र दिया। इसके बाद सुश्री दीपा सेठी, प्रोफेसर, आईआईएम, कोषिककोड द्वारा एक ओर सत्र 'मेकिंग प्रिसेंस फेल्ट- द ह्यूमन साइड ऑफ द बीयिंग इंडिस्पिन्सबिल वर्क' पर लिया गया।

- निर्भया परियोजना के भाग के रूप में केरल पुलिस की सहायता से 09, 10, 13 और 14 जनवरी 2020 को 4 बैचों में सभी महिला कर्मचारियों, प्रशिक्षार्थियों और अनुबंध कामगारों के लिए एक आत्मरक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया था ।
- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दिनांक 09 मार्च 2020 को सीएसएल में पूरे दिन के कार्यक्रम के रूप में द मर्सी लज्जरी बिजनेस होटल, रविपुरम में मनाया गया । श्रीमती एम बीना आईएस, अध्यक्ष, कोचीन पोर्ट ट्रस्ट समारोह की मुख्य अतिथि थी । 'भविष्य निधि, कर और पेंशन' आदि वित्तीय पहलुओं एक इन-हाउस जागरूकता सत्र, डॉ सिंधु पी नायर, सहायक क्षेत्रीय निदेशक, इग्नो, कोच्ची द्वारा 'उच्च शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता' पर परस्पर संवादात्मक शिक्षाप्रद सत्र और सुश्री जेस्सिका मुंड्रोइना, अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक ने 'अवसर से नहीं, बल्कि तरजीह से - खुशी और सफलता आपका तकदीर हो सकता है' पर एक सत्र इस दिवस के मुख्य आकर्षण थे । फिटनेस प्रशिक्षण श्रीमती रितु पॉल द्वारा एक व्यावहारिक और ऊर्जावान शारीरिक फिटनेस सत्र के साथ दिन का समापन हुआ ।

37. कंपनी ने संयुक्त परिषद, शॉप परिषद, केन्द्रीय सुरक्षा परिषद, शॉप सुरक्षा परिषद, कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट, कर्मचारी कोचीन शिपयार्ड रीक्रियेशन क्लब, कर्मचारी कोचीन शिपयार्ड ग्राहक समिति आदि जैसे कर्मचारी और प्रबंधन के संयुक्त फॉरम के भाग के रूप में महिला कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित की है ।

प्रौद्योगिकी संरक्षण

38. वैश्विक पोत निर्माण बाजार में प्रतियोगितात्मक बने रहने के लिए प्रौद्योगिकी के अवसंरक्षण और उन्नयन हेतु सीएसएल निरंतर प्रयास करता है। इसके लिए, यार्ड ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- कोच्ची जल मेट्रो के लिए 100 पैक्स इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कैटामरान इन-हाउस डिजाइन का विकास । पोत में डीजल जनरेटर और नवीनतम लिथियम-टाइटेनियम बैटरी से युक्त हाइब्रिड प्रोपल्शन प्रणाली है । एक बार पूरी तरह से चालू हो जाने के बाद, ये नावें दुनिया में सबसे अधिक पर्यावरण के अनुकूल जल परिवहन नेटवर्क में से एक होंगी ।
- एमएआरआईएन, नेथरलैंड्स के सहयोग में कोच्ची जल मेट्रो परियोजना के लिए हलफॉर्म का विकास । न्यूनतम प्रणोदन शक्ति और निम्नतम वेक वॉश प्राप्त करने के लिए डिजाइन को अनुकूलित किया गया है ।
- सीमा सुरक्षा बल के लिए फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट के बुनियादी डिजाइन का विकास ।

- केरल मत्स्य विभाग के लिए एम्बुलेंस नौकाओं के मूल डिजाइन का विकास ।
- भारतीय नौसेना के लिए भविष्य के लिए मिसाइल वेसल्स की अवधारणा डिजाइन का विकास ।
- भारतीय नौसेना के लिए सर्वेक्षण प्रशिक्षण वेसल (एसटीवी) की अवधारणा डिजाइन का विकास ।
- भारतीय नौसेना के लिए अर्ध-सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म (एसएसपी) की अवधारणा डिजाइन का विकास ।
- भारतीय नौसेना के लिए बहुउद्देशीय पोत (एमपीवी) की अवधारणा डिजाइन का विकास ।
- डल झील के लिए वीड-हार्वैस्टर पटून के लिए अवधारणा डिजाइन का विकास ।
- डिजाइन विभाग में श्रमघंटा उपयोग कैप्चर के लिए इन-हाउस वेब आधारित एप्लिकेशन, क्रोनोज का विकास ।
- फाइल लाइफ साइकिल प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वयन जो फाइलों की बेहतर पारदर्शिता और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पेपरलेस कार्यालय की सुविधा प्रदान करता है ।
- एसएपी पोर्टल का उपयोग करके आईएसी में 2600 आवास डिब्बों में कार्य की प्रगति की निगरानी के लिए हैबिटबिलिटी ऐप्लिकेशन का विकास ।
- पोत मरम्मत में इस्पात नवीकरण परियोजनाओं की ट्रैकिंग रखने के लिए 'रूडर' नामक एक मोबाइल ऐप्लिकेशन का विकास ।
- सीएसएल के अंदर अपने ठेकेदारों द्वारा बाहरी उप-ठेका श्रमिकों की पहुंच को नियंत्रित करने के लिए एक वेब/मोबाइल ऐप्लिकेशन का कार्यान्वयन ।

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और धारणीयता

39. अधिक जानकारी के लिए, निदेशकों की रिपोर्ट में अनुलग्नक 4 में प्रस्तुत सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट का संदर्भ लें ।

सार्वजनिक प्राप्ति 2012 के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

40. कंपनी एमएसएमई से खरीद/लाभकारी सेवाओं को बढ़ाने के लिए सभी प्रयास कर रही है। कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2020 तक वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कुल देशी खरीद में से एमएसएमई से 25% सामान और सेवाओं की खरीद के आवश्यक लक्ष्य के मुकाबले 33% का लक्ष्य प्राप्त किया है । सीएसएल की पहल के कारण अ.जा./अ.ज.जा. और महिला एमएसएमई उद्यमी भी लाभान्वित हो रहे हैं ।

41. भारत सरकार द्वारा घोषित, सार्वजनिक खरीद नीति 2012 के अनुसार एमएसएमई के माध्यम से खरीद/ लाभकारी सेवाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने दिनांक 23-25 अगस्त, 2019 को प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई एक्सपो, शिखर सम्मेलन और व्यापार मेला-2019 में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की ।
42. अन्य पहलुओं में एमएसएमई विक्रेताओं के लिए सीएसएल वेबसाइट उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने और एमएसएमई, भारत सरकार द्वारा शुरू किए "एमएसएमई संबंध" पोर्टल में प्रापण विवरण और अन्य विवरण नियमित अपलोड करना आदि शामिल हैं ।

सचेतक विवरण

43. इस प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में कंपनी के लक्ष्य, प्रत्याशा, अभिधारणा अथवा भविष्यवाणी का वर्णन करते हुए विवरण लागू कानून विनियमों के आशय के अंदर अग्रवर्ती विवरण हो जाएं। वास्तविक परिणाम अभिव्यक्त या विवक्षित उन परिणामों से प्रस्तुत भिन्न हो सकता है- मांग/ पूर्ति, देशी और अंतर्देशीय बाजार में मूल्य स्थितियों, सरकारी नीतियों और विनिमय, संविधियों पर प्रभाव डालने वाले आर्थिक स्थितियां एवं अन्य आनुषंगिक घटकें शामिल हैं।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

कोच्ची
07 अगस्त, 2020

मधु एस नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 0737679

व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट

सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 34 के अनुसार, बीएसई और एनएसई में बाजार पूंजीकरण आधार पर उच्च पाँच सौ सूचीबद्ध इकाइयों की वार्षिक रिपोर्ट में कंपनी द्वारा पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासन परिप्रेक्ष्य में उठाए गए कदमों का विवरण देते हुए एक व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट (बीआरआर) शामिल होगा, जिसमें सीएसएल शामिल है ।

रिपोर्टिंग ढांचा, जुलाई 2011 में कॉरपरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी व्यापार के सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक उत्तरदायित्व पर राष्ट्रीय स्वैच्छिक मार्गनिर्देश पर आधारित है जिसमें प्रत्येक 9 सिद्धांत के लिए 9 सिद्धांत और मूल तत्व शामिल हैं । निम्नलिखित सेबी द्वारा सुझाए गए प्रारूप पर आधारित हमारी कंपनी की व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट है ।

भाग क : कंपनी के बारे में सामान्य सूचना

1. कंपनी की निगमित पहचान संख्या	L63032KL1972GOI002414
2. कंपनी का नाम	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
3. पंजीकृत पता	प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, एर्णाकुलम, केरल - 682015
4. वेबसाइट	www.cochinshipyard.com
5. ई-मेल आईडी	secretary@cochinshipyard.com
6. रिपोर्ट किए वित्तीय वर्ष	2019-20
7. कंपनी लगे हुए क्षेत्र (औद्योगिक गतिविधि - कोड वार)	पोत निर्माण और पोत मरम्मत (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार औद्योगिक ग्रुप 301 और 331 है ।)
8. कंपनी द्वारा निर्मित/प्रदान करनेवाले मुख्य तीन उत्पाद/सेवा की सूची दें	कंपनी पोत निर्माण और पोत मरम्मत के व्यापार में लगे हुए हैं । उत्पाद प्रक्रिया और प्रयुक्त बुनियादी सुविधाओं की प्रकृति विचार करने के अन्य बातों के साथ-साथ, कोई अन्य रिपोर्ट करने योग्य खंड नहीं है ।
9. स्थानों जहां कंपनी द्वारा व्यापार गतिविधि की जाती है, की कुल संख्या क) अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की सं. (मुख्य 5 स्थानों का विवरण प्रदान करें ।) ख) राष्ट्रीय स्थानों की सं.	शून्य चार
10. कंपनी द्वारा संचालित बाजार - स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय	स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय

भाग ख : कंपनी का वित्तीय विवरण

1. प्रदत्त पूंजी	₹ 131.54 करोड
2. कुल कारोबार	₹ 3422.49 करोड
3. कुल लाभ और कर	₹ 637.69 करोड
4. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर कर के बाद लाभ के प्रतिशत के रूप में कुल खर्च (%)	2.40
5. उपर्युक्त 4 में हुए खर्च से संबंधित गतिविधियों की सूची:-	सीएसएल के सीएसआर गतिविधियां निम्नलिखित क्षेत्रों में केन्द्रित हैं: <ul style="list-style-type: none"> ● स्वास्थ्य संरक्षण ● स्कूली शिक्षा ● स्वच्छता

भाग ग : अन्य विवरण

1. क्या कंपनी को कोई सहायक कंपनी/कंपनियां हैं ?	जी हां, सीएसएल को एक सहायक कंपनी है जैसे कि हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ।
2. क्या सहायक कंपनी/कंपनियां मूल कंपनी के बीआर पहलों भाग लेता है ? यदि हां, तो, ऐसे सहायक कंपनी/यों की संख्या सूचित करें ।	जी नहीं । सहायक कंपनी केवल अक्टूबर 2017 को ही निगमित किया था और प्रचालन अभी तक शुरू नहीं हुआ है । अतः कंपनी ने सीएसएल के बीआर पहलू में भाग लेना शुरू नहीं किया है ।
3. क्या कंपनी के साथ व्यापार करनेवाले कोई अन्य इकाई / इकाइयां (उदा: आपूर्तिकार, वितरक इत्यादि) कंपनी के बीआर पहलुओं में भाग लेता है ? यदि हां, तो, ऐसे इकाई/इकाइयों की प्रतिशतता सूचित करें । (30% से कम, 30-60%, 60% से ज्यादा)	कंपनी ने गुणवत्ता, समय पर सुपुर्दगी और अनुकूलतम लागत सुनिश्चित करने के लिए आउट सोर्सिंग एवं प्रापण गतिविधियों के लिए सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं को अपनाया है । सच्चा ईमानदारी के विक्रेता के एक पैनेल के लिए सावधानी रखी जाती है । कंपनी ने प्रापण के अधिक पारदर्शी रीति के लिए ई-भुगतान, अखंडता समझौता आदि शुरू किया है । सुरक्षा, पर्यावरण आदि के अनुरूप क्रयादेश के मानक नियम एवं शर्तें विक्रेता द्वारा स्वीकृत किया है । अतः मुख्य (60% से अधिक) व्यापार उत्तरदायित्व के मुख्य सिद्धांतों के अनुरूप है ।

भाग घ : बीआर सूचना

1. बीआर के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का विवरण	
क) बीआर पॉलिसी/पॉलिसियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का विवरण ।	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीयता से संबंधित बीआर कार्य को निदेशक मंडल के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं धारणीय विकास समिति (सीएसआर एवं एसडी) द्वारा निगरानी की जाती है । सीएसआर एवं एसडी समिति की संरचना का विवरण निगमित शासन रिपोर्ट में प्रदान किया है । दिनांक 31 मार्च 2020 के अनुसार, कंपनी की सीएसआर एवं एसडी समिति श्री जिजी तोमसण की अध्यक्षता में है ।
1. डीआईएन संख्या	सीएसएल के सीएसआर एवं एसडी समिति के अध्यक्ष का विवरण निम्नानुसार हैं
2. नाम	डीआईएन : 01178227
3. पदनाम	नाम : श्री जिजी तोमसण
ख) बीआर मुख्य का विवरण	पदनाम : स्वतंत्र निदेशक
	ई-मेल आईडी: jjithomson@gmail.com
	बोर्ड ने विशेष रूप से बीआर प्रमुख के रूप में कार्य करने के लिए किसी निदेशक को उत्तरदायित्व नहीं सौंपा है ।

2. सिद्धांत वार (एनवीजी के अनुसार) बीआर पॉलिसी/पॉलिसियां : (जी हां/जी नहीं में जवाब दें।)	
राष्ट्रीय स्वैच्छिक मार्ग निर्देशों में उल्लिखित 9 सिद्धांत निम्नानुसार हैं :	
पी 1	व्यापार नीति, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ आयोजित और नियंत्रित करना चाहिए ।
पी 2	व्यापार को ऐसे माल और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित है और अपने जीवन चक्र में संवहनीयता दें ।
पी 3	व्यापार सभी कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए ।
पी 4	व्यापार को सभी हितधारकों विशेष रूप से जो वंचित, कमजोर और अधिकारहीन वाले हैं, के हितों का सम्मान करना चाहिए और उत्तरदायी होना चाहिए ।
पी 5	व्यापार मानवाधिकारों का सम्मान और प्रचार करना चाहिए ।
पी 6	व्यापार, पर्यावरण को पुनःस्थापित करने के लिए सम्मान, रक्षा और प्रयास करना चाहिए ।
पी 7	व्यापार जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में लगे होते हैं, तो, इसे एक जिम्मेदार तरीके से करना चाहिए ।
पी 8	व्यापार को समावेशी वृद्धि और न्यायसंगत विकास का समर्थन करना चाहिए ।
पी 9	व्यापार को अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के साथ एक जिम्मेदार तरीके से लगे रहना है और मूल्य प्रदान करना चाहिए ।

क्र.सं.	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1 केलिए आपको पॉलिसी/ पॉलिसियां हैं ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
2	क्या संबद्ध हितधारकों के साथ परामर्श से पॉलिसी बनाया जा रहा है ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	-	हां	हां
3	क्या पॉलिसी किसी भी राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है ? यदि हां, तो, निर्दिष्ट करें । (50 शब्द)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
		सीएसएल के विविध पॉलिसियां, भारत सरकार द्वारा जारी विविध लागू सांविधियों/मार्गनिर्देशों/ नियमों आदि के अनुरूप में है और समय-समय अद्यतन किया जाता है । उद्योग कार्य, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों को, पॉलिसियां बनाते समय ध्यान में रखा जाता है ।								
4	क्या पॉलिसी को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा रहा है ? यदि हां, तो, क्या इसमें प्रबंध निदेशक/मालिक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ उचित बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किया गया है ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	-	हां	हां
		विविध पॉलिसियों को शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार बोर्ड/सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया जाता है ।								
5	क्या कंपनी को पॉलिसी के कार्यान्वयन की निगरानी करने केलिए बोर्ड / निदेशक / पदाधिकारी की एक निर्दिष्ट समिति है ।	हां	हां	हां	हां	हां	हां	-	हां	हां
6	पॉलिसी ऑनलाइन देखने का लिंक सूचित करें ?	पॉलिसियां कंपनी के वेबसाइट में उपलब्ध है । https://cochinshipyard.com/Investors								
7	क्या पॉलिसी को औपचारिक रूप से सभी संबद्ध आंतरिक और बाह्य हितधारकों को सूचित किया गया है ?	जी हां । पॉलिसियों को कंपनी के उपर्युक्त सूचित वेबसाइट में अपलोड करते हुए हितधारकों को सूचित किया गया है । गुणवत्ता, स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण पॉलिसी कंपनी के इंटरनेट और सीएसएल के वेबसाइट में अपलोड किया जाता है । वही कंपनी के सभी मुख्य स्थानों में प्रदर्शित भी किया जाता है ।								
8	क्या कंपनी को पॉलिसी/ पॉलिसियों को कार्यान्वित करने केलिए इन-हाउस संरचना है ?	जी हां ।								
9	क्या कंपनी को पॉलिसी / पॉलिसियों के संबंध में हितधारकों की शिकायत संबोधित करने केलिए पॉलिसी/पॉलिसियों से संबोधित एक शिकायत निवारण तंत्र है ?	बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अधीन अपेक्षितानुसार कंपनी में प्रतिभूति संभालनेवाले हितधारकों, डिबेंचर धारकों और अन्य व्यक्तियों की शिकायत संबोधित करने केलिए एक समिति स्थापित की है । इसके अलावा, कंपनी ने किसी निदेशकों और कर्मचारियों के वास्तविक मामले को संबोधित करने केलिए एक जागरण तंत्र भी स्थापित किया है ।								
10	क्या कंपनी ने आंतरिक या बाह्य अभिकरण द्वारा इस पॉलिसी के कार्य केलिए स्वतंत्र लेखापरीक्षा/मूल्यांकन किया है ?	कंपनी नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकार के फर्म द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा, सी एवं एजी लेखापरीक्षा, लागत लेखापरीक्षा, सचिवीय लेखापरीक्षा, ऊर्जा लेखापरीक्षा, सुरक्षा लेखापरीक्षा, एकीकृत प्रबंधन प्रणाली लेखापरीक्षा आदि जैसे विविध लेखापरीक्षा के अधीन हैं । ये लेखापरीक्षा विविध आंतरिक और बाह्य पॉलिसियों का अनुपालन सुनिश्चित करता है ।								

3. बीआर से संबंधित शासन

क) निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति या मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा कंपनी के बीआर निष्पादन को आंकने की आवृत्ति को सूचित करें। तीन महीने के अंतर्गत, 3-6 महीने, वार्षिक रूप में, 1 वर्ष से अधिक।

कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन अविरत आधार पर बीआर निष्पादन की पुनरीक्षा करते हैं। इसके लिए गठित बोर्ड/समितियां वही वार्षिक रूप में पुनरीक्षा करती है।

ख) क्या कंपनी एक बीआर या एक धारणीयता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट देखने का हाइपरलिंक क्या है? इसको कितनी बार प्रकाशित किया जाता है?

जी हां। कंपनी अपने वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में बीआर रिपोर्ट प्रकाशित किया है। रिपोर्ट देखने का हाइपरलिंक <https://cochinshipyard.com/annual-report> है।

भाग ड. सिद्धांतवार कार्य-निष्पादन

सिद्धांत 1 : व्यापार नीति, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ आयोजित और नियंत्रित करना चाहिए।

1. क्या नैतिकता, रिश्त और भ्रष्टाचार से संबंधित पॉलिसी केवल कंपनी में समाविष्ट है? जी हां/ जी नहीं। क्या यह ग्रुप/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदारों/गैर सरकारी संगठन/अन्य केलिए बड़ा है?

कंपनी ने एक अखंडता समझौता निर्धारित किया है जिसे बोलीदाताओं के साथ हस्ताक्षर किया गया है ताकि वे समय-समय पर 100 लाख से अधिक की उच्च मूल्य निविदाओं के संबंध में किसी भी मुद्दे को उठा सकें। उच्च प्रतिष्ठा और अखंडता के लोग को उक्त अखंडता समझौता के कार्यान्वयन की निगरानी केलिए स्वतंत्र बाह्य निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है।

इस समझौते में अनिवार्य रूप से एक करार है जो संभावित विक्रेताओं/बोलीदाताओं और सीएसएल के बीच दोनों पक्षों के व्यक्तियों/ पदाधिकारियों को शामिल करते हुए किया है, जिस के अनुसार ठेके के किसी पहलू/चरण में कोई भ्रष्ट कार्यों का प्रयोग नहीं करना है। वही का उल्लंघन बोलीदाताओं के अयोग्यता और भविष्य के व्यापार कार्यों से बहिष्कार केलिए कारक होगा।

2. पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारकों की शिकायत मिली हैं और प्रबंधन द्वारा संतोषजनक रूप से कितने प्रतिशत तक समाधान किया गया?

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, कंपनी द्वारा और सेबी स्कोरर्स प्लेटफॉर्म, एनएसई और बीएसई एवं रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट के

जरिए 15 निवेशक शिकायत प्राप्त हुई है। इन सभी शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया गया।

सिद्धांत 2: व्यापार को ऐसे माल और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित है और अपने जीवन चक्र में संवहनीयता दें।

1. आपके उत्पाद या सेवाओं में से 3 तक सूचीबद्ध करें जिनके डिजाइन में सामाजिक या पर्यावरण विचार, जोखिम और/या अवसर शामिल हैं

कंपनी पोत निर्माण और पोत मरम्मत में लगी हुई है। चूंकि कंपनी के पास एक उत्पाद है, जो निगमित सामाजिक या पर्यावरण विचार साथ ही साथ उपलब्ध अवसरों से लाभ शामिल करने केलिए डिजाइन किया गया है।

2. प्रत्येक ऐसे उत्पाद केलिए, उत्पाद (विकल्प) के प्रति यूनिट उपयोग किए संसाधन (ऊर्जा, जल, कच्चा माल) के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें :

क) मूल्य निर्धारण श्रृंखला में पिछले वर्ष के बाद से प्राप्त सोर्सिंग/उत्पादन/वितरण के दौरान कमी?

कंपनी संवहनीय तरीकों के माध्यम से आर्थिक विकास हासिल करने केलिए अपनी प्रतिबद्धता को पहचान लेती है। यह उपयुक्त प्रौद्योगिकी का नियोजन, प्रापण और आउटसोर्सिंग में पारदर्शिता और संवहनीय विकास कार्यक्रम में भागीदारी के माध्यम से प्राप्त करने हेतु प्रस्तावित है।

ख) पिछले वर्ष से उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग के दौरान (ऊर्जा, जल) प्राप्त की गई कमी?

सीएसएल ने विविध ऊर्जा संरक्षण उपायों जैसे कि सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना, पारंपरिक डिस्चार्ज लैम्पों के बजाय एलईडी लाइटों के साथ नए भवनों का विद्युतीकरण, एलईडी लाइटों के साथ हाई प्रेशर मेरकुरी वेपर लाइटों के प्रतिस्थापन, भोजन विराम के दौरान एयर कंफ्रसेर को बंद करना, 12:15 घंटे में शॉपों, की एवं डॉक में मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद करना, जो मैन कूलरों, रूफ एक्सट्रेक्टर्स (स्टार्टर्स के माध्यम से नियंत्रित) ट्रिप हो जाता है, जो भोजन विराम के दौरान आवश्यक नहीं है, ऊर्जा बजत स्टिकर और पोस्टर प्रदर्शित किए गए, ऊर्जा संरक्षण केलिए कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने केलिए संगोष्ठी और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया, यूनिट के निकट विद्युत कार की निरंतर निगरानी और रखरखाव का कार्यान्वयन किया है। उपर्युक्त निर्दिष्ट उपायों के कार्यान्वयन के साथ प्रति वर्ष लगभग 3.94 यूनिट के ऊर्जा बचत हासिल किया की गई है।

3. क्या कंपनी को स्थायी सोर्सिंग (परिवहन सहित) केलिए प्रक्रियाएं प्रस्तुत हैं ? यदि हां, तो, आपके इनपुट का कितना प्रतिशत स्थायी रूप से सोर्स किया गया था ?

कंपनी स्थायी सोर्सिंग सुनिश्चित करने केलिए विक्रेताओं के चयन हेतु निम्नलिखित अनुमोदित मानदंडों का पालन कर रही है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आईएसओ 9000 प्रमाणीकरण वाले विक्रेता, विनियामक निकायों द्वारा अनुमोदित विक्रेता, निर्माताओं के विविध प्राधिकृत विक्रेता, निर्धारित विनिर्देश और अन्य अपेक्षाओं के अनुसार सामग्री प्रदान करने केलिए क्षमता, निर्धारित सुपुर्दगी अवधि के अनुसार सामग्री आपूर्ति करने की क्षमता, विक्रेताओं पर प्रस्तुत आदेशों का वार्षिक मूल्यांकन औसत कार्य-निष्पादन निर्धारण करने केलिए पूरा हुआ है, मूल्यांकन अवधि के दौरान उनके औसत कार्य-निष्पादन के आधार पर एक विक्रेता को अनुमोदित विक्रेता सूची से हटाया/ निलंबित किया जाता है, विक्रेता सूची को वर्ष में एक बार पुनरीक्षित और अद्यतन किया जाता है आदि शामिल हैं ।

4. क्या कंपनी ने अपने कार्यस्थान के आसपास समुदायों सहित, स्थानीय और छोटे उत्पादकों से माल और सेवाओं को प्राप्त करने केलिए कोई कदम उठाया है ? यदि हां, तो, स्थानीय और छोटे विक्रेताओं की क्षमता और योग्यता बढ़ाने केलिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं ?

भारत सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक प्रापण नीति 2012 के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सहित स्थानीय और छोटे उत्पादकों और सेवा प्रदाताओं के जरिए प्रापण बढ़ाने/ सेवा लेने की दृष्टि में, कंपनी एमएसएमई से खरीद/ लाभकारी सेवाओं को बढ़ाने केलिए सभी प्रयास कर रही है। कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2020 तक वित्तीय वर्ष 2019-20 केलिए कुल देशी खरीद में से एमएसएमई से 25% सामान और सेवाओं की खरीद के आवश्यक लक्ष्य के मुकाबले 33% का लक्ष्य प्राप्त किया है । सीएसएल की पहल के कारण अ.जा./अ.ज.जा. और महिला एमएसएमई उद्यमी भी लाभान्वित हो रहे हैं ।

भारत सरकार द्वारा घोषित, सार्वजनिक खरीद नीति 2012 के अनुसार एमएसएमई के माध्यम से खरीद/ लाभकारी सेवाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने दिनांक 23-25 अगस्त, 2019 को प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई एक्सपो, शिखर सम्मेलन और व्यापार मेला-2019 में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की ।

अन्य पहलुओं में, एमएसएमई विक्रेताओं के लिए सीएसएल वेबसाइट उपयोगकर्ता अनुकूल बनाना, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा

शुरू किए गए 'एमएसएमई संबंध' पोर्टल में प्रापण विवरण और अन्य व्यौरे का नियमित अद्यतनीकरण आदि शामिल हैं ।

5. क्या कंपनी को उत्पादों और अपशिष्टों को पुनःचक्रित करने केलिए एक तंत्र है ? यदि हां, तो, उत्पादों और अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का प्रतिशत क्या है (अलग रूप में <5%, 5-10%, >10%) ?

कंपनी के उत्पादों की प्रकृति और उत्पन्न अपशिष्टों के कारण, पुनर्चक्रण केलिए तंत्र उपलब्ध नहीं है । फिर भी, अपशिष्टों को पर्यावरण प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित ऐसे निपटान या पुनर्चक्रण कार्य करनेवाले अभिकरणों द्वारा निपटाया जाता है ।

सिद्धांत 3 : व्यापार सभी कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए ।

1. कर्मचारियों की कुल सं. : 1710 (स्थायी कर्मचारियां)
2. अस्थायी/ठेकात्मक/आकस्मिक आधार पर कर्मचारियों की कुल संख्या : प्रतिदिन औसतन 3691
3. स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या: 152
4. स्थायी अशक्त कर्मचारियों की संख्या : 57
5. क्या आपको प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ है ?

जी हां, सीएसएल को प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त छह कर्मचारी संघ है ।

1. कोचीन शिपयार्ड अधिकारी संघ (सीएसओए)
2. कोचीन शिपयार्ड पर्यवेक्षक कर्मचारी संघ (सीएसएसएसए)
3. कोचीन शिपयार्ड कर्मचारी संगठन (सीएसईओ)
4. कोचीन शिपयार्ड कर्मचारी फेडरेशन (सीएसईएफ)
5. कोचीन शिपयार्ड कर्मचारी यूनियन (सीएसईयू)
6. शिपयार्ड कर्मचारी संघ (एसईएस)
6. इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्यों में कितने प्रतिशत स्थायी कर्मचारियां हैं ?

अधिकांश कार्यपालक कोचीन शिपयार्ड अधिकारी संघ के सदस्य हैं। स्थायी कामगारों के मामले में, उनमें से अधिकांश विभिन्न मान्यता प्राप्त यूनियनों से जुड़े हैं। जनमत संग्रह के आधार पर चार मान्यता प्राप्त यूनियनों को कंपनी द्वारा मान्यता प्रदान की गई है।

7. पिछले वित्तीय वर्ष में बाल श्रम, मजबूर श्रम, अनैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या और वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या ।

क्र.सं.	श्रेणी	वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल किए शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या
1.	बाल श्रम/ मजबूर श्रम/अनैच्छिक श्रम	कंपनी ने बाल श्रम/ मजबूर श्रम/अनैच्छिक श्रम नहीं किया है । कोई शिकायत नहीं है ।	लागू नहीं ।
2.	यौन उत्पीडन	शून्य	शून्य
3.	भेदभावपूर्ण रोजगार	शून्य	शून्य

8. नीचे सूचित कर्मचारियों में से पिछले वर्ष में सुरक्षा और कुशलता प्रशिक्षण दिए गए कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है ?

स्थायी कर्मचारियां: 100%

स्थायी महिला कर्मचारियां: 100%

आकस्मिक/अस्थायी/ठेके कर्मचारियां: 100%

अशक्त कर्मचारियां: 100%

सिद्धांत 4 : व्यापार को सभी हितधारकों विशेष रूप से जो वंचित, कमजोर और अधिकारहीन वाले हैं, के हितों का सम्मान करना चाहिए और उत्तरदायी होना चाहिए ।

1. क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाह्य हितधारकों की एक रूपरेखा बनाई है ?

जी हां, कंपनी ने अपने आंतरिक साथ ही साथ बाह्य हितधारकों की एक रूपरेखा बनाई है ।

2. इनमें से, क्या कंपनी ने वंचित, कमजोर और अधिकारहीन हितधारकों को पहचान लिया है ?

सीएसएल के सीएसआर परियोजनाएं लक्ष्य है कि वंचित, कमजोर और अधिकारहीन समुदाय जो केरल में विशेष रूप से दूरस्थ ग्रामीण/आदिवासी समुदायों में मौजूद है, को लाभान्वित करना । आगे, सीएसएल यह सुनिश्चित करता है कि भारत सरकार द्वारा दी गई आरक्षण नीति लागू किया जाता है । सीएसएल उन व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में भी शामिल है, जिनके लिए परियोजनाएं विशेष रूप से डिजाइन की गई हैं । कंपनी ने रोजगार के उद्देश्यों के लिए (i) एससी/एसटी (ii) अशक्त कर्मचारी को वंचित, कमजोर और अधिकारहीन के रूप में पहचान लिया है ।

3. क्या कंपनी द्वारा वंचित, कमजोर और अधिकारहीन वाले हितधारकों को लगाने के लिए कोई विशेष पहल उठाया गया है ? यदि हां, तो, तत्संबंधी विवरण करीब 50 शब्दों में प्रदान करें ।

सीएसएल ने केरल में अपने सीएसआर जोर क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं जैसे कि बच्चों के लिए शिक्षा, स्वच्छता एवं स्मार्ट क्लास रूम, आदिवासी समुदाय के लिए स्वास्थ्य केयर पहलुओं, अशक्त व्यक्तियों के लिए कई पहलुओं, कुशलता विकास कार्यक्रमों को बढ़ाते हुए आय के जरिए महिलाओं का सशक्तिकरण और ग्रामीण/आदिवासी/अर्ध शहरी क्षेत्रों

में अन्य हस्तक्षेप के लिए वचनबद्धता की है, जो मुख्य रूप से वंचित, कमजोर और अधिकार हीन हितधारकों में केन्द्रित है । कंपनी एससी/एसटी और अशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण से संबंधित भारत सरकार के सभी विनियमों का पालन करती है ।

सिद्धांत 5: व्यापार मानवाधिकारों का सम्मान और प्रचार करना चाहिए ।

1. क्या मानवाधिकारों पर कंपनी की नीति केवल कंपनी को लागू है या ग्रूप/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकार/ठेकेदार/गैर सरकारी संगठन/अन्यों के लिए बढा दी है ?

कंपनी की मानव संसाधन नीतियों में अपने व्यापार के सभी प्रचालनों के साथ जुड़े अपने कर्मचारियों और अन्यों के मानवाधिकार के सभी पहलुओं शामिल हैं और नियंत्रित कंपनी के कर्मचारियों के मानवाधिकार भी इसमें शामिल हैं । मानवाधिकार पर पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

कंपनी महिला कर्मचारियों की गरिमा को कायम रखने के लिए वचनबद्ध है और इसमें ऐसी नीति है जो कार्यस्थान पर महिलाओं के यौन उत्पीडन के सामने सुरक्षा प्रदान करती है और ऐसी शिकायतों के निवारण एवं निरोध के लिए है । समीक्षाधीन अवधि के दौरान, ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

कंपनी, नियंत्रित कंपनी और कंपनी के साथ जुड़े सभी अन्य हितधारकों के लिए सभी मानवाधिकार, कार्य के अनुपालन में वचनबद्ध है ।

2. पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारकों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा संतोषजनक ढंग से किस प्रतिशत तक हल किया गया था ?

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, 15 शिकायतें निवेशकों से प्राप्त हुई हैं और उसे संतोषजनक रूप में निपटायी गयी ।

सिद्धांत 6: व्यापार, पर्यावरण को पुनःस्थापित करने के लिए सम्मान, रक्षा और प्रयास करना चाहिए ।

1. क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करता है या ग्रूप/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकार/ठेकेदार/गैर सरकारी संगठन/अन्यों के लिए बढा दी है ?

कंपनी को कवर करता है । कंपनी के एकीकृत दृष्टिकोण के भाग के रूप में, मां प्रकृति के प्रति हमारी वचनबद्धता, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव कम करते हुए और सकारात्मक योगदान को मजबूत करने के

हमारे अविरत प्रयास के माध्यम से प्रदर्शित की जाती है। हम इसकी गतिविधियों और उत्पादों के महत्वपूर्ण पर्यावरण पहलुओं को पहचानते हुए और कार्यक्रमों को विकसित करते हुए और पर्यावरण की सुरक्षा के उद्देश्य से उन्हें कम या नियंत्रित करते हुए हासिल करने का प्रयास करते हैं। कंपनी अपने व्यापार भागीदारों/विक्रेताओं/ठेकेदारों को पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाओं डिजाइन से निपटान तक की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है।

2. क्या कंपनी को जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे के लिए रणनीतियां/पहल हैं? यदि हां, तो, कृपया वेबपेज आदि के लिए हाइपरलिंक दें।

कंपनी को एक विस्तृत मैनुअल है जो अंतर्राष्ट्रीय मानक आईएसओ 14001:2015 के अपेक्षाओं को पूरा करनेवाले पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए स्थापित करने के लिए आवश्यक सामान्य प्रक्रियाओं का विवरण देता है।

3. क्या कंपनी संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करती है?

जी हां।

4. क्या कंपनी के पास स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना है? यदि ऐसा है, तो, तत्संबंधी विवरण करीब 50 शब्दों में प्रदान करें। साथ ही, यदि हां, तो, क्या कोई पर्यावरणीय अनुपालन रिपोर्ट फाइल किया है?

फिलहाल, कंपनी को स्वच्छ विकास तंत्र के अधीन कोई परियोजना नहीं है।

5. क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादि पर कोई अन्य पहल उठाया गया है। यदि हां, तो, कृपया वेबपेज आदि का हाइपरलिंक दें।

सीएसएल ने विविध ऊर्जा संरक्षण उपायों जैसे कि सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना, पारंपरिक डिस्चार्ज लैम्पों के बजाय एलईडी लाइटों के साथ नए भवनों का विद्युतीकरण, एलईडी लाइटों के साथ हाई प्रेशर मेरकुरी वेपर लाइटों के प्रतिस्थापन, भोजन विराम के दौरान एयर कंफ्रसेर को बंद करना, 12:15 घंटे में शॉपों, की एवं डॉक में मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद करना, जो मैन कूलरों, रूफ एक्सट्रेक्टर (स्टार्टर्स के माध्यम से नियंत्रित) ट्रिप हो जाता है, जो भोजन विराम के दौरान आवश्यक नहीं है, ऊर्जा बचत स्टिकर और पोस्टर प्रदर्शित किए गए, ऊर्जा संरक्षण के लिए कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए संगोष्ठी और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया, यूनिट के निकट विद्युत कार की निरंतर निगरानी और रखरखाव का कार्यान्वयन किया है। उपर्युक्त निर्दिष्ट उपायों के कार्यान्वयन के साथ प्रति वर्ष लगभग 3.94 लाख की यूनिट के ऊर्जा बचत हासिल की गई है।

6. क्या कंपनी ने वित्तीय वर्ष के लिए सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमत सीमा के भीतर उत्पन्न किए उत्सर्जन/अपशिष्टों के बारे में रिपोर्ट किया जा रहा है?

जी हां।

7. वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त कारण निर्देशन/कानूनी नोटिस की संख्या (अर्थात् संतोषजनक ढंग से समाधान नहीं किया गया है)।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में, कोई सीपीसीबी/एसपीसीबी कारण निर्देशन/कानूनी नोटिस लंबित नहीं है।

सिद्धांत 7 : व्यापार जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में लगे होते हैं, तो, इसे एक जिम्मेदार तरीके से करना चाहिए।

1. क्या आपकी कंपनी किसी ट्रेड और चेंबर या संघ का सदस्य है? यदि हां, तो, केवल उन मुख्यों का नाम दें जिसके साथ आपका व्यापार संबंधित है:

- क) भारतीय पोत निर्माता संघ
- ख) इंडो जापान चेंबर ऑफ कॉमर्स
- ग) कॉनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री
- घ) कोचीन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
- ङ) अखिल भारतीय प्रबंधन संघ
- च) दि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई)
- छ) सार्वजनिक उपक्रमों का स्थायी सम्मेलन (स्कोप)
- ज) सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैनुफैक्चरर्स (एसआईडीएम)

2. क्या आपने उपरोक्त संगठनों के माध्यम से सार्वजनिक के सुधार एवं प्रगति के लिए कोई वकालत की है? जी हां/नहीं, यदि हां, तो व्यापक क्षेत्र (ड्रॉप बॉक्स : शासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, धारणीय व्यापार सिद्धांत, अन्य) को निर्दिष्ट करें।

उपर्युक्त संगठन सीएसएल के उन मुद्दों को हल करने के लिए एक प्लाट फॉर्म के रूप में कार्य करते हैं जो इसके हितधारकों को प्रभावित कर सकते हैं। सीएसएल किसी भी विशिष्ट मुद्दों पर लॉबींग के बजाय नीति स्तर की प्रक्रियाओं की वकालत में भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।

सिद्धांत 8 : व्यापार को समावेशी वृद्धि और न्यायसंगत विकास का समर्थन करना चाहिए।

1. क्या कंपनी को सिद्धांत 8 से संबंधित पॉलिसी के अनुसरण में कार्यक्रम/पहल/परियोजनाएं निर्दिष्ट किया है? यदि हां, तो, तत्संबंधी विवरण।

उपरोक्त भागों में सूचितानुसार, सीएसएल की सीएसआर परियोजनाओं का लक्ष्य केरल राज्य में निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर से समुदाय को लाभान्वित करना है और इन्हें कमजोर माना जाता है। ये परियोजनाएं ऐसे समुदायों के समावेशी वृद्धि और न्यायसंगत विकास केलिए हैं।

2. क्या कार्यक्रमों/परियोजनाओं को इन-हाउस टीम/निजी संस्था/विदेशी गैर सरकारी संगठन/सरकारी संरचनाओं/अन्य किसी संगठन के जरिए करते हैं ?

सीएसएल परियोजना के निष्पादन केलिए विभिन्न गैर सरकारी संगठनों, संस्थाओं, सरकारी अभिकरणों और अन्य पेशेवर अभिकरणों के साथ बड़े पैमाने पर सहयोग करता है।

3. क्या आपने अपनी पहल केलिए कोई प्रभाव मूल्यांकन किया है ?
जी हां। आयोजित गतिविधि के प्रभाव को देखने केलिए प्रभाव मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण है। सीएसएल अधिकांश परियोजना केलिए परियोजना के भाग के रूप में प्रभाव मूल्यांकन आयोजित करता है।
4. सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है - आईएनआर में राशि और की गई परियोजनाओं का विवरण।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में, सामुदायिक विकास परियोजनाओं में योगदान ₹ 14.78 करोड़ रुपए है। कृपया वार्षिक रिपोर्ट में सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट का संदर्भ लें।

5. क्या आपने यह सुनिश्चित करने केलिए कदम उठाए हैं कि समुदाय द्वारा इस समुदाय विकास पहल को सफलतापूर्वक अपनाया गया है ? कृपया 50 शब्दों में बताएं।

किसी भी समुदाय विकास कार्यक्रम को बनाए रखने केलिए किसी समुदाय की नियुक्ति सर्वोत्कृष्ट है। हम योजना चरण में समुदाय की नियुक्ति सुनिश्चित करते हैं और इसके बाद कार्यान्वयन स्तर पर उन्हें शामिल करते हैं। यह न केवल कार्यक्रम की स्वीकृति सुनिश्चित करता है बल्कि इसकी निरंतरता और धारणीयता भी सुनिश्चित करता है।

सिद्धांत 9: व्यापार को अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के साथ एक जिम्मेदार तरीके से लगे रहना है और मूल्य प्रदान करना चाहिए।

1. वित्तीय वर्ष के अंत में ग्राहक शिकायतों/ उपभोक्ता मामलों का कितने प्रतिशत तक लंबित है।

कंपनी के ग्राहक बड़े कॉर्पोरेट हाउस, निगम दोनों केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय या मंत्रालय हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी को कोई शिकायत नहीं मिली है।

2. क्या कंपनी उत्पाद लेबल पर उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करती है, इसके अतिरिक्त स्थानीय कानून के अनुसार क्या अनिवार्य है ? जी

हां/जी नहीं/लागू नहीं/अभ्युक्तियां (अतिरिक्त सूचना)।

लागू नहीं। इसलिए कि यह पोत निर्माण और पोत मरम्मत प्रचालनों में लगे हुए हैं।

3. क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुचित व्यापार कार्यों, गैर जिम्मेदार विज्ञापन और/या विरोधी प्रतिस्पर्धी व्यवहार से संबंधित कंपनी के सामने कोई हितधारक ने कोई मामला फाइल किया है और वित्तीय वर्ष के अंत में कोई लंबित है। यदि हां, तो, तत्संबंधी विवरण 50 शब्दों में दें।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अनुचित व्यापार कार्यों के संबंध में कंपनी के सामने कोई हितधारकों ने कोई मामला फाइल नहीं किया है।

4. क्या आपकी कंपनी ने कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण/उपभोक्ता संतुष्टि कार्य किया है ?

जी हां। सभी अनुबंधित पोतों को एक ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण के साथ आयोजित किया जाता है, और उनके अनुभव को साझा करने के इच्छुक मालिकों से फीडबैक लिया जाता है। सर्वेक्षण एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष फर्म द्वारा किया जाता है ताकि ग्राहक से खुली और वास्तविक प्रतिक्रिया प्राप्त हो सकें।

ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण दो चरणों में अनुबंधित पोतों के लिए किया जाता है, एक निर्माण चरण (चरण I) पर और एक वारंटी अवधि (चरण II) के पूरा होने के बाद। निर्माण चरण के दौरान मालिक की किसी भी चिंताओं की पहचान करने केलिए चल रहे निर्माण चरण के दौरान एक अंतरिम प्रतिक्रिया केलिए अभिप्रेत है। यह याई को चिंताओं के क्षेत्र (यदि कोई हो) को समझने में मदद करता है, और मालिक की अपेक्षाओं के स्तर में सुधार केलिए उचित रूप से कार्रवाई शुरू कर सकता है। दूसरे चरण का सर्वेक्षण सुपुर्दगी और पोत की वारंटी अवधि पूरी होने के बाद होता है, जहां मालिक के पास निर्माण और प्रदर्शन की गुणवत्ता को समझने केलिए पर्याप्त समय होता है, जो अनुबंधित और वितरित नई निर्माण आदेश केलिए उनकी संतुष्टि का समग्र परिप्रेक्ष्य प्रदान करेगा।

सर्वेक्षण आयोजित किए गए निर्माण के सभी चरणों को पूर्व-अनुबंध चरण से शुरू करते हैं। स्वायत्तता, पहुंच, निर्माण की गुणवत्ता, याई और पोस्ट सुपुर्दगी सेवाओं की समग्र तकनीकी क्षमताओं के बारे में मालिकों से प्रतिक्रिया का अनुरोध किया जाता है। स्वतंत्र अभिकरण द्वारा किए गए सर्वेक्षणों केलिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, और विभिन्न ग्राहकों से प्राप्त प्रतिक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिसमें शिपयाई उन क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और जिन क्षेत्रों में सुधार का सुझाव दिया गया है। यह स्वतंत्र रिपोर्ट मालिक के दृष्टिकोण से याई की ताकत और कमजोरी को समझने की गुंजांश प्रदान करती है, और उसी ग्राहक या समान ग्राहकों से संपर्क करते समय बहुत सहायक होती है।

निगमित शासन पर रिपोर्ट

निगमित शासन पर कंपनी की धारणा

- कोचीन शिपयार्ड एक आदर्श कार्पोरेट के रूप में प्रकट होने के लिए निगमित शासन का महत्व पहचानते हैं। कंपनी ने नीतियों तथा प्रक्रियाओं को अपनाया है जो बड़े पैमाने पर समाज और विभिन्न पणधारियों अर्थात् शेयरधारकों, लेनदारों, ग्राहकों और कर्मचारियों को प्रभावी ढंग से अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के उद्देश्य से अपनाया है। सीएसएल दृढ़ता से मानता है कि कंपनी केवल अच्छी और ठोस निगमित प्रशासन सिद्धांतों के माध्यम से ही एक मजबूत वैश्विक नेता के रूप में उभर सकता है। लगातार पिछले कुछ सालों से कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार निगमित शासन कार्यों में उत्कृष्ट दर्जा दिया गया है।

निदेशक मंडल

- कोचीन शिपयार्ड के निदेशक मंडल एक अच्छा निगमित शासन सुनिश्चित करने में एक अच्छा भूमिका निभाती हैं। कंपनी के बोर्ड के संयोजन कंपनी अधिनियम 2013 (“अधिनियम”) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 (“लिस्टिंग विनियम”) के प्रावधानों द्वारा शासित है। दिनांक 31 मार्च 2020 के वित्तीय वर्ष के अंत की तिथि पर बोर्ड की संरचना निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	निदेशकों का नाम	निदेशक पहचान संख्या (डी आई एन)	निदेशकों की श्रेणी
1	श्री मधु एस नायर*	07376798	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2	श्री पॉल रंजन डी **	06869452	निदेशक (वित्त)
3	श्री सुरेश बाबु एन वी	07482491	निदेशक (प्रचालन)
4	श्री विजय भास्कर	08103825	निदेशक (तकनीकी)
5	श्री जोस वी जे***	08444440	निदेशक (वित्त)
6	श्री सतीन्द्र पाल सिंह आईपीएस #	07490296	सरकारी अंशकालिक (नामित) निदेशक, भारत सरकार
7	श्री संजय बंदोपाध्याय आईएएस #	00088957	सरकारी अंशकालिक (नामित) निदेशक, भारत सरकार
8	श्री ज्योतिलाल के आर आईएएस †	01650017	सरकारी अंशकालिक (नामित) निदेशक, केरल सरकार
9	श्रीमती रूपा शेखर राय ∞	07565156	गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक
10	श्री राधाकृष्ण मेनोन ∞	07518727	गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक
11	श्री कृष्ण दास ई ∞	02731340	गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक
12	श्री जिजी तोमसण आईएएस (सेवानिवृत्त)	01178227	गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक
13	श्री प्रदीप्ता बानर्जी	00630615	गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक
14	श्री नंद कुमारन पुत्तेषत्त	02547619	गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक

* श्री मधु एस नायर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को दिनांक अगस्त 13, 2019 को आयोजित सीएसएल की 47वीं वार्षिक आम बैठक में पुनः नियुक्त (रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति) किया गया ।

** श्री डी पॉल रंजन, निदेशक (वित्त) दिनांक 31 जुलाई 2019 को अधिवर्षिता से सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए ।

*** पोत परिवहन मंत्रालय ने दिनांक 15 जुलाई, 2019 के पत्र एफ सं. एसवाई-11012/2/2018-सीएसएल द्वारा श्री जोस वी जे, पूर्व महा प्रबंधक (वित्त), सीएसएल को सीएसएल के निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया । वह भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के एक सदस्य है और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, एर्णाकुलम से कानूनी में उपाधि भी संभालते हैं । उन्हें विविध क्षेत्रों जैसे कि वित्तीय प्रबंधन, सामरिक योजना, जोखिम प्रबंधन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, बजट और लागत नियंत्रण में लगभग 29 वर्षों का कार्य अनुभव है । वह सूचना प्रणाली विभाग का भी नेतृत्व कर रहे हैं । वे हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, के बोर्ड में सीएसएल नामित निदेशक भी है ।

पोत परिवहन मंत्रालय ने दिनांक फरवरी 03, 2020 के पत्र सं. एसवाई - 11012/1/2017-सीएसएल द्वारा श्री सतींदर पाल सिंह आईपीएस, संयुक्त सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार के स्थान पर सीएसएल के सरकारी अंशकालिक (नामित) निदेशक के रूप में श्री संजय बंदोपाध्याय, आईएएस, अपर सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार को नियुक्त किया। श्री संजय बंदोपाध्याय मध्य प्रदेश कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वर्तमान में वह भारत सरकार के अपर सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय के पद पर तैनात है और उन्हें नौवहन गतिविधियां, व्यापारी नौवहन अधिनियम, पोत निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संधियां, पत्तन और तनावग्रस्त परियोजनाओं के विकास एवं प्रशासन से संबंधित कार्यों को सौंपा गया है। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली से संचार और रडार इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर उपाधि और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार में इंजीनियरिंग उपाधि और अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर कला उपाधि हासिल की हैं। विगत वर्षों में उन्होंने केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों में विभिन्न वरिष्ठ पदों पर रहे। उन्होंने विभिन्न प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते जिसमें भारत सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ नागरिक केन्द्रित सेवा के लिए 'वाहन' वैहिकल रजिस्ट्रेशन और पेरमित सिस्टम लागू करने के लिए 'प्लैटिनम आइकॉन वेब रत्न पुरस्कार 2012', ई-गवर्नेंस (स्वर्ण) के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2009-10, राज्य स्कूल पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रबंधन के लिए प्रस्तुत किया गया, पावर सेक्टर में भारत में दूसरे सर्वश्रेष्ठ सुधार राज्य के लिए इंडिया टेक फाउंडेशन 2007 पुरस्कार।

v श्री ज्योतिलाल के आर आईएएस, सीएसएल के सरकारी अंशकालिक (नामित) निदेशक, दिनांक जून 20, 2020 से धारा 167 (1) (ख) के अधीन अपने कार्यालय से सेवानिवृत्त हो गया।

∞ दिनांक जुलाई 29, 2019 के पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. एसवाई-11012/1/2016-सीएसएल के अनुसार, श्री रूपा शोखर राय, श्री राधाकृष्ण मेनन और श्री कृष्णदास ई, जो सीएसएल के बोर्ड में गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशकों के रूप में पुनः नियुक्त किया गया था, की अवधि दिनांक 20 मार्च 2020 को समाप्त हुई।

3. निदेशकों के बीच पारस्परिक संबंध का प्रकटीकरण : शून्य

4. कंपनी के निदेशकों में से कोई भी दस से अधिक समितियों में सदस्य नहीं थे या सभी सूचीबद्ध संस्थाओं में पांच से अधिक समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करते थे, जिसमें वह एक निदेशक है। कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों में से कोई भी सात से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशकता धारित नहीं करते हैं।

5. कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत बनाए गए संगत नियमों के साथ पढित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बोर्ड/ समिति की बैठकों में निदेशक की भागीदारी सुविधाजनक बनाती है। निदेशकों जैसे श्री सतींदर पाल सिंह आईपीएस, श्री संजय बंदोपाध्याय आईएएस, श्री प्रदीप्ता बैनर्जी, श्रीमती रूपा शोखर राय और श्री कृष्णदास ई ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान सुविधा का लाभ उठाया है।

6. निदेशक मंडल और समितियों की बैठकें लिस्टिंग विनियमों और कंपनी अधिनियम, 2013 में विनिर्दिष्ट तरीके में आयोजित की गई है।

बोर्ड बैठकों और पिछली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में निदेशकों की उपस्थिति

7. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान छह बोर्ड बैठकें हुई थी। बोर्ड बैठकों और एजीएम में निदेशकों की उपस्थिति संबंधी विवरण नीचे दिया जाता है

निदेशक का नाम	2019					2020	एजीएम अगस्त 13, 2019
	मई 21	जुलाई 29	अगस्त 13	अक्टूबर 23	नवंबर 12	फरवरी 11	
श्री मधु एस नायर	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री सतीन्द्र पाल सिंह, आईपीएस	✓।		✓	✓		लागू नहीं	✓
श्री संजय बंदोपाध्याय आईएएस	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	✓।	लागू नहीं
श्री ज्योतिलाल के आर, आईएएस	×	×	×	×	×	×	×
श्री डी पॉल रंजन	✓	✓	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री सुरेश बाबु एन वी	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री बिजोय भास्कर	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री जोस वी जे	लागू नहीं	लागू नहीं	✓	✓	✓	✓	✓
श्रीमती रूपा शोखर राय	लागू नहीं	लागू नहीं	✓	✓	✓	✓	✓
श्री राधाकृष्ण मैनोन	लागू नहीं	लागू नहीं	✓	✓	✓	✓	✓
श्री कृष्ण दास ई	लागू नहीं	लागू नहीं	✓	✓	✓	✓	✓
श्री जिजी तोमसण आईएएस (से.नि.)	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓
श्री प्रदीप्ता बैनर्जी	✓	✓	✓।	×	✓	✓	×
श्री नंद कुमारन पुतेषत्त	✓	✓	✓	×	×	✓	✓

* वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया।

अन्य निदेशकता और समिति पद:

8. दिनांक 31 मार्च 2020 की तिथि पर निदेशकों द्वारा धारित निदेशकता की कुल संख्या और समितियों पर सदस्यता/ अध्यक्षता का पद नीचे दिया जाता है

निदेशक का नाम	अन्य सार्वजनिक कंपनियों में अन्य निदेशकता की संख्या		सार्वजनिक कंपनियों में अन्य बोर्ड समिति पद		अन्य सूचीबद्ध इकाई का नाम जहां व्यक्ति एक निदेशक है	सूचीबद्ध इकाई में निदेशकता की श्रेणी
	अध्यक्ष	सदस्य	अध्यक्ष	सदस्य		
श्री मधु एस नायर	1	1	-	-	-	-
श्री संजय बंदोपाध्याय आईएएस	-	-	-	-	-	-
श्री ज्योतिलाल के आर, आईएएस	-	6	1	2	-	-
श्री सुरेश बाबु एन वी	-	1	-	-	-	-
श्री बिजोय भास्कर	-	1	-	-	-	-
श्री जोस वी जे	-	1	-	-	-	-
श्री जिजी तोमसण आईएएस (से.नि.)	-	-	-	-	-	-
श्री प्रदीप्ता बैनर्जी	-	-	-	-	-	-
श्री नंद कुमारन पुत्तेषत्त	1	3	-	2	अट्लस ज्वलरी इंडिया लिमिटेड	गैर-कार्यपालक निदेशक

- ऊपर उल्लिखित अनुसार निदेशकों द्वारा धारित निदेशकता में निजी कंपनियों, विदेशी कंपनियों और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत कंपनियों में एवजी निदेशकता और निदेशकता शामिल नहीं है।
- केवल सभी सार्वजनिक कंपनियों और सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा समितियों और हितधारक की संबंध समितियों की सदस्यता/ अध्यक्षता विचार किया गया है।

9. निम्नलिखित को छोड़कर कोई भी निदेशक को दिनांक 31 मार्च 2020 की तिथि पर कंपनी में कोई भी शेयर नहीं है:

निदेशक का नाम	धारित इक्विटी शेयरों की संख्या
श्री मधु एस नायर	600
श्री बिजोय भास्कर	510

निदेशक बोर्ड के कौशल/ विशेषज्ञता/ क्षमता का चार्ट

क्र.सं.	कौशल/ विशेषज्ञता/ क्षमता	श्री मधु एस नायर	श्री सुरेश बाबु एन वी	श्री बिजोय भास्कर	श्री जोस वी जे	श्री संजय बंदोपाध्याय, आईएएस	श्री के आर ज्योतिलाल, आईएएस	श्री जिनी तोमसण आईएएस (से.नि.)	श्री प्रदीप्ता बैनर्जी	श्री नंद कुमारन पुतेषत्त
1	पोत निर्माण/ मरम्मत उद्योग अनुभव	✓	✓	✓	✓					
2	पोत निर्माण/ मरम्मत क्षेत्र का ज्ञान	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	लेखा ज्ञान				✓					✓
4	वित्तीय/ निवेश ज्ञान	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
5	कानून				✓	✓	✓	✓		
6	विपणन अनुभव	✓	✓	✓	✓					
7	सूचना प्रौद्योगिकी			✓	✓	✓				
8	जोखिम प्रबंध प्रणालियों का विकास और कार्यान्वयन	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	मानव संसाधन प्रबंधन अनुभव	✓		✓		✓	✓	✓		✓
10	कार्यनीति/ कॉर्पोरेट योजना विकास और कार्यान्वयन	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	अन्य सूचीगत कंपनियों में निदेशक पद का अनुभव							✓		✓
12	असूचीगत कंपनियों में निदेशक पद का अनुभव	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	अखण्डता और उच्च नैतिक मानक	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	नेतृत्व कौशल	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	सामाजिक कल्याण अभिविन्यास	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
16	सरकारी संबंधों से अनुभव	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

स्वतंत्र निदेशक

- पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र निदेशकों को तीन साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। नियुक्ति के मुख्य शर्तें <https://cochinshipyard.com/board-of-directors/independent> में प्राप्त किया जा सकता है।
- स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचितीकरण कार्यक्रम आम तौर पर बोर्ड प्रक्रिया का हिस्सा बनता है। स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड / समिति बैठकों में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित पर अविरत आधार पर अद्यतन किया जाता है।
 - उद्योग की प्रकृति जिसमें कंपनी संचालित होती है।
 - कंपनी के विभिन्न व्यापार प्रभागों के व्यापार परिस्थिति और संचालनात्मक मॉडल जिसमें भविष्य के महत्वपूर्ण विकास शामिल है।
 - कंपनी पर प्रभाव वाले नियामक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव।
- स्वतंत्र निदेशकों को परिचितीकरण कार्यक्रम का विवरण <https://cochinshipyard.com/uploads/FTPStaging/INDPDIR/famil.pdf> में प्राप्त किया जा सकता है।
- बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशक सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं), 2015 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

स्वतंत्र निदेशकों की बैठकें

14. कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV के अनुसार, कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की एक बैठक दिनांक 19 जून 2020 को हुई थी, जिसमें सभी गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशकों, यानी श्री जिजी तोमसण, आईएएस (से.नि.), श्री प्रदीप्ता बैनर्जी और श्री नन्द कुमारन पुतेषत्त ने भाग लिया था।

बोर्ड के सदस्यों को सूचना की उपलब्धता

15. कंपनी के भीतर की तथा कर्मचारी की जानकारी प्राप्त करने के लिए बोर्ड को पूरा अधिकार है। बोर्ड के बैठकों में कार्यपालकों जिनको बैठक में चर्चा की जानेवाली मद संबंधी अतिरिक्त अंतर्दृष्टि दी जा सकती है, की उपस्थिति स्वागत करती है। बोर्ड के समक्ष रख जाने के लिए साधारण रूप से आवश्यक जानकारियों में निम्नलिखित सूचनाएं शामिल करना है:

- शेयरों पर अभुक्त पैसे के संबंध में शेयरधारकों को निर्देश देना।
- प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद को प्राधिकृत करना।
- भारत और विदेश में ऋण पत्र सहित प्रतिभूतियों को जारी करना।
- पैसा उधार में लेना।
- कंपनी की निधियों का निवेश।
- ऋण के संबंध में प्रतिभूति प्रदान करना या गारंटी देना या ऋण मंजूर करना
- वित्तीय विवरण और बोर्ड की रिपोर्ट का अनुमोदन करना।
- कंपनी के व्यापार में विविधता लाना।
- समामेलन, विलय या पुनर्निर्माण का अनुमोदन करना।
- कंपनी का बदलाव, या किसी अन्य कंपनी में एक नियंत्रित लाभ या पर्याप्त शेयर प्राप्त करना।
- मुख्य संबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति या हटाव।
- आंतरिक लेखापरीक्षक और सचिवीय लेखापरीक्षक की नियुक्ति।
- निदेशकों के हित में सामान्य सूचनाएं।
- बोर्ड समितियों के विचारार्थ विषय
- लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त, परिचालन के जरिए पारित संकल्प और सहायक कंपनी की बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त भी।
- व्यापार, पूंजी बजट और किसी आधुनिकीकरण की वार्षिक प्रचालन योजनाएं।

- कंपनी और इसके परिचालन प्रभागों या व्यावसायिक क्षेत्रों की तिमाही परिणाम।
- लाभांश की घोषणा।
- सामग्री, निवेश तथा संपत्ति की बिक्री जो कारोबार के सामान्य प्रक्रिया में नहीं है।
- विदेशी मुद्रा विनिमय की अवस्थिति विनिमय दर की प्रतिकूल गति के जोखिम सीमित करने के लिए प्रबंध द्वारा लिए गए कदम, यदि महत्वपूर्ण है, का तिमाही विवरण।
- आंतरिक लेखा-परीक्षा के निष्कर्षों तथा बाह्य लेखा परीक्षा रिपोर्ट (लेखा परीक्षा समिति के जरिए)
- कारोबार जोखिम विवरणों की स्थिति, उसके प्रबंध और संबंधित क्रिया योजनाएं।
- किसी संयुक्त उद्यम या सहयोग समझौता का विवरण।
- कारण दिखाने, माँग, अभियोजन सूचनाएं और दंड सूचनाएं जो वस्तुतः महत्वपूर्ण हैं।
- घातक या गंभीर दुर्घटनाएं, खतरात्मक घटनाएं, किसी भी द्रव्यात्मक स्रव अथवा प्रदूषण समस्याएं।
- कार्यान्वयन के लिए विचार किए तथा शुरू किए सभी नीति संबंध मामलाएं।
- कंपनी को या कंपनी द्वारा बेचे गए माल के लिए पर्याप्त और भुगतान तथा कंपनी को या कंपनी द्वारा वित्तीय दायित्वों में कोई सामग्री डिफोल्ट है।
- कोई भी मुद्दे जिसमें पर्याप्त प्रकृति के संभावित सार्वजनिक या उत्पाद देयता के दावें शामिल हो, जो कंपनी के आधार पर पारित गुण-दोष व्यवस्था हो, या एक अन्य उद्यम के बारे में प्रतिकूल दृष्टिकोण लिए हो, जो कंपनी पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
- मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव की नियुक्ति या पदच्युति सहित बोर्ड स्तर के ठीक नीचे के वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती और पारिश्रमिक पर जानकारी।
- किसी भी नियामक का गैर अनुपालन, सांविधिक या सूचीकृत आवश्यकताएं तथा शेयरधारकों की सेवाएं अर्थात् लाभांश का गैर-भुगतान, शेयर स्थानांतरण में देरी आदि।
- महत्वपूर्ण श्रम समस्याओं तथा उसके प्रस्तावित समाधान मानव संसाधन या औद्योगिक संबंधों जैसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन में किसी भी महत्वपूर्ण विकास।

- पूंजीगत बजट और कोई भी अपडेट।
- लेनदेन जिसमें सद्भावना, ब्रांड इक्विटी, या बौद्धिक संपत्ति की ओर सारभूत भुगतान शामिल है।
- विदेशी मुद्रा अरक्षितता का त्रैमासिक विवरण और प्रतिकूल विनियम दर संचलन, यदि महत्वपूर्ण है, के जोखिमों को सीमित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदम।

पहले से वितरित बोर्ड सामग्री

16. आपातकालीन बैठकों को छोड़कर, प्रत्येक बोर्ड और समिति की बैठकों की सूचना पहले ही सात दिनों के भीतर सभी सदस्यों को भेज दी जाती है। सभी बोर्ड के सदस्यों की सहमति के साथ आपातकालीन बैठकों को छोड़कर, प्रत्येक बोर्ड बैठकों / समितियों के लिए कार्यसूची टिप्पणियां अध्यक्ष से परामर्श करके प्रारूपित और निश्चित कार्यसूची प्रपत्र में पहले ही सात दिनों के भीतर निदेशकों को परिचालित किया गया। बैठक में अर्थपूर्ण एवं संकेन्द्रित चर्चाओं की सुविधा के लिए सभी सामग्री की जानकारी शामिल किया है। जहाँ यह साध्य नहीं हो कि दस्तावेज को संलग्न करना कार्यसूची के साथ किसी उक्त विषय कार्यसूची के विषय के विशिष्ट संदर्भ के साथ पर रखे जाते हैं। विशेष एवं असाधारण परिस्थितियों में, बैठक में उपस्थित सभी निदेशकों की अनुमति से कार्यसूची पर अतिरिक्त या पूरक मद (मदें) अनुज्ञप्त है।
17. सीएसएल ने अपनी बैठकों को एक बोर्ड प्रबंधन सॉफ्टवेयर की शुरुआत से जैसे डेस डिजिटल बैठक, जो डिजिटल प्रारूप में बैठक दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से सृजित करने, वितरित करने और प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि बोर्ड के सदस्यों को सही समय पर और सुरक्षित रूप से सूचना प्राप्त होता है। यह बोर्ड प्रबंधन सॉफ्टवेयर कार्यसूची दस्तावेज तैयार करने से लेकर बैठकों के कार्यवृत्त को अंतिम रूप देने तक पूरी बैठक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा, जिससे समय, प्रयास और लागत में बचत होगी और शासन में सुधार होगा।

बोर्ड एवं समिति बैठकों में कार्यवृत्त का कार्यवाहियों का अभिलेखन

18. प्रत्येक बोर्ड और समिति बैठकों के कार्यवृत्त की कार्यवाहियों का अभिलेख कंपनी सचिव करता है। कार्यवृत्त का मसौदा बोर्ड/ समिति के सभी सदस्यों को उनकी टिप्पणियों के लिए बैठक की समाप्ति से पंद्रह दिनों के भीतर परिचालित करता है। अंतिम कार्यवृत्त बैठक के समापन से 30 दिनों के भीतर कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज करता है।

बैठक के बाद आगे की कार्यवाही तंत्र

19. बोर्ड / बोर्ड समिति बैठकों में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों तुरंत संबंधित विभागों/ प्रभागों को भी भेजी जाती है। पिछली बैठक (बैठकों) के

निर्णयों/ कार्यवृत्त पर कार्यवाही रिपोर्ट बोर्ड/समिति की तुरंत परवर्ती बैठक में रखा जाता है।

अनुपालन

20. बैठक (बैठकों) की कार्यसूची पर टिप्पणी, कार्यवृत्त आदि तैयार करते वक्त लागू कानूनों तथा विनियमों का पालन आवश्यक है और यह सुनिश्चित करने को कंपनी सचिव जिम्मेदार है जिसमें कंपनी अधिनियम, अधिनियम, 2013 के साथ पढे और उसके तहत बनाए जारी नियमों और कंपनी सचिव सहित संस्थान द्वारा जारी की गई सचिवीय मानकों और भारत सरकार द्वारा अधिसूचित भी शामिल हैं।

बोर्ड समितियां

21. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, सीएसएल के बोर्ड की पांच समितियां अर्थात्, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन व पारिश्रमिक समिति, निर्गमित सामाजिक दायित्व और धारणीय विकास समिति, हितधारक संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति थी।
22. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, सीएसएल के बोर्ड को चार गैर - सांविधिक समितियां जैसे अनुबंध एवं कैपेक्स समिति, नई प्रौद्योगिकी, कार्यनीति और नई पहल समिति और शेरर अंतरण समिति और पोत निर्माण सॉफ्टवेयर मूल्य समझौता समिति थी।

लेखा-परीक्षा समिति

23. सीएसएल की लेखापरीक्षा समिति का गठन दिनांक 21 अगस्त, 2008 को किया गया था। तीन स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल के पूरा होने के कारण, वर्तमान लेखापरीक्षा समिति दिनांक मार्च 21, 2020 से पुनर्गठित की गई।

विचारार्थ विषय

24. लेखा-परीक्षा समिति का विचारार्थ विषय निम्नलिखित है :
 - i. सूचीबद्ध संस्थान के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और इसके वित्तीय सूचना के प्रकटीकरण का निरीक्षण से यह सुनिश्चित करें कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है।
 - ii. भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक के आदेश के आधार पर हमारी कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए सिफारिश, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तें।
 - iii. सांविधिक लेखा-परीक्षकों को उनके द्वारा दी गई किसी अन्य सेवाओं के लिए भुगतान की मंजूरी।
 - iv. निम्न विशेष संदर्भ के साथ अनुमोदन बोर्ड को प्रस्तुत करने के पहले प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरणों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करना।

1. निदेशकों की उत्तरदायित्व विवरण में शामिल करनेवाले अपेक्षित मामलों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (ग) के अनुसार बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किया जाना है,
 2. लेखांकन नीतियों और कार्यों में परिवर्तन, यदि कोई हो, और वही केलिए कारण,
 3. प्रबंधन द्वारा निर्णय के आधार पर अनुमानों को शामिल करते हुए प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियां,
 4. लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय वक्तव्यों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन,
 5. वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीकरण और अन्य कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन,
 6. किसी भी संबंधी पार्टी लेनदेन का प्रकटीकरण,
 7. मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय ।
- v) अनुमोदन केलिए बोर्ड को प्रस्तुत करने के पहले प्रबंधन के साथ तिमाही वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना ।
- vi) प्रबंधन के साथ, मुद्दे (सावर्जनिक मुद्दे, अधिकार मुद्दे, अधिमान्य मुद्दे आदि) के जरिए उठाए गए निधियों का उपयोग/अनुप्रयोग का विवरण, पेशकश दस्तावेज/विवरण-पुस्तिका/नोटिस में बताए गए कार्यों के अलावा अन्य प्रयोजनों केलिए उपयुक्त निधियों का विवरण और सावर्जनिक या अधिकार मुद्दे के आय के उपयोग की जांच करते हुए निरीक्षण अभिकरण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट समीक्षा करना और इस मामले पर कदम उठाने केलिए बोर्ड को उचित सिफारिश देना ।
- vii) लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता और कार्य-निष्पादन, और लेखापरीक्षा प्रणाली की प्रभाविता की समीक्षा और जांच करना,
- viii) संबंधी पार्टियों के साथ हमारी कंपनी के लेनदेन केलिए अनुमोदन या किसी आगामी संशोधन,
- ix) अंतर-कॉरपरेट ऋण और निवेश की जांच,
- x) जहां भी आवश्यक हो, हमारी कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन,
- xi) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन,
- xii) प्रबंधन के साथ सांविधिक और आंतरिक लेखापरीक्षकों का कार्य-निष्पादन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की उपयुक्तता की समीक्षा करना,
- xiii) आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, विभाग के शीर्षस्थ अधिकारी के स्टाफिंग तथा वरिष्ठता, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों यदि कोई हो, की उपयुक्तता की समीक्षा करना,
- xiv) कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष के लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा और इसपर अनुवर्ती कार्रवाई,
- xv) आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा उन मामलों में जहां सामान प्रकृति के आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के संदेहास्पद धोखाधड़ी या अनियमितता या एक विफलता, पर कोई आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना और बोर्ड को मामले के बारे में सूचित करना,
- xvi) लेखापरीक्षा शुरू होने के पहले, लेखापरीक्षा की प्रकृति तथा विषय के बारे में सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा साथ ही साथ विचार के किसी क्षेत्र का पता लगाने केलिए पोस्ट-ऑडिट चर्चा ।
- xvii) जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न करने के मामले में) और लेनदारों को भुगतान में पर्याप्त चूक के कारणों पर ध्यान दें,
- xviii) पर्दाफाश तंत्र के कार्यों की समीक्षा करना,
- xix) उम्मीदवार के योग्यता, अनुभव, पृष्ठभूमि आदि का आकलन करने के बाद मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति केलिए अनुमोदन,
- xx) निम्नलिखित सूचना की समीक्षा
1. प्रबंधन चर्चा तथा वित्तीय स्थिति का विश्लेषण और कार्रवाई के परिणाम,
 2. प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत संबंधित पक्ष के लेनदेन के महत्वपूर्ण विवरण (लेखापरीक्षा समिति द्वारा परिभाषित अनुसार)
 3. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी आंतरिक नियंत्रण कमियों का प्रबंधन पत्र/पत्रों,
 4. आंतरिक लेखा कमियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, और
 5. मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति, पदच्युति और पारिश्रमिक की शर्तें लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा के अधीन होगी ।
 6. विचलन का विवरण:
 - i. निरीक्षण अभिकरण की रिपोर्ट सहित विचलन के तिमाही विवरण, यदि लागू हो, सेबी सूचीकरण

विनियमों के विनियमन 32 (1) के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत किया है;

ii. सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियमन 32 (7) के अनुसार पेशकश दस्तावेज/प्रोस्पेक्ट्स/नोटिस में बताए कार्यों को छोड़कर अन्य उद्देश्यों के लिए उपयुक्त निधियों का वार्षिक विवरण,

xxi) नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा अवलोकन पर अनुवर्ती कार्रवाई पर समीक्षा,

xxii) नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा अवलोकन पर अनुवर्ती कार्रवाई पर समीक्षा,

xxiii) लेखापरीक्षा समिति नियंत्रित कंपनी जो 100 करोड़ से अधिक है, या नियंत्रित कंपनी के परिसंपत्ति आकार 10% से अधिक हो, जो भी कम हो, जिसमें इस प्रावधान लागू होने की तिथि को मौजूदा ऋण/अग्रिम/निवेश शामिल हैं, होलिंग कंपनी द्वारा दिए गए निवेश से ऋणों और/या अग्रिमों के उपयोग की समीक्षा करेगी।

xxiv) वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार संशोधितानुसार, सेबी (अंतरंग व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा।

xxv) सत्यापित करें कि आंतरिक नियंत्रण के लिए संशोधितानुसार अपेक्षित प्रणाली सेबी (अंतरंग व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 के अनुसार बनाए रखा जाना आवश्यक है और प्रभावी ढंग से चल रहे हैं : तथा

xxvi) समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित किए अनुसार अन्य किसी कार्यों को करना।

लेखा-परीक्षा समिति का अधिकार: -

25. निम्नलिखित अधिकार समिति को सौंप दिया जाता है:
 - क) अपने विचारार्थ विषय के अंतर्गत किसी भी गतिविधि का जांच करना।
 - ख) किसी कर्मचारी पर और से सूचना तलाशना।
 - ग) निदेशक मंडल के अनुमोदन के अधीन बाह्य कानूनी अथवा अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त करना; और
 - घ) यदि आवश्यक समझते हैं, तो संगत विशेषज्ञता सहित बाहरी आदमियों की उपस्थिति प्राप्त करना।
26. लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित वित्तीय प्रबंध से संबंधित किसी मामला पर लेखा- परीक्षा समिति की सिफारिश, बोर्ड पर बाध्य होगा।

27. यदि बोर्ड लेखा-परीक्षा समिति के सिफारिशों को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वह इसका कारण अंकित करेगा और शेयरधारकों को ऐसा कारण संसूचित करेगा।

गठन

28. दिनांक 31 मार्च 2020 को अध्यक्ष के रूप में श्री नंद कुमारन पुत्तेषत्त, गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक, सदस्यों के रूप में श्री जिजी तोमसण, गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक और श्री प्रदीप्ता बैनर्जी, गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक के साथ लेखा परीक्षा समिति गठित की है।
29. लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित व्यक्तियों के रूप में कंपनी के निदेशक (वित्त), सचिवीय लेखा परीक्षकों, सांविधिक लेखापरीक्षकों और आंतरिक लेखापरीक्षकों के प्रतिनिधि भाग लिया जाता है। आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्य सनदी लेखाकारों के एक फर्म को बाह्यस्रोतीकृत किया है। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

वर्ष 2019-20 के दौरान हुई लेखापरीक्षा समिति की बैठकें और उपस्थिति:

30. वर्ष 2019-20 के दौरान समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में अपेक्षित कोरम उपस्थित थे। बैठक के दौरान उपस्थिति निम्न प्रकार थी।

क्र. सं.	निदेशक का नाम	मई 21, 2019	जुलाई 29, 2019	नवंबर 12, 2019	फरवरी 11, 2020
1	श्री राधाकृष्ण मेनोन	लागू नहीं	लागू नहीं	✓	✓
2	श्री ई कृष्णदास	लागू नहीं	लागू नहीं	✓	✓
3	श्री नंद कुमारन पुत्तेषत्त	✓	✓	×	✓
4	श्री जिजी तोमसण	✓	✓	लागू नहीं	लागू नहीं
5	श्री प्रदीप्ता बैनर्जी	✓	✓	लागू नहीं	लागू नहीं

नामांकन व पारिश्रमिक समिति

31. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के पारिश्रमिक समिति, दिनांक 13 दिसंबर 2008 को स्वीकृत परिपत्र संकल्प के द्वारा गठित की गई। तीन स्वतंत्र निदेशकों की अवधि की पूर्ति के कारण, वर्तमान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति दिनांक मार्च 21, 2020 से पुनर्गठित की गई।

विचारणीय विषय

32. नामांकन व पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित है:
- कंपनी अधिकारियों एवं असंघीकृत पर्यवेक्षकों के बीच वितरण करने के लिए वार्षिक बोनस/ निष्पादन भुगतान/ परिवर्तनीय पूल दिवस व नीति का निर्णय करना,
 - अधिकारियों एवं असंघीकृत पर्यवेक्षकों को प्रदान करने वाले परिलब्धियों और भत्ताओं के लिए योजना की संरूपण और संशोधन,
 - अधिकारियों, असंघीकृत पर्यवेक्षकों और कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति के किसी नई योजना जैसी चिकित्सा योजना, पेंशन आदि जैसे मामला हों, और
 - सेबी सूचीकरण विनियमों और अन्य किसी कानून के प्रावधानों द्वारा इसे सौंपे गए अन्य भूमिकाओं और समय-समय पर इसके संशोधनों का प्रयोग करना ।

गठन

33. दिनांक 31 मार्च 2020 को, समिति में अध्यक्ष के रूप में श्री जिजी तोमसण, गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक , सदस्यों के रूप में श्री ज्योतिलाल के आर, आईएएस, सरकारी अंशकालिक (नामित) निदेशक और श्री नंद कुमारन पुत्तेषत्त, गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक शामिल हैं।

वर्ष 2019-20 के दौरान आयोजित नामांकन व पारिश्रमिक समिति की बैठकें तथा उपस्थिति:

34. वर्ष 2019-20 के दौरान नामांकन व पारिश्रमिक समिति की पांच बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में अपेक्षित कोरम उपस्थित थे। बैठक के दौरान उपस्थिति निम्न प्रकार था :

क्र. सं.	सदस्यों का नाम	जून 28, 2019	जुलाई 29, 2019	फरवरी 11, 2020	मार्च 13, 2020	मार्च 19, 2020
1	श्री ई कृष्ण दास	लागू नहीं	लागू नहीं	✓	✓	✓*
2	श्री ज्योतिलाल के आर आईएएस	✓	×	×	×	×
3	श्रीमती रूपा शेखर राय	लागू नहीं	लागू नहीं	✓	✓*	✓*
4	श्री जिजी तोमसण	✓	✓	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	श्री नंद कुमारन पुत्तेषत्त	✓	✓	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

* वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया ।

पारिश्रमिक नीति

35. कंपनी की संगम नियमावली के अनुच्छेद 21 (क) के अधीन भारत के राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर निश्चित जैसे पारिश्रमिक निदेशकों को दिया जाएगा। बोर्ड स्तर के कार्यपालकों को वेतन और भत्ते नियुक्ति की शर्तों, उपर्युक्त विषय में सार्वजनिक उद्यम विभाग के मार्गनिर्देशों के अनुरूप में और अन्य लाभ और परिलब्धियां सीएसएल के नियमों के अनुरूप में दिया जाता है। बोर्ड स्तर के कार्यपालकों और असंघीकृत पर्यवेक्षकों का पारिश्रमिक डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार और प्रशासनिक मंत्रालय (पोत परिवहन मंत्रालय) द्वारा अनुमोदित रूप में हैं। कामगारों का पारिश्रमिक प्रबंधन और मान्यताप्राप्त श्रमिक संघों के बीच दीर्घकालीन समझौता के अनुसार है।
36. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा पूर्ण कालिक निदेशकों को दिए गए भुगतान का विवरण इस रिपोर्ट के साथ **अनुलग्नक I** में रखा गया है।

बैठक शुल्क

37. बोर्ड या इसकी समिति की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने के लिए गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशकों को 15,000/- रुपए दर पर बैठक शुल्क दिया जा रहा है। सरकारी अंशकालिक (नामांकित) निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। गैर कार्यकारी निदेशकों को भुगतान करने का मानदंड निम्नलिखित लिंक में दिया गया है: <https://cochinshipyard.com/board-of-directors/independent>
38. वर्ष 2019-20 के लिए गैर सरकारी अंशकालिक निदेशकों की बैठक शुल्क का भुगतान निम्नानुसार है :

क्र.सं.	नाम	शुल्क (रुपए में)
1	श्रीमती रूपा शेखर राय	1,50,000
2	श्री राधाकृष्ण मेनोन	1,35,000
3	श्री ई कृष्णदास	1,50,000
4	श्री जिजी तोमसण आईएएस (से.नि.)	1,95,000
5	श्री प्रदीप्ता बैनर्जी	1,80,000
6	श्री नंद कुमारन पुत्तेषत्त	2,25,000

39. चूंकि भारत के राष्ट्रपति गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशकों को नियुक्त करते हैं, इसलिए ऐसे निदेशकों की निष्पादन का मूल्यांकन भी भारत सरकार द्वारा ही किया जाता है।

हितधारक संबंध समिति

40. दिनांक 20 सितंबर 2016 को आयोजित 227 वीं बोर्ड बैठक में संकल्प सं. 227/08 द्वारा हितधारक संबंध समिति, बोर्ड की एक

उप-समिति, को गठित किया गया । तीन स्वतंत्र निदेशकों की अवधि की पूर्ति के कारण, वर्तमान हितधारक संबंध समिति दिनांक 21 मार्च 2020 से पुनर्गठित की गई ।

विचारार्थ विषय

41. हितधारक संबंधी समिति के विचारणीय विषय निम्नलिखित है:
- कंपनी के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों का समाधान करना, जिसमें शेयरों के हस्तांतरण/अंतरण से संबंधित शिकायतें, वार्षिक रिपोर्ट की अनुपलब्धता, घोषित लाभांश की अप्राप्ति, नए/अनुलिपि प्रमाणपत्र जारी करना, आम बैठकें आदि शामिल हैं
 - शेयरधारकों द्वारा मतदान के अधिकार के प्रभावी कार्य केलिए किए गए उपायों की समीक्षा,
 - रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट द्वारा जारी विभिन्न सेवाओं के संबंध में सूचीबद्ध संस्था द्वारा अपनाई गई सेवा मानकों के पालन की समीक्षा, और
 - कंपनी के शेयरधारकों द्वारा अदावे लाभांश की मात्रा को कम करने और लाभांश वारंट/वार्षिक रिपोर्ट/ सांविधिक सूचना की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने केलिए सूचीबद्ध संस्था द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा ।

गठन

42. दि. 31 मार्च 2020 की तिथि पर समिति में समिति के अध्यक्ष के रूप में श्री नंद कुमारन पुतेषत्त, गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक, सदस्यों के रूप में श्री सुरेश बाबु एन वी, निदेशक (प्रचालन) और श्री जोस वी जे, निदेशक (वित्त) शामिल हैं ।

वर्ष के दौरान आयोजित हितधारक की संबंध समिति की बैठकें और उपस्थिति:

43. वर्ष 2019-20 के दौरान हितधारक संबंधी समिति की एक बैठक दिनांक 11 फरवरी 2020 को आयोजित की गई। इन बैठकों में अपेक्षित कोरम उपस्थित थे। बैठक के दौरान उपस्थिति निम्न प्रकार थी।

क्र.सं.	सदस्य का नाम	फरवरी 11, 2020
1	श्री ई कृष्णदास	✓
2	श्री सुरेशबाबु एन वी	✓
3	श्री जोस वी जे	✓

अनुपालन अधिकारी का नाम, पदनाम और पता

श्री श्यामकमल एन
कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड,
प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर,
पेरुमानूर, कोच्ची, केरल- 682015
टेली : अ91 (484) 2501306, फैक्स: अ91 (484) 2384001
ईमेल: secretary@cochinshipyard.com वेबसाइट : www.cochinshipyard.com

दि. 31 मार्च 2020 की तिथि पर और लिस्टिंग विनियमों के विनियम 13(3) के तहत रिपोर्ट की गई निवेशक शिकायतों की स्थिति:

दि. 01 अप्रैल 2019 की तिथि पर शिकायत	0
वर्ष के दौरान प्राप्त	15
वर्ष के दौरान हल किया गया	15
शेयरधारकों के समाधान तक नहीं सुलझाया	0
दि. 31 मार्च 2020 की तिथि पर लंबित	0

जोखिम प्रबंधन समिति

44. सीएसएल के जोखिम प्रबंधन समिति दिनांक फरवरी 08, 2019 को गठित की गई ।

विचारार्थ विषय

45. निम्नलिखित जोखिम प्रबंधन के विचारार्थ विषय हैं :
- साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने केलिए उठाए गए कदम सहित जोखिम प्रबंधन योजना की निगरानी और समीक्षा ।
 - यह सुनिश्चित करें कि अपेक्षित जोखिम दस्तावेजीकरण तिमाही आधार पर किया जाता है।
 - जोखिम प्रबंधन पर अद्यतन प्रदान करें और निदेशक मंडल से अनुमोदन प्राप्त करना ।
 - ऐसे अन्य कार्य जो समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं ।

गठन

46. दिनांक 08 फरवरी, 2019 को जोखिम प्रबंधन समिति का गठन हुआ था। समिति के गठन होने के पूर्व, बोर्ड और लेखा परीक्षा समिति द्वारा समय-समय पर जोखिमों की समीक्षा की गई थी । दि. 31 मार्च 2020 की तिथि पर समिति में श्री सुरेशबाबु एन वी, निदेशक (प्रचालन), श्री बिजोय भास्कर, निदेशक (तकनीकी) और श्री जोस वी जे, निदेशक (वित्त) शामिल हैं ।

वर्ष के दौरान आयोजित जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकें और उपस्थिति:

47. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की एक बैठक आयोजित की गई। इन बैठकों में अपेक्षित कोरम उपस्थित थे। बैठक के दौरान उपस्थिति निम्न प्रकार थी।

क्र.सं.	सदस्य का नाम	जनवरी 28, 2020
1	श्री सुरेशबाबु एन वी	✓
2	श्री बिजोय भास्कर	✓
3	श्री जोस वी जे	✓

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं धारणीय विकास समिति

48. केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों में निगमित सामाजिक दायित्व से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने के लिए दिनांक 05 सितंबर 2008 को हुई 181 वीं बोर्ड बैठक में बोर्ड में एक उप समिति का गठन (संकल्प सं. 181/09 देखें) किया था।
49. दिनांक 23 नवंबर 2011 को हुई 197 वीं बोर्ड बैठक में धारणीय विकास समिति, बोर्ड के एक उप समिति गठित की गई। सीपीएसईयों में धारणीय विकास पर डीपीई ने का.ज्ञा.सं. 3(9)/2010- डीपीई (एमओयू) 23 सितंबर 2011 द्वारा धारणीय विकास पर विस्तृत दिशा निर्देशों जारी किया है।
50. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के तहत निर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुरूप सीएसआर गतिविधियों से संबंधित मामलों को तय करने के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति और धारणीयता विकास समिति को संविलीन करने हेतु निर्णय लिया था। तीन स्वतंत्र निदेशकों की अवधि की पूर्ति के कारण, वर्तमान सीएसआर एवं एसडी समिति दिनांक मार्च 21, 2019 से पुनर्गठित की गई।

विचारार्थ विषय

51. निगमित सामाजिक दायित्व और धारणीय विकास समिति के विचारणीय विषय निम्नलिखित हैं:
- (i) बोर्ड को सीएसआर और धारणीय विकास नीति सिफारिश करना।
- (ii) कार्रवाई योजना और परियोजनाएं जो सीएसआर और धारणीय विकास के लिए अल्प, माध्यम और दीर्घ काल में शुरू करना है, सिफारिश करना।

(iii) वार्षिक सीएसआर व धारणीयता विकास योजना और बजट की सिफारिश करना।

(iv) सीएसआर और धारणीय विकास नीति, योजनाएं तथा बजटों का आवधिक समीक्षा।

गठन

52. दि. 31 मार्च 2020 की तिथि पर, श्री जिजी तॉमसण, गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक अध्यक्ष के रूप में और श्री बिजोय भास्कर, निदेशक (तकनीकी), श्री नंद कुमारन पुत्तेषत्त, गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक और श्री जोस वी जे, निदेशक (वित्त) के रूप में शामिल हैं।

वर्ष के दौरान हुई निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं धारणीय विकास समिति की बैठकें और उपस्थिति:

53. वर्ष 2019-20 के दौरान सीएसआर एवं एस डी समिति की पांच बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों की उपस्थिति नीचे दी हैं :

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	जून 28 2019	जुलाई 29 2019	नवंबर 12 2019	दिसंबर 20 2019	फरवरी 11 2020
1	श्रीमती रूपा शेखर राय	लागू नहीं	लागू नहीं	✓	✓	✓
2	श्री राधाकृष्ण मेनोन	लागू नहीं	लागू नहीं	✓	✓	✓
3	श्री पॉल रंजन डी	✓	✓	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4	श्री बिजोय भास्कर	✓	✓	✓	✓	✓
5	श्री जिजी तॉमसण	✓	✓	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6	श्री नंद कुमारन पुत्तेषत्त	✓	✓	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7	श्री जोस वी जे	लागू नहीं	लागू नहीं	✓	✓	✓

आम निकाय बैठकें

54. पिछली तीन वार्षिक आम निकाय बैठकों की तारीख, समय और स्थान निम्नानुसार है:

वर्ष	तारीख	समय	स्थान	पारित विशेष संकल्प
2018-19	अगस्त 13, 2019	11:00 बजे	दि मेर्सी होटल, एम जी रेड, रविपुरम, कोच्ची-682015	शून्य
2017-18	अगस्त 14, 2018	11:00 बजे	केरल फाइन आर्ट्स सोसाइटी हॉल, फॉरशोर रोड, पल्लिमुक्क, एर्णाकुलम - 682016	शून्य
2016-17	जुलाई 17, 2017	09:30 बजे	प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची-682 015	शून्य

पोस्टल मतदान

55. वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान डाक मतदान द्वारा कोई संकल्प नहीं दिया गया था।
56. आगामी एजीएम में किए जानेवाले प्रस्तावित व्यवसायों में से कोई भी को डाक मतदान के जरिए एक विशेष संकल्प पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

संचार का माध्यम

57. सभी मूल्य संवेदनशील जानकारी और मामलाएं जो शेयरधारक के लिए महत्वपूर्ण हैं, संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों जहाँ कंपनी की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं को प्रकट किया जाता है। एक्सचेंजों को सभी प्रस्तुतीकरण संबंधित इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम के माध्यम से किया जाता है।
58. तिमाही / अर्ध वार्षिक/ वार्षिक वित्तीय परिणाम निम्नानुसार प्रकाशित किए गए थे:

तिमाही/ अर्ध वार्षिक/ वार्षिक	महीने में
30 जून 2019 को समाप्त तिमाही	जुलाई
30 सितंबर 2019 को समाप्त तिमाही / अर्ध वार्षिक	नवंबर
31 दिसंबर 2019 को समाप्त तिमाही	फरवरी
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	जून

59. तिमाही/ अर्धवार्षिक/ वार्षिक परिणाम, सामान्य बैठकों से संबंधित नोटिस और जानकारी इत्यादि प्रमुख समाचार पत्रों जैसे दि बिजनेस लाइन (अखिल भारतीय प्रकाशन), मातृभूमि (कोचीन प्रकाशन) और जनसत्ता (सभी प्रकाशन) में प्रकाशित किए जाते हैं और लिस्टिंग विनियमों के तहत अपेक्षित अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों को अधिसूचित किया जाता है।
60. तिमाही/ अर्धवार्षिक/ वार्षिक वित्तीय परिणाम और शेयरधारकों और स्टॉक एक्सचेंजों को अन्य सूचना, अन्य बातों के साथ साथ, संस्थागत निवेशकों और विश्लेषकों, प्रेस विज्ञप्ति आदि कंपनी की वेबसाइट www.cochinshipyard.com में 'निवेशक' अनुभाग में उपलब्ध कराया जाता है। उन्हें एनएसई इलेक्ट्रॉनिक एप्लिकेशन प्रोसिसिंग सिस्टम (एनईएपीएस) और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के साथ बीएसई ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) के साथ भी फाइल किया जाता है।
61. प्रबंधन, विश्लेषकों और निवेशकों को तिमाही आधार पर संक्षिप्त विवरण दिया था। तिमाही / अर्ध वार्षिक/ वार्षिक परिणाम पर संस्थापक निवेशकों और विश्लेषकों को दी गई प्रस्तुतीकरण कंपनी के वेबसाइट में 'निवेशक' अनुभाग में उपलब्ध है।

सामान्य शेयरधारक जानकारी

62. वित्तीय वर्ष 2020 के लिए वार्षिक आम बैठक

तिथि	:	सितंबर 29, 2020
समय	:	11:00 बजे
स्थान	:	कंपनी दिनांक मई 05, 2020 के एमसीए परिपत्र के अनुसार वीसी/ओएवीएम के जरिए बैठक आयोजित कर रही है और इसे तरह से वार्षिक आम बैठक के लिए एक स्थान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जानकारी कृपया इस वार्षिक आम बैठक की सूचना देखें।

63. वित्त वर्ष: अप्रैल 01, 2019 से मार्च 31, 2020 तक

लाभांश भुगतान

64. एजीएम में अनुमोदित होने पर दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए अंतिम लाभांश दि. 06 अक्टूबर 2020, मंगलवार को या उसके बाद स्रोत पर कर की कटौती के अधीन भुगतान किया जाएगा। कंपनी जहां भी संभव हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा और अन्य मामलों में लाभांश वारंट/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा लाभांश का भुगतान करेगी।
65. पिछले तीन वित्तीय वर्षों में घोषित लाभांश के विवरण नीचे दिए गए हैं:

वित्तीय वर्ष	लाभांश प्रति शेयर (₹)
2016-17	8.97
2017-18	12.00
2018-19	13.00

सीएसएल ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रति शेयर इक्विटी 1.63 रुपए का अंतरिम लाभांश भी घोषित किया था।

शेयरों के सूचीकरण और स्टॉक कोड :

66. कंपनी के इक्विटी शेयरों को निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध है और वर्ष 2018-19 के लिए लिस्टिंग शुल्क स्टॉक एक्सचेंजों को चुकाया गया है।

स्टॉक एक्सचेंजों का नाम व पता	स्टॉक कोड
बीएसई लिमिटेड फिरोस जिजीभोई टॉवर, दलाल स्ट्रीट, मुंबई – 400 001	540678
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लासा, 5वां तल, बांद्रा-कुरला कोम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400 051	COCHINSHIP


67. कंपनी के शेयरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आईएसआईएन) (INE704P01017) है।
68. पिछले वित्त वर्ष के प्रत्येक महीने के दौरान (यानी समीक्षाधीन वर्ष) बाजार मूल्य डेटा- उच्च, निम्न

व्यापार की गई शेयरों का मूल्य और मात्रा


माह/ वर्ष	मुंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड			राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड		
	उच्च (₹)	कम (₹)	खंड (सं. लाख में)	उच्च (₹)	कम (₹)	खंड (सं. लाख में)
अप्रैल 2019	408.15	374.60	0.93	408.55	373.00	10.30
मई 2019	390.00	352.35	1.22	389.40	351.15	23.57
जून 2019	406.35	374.35	0.85	408.00	374.00	11.60
जुलाई 2019	395.85	348.20	0.66	389.95	350.00	8.92
अगस्त 2019	365.65	333.00	0.65	365.90	331.65	9.10
सितंबर 2019	368.00	328.30	0.74	368.55	329.00	13.56
अक्टूबर 2019	408.35	320.15	14.60	412.00	326.90	43.30
नवंबर 2019	424.55	370.00	2.77	424.55	390.00	32.70
दिसंबर 2019	408.80	380.10	1.28	409.20	379.15	17.92
जनवरी 2020	491.15	372.50	4.04	491.70	372.05	90.56
फरवरी 2020	383.25	332.20	3.12	383.60	335.00	65.09
मार्च 2020	345.95	209.00	4.51	346.75	209.10	71.94

व्यापक आधारित सूचकांक की तुलना में निष्पादन:

सीएसएल बनाम एनएसई निफ्टी



सीएसएल बनाम बीएसई सेनसेक्स



निलंबित प्रतिभूतियों का विवरण : लागू नहीं

रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट्स (आरटीए):

लिंक इन्टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,

सूर्या, 35, मईफ्लवर एवेन्यू ,

सेन्टिल नगर के पीछे,

सौरिपाल्यम रोड, कोयम्बतूर,

तमिलनाडु – 641 028

टेलि: 0422 2315792; फैक्स: 0422 2314792

ई मेल: coimbatore@linkintime.co.in

शेयर ट्रांसफर सिस्टम

69. कंपनी के शेयर अनिवार्य डीमैट सूची में होने के कारण जमाकर्ता प्रणाली के माध्यम से हस्तांतरणीय है।

शेयर होल्डिंग का वितरण :

70. फोलियो की संख्या के आधार पर शेयर होल्डिंग का वितरण (दि. 31 मार्च 2020 को)

धारित शेयरों की संख्या	सदस्य		शेयर	
	संख्या	%	संख्या	%
1-500	152930	97.6035	8097374	6.1558
501-1000	2164	1.3811	1630892	1.2398
1001-2000	827	0.5278	1201391	0.9133
2001-3000	260	0.1659	658543	0.5006
3001-4000	109	0.0696	393485	0.2991
4001-5000	97	0.0619	449657	0.3418
5001-10000	153	0.0976	1096055	0.8332
>10000	145	0.0925	118012993	89.7162
कुल	156685	100.0000	13,15,40,390	100.0000

शेयरों और लिक्विडिटी का डिमेट्रीरियलाइसेशन

71. कंपनी के शेयर अनिवार्य रूप से डिमेट्रीरियलाइस्ड रूप में व्यापार किया जाता है और दोनों जमाकर्ताओं यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल पर व्यापार केलिए उपलब्ध है।

धारित शेयरों की प्रतिशतता:-

भौतिक रूप से : 0.00

एनएसडीएल के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में : 93.63

सीडीएसएल के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में : 6.37

कंपनी के शेयर नियमित रूप से बीएसई और एनएसई पर व्यापार किया जाता है।

बकाया वैश्विक डिपोजिटरी सरीद (जीडीआर) या अमेरिकी डिपोजिटरी सरीद (एडीआर) या वारंट या किसी भी परिवर्तनीय उपकरण, परिवर्तन तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव : कोई नहीं।

विदेशी मुद्रा जोखिम और गतिविधियों की प्रतिरक्षा:

72. कंपनी को बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति और बाजार स्थितियों के आधार पर विदेशी मुद्रा अनावरण हेड किया जा रहा है।

73. प्रतिकूल विनिमय भिन्नताओं के कारण न्यूनतम प्रभाव बनाए रखने केलिए, कंपनी विदेशी मुद्रा बाजार में उतर चढाव पर निरंतर निगरानी रख रही है और कार्यशील पूंजी प्रबंधन के भाग के रूप में क्रेता क्रेडिट आदि जैसे विदेशी मुद्रा उधारों के विभिन्न विकल्पों की खोज कर रही है। हालांकि, हेडिंजग लागत सहित क्रेता क्रेडिट की कुल लागत बैंकों की जमा दर से अधिक होने के कारण, हम हाल के दिनों में किसी भी क्रेता क्रेडिट का लाभ नहीं उठा पाए। फिर भी, विभिन्न विकल्पों का पता लगाया जा रहा है और वही पर एक निरंतर निगरानी रखी जा रही है। विदेशी मुद्रा अनावरण और हेडिंजग स्थिति की अवस्था लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड द्वारा तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है।

संयंत्र स्थान:

- पोत निर्माण व पोत मरम्मत सुविधा , पेरुमानूर, एर्णाकुलम जिला, कोच्ची- 682 015
- अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा: मैसर्स कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, विल्लिंगडन आइलैंड, कोच्ची- 682 009
- इन्दिरा डॉक, मुंबई में पोत मरम्मत सुविधा
- नेताजी सुबाष डॉक, कोलकाता में पोत मरम्मत सुविधा
- मराइन डॉकयार्ड, पोर्ट ब्लेयर में पोत मरम्मत सुविधा

पत्राचार केलिए पता:

कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड,

प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर,

पेरुमानूर, कोच्ची, केरल – 682015

टेलि: +91 (484) 2501306, फेक्स: +91 (484) 2384001

ईमेल: secretary@cochinshipyard.com

वेबसाइट: www.cochinshipyard.com

साख दर:

दस्तावेज	आईएसआईएन	दर- निर्धारण
8.51% कर मुक्त प्राप्त प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय बांड	INE704P07014	इंडिया रेटिंग और केयर रेटिंग द्वारा AA+
8.72% कर मुक्त प्राप्त प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय बांड	INE704P07030	इंडिया रेटिंग और केयर रेटिंग द्वारा AA+

अन्य प्रकटीकरण

संबंधित पार्टी लेनदेन:

74. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कोई महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेन देन नहीं थे, जो कि कंपनी के हित से बड़े पैमाने पर संघर्ष थे या संघर्ष हो सकते थे। कंपनी को संबंधित पार्टी लेनदेन की एक नीति है, जिसे निम्न लिंक पर प्राप्त कर सकता है: <https://cochinshipyard.com/uploads/coporate/183d8b6d86dbcd98336ba05c52dc6bfd.pdf>

कंपनी द्वारा गैर अनुपालन:

75. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध देयता और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) के तहत अपेक्षितानुसार जून 20, 2019 से जुलाई 28, 2019 तक की अवधि केलिए कंपनी के निदेशक मंडल पर अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक और महिला निदेशक न होने केलिए प्रत्येक बीएसई और एनएसई द्वारा लगाए गए 1,95,000 रुपए की जुर्माना राशि को छोडकर पिछले तीन साल के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले पर स्टॉक एक्सचेंज या भारत के प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (सेबी) या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर कोई जुर्माना/ सख्त नहीं लगाया गया है। निदेशकों की नियुक्तियां भारत सरकार द्वारा की जाती हैं और उक्त स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशकों की रिक्तियों की भर्ती भारत सरकार के पास लंबित थे। कंपनी स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई

और एनएसई को निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में कंपनी की स्थिति के बारे में बताया। एनएसई ने दिनांक मार्च 18, 2020 को अपने पत्र सं. एनएसई/लिस्ट/एसआपी/103783 के जरिए सीएसएल पर लगाया गया जुर्माना छोड़ दिया गया। दिनांक मई 03, 2018 के सेबी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2018/77 के अनुसार जुर्माना राशियों को छोड़ दिया था, जो यह बताता है कि स्टॉक एक्सचेंज एक दूसरे के परामर्श से एक समान कार्रवाई करेंगे। आगे, बीएसई ने इस संबंध में सेबी विनियमों के तहत आगे कोई कार्रवाई नहीं की है।

दिनांक 31 मार्च, 2020 तक, सीएसएल के बोर्ड में कोई महिला निदेशक नहीं है और छह की वैधानिक आवश्यकता के विरुद्ध केवल तीन स्वतंत्र निदेशक थे, जो दिनांक मार्च 20, 2020 को एक महिला निदेशक सहित तीन स्वतंत्र निदेशकों की अवधि की समाप्ति के कारण है। उक्त रिक्तियों को भारत सरकार को सूचित कर दिया गया है।

सतर्कता तंत्र और मुखबिर नीति

76. दिनांक 22 फरवरी 2012 को हुई बोर्ड के 198 वीं बैठक में अनुमोदित अनुसार कोचीन शिपयार्ड ने एक मुखबिर नीति को स्वीकार किया। कोचीन शिपयार्ड भारत सरकार का एक उपक्रम है और किसी भी अबैध या अनैतिक व्यवहार के रिपोर्ट पर सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करता है। किसी भी नियमों का उल्लंघन, विनियमों या अनैतिक आचरणों के विवरण, निदेशकों/कर्मचारियों/हितधारकों/कर्मचारियों के प्रतिनिधि निकायों को अपने तत्काल पर्यवेक्षक/मुख्य सतर्कता अधिकारी या अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करने की स्वतंत्रता दी जाती है। निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए ऐसी रिपोर्टिंग की गोपनीयता बनाये रखने के लिए बाध्य है और सुनिश्चित करें कि पर्दाफाश किसी भी भेदभावपूर्ण व्यवहार के अधीन नहीं रहा। रिपोर्टाधीन अवधि में किसी कार्मिक ने लेखा परीक्षा समिति को प्रवेश निषेध नहीं किया गया है। दिनांक 14 दिसंबर 2016 को आयोजित 228 वीं बैठक में बोर्ड ने अपनी मुखबिर नीति में संशोधन किया। इसके अलावा सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नंस पर दिशानिर्देशों के अनुरूप, सीएसएल ने 16 सितंबर 2014 को आयोजित 214 वीं बोर्ड बैठक में धोखाधड़ी रोकथाम और जांच नीति को अपनाया था। चूँकि दोनों नीतियों का बड़ा उद्देश्य समान था, सीएसएल ने 12 नवंबर 2019 को आयोजित 252 वीं बोर्ड बैठक में एक संयुक्त नीति अर्थात् मुखबिर नीति और धोखाधड़ी रोकथाम नीति को अपनाया। कंपनी की वेबसाइट <https://cochinshipyard.com/uploads/investors/86e4f639de81552f10f00afec6917a09.pdf> पर उक्त पॉलिसी उपलब्ध है।

अंतरंग व्यापार की रोकथाम के लिए आचरण संहिता:

77. कंपनी को भारत के प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (अंतरंगी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 के अनुपालन में अपने नामित व्यक्तियों के लिए अंतरंगी व्यापार के रोकथाम हेतु एक आचरण संहिता है। कोड दिशानिर्देशों को निर्धारित करते हैं, जो कंपनी के शेयरों के लेनदेन के समय और उल्लंघनों के परिणामों की चेतावनी देते समय प्रक्रियाओं का पालन करना और प्रकटन किया जाना चाहिए के संबंध में उन्हें सलाह देते हैं। अंतरंगी व्यापार की रोकथाम के लिए आचरण संहिता कंपनी के वेबसाइट पर होस्ट की जाती है और निम्नलिखित लिंक पर प्राप्त किया जा सकता है : <https://cochinshipyard.com/Investors>

अनिवार्य अपेक्षाएं:

78. सभी लागू निगमित कानूनों, नियमों और विनियमों के साथ अनुपालन की स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट तिमाही आधार पर कंपनी द्वारा बोर्ड के सामने उनकी जानकारी एवं समीक्षा के लिए रखी जाती है। कंपनी ने लिस्टिंग विनियमों के विनियम 46 के विनियम 17 से 27 तक और उप विनियम (2) के खंड (ख) से (i) में विनिर्दिष्ट अनुसार निगमित शासन संहिता के सभी अनिवार्य अपेक्षाओं उपर्युक्त सूचितानुसार निदेशक मंडल के गठन को छोड़कर, का पालन किया है।

गैर अनिवार्य अपेक्षाएं

79. कंपनी ने निगमित शासन से संबंधित लिस्टिंग विनियमों के निम्नलिखित गैर अनिवार्य अपेक्षाओं का पालन किया है। लिस्टिंग विनियमों के अनुसूची II के भाग ई के साथ पढ़े गए विनियम 27 (1) में सूचीबद्ध गैर अनिवार्य अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति निम्नानुसार है :

- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के वित्तीय विवरणों में कोई लेखापरीक्षा योग्यता नहीं है। कंपनी अपरिवर्तित लेखापरीक्षा राय को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाती रही है।

सहायक कंपनी :

80. लिस्टिंग विनियमों के विनियम 16 एक भौतिक सहायक को एक सहायक कंपनी के रूप में परिभाषा करता है, जिसकी आय या निवल मूल्य तुरंत पूर्ववर्ती लेखांकन वर्ष में सूचीबद्ध कंपनी और उसके सहायक कंपनी के क्रमशः समेकित आय या निवल मूल्य के 10% से अधिक है। इस परिभाषा के तहत, कंपनी को भारत में निगमित कोई असूचीबद्ध महत्वपूर्ण सहायक कंपनी नहीं है।

81. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के एक नियंत्रित कंपनी है हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) जिसे दिनांक 23 अक्टूबर 2017 को एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में निगमित किया गया था, हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड के साथ उद्यम कर रहा था। हालांकि, दिनांक 01 नवंबर 2019 से एचसीएसएल सीएसएल की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी है।

82. लिस्टिंग विनियमों के विनियम 16(1) (सी) के तहत स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने महत्वपूर्ण सहायक निर्धारित करने के लिए एक नीति तैयार की है जिसे कंपनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित वेब लिंक पर प्रकाशित किया गया है : <https://cochinshipyard.com/Investors>
83. निगमित शासन दिशा निर्देशों की आवश्यकता की अनुसार अनुपालन का विवरण:
- निगमित शासन के डीपीई दिशा निर्देश के संदर्भ में इस रिपोर्ट के लिए निगमित शासन दिशा निर्देशों के अनुपालन के संदर्भ में प्राक्टीसिंग कंपनी सचिव से प्रमाणपत्र **अनुलग्नक II** में रखा गया है।
84. चालू वर्ष और पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति जी के निर्देशों की विवरण तथा उसके अनुपालन:
- कंपनी ने पीएसयू के संचालन के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति जी के निर्देश की अनुपालन किया है।
85. खाते की पुस्तकों में व्यय का मदों लिखा गया है, जो बिसिनस के प्रयोजनों के लिए नहीं है : शून्य
86. किए गए खर्च, जो व्यक्तिगत है और उच्चतम प्रबंधन और बोर्ड निर्देशकों के लिए है : शून्य
- वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी के प्रशासनिक तथा कार्यालय व्यय कुल व्यय के 1.89% था तो 2018-19 में 2% था। वर्ष 2019-20 के दौरान वित्तीय व्यय कुल व्यय के 0.59% था जो पिछले साल में 0.59% था।
87. व्यवहार में, कंपनी सचिव के एक प्रमाणपत्र के अनुसार, कंपनी के बोर्ड में कोई भी निदेशक सेबी/कॉर्पोरेट मामला मंत्रालय/ या किसी ऐसे सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशकों के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। प्रमाणपत्र को इस रिपोर्ट में **अनुलग्नक III** में संलग्न किया है।
88. कंपनी ने मेसर्स एलियास जॉर्ज एंड कंपनी, कंपनी सेवा प्रदान करने वाले सांविधिक लेखापरीक्षक और नियंत्रित कंपनियों को ₹24.50 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया है।

आचरण संहिता

89. बोर्ड ने सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंध को एक आचरण संहिता ('संहिता') निर्धारित किया है। सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंध कार्मिकों को वर्ष 2019-20 के लिए इस संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। संहिता कंपनी के वेबसाइट में होस्ट किया गया है और <https://cochinshipyard.com/Investors> लिंक पर प्राप्त किया जा सकता है।

90. कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षर की गई एक घोषणा नीचे दिया गया है :

में एतद्वारा पुष्टि करती हूँ कि सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंध कार्मिकों, से अभिपुष्टि प्राप्त की है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के संबंध में निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंध के लिए आचार संहिता के साथ अनुपालन किया है।

ह/-

मधु एस नायर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 07376798

सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

91. वर्ष, के लिए वित्तीय विवरणी का सीईओ/सीएफओ प्रमाणन **अनुलग्नक IV** में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

जोखिम प्रबंध प्रक्रिया

92. सीएसएल ने मौजूदा जोखिम प्रबंध नीति की समीक्षा की और दिनांक 16 सितंबर 2014 को आयोजित बोर्ड की 214 वीं बैठक में जोखिम प्रबंध की एक व्यापक प्रणाली को शामिल करते हुए एक संशोधित नीति को अपनाया। नए जोखिम प्रबंध नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है :

(i) जोखिम प्रबंध दूरदर्शिता विवरण : संगठनात्मक जोखिमों को एक स्वीकार्य स्तर तक कम करें और जोखिम प्रबंध कार्यों को अपनाए जिससे कंपनी को अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी जब उसी समय जोखिम की कमी सुनिश्चित होती है।

(ii) जोखिम प्रबंध नीति :

(क) जोखिम प्रबंध प्रक्रिया, जोखिमों को रोकने और समय पर जोखिमों का पता लगाना सुनिश्चित करने की कंपनी की क्षमता को सुधारने के लिए कार्यान्वित किया जाता है।

(ख) जोखिम और उसके समान की पहचान करना।

(ग) जोखिम प्रबंध प्रक्रिया का मानकीकरण किया जाना है।

(घ) जोखिम की सूचना का आदान प्रदान सुगम करें।

93. जोखिम प्रबंध नीति, एक प्रभावी जोखिम प्रबंध ढाँचा और एक उचित रिपोर्टिंग प्रणाली प्रस्तुत करने का इरादा रखता है। कोचीन शिपयार्ड के प्रबंधन समय समय पर विविध जोखिमों की पहचान करेंगे और कंपनी पर उनके प्रभाव का विश्लेषण का आकलन करेंगे। जोखिम का शमन और प्रबंध उपायों को, इन जोखिमों को प्रभावी तरीके से लागू किया

जाएगा। बोर्ड व्यापार माहौल में परिवर्तन के साथ नीति को श्रेणीबद्ध करने के लिए समय समय पर परिवर्तित करने हेतु अनुमोदन देंगे।

जोखिम प्रबंध प्रणाली और संरचना

94. बोर्ड ने सीएसएल के भीतर जोखिम प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा के लिए एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है। बोर्ड आवधिक अंतराल पर समीक्षा सुनिश्चित करते हुए जोखिम प्रबंध की जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। सीएसएल बोर्ड स्तर को और बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों शामिल सीएसएल प्रबंधन को जोखिम प्रबंध प्रक्रिया के

कार्यान्वयन साथ जोड़ दिया जाएगा। इस संबंध में सीएसएल में नीति को कार्यान्वित करने के लिए जोखिम प्रबंध समितियों और जोखिम प्रबंध संचालन समितियों को गठित की गई।

95. सीएसएल द्वारा किए गए व्यापार की विशेष प्रकृति के कारण, यह अपने माल से संबंधित जोखिमों दूर करता है :
96. पूरे वर्ष में संस्था द्वारा सामना की जानेवाली माल और माल जोखिमों के लिए सूचीबद्ध इकाई का एक्सपोजर :
- क. माल में सूचीबद्ध इकाई का कुल अनावृत्ति (आईएनआर में) : 57.60 करोड़ रुपए

ख. विविध मालों के सूचीबद्ध का अनावृत्ति :

माल का नाम	विशेष माल की ओर आईएनआर में अनावृत्ति	विशेष माल की ओर मात्रा के संदर्भ में अनावृत्ति	माल व्युत्पन्नों के जरिए हेड्ज किए अनावृत्ति का प्रतिशत				
			घरेलू बाजार		अंतर्राष्ट्रीय बाजार		कुल
			ओटीसी	विनिमय	ओटीसी	विनिमय	
स्टील	57.60 करोड़	10955 टन	-	-	-	-	-

ग. इनपुट लागत में वृद्धि से संबंधित जोखिम से बचने के लिए, कंपनी पोत निर्माण अनुबंध के हस्ताक्षर के समय सांतर वितरण के साथ सभी मुख्य इनपुट के लिए आदेश प्रस्तुत करती है। अनुमानित लागत पर पहुँचने के लिए किए अनुमानों के साथ प्रस्तावों की जांच की जाती है। पोत मरम्मत के मामले में, मुख्य घटकों को सामान्य तौर पर लागत के आधार पर पोत मालिकों को आपूर्ति की जाती है क्योंकि घटक सामान्य रूप से मालिकों की पसंद होते हैं।

शेयर होल्डिंग पैटर्न

97. कंपनी प्रत्येक ₹ 10 के 13,15,40,390 इक्विटी शेयरों जारी किया है, जिसका विवरण दिनांक 31 मार्च 2020 को निम्नानुसार है:

क्र.सं.	श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	धारक %
1	केंद्र सरकार	1	95843464	72.8624
2	वैकल्पिक निवेश कोष	2	29639	0.0225
3	क्लियरिंग सदस्य	180	188334	0.1432
4	निदेशक	2	1110	0.0008
5	वित्तीय संस्थापन	3	2766648	2.1033
6	विदेशी नागरिक	1	60	0.0000
7	विदेशी पोर्टफोलियो इनवेस्टर (निगमित)	65	2726769	2.0730
8	विदेशी पोर्टफोलियो इनवेस्टर (वैयक्तिक)	4	4700	0.0036
9	हिंदु अविभाजित परिवार	5324	684648	0.5205
10	म्यूचुअल फंड	21	12600271	9.5790
11	बीमा कंपनियां	5	1780165	1.3533
12	आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी	2	9900	0.0075
13	राष्ट्रीयकृत बैंक	1	10000	0.0076
14	गैर राष्ट्रीयकृत बैंक	1	110	0.0001
15	अनिवासी (गैर प्रत्यावर्तनीय)	1032	253055	0.1924
16	अनिवासी भारतीय	2698	800807	0.6088
17	अन्य निकाय कॉर्पोरेट	639	1310745	0.9965
18	सार्वजनिक	146696	12506300	9.5075
19	ट्रस्ट	8	23665	0.0180
	कुल	156685	131540390	100.0000

संचार का साधन

98. बोर्ड द्वारा विचार और अनुमोदन के बाद तिमाही/अर्धवार्षिक वित्तीय परिणाम बीएसई और एनएसई की वेबसाइटों में विज्ञापित किया जाता है और साथ ही इसके अभिग्रहण के बाद 48 घंटे के भीतर अखिल भारत में प्रचालन प्राप्त एक अंग्रेजी राष्ट्रीय दैनिकी और कम से कम एक मलयालम राष्ट्रीय दैनिकी कोचची एडिशन में प्रकाशित भी किया जाएगा। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट www.cochinshipyard.com वेबसाइट में विज्ञापित की जाती है। कंपनी की वेबसाइट सभी सरकारी विज्ञप्तियों को भी प्रदर्शित करता है।

लेखापरीक्षा योग्यताएँ

99. कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक मै. एलियास जॉर्ज व कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में किसी योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण शामिल नहीं है।

100. सचिवीय लेखापरीक्षक, मेसर्स मेहता एवं मेहता, ने अपनी रिपोर्ट में पाया गया कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध देयता और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) के तहत अपेक्षितानुसार जून 20, 2019 से जुलाई 28, 2019 तक की अवधि के लिए कंपनी के निदेशक मंडल पर अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक और महिला निदेशक नहीं थे और इसके परिणामस्वरूप, प्रत्येक बीएसई और एनएसई द्वारा 2,30,100 (जीएसटी सहित) रुपए की जुर्माना राशि लगाए गए। यह सूचित किया है कि निदेशकों की नियुक्तियां भारत सरकार द्वारा की जाती हैं और उक्त स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशकों की रिक्तियों की भर्ती भारत सरकार के पास लंबित थे। कंपनी स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई और एनएसई को निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में कंपनी की स्थिति के बारे में बताया। एनएसई ने दिनांक मार्च 18, 2020 को अपने पत्र सं. एनएसई/लिस्ट/एसआपी/103783 के जरिए सीएसएल पर लगाया गया जुर्माना छोड़ दिया गया। दिनांक मई 03, 2018 के सेबी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2018/77 के अनुसार जुर्माना राशियों को छोड़ दिया था, जो यह बताता है कि स्टॉक एक्सचेंज एक दूसरे के परामर्श से एक समान कार्रवाई करेंगे। आगे, बीएसई ने इस संबंध में सेबी विनियमों के तहत आगे कोई कार्रवाई नहीं की है।

101. सचिवीय लेखापरीक्षकों ने यह भी देखा है कि कंपनी के निदेशक मंडल ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान सभी निदेशक मंडल की बैठकों के लिए श्री ज्योतिलाल के आर (डीआईएन : 016500017) अंशकालिक सरकारी (नामित) निदेशक की अनुपस्थिति की अनुमति के लिए मंजूदी दी है, जो अधिनियम की धारा 167(1)(ख) के तहत कार्यालय की समाप्त होने का कारण बना, जिसके परिणाम स्वरूप, कंपनी में उनके निदेशकता को समाप्त कर दिया गया। यह सूचित किया जाता है कि श्री ज्योतिलाल के आर, अंशकालिक सरकारी (नामित) निदेशक दिनांक 28 जून, 2019 को आयोजित 23वाँ नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठक में भाग लिया। फिर भी, एक विवेकपूर्ण उपाय के रूप में, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 167 (1) (ख) के अनुसार केरल सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री ज्योतिलाल के आर, अंशकालिक सरकारी (नामित) निदेशक की निदेशकता की समाप्ति को ध्यान में रखा और सीएसएल के बोर्ड में अपने प्रतिनिधि को नामित करने के लिए केरल सरकार को सूचित किया।

बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण

102. सीएसएल के बोर्ड सदस्यों बहुत वरिष्ठ अधिकारियों है जिन्हें शिक्षा, उद्योग, रक्षा प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन तथा प्रशासन आदि के क्षेत्रों में बहुत व्यापक, विस्तृत तथा विभिन्न में अनुभव है। सीएसएल को अपने दृष्टिकोण तथा ज्ञान से लाभ मिला है। बोर्ड के लिए उनकी प्रेरणा पर कंपनी के प्रदर्शन व्यापार मॉडल, कोर्पोरेट योजना और भविष्य के दृष्टिकोण पर बोर्ड के सदस्यों के लिए प्रस्तुतियाँ बने हैं। इसके अलावा बोर्ड/ समिति और बैठकों में वरिष्ठ प्रबंध कर्मियों/ प्रोफेशनल्स ने व्यापार से संबंधित मुद्दों या जोखिम मूल्यांकन, जोखिम नीति आदि पर सलाहकारों द्वारा विस्तृत प्रस्तुतियाँ बने रहे हैं। निदेशकों को उनके प्रभाविता को सुधारने के लिए विशेष कार्यक्रमों में भाग लेने और इसे पहचानने लिए प्रोत्साहित किया जाता है। निदेशकों के प्रशिक्षण के संबंध में बोर्ड ने एक नीति स्वीकार भी की है।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

मधु एस नायर

कोचची

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

अगस्त 07, 2020

डीआईएन: 07376798

निगमित शासन रिपोर्ट का अनुलग्नक 1

प्रबंधकीय पारिश्रमिक का विवरण		निगमित शासन रिपोर्ट का अनुलग्नक 1			राशि (₹)	
निदेशक का नाम	कुल मूल वेतन म.भ. म.कि.भ व अन्य पारिश्रमिकों और भत्तों - वित्तीय वर्ष 2019-20	निगमन संबंधी भुगतान (पीआरपी) 1	निष्पादन मानदण्ड के आधार पर	सेवा ठेका, सूचना अविधि, पृथक्करण शुल्क का विवरण	स्टॉक विकल्प का विवरण	कुल
श्री मधु एस नायर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	4276689.90	3536325.00	डीपीई द्वारा निर्धारित निष्पादन मानदण्ड के आधार पर	पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच साल की अवधि के लिए (पोत परिवहन मंत्रालय के वि. 11 दिसंबर 2015 के पत्र सं. एसवाई-11011/1/2009- सीएसएल क्रमया देखें) अथवा उनकी अधिवर्षिता की तिथि तथा अथवा अगले आदेश तक जो भी घटना पहले आते हैं नियुक्त। संविदात्मक अविधि के पूर्व सेवा छोड़ देने के मामले में सूचना अविधि तीन महीने है। सूचना के बदले में तीन महीने का वेतन कंपनी को दिया जाए। श्री मधु एस नायर दिनांक 01 जनवरी 2016 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।	शून्य	7813014.90
श्री डी पॉल रंजन, निदेशक (वित्त)	3073363.78	2683113.00	डीपीई द्वारा निर्धारित निष्पादन मानदण्ड के आधार पर	पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच साल की अवधि के लिए (पोत परिवहन मंत्रालय के वि. 07 जुलाई 2014 के पत्र सं. एसवाई-11012/1/2009- खंड 11 क्रमया देखें) अथवा उनकी अधिवर्षिता की तिथि अथवा दिनांक 01 मई 2014 को या उसके बाद तथा अथवा अगले आदेश तक जो भी घटना पहले आते हैं नियुक्त। अग्रे, पोत परिवहन मंत्रालय ने दिनांक जनवरी 07, 2019 को पत्र सं. एफ सं. एसवाई-11012/1/2009-सीएसएल खंड II के द्वारा उनकी अधिवर्षिता मई 01, 2019 से जुलाई 31, 2019 अर्थात् उनकी अधिवर्षिता की तिथि तक बढ़ा दी है। संविदात्मक अविधि के पूर्व सेवा छोड़ देने के मामले में सूचना अविधि तीन महीने है। सूचना के बदले में तीन महीने का वेतन कंपनी को दिया जाए।	शून्य	5756476.78
श्री सुरेश बाबु एन वी, निदेशक (प्रचालन)	4073836.34	2535150.00	डीपीई द्वारा निर्धारित निष्पादन मानदण्ड के आधार पर	पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच साल की अवधि के लिए (पोत परिवहन मंत्रालय के वि. 26 अप्रैल 2016 के पत्र सं. एसवाई-11012/2/2010- सीएसएल क्रमया देखें) अथवा उनकी अधिवर्षिता की तिथि अथवा दिनांक 26 अप्रैल 2016 को या उसके बाद तथा अथवा अगले आदेश तक जो भी घटना पहले आते हैं नियुक्त। संविदात्मक अविधि के पूर्व सेवा छोड़ देने के मामले में सूचना अविधि तीन महीने है। सूचना के बदले में तीन महीने का वेतन कंपनी को दिया जाए।	शून्य	6608986.34
श्री विजोय भास्कर, निदेशक (तकनीकी)	3827700.35	1519272.00	डीपीई द्वारा निर्धारित निष्पादन मानदण्ड के आधार पर	पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच साल की अवधि के लिए (पोत परिवहन मंत्रालय के वि. 04 अप्रैल 2018 के पत्र सं. एसवाई-11012/ 4/2017- सीएसएल क्रमया देखें) अथवा उनकी अधिवर्षिता की तिथि या उसके बाद तथा अथवा अगले आदेश तक जो भी घटना पहले आते हैं नियुक्त। संविदात्मक अविधि के पूर्व सेवा छोड़ देने के मामले में सूचना अविधि तीन महीने है। सूचना के बदले में तीन महीने का वेतन कंपनी को दिया जाए।	शून्य	5346972.35
श्री जोसे वी जे, निदेशक (वित्त)	3222173.46	926712.00	डीपीई द्वारा निर्धारित निष्पादन मानदण्ड के आधार पर	पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच साल की अवधि के लिए (पोत परिवहन मंत्रालय के वि. 15 जुलाई 2019 के पत्र सं. एसवाई-11012/ 2/2018- सीएसएल क्रमया देखें) अथवा दिनांक 01 अगस्त 2019 को या उसके पहले या उनकी अधिवर्षिता की तिथि या उसके बाद तथा अथवा अगले आदेश तक जो भी घटना पहले आते हैं नियुक्त। संविदात्मक अविधि के पूर्व सेवा छोड़ देने के मामले में सूचना अविधि तीन महीने है। सूचना के बदले में तीन महीने का वेतन कंपनी को दिया जाए।	शून्य	4148885.46

* वर्ष 2017-18 की अवधि से संबंधित शामिल पीआरपी को वर्ष 2019-20 के दौरान भुगतान किया गया।

कुल और निदेशक मंडल की ओर से

कोचीन
अगस्त 07, 2020

मधु एस नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 07376798

निगमित शासन प्रमाणपत्र

सेबी (सूचीबद्ध देयताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 में निर्धारितानुसार
सेवा में,
सदस्य
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

हमने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध देयताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (बाद में 'सूचीबद्ध विनियम' के रूप में संदर्भित) के अनुसूची V के अनुच्छेद ग, घ और ड. और विनियम 46 के खंड (ख) से (i) तक विनियम 17 से 27 तक में निर्धारितानुसार, दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (बाद में कंपनी के रूप में संदर्भित) द्वारा निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

हम बताते हैं कि निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है और हमारी जांच, निगमित शासन की शर्तों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन तक सीमित है। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों पर न तो एक लेखा परीक्षा है और न एक मत की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में, हमारी जानकारी के अनुसार और संगत अभिलेखों की जांच के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन किया है जैसा कि सूचीबद्ध विनियमों के तहत निर्धारित है, जो निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन हैं :

- 1) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (1) के तहत अपेक्षितानुसार दिनांक अप्रैल 01 2019 से जुलाई 28, 2019 तक की अवधि के लिए कंपनी के निदेशक मंडल पर कोई महिला निदेशक नहीं थी।
- 2) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (1) के तहत अपेक्षितानुसार दिनांक अप्रैल 01 2019 से जुलाई 28, 2019 तक की अवधि के लिए कंपनी के निदेशक मंडल पर अपेक्षित संख्या में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।
- 3) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के निगमित शासन शर्तों के गैर-अनुपालन के लिए बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) द्वारा निम्नानुसार जुर्माना लगाया गया है। अर्थात् महिला निदेशक की गैर-नियुक्ति एवं स्वतंत्र निदेशकों की गैर-नियुक्ति।

क्र.सं.	स्टॉक एक्सचेंज द्वारा लगाया गया जुर्माना	राशि	अवधि जिसके लिए जुर्माना लगाया गया
1	बीएसई लिमिटेड (बीएसई) एवं राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)	*एनएसई : आईएनआर 64,900/- (केवल चौंसठ हजार नौ सौ मात्र)# बीएसई : आईएनआर 64,900/- (केवल चौंसठ हजार नौ सौ मात्र)#	दिनांक जून 30, 2019 को समाप्त तिमाही
2	बीएसई लिमिटेड (बीएसई) एवं राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)	एनएसई : आईएनआर 1,65,200/- (केवल एक लाख पैंसठ हजार दो सौ मात्र)# बीएसई : आईएनआर 1,65,200/- (केवल एक लाख पैंसठ हजार दो सौ मात्र)#	दिनांक सितंबर 30, 2019 को समाप्त तिमाही

* कंपनी द्वारा किए गए अभ्यावेदन के बाद एनएसई द्वारा लगाया गया जुर्माना छोड़ दिया गया।

उपरोक्त राशि में 18% की दर पर माल और सेवा कर शामिल हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहारिता और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के लिए एक आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

यह प्रमाणपत्र पूरी तरह से सूचीबद्ध नियमों के अनुपालन के प्रयोजनों के लिए जारी किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है।

कृते मेहता व मेहता
कंपनी सचिव

(आईसीएसआई यूनीक कोड P1996MH007500)

अतुल मेहता
साझेदार

एफसीएस सं. : 5782

सीपी सं. : 2486

यूडीआईएन : F005782B000374733

स्थान : मुंबई

दिनांक : जून 24, 2020

निगमित शासन प्रमाणपत्र

सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी सीपीएसई केलिए निगमित शासन पर मार्गनिर्देशों में निर्धारितानुसार

सेवा में,

सदस्य

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

हमने, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम (सीपीएसई) केलिए निगमित शासन पर मार्गनिर्देशों के खंड 8.2.1 के तहत निर्धारितानुसार दिनांक मार्च 31, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष केलिए **कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड** (बाद में कंपनी के रूप में संदर्भित) द्वारा निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

हम बताते हैं कि निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है और हमारी जांच, निगमित शासन की शर्तों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने केलिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन तक सीमित है। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों पर न तो एक लेखा परीक्षा है और न एक मत की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में, हमारी जानकारी के अनुसार और संगत अभिलेखों की जांच के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन किया है जैसा कि उपरोक्त सूचित मार्गनिर्देशों में निर्धारित है, जो निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन हैं :

- 1) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (1) के तहत अपेक्षितानुसार दिनांक अप्रैल 01 2019 से जुलाई 28, 2019 तक की अवधि केलिए कंपनी के निदेशक मंडल पर कोई महिला निदेशक नहीं थी।
- 2) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (1) के तहत अपेक्षितानुसार दिनांक अप्रैल 01 2019 से जुलाई 28, 2019 तक की अवधि केलिए कंपनी के निदेशक मंडल पर अपेक्षित संख्या में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।
- 3) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के निगमित शासन शर्तों के गैर-अनुपालन केलिए बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) द्वारा निम्नानुसार जुर्माना लगाया गया है। अर्थात् महिला निदेशक की गैर-नियुक्ति एवं स्वतंत्र निदेशकों की गैर-नियुक्ति।

क्र.सं.	स्टॉक एक्सचेंज द्वारा लगाया गया जुर्माना	राशि	अवधि जिसके लिए जुर्माना लगाया गया
1	बीएसई लिमिटेड (बीएसई) एवं राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)	*एनएसई : आईएनआर 64,900/- (केवल चौंसठ हजार नौ सौ मात्र)# बीएसई : आईएनआर 64,900/- (केवल चौंसठ हजार नौ सौ मात्र)#	दिनांक जून 30, 2019 को समाप्त तिमाही
2	बीएसई लिमिटेड (बीएसई) एवं राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)	*एनएसई : आईएनआर 1,65,200/- (केवल एक लाख पैंसठ हजार दो सौ मात्र)# बीएसई : आईएनआर 1,65,200/- (केवल एक लाख पैंसठ हजार दो सौ मात्र)#	दिनांक सितंबर 30, 2019 को समाप्त तिमाही

* कंपनी द्वारा किए गए अभ्यावेदन के बाद एनएसई द्वारा लगाया गया जुर्माना छोड़ दिया गया।

उपरोक्त राशि में 18% की दर पर माल और सेवा कर शामिल हैं।

- 4) निदेशक मंडल ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान सभी निदेशक मंडल की बैठकों के लिए श्री कल्लुविलावीड रवीन्द्रन ज्योतिलाल (डीआईएन : 016500017) अंशकालिक सरकारी (नामित) निदेशक की अनुपस्थिति की अनुमति केलिए मंजूदी दी है, जो अधिनियम की धारा 167(1)(ख) के तहत कार्यालय की समाप्त होने का कारण बना, जिसके परिणाम स्वरूप, कंपनी में उनके निदेशकता को समाप्त कर दिया गया।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहारिता और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता केलिए एक आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

यह प्रमाणपत्र पूरी तरह से सूचीबद्ध नियमों के अनुपालन के प्रयोजनों केलिए जारी किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य केलिए उपयुक्त नहीं हो सकता है।

कृते मेहता व मेहता

कंपनी सचिव

(आईसीएसआई यूनीक कोड P1996MH007500)

अरुण के कमलोलभवन

साझेदार

एफसीएस सं. : 9609

सीपी सं. : 11657

यूडीआईएन : F009609B000487460

स्थान : मुंबई

दिनांक : जुलाई 22, 2020

128 कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

निदेशकों की गैर-अयोग्यता का प्रमाणपत्र

(सेबी (सूचीबद्ध देयताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 34 (3) और अनुसूची V पैरा क खंड (10) (i))

सेवा में,

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

प्रशासनिक भवन,

कोचीन शिपयार्ड परिसर

पेरुमानूर, कोच्ची

एर्णाकुलम, केरल - 682015

हमने **सीआईएन : L63032KL1972GOI002414** वाले और प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची, एर्णाकुलम, केरल - 682015 (इसके बाद "कंपनी" के रूप में संदर्भित) में पंजीकृत कार्यालयवाले कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के निदेशकों से प्राप्त संगत पंजी, रिकॉर्ड, फॉर्म, विवरणी और प्रकटीकरण की जांच की है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध देयताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसूची V पैरा -सी उप खंड 10 (i) के साथ पठित विनियम 34 (3) के अनुसार, इस प्रमाणपत्र जारी करने क उद्देश्य के लिए कंपनी द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया था ।

हमारी राय और हमारी सूचना एवं आवश्यक माने गए सत्यापनों के अनुसार (www.mca.gov.in पोर्टल में निदेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन) स्थिति सहित) और कंपनी और इसके अधिकारियों द्वारा हमें सूचित किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, कार्पोरेट मामला मंत्रालय, या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशकों के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है, **सिवाय श्री कल्लुविलावीड रवीन्द्रन ज्योतिलाल जिन्होंने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 167 (1) (ख) के तहत कंपनी के निदेशक रूप में कार्यालय छोड़ दिया था ।**

क्र.सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन	कंपनी में नियुक्ति की तिथि
1.	मधु शंकुण्णी नायर	07376798	01/01/2016
2.	निकर्तल वेलायुधन सुरेशबाबु	07482491	26/04/2016
3.	बिजोय भास्कर	08103825	05/04/2018
4.	वलियपरंबिल जेकब जोस	08444440	01/08/2019
6.	संजय बंदोपाध्याय	00088957	03/02/2020
7.	। कल्लुविला वीडु रवीन्द्रन ज्योतिलाल	01650017	20/04/2018
8.	जिजी तॉमसण	01178227	15/07/2017
9.	प्रदीप्ता बानर्जी	00630615	15/07/2017
10.	नंद कुमारन पुत्तेषत्त	02547619	15/07/2017

* समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित कंपनी के निदेशक मंडल की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहने के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 167 (1)(ख) के अनुसार कंपनी के निदेशक के रूप में जारी रहने हेतु पात्र नहीं है ।

बोर्ड पर प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की उत्तरदायित्व है । हमारी उत्तरदायित्व है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर एक राय व्यक्त करें । यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहारिता और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के लिए एक आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है ।

कृते मेहता व मेहता

कंपनी सचिव

(आईसीएसआई यूनीक कोड P1996MH007500)

अतुल मेहता

साझेदार

एफसीएस सं. : 5782

सीपी सं. : 2486

यूडीआईएन : F005782B000374766

स्थान : मुंबई

दिनांक : जून 24, 2020

सीईओ/ सीएफओ प्रमाणन

सेवा में,
निदेशक मंडल
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
कोचीन- 682 015

प्रिय महोदय,

विषय: सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

- हम ने दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कोचीन शिपयार्ड के रोकड प्रवाह विवरण के साथ पढे वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है और जहाँ तक हमारा पता है और विश्वास है, हम स्पष्ट करते हैं कि :
 - इन विवरणों में किसी महत्वपूर्ण असत्य विवरण शामिल नहीं है, या किसी महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छोड़ दिया है अथवा पथभ्रष्ट करने वाले किसी विवरण शामिल नहीं किया है;
 - ये विवरण कंपनी के मामलों का सही एवं निष्पक्ष रूप प्रस्तुत करते हैं और चालू लेखाकरण मानकों, लागू नियमों और विनियमों के अनुसार है।
- जहाँ तक हमारी जानकारी और विश्वास है, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई लेनदेन नहीं किया है जो कंपनी, अवैध या कंपनी के आचरण संहिता के उल्लंघन है।
- हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रणों को स्थापित करने और कायम रखने का दायित्व लेता है. हम ने वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में कंपनी के आंतरिक नियंत्रण पद्धतियों की संबंध का मूल्यांकन किया है और लेखा-परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रण के प्रचालन अथवा डिजाइन में कमियां यदि कोई है तो उसको प्रकट किया है, जिस संबंध में हम जागरूक है तथा, यदि कोई हो ।
- हम ने लेखा-परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित बातें सूचित किया है कि
 - वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं है ;
 - वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है, वित्तीय विवरणों के लिए अपेक्षित टिप्पणियां, और
 - वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभानेवाले प्रबंधन या कर्मचारी की भागीदारी के साथ महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के किसी भी उदाहरण के बारे में पता नहीं है ।

जोस वी जे
निदेशक (वित्त)
डीआईएन:08444440

कोच्ची
जून 20, 2020

मधु एस नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 07376798

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सदस्य

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

हम ने मैसर्स कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (कंपनी) के संलग्न स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों जिसमें दि. 31 मार्च 2020 के तुलन पत्र, उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), रोकड प्रवाह संबंधी समेकित विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण, तथा वित्तीय विवरण की टिप्पणियां और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का संक्षिप्त विवरण, अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं शामिल हैं, की लेखापरीक्षा की है।

हमारी राय में तथा हमारी सही जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण, अपेक्षित तरीके में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में अपेक्षित सूचना देती है और दि. 31 मार्च 2020 को ग्रूप के समेकित लाभ (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में समेकित परिवर्तन और समेकित नकद प्रवाह, समेकित मामलों की स्थिति, आमतौर पर संशोधित (भारतीय लेखा मानक), कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्धारित भारतीय लेखा मानक के अनुरूप एक सच्चे और निष्पक्ष विचार देता है।

राय का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट मानकों (लेखा परीक्षा) पर मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखापरीक्षा के लिए उन मानकों के तहत हमारी ज़िम्मेदारियों को लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम कंपनी के भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार कंपनी आवश्यकताओं से अलग हैं, जो कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके प्रावधानों और नियम के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं। हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा सबूत प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामला

मुख्य लेखा परीक्षा मामला वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय वक्तव्यों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे। इन मामलों को वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा-परीक्षा के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हमारी राय बनाने में, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख

लेखा परीक्षा मामलों के नीचे वर्णित मामलों का निर्धारण किया है।

1. पोत निर्माण और पोत मरम्मत गतिविधियों के भौतिक समापन का मापन

कंपनी पोत निर्माण और पोत मरम्मत गतिविधियों से राजस्व को पूरा करने की विधि के प्रतिशत के आधार पर पहचानती है। पूरा होने का प्रतिशत भौतिक पूर्णता के अनुमानित प्रतिशत के आधार पर कंपनी के प्रबंधन द्वारा मूल्यांकन किया गया है जिसमें महत्वपूर्ण निर्णयों का अभ्यास शामिल है। नोट 2.4 (महत्वपूर्ण लेखा अनुमान और निर्णय – राजस्व मान्यता) और 2.19 (राजस्व मान्यता) स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण का संदर्भ लें। कंपनी के प्रबंधन द्वारा विकसित आंतरिक प्रक्रिया नियमावली के अनुसार भौतिक पूर्णता का पता लगाया जाता है। यह प्रक्रिया और उसमें मौजूद धारणाएं कंपनी के नियोजन, डिज़ाइन और तकनीकी विभागों से प्राप्त इनपुट के आधार पर प्रबंधन द्वारा किए गए कुछ निर्णयों पर आधारित हैं। इसके अलावा, रिपोर्टिंग तिथि पर प्रत्येक उप-गतिविधि के वास्तविक भौतिक समापन के बारे में भी प्रबंधन का अनुमान शामिल है। हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में ऐसी प्रक्रिया को अपनाने के आधार और मान्यताओं को समझना, डेटा को जानने हेतु प्रणाली को समझना और प्रबंधन को आंतरिक रिपोर्टिंग के लिए विभिन्न कार्यों के पूरा होने की प्रगति की निगरानी करना, ऐसी प्रणाली में आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन करना, नमूने का चयन करना और लगातार जाँच और विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं का प्रदर्शन शामिल है। हालाँकि, हमने आय की मान्यता के उद्देश्य के लिए प्रबंधन द्वारा परिभाषित तकनीकी मूल्यांकन और गतिविधि आधारित लागत अनुमान पर पर्याप्त निर्भरता रखी है।

मामला का अवधारण - कोविड 19 का प्रभाव

हम स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों के नोट 53 पर ध्यान आकर्षित करते हैं, तो अपने वित्तीय परिणामों और इसके संचालन पर कोविड-19 के प्रभाव कंपनी के आकलन का वर्णन करता है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए ज़िम्मेदार है। अन्य सूचनाओं में निदेशक रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, व्यावसायिक ज़िम्मेदारी रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद वार्षिक रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं। स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों के लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी यह है कि जब उपलब्ध हो जाए, तो ऊपर बताए गए अन्य जानकारी को पढ़ें और, विचार करें कि क्या अन्य जानकारी भौतिक रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ असंगत है या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है।

जब हम वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं, अगर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई सामग्री गलत है, तो हमें इस मामले को शासन के साथ प्रभाषित करने और लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारियां और शासन के साथ प्रभार

स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी के निदेशक मंडल, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2014 के नियम 7 सहित, अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों सहित, भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखाकरण नियमों के अनुरूप स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों, जो मामले की स्थिति (वित्तीय स्थिति), लाभ और हानि (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन), रोकड़ प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन के सही और निष्पक्ष रूप प्रस्तुत करता है, के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) में बताए मामलों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और कपट तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव उचित लेखा नीतियों के चयन और प्रयोग, उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान करने, और स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों जो सही और निष्पक्ष रूप प्रस्तुत करता है और कपट अथवा त्रुटि के कारण अयथार्थ विवरण से मुक्त है, की तैयारी के लिए प्रासंगिक लेखा अभिलेखों के सटीकता और संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन तथा रखरखाव शामिल है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने में, निदेशक मंडल सुनाम प्रतिष्ठान को जारी रखने हेतु कंपनी की क्षमता का मूल्यांकन करने, प्रकटीकरण जैसा कि लागू होता है, जब तक निदेशक मंडल कंपनी को बंद करने या संचालन को बंद करने का इरादा रखता है, या ऐसा करने के लिए कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है, तब तक सुनाम प्रतिष्ठान को जारी रखने से संबंधित मामले और लेखांकन को जारी रखने के आधार का उपयोग करने से संबंधित है। इन सब के लिए ज़िम्मेदार है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी ज़िम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण वस्तुगत मिथ्या कथन से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करने के लिए जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएस के अनुसार किया गया लेखापरीक्षा हमेशा मौजूद होने पर किसी वस्तुगत मिथ्या कथन का पता लगाएगा।

गलतियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और उन्हें भौतिक तब माना जाता है अगर व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन वित्तीय वक्तव्यों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित अपेक्षा की जा सकती है।

एसएस के अनुसार एक लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम भी:

- वित्तीय विवरणों की उपादान गलतियों के जोखिमों को पहचानने और उनका आकलन करें, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि का कारण हों, उन जोखिमों के लिए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली उपादान गलतियों का पता नहीं लगाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण को कुचल देना शामिल हो सकती है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हो। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए ज़िम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों का संचालन प्रभावशीलता है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के सुनाम प्रतिष्ठान के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना है, और प्राप्त लेखापरीक्षा के सबूत के आधार पर, क्या यह घटना या शर्तों से संबंधित भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में चालू करने हेतु कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि हमारी राय को संशोधित करने हेतु इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं। हमारा निष्कर्ष लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख

तक प्राप्त लेखापरीक्षा के सबूत पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होनेवाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी एक सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में चालू रहने से स्थगित हो सकती है।

- खुलासे सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

हम अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा की योजनाबद्ध गुंजाइश और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं, जिसे हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम उन लोगों को भी एक विवरण के साथ अधिकार प्रदान करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए एवं हमारी स्वतंत्रता पर, जहाँ लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर यथोचित रूप से विचार करने हेतु अन्य मामलों पर विचार किया जा सकता है।

अधिकार के साथ प्रभाषित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे और इसलिए प्रमुख लेखा परीक्षा के मामले हैं। हम अपने लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों से इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित लाभों को पछाड़ने की उम्मीद की जाएगी।

अन्य वेध और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के शर्तों के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2016 (आदेश) द्वारा अपेक्षित रूप से उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण अनुबंध क में संलग्न करता है।
2. कंपनी के अभिलेख के सत्यापन के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टीकरण और सूचना के आधार पर, हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अनुसार भारत के नियंत्रक व महा लेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर एक रिपोर्ट “अनुबंध ख” में दिया है।
3. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित रूप से हम रिपोर्ट करते हैं कि :

क. जहां तक हमारी जानकारी और विश्वास है, हमने लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया है।

ख. हमारी राय में बहियों की परीक्षा करने से मालूम होता है कि कंपनी ने कानून द्वारा अपेक्षितानुसार बहियों को सही तरीके से रखा है;

ग. इस रिपोर्ट में बताए स्टैंडअलॉन तुलन पत्र, लाभ और हानि लेखा विवरण - अन्य व्यापक आय सहित, रोकड प्रवाही विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण खाता बहियों के अनुसार है ;

घ. हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करता है;

ङ. कॉरपरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक जून 5, 2015 को जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) में दिए छूट की दृष्टि में, निदेशकों की आयोग्यता से संबंधित अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं है।

च. कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की उपयुक्तता और ऐसे नियंत्रणों के प्रचालन प्रभावशीलता के संबंध में, **अनुबंध ग** में प्रस्तुत अलग रिपोर्ट का संदर्भ लें, और

छ. अधिनियम की धारा 197(16) की अपेक्षाओं के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जानेवाले अन्य मामलों के संबंध में, हम कोई टिप्पणी नहीं देते हैं क्योंकि कंपनी को दि. जून 05, 2015 के अधिसूचना सं. जीएसआर 463(ई) द्वारा धारा 197 के प्रावधानों से छूट दी गई है।

ज. हमारी राय और हमारी सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुरूप लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जानेवाले अन्य विषय के संबंध में:

- i. कंपनी ने अपनी स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है - स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण के नोट 41,43, 44, और 45 का संदर्भ लें ;
- ii. कंपनी ने व्युत्पन्न ठेके सहित दीर्घकालिक ठेके पर सामग्री के पूर्वाभासी हानियों, यदि कोई हो, के लिए लागू नियम या लेखा मानकों के तहत अपेक्षितानुसार प्रावधान किया है। आगे, कंपनी को कोई दीर्घकालिक व्युत्पन्न ठेके नहीं है जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण पूर्वाभासी हानियां नहीं हुई है - स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण के नोट 56 का संदर्भ लें।
- iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष के लिए हस्तांतरित करने हेतु कोई राशि नहीं है, और

कृते एलियास जॉर्ज एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.000801एस

रंजित मैथ्यूस पी
साझेदार

सदस्यता सं: 205377

कोच्ची
जून 20, 2020

यूडीआईएन : 20205377AAAADJ5804

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित - अनुबंध क

दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर कंपनी के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुबंध के संदर्भ में, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(i) क. कंपनी ने स्थायी परिसंपत्तियों के परिमाण संबंधी विवरण और स्थिति सहित सभी विवरण को दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है ।

ख. हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा अचल परिसंपत्तियों को प्रत्यक्ष रूप से सत्यापित किया गया और प्रत्यक्ष सत्यापन के लिए एक नियमित कार्यक्रम है, जो हमारी राय में कंपनी के आकार और इसकी परिसंपत्ति की प्रकृति के संबंध में उचित है। हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, ऐसे सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगतियाँ ध्यान में नहीं आयी है।

ग. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्डों की हमारी जांच के आधार पर, अचल संपत्तियों के स्वत्व विलेख कंपनी के नाम पर है ।

(ii) हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, माल सूचियों को वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा स्वीकृत मालसूची सत्यापन प्रक्रिया के अनुसार प्रत्यक्ष रूप में जांच की गई है । हमारी राय में, ऐसी प्रत्यक्ष जांच की आवृत्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है । प्रत्यक्ष स्टॉक और बही रिकॉर्डों के बीच ऐसी प्रत्यक्ष जांच के दौरान, सूचित विसंगतियाँ महत्वपूर्ण नहीं है ।

(iii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित दायित्व साझेदारी या अन्य पार्टियों को कोई प्रतिभूत, अप्रतिभूत ऋण नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश के खंड (iii) (क), (ख) और (ग) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं है ।

(ख) निम्नलिखित को छोड़कर आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, माल एवं सेवा कर, सीमाशुल्क कर, उत्पाद शुल्क और मूल्यवर्धित कर जो किसी विवाद के कारण उचित प्राधिकारियों के साथ जमा नहीं किया गया है, के लिए कोई देय राशि नहीं है ।

(₹ लाखों में)

सांविधिक का नाम	देय राशि का प्रकार	राशि। (₹)	भुगतान की गई/समायोजित राशि (₹)	अदत्त राशि ₹	अवधि जिससे राशि संबंधित है	मंच जहाँ विवाद विचाराधीन है
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	1406.41	1406.41*	..	2010-11 2011-12 2014-15 2017-18	आयकर आयुक्त (अपील)
	आयकर	700.86	700.86*	..	2010-11 2011-12	आयकर अपील अधिकरण

(iv) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण, निवेश, गारंटी या प्रतिभूति से संबंधित अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है ।

(v) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने सार्वजनिक से कोई निक्षेप स्वीकार नहीं किया है । अतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों, अधिनियम की धारा 73 से 76 तक के प्रावधान या कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अन्य किसी संगत प्रावधान तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों लागू नहीं है ।

(vi) हमने उत्पादों के संबंध में कंपनी द्वारा बनाए रखे लेखा बहियों को व्यापक रूप से समीक्षा की जहां लागत रिकॉर्डों का रखरखाव केन्द्रीय सरकार ने अधिनियम की धारा 148(1) और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन निर्दिष्ट किया गया है और हमें यह राय है कि, प्रथम दृष्टि में, निर्धारित लेखा बहियों और लागत रिकॉर्डों कंपनी द्वारा बनाए रखा गया है। हमने, फिर भी, इन रिकॉर्डों सही या पूरा हो, ऐसा निर्धारित करने की दृष्टि में लागत रिकॉर्ड की एक विस्तृत जांच नहीं की है।

(vii) सांविधिक देय के संबंध में, हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी की रिकॉर्डों की हमारी जांच के आधार पर :

क. कंपनी ने उचित प्राधिकारियों के साथ लागू भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, सेस और अन्य सामग्री सांविधिक देय राशि सहित निर्विवाद सांविधिक देय राशि जमा करने में नियमित है । दिनांक 31 मार्च 2020 को उपरोक्त में अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय राशि के संबंध में वे देय होने की तिथि से छह महीने से ज्यादा अवधि के लिए कोई निर्विवाद देय राशि नहीं है ।

संवधि का नाम	देय राशि का प्रकार	राशि। (₹)	भुगतान की गई/ समायोजित राशि (₹)	अदत्त राशि ₹	अवधि जिससे राशि संबंधित है	मंच जहाँ विवाद विचाराधीन है
केरल सामान्य बिक्री कर, 1963	बिक्री कर	515.11	20.38	494.73	1996-97 2000-01 2001-02	मूल्यांकन अधिकारी, वाणिज्यिक कर
	बिक्री कर	293.51	-	293.51	1999-00	मूल्यांकन अधिकारी, वाणिज्यिक कर (केरल बिक्री कर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा मूल्यांकन अधिकारी को वापस भेज दिया।)
	बिक्री कर	202.22	6.55	195.67	2004-05	माननीय केरल बिक्री कर अपीलीय न्यायाधिकरण
केरल मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2004	मूल्य वर्द्धित कर	356.47	80	276.47	2007-08	माननीय केरल बिक्री कर अपीलीय न्यायाधिकरण
वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	5439.06	26	5413.06	2007-08 से 2014-15 तक	सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील न्यायाधिकरण, बेंगलूर
		24.08	-	24.08	2003-04 से 2014-15 तक	माननीय केरल उच्च न्यायालय
आयकर अधिनियम, 1962	सीमाशुल्क	27.46	-	27.46	1984-1990	सीमाशुल्क मुख्य आयुक्त, बेंगलूर
		301.03	261.22	39.81	2003-2004 2013-2014	सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील न्यायाधिकरण, बेंगलूर
		25.80	-	25.80	2004-2005 2017-2018	सीमाशुल्क आयुक्त, कोच्ची
		14961.22	-	14961.22	2010-2015	-वही- (केरल उच्च न्यायालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के साथ सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 130 ई के तहत अपील दायर करने का निर्देश देनेवाले माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किया गया मामला।)
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948	कर्मचारी राज्य बीमा	10.59	1.00	9.59	2010-2013	माननीय बीमा अदालत, आलप्पुषा

* बाद के वर्षों में धनवापसी के सामने समायोजित।

(viii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान, किसी वित्तीय संस्थान, बैंक या सरकार से कोई ऋण या उधार नहीं लिया गया है। जारी किए बांड के संबंध में, कंपनी ने किसी देय के भुगतान में चूक नहीं किया है।

(ix) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से उठायी गयी राशि को वर्ष के दौरान कंपनी ने आय के अस्थायी लंबित आवेदन के अलावा, जिसके लिए उठाए गए, उन उद्देश्यों के लिए कंपनी द्वारा उपयोग किया गया है। कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई आवधिक ऋण नहीं उठाया है।

(x) हमारी जानकारी और हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कोई धोखाधड़ी सूचित या रिपोर्ट नहीं किया है।

(xi) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 के अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) द्वारा दी गई छूट की दृष्टि में, प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम 2013 अनुसूची V के साथ पढित धारा 197 के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं है।

(xii) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना के अनुसार, अधिनियम 2013 की धारा 406 के अधीन निर्धारितानुसार कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के पैरा 3 (xii) कंपनी के लिए लागू नहीं है।

(xiii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्डों की जांच के आधार पर, संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन, जहां लागू हो, अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में है और ऐसे लेनदेन का विवरण, लागू भारतीय लेखांकन मानक द्वारा अपेक्षितानुसार स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण में प्रकट किया गया है।

(xiv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्डों की जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई प्राथमिक आबंटन या शेयरों के प्राइवट प्लेसमेंट या पूर्ण या आंशिक परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं किया है और अतः कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 42 के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं है।

(xv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 192 में संदर्भितानुसार कंपनी ने निदेशकों या निदेशकों के साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर-नकद लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है।

(xvi) हमारी राय में, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अधीन पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

कृते एलियास जॉर्ज एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.000801एस

रंजित मैथ्यूस पी
साझेदार

कोच्ची
जून 20, 2020

सदस्यता सं: 205377
यूडीआईएन: 20205377AAAADJ5804

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित - अनुबंध ख

दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर कंपनी के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुबंध ख के संदर्भ में, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

क. दिशा निर्देश

1. क्या कंपनी के पास सू.प्रौ. प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय

निहितार्थ के साथ-साथ खातों की अखंडता पर सू.प्रौ. प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण को निहितार्थ, यदि कोई हो, तो वर्णित किया जा सकता है?

हमारी राय में, कंपनी के पास सू.प्रौ. प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक प्रणाली है। हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के आधार पर, और हमारे द्वारा की गई प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारी राय है कि कंपनी के पास सू.प्रौ. प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण को रोकने और पता लगाने के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है। हमें प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, वर्ष के दौरान इस तरह की कोई सूचना नहीं मिली है।

2. क्या कंपनी के ऋण की अदायगी में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों / उधारों / ब्याज आदि के किसी भी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन या छूट के मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव को वर्णित किया जा सकता है?

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकार्ड की हमारी जांच के आधार पर किसी भी मौजूदा ऋण या छूट / उधार / ब्याज के समापन का मामलों का कंपनी को एक ऋणदाता द्वारा बनाए गए कोई पुनर्गठन नहीं किया गया है।

3. क्या केंद्रीय / राज्य अभिकरणों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि / प्राप्य को इसकी अवधि और शर्तों के अनुसार ठीक से उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, केंद्रीय/ राज्य अभिकरणों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त होनेवाली धनराशि का उनके नियमों और शर्तों के अनुसार सही तरीके उपयोग किया गया।

ख. उप दिशानिर्देश

लेखापरीक्षा के तहत अवधि के लिए कोई उप निर्देश जारी नहीं किए गए थे।

कृते एलियास जॉर्ज एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.000801एस

रंजित मैथ्यूस पी
साझेदार

कोच्ची
जून 20, 2020

सदस्यता सं: 205377
यूडीआईएन: 20205377AAAADJ5804

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुबंध ग

(दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अधीन वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

राय

हमने दिनांक 31 मार्च 2020 को, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के साथ संयोजन के रूप में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की है।

हमारी राय में, कंपनी को, सभी महत्वपूर्ण मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को, भारत के सनदी लेखाकार के संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट में बताए आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, दिनांक 31 मार्च 2020 को प्रभावी ढंग से प्रचालित किया जा रहा था।

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के यथार्थता और वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए प्रक्रियाएं हैं। एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्डों के रखरखाव से संबंधित हैं जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान में उचित विस्तार में, यथार्थ और निष्पक्ष रूप में प्रभावित करता है। (2) जो एक उचित आश्वासन प्रदान करता है कि साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिए आवश्यकतानुसार लेनदेन रिकॉर्ड किया जाता है और कंपनी के प्राप्ति और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किया जा रहा है, और (3) जो कंपनी की परिसंपत्तियों के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग या निपटान के निरोध या यथासमय खोज से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करता है, जो वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकारों के संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट में बताए आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षितानुसार, कंपनी की नीतियों का अनुपालन, अपनी परिसंपत्तियों को सुरक्षित करना, धोखाधड़ी और त्रुटियों का निरोध और खोज, लेखांकन अभिलेख की सटीकता और संपूर्णता और यथार्थ वित्तीय सूचना के सामयिक तैयारी सहित अपने व्यापार के व्यवस्थित और प्रभावी आयोजन

सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। हमने दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के लिए लागू, और दोनों भारत के सनदी लेखाकार के संस्थान द्वारा जारी और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अधीन निर्धारित समझे अनुसार और आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों और वित्तीय रिपोर्टिंग ("दिशानिर्देश नोट") के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा की है। मानकों और दिशानिर्देश नोट यह अपेक्षा करता है कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया है और ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी प्रचालित किया है, के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन तथा नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता और उनके प्रचालन प्रभावशीलता के संबंध में लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए निष्पादित प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की एक समझ प्राप्त करना, एक महत्वपूर्ण कमी जो मौजूद है के जोखिम के मूल्यांकन करना और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल किया है। चुनी हुई प्रक्रियाएं, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण अथार्थ विवरण के जोखिमों के मूल्यांकन सहित, लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर है।

हम विश्वास करते हैं कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंतर्निहित परिसीमन

अभिसंधि की संभावना या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन उल्लंघन सहित, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंतर्निहित परिसीमन के कारण, कपट या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण अथार्थ विवरण घटित हो सकता है और पता नहीं लगाया है। भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन के अनुमान भी जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त बन जाएगा, या नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन के स्तर बिगड़ जाएगा।

कृते एलियास जॉर्ज एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं.00801एस

रंजित मैथ्यूस पी

साझेदार

सदस्यता सं: 205377

कोच्ची

जून 20, 2020

यूडीआईएन: 20205377AAAADJ5804

दि. 31 मार्च 2020 का स्टैंडअलॉन तुलन पत्र

(₹ लाखों में)

व्योरा	टिप्पणी सं.	31.03.2020 को	31.03.2019 को
परिसंपत्तियां			
अप्रचलित परिसंपत्तियां			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	69,653.51	31,303.04
(ख) पूंजीगत प्रगतिशील कार्य	4	76,820.65	34,107.72
(ग) अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां	5	5,965.58	6,160.68
(घ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश	6	6,544.52	6,037.18
(ii) ऋण	7	108.24	128.73
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	8	864.50	-
(ङ) आयकर परिसंपत्तियां (निवल)	9	6,025.42	5,727.71
(च) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	10	4,635.94	6,574.94
(छ) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	11	29,290.38	27,976.59
कुल अप्रचलित परिसंपत्तियां		199,908.74	118,016.59
चालू परिसंपत्तियां			
(क) मालसूची	12	31,341.31	28,336.71
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) प्राप्य व्यापार	13	28,823.21	39,233.68
(ii) रोकड व रोकड तुल्यांक	14	84,851.63	97,833.96
(iii) उपर्युक्त(ii) को छोड़कर बैंक शेष	15	132,740.27	154,451.37
(iv) ऋण	16	30.97	39.21
(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	17	3,292.18	23,357.79
(ग) चालू कर परिसंपत्तियां	18	159,473.94	63,086.86
कुल चालू परिसंपत्तियां		440,553.51	406,339.58
कुल परिसंपत्तियां		640,462.25	524,356.17
इक्विटी और देयताएं			
इक्विटी :			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	19	13,154.04	13,154.04
(ख) अन्य इक्विटी	20	360,025.46	320,053.77
कुल इक्विटी		373,179.50	333,207.81
देयताएं:			
अप्रचलित देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार राशियां	21	12,300.00	12,300.00
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	22	37,586.91	261.22
(ख) प्रावधान	23	2,872.20	2,428.71
(ग) अन्य अप्रचलित देयताएं	24	11.45	12.59
कुल अप्रचलित देयताएं		52,770.56	15,002.52
चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
व्यापार देय			
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम केलिए कुल बकाया राशि	25	686.52	725.36
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम को छोड़कर लेनदारों के कुल बकाया राशि		41,185.27	33,933.75
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	26	17,266.32	13,001.22
(ख) अन्य चालू देयताएं	27	116,081.50	86,302.85
(ग) प्रावधान	28	38,137.13	36,932.40
(घ) चालू कर देयताएं (निवल)	9	1,155.45	5,250.26
कुल चालू देयताएं		214,512.19	176,145.84
कुल इक्विटी और देयताएं		640,462.25	524,356.17

निगमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1-2

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

3-58

इसके साथ की टिप्पणियां वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग हैं।

निदेशक बोर्ड केलिए और को और से

श्यामकमल एन
कंपनी सचिव
स.सं. — ए25337

सुरेश बाबु एन वी
निदेशक (प्रचालन)
डीआईएन- 07482491

जोस वी जे
निदेशक (वित्त) व
मुख्य वित्तीय अधिकारी
डीआईएन- 08444440

मधु एस नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन- 07376798

कोच्ची, दिनांक 20 जून 2020

संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स एलियास जॉर्ज व कंपनी

सनदी लेखाकार

(फर्म पंजीकरण सं.000801एस)

रंजित मेथ्यूस पी

साझेदार

(सदस्यता सं. 205377)

कोच्ची, दिनांक 20 जून 2020

दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि का स्टैंडअलॉन विवरण

(₹ लाखों में)

	ब्योरा	टिप्पणी सं.	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
I	आय			
	प्रचालनों से आय	29	342249.39	296560.33
	अन्य आय	30	24750.03	22728.42
	कुल आय		366999.42	319288.75
II	व्यय :			
	उपभुक्त सामग्रियों का मूल्य	31	179599.82	150429.02
	उप ठेका और अन्य प्रत्यक्ष व्यय	32	36556.98	37998.73
	कर्मचारियों के भत्ताओं के लिए व्यय	33	30567.32	27755.65
	वित्तीय मूल्य	34	4459.41	1430.11
	मूल्यहास और ऋणमुक्त व्यय	35	4873.12	3415.53
	अन्य व्यय	36	16008.41	15897.15
	प्रत्याशित हानि तथा व्यय के लिए प्रावधान	37	8591.78	7225.04
	कुल व्यय		280656.84	244151.23
III	कर पूर्व लाभ		86342.58	75137.52
IV	कर व्यय:			
	(1) चालू कर	9	20634.83	29024.73
	(2) आस्थगित कर	9	1939.00	(2005.00)
V	वर्ष का लाभ		63768.75	48117.79
VI	अन्य ब्योरेदार आय			
	(क) मर्दे जो लाभ या हानि के सामने पुनःवर्गीकृत किए जाएंगे			
	i) निर्धारित कर्मचारी के लाभ दायित्वों का पुनः मापन		(797.60)	(300.01)
	ii) मर्दों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के सामने पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		200.76	104.84
	वर्ष के लिए अन्य ब्योरेदार आय		(596.84)	(195.17)
VII	अवधि के लिए कुल अन्य ब्योरेदार आय (अवधि के लिए लाभ और अन्य ब्योरेदार आय शामिल है)		63171.91	47922.62
VIII	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 10):	38		
	(1) मूल (₹ में)		48.48	35.72
	(2) तनुकृत (₹ में)		48.48	35.72

निर्गमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

इसके साथ की टिप्पणियां वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग हैं।

निदेशक बोर्ड के लिए और की ओर से

श्यामकमल एन
कंपनी सचिव
स.सं. — ए25337

सुरेश बाबु एन वी
निदेशक (प्रचालन)
डीआईएन- 07482491

जोस वी जे
निदेशक (वित्त) व
मुख्य वित्तीय अधिकारी
डीआईएन- 08444440

मधु एस नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन- 07376798

कोच्ची, दिनांक 20 जून 2020

संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स एलियास जॉर्ज व कंपनी

सनदी लेखाकार

(फर्म पंजीकरण सं.000801एस)

रंजित मैथ्यूस पी

साझेदार

(सदस्यता सं. 205377)

कोच्ची, दिनांक 20 जून 2020

दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह स्टैंडअलॉन विवरण

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
क. प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
कर पूर्व लाभ	86,342.58	75,137.52
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
मूल्यहास एवं ऋण परिशोधन	4,873.12	3,415.53
ब्याज व्यय	4,459.41	1,430.11
ब्याज आय	(16,725.17)	(18,594.93)
किराया आय	(152.48)	(58.97)
लाभांश आय	(0.89)	(163.34)
संपत्ति संयंत्र और उपस्कर की बिक्री/ बट्टे खाले में डालने पर हानि	1.87	16.09
निवेशों की बिक्री पर लाभ	(235.30)	(711.52)
सरकार की सहायता से प्राप्त आय	(1.14)	(1.14)
व्युत्पन्न अनुबंधों पर हानि/(लाभ) (निवल)	-	-
व्युत्पन्न अनुबंधों पर अवास्तविक हानि/(लाभ) (निवल)	-	-
विदेशी मुद्रा विनियमों पर निवल हानि/(लाभ)	502.01	(88.65)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन पूर्व प्रचालन रोकड प्रवाह	79,064.01	60,380.70
कार्यशील पूंजी में चलन :		
मालसूचियों में वृद्धि / घटती	(3,214.86)	685.01
व्यापार अन्य प्रायों और परिसंपत्तियों में वृद्धि / (घटती)	(68,952.59)	(45,321.63)
व्यापार और अन्य देयों में वृद्धि / (घटती)	36,429.94	(40,530.86)
	43,326.50	(24,786.78)
प्रदत्त आयकर वापसी निवल	(18,065.07)	(20,063.00)
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह (क)	25,261.43	(44,849.78)
ख. निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों की खरीद	(3,549.74)	(5,749.06)
पूंजीगत काम की प्रगति में (वृद्धि)/ कमी	(42,712.93)	(22,623.38)
(तीन महीने के ऊपर परिपक्वता में सावधी जमे में वृद्धि)/(कमी)	21,711.10	115,388.82
म्यूचुवल निधियों में निवेश	(66,800.00)	(238,184.87)
म्यूचुवल निधियों का मोचन	66,800.00	238,185.03
प्राप्त लाभांश	0.89	163.34
निवेशों की बिक्री पर लाभ	235.30	711.52
एचसीएसएल नियंत्रित कंपनी के एनसीडी में निवेश	-	(4,400.00)
एचसीएसएल नियंत्रित कंपनी के इक्विटी शेयरों में निवेश	(507.34)	-
संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों की बिक्री या वापसी	0.66	0.39
प्राप्त ब्याज	17,290.78	20,820.27
प्राप्त किराया	152.48	58.97
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह (ख)	(7,378.80)	104,371.03

(₹ लाखों में)		
ब्योरा	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह		
शेयरों की वापसी खरीद	0.00	(20000.02)
शेयरों की वापसी खरीद की लेनदेन लागत	0.00	(225.78)
कर्मचारियों द्वारा ऋणों का उधार/पुनर्भुगतान	28.72	16.60
विदेशी मुद्रा के लेन- देन पर हानि/ (लाभ)	(857.28)	124.38
पट्टा देयता का पुनर्भुगतान	(2,376.78)	-
प्रदत्त लाभांश	(19,244.36)	(16,312.32)
प्रदत्त लाभांश वितरण कर	(3,955.74)	(3,320.80)
प्रदत्त ब्याज	(4,459.52)	(1,163.29)
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह (ग)	(30,864.96)	(40,881.23)
घ. नकद व नकद तुल्यांकों में निवल वृद्धि (क) अ(ख) अ(ग)	(12,982.33)	18,640.02
वर्ष के आरंभ में नकद और नकद तुल्यांक	97,833.96	79,193.94
वर्ष के अंत में नकद और नकद तुल्यांक	84,851.63	97,833.96
दिनांक 31 मार्च 2020 तक 56702.22 रुपए की निर्धारित निधि सहित नकद एवं नकद समकक्ष		

निगमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1-2

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

3-58

इसके साथ की टिप्पणियां वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग हैं।

निदेशक बोर्ड के लिए और की ओर से

श्यामकमल एन
कंपनी सचिव
स.सं. — ए25337

सुरेश बाबु एन वी
निदेशक (प्रचालन)
डीआईएन- 07482491

जोस वी जे
निदेशक (वित्त) व
मुख्य वित्तीय अधिकारी
डीआईएन- 08444440

मधु एस नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन- 07376798

कोच्ची, दिनांक 20 जून 2020

संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स एलियास जॉर्ज व कंपनी

सनदी लेखाकार

(फर्म पंजीकरण सं.000801एस)

रंजित मेथ्यूस पी

साझेदार

(सदस्यता सं. 205377)

कोच्ची, दिनांक 20 जून 2020

दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का स्टैंडअलॉन विवरण

(₹ लाखों में)

क. इक्विटी शेयर पूंजी		
अप्रैल 01, 2019 को	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	मार्च 31, 2020 को
13,154.04	0.00	13,154.04
अप्रैल 01, 2018 को	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	मार्च 31, 2019 को
13,593.60	-439.56	13,154.04

ख. अन्य इक्विटी	आरक्षण व अधिशेष						कुल
	पूंजी आरक्षण	प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षण	सामान्य आरक्षण	प्रतिधारित कमाई	पूंजी मोचन आरक्षण	ऋण मोचन आरक्षण	
01 अप्रैल 2019 को शेष	263.56	93,152.44	6,322.75	206,436.99	12,353.76	1,524.27	320,053.77
वर्ष का लाभ				63,768.75			63,768.75
वर्ष के अन्य व्यापक आय				(596.84)			(596.84)
वर्ष के कुल व्यापक आय				63,171.91			63,171.91
लाभांश (कर सहित)				(23,200.10)			(23,200.10)
प्रतिधारित कमाई से अंतरण				(144.17)		144.17	0.00
शेयरों की वापसी खरीद				-			-
शेयरों की वापसी खरीद पर लेनदेन लागत				-			-
प्रीमियम की ऋणमुक्ति		(0.12)					(0.12)
परिवर्तन समायोजन				-			-
31 मार्च 2020 को शेष	263.56	93,152.32	6,322.75	246,264.63	12,353.76	1,668.44	360,025.46
अधिक जानकारी के लिए नोट 20 देखें ।							
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में बदलाव का स्टैंडअलॉन बयान							
01 अप्रैल 2018 को शेष	263.56	93,152.56	6,322.75	199,104.08	11,914.20	1,235.94	311,993.09
वर्ष का लाभ				48,117.79			48,117.79
वर्ष के अन्य व्यापक आय				(195.17)			(195.17)
वर्ष के कुल व्यापक आय				47,922.62			47,922.62
लाभांश (कर सहित)				(19,633.12)			(19,633.12)
प्रतिधारित कमाई से अंतरण				(288.33)		288.33	0.00
शेयरों की वापसी खरीद				(20,000.02)	439.56		(19,560.46)
शेयरों की वापसी खरीद पर लेनदेन लागत				(225.78)			(225.78)
प्रीमियम की ऋणमुक्ति		(0.12)					(0.12)
परिवर्तन समायोजन				(442.46)			(442.46)
31 मार्च 2019 को शेष	263.56	93,152.44	6,322.75	206,436.99	12,353.76	1,524.27	320,053.77

अधिक जानकारी के लिए नोट 20 देखें ।
निदेशक बोर्ड के लिए और की ओर से

1-2
3-58

श्यामकमल एन
कंपनी सचिव
स.सं. — ए25337

सुरेश बाबु एन वी
निदेशक (प्रचालन)
डीआईएन- 07482491

जोस वी जे
निदेशक (वित्त) व
मुख्य वित्तीय अधिकारी
डीआईएन- 08444440

मधु एस नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन- 07376798

कोच्ची, दिनांक 20 जून 2020
संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स एलियास जॉर्ज व कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं.000801एस)

रंजित मेथ्यूस पी
साझेदार
(सदस्यता सं. 205377)
कोच्ची, दिनांक 20 जून 2020

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

1. निगमित समीक्षा और मुख्य लेखाकरण नीतियाँ

1.1. निगमित जानकारी

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ('सीएसएल' या कंपनी के रूप में संदर्भित) मुख्यतः जहाजों के निर्माण और मरम्मत और जहाजों के आवधिक परत और जहाजों के जीवन विस्तार के उन्नयन सहित सभी प्रकार के जहाजों की मरम्मत और रिफिट के निर्माण में लगा हुआ है।

कंपनी एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है जो भारत में शामिल और निवास करती है। निगमित कार्यालय का पता पैरुमानूर, कोच्ची, केरल है। दिनांक 31 मार्च 2020 को, भारत सरकार कंपनी की 72.86% इक्विटी शेयर पूंजी का हिस्सा रखता है। कंपनी की इक्विटी शेयर व्यापार के लिए एनएसई लिमिटेड और भारत के बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध है और बीएसई लिमिटेड पर व्यापार के लिए कर मुक्त बॉन्ड में सूचीबद्ध है।

दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया और दिनांक 20 जून 2020 को जारी करने के लिए अधिकृत किया गया।

2. मुख्य लेखाकरण नीतियाँ

2.1 अनुपालन का विवरण

इन वित्तीय विवरणों को समय-समय पर संशोधित कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पढ़ी गई कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक (जिसे 'इन्ड एएस' कहा जाता है।) के अनुसार और भारत में आमतौर पर स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है।

2.2 वित्तीय विवरणों की तैयारी का आधार

कुछ वित्तीय साधनों जो प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्यों पर मापा जाता है, को छोड़कर ये वित्तीय विवरण निम्नलिखित लेखाकरण नीतियों में बताए अनुसार ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं। ऐतिहासिक लागत सामान्य रूप से माल और सेवाओं के बदले में दिए गए विचार के उचित मूल्य पर आधारित है। उचित मूल्य एक ऐसी कीमत है जिसे किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाता है या मापन की तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को हस्तांतरित करने के लिए दिया जाता है।

2.3 अनुमानित खर्चों और निर्णयों का उपयोग

इन्ड ए एस के अनुरूप में वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को लेखा नीतियों के प्रयोग को प्रभावित करने और वित्तीय विवरणों की तिथि पर परिसंपत्तियों, देयताओं और प्रकटीकरण रिपोर्ट की गई राशियाँ और प्रस्तुत की गई वर्षों के लिए राजस्व एवं खर्चों की रिपोर्ट की गई राशियों का निर्णय, आकलन और अनुमान बनाने की आवश्यकता है। आकलनों और संबद्ध अनुमानों ऐतिहासिक अनुभव और अन्य घटकों पर आधारित है जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम विभिन्न अनुमानों और शर्तों के अधीन इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

आकलनों और अंतर्निहित अनुमानों की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। अगर संशोधन केवल उस अवधि को प्रभावित करता है या संशोधन की अवधि में और भविष्य की अवधियों में यदि संशोधन दोनों वर्तमान या भविष्य अवधियों को प्रभावित करता है, आकलन संशोधित जिस अवधि, में लेखाकरण आकलनों के लिए संशोधन मान्य किया जाता है।

2.4 समीक्षात्मक लेखांकन आकलन और निर्णय:

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का प्रयोग जो जटिल लेखांकन अनुमानों की आवश्यकता होती है जिसमें जटिल और व्यक्तिपरक निर्णय शामिल होते हैं और वित्तीय विवरणों में अनुमानों का उपयोग नीचे दिया गया है:

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की उपयोगी सक्रियता

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संपत्ति की उपयोगी सक्रियता औप बकाया मूल्यों की समीक्षा करती है। अनुमान भी बनाई जाती है कि क्या कोई वस्तु परिसंपत्ति के विवरण को पूरा करती है ताकि वह अपने पूंजीकरण के लिए गारंटी देता है और परिसंपत्ति के कौन सा घटक पूंजीकृत हो। जीवन के पुनर्मूल्यांकन भविष्य अवधियों में मूल्यहास व्ययों में परिवर्तन में परिणत हो सकता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों / देयता का मूल्यांकन

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्थगित कर परिसंपत्तियों की बकाया राशि की समीक्षा करती है। आस्थगित कर वस्तुओं के तत्वों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है।

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

पट्टे

कंपनी मूल्यांकन करता है कि क्या कोई व्यवस्था भारतीय लेखा मानक 116 की आवश्यकताओं के अनुसार एक पट्टा होने के योग्य है। पट्टे की पहचान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। कंपनी पट्टे अवधि (प्रत्याशित नवीनीकरण सहित) और लागू छूट दर का आकलन करने में महत्वपूर्ण निर्णयों का उपयोग करती है।

वित्त पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में पट्टे की व्यवस्था का वर्गीकरण, कई कारकों के मूल्यांकन पर आधारित है, जिसमें शामिल हैं, लेकिन यह सीमित नहीं है, पट्टे की अवधि के अंत में पट्टे पर संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण, पट्टेदार का विकल्प खरीदने और इस तरह के विकल्प की निश्चितता का अनुमान लगाना का कार्य, संपत्ति के आर्थिक जीवन के लिए पट्टा अवधि का अनुपात, पट्टे पर दी गई संपत्ति के उचित मूल्य के लिए न्यूनतम पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य का अनुपात और पट्टे की संपत्ति की विशेष प्रकृति की सीमा आदि।

अनकोटेड निवेशों की हानि

कंपनी हर साल अपने निवेशों के बकाया मूल्य की समीक्षा करती है या जब हानि की ओर संकेत होता है अधिक प्रायः। अगर वसूली योग्य राशि उसके बकाया राशि से कम है, तो हानि की गणना करती है।

प्रावधानों की मान्यता और मापन

प्रावधानों की मान्यता और मापन संसाधनों के बहिर्वाह की संभाव्यता के निर्धारण और पिछले अनुभव तथा तुलन पत्र तिथि में ज्ञात परिस्थितियों पर आधारित है। भविष्य की एक तिथि में संसाधनों के वास्तविक बहिर्वाह प्रावधानों में शामिल आंकड़ा से भिन्न हो सकता है।

गारंटी मरम्मतों की ओर प्रावधान

गारंटी मरम्मत/ नए निर्मित पोटों/ सुपुर्द किए गए छोटे यानों और मरम्मत किए गए पोटों के संबंध में दावाओं की ओर कंपनी द्वारा किए गए तकनीकी आकलन के आधार पर एक प्रावधान किया गया है। पोट स्वामियों से प्राप्त गारंटी दावाएं वही के निपटान तक प्रत्येक वर्ष में समीक्षा की जाती है। पहले किए गए प्रावधान में कमी के मामले में, अतिरिक्त प्रावधान किया जाता है।

आकस्मिकताएं और प्रतिबद्धताएं

एक आकस्मिक देयता संभाव्य दायित्व है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है जिसका अस्तित्व एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं की घटना या गैर घटना जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है या वर्तमान दायित्व जिसे मान्यता नहीं है क्योंकि यह संभव नहीं है कि संसाधनों का बहिर्वाह दायित्व को सुलझाने आवश्यक होगा या इसे पर्याप्त विश्वसनीयता से नहीं मापा जा सकता है, द्वारा पुष्टि की जाएगी। कंपनी आकस्मिक देयता को पहचान नहीं पाती है लेकिन वित्तीय विवरणों में इसका अस्तित्व प्रकट करती है।

अग्रिमों और प्राप्तियों की वसूली योग्यता

कंपनी व्यापार और अन्य प्रायों की वसूली के आकलन के आधार पर प्रत्याशित क्रेडिट हानि के लिए प्रावधान किया जाता है। संदिग्ध ऋणों के पहचान के लिए निर्णय और आकलनों का उपयोग आवश्यक है। जहाँ अनुमान वास्तविक आकलनों से भिन्न है ऐसी भिन्नता परिवर्तित की गई जिस अवधि में ऐसे आकलन व्यापार और अन्य प्रायों तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के कारण व्ययों के कैरिंगिंग मूल्य को प्रभावित किया जाएगा। प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर, प्रत्याशित जीवन पर अवलोकन किए ऐतिहासिक डिफॉल्ट दरों के आधार पर, प्रबंधन बकाया प्रायों और अग्रिमों पर प्रत्याशित क्रेडिट हानि का आकलन करता है।

उचित मूल्य मापन

प्रबंधन वित्तीय उपकरणों के उचित मूल्य (जहाँ सक्रिय बाजार उद्धरण उपलब्ध नहीं है) और गैर वित्तीय संपत्तियों के निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करता है। बाजार प्रतिभागियां उपकरण का दाम कैसे सगाएगा के साथ संगत विकासोन्मुख अनुमान और धारणाएं इसमें शामिल है। प्रबंधन अपने धारणाओं के लिए यथासंभव प्रत्यक्ष डेटा को आधार बनाता है लेकिन यह हमेशा उपलब्ध नहीं होता है। उस स्थिति में प्रबंधन उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी का उपयोग करता है। अनुमानित उचित मूल्य वास्तविक कीमतों से भिन्न हो सकता है जो रिपोर्टिंग तिथि पर एक हाथ की लंबाई लेनदेन में हासिल किए जाएंगे।

मालसूचियों के लिए प्रावधान

प्रबंधन आवधिक आधार पर मालसूची समय सूचीकरण की समीक्षा करती है। इस समीक्षा में अग्रिम मालसूची मदों के कैरिंगिंग मूल्य के साथ संबंधित निवल वसूली मूल्य की तुलना

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

शामिल है। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या वित्तीय विवरणों में किसी भी अप्रचलित और धीमी गति से चलती वस्तुओं के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता है या नहीं और वित्तीय विवरणों में अप्रचलित और धीमी गति से चलती मालसूचियों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है या नहीं।

परिनिर्धारित नुकसान

कंपनी की परिनिर्धारित नुकसान के सामने दावे वित्तीय विवरणों में समान लेनदेनों के अनुभव द्वारा पूर्ति की गई उपलब्ध जानकारी के संदर्भ में संभावित परिणाम के, प्रबंधन के मूल्यांकन के आधार पर वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाती है। परिनिर्धारित नुकसान के संबंध में सुपुर्दगी अनुसूची के अनुसार मालों की आपूर्ति की नियत तिथि और उक्त मालों की सुपुर्दगी की प्रत्याशित तिथि के बीच देरी की अवधि के लिए एक प्रावधान मान्यता दी जाती है।

राजस्व मान्यता

कंपनी ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व की मान्यता के लिए समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्वों की प्रगति को मापने में महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। ठेकों के अपूर्ण भाग पर अनुमानित हानियों के लिए इस अवधि में यदि कोई प्रावधान किया गया है जिसमें ऐसी हानियाँ रिपोर्टिंग तिथि पर अनुमानित ठेका अनुमानों के आधार पर संभाव्य हो जाता है। समान लेनदेन के अनुभव द्वारा पूरक उपलब्ध जानकारी के संदर्भ में संभावित परिणाम के प्रबंधन के आकलन के आधार, कंपनी के खिलाफ परिसमाप्त नुकसान के दावे को मान्यता दी जाती है।

निश्चित लाभ दायित्वों की मान्यता और मापन

निश्चित लाभ योजना से उत्पन्न होनेवाले दायित्व बीमांकिक पूर्वानुमानों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। मुख्य बीमांकिक पूर्वानुमानों में छूट की दर, वेतन वृद्धि का प्रचलन और निहित भविष्य लाभ और जीवन प्रत्याशा शामिल है। सरकारी बॉन्ड पर छूट की दर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार आय के संदर्भ में निर्धारित की जाती है। अंतर्निहित बॉन्ड की परिपक्वता अवधि रोजगार बाद लाभ दायित्वों की संभाव्य परिपक्वता के अनुरूप है।

2.5 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

कंपनी ने संक्रमण तिथि यानी 01 अप्रैल 2015 को कैरियिंग लागत को भारतीय लेखाकरण मानक के तहत अनुमानित लागत के रूप में विचार करने से एक बार संक्रमण छूट के लिए आवेदन

किया था। इसलिए इसके बाद ऐतिहासिक लागत के रूप में माना जाता है।

पी पी ई निःशुल्क संचित मूल्यहास (पूर्ण स्वामित्व भूमि जो लागत में स्पष्ट किए को छोड़कर) और नुकसान यदि कोई है में स्पष्ट किया है। पी पी ई शुरू में लागत पर मान्य किया जाता है। पी पी ई की प्रारंभिक लागत में इसकी खरीद मूल्य और किसी व्यापार छूट तथा कटौतियों के निवल गैर वापसी योग्य शुल्क और कर सहित प्रबंधन द्वारा नियत तरीके में संचालन के लिए सक्षम बनाने हेतु परिसंपत्ति को स्थान में लाने और आवश्यक स्थिति में लाने के लिए होनेवाले प्रत्यक्ष रूप से आपोष्य किसी लागत शामिल है। पी पी ई की लागत में प्रारंभिक स्वीकृति तक (योग्य परिसंपत्तियों के निर्माण या उत्पादन, अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य उधार लागत) कर्जों पर ब्याज भी शामिल है।

इसके बाद की लागतों को परिसंपत्ति के कैरियिंग मूल्य में शामिल किया है या उचित रूप से एक अलग परिसंपत्ति के रूप में स्वीकृत किया है। केवल जब यह संभाव्य है कि मद से संबंधित भविष्य आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होगा और मदों की लागत वस्तुगत है और विश्वासनीय ढंग से मापा जा सकता है। एक अलग परिसंपत्ति के रूप में गणना की गई किसी घटक की कैरियिंग राशि जब उसे प्रतिस्थापित करते समय अस्वीकृत किया जाता है। सभी अन्य मरम्मत और अनुरक्षण रिपोर्टिंग अवधि जिसमें वह खर्च किए जाते हैं, के दौरान लाभ व हानि के विवरण में प्रभावित किया है।

2.6 प्रगतिशील पूंजी कार्य और विकासाधीन अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां:

प्रगतिशील पूंजी कार्य और और विकासाधीन अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां संपत्ति, संयंत्र और उपकरण है जो रिपोर्टिंग तिथि पर उनके नियत उपयोग के लिए अभी तक तैयार नहीं है जो लागत पर लाई जाती है, जिसमें प्रत्यक्ष लागत, संबंधित प्रासंगिक आकस्मिक खर्च और आरोप्य उद्धार लागत शामिल है।

2.7 अगोचर परिसंपत्ति

डिजाइन विकास: डिजाइन विकास के लिए किए गए खर्च जो उत्पाद पर सीधे आदेश नहीं किया है, वह अगोचर परिसंपत्ति के रूप में छपाया है और 5 वर्ष की अवधि के लिए सीधी लाइन आधार ऋण परिशोधित है।

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

सोफ्टवेयर: सॉफ्टवेयर का मूल्य जो आंतरिक उपयोग के लिए उपाजित संबंधित हार्डवेयर के अभिन्न भाग है, अगोचर परिसंपत्ति के रूप में पूंजीगत किया है और 3 वर्ष की अवधि के लिए सीधी लाइन आधार पर ऋण परिशोधित है।

उपयोग के लिए अधिकार: भूमि और अन्य सुविधाओं के प्रयोग के लिए अधिकार हासिल करने हेतु पहले ही प्रदत्त शुल्क को अगोचर परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया जाता है और अवधि में एक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया है, जिसके लिए अधिकार प्राप्त किया गया है।

आंतरिक रूप से प्रजनित प्रक्रिया : भीतरी तौर पर उत्पन्न किए सोफ्टवेयर की लागत अगोचर परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत और तीन साल की अवधि के परे एक सीधी लाइन के आधार पर ऋण परिशोधन किया है।

शेष मूल्यों, उपयोगी जीवन और अमूर्त संपत्तियों के परिशोधन के तरीकों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

2.8 पट्टे

भारतीय लेखा मानक (भारतीय लेखा मानक 116) 'पट्टे' दिनांक अप्रैल 01, 2019 से प्रभावी हो गए और कंपनी ने संशोधित पूर्वव्यापी संक्रमण पद्धति का उपयोग करके इसे अपनाया है, जहां प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर पट्टा देयता को शेष पट्टे भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है और सही उपयोग की परिसंपत्तियों को शुरू में लागत पर मान्यता प्राप्त है, जिसमें पट्टे की देय राशि की प्रारंभिक राशि शामिल होती है जो पट्टे की आरंभ तिथि से पहले या उससे पहले किए गए पट्टे के भुगतान के लिए समायोजित की जाती है और किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत में किसी भी पट्टे पर प्रोत्साहन कम होता है। तदनुसार, तुलनाओं को पूर्वव्यापी रूप से समायोजित नहीं किया गया है।

पट्टेदार के रूप में :

कंपनी की पट्टे परिसंपत्ति वर्ग में मुख्य रूप से भूमि और भवनों के पट्टे शामिल हैं। कंपनी इस बात का अकलन करती है कि क्या अनुबंध की शुरुआत में एक अनुबंध पट्टा है या इसमें पट्टा शामिल है। एक अनुबंध पट्टा है, या इसमें पट्टा शामिल है, यदि अनुबंध विचार के लिए बदले में समय की अवधि के लिए किसी पहचाने गए परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का

अधिकार देता है। क्या अनुबंध किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, इसका आकलन करने के लिए, कंपनी यह आकलन करती है कि : (I) अनुबंध में किसी पहचान की गई संपत्ति का उपयोग शामिल हैं, (II) कंपनी के पास पट्टे की अवधि के माध्यम से परिसंपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ काफी हैं और (III) कंपनी के पास संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

पट्टा शुरू होने की तारीख में, कंपनी एक पट्टा देनदारी और सभी पट्टा व्यवस्था के लिए एक संगत राइट-टु-यूज परिसंपत्ति को मान्यता देती है, जिसमें यह पट्टेदार होता है, सिवाय बारह महीने या उससे कम अवधि (कम अवधि के पट्टे) वाले पट्टे को छोड़कर और कम मूल्य की संपत्ति के पट्टे। इन अल्पावधि और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टे के लिए कंपनी पट्टे भुगतान को सीधे आधार पर या पट्टे की अवधि के दौरान किसी अन्य व्यवस्थित आधार पर परिचालन व्यय के रूप में पहचानती है। उपयोग में आनेवाली परिसंपत्तियों को शुरू में लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें पट्टे के भुगतान की प्रारंभिक राशि पट्टे भुगतान के लिए या उससे पहले पट्टे भुगतान के लिए समायोजित की जाती है, साथ ही किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत में कोई पट्टा प्रोत्साहन कम होता है। वे बाद में लागत कम संचित मूल्यहास और हानि पर मापा जाता है, यदि कोई हो। उपयोग की जानेवाली परिसंपत्तियों को पट्टे अवधि और अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के छोटे से अधिक सीधी रेखा के आधार पर प्रारंभ तिथि से मूल्यहास किया जाता है। पट्टा देयता को शुरू में भविष्य के पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। पट्टे के भुगतानों को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है या यदि वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करके आसानी से निर्धारित नहीं किया जाता है। पट्टा देयता को बाद में पट्टा देयता पर ब्याज को प्रतिबिंबित करने के लिए ले जाने की मात्रा में वृद्धि करके और ली गई भुगतानों को प्रतिबिंबित करने के लिए ले जाने की मात्रा को कम करके पुनः भुगतान किया जाता है। एक पट्टा देयता को कुछ घटनाओं की घटना जैसे कि पट्टा अवधि में बदलाव या पट्टे के भुगतान को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए गए सूचकांक या दर में बदलाव के आधार पर पुनः मापा जाता है। पुनःमापन में आम तौर पर पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों को भी समायोजित करता है। पट्टा देनदारी और आरओयू परिसंपत्ति की अलग-अलग तुलन पत्र में प्रस्तुत किया गया है और पट्टे के भुगतान को नकदी प्रवाही के वित्तपोषण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

एक पट्टेदार के रूप में

पट्टे जिसके लिए कंपनी एक पट्टेदार है, को वित्त या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जब कभी पट्टे की शर्तें पट्टेदार को स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को स्थानांतरित करती हैं, तो अनुबंध को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी पट्टे प्रचालनशील पट्टे रूप में वर्गीकृत हैं।

प्रचालन पट्टे के लिए, किराए की आय को एक सीधी रेखा के आधार पर या संबंधित पट्टे की अवधि में एक और व्यवस्थित आधार पर मान्यता प्राप्त है। पट्टा किराए आय के रूप में मान्यता प्राप्त राशि और पट्टा समझौते के रूप में देय वास्तविक नकदी प्रवाही के बीच के अंतर को ('अर्जित पट्टा किराया परिसंपत्ति') में समायोजित किया जाता है।

2.9 निवेश संपत्तियां

निवेश संपत्तियां किराये अर्जित करने और / अथवा पूंजी वृद्धि के लिए धारित संपत्तियां हैं। निवेश संपत्तियां प्रारंभ में लेनदेन लागत सहित लागत पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, निवेश संपत्तियों को लागत कम संचित मूल्यहास और हानियों के नुकसान पर बताया जाता है। निवेश संपत्ति तब निपटान पर कोई लाभ या हानि, निवल निपटान आय और संपत्ति की कैरियिंग राशि के बीच अंतर के रूप में निर्धारित की जाती है और लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.10 मूल्यहास

नीचे वर्णित सीमा तक, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में निर्धारित अनुसार परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी लाइन पद्धति पर प्रदान किया है।

अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) के लिए कोचीन पोर्ट ट्रस्ट से उर्पाजित परिसंपत्तियों के लिए मूल्यहास तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित शेष उपयोगी जीवन के आधार पर प्रदान किया है। उपयोग की संपत्ति का अधिकार उपयोग की तारीख से शुरू होनेवाली तारीख के आधार पर मूल्य संपत्ति के अधिकार जीवन के अंत या पट्टे की अवधि के अंत में छोटी रेखा के आधार पर मूल्यहास से हटा दिया जाता है।

प्रारंभ में स्वीकृत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक मद और किसी महत्वपूर्ण भाग निपटान पर अथवा जब इसके उपयोग या

निपटान से भविष्य आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है अस्वीकृत किया जाता है। परिसंपत्ति की अस्वीकृति पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ/ हानि को लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है जब परिसंपत्ति अस्वीकृत करती है। अभी भी उपयोग में रहने वाली पूर्ण रूप से अवमूल्यन की गई परिसंपत्तियां वित्तीय विवरणों में बकाया मूल्य में रखी जाती है।

मूल्यहास पद्धति, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उपयोगी जीवन और बकाया मूल्यों की समीक्षा की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

प्रबंधन विश्वास करता है कि संपत्तियों के उपयोगी जीवन अधिनियम की अनुसूची II में निर्धारित वही के अनुसार, कुछ प्रकार के इमारतों और उपकरणों को छोड़कर, जिसमें तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, अधिनियम की अनुसूची II में निर्धारित से भिन्न होने की तरह उपयोगी जीवन अनुमानित किया गया है। विभिन्न संपत्ति वर्ग के लिए मूल्यहास की गणना हेतु विचार किए गए उपयोगी जीवन निम्नानुसार हैं:

संपत्ति वर्ग	उपयोगी जीवन
भवन	3-60 वर्ष
संयंत्र और उपकरण	5-15 वर्ष
फर्नीचर और फिक्सचर	8-10 वर्ष
वाहन	8-10 वर्ष
कार्यालय उपकरण	3-10 वर्ष
डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	3-6 वर्ष
डॉक और घाट	15 वर्ष
रेलवे साइडिंग	15 वर्ष
इलैक्ट्रिकल प्रतिष्ठापन	10 वर्ष
ड्रेनेज और पानी की आपूर्ति	15 वर्ष
वेसल	13-28 वर्ष

2.11 परिसंपत्तियों का हानिकरण

कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को प्रत्येक नकद उत्पादक एकक के संदर्भ में परिसंपत्तियों के हानिकरण का मूल्यांकन करते हैं। यदि आंतरिक और बाह्य घटकों के आधार पर घटाएं या परिस्थितियों में परिवर्तन यह सूचित करते हैं कि अंकित पूर्ण रूप से वसूली योग्य न होगा, हानिकरण के कारण हानि, जो अग्रनीत राशि और वसूली योग्य राशि के बीच जो अंतर है वह तदनुसार गणना की है।

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

2.12 बिक्री के लिए धारित गैर चालू संपत्तियां

कंपनी एक गैर चालू संपत्ति को बिक्री के लिए धारित रूप में वर्गीकृत करती है, यदि उसकी कैरियिंग लागत मुख्य रूप से एक बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाएगी। इस स्थिति को जैसे पूरा किए मानते हैं, केवल जब संपत्ति अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो और इसकी बिक्री अत्यधिक संभव हो।

बंद संचालन सहित गैर चालू संपत्तियां जो, बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत को कैरियिंग राशि के निम्नतम में मापा जाता है और बिक्री के लिए उचित मूल्य कम लागत तथा वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया है। एक बार बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत करने पर, संपत्तियां मूल्य हास और परिशोधन के अधीन नहीं है।

बंद संचालनों की बिक्री या पुनः मापन से उत्पन्न किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में एकल पंक्ति मद के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

2.13 नियंत्रित कंपनी में निवेश

कंपनी ने भारतीय लेखाकरण मानक-27 अलग वित्तीय विवरणों के अनुसार अपने स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों में अपनी नियंत्रित कंपनी के लिए लागत पर गणना की है।

2.14 माल सूची

(क) कच्चे मालों, घटकों, भण्डार और पूर्ण का भारत औरसत लागत पद्धति के अनुसरण में लागत पर मूल्यांकन किया जाता है। हालांकि उत्पादन/सेवाओं में उपयोग के लिए रखी गई सामग्रियों और अन्य आपूर्ति को लागत से नीचे नहीं लिखा गया है यदि तैयार उत्पाद/सेवाओं की आपूर्ति जिसमें उन्हें शामिल किया जाएगा, उन्हें ऊपर या लागत पर बेचा जाने की उम्मीद है। अप्रचलन/अनुपयोगित/गुण हास प्रबंधन द्वारा किए गए तकनीक के मूल्यांकन के आधार पर तय किया जाता है। मार्गस्थ और निरीक्षण लंबित मालों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है। रक्षा पोतों के निर्माण के संबंध में सामग्रियों के स्टॉक जिसमें उपगत मूल्य मालिक द्वारा प्रतिपूर्ति की है, यान के निर्माण के लिए मालिक द्वारा प्रदान अग्रिमों से घटाव के रूप में दर्शाया है।

(ख) असंयत औजारों का मूल्यांकन उनके लागत के आधार पर किया गया और उनके अंकित मूल्य के 30 प्रतिशत को पुनः मूल्यांकन पर होने वाली हानि के लिए प्रावधान करने के बाद किया गया।

(ग) रद्दियों का मूल्य निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है।

2.15 वित्तीय साधन

जब कंपनी साधन के संविदात्मक प्रावधानों का एक पार्टी बनती है वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को मान्य किया जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है। लेनदेन की लागतें जो अधिग्रहण या वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं (लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को छोड़कर) की जारी को प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य है वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता की प्रारंभिक मान्यता पर मापा गया उचित मूल्य से जोड़ा या घटाया जाता है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीओसीआई)

वित्तीय परिसंपत्तियों को अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर मापा जाता है यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियां एक व्यवसाय में लगा दिया है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्र करने से प्राप्त होता है जो निर्दिष्ट तिथियों को केवल मूलधन और बकाया मूलधन राशि पर ब्याज के भुगतान करने के लिए और वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री के जरिए।

लाभ या हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)

वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित दर पर मापा जाता है जब तक यह प्रारंभिक मान्यता पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर मापा जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के अधिग्रहण के लिए सीधे आरोप्य लेनदेन लागत तत्काल से लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है।

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है अगर ये वित्तीय परिसंपत्तियां एक व्यवसाय में लगा दिया है,

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

जिसका उद्देश्य संविदात्मक रोकड प्रवाह को एकत्र करने के लिए इन परिसंपत्तियों को प्रतिरक्षा करना है और वित्तीय परिसंपत्ति के संविदात्मक शर्तों निर्दिष्ट तिथियों पर रोकड प्रवाहों उत्कर्ष होता है जो केवल बकाया मूलधन राशि पर ब्याज और मूल धन के भुगतान है।

निवेश

भारतीय लेखाकरण मानक 109 वित्तीय उपकरणों के क्षेत्र में सभी इक्विटी निवेश, उचित मूल्य पर मापा जाता है। इक्विटी उपकरण जो व्यापार के लिए धारित है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सभी अन्य इक्विटी उपकरणों के लिए, कंपनी उचित मूल्य में अन्य व्यापक आय के बाद उचित मूल्य में परिवर्तनों में प्रस्तुत करने के लिए एक अपरिवर्तनीय चयन कर सकती है। कंपनी ऐसे चयन उपकरण से उपकरण के आधार पर बनाती है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया जाता है औ अपरिवर्तनीय है।

एक ऋण साधन में निवेश को परिमाप्य लागत पर मापा जाता है यदि दोनों निम्न शर्तें पूरी होती है : संपत्ति एक व्यावसायिक नमूने के भीतर संभाली जाती है, जिसका उद्देश्य है :

संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्रित करने के लिए संपत्ति रखने, और

परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह को निर्दिष्ट तिथियों पर सृजित करती है जो मूल रूप से मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान बकाया राशि पर होती हैं ।

प्रारंभिक माप के बाद, इस तरह की वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है । अमूर्त लागत की गणना किसी भी छूट या प्रीमियम और शुल्क या लागत को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग है । ईआईआर परिशोधन लाभ और हानि के विवरण में वित्त आय में शामिल हैं । हानि से उत्पन्न होनेवाले नुकसान को लाभ और हानि के वक्तव्य में मान्यता दी गई है ।

व्यापार प्राप्तियां

कंपनी डिलिवरेबल्स के बदले प्राप्य या अनुबंध परिसंपत्ति के रूप में विचार करने के अधिकार को वर्गीकृत करती है । प्राप्य एक विचार का अधिकार है जो बिना शर्त है और उस विचार के भुगतान से पहले केवल समय की आवश्यकता है ।

कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र तिथि में आकलन करती है कि क्या कोई वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय परिसंपत्ति का समूह बिगडा हुआ है। भारतीय लेखा मानक 109 अपेक्षा करती है कि प्रत्याशित हानि एक हानि छूट के माध्यम से मापा जाना।

कंपनी सभी व्यापार प्राप्तियों के लिए आजीवन अपेक्षित उधार हानियों को पहचानती है जो एक वित्त पोषण लेनदेन नहीं बना देती हैं। नुकसान हानि छूट इन्ड ए एस 109 द्वारा अनुमत अनुसार एक सरलीकृत दृष्टिकोण पर आधारित है। एक व्यवहारिक उपाय के रूप में कंपनी अपने व्यापार प्राप्तियों की श्रेणी पर हानि का निर्धारण करने के लिए प्रावधान मैट्रिक्स का उपयोग करती है।

सभी व्यापार प्राप्तियों के लिए पूर्ण प्रावधान किया जाता है जब वसूली संदेहात्मक माना जाता है जब कर्ज तीन साल से अधिक है या अगर यह निश्चित है कि ऋण वसूली योग्य नहीं है।

जहाँ ऋण कानूनी कार्यवाहियों में विवादित होते हैं, अगर किसी भी निर्णय कंपनी के खिलाफ दिया जाता है तो प्रावधान किया जाता है, यद्यपि वही उच्च अधिकारियों/ अदालतों को अपील पर ले लिया गया है।

क्षतिपूर्ति हानि (या उलटाव) जो कि रिपोर्टिंग तिथि पर मान्य किया जाना है, लाभ और हानि लेखा के विवरण में एक हानि या लाभ के रूप में मान्य किया जाता है।

नकद व नकद तुल्यांक

कंपनी सभी अत्यधिक तरल वित्तीय साधनों को जो नकद की ज्ञात राशियों में आसानी से परिवर्तनीय है जो कि मूल्य में परिवर्तन की एक नगण्य जोखिम के अधीन है और नकद तुल्यांक होने के लिए खरीद की तिथि से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता होते हैं। नकद व नकद तुल्यांक में बैंकों के साथ शेष जो वापसी और उपयोग के लिए अप्रतिबंधित है, शामिल होते हैं।

वित्तीय देयताएं

वित्तीय देयताएं प्रभावी ब्याज दर पद्धति उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

इक्विटी उपकरण

इक्विटी उपकरण एक ठेका है जो अपनी सभी देयताओं को घटाने के बाद कंपनी की संपत्तियों में बचत ब्याज का प्रमाण देता

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

है। इक्विटी उपकरणों को समायोजित सीधे जारी लागत से प्राप्त आय पर मान्य किया जाता है।

वित्तीय साधनों का ऑफ सेटिंग

वित्तीय परिसंपत्तियाँ और वित्तीय देयताएं ऑफसेट है और निवल राशि वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट की जाती है यदि वर्तमान में मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने के लिए लागू करने योग्य वैध अधिकार है और परिसंपत्तियों को वसूल करने और एक ही समय पर देयताओं को निपटान करने के लिए एक निवल आधार पर निपटान करने की उम्मीद है।

विदेशी मुद्रा लेनदेन

कार्यात्मक व प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपयों (आई एन आर) में प्रस्तुत किया जाता है जो कंपनी की क्रियाशील मुद्रा प्रदर्शन मुद्रा है।

लेनदेन और शेष:

विदेशी मुद्रा लेनदेनों को क्रियाशील मुद्रा में संबंधित लेनदेन की तिथियों पर प्रचलित विनिमय दर ग्रहण करते हुए रिकॉर्ड किया जाता है। वर्ष के अंत में विदेशी मुद्राओं में बताए आर्थिक वस्तुओं को तुलन पत्र तिथि पर प्रचलित विनिमय दर में पुनः मापा जाता है। गैर आर्थिक विदेशी मुद्रा मर्दे लागत पर प्रस्तुत किया जाता है। विनिमय भिन्नता के कारण किसी भी आय या व्यय निपटान पर या संशोधित विवरण पर लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया जाता है।

व्युत्पन्न साधन और प्रतिरक्षा लेखांकन:

कंपनी कुछ विदेशी मुद्रा अग्रिम ठेकाओं को विदेशी विनिमय जोखिमों के संबंध में प्रतिरक्षा साधनों के रूप में निर्दिष्ट करती है। इन प्रतिरक्षा को नकद प्रवाह प्रतिरक्षा के रूप में लेखाबद्ध किया गया है। व्युत्पन्नों को शुरू में, दाखिल किए गए व्युत्पन्न ठेका की तिथि पर उचित मूल्य पर मान्य किया है और बाद में प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उसके उचित मूल्य की ओर फिर से मापा जाता है।

विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न ठेकाओं का उपयोग निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कंपनी की विदेशी विनिमय जोखिम नीतियों से शासित है जो कंपनी के जोखिम प्रबंध योजना से संगत ऐसी वित्तीय व्युत्पन्नों के उपयोगों पर लिखित मूल्यतत्त्वों प्रदान करती है।

कंपनी अनिश्चित प्रयोजनों के लिए व्युत्पन्न वित्तीय साधनों का उपयोग नहीं करता है।

प्रतिरक्षा साधनों को ठेके की शुरुआत में प्रतिरक्षा के रूप में निर्दिष्ट और प्रलेखित किया गया है। विदेशी मुद्रा अनावृत्ति से जुड़े जोखिम को कम करने के लिए प्रतिरक्षा साधनों की प्रभावशीलता जो प्रतिरक्षा की जा रही है आरंभ में और निरंतर आधार पर मूल्यांकित और मापा जाता है। निर्दिष्ट प्रतिरक्षाओं के अप्रभावी भाग तत्काल से लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

निर्दिष्ट प्रतिरक्षा साधन के उचित मूल्य में परिवर्तन का प्रभावी हिस्सा अन्य व्यापक आय में मान्यता दिया है और नकद प्रवाह साधन रिजर्व शीर्ष के अधीन संचित किया गया है।

प्रतिरक्षा साधन समाप्त हो जाने पर या बिना किसी प्रतिस्थापन का रोलओवर (हेडजिंग रणनीति के भाग के रूप में) बेचा, समाप्त या प्रयोग किया जाता है या यदि प्रतिरक्षा के रूप में उसका पदनाम रद्द किया जाता है, या जब तक प्रतिरक्षा लेखांकन के मानदेयों को पीरा नहीं करते हैं प्रतिरक्षा लेखांकन समाप्त करता है। अन्य सर्वग्राही आयों में मान्य किए गए और उस समय तक इक्विटी में संचित और अवशेष किसी भी लाभ अथवा हानि विवरण में नाम्य किया जाता है जब कि पूर्वानुमानित लेनदेन अंततः लाभ और हानि को प्रभावित करता है। जब तक पूर्वानुमानित लेनदेन की उम्मीद नहीं की जाती है, इक्विटी में संचित लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में स्थानांतरित किया जाता है।

2.16 अनुबंध परिसंपत्तियां

जहां कंपनी ग्राहक पर विचार करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले किसी वस्तु या सेवाओं को किसी ग्राहको हस्तांतरित करके प्रदर्शन करती है, कंपनी अनुबंध को संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करती है। एक अनुबंध संपत्ति कंपनी के सामान या सेवाओं के बदले में विचार करने का अधिकार है जिसे कंपनी ने किसी ग्राहक को हस्तांतरित किया है। अनुबंध परिसंपत्तियों की समीक्षा भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार हानि के लिए की जाती है।

2.17 अनुबंध देयताएं

जहां कंपनी को विचार प्राप्त होता है, या कंपनी के पास विचार की राशि का अधिकार है जो बिना शर्त (यानी प्राप्य) है, या भुगतान देय है (जो भी पहले हो), इससे पहले कि कंपनी ग्राहक

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

को एक अच्छी या सेवा हस्तांतरित करती है, भुगतान के समय कंपनी अनुबंध, अनुबंध के रूप में प्रस्तुत करती है। एक अनुबंध देयता कंपनी का दायित्व है कि वह किसी ग्राहक को सामान या सेवाएं हस्तांतरित करे, जिसके लिए कंपनी ने ग्राहक से विचार (या विचार की राशि देय है) प्राप्त की है।

2.18 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

यदि कोई पिछली घटना के परिणामस्वरूप, कंपनी को एक मौजूदा कानूनी दायित्व है जिसका विश्वासनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है और यह संभाव्य है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों का बहिर्वाह की आवश्यकता होगी। प्रावधान (सेवा निवृत्ति लाभ और क्षतिपूर्ति की गई छुट्टी को छोड़कर) अपने मौजूदा मूल्य से छूट नहीं दी गई है और रिपोर्टिंग तिथि पर दायित्व को निपटाने के लिए अपेक्षित आर्थिक लाभों के बहिर्वाह के सबसे अच्छा अनुमान से निर्धारित किया गया है। इन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षित किया जाता है ताकि वर्तमान उत्तम अनुमानों को प्रतिबिंबित किया जा सके।

दिए गए पोटों/ छोटे यानों पर गारंटी दावे के लिए प्रावधान तकनीकी अनुमान के आधार पर किया जाता है। जहाँ भी आवश्यक हो, मामले के आधार पर सुपुर्द पोटों के लिए गारंटी दावाएँ, गारंटी अवधि को संरक्षण करते हुए बीमा पॉलिसियों के जरिए संरक्षित किया जाता है।

व्यापार के सामान्य क्रम में कंपनी के खिलाफ मुकदमेबाजी और अन्य दावों से आकस्मिक देयताएं उत्पन्न हो सकती हैं। जहाँ संभावित देयताओं में क्रिस्टलाइजिंग की कम संभावना होती है अथवा विश्वासनीय रूप से मापना बहुत मुश्किल होती है, हम उन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में माना जाता है। ऐसी देयताएं टिप्पणियों में प्रकट किया गया है लेकिन वित्तीय विवरणों में उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। यद्यपि कानूनी कार्यवाहियों के अंतिम परिणाम के संबंध में कोई आश्वासन नहीं हो सकता है, हम उम्मीद नहीं करते हैं कि वे हमारी वित्तीय स्थिति या लाभप्रदता पर असल में प्रतिकूल प्रभाव डालें। कंपनी आकस्मिक देयता को मान्य नहीं करती है लेकिन वित्तीय विवरणों में इसका अस्तित्व प्रकट करती है।

आकस्मिक संपत्तियां न तो मान्यता प्राप्त है और न ही प्रकट किया गया है। हालांकि जब आय की वसूली असल में निश्चित हैं, संबंधित संपत्ति को मात्रयता दी जाती है।

2.19 राजस्व मान्यता

क) परिचालन से राजस्व

1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी, कंपनी ने एएस115 'ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व' को अपनाया है। प्रारंभिक आवेदन की तारीख (1 अप्रैल, 2018) को पूरा नहीं किए गए अनुबंधों के संबंध में, कंपनी ने ओपन डेट बैलेंस के समायोजन के रूप में प्रभावी तिथि पर समान लागू करने के संचयी प्रभाव को पहचानकर मानक पूर्वव्यापी लागू किया है। पूर्व में अर्जित आय और तदनुसार पिछले वर्षों के आंकड़ों को पूर्वव्यापी रूप से समायोजित नहीं किया गया है।

ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व को लेनदेन मूल्य के आधार पर मापा जाता है, जो प्राप्त या प्राप्य विचार का उचित मूल्य है। राजस्व को मान्यता तब दी जाती है जब कंपनी स्वदेशी वायुयान वाहक को छोड़कर जहाज निर्माण और जहाज की मरम्मत के लिए ग्राहकों के साथ अनुबंध के संबंध में आज तक पूरे किए गए भौतिक प्रदर्शन के मापन के आधार पर उत्पादन पद्धति का उपयोग करके ग्राहक को वादा किए गए सामान और सेवाओं को स्थानांतरित करके प्रदर्शन दायित्वों को पूरा करती है।

स्वदेशी वायुयान वाहक के निर्माण के लिए भारतीय नौसेना के साथ अनुबंध के संबंध में, जो कि आंशिक रूप से कीमत निश्चित मूल्य आधार और आंशिक रूप से आंशिक लागत प्लस आधार है, निश्चित मूल्य भाग से प्राप्त राजस्व को ऊपर बताए अनुसार मान्यता प्राप्त है। सामग्री और डिजाइन आउटसोर्सिंग की खरीद और आपूर्ति के लिए अनुबंध के लागत से अधिक भाग के निशान के माध्यम से राजस्व को मान्यता दी जाती है, जब अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रदर्शन दायित्वों को आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने पर पूरा किया जाता है। सामग्री की लागत, डिजाइन आउटसोर्सिंग के मूल्य और जहाज के लिए किए गए अन्य खर्च जो नौसेना से अलग करने योग्य हैं, लाभ और हानि के बयान के लिए शुल्क लिया जाता है जब सामग्री का उपभोग किया जाता है / गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाता है / खर्च किए जाते हैं और एक साथ सकल होते हैं काम के मूल्य और आय के रूप में मान्यता प्राप्त है।

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

अन्य ऑपरेंटिंग राजस्व को उस समय पहचाना जाता है जब कंपनी ग्राहक को दिए गए माल और सेवाओं को स्थानांतरित करके प्रदर्शन दायित्वों को पूरा करती है, सिवाय पोत निर्माण वित्तीय सहायता के मामले, जो अनुबंध के संबंध में आज तक पूर्ण किए गए प्रत्यक्ष प्रदर्शन के मापन के आधार पर आउटपुट पद्धति की मान्यता प्राप्त है, जो एसबीएफए नीति के तहत पात्र हैं।

ऐसी परिस्थितियों, जहां कंपनी यथाचित प्रदर्शन दायित्व के परिणाम को मापने में सक्षम नहीं हो सकती है, लेकिन कंपनी को उम्मीद है कि वह प्रदर्शन दायित्व को पूरा करने में हुई लागत को वसूल करेगी, कंपनी राजस्व को केवल उस समय तक किए गए खर्चों की सीमा तक मानती है जब तक कि वह प्रदर्शन दायित्व के परिणाम को यथाचित माप नहीं सकता। जहां कुल अनुबंध लागत और राजस्व के वर्तमान अनुमानों से नुकसान का संकेत मिलता है, पूरे नुकसान के लिए प्रावधान किया जाता है, चाहे जितना भी काम किया जाए।

जब अनुबंध, विलोपन या परिवर्तन को अनुबंध के दायरे या अनुबंध की कीमत के लिए अनुमोदित किया जाता है, तो अनुबंध संशोधनों को ध्यान में रखा जाता है। अनुबंध के संशोधनों के लिए लेखांकन में यह आकलन करना शामिल है कि क्या मौजूदा अनुबंध में जोड़ी गई सेवाएं अलग-अलग हैं और मूल्य निर्धारण अकेले विक्री मूल्य पर है या नहीं। जहां जोड़े गए सामान या सेवाएं अलग-अलग नहीं हैं, राजस्व में समायोजन संचयी कैच अप के आधार पर किया जाता है। जहां जोड़े गए सामान या सेवाएं अलग-अलग हैं, और ऐसे अतिरिक्त सामान या सेवाओं की कीमत स्टैंडअलॉन की विक्री की कीमतों पर होती है, अनुबंध संशोधन को एक अलग अनुबंध के रूप में जाना जाता है; हालांकि यदि संशोधन स्टैंडअलॉन विक्री मूल्य पर मूल्य नहीं है, तो इसे मौजूदा अनुबंध की समाप्ति और नए अनुबंध के निर्माण के रूप में जाना जाता है।

यदि किसी अनुबंध में दिए गए विचार में छूट, धनवापसी, क्रेडिट, मूल्य रियायतें, परिसमाप्त क्षति या अन्य समान वस्तुओं जैसे परिवर्तनीय राशि शामिल हैं, तो कंपनी उस अनुमानित शुद्ध राशि का अनुमान लगाती है जिसके लिए कंपनी वादा किए गए सामानों को या ग्राहक के लिए

सेवाएं और उसी के लिए खाते में स्थानांतरित करने के बदले में हकदार है।

ख) सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान तब पहचाने जाते हैं जब उचित आश्वासन दिया जाता है कि कंपनी उनसे जुड़े शर्तों का पालन करेगा और अनुदान प्राप्त होगा।

सरकारी अनुदानों को बहुतायत अवधियों जिसमें कंपनी संबंधित लागतों जिसके लिए अनुदान क्षतिपूर्ति करने का इरादा है, को व्ययों के रूप में मान्य करते हैं, लाभ और हानि विवरण में एक व्यवस्थित आधार पर मान्यता देती है। जहाँ अनुदान संपत्ति मूल्य से संबंधित है, इसे आस्थगित आय के रूप में पहचाना जाता है, और संपत्ति के प्रत्याशित उपयोगी जीवन पर अमूर्त किया जाता है। अन्य अनुदान, लाभ और हानि विवरण में व्ययों जिसके लिए ऐसे अनुदान संबंधित / कवर करने का इरादा है, के समवर्ती मान्यता दी जाती है।

सरकारी अनुदान दो पहले से किए गए व्यय या हानियों के लिए मुआवजे के रूप में प्राप्य है या कोई भविष्य संबंधी लागत न होने वाले कंपनी को तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य के लिए लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त है, जिस अवधि में वे प्राप्य हो जाते हैं। पोत निर्माण वित्तीय को पैरा (क) में निर्दिष्ट तरीके से परिचालन से राजस्व के रूप में जाना जाता है।

सरकारी अनुदान को मान्यता तब दी जाती है जब उचित आश्वासन मिलता है कि कंपनी उनसे जुड़े शर्तों का पालन करेगी और अनुदान प्राप्त होगा।

ग) परिसंपत्ति क्षति और अग्रिमों पर ब्याज

(क) अग्रिमों पर ब्याज (ख) और परिसंपत्ति क्षतियों के कारण कोई आय को स्वीकार नहीं किया गया जहां ये उगाहियां, करार के विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन निर्णय पर रहती है। करार पूरे होने पर अथवा इस पर अंतिम निर्णय होते वक्त इन्हें खाते में लिखा जाता है।

लंबी अवधि की अवधि वाले पूंजी कार्यों के निष्पादन के लिए दर्ज किए गए अनुबंधों के मामले में, जहां अनुबंध की मौजूदा वाणिज्यिक शर्तों में

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

समय पर अमल के लिए विभिन्न संसाधनों को जुटाने के लिए सेवा प्रदाता के लिए अग्रिम ब्याज असर जुटाना अग्रिम प्रदान करने का प्रावधान है, जुटाना अग्रिमों का भुगतान किया जाता है और ब्याज का लेखा-जोखा आधार पर होता है।

घ) बीमा दावे के लिए लेखांकन

(i) वारंटी/ बिल्डर जोखिम दावे

वारंटी बीमा नीतियों के तहत पोत निर्माण और पोत मरम्मत कार्यों के लिए बीमा पॉलिसियों, संरक्षित गारंटी दोषों अथवा बिल्डरों की जोखिम बीमा नीति के तहत दावों के मामले में, दर्ज किए गए बीमा दावों को उस वर्ष के खातों में पहचाना जाएगा जिसमें सर्वेक्षण पूरा हो गया है और बीमा कंपनी द्वारा सूचित निपटान की संभाव्य राशि।

(ii) अन्य बीमा नीतियां

परिसंपत्ति बीमा, ट्रांसिट बीमा, समुद्री बीमा, नकद बीमा आदि जैसी अन्य बीमा नीतियों के मामले में, बीमा कंपनी से राशि की प्राप्ति के जरिए दावों के निपटान पर लेखाओं में दावों को मान्यता दी जाती है। चिकित्सा बीमा के मामले में, दावों को बीमा कंपनी के साथ प्रस्तुत दावों के आधार पर, उचित आधार पर मान्यता प्राप्त है।

ङ) अन्य

लाभांश आय को मान्यता दी जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का कंपनी का अधिकार स्थापित किया गया हो।

2.20 कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभ में वेतन और मजदूरी, भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि, उपदान निधि, चिकित्सा सहायता की ओर अंशदान जो ह्रस्वकालीन प्रकृति का है और मुआवजा अनुपस्थितियों की ओर अंशदान, दो प्रकृति में दीर्घकालीक है, शामिल है।

पोस्ट - रोजगार लाभ योजना

निर्धारित योगदान योजनाएं

कार्यपालकों/ पर्यवेक्षकों/कामगारों के लिए सीएसएल अधिवर्षिता पेंशन ट्रस्ट में पात्र कर्मचारियों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना में

निर्धारित अंशदान दिया जाता है और वे नियत होने के रूप में प्रभारित किया जाता है। ऐसे लाभों को, अंशदान देने के अलावा कंपनी को कोई और दायित्व न होने के कारण निर्धारित अंशदान योजनाओं में वर्गीकृत किया जाता है।

कंपनी एक निर्धारित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजना के तत्व में, अंशदायी भविष्य निधि की ओर अंशदान भी किया जाता है। भविष्य निधि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट के न्यासियों द्वारा प्रशासित किया जाता है। ट्रस्ट द्वारा प्रशासित कंपनी के भविष्य निधि के नियमों अपेक्षित करते हैं कि यदि निवेश पर आय कम है या किसी अन्य कारण से कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के पैरा 60 के तहत सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा घोषित दर पर ब्याज देने में असमर्थ है तो, तब कंपनी द्वारा कमी दूर की जाएगी। निधि की परिसंपत्तियों और निवेशों पर आय के संबंध में, कंपनी वर्ष के अंत में किसी भी कमी की उम्मीद नहीं करती है। कमी, अगर कंपनी द्वारा किसी भी आकलन के लिए खातों में प्रदान की जाती है।

कंपनी कर्मचारी चिकित्सा सहायता ट्रस्टों जो लकि वे नियत होने के कारण खर्च के रूप में प्रभारित किया है, की ओर अंशदान भी किया जाता है। ऐसे लाभों को निर्धारित अंशदान योजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि कंपनी द्वारा किए गए योगदानों के अलावा कोई और दायित्व नहीं लेता है।

निर्धारित लाभ योजनाएं

कंपनी उपदान के लिए, पात्र कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए एक निर्धारित लाभ सेवानिवृत्ति योजना प्रदान करती है। निर्धारित लाभ योजना के संबंध में तुलन पत्र में पहचान की गई, देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य निर्धारित लाभ दायित्व प्रस्तावित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक द्वारा प्रतिवर्ष गणना की जाती है।

उक्त दायित्व का वर्तमान मूल्य अनुमानित रोकड बहिर्वाहों को कटौती करके निर्धारित किया जाता है, जो संबंधित दायित्वों के कार्यकाल का अनुमान लगानेवाले कार्यकाल के सरकारी बांड के बाजार आय का उपयोग करते हैं।

ब्याज आय/(व्यय) की गणना निर्धारित लाभ देयता या परिसंपत्ति के निवल को छूट दर के प्रयोग द्वारा की जाती है। निवल

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

निर्धारित लाभ देयता या संपत्ति पर निवल ब्याज आय/ (व्यय) लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया जाता है।

अनुभव समायोजन और बीमाकिक मान्यताओं में परिवर्तन से होने वाले पुनः मापन लाभ और हानियाँ उस अवधि में पहचानते हैं जिसमें वे सीधे अन्य व्यापक आय में घटित होते हैं। इन्हें इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में और तुलन पत्र में प्रतिधारित आय में शामिल किया गया है।

योजना में संशोधनों या कटौतियों से परिणत निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन तत्काल से लाभ और हानि के विवरण में पिछली सेवा लागत के रूप में मान्य किया जाता है।

अन्य कर्मचारी लाभ

मुआवजा दी गई अनुपस्थितियाँ

कंपनी को मुआवजा दी गई अनुपस्थिति पर एक नीति है, जो प्रकृति में दोनों संचित और गैर संचित है। मुआवजा दी गई अनुपस्थिति संचित करने के लिए प्रत्याशित लागत अनुपयोगित पात्रता जो प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर संचित है के फलस्वरूप प्रत्याशित अतिरिक्त राशि जो प्रदत्त करना है/ लाभ उठाना है पर एक स्वतंत्र लेखक द्वारा प्रस्तावित यूनिट क्रेडिट पद्धति के प्रयोग से निष्पादित बीमाकिक मूल्यांकन द्वारा निर्धारित किया जाता है। गैर संचित मुआवजा की गई अनुपस्थिति उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुपस्थिति होती है।

2.21 उधार लागत

योग्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण/ निर्माण या उत्पादन के लिए सीधे आरोग्य सामान्य और विशिष्ट उधार लागतों को जब ऐसे परिसंपत्तियाँ निर्दिष्ट प्रयोग के लिए तैयार हो जाने पर उस तारीख तक ऐसी परिसंपत्तियों को लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। एक योग्य परिसंपत्ति ऐसा है कि जो अपने निर्दिष्ट प्रयोग के लिए तैयार हो जाने हेतु अनिवार्य रूप से पर्याप्त अवधि लेती है। सभी अन्य उधार लागत, व्यय किया हुआ अवधि में लाभ व हानि के विवरण के साथ प्रभारित किया जाता है। उधार लागत के एक समायोजन के रूप में माना जाने वाले हद तक विनिमय अंतर भी उधार लागत में शामिल हैं।

2.22 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए गैर-लापरवाही प्रावधान के सामने किए गए व्यय के संबंध में कंपनी ने लाभ और हानि का विवरण अपने निगमित

सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के व्यय प्रभार करने का विकल्प चुना है।

2.23 पूर्वावधि समायोजन

त्रुटियों की वजह से पूर्वावधि समायोजन, कंपनी के वित्तीय मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने से, प्रस्तुत पूर्वावधियों जिसमें त्रुटि घटित है के लिए तुलनात्मक राशियों को पुनः पेश करके या यदि त्रुटि प्रस्तुत पूर्व अवधि से पहले घटित है, तो वित्तीय स्थिति के प्रारंभिक विवरण पुनः पेश करके पूर्वव्यापी प्रभाव पर सुधार किया जाता है।

2.24 आय पर कर

आय कर

आयकर व्यय में चालू कर व्यय और वर्ष के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्ति या देयता में निवल परिवर्तन शामिल है। वर्तमान और आस्थगित करों को जब वे अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्य जो मदों से संबंधित हों, जिस मामले में, चालू और आस्थगित कर क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में भी मान्य किया जाता है को छोड़कर, लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया जाता है।

चालू कर

चालू कर आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुरूप में निर्धारित अनुसार वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय होने की उम्मीद की गई कर राशि पर मापा जाता है। चालू कर परिसंपत्तियाँ और चालू कर देयताएं सेट ऑफ किया जाता है जब मान्यता प्राप्त राशियों को सेट ऑफ करने के लिए कानूनी तौर पर लागू करने योग्य अधिकार है और एक निवल आधार पर परिसंपत्ति और देयता को निपटान करने का उद्देश्य है।

आस्थगित कर

आस्थगित आयकर तुलन पत्र दृष्टिकोण का उपयोग करके मान्यता दिया जाता है। जब आस्थगित आयकर एक लेनदेन में एक परिसंपत्ति या देयता की मान्यता से उत्पन्न होता है वह एक व्यापार संयोजन नहीं है और लेनदेन के समय पर न लेखांकन न तो कर योग्य लाभ या हानि को प्रभावित करता है के सिवाय आस्थगित आयकर परिसंपत्तियाँ और देयताएं, परिसंपत्तियों और देयताओं के कर आधार और उनकी कैरियिंग राशि के बीच होनेवाले कटौती योग्य और कर योग्य अस्थायी अंतर के लिए मान्यता दी जाती है।

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

आस्थगित कर परिसंपत्तियां केवल उस हद तक मान्य किया जाता है कि यह संभाव्य है कि भविष्य कर योग्य लाभ के साथ साथ आस्थगित कर देयताओं के उलटाव उपलब्ध होंगे, जिसके सामने कटौती योग्य अस्थायी भिन्नताएं, और अग्रनीत का अनुपयोगित कर क्रेडिट तथा अनुपयोगित कर हानियों उपयोग किया जा सकता है।

एक आस्थगित कर परिसंपत्ति की कैरिंग राशि प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाएगी और उस हद तक कम की जाएगी ज्योंही यह अब संभावित नहीं है कि आस्थगित आयकर परिसंपत्ति के सभी या हिस्से का उपयोग करने के लिए अनुमति देने हेतु पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को कर की दरें और कर नियमों जो अधिनियमित या रिपोर्टिंग अवधि के अंत में स्वतंत्र रूप से अधिनियमित और जब संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्ति एहसास हो जाता है या आस्थगित कर देयता का निपटारा होता है तब लागू करने अपेक्षित है, का उपयोग करके मापा जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को ऑफ सेट किया जाता है जब चालू कर और परिसंपत्तियों को ऑफ सेट करने के लिए वैध प्रवर्तनीय अधिकार है और जब आस्थगित कर शेषों को उसी कराना प्राधिकरण से संबंधित होते हैं।

2.25 प्रति शेयर कमाई

प्रतिशेयर की मूल कमाई वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या से कंपनी के इक्विटी शेयर धारकों को आरोप्य लाभ या हानि को विभाजित करके गणना की जाती है। प्रस्तुत किए गए किसी भी वर्ष में कंपनी को संभवतः कमजोर प्रतिभूतियां नहीं थी।

2.26 सेगमेंट रिपोर्टिंग

ऑपरेटिंग सेगमेंट्स किसी ऐसे उद्यम के घटकों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके लिए असतत वित्तीय जानकारी उपलब्ध होती है जो मुख्य संचालन निर्णायक द्वारा नियमित रूप से मूल्यांकन करती है, जिसमें संसाधनों को कैसे आबंटन करना और निष्पादन का मूल्यांकन करने का निर्णय करने में। कंपनी के मुख्य संचालन निर्णायक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक है।

कंपनी ने व्यापार सेगमेंटों (उद्योग प्रथा) को रिपोर्ट करने योग्य सेगमेंटों के रूप में पहचान की है। व्यापार सेगमेंट में: 1)

पोत निर्माण और 2) पोतों/ अपतटीय संरचनाओं की मरम्मत शामिल है।

सेगमेंट राजस्व, सेगमेंट व्यय, सेगमेंट परिसंपत्तियां और सेगमेंट देयताएं सेगमेंट की संचालन गतिविधियों से उनके संबंध के आधार पर सेगमेंट के रूप में पहचान की गई है।

सेगमेंट राजस्व, सेगमेंट व्यय, सेगमेंट परिसंपत्तियां और सेगमेंट देयताएं जो संपूर्ण कंपनी से संबंधित है और एक तर्क संगत आधार पर सेगमेंटों के लिए आबंटन योग्य नहीं है “अनाबंटित राजस्व/ व्यय/ परिसंपत्तियां/ देयताएं” के अधीन शामिल किया गया है।

2.27 नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाहों को परोक्ष रीति का उपयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है जिससे कर के पूर्व लाभ/ हानि गैर नकद प्रकृति के लेनदेन और पूर्व या भविष्य नकदी प्राप्तियों या भुगतानों के स्थगन या संचलन और निवेश या वित्तीय नकद प्रवाह से जुड़े आय या व्यय के मदों को प्रभावित करने के लिए समायोजन किया जाता है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर कंपनी के ऑपरेटिंग, निवेश और वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह अलग किया जाता है।

नकद प्रवाह विवरण के प्रयोजन के लिए, नकद और नकद तुल्यांक में बैंको में और हाथ में नकद और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पावधि जमाएं शामिल है, जो मूल्य में परिवर्तनों का एक नगण्य जोखिम, बकाया बैंक ऑवरड्राफ्ट का निवल यदि कोई है, के अधीन है। बैंक ऑवरड्राफ्ट को तुलन पत्र में चालू देयताओं में कर्ज के अंतर्गत प्रकट किया जाता है।

2.28 इक्विटी शेयरधारकों के लिए लाभांश

इक्विटी शेयरधारकों के लिए लाभांश देयता के रूप में मान्य किया जाता है और उस अवधि में शेयरधारकों की इक्विटी से कटौती की जाती है, जिसमें साधारण बैठक में इक्विटी शेयरधारकों द्वारा लाभांश अनुमोदित किया जाता है।

2.29 हाल के लेखांकन अधिसूचनाएं- मानक जारी किए गए हैं लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं है

हाल ही में लेखा विकास - कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा नए मानकों या मौजूदा मानकों में संशोधन को सूचित करता है। ऐसी कोई अधिसूचना नहीं है जो दिनांक 01 अप्रैल 2020 से लागू होगी।

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ लाखों में)

ब्योरा	सकल कैरियिंग राशि				मूल्यहास				निवल कैरियिंग राशि	
	01 अप्रैल 2019 को	वर्ष के दौरान जोड़/समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	31 मार्च 2020 को	01 अप्रैल 2019 को	वर्ष के लिए	समायोजन/आहरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
स्वामित्व संपत्ति										
भूमि (पूर्ण स्वामित्व)	587.54	-		587.54	-			-	587.54	587.54
इमारतें	13,459.99	345.44		13,805.43	1,926.33	521.85		2,448.18	11,357.25	11,533.66
संयंत्र और मशीनरी	18,115.59	793.50	1.07	18,908.02	5,591.52	1,485.63	0.55	7,076.60	11,831.42	12,524.07
फर्नीचर और जुड़ाव	1,113.31	125.88	1.65	1,237.54	372.40	114.27	0.92	485.75	751.79	740.91
गाड़ियां	515.38	83.73		599.11	203.19	53.30		256.49	342.62	312.19
कार्यालय उपस्कर	234.56	148.89	1.41	382.04	133.98	39.26	1.17	172.07	209.97	100.58
अन्य										
डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	916.58	422.24	0.79	1,338.03	668.96	161.90	0.72	830.14	507.89	247.62
गोदी और घाट	4,466.45	-		4,466.45	1,243.14	299.41		1,542.55	2,923.90	3,223.31
रेलवे साईडिंग	1.10	-		1.10	-	-		-	1.10	1.10
विद्युत संस्थापन	1,725.64	39.36		1,765.00	732.10	132.70		864.80	900.20	993.54
नाली और जलपूर्ति	6.67	-		6.67	-	-		-	6.67	6.67
यानें	19.74	-		19.74	4.36	1.36		5.72	14.02	15.38
उप कुल	41,162.55	1,959.04	4.92	43,116.67	10,875.98	2,809.68	3.36	13,682.30	29,434.37	30,286.57
पट्टे परिसर की संपत्तियां										
इमारतें	848.99	1,260.35	3.84	2,105.50	333.80	110.60	2.95	441.45	1,664.05	515.19
प्लांट और मशीनरी	316.00	202.75	0.13	518.62	50.28	23.96	0.04	74.20	444.42	265.72
गोदी और घाट	9.62	-		9.62	8.35	-		8.35	1.27	1.27
विद्युत संस्थापन	331.57	29.20		360.77	97.28	34.78		132.06	228.71	234.29
उप कुल	1,506.18	1,492.30	3.97	2,994.51	489.71	169.34	2.99	656.06	2,338.45	1,016.47
परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार										
उपयोग का अधिकार- भूमि		39,172.92		39,172.92		1,354.98		1,354.98	37,817.94	
उपयोग का अधिकार- इमारतें		98.11		98.11		35.36		35.36	62.75	
उप कुल	-	39,271.03	-	39,271.03	-	1,390.34	-	1,390.34	37,880.69	-
कुल	42,668.73	42,722.37	8.89	85,382.21	11,365.69	4,369.36	6.35	15,728.70	69,653.51	31,303.04

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ लाखों में)

ब्योरा	सकल कैरिडिंग राशि				मूल्यहास				निवल कैरिडिंग राशि		
	01 अप्रैल 2018 को	वर्ष के दौरान जोड़/समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	31 मार्च 2019 को	01 अप्रैल 2018 को	वर्ष के लिए	समायोजन/आहरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	
स्वामित्व संपत्ति											
भूमि (पूर्ण स्वामित्व)	587.54	-	-	587.54	-	-	-	-	587.54	587.54	
इमारतें	9,621.47	3,838.52		13,459.99	1,472.52	453.81		1,926.33	11,533.66	8,148.95	
संयंत्र और मशीनरी	17,247.01	881.19	12.61	18,115.59	4,133.70	1,462.12	4.30	5,591.52	12,524.07	13,113.31	
फर्नीचर और जुड़ाव	875.83	240.29	2.81	1,113.31	267.26	107.02	1.88	372.40	740.91	608.57	
गाड़ियां	493.86	21.56	0.04	515.38	143.18	60.02	0.01	203.19	312.19	350.68	
कार्यालय उपस्कर	208.93	28.32	2.69	234.56	104.76	31.61	2.39	133.98	100.58	104.17	
अन्य											
डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	869.14	52.52	5.08	916.58	501.72	171.71	4.47	668.96	247.62	367.42	
गोदी और घाट	4,466.45	-	-	4,466.45	943.73	299.41	-	1,243.14	3,223.31	3,522.72	
रेलवे साईडिंग	1.10	-	-	1.10	-	-	-	-	1.10	1.10	
विद्युत संस्थापन	1,290.81	434.83	-	1,725.64	600.66	131.44	-	732.10	993.54	690.15	
नाली और जलपूर्ति	6.67	-	-	6.67	-	-	-	-	6.67	6.67	
यानें	19.74	-	-	19.74	3.00	1.36		4.36	15.38	16.74	
उप कुल	35,688.55	5,497.23	23.23	41,162.55	8,170.53	2,718.50	13.05	10,875.98	30,286.57	27,518.02	
पट्टे परिसर पर संपत्तियां											
इमारतें	838.22	10.82	0.05	848.99	250.85	82.97	0.02	333.80	515.19	587.37	
प्लांट और मशीनरी	113.45	208.99	6.44	316.00	39.11	11.34	0.17	50.28	265.72	74.34	
गोदी और घाट	9.62	-	-	9.62	8.35	-	-	8.35	1.27	1.27	
विद्युत संस्थापन	329.54	2.03	-	331.57	63.82	33.46	-	97.28	234.29	265.72	
उप कुल	1,290.83	221.84	6.49	1,506.18	362.13	127.77	0.19	489.71	1,016.47	928.70	
परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
कुल	36,979.38	5,719.07	29.72	42,668.73	8,532.66	2,846.27	13.24	11,365.69	31,303.04	28,446.72	

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

भूमि में पट्टे के आधार पर दी गई (i) भारतीय विद्या भवन को (0.69045 हेक्टर) (ii) मै.इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को पाइप लगाने के लिए (0.620 हेक्टर) (iii) मै. कोचीन एयर प्रोडक्ट्स को (0.30 हेक्टर) और (ख) केरल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा धारित (0.47 हेक्टर) भूमि की मूल्य भी शामिल है।

भूमि के मूल्य में उसके साथ ली गई इमारतों का मूल्य भी शामिल है जिसके लिए मूल्य हास का प्रावधान न किया गया क्योंकि इनका अलग मूल्य प्राप्त नहीं तथा कारखाने की सुविधाओं के लिए इन्हें गिरी देने की संभावना है।

कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के लिए परिसंपत्तियों को (1291.52 लाख रु) तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकित और कार्यकाल निर्धारित किया गया है। यह कार्यकाल इन परिसंपत्तियों के लिए मूल्यहास की दरों पर पहुँचने हेतु एक आधार के रूप में किया गया है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को नोट सं. 3 में, कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट से ली गई भूमि इन परिसंपत्तियों के साथ निर्मित परिसंपत्तियाँ / पट्टे में लिए भूमि में स्थापित करने, को अलग अलग से प्रकट किया गया है।

कंपनी ने वर्ष 2013-14 के दौरान कंपनी द्वारा जारी कर मुक्त बांडो के लिए प्रतिभूति के रूप में कंपनी के भू संपत्तियों पर 12300 लाख रु. का बंधक सृजित किया है।

नोट 4 : पूंजीगत प्रगतिशील कार्य

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
प्लांट और मशीनरी, इमारतें और सिविल कार्य	75,687.89	33,693.32
पूंजी यार्ड मद	1,126.50	414.40
मार्गस्थ वस्तुएं	6.26	-
कुल	76,820.65	34,107.72

नोट 5 : अन्य अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियाँ

(₹ लाखों में)

ब्योरा	सकल कैरियिंग राशि				ऋणमुक्ति				निवल कैरियिंग राशि	
	01 अप्रैल 2019 को	वर्ष के दौरान जोड़/समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	31 मार्च 2020 को	01 अप्रैल 2019 को	वर्ष के लिए	समायोजन/आहरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
आंतरिक रूप से सृजित वेल्ड प्रक्रिया	27.67	-	-	27.67	27.67	-	-	27.67	-	-
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	1,396.74	98.40	-	1,495.14	1,283.41	83.16	-	1,366.57	128.57	113.33
भूमि और पोत मरम्मत को सुविधा का उपयोग करने का अधिकार	7,000.00	-	-	7,000.00	952.65	210.34	-	1,162.99	5,837.01	6,047.35
	8,424.41	98.40	-	8,522.81	2,263.73	293.50	-	2,557.23	5,965.58	6,160.68

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

ब्योरा	सकल कैरियिंग राशि				ऋणमुक्ति				निवल कैरियिंग राशि	
	01 अप्रैल 2018 को	वर्ष के दौरान जोड़/समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	31 मार्च 2019 को	01 अप्रैल 2018 को	वर्ष के लिए	समायोजन/आहरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
आंतरिक रूप से सृजित वेल्ड प्रक्रिया	27.67	-	-	27.67	19.97	7.70	-	27.67	-	7.70
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	1,366.75	29.99	-	1,396.74	1,180.39	103.02	-	1,283.41	113.33	186.36
भूमि और पोट मरम्मत को सुविधा का उपयोग करने का अधिकार	7,000.00	-	-	7,000.00	742.31	210.34	-	952.65	6,047.35	6,257.69
	8,394.42	29.99	-	8,424.41	1,942.67	321.06	-	2,263.73	6,160.68	6,451.75

अमूर्त परिसंपत्तियों के अधीन दर्शाए गए भूमि और पोट मरम्मत सुविधा के उपयोग करने का अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय पोट मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) परियोजना की स्थापना के लिए कोचीन पोर्ट ट्रस्ट को दिए गए अग्रिम शुल्क का प्रतिनिधित्व करता है, पट्टे की अवधि के दौरान दो पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने की तिथि के आधार पर आगे बढ़ाया गया था, ऋण चुकाना है। चूँकि आईएसआरएफ के लिए सभी पर्यावरण मंजूरी दिनांक 09 जनवरी 2018 तक प्राप्त की जाती है, इसलिए 30 वर्ष की पट्टा अवधि प्रभावी रूप से इस तिथि से शुरू होती है।

नोट 6 : निवेश- गैर चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
अनकोटेड (पूर्णतया प्रदत्त)		
इक्विटी उपकरणों में निवेश		
क) लागत पर		
सहायक कंपनी में इक्विटी शेयर		
हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड- प्रत्येक 10 रु के 22000000 इक्विटी शेयर	2,135.34	1,628.00
ख) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर		
कोचीन शिपयार्ड कर्मचारी सहकारी उपभोक्त समिति में निवेश (प्रत्येक 100 रुपए के 2175 पूर्णतया प्रदत्त बी क्लास शेयर)	2.18	2.18
केरल एन्विरो इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में निवेश (प्रत्येक 10 रुपए के 70000)	7.00	7.00
कोचीन वेस्ट टु एनर्जी प्राइवेट लि. में निवेश (प्रत्येक 10 रुपए के 100000 इक्विटी शेयर)	-	-
ऋण साधनों में निवेश		
क) परिशोधित लागत पर		
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की नियंत्रित कंपनी मै.हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर में निवेश, प्रत्येक ₹1000 के 440000, 6.5% अप्रतिभूत प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर	4,400.00	4,400.00
कुल	6,544.52	6,037.18
अनकोटेड निवेश का कुल मूल्य	6,544.52	6,037.18

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के एक सहायक कंपनी मै. हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) को दि. 23 अक्टूबर 2017 को मै. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और मै. हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड (एचडीपीईएल) के बीच एक व्यवस्था के रूप में निगमित किया गया था जिसमें सीएसएल को नकद (74%) के लिए प्रत्येक 10 रु. अंकित मूल्य वाले 16280000 इक्विटी शेयर और हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड को नकद (26%) को छोड़कर विचार के लिए प्रत्येक 10 रु अंकित मूल्य वाले 5720000 इक्विटी शेयर है, वर्ष के दौरान, कंपनी ने एचडीपीईएल द्वारा संभाले गए हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) के 57,20,000 (26%) इक्विटी शेयरों संप्राप्त किया है, जिसकी कुल राशि 506.08 लाख रुपए है और एचसीएसएल अब सीएसएल की पूर्ण स्वामित्ववाली (100%) सहायक कंपनी बन गई है। एचसीएसएल के प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी 22,00,00,000 रुपए है, जो प्रत्येक 10 रुपए के 2,20,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है और एचसीएसएल में इस निवेश को इंड ए एस 27- अलग वित्तीय विवरण के अनुसार लागत पर गणना की जाती है।

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 7: गैर चालू ऋण

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
अप्रतिभूत, वसूली योग्य:		
प्रतिभूति जमा	65.40	65.40
कर्मचारी अग्रिम		
संबंधित पार्टियों को ऋण	0.00	0.00
अन्य कर्मचारियां	42.84	63.33
कुल	108.24	128.73

ऋण जोखिम या क्रेडिट हानि में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है।

नोट 8: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां- गैर चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
पोत निर्माण वित्तीय सहायता योजना अनुवृत्ति	835.57	-
संप्राप्त किराया परिसंपत्ति	28.93	
कुल	864.50	-

भारत सरकार ने दिनांक अप्रैल 01, 2016 से मार्च 31, 2026 के बीच हस्ताक्षरित पोत निर्माण अनुबंधों के लिए भारतीय शिपयार्डों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दिनांक 09 दिसंबर 2015 को भारतीय शिपयार्डों के लिए एक वित्तीय सहायता नीति को अनुमोदित किया है।

नोट 9: आयकर परिसंपत्तियां/देयता (निवल)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
गैर चालू कर परिसंपत्तियां		
प्रावधान का अग्रिम आयकर निवल	6,025.42	5,727.71
चालू कर परिसंपत्तियां / देयता		
प्रावधान का अग्रिम आयकर निवल	(1,155.45)	(5,250.26)

लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त आयकर

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
चालू कर:		
चालू आयकर प्रभार	23,895.75	29,662.84
पूर्व वर्ष के संबंध में समायोजन	(3,260.92)	(638.11)
कुल (क)	20,634.83	29,024.73
आस्थगित कर :		
चालू वर्ष के संबंध में	1,939.00	(2,005.00)
कुल (ख)	1,939.00	(2,005.00)
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त आयकर व्यय (क+ख)	22,573.83	27,019.73

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

चालू वर्ष के लिए आयकर खर्च निम्नानुसार लेखा लाभ से मिल मिलाप किया जा सकता है:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
कर पूर्व लाभ	86,342.58	75,137.52
संबंधित लागू दरों पर परिकलित आयकर खर्च	21,730.70	26,256.00
खर्च का प्रभाव जो कर योग्य लाभ को निर्धारित करने में काट देने योग्य है	5,916.60	7,088.97
खर्च का प्रभाव जो कर योग्य लाभ को निर्धारित करने में अनुमत है।	(4,131.73)	(3,834.57)
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर हुए खर्च का प्रभाव, कर योग्य लाभ को निर्धारित करने में काट देने योग्य नहीं है।	319.87	363.82
आय का प्रभाव जो कर निर्धारित से मुक्त है।		(57.08)
अन्य	60.31	(154.30)
	23,895.75	29,662.84
पूर्व वर्षों के चालू कर से संबंधित चालू वर्ष में पहचाने गए समायोजन	(3,260.92)	(638.11)
आस्थगित कर परिसंपत्तियों के अनुमानों में परिवर्तन के लिए समायोजन	1,939.00	(2,005.00)
लाभ और हानि के विवरण में पहचाने गए आयकर खर्च	22,573.83	27,019.73

नोट 10: आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
आस्थगित कर देयताएं	2,787.39	3,901.30
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	(7,423.33)	(10,476.24)
कुल	(4,635.94)	(6,574.94)

2019-20 के संबंध में आस्थगित कर देयता / (परिसंपत्ति)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	प्रारंभिक शेष	लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त	इक्विटी के विवरण में मान्यता प्राप्त	जमा शेष
प्रावधान	(9,508.69)	3,083.22	0.00	(6,425.47)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3,958.25	(1,145.11)	0.00	2,813.14
अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां	(56.94)	28.06	0.00	(28.88)
अन्य	(967.56)	(27.17)	0.00	(994.73)
कुल	(6,574.94)	1,939.00	-	(4,635.94)

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

2018-19 के संबंध में आस्थगित कर देयता //(परिसंपत्ति)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	प्रारंभिक शेष	लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त	इक्विटी के विवरण में मान्यता प्राप्त	जमा शेष
प्रावधान	(7,438.88)	(2,069.81)	0.00	(9,508.69)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3,958.04	0.21	0.00	3,958.25
अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियाँ	(3.47)	(53.47)	0.00	(56.94)
अन्य	(847.96)	118.07	(237.67)	(967.56)
कुल	(4,332.27)	(2,005.00)	(237.67)	(6,574.94)

नोट 11: अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
अप्रतिभूत, वसूली योग्य		
पूंजी अग्रिम	28,817.72	26,950.20
पूंजी अग्रिम के अलावा अग्रिम:		
प्रतिभूति जमा	211.44	207.23
अग्रिम पट्टा किराया	-	557.94
सीमा शुल्क विभाग के साथ जमा	261.22	261.22
कुल	29,290.38	27,976.59

सीमा शुल्क के संबंध में देयता को कवर करने के लिए आयुक्त (अपील) के समक्ष 261.22 लाख के कस्टम विभाग के पास जमा धनराशि अपील से संबंधित है, जो नोट नंबर 22 के तहत चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट को देय के रूप में भी दिखाया गया है- अन्य वित्तीय देयताएं- गैर वर्तमान

नोट 12 : मालसूचियाँ

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
कच्चे माल और घटक ।	28,145.83	23,409.46
घटाइए : माल सूची में अप्रचलन, अनुपयोगिता, गुणह्रास और मूल्य घटाव के लिए प्रावधान मार्गस्थ माल	(391.39)	(442.17)
मार्गस्थ माल ।	1,964.10	3,754.30
	29,718.54	26,721.59
भंडार व पूर्जे ।	780.18	709.80
घटाइए : माल सूची में अप्रचलन, अनुपयोगिता, गुणह्रास और मूल्य घटाव के लिए प्रावधान मार्गस्थ माल	(17.06)	(31.75)
मार्गस्थ माल ।	37.33	0.47
	800.45	678.52
असंयत औजार।	680.55	819.80
कुल	31,341.31	28,336.71

*माल सूचियों का मूल्यांकन नोट सं. 2 में दी गई लेखाकरण नीति सं. 2.14 के अनुसार किया गया है।

- मालसूची में भारतीय नौसेना की ओर से कंपनी के साथ शेष आईएसी ठेका 32838.80 लाख (पिछले वर्ष 55426.72 लाख रुपए) के कोस्ट प्लस भाग के अधीन प्राप्त खरीदे गए घटक और कच्चे माल स्टोक शामिल नहीं है और आईएसी के लिए भारतीय नौसेना द्वारा लिए अग्रिम पर दिखाया गया है।
- मालसूची में शामिल की गई अनुरक्षण पुर्जे, सामान्य प्रकृति के पुर्जों का प्रतिनिधान करता है और एक विशेष परिसंपत्ति से संबंधित नहीं है।

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 13 : प्राप्य व्यापार- चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
वसूली योग्य व्यापार प्राप्य - अप्रतिभूत	28,823.21	39,233.68
क्रेडिट रिस्क में महत्वपूर्ण वृद्धिवाले व्यापार प्राप्य	13,588.08	13,123.16
घटाइए : प्रत्याशित ऋण हानि के लिए भत्ता	(13,588.08)	(13,123.16)
व्यापार प्राप्य - भ्रष्ट क्रेडिट	-	-
कुल	28,823.21	39,233.68

व्यापार प्राप्तियां सामान्य संचालन चक्र में गैर- ब्याज और प्राप्त है।

अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ते में गतिविधि

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
प्रारंभिक शेष	13,123.16	9,263.32
जोड़िए: प्रावधान किया/ वर्ष के दौरान किए स्थानांतरण	4,149.68	4,187.29
घटाइए: एकत्र राशि/ प्रावधान का परिवर्तन	3,684.76	327.45
जमा शेष	13,588.08	13,123.16

नोट 14 : नकद और नकद तुल्यांक

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
हाथ में नकद	-	
बैंक शेष		
चालू खाते में	6,061.15	19,172.20
भारतीय नौसेना की ओर से चालू खाते में	3,641.02	30,626.67
आईपीओ आय से चालू खाते में	5.04	5.09
कम से कम तीन वर्ष की आवधि जमा	22,088.26	35,300.00
आईपीओ आय में से तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता के साथ सावधि जमा	8,485.71	12,730.00
आईपीओ के निश्चित वस्तुओं के लिए तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता के साथ सावधि जमा	44,570.45	-
कुल	84,851.63	97,833.96

देशी वायुयान वाहक के निर्माण के लिए भारतीय नौसेना से प्राप्त निधियां अलग खाते और अलग से प्रकट किया गया है।

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 15 : नकद और नकद तुल्यांक के अलावा बैंक शेष

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
तीन महीने से कम समय की मूल परिपक्वता के साथ ग्रहणाधिकार जमा अवधि।	18,993.08	
तीन महीने से ज्यादा और 12 महीने से कम की मूल परिपक्वता के साथ बैंकों में आवधि जमा ।।	57,080.19	130,332.97
3 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता वाले बैंकों के साथ सावधि जमा और आईपीओ की आय से 12 महीने से कम	5,050.00	24,108.86
3 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता वाले बैंकों के साथ सावधि जमा और आईपीओ के साधनों के लिए निर्धारित की आय से 12 महीने से कम	51,597.00	-
निर्धारित शेष राशि (अवैतनिक लाभांश खाता)	20.00	9.54
कुल	132,740.27	154,451.37

- * तीन महीने से कम की परिपक्वता अवधि वाले बैंकों में जमाकर्ताओं को कंपनी को दी गई गैर-निधि आधारित ऋण सुविधाओं के लिए नकद मार्जिन बनाए रखने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में 18993.08 लाख रुपए के लेनदेन के रूप में चिह्नित जमा शामिल हैं ।
- ** बैंकों के साथ 12 महीने तक की परिपक्वता अवधि से युक्त जमाओं में 87.34 लाख रुपए (पिछले साल 82.29 लाख) केरल उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के पक्ष में ग्रहणाधिकारी अंकित है।
- ** 12 महीने तक परिपक्वतावाले बैंकों में जमाकर्ताओं को कंपनी को दी गई गैर-निधि आधारित ऋण सुविधाओं के प्रति नकद मार्जिन बनाए रखने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में चिह्नित 33,000.00 लाख रुपए शामिल हैं ।

नोट 16 : चालू ऋण

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
अप्रतिभूत, वसूलीयोग्य		
संबंधित पार्टियों के लिए ऋण	-	-
अन्य कर्मचारी	30.97	39.21
कुल	30.97	39.21

क्रेडिट जोखिम या क्रेडिट हानि में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है ।

नोट 17 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों- चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	3,122.61	3,684.00
अन्यों से अर्जित ब्याज	153.58	153.58
कर्मचारी अग्रिमों पर उपचित ब्याज		
संबंधित पार्टियां		0.36
अन्य कर्मचारी	15.99	19.85
एचडीएफसी लिमिटेड के साथ मियादी जमा	-	19,500.00
कुल	3,292.18	23,357.79

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 18 : अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
अप्रतिभूत अग्रिम		
पूंजी अग्रिमों के अलावा अग्रिम		
संबंधित पार्टियों को अग्रिम	0.84	1.01
अन्य अग्रिम	11,525.24	16,281.77
अग्रिम- वसूली संदिग्ध	0.07	0.07
	11,526.15	16,282.85
घटाइए: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	0.07	0.07
	11,526.08	16,282.78
अन्य		
आईएसी कार्यों के लिए अनुबंध परिसंपत्तियाँ	60,570.53	
अन्य कार्यों के लिए अनुबंध परिसंपत्तियाँ	30,980.80	21,716.35
विक्री कर विभाग और सीबीईसी से शेष	474.80	422.11
विविध जमाराशियाँ	17.26	13.94
पूर्वदत्त व्यय	463.98	384.52
जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट	54,194.03	22,926.42
विविध चालू परिसंपत्तियाँ	1,246.47	1,340.74
कुल	159,473.94	63,086.86

नोट 19 : इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
	संख्या	₹ लाखों में	संख्या	₹ लाखों में
प्राधिकृत				
₹ 10/- प्रति इक्विटी शेयर	250000000	25,000.00	250000000	25,000.00
निर्गत, अभिदत्त एवं पूर्ण रूप से प्रदत्त				
पूर्णतः प्रदत्त ₹ 10 प्रति शेयर वाले इक्विटी शेयर	131540390	13,154.04	131540390	13,154.04
कुल	131540390	13,154.04	131540390	13,154.04

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

19.1 बकाया राशि और शेयरों का समन्वय

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
	संख्या	₹ लाखों में	संख्या	₹ लाखों में
वर्ष के आरंभ में बकाया इक्विटी शेयर	131540390	13,154.04	135936000	13,593.60
जोड़: वर्ष के दौरान जारी शेयर	0	0.00	0	0.00
कम: वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयर	0	0.00	4395610	439.56
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयर	131540390	13154.04	131540390	13,154.04

इक्विटी शेयर के साथ नियम व अधिकार संलग्न: कंपनी को ₹ 10 प्रति शेयर के प्रत्यक्ष मूल्य के इक्विटी शेयरों के केवल एक श्रेणी है जो पूर्ण रूप से प्रदत्त है। इक्विटी शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट के लिए योग्य है और जब कभी कंपनी घोषित करने पर लाभांश के लिए भी हकदार है। जब कभी बोर्ड द्वारा घोषित करने पर अंतरिम लाभांश अदा किया जाता है। वार्षिक सामान्य बैठक में बोर्ड के निदेशकों द्वारा प्रस्तावित/ घोषित लाभांश शेयरधारकों के अनुमोदन/ नियमितकरण मिलने के बाद अदा किया जाएगा। भुगतान के समय, इक्विटी शेयरधारक अपने शेयर पूंजी के अनुपात में सभी अधिमाम्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी के शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए योग्य हैं।

19.2 कंपनी में 5% ज्यादा शेयर पूंजी के शेयरधारकों का विवरण

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
	शेयर की संख्या	शेयर पूंजी का %	शेयर की संख्या	शेयर पूंजी का %
भारत के राष्ट्रपति	95843464	72.86	98934442	75.21
निप्पॉन लाइफ इंडिया लिमिटेड (पूर्व रिलाइंस कैपिटल ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड)	10795352	8.21	8323743	6.33

भारत सरकार ने सेबी विनियम 1996 और समय-समय पर बनाए गए अन्य लागू कानून, नियम और विनियमों के अनुसार और सीपीएसई ईटीएफ एफएफओ-6 की जारी के सिलसिले में निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन (डीआईपीएम) विभाग के जरिए रिलाइंस कैपिटल ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के रूप में पूर्व जानेवाले परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, निप्पॉन लाइफ इंडिया लिमिटेड को दिनांक फरवरी 03, 2020 को 3090978 (प्रदत्त पूंजी के कुल 2.35%) इक्विटी शेयरों को अंतरित किया है।

नोट 20 : अन्य इक्विटी

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
पूंजी आरक्षण	263.56	263.56
पूंजी मोचन आरक्षण	12,353.76	12,353.76
प्रतिभूति प्रीमियम	93,152.32	93,152.44
ऋणपत्र मोचन आरक्षण	1,668.44	1,524.27
सामान्य आरक्षण	6,322.75	6,322.75
प्रतिधारित कमाई	246,264.63	206,436.99
	360,025.46	320,053.77

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

अन्य इक्विटी में प्रत्येक आइटम का मूवमेंट स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में विस्तृत होता है।

पूंजी आरक्षण: पूंजी निधि कंपनी की जमीन में नल तंत्र लगाने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से प्राप्त पुनःस्थापन प्रभार का प्रतिनिधान करती है।

कैपिटल रिडेम्पशन रिज़र्व : 12353.76 रुपए के कैपिटल रिडेम्पशन रिज़र्व में 11914.20 लाख शामिल हैं, जिन्हें प्राथमिकता वाले शेयरों के मोचन पर बनाया जा रहा है और .5 439.56 लाख वापस खरीदे गए शेयरों के मामूली मूल्य के बराबर राशि है, जिसका उपयोग कंपनी अधिनियम 2013 के तहत परिभाषित उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

प्रतिभूति प्रीमियम : सीधे क्रम के आधार बांड की अवधि पर कर मुक्त बांड के प्रीमियम पर परिशोधन किया है। कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) पूरा कर लिया है और प्रीमियम (₹93929.76 लाख) पर प्रत्येक ₹10 के 22656000 इक्विटी शेयर आर्बिट किए हैं। भारतीय लेखाकरण मानक (इंडीएस) 32- वित्तीय उपकरण की आवश्यकताओं के अनुसार 777.93 लाख के शेयरों के ऐसे आर्बिटन की ओर आस्थगित कर समायोजन का निवल व्यय को प्रतिभूति प्रीमियम में डेबिट किया गया है।

ऋण मोचन आरक्षण: कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 18 (7) के साथ पढ़ित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 71 (4) के अनुसार और सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) के अनुसार, ऐसे डिबेंचरों की परिपक्वता अवधि के दौरान कंपनी द्वारा जारी बांडों की 25% मूल्य पर ऋण मोचन आरक्षण कंपनी द्वारा बना रही है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचना सं. जीएसआर 574 (ई) द्वारा अधिसूचित कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 किए गए संशोधन के अनुसार, कंपनी उनके द्वारा जारी बांड के संबंध में ऋण मोचन आरक्षण बनाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, दिनांक 30.09.2019 तक बनाए गए ऋण मोचन आरक्षण, जो 1668.44 लाख रुपए के हैं, बांड की मोचन की समय तक बहियों में बनाया रखा जाएगा।

अंतरिम लाभांश : वर्ष के दौरान, कंपनी ने 10 रुपए अंकित मूल्य के प्रति शेयर 1.63 रुपए के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया, जैसा कि दिनांक 12 नवंबर 2019 को आयोजित बोर्ड बैठक में सिफारिश की गई थी।

प्रस्तावित लाभांश: कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 31 मार्च 2020 को आयोजित बोर्ड की बैठक में 20 जून 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए ₹10 अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर के लिए ₹ 15/- का लाभांश सिफारिश की है।

नोट 21 : उधार

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
(क) बांड- (सुरक्षित)		
परिशोधन लागत पर		
कर मुक्त प्रतिभूत विमोचन गैर परिवर्तनीय बांड- श्रेणी 2013-14	12,300.00	12,300.00
कुल	12,300.00	12,300.00

कर मुक्त आधारिक संरचना बांड श्रेणी 2013-14

क) वित्तांश 1: प्रतिवर्ष देय 8.51% के ब्याज दर के साथ कुल 10000 लाख रु. के 10 लाख रु. के अंकित मूल्य के 1000 बांड दि. 2 दिसंबर 2023 को मोचन के लिए समतूल्य पर प्रतिदेय है।

ख) वित्तांश 2: प्रतिवर्ष देय 8.72% के ब्याज दर के साथ कुल 2300 लाख रु. के 10 लाख रु. के अंकित मूल्य के 230 बांड दि. 28 मार्च 2029 को मोचन के लिए समतूल्य पर प्रतिदेय है।

ये बांड कंपनी के भू- संपत्ति के खिलाफ प्रतिभूत हैं। सर्वे सं. 713/11 में 34.30 एकड़ से 197.12 एकड़ (487.00 सेंट), सर्वे सं. 713/12 में 23.57 एकड़, सर्वे सं. 713/13 में 59.12 एकड़, सर्वे सं. 714/06 में 50.18 एकड़, सर्वे सं. 714/2 में 10.12 एकड़, सर्वे सं. 714/4 में 8.90 एकड़ और सर्वे सं. 714/5 में 10.93 एकड़ एलमकुलम ग्राम, कणयन्नूर तालुक, एर्णाकुलम जिले, केरल के समीप पड़े है।

उपयोगिता : प्राप्त 12300 लाख रु. के मुद्दे आय में से, कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा योजना पर हुए विविध खर्च की राशि उपयोग/ समायोजित किया।

उधार की वित्तीय देयताओं की कैरियिंग राशियों और उचित मूल्यों के बीच भिन्नता प्रस्तुत किए गए प्रत्येक वर्ष में महत्वपूर्ण नहीं है।

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 22: अन्य वित्तीय देयताएं- गैर चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट को देय	261.22	261.22
पट्टा देयताएं- इंड एस 116	37,325.69	-
कुल	37,586.91	261.22

सीमा शुल्क ड्यूटी के संबंध में चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट को ₹ 261.22 लाख की देयता है जो वापसी अपील के आयुक्त (अपील) के समक्ष है जिसे नोट सं 11 के अधीन सीमा शुल्क विभाग की जमा राशि के रूप में भी दिखाया गया है।

नोट 23: प्रावधान- गैर चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान - अनुपस्थिति का मुआवजा (नोट 33 का संदर्भ लें)	2,872.20	2,428.71
कुल	2,872.20	2,428.71

नोट 24: देयताएं - अन्य गैर चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
सरकारी सहायता से उत्पन्न आस्थगित आय	11.45	12.59
कुल	11.45	12.59

नोट 25 : व्यापार देय

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
व्यापार देय (अप्रतिभूत)		
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के बकाया	686.52	725.36
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का बकाया	41,185.27	33,933.75
कुल	41,871.79	34,659.11

इस हद तक, कंपनी को विक्रेताओं से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत उनकी स्थिति के बारे में सूचना प्राप्त हुई है, व्यापार भुगतान का विवरण निम्नानुसार प्रदान किया गया है:

ब्योरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ता को अवैतनिक शेष राशि;		
मूल धन	686.52	725.36
उपरोक्त मूलधन पर ब्याज	-	-
प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन से आगे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ ; सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 के 27) की धारा 16 के संदर्भ में खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि ।	-	-
भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जो भुगतान किया गया है (वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना;		
प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में अर्जित और शेष बकाया राशि पर ब्याज की राशि		
सफल वर्षों में देय और देय शेष राशि , जब तक कि ऐसी तारीख जब तक कि ब्याज की बकाया राशि वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान न हो जो सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006; धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के निपटान के उद्देश्य से है,		

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 26 : अन्य वित्तीय देयताएं- चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
प्रदत्त ब्याज लेकिन देय नहीं	281.95	281.98
अवैतनिक लाभांश	20.00	9.54
पट्टा देयताएं	2,433.83	
अन्य		
सुरक्षा और अन्य जमा	3,313.51	3,043.15
अन्य देय	11,217.03	9,666.55
कुल	17,266.32	13,001.22

नोट 27 : अन्य चालू देयताएं

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
स्वदेशी वायुयान वाहक कार्यों के लिए अनुबंध देयता (निवल)	-	30,830.24
अन्य कार्यों के लिए अनुबंध देयता	113,330.88	52,634.04
अन्य पोत निर्माण अनुबंधों के लिए अग्रिम	114.21	8.23
पोत मरम्मत और अन्य के लिए अग्रिम	586.08	689.51
अग्रिम के रूप में प्राप्त आय	25.33	24.34
सांविधिक देय	2,023.86	2,115.35
सरकारी सहायता से उत्पन्न होने वाली स्थाई आय	1.14	1.14
कुल	116,081.50	86,302.85

भारतीय लेखा मानक 115 पर नोट सं. 39 का संदर्भ लें : 'ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व' ।

नोट 28 : चालू प्रावधान

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
कर्मचारी के लाभ के लिए प्रावधान		
उपदान	1,048.51	607.90
अनुपस्थिति का मुआवजा (संदर्भ : नोट सं. 33)	533.22	464.29
अन्य	-	2,997.00
	1,581.73	4,069.19
अन्य प्रावधान		
कर और शुल्कों	209.12	211.61
पोत निर्माण घटाने के लिए प्रावधान	5,287.00	205.00
व्यय/ आकस्मिकों	31,059.28	32,446.60
	36,555.40	32,863.21
कुल	38,137.13	36,932.40

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

28.1 प्रावधानों के गतिविधियों का विवरण

(₹ लाखों में)

विवरण	01.04.2019 को	अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	अवधि के दौरान उपयोग राशि	अवधि के दौरान अप्रयुक्त राशि बदलना	31.03.2020 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान					
उपदान	607.90	440.61			1,048.51
क्षतिपूर्ण अवधि	464.29	68.93			533.22
अन्य	2,997.00	-	(2,997.00)		0.00
कर और शुल्कों के लिए प्रावधान	211.61	0.17	(2.66)		209.12
पोत निर्माण हानि के लिए प्रावधान	205.00	5,287.00		(205.00)	5,287.00
व्यय / आकस्मिकों के लिए प्रावधान	32,446.60	29,783.06	(26,117.27)	(5,053.11)	31,059.28

(₹ लाखों में)

विवरण	01.04.2018 को	अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	अवधि के दौरान उपयोग राशि	अवधि के दौरान अप्रयुक्त राशि बदलना	31.03.2019 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान					
उपदान	2,361.78		(1,753.88)		607.90
क्षतिपूर्ण अवधि	383.78	80.51			464.29
अन्य	1,220.93	1,796.04	(31.24)	11.27	2,997.00
कर और शुल्कों के लिए प्रावधान	196.48	17.93	(2.80)	-	211.61
पोत निर्माण हानि के लिए प्रावधान	548.22	205.00	0.00	(548.22)	205.00
व्यय / आकस्मिकों के लिए प्रावधान	23,203.74	26,675.55	(15,461.89)	(1,970.80)	32,446.60

नोट 29 : प्रचालन से आय

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
उत्पादों की बिक्री		
पोत निर्माण		
देशी वायुयान वाहक (आईएसी)	237,746.87	175,676.28
देशी वायुयान वाहक को छोड़कर अन्य यानें	46,206.78	37,341.68
इंजीनियरी कार्य	-	-
	283,953.65	213,017.96
सेवाओं की बिक्री		
पोत मरम्मत	56,856.75	83,197.46
	56,856.75	83,197.46
अन्य परिचालन राजस्व		
स्टॉक मर्दों की बिक्री	-	0.45
पोत निर्माण वित्तीय सहायता	835.57	-
रद्दी माल की बिक्री	603.42	344.46
	1,438.99	344.91
कुल	342,249.39	296,560.33

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

भारतीय लेखा मानक 115 पर नोट सं. 39 का संदर्भ लें : 'ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व' ।

कंपनी ने 31 अक्टूबर 2019 को स्वदेशी वायुयान वाहक के निर्माण के लिए अनुबंध के चरण III भाग पर हस्ताक्षर किया।

कंपनी ने परिचालनों से राजस्व की गणना करते हुए परिसमाप्त नुकसान की गणना के लिए कोविड 19 की वजह से लॉकडाउन अवधि को अप्रत्याशित घटना के रूप में माना है ।

भारत सरकार ने दिनांक 01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2026 के बीच हस्ताक्षरित पोत निर्माण अनुबंधों के लिए भारतीय शिपयार्डों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दिनांक 09 दिसंबर 2015 को भारतीय शिपयार्ड के लिए वित्तीय सहायता नीति को मंजूरी दे दी । प्रत्यक्ष प्रदर्शन के मापन के आधार पर इस सहायता के लिए पात्रता को तिथि तक पूरी की गई है ।

नोट 30 : अन्य आय

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
प्रशिक्षण सुविधाएं	304.29	423.67
रद्दी माल और भंडार से आय	246.42	260.62
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	-	-
प्रयोगशाला सेवाओं से आय	33.77	35.77
किराया प्राप्त	303.34	154.32
प्राप्त बाडे	5.90	7.71
जमाओं पर ब्याज	14,827.83	17,377.34
अन्यों से ब्याज	1,897.34	1,217.59
इक्विटी निवेश/ म्यूचवल फंडफंड से लाभांश आय	0.89	163.34
म्यूचवल फंड से लाभांश आय	235.30	711.52
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर निवल लाभ/ (कमी)	-	88.65
प्रावधान जो आवश्यक नहीं है	5,159.25	1,916.36
विविध आय	1,735.70	371.53
कुल	24,750.03	22,728.42

विविध आय में कंपनी के अंतर सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना संबंधी सहायधन के रूप में ₹ 1.14 लाख की आस्थगित सरकारी सहायता शामिल है। वही इंड ए एस 20-सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन और सरकारी सहायता के प्रकटीकरण की अपेक्षाओं के अनुसार गणना की गई हैं।

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 31 : उपभुक्त सामग्रियों का मूल्य

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
कच्चे माल		
इस्पात	5,760.00	5,487.11
पाइप	798.84	1,029.04
पेंन्ट	1,495.32	1,223.54
खरीदे गए घटक	171,545.66	142,689.33
कुल	179,599.82	150,429.02

नोट 32 : उप ठेका और अन्य प्रत्यक्ष व्यय

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
उप ठेका और किए गए कार्य	28,818.23	25,026.31
हल बीमा	530.97	208.89
अन्य प्रत्यक्ष व्यय	7,207.78	12,763.53
कुल	36,556.98	37,998.73

नोट 33 : कर्मचारी लाभ व्यय

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
वेतन, मजदूरी, बोनस/ एक्सग्रेसिया और भत्ते	26,145.73	24,044.00
भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि में अंशदान	2,020.40	1,585.78
उपदान	305.67	310.06
कर्मचारी कल्याण खर्च	2,095.52	1,815.81
कुल	30,567.32	27,755.65

भविष्य निधि और परिवार पेंशन फंड में ₹ 20.52 लाख (पिछले साल ₹ 17.72 लाख) भविष्य निधि निरीक्षण तथा प्रशासन शुल्क की ओर शामिल है।

वेतन, मजदूरी, बोनस/ अनुग्रह-अनुदान और भत्ते में 512.42 लाख रुपए (पिछले वर्ष 243.52 लाख रुपए) की राशि के कामगारों के लिए अर्ध वेतन क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों की भुनाई के लिए प्रावधान शामिल हैं।

कर्मचारी लाभ व्ययों में नियंत्रित कंपनी (हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड) के लिए अस्थायी विशेष नियुक्ति के रूप में ₹33.03 लाख (पिछले साल ₹ 52.25 लाख) शामिल है।

कोचीन पोर्ट ट्रस्ट और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के लिए प्राप्त होनेवाले कर्मचारी लाभों को कंपनी कोचीन पोर्ट ट्रस्ट और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों के बीच त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार कोचीन पोर्ट ट्रस्ट और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से प्राप्त मांगों के आधार पर हिसाब किया जा रहा है न कि बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर। उनकी अनुदान को छोड़कर, जो बिल्कुल वर्ष 2019-20 के लिए बीमांकिक किया जाता है।

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

अन्य लाभ योजना - क्षतिपूरित अनुपस्थिति

बीमांकिक मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त प्रमुख मान्यताएं निम्नानुसार थी:

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
छूट दर (प्रति महीने)	6.66%	7.68%
क्षतिपूर्ति स्तरों में वृद्धि की दर	3.00%	3.00s
संघर्षण दर- अर्ध वेतन छुट्टी	अधिकारियों और पर्यवेक्षक 0.7% कामगार 0.7%	अधिकारियों और पर्यवेक्षक 0.24% कामगार 0.24%
संघर्षण दर- अर्जित छुट्टी	अधिकारियों और पर्यवेक्षक 0.7% कामगार 0.7%	अधिकारियों और पर्यवेक्षक 0.6% कामगार 0.1%

ब्योरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
निर्धारित लाभ दायित्व की औसत अवधि (वर्षों में)	7.94	6.95

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में लाभ और हानि के विवरण में पहचान की गई राशि निम्नानुसार हैं:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
सेवा मूल्य:		
चालू सेवा मूल्य	213.89	208.51
निवल ब्याज मूल्य	196.63	187.28
वर्ष के दौरान मान्य बीमांकिक लाभ / (हानि)	767.32	294.80
लाभ और हानि के विवरण में पहचाने गए व्यय	1177.84	690.59

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में संस्था के दायित्व से उत्पन्न हुई राशि को तुलन पत्र में शामिल किया गया है:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	3405.42	2893.00
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
तुलन पत्र में पहचाने गए निवल देयता/ (परिसंपत्तियां)	3405.42	2893.00

(₹ लाखों में)

कर्मचारी लाभ के प्रकार	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
पीवीओ का वर्तमान घटक	533.22	464.29
पीवीओ का गैर चालू घटक	2872.20	2428.71
कुल पीवीओ	3405.42	2893.00

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

निर्धारित लाभ देयता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार हैं:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में परिभाषित लाभ देयता	2893.00	2649.48
वर्तमान और पिछले की सेवा मूल्य	213.89	208.51
चालू ब्याज मूल्य	196.63	187.28
बीमांकिक (लाभ)/हानि	767.32	294.8
प्रदत्त लाभ	(665.42)	(447.07)
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ देयता	3,405.42	2,893.00

योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित आय	-	-
बीमांकित लाभ/ (हानि)	-	-
नियोक्ता से अंशदान	665.42	447.07
प्रदत्त लाभ	(665.42)	(447.07)
वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (मध्य- वर्ष नकदी प्रवाह)

(₹ लाखों में)

वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1	484.41	390.26
वर्ष 2	83.24	121.25
वर्ष 3	203.95	242.21
वर्ष 4	86.45	174.57
वर्ष 5	74.63	68.06
अगले 5 वर्ष	472.06	376.12

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (मध्य- वर्ष नकदी प्रवाह)

(₹ लाखों में)

वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1	484.41	390.26
वर्ष 2	83.24	121.25
वर्ष 3	203.95	242.21
वर्ष 4	86.45	174.57
वर्ष 5	74.63	68.06
अगले 5 वर्ष	472.06	376.12

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

संवेदनशीलता विश्लेषण - आधा वेतन छुट्टी

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
क. छूट दर + 50 बीपी	7.16%	8.18%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	355.85	285.32
वर्तमान सेवा लागत	104.81	104.84
ख. छूट दर - 50 बीपी	6.16%	7.18%
निश्चित लाभ दायित्व (पीवीओ)	389.41	310.74
वर्तमान सेवा लागत	113.84	114.18
ग. वेतन वृद्धि दर + 50 बीपी	3.50%	3.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	389.98	311.30
वर्तमान सेवा लागत	113.99	114.39
घ. . वेतन वृद्धि दर + 50 बीपी	2.50%	2.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	355.23	284.73
वर्तमान सेवा लागत	104.64	104.62
बीपी 'मूल अंक' दर्शाता है ।		

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
क. छूट दर + 50 बीपी	7.16%	8.18%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	2,927.06	2,516.47
वर्तमान सेवा लागत	130.04	113.29
ख. छूट दर - 50 बीपी	6.16%	7.18%
निश्चित लाभ दायित्व (पीवीओ)	3,148.26	2,680.38
वर्तमान सेवा लागत	142.08	122.79
ग. वेतन वृद्धि दर + 50 बीपी	3.50%	3.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	3,151.90	2,683.94
वर्तमान सेवा लागत	142.28	123.00
घ. . वेतन वृद्धि दर + 50 बीपी	2.50%	2.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	2,922.90	2,512.62
वर्तमान सेवा लागत	129.82	113.07
बीपी 'मूल अंक' दर्शाता है ।		

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

निर्धारित लाभ योजना - अनुदान

बीमांकिक मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त मान्यताएं निम्नानुसार है : (मुख्य कार्यालय):

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
छूट दर (प्रतिवर्ष)	6.66%	7.68%
क्षतिपूर्ति स्तरों में वृद्धि की दर	3.00%	3.00%
संघर्षण दर	अधिकारी एवं पर्यवेक्षक 0.7% कामगार 0.7%	अधिकारी एवं पर्यवेक्षक 0.6% कामगार 0.1%
योजनागत परिसंपत्तियों पर विवरणी के अपेक्षित दर	6.66%	7.68%

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
निश्चित लाभ दायित्वों की औसत अवधि (वर्षों में)	7.21	6.17

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में लाभ और हानि/अन्य व्यापक आय में पहचान की गई राशि:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
सेवा मूल्य:		
चालू सेवा मूल्य	223.48	235.84
पिछली सेवा लागत	-	-
निवल ब्याज खर्च	23.34	72.04
लाभ और हानि विवरण में पहचाने गए परिभाषित लाभ लागत का घटक	246.82	307.88
निवल परिभाषित लाभ देयता का पुनः मापन :		
योजना दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	636.50	352.70
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक विवरणी और ब्याज आय के बीच अंतर (लाभ)/हानि	165.18	(52.69)
अन्य व्यापक आय में पहचाने गए परिभाषित लाभ लागत का घटक	801.68	300.01

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में संस्था के दायित्व से उत्पन्न हुई राशि को तुलन पत्र में शामिल किया गया है:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में बाध्यताओं की वर्तमान मूल्य	5,240.37	5,078.90
घटाइए: वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	4,191.87	4,471.00
तुलन पत्र में मान्य निवल देयता/ परिसंपत्तियां	1,048.50	607.90

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	5,078.89	5,077.72
चालू सेवा मूल्य	223.48	235.84
चालू ब्याज मूल्य	349.80	355.60
पिछली सेवा लागत	-	-
बीमाकिक लाभ / (हानि)	636.50	352.70
प्रदत्त लाभ	(1,048.30)	(942.97)
वर्ष के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व	5,240.37	5,078.89

योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है :

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	4,471.00	3,211.31
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित आय	326.46	283.56
बीमाकिक लाभ / (हानि)	(165.18)	52.69
नियोक्ता से अंशदान	607.90	1,866.41
प्रदत्त लाभ	(1,048.32)	(942.97)
वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	4,191.86	4,471.00

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

(₹ लाखों में)

वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 2	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 3	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 4	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 5	लागू नहीं	लागू नहीं
अगले 5 वर्ष	लागू नहीं	लागू नहीं

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित लाभ भुगतान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

(₹ लाखों में)

वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1	1,942.66	1,640.47
वर्ष 2	293.47	465.71
वर्ष 3	698.96	1,064.38
वर्ष 4	327.89	648.22
वर्ष 5	240.10	283.78
अगले 5 वर्ष	1,242.55	1,144.17

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

संवेदनशीलता विश्लेषण

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
क. छूट दर + 50 बीपी	7.16%	8.18%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	5,071.31	4,939.22
वर्तमान सेवा लागत	236.07	211.20
ख. छूट दर - 50 बीपी	6.16%	7.18%
निश्चित लाभ दायित्व (पीवीओ)	5,423.06	5,228.76
वर्तमान सेवा लागत	269.81	236.99
ग. वेतन वृद्धि दर + 50 बीपी	3.50%	3.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	5,403.33	5,217.60
वर्तमान सेवा लागत	267.13	233.60
घ. . वेतन वृद्धि दर + 50 बीपी	2.50%	2.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	5,086.36	4,947.91
वर्तमान सेवा लागत	238.93	213.33
बीपी 'मूल अंक' दर्शाता है ।		

योजना परिसंपत्तियों की मुख्य श्रेणियाँ (कुल योजना परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में)

(₹ लाखों में)

भारत सरकार की प्रतिभूति	29.90%	29.42%
राज्य सरकार की प्रतिभूति	30.96%	34.62%
उच्च गुणवत्ता के कॉर्पोरेट बांड	0.00%	0.00%
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	10.90%	9.72%
संपत्ति	0.00%	0.00%
विशेष जमा योजना	0.00%	0.00%
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधि	0.25%	0.23%
अन्य (निर्दिष्ट करने के लिए)	27.99%	26.01%
कुल	100.00%	100.00%

योजना परिसंपत्तियों का प्रबंधन कंपनी द्वारा गठित अनुदान ट्रस्ट द्वारा किया जाता है ।

अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा और सीएसएल मुंबई पोत मरम्मत यूनिट के वास्तविक मूल्यांकन के उद्देश्य से इस्तेमाल की जानेवाली प्रमुख धारणाएं इस प्रकार थीं :

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
छूट दर (प्र.म.) - आईएसआरएफ	6.00%
छूट दर (प्र.म.) - सीएमएसआरयू	5.70%
मुआवजे की स्तर में वृद्धि की दर	3.00%
संघर्षण दर	2.00%
योजना परिसंपत्ति पर वापसी की अपेक्षित दर	लागू नहीं

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में लाभ और हानि/अन्य व्यापक आय में पहचान की गई राशि:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
सेवा मूल्य:	
चालू सेवा मूल्य	45.08
पिछली सेवा लागत	-
निवल ब्याज खर्च	13.77
लाभ और हानि विवरण में पहचाने गए परिभाषित लाभ लागत का घटक	58.85
निवल परिभाषित लाभ देयता का पुनः मापन :	
योजना दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	(4.08)
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक विवरणी और ब्याज आय के बीच अंतर (लाभ)/हानि	
अन्य व्यापक आय में पहचाने गए परिभाषित लाभ लागत का घटक	(4.08)

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में संस्था के दायित्व से उत्पन्न हुई राशि को तुलन पत्र में शामिल किया गया है:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में बाध्यताओं की वर्तमान मूल्य	238.83
घटाइए: वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-
तुलन पत्र में मान्य निवल देयता/ परिसंपत्तियां	238.83

परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	184.06
चालू सेवा मूल्य	45.08
चालू ब्याज मूल्य	13.77
पिछली सेवा लागत	-
बीमांकिक लाभ / (हानि)	(4.08)
प्रदत्त लाभ	-
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व	238.83

आईएसआरएफ एवं सीएमएसआरयू अनुदान को कंपनी द्वारा स्वयं प्रबंधित की जाती है ।

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

वर्ष	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
वर्ष 1	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 2	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 3	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 4	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 5	लागू नहीं	लागू नहीं
अगले 5 वर्ष	लागू नहीं	लागू नहीं

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित लाभ भुगतान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

वर्ष	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
वर्ष 1	14.49	1.17
वर्ष 2	36.69	2.88
वर्ष 3	25.21	3.80
वर्ष 4	32.45	2.41
वर्ष 5	11.80	1.04
अगले 5 वर्ष	104.08	2.83

संवेदनशीलता विश्लेषण

(₹ लाखों में)

ब्योरा	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
क. छूट दर + 50 बीपी	7.00%	6.70%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	215.49	13.74
परिवर्तन	-4.10%	-2.73%
ख. छूट दर - 50 बीपी	5.00%	4.70%
निश्चित लाभ दायित्व (पीवीओ)	234.79	14.53
परिवर्तन	4.48%	2.91%
ग. वेतन वृद्धि दर + 50 बीपी	4.00%	4.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	234.83	14.53
परिवर्तन	4.50%	2.92%
घ. . वेतन वृद्धि दर + 50 बीपी	2.00%	2.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	215.30	13.73
परिवर्तन	-4.19%	-2.78%
बीपी 'मूल अंक' दर्शाता है ।		

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 34 : वित्तीय मूल्य

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
बैंक ब्याज	-	-
पट्टा देनदारियों पर ब्याज खर्च	3,406.62	
अन्य ब्याज	1.35	378.67
कर मुक्त बांड पर ब्याज	1,051.44	1,051.44
कुल	4,459.41	1,430.11

नोट 35 : मूल्यहास और ऋणमुक्ति व्यय

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यहास	2,979.02	2,846.27
आरओयू परिसंपत्तियों पर मूल्यहास	1,390.34	-
अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों पर मूल्यहास	293.50	321.06
कुल	4,662.86	3,167.33
जोड़िए: औजारों के पुनः मूल्यांकन पर हानि	210.26	248.20
कुल	4,873.12	3,415.53

नोट 36 : अन्य व्यय

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
भंडार का उपभोग	2,087.39	1,780.37
पुर्जों का उपभोग	47.44	52.76
दर और कर	19.66	16.48
बिजली	2,134.70	1,998.38
ईंधन	792.76	861.66
जल	242.26	223.26
मरम्मत एवं अनुरक्षण:		
इमारते व सड़कें	638.75	652.75
संयंत्र और मशीनरी	104.92	46.96
अन्य	1,062.04	1,269.74
अनुरक्षणात्मक तल कर्षण	299.50	540.50
परिवहन और भंडार की चढाई उतराई	167.05	129.21
यात्रा तथा सवारी खर्च	849.58	496.00

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

ब्योरा	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
छपाई तथा लेखन सामग्रियां	98.66	88.02
डाक, टेलिफोन और टेलेक्स	64.03	39.66
विज्ञापन और प्रचार	477.30	637.38
पट्टे किराया	11.58	1,214.78
पट्टे समझौते के अधीन गारंटीकृत राशि	-	12.21
भाडे	363.50	640.06
बीमा	427.26	367.45
सुरक्षा व्यय	1,393.59	1,437.53
लेखापरीक्षकों के लिए भुगतान	24.50	24.15
प्रशिक्षण खर्चा	624.37	658.39
विधि खर्चा	58.07	16.64
परामर्श	130.46	176.48
बैंक प्रभार	496.09	112.62
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर निवल हानि	502.01	-
निगमित सामाजित उत्तरदायित्व (नोट सं. 46 का संदर्भ ले)	1,270.94	1,041.16
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का बिक्री और हानि पर राइट ऑफ	1.87	16.09
विविध खर्च	1,618.13	1,346.46
कुल	16,008.41	15,897.15

लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक, अन्य सेवाओं और विविध खर्चों के लिए लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक:

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
लेखापरीक्षा शुल्क के लिए	12.50	12.50
सीमित समीक्षा / अन्य सेवाओं के लिए	7.50	6.00
प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के लिए प्रमाणीकरण हेतु	4.50	5.65
कुल	24.50	24.15

नोट 37 : प्रत्याशित हानि और खर्च के लिए प्रावधान

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
प्रावधान:		
संदिग्ध ऋण/अग्रिम	3,286.89	6,600.24
अप्रचलन/सतत मालसूची का सत्यापन	1.98	128.62
खर्च और फुटकर खर्च	220.91	291.18
पोत निर्माण में हानि के लिए प्रावधान	5,082.00	205.00
कुल	8,591.78	7,225.04

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 38 : प्रति इक्विटी शेयर कमाई

ब्योरा	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
कर के बाद निवल लाभ (₹ लाखों में)	63,768.75	48,117.79
प्रति शेयर मूल और तनुकृत कमाई (₹ में)	48.48	35.72
प्रति इक्विटी अंकित मूल्य (₹ में)	10.00	10.00

नोट 39 : भारतीय लेखा मानक 115 के अधीन अतिरिक्त प्रकटीकरण - 'ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व'

भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार भिन्न-भिन्न राजस्व का प्रकटीकरण

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व		
क. समय के साथ अंतरित वस्तुओं या सेवाओं से राजस्व		
(i) उत्पादों की बिक्री (उत्पाद शुल्क सहित शून्य)		
पोत निर्माण :		
स्वदेशी वायुयान वाहक (आईएसी)	237746.87	175676.28
आईएसी के अलावा अन्य जहाज	46206.78	37341.68
इंजीनियरिंग कार्य	0.00	0.00
अन्य प्रचालन राजस्व		
पोत निर्माण वित्तीय सहायता	835.57	0.00
(ii) सेवाओं की बिक्री		
पोत मरम्मत	56856.75	83197.46
ख. एक समय में ग्राहकों को अंतरित वस्तुओं या सेवाओं से राजस्व		
अन्य परिचालन राजस्व		
पोत निर्माण रद्दी माल की बिक्री	437.29	183.66
पोत मरम्मत रद्दी माल की बिक्री	166.13	160.80
स्टॉक वस्तुओं की बिक्री		0.45
कुल	342249.39	296560.33

असंतुष्ट / आंशिक रूप से संतुष्ट प्रदर्शन दायित्वों के लिए आवंटित लेनदेन मूल्य का विवरण:

प्रदर्शन दायित्वों के लिए आवंटित लेन-देन मूल्य की कुल राशि ₹ 925080.07 जो असंतुष्ट (या आंशिक रूप से असंतुष्ट) है, रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के रूप में एक वर्ष या उससे कम की मूल अपेक्षित अवधि को उपरोक्त प्रकटीकरण में शामिल नहीं किया गया है जैसा कि भारतीय लेखा मानक 115 के तहत अनुमति दी गई है। आगे लेन-देन की कीमत के अनुमान के अनुसार उपरोक्त किसी भी तरह के परिवर्तनीय विचार शामिल नहीं होंगे जो कि विवश हैं। प्रबंधन की उम्मीद है कि 21.71% दिनांक 31.03.2020 तक असंतुष्ट / आंशिक रूप से संतुष्ट अनुबंधों के लिए आवंटित लेनदेन मूल्य का, जैसा कि ऊपर कहा गया है, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व और उसके बाद के रूप में मान्यता प्राप्त होगी।

मार्च 31, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कंपनी ने अनुबंध देयता को अप्रैल 01, 2019 के रूप में खोलने से उत्पन्न होने वाले 53210.54 लाख रुपए के राजस्व को मान्यता दी।

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

वर्ष के दौरान राजस्व के साथ अनुबंधित मूल्य की प्राप्ति

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
दिनांक अप्रैल 01, 2019 तक आदेशों की खुली कीमत	1176242.66
जोड़ :	0.00
प्राप्त नया आदेश/परिवर्तन आदेश (निवल)	341069.70
पोत निर्माण वित्तीय सहायता सहित अतिरिक्त क्षतिपूर्ति का कारण	7920.74
विनिमय दर संचलनों के कारण वृद्धि (निवल)	1430.22
कमी :	0.00
विविध, परिवर्तन आदेश सहित अन्य कटौती	13747.52
वर्ष के दौरान पूरे किए गए आदेश	8176.29
दिनांक 31 मार्च 2020 तक आदेशों के समाप्ति अनुबंधित मूल्य	1504739.51
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त कुल राजस्व :	136469.80
कमी : वर्ष के दौरान पूरे किए गए आदेशों में से राजस्व	6709.06
वर्ष के अंत में निष्पादन के अधीन आदेशों का राजस्व (I)	129760.74
पिछले वर्ष तक मान्यता प्राप्त राजस्व (वर्ष के अंत में लंबित आदेशों से) (II)	449884.96
विनिमय दर संचलनों के कारण कमी (निवल) (III)	0.00
भविष्य में स्वीकृत किए जानेवाले शेष राजस्व जैसे आदेश पुस्तिका (IV)	925093.81
दिनांक 31 मार्च 2020 तक आदेशों के समाप्ति अनुबंधित दर (I+II+III+IV)	1504739.51

नोट 40 : भारतीय लेखा मानक 116 के अधीन अतिरिक्त प्रकटीकरण - 'पट्टे'

भारतीय लेखा मानक 'पट्टे' दिनांक अप्रैल 01, 2019 से प्रभावी हो गए और कंपनी ने संशोधित पूर्वव्यापी संक्रमण पद्धति का उपयोग करके इसे अपनाया है। तदनुसार, तुलनाओं को पूर्वव्यापी रूप से समायोजित नहीं किया गया है। यह, दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए 39271.03 लाख रुपए के आरओयू परिसंपत्तियों, 37325.69 लाख रुपए पट्टा देयता, 3406.62 लाख रुपए के अतिरिक्त वित्त लागत, 1390.34 लाख रुपए के अतिरिक्त मूल्यहास, 28.93 लाख रुपए के अतिरिक्त पट्टा किराया आय (पट्टेदार के रूप में) और 28.93 लाख रुपए के अर्जित पट्टा किराया परिसंपत्ति (पट्टेदार के रूप में) की स्वीकार्यता में परिणत हुआ है। व्यय और आय के रूप में स्वीकार किए गए प्रदत्त और प्राप्त वास्तविक पट्टा किराए को पट्टा देयता में कमी और उर्पाजित पट्टा किराया के समायोजन के रूप में हिसाब लगाया जाता है। कुल मिलाकर, दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ में कमी के परिणामस्वरूप 1775.17 लाख रुपए में परिणत हुआ है।

किराया और किराया शुल्क व्यय में दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए व्यय शामिल है, जो 35.61 लाख रुपए की राशि के लिए अल्पावधि पट्टे और कम मूल्य की संपत्ति के पट्टे से संबंधित है।

दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु पट्टे के लिए कुल नकद बहिर्वाह, जिसमें अल्पावधि और कम मूल्य के पट्टे के लिए बहिर्वाह सहित, कुल 2390.86 लाख रुपए है।

कंपनी के पास पट्टा अवधि विस्तार विकल्प हैं, जो पट्टा देयताओं की माप में परिलक्षित नहीं होते हैं।

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

एक निर्विवाद आधार पर दिनांक 31 मार्च 2020 तक की पट्टा देयताओं के अनुबंध की परिपक्वता का विवरण निम्नानुसार हैं : (₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
एक वर्ष से कम	2,440.69	2,276.26
एक से पांच साल तक	10,686.34	10,052.42
पांच वर्ष से अधिक	122,762.30	123,386.54
कुल	135,889.33	135,715.22

एक निर्विवाद आधार पर दिनांक 31 मार्च 2020 तक की पट्टा परिसंपत्तियों के अनुबंध की परिपक्वता का विवरण निम्नानुसार हैं :

ब्योरा	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
एक वर्ष से कम	182.35
एक से पांच साल तक	465.19
पांच वर्ष से अधिक	326.87
कुल	974.41

लेखे पर टिप्पणी

टिप्पणी 41: आकस्मिक देयताओं और प्रतिबद्धताएं

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 की अवधि को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 की अवधि को समाप्त वर्ष	प्रकृति एवं बाध्यता का संक्षिप्त विवरण
	(₹ लाखों में)	(₹ लाखों में)	
आकस्मिक देयता (प्रदान न की गई हद तक के लिए)			
गारंटी			
ऋणपत्र	13,345.68	23,005.41	सामग्रियों/परिसंपत्तियों के प्रापण के लिए विविध बैंकों में कंपनी द्वारा खोले गए एलसी का प्रतिनिधित्व करता है ।
बैंक गारंटी	272,384.71	151,295.89	
कोचीन पोर्ट ट्रस्ट को निगमित निष्पादन गारंटी	3,925.00	3,925.00	ठेके की अवधि के दौरान कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के साथ किए ठेके करार के अधीनदायित्वों के निष्पादन के लिए कोचीन पोर्ट ट्रस्ट को कंपनी द्वारा निष्पादन गारंटी दिया गया ।
अन्य धन जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से देनदार है			
विशाल कोच्ची विकास प्राधिकरण (जीसीडीए)	69.06	69.06	कंपनी के लिए उपार्जित भूमि के लिए विशाल कोच्ची विकास प्राधिकरण द्वारा उठाए गए दावा निपटान किया है। यद्यपि निष्कासितों द्वारा पंजीकृत 8 दावाएं (69.06 लाख मूल्य निर्धारित) माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

ब्योरा	31 मार्च 2020 की अवधि को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 की अवधि को समाप्त वर्ष	प्रकृति एवं बाध्यता का संक्षिप्त विवरण
	(₹ लाखों में)	(₹ लाखों में)	
सीमाशुल्क	21,930.58	16,532.69	बांड के अधीन सामग्रियों और सुपुर्द किए देशी पोतों के लिए सीमाशुल्क। सीईएसटीएटी, बेंगलूर द्वारा सीमा शुल्क के वापसी रु. 69.83 लाख दी गई है, जिसके खिलाफ केरल के माननीय उच्च न्यायालय में अपील लंबित है। माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील को प्राथमिकता देने के लिए केरल के माननीय उच्च न्यायालय ने विभाग को एक निर्देश के साथ अपील का निपटारा कर दिया है। विभागीय अपील पर किसी भी अन्य जानकारी के अभाव में, इसे आकस्मिक देयता के रूप में बरकरार रखा गया है। इसमें 5857.03 लाख रुपए की राशि भी शामिल हैं, जो कंपनी द्वारा किए गए आयात पर आईजीएसटी की मांग है।
विक्री कर / केरल मूल्यवर्धित कर	657.51	1,259.75	2000-01 - रु. 111.93 लाख 2001-02 - रु. 73.44 लाख 2004-05 - रु. 195.67 लाख 2007-08 - रु. 276.47 लाख (अपील के अधीन) (सभी मामलों में प्राप्त कर संकलन के अपील रोक के अंतर्गत) डी सी (ए) द्वारा अनुमत अपील के प्रदत्त राशि के कारण मांग कम किया है। विस्तृत नोट टिप्पणी 41.1 (II & III) में दिया है।
	12.10	12.10	वर्ष 1996-97 के लिए मूल्य वर्द्धित कर क्रेडिट जिसे मांग में नहीं माना गया, जिसके लिए बहियों में कोई प्रावधान नहीं है।
आय कर	2,107.27	2,988.44	निर्धारण वर्षों से संबंधित मांग: वित्तीय वर्ष 2010-11 - रु. 457.63 लाख वित्तीय वर्ष 2011-12 - रु. 406.80 लाख वित्तीय वर्ष 2014-15 - रु. 911.07 लाख वित्तीय वर्ष 2017-18 - रु. 331.77 लाख विस्तृत टिप्पणियां 41.1 (I) में दिया है।
सेवा कर	1,647.47	1,647.47	जारी की गई कारण बताओं नोटिस के अनुसार आईएसी (डिजाइन परामर्श) पर सेवा कर की मांग। अधिनिर्णयन लंबित है।
	376.88	376.68	आईएसी पर सेवा कर की वापसी दावा आयुक्त (अपील) द्वारा मंजूर की गई। फिर भी, आयुक्त (अपील) के आदेश के खिलाफ सीईएसटीएटी के सामने विभाग ने अपील फाइल किया है। साथ ही, सीएसएल पर कारण बताओ सूचना भी जारी किया है और अधिनिर्णयन लंबित है।

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

ब्योरा	31 मार्च 2020 की अवधि को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 की अवधि को समाप्त वर्ष	प्रकृति एवं बाध्यता का संक्षिप्त विवरण
	(₹ लाखों में)	(₹ लाखों में)	
सेवा कर	323.04	323.04	कारण बताओ सूचना के अनुसार आईएसी पर सेवा कर की मांग (प्रबंधन शुल्क/हैंडलिंग प्रभार) जारी की गई ।
	2,339.64	2,339.64	सेनवैट क्रेडिट पर पाबंदी और सामग्रियों पर कटौती के बिना, जिसके लिए वैट का भुगतान किया गया, पोत मरम्मत पर सेवा कर वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। दिनांक 19.03.2018 के आदेश सं. सीओसी-ईएक्ससीयूएस-000-सीओएम-18-17-18 के अनुसार कारण दिखाओं के तहत कार्यवाही छोड़ दिया है। विभाग ने सीईएसटी को अपील दायर की।
	1,885.60	1,885.60	दिनांक 20.06.2012 के अधिसूचना सं. 25/212-एसटी के लाभ को छोड़ते हुए यूटीएलए द्वारा स्वामित्व वेसलों की मरम्मत के लिए सेवा कर की वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । दिनांक 07.03.2018 के आदेश सं. सीओसी-ईएक्ससीयूएस-000-सीओएम-11-17-18 के अनुसार कारण दिखाओं के तहत कार्यवाही छोड़ दिया है। विभाग ने सीईएसटी को अपील दायर की।
	513.71	513.71	दिनांक 20.06.2012 के अधिसूचना सं. 25/212-एसटी के लाभ को छोड़ते हुए वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान यूटीएलए द्वारा स्वामित्व वेसलों की मरम्मत के लिए सेवा कर की वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया ।
सेवा कर	734.93	-	दिनांक 20.06.2012 के अधिसूचना सं. 25/212-एसटी के लाभ को छोड़ते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान यूटीएलए द्वारा स्वामित्व वेसलों की मरम्मत के लिए सेवा कर की वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया ।
	79.22	79.22	2015-16 की अवधि के दौरान जहाज की मरम्मत पर सेवा कर लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें बिना सामग्री के कटौती और सेनवैट क्रेडिट के बहिष्कार की अनुमति दी गई थी।
	286.85	-	2016-17 की अवधि के दौरान जहाज की मरम्मत पर सेवा कर लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें बिना सामग्री के कटौती और सेनवैट क्रेडिट के बहिष्कार की अनुमति दी गई थी।
	279.46	279.46	कॉन्सटेबल वारंटी दायित्वों को पूरा करने के लिए गैर-कर योग्य क्षेत्र में व्यक्तियों की सेवाओं का लाभ उठाने और कोचीन से अबू धाबी तक बजरे के ट्रांसपोर्टेशन को प्रदान की गई सुरक्षा की लागत पर सेवा कर के गैर भुगतान के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

ब्योरा	31 मार्च 2020 की अवधि को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 की अवधि को समाप्त वर्ष	प्रकृति एवं बाध्यता का संक्षिप्त विवरण
	(₹ लाखों में)	(₹ लाखों में)	
प्रतिबद्धताएं (प्रदान न की गई हद तक के लिए)			
पूंजी लेखा पर निष्पादन करने के लिए शेष ठेकाओं की अनुमानित राशि और प्रदान न की गई के लिए :	134,742.67	175,080.02	
अन्य सुझावें			
सहायक कंपनी (हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड) में निवेश जिसके लिए कंपनी को रियोयत समझौते की प्रभावी तिथि से 5 साल के लिए अपने निपटान हेतु रोक है।	2,135.34	1,628.00	
प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) लाभ की अप्रयुक्त राशि (चालू खाते और सावधि जमाओं में विभिन्न बैंकों के साथ जमा की गई, उपयोग करने के लिए लंबित राशि)	4,737.06	30,802.81	विस्तृत टिप्पणी नोट सं. 42 में है।

41.1. आकस्मिकताएं और प्रतिबद्धताएं

(I) आयकर निर्धारण

कंपनी का आय कर निर्धारण, निर्धारण वर्ष 2017-18 तक पूरा किया गया है। . निर्धारण वर्ष 2010-11, 2011-12, 2014-15 और 2017-18 के लिए कुल ₹ 1406.41 लाख के निर्धारण आदेशों के अनुसार उठाए गए मांगों को आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष फाइल की गई अपीलों के निपटान के लिए लंबित आकस्मिक देयता के अधीन दर्शाया गया है। ये मांग, मुख्य रूप से कुछ वास्तविक दावों को अस्वीकार करने के कारण से है। फिर भी, उपर्युक्त मांग कंपनी को देय प्रतिदेय के सामने समायोजित की गई है।

आकलन वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए हालांकि आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष दायर अपील को कंपनी के पक्ष में निपटाया गया है, आयकर विभाग आईटीएटी के सामने आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश सामने अपील के लिए चला गया है। आईटीएटी के समक्ष अपील के तहत कुल 700.86 लाख रुपए शामिल हैं।

(II) केजीएसटी अधिनियम के अधीन बिक्री कर निर्धारण

केजीएसटी अधिनियम के अधीन बिक्री कर निर्धारण वर्ष 2004-05 तक पूरा किया गया है औ वर्ष 2002-03 और 2003-04 को छोड़ कर सभी वर्षों के लिए आदेश जारी की गई अपराहन थी। वर्ष 2000-01 और 2001-02 के लिए जारी किए गए आदेशों में प्रकट गलती के कारण, आदेशों को

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

सुधारने के लिए आवेदन फाइल किया गया है। निर्धारण आदेशों के लंबित सुधार के संबंध में मांग आकस्मिक देयताओं के अधीन दर्शाया गया है। निर्धारण वर्ष 2004-05 के लिए, उपायुक्त (अपील) ने 202.22 लाख रु की मांग के खिलाफ कंपनी द्वारा फाइल की गई अपील को खारिज कर दिया है। कंपनी ट्रिब्यूनल को अपील दायर करने की प्रक्रिया में है।

(III) केवीएटी अधिनियम के अधीन बिक्री कर निर्धारण

निर्धारण वर्ष 2005-06 और 2007-08 तक के केवीएटी का निर्धारण पूरा किया गया है और निर्धारण वर्ष 2005-06 और 2007-08 के लिए 2836.63 लाख रु और 5554.71 लाख रु. के निर्धारण आदेशों के जारी किए गए। उपर्युक्त आदेशों के खिलाफ कंपनी द्वारा उपायुक्त (अपील) के सामने फाइल की गई अपील, आंशिक रूप में कंपनी के पक्ष में निर्णय लिया गया है और नए मूल्यांकन के लिए प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया गया है। तदनुसार मूल निर्धारण आदेशों के अनुसार मांग शून्य हो गई है। चूंकि रिपोर्टिंग तिथि पर ऐसी कोई मांग मौजूद नहीं है। संशोधित मूल्यांकन आदेश की लंबित प्राप्ति के कारण कंपनी अन्य मुद्दों पर माननीय केवीएटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील फाइल की गई। अब अपील ट्रिब्यूनल के समक्ष लंबित है। वर्ष 2006-07 के लिए निर्धारण आदेश लंबित है।

42. आईपीओ आय का उपयोग नीचे संक्षेप में दिया है:

(₹ लाखों में)

विवरण	आईपीओ आय प्राप्त हुई- अंतिम आबंटन पर आधारित	31 मार्च 2020 तक नकदी बर्हिवाह	दिनांक 31 मार्च 2020 को अप्रयुक्त राशि
सूखी गोदी की स्थापना	51000.00*	46262.97	4737.03
आईएसआरएफ का स्थापना	26500.00*	26500.00	0.00
सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य	16523.26	16523.23	0.03
समस्या से संबंधित खर्च (कंपनी की जिम्मेदारी)	2172.10**	2172.10	0.00
कुल	96195.36	91458.30	4737.06

* दर्ज विवरण पुस्तिका के आधार पर

** सामान्य कॉर्पोरेट प्रयोजन के लिए अनुमानों की तुलना आईपीओ व्यय में वृद्धि (172.10 लाख रुपये) के सामने निर्दिष्ट राशि समायोजित की गई है।

43. मैसर्स एपीजे शिपिंग लिमिटेड (पहले सुरेंद्रा ओवरसिस लिमिटेड) और कंपनी के बीच पोत सं. 005 के मामले में विवाद भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विवाचन के लिए भेज दिया था। विवाचन पंचनिर्णय (जुलाई 2009) कंपनी के अनुकूल था जिसके अधीन मैसर्स एपीजे शिपिंग लिमिटेड से कंपनी 2803.64 लाख रुपए प्राप्त करना है। कंपनी ने आदेश पारित करने के लिए उप न्यायालय, एर्णाकुलम के समक्ष एक याचिका फाइल की है और मामला विचाराधीन है। न्यायालय के आगे मामला विचाराधीन है। न्यायालय के अधीन लंबित अंतिम आदेश खाता बहियों में कोई जमा नहीं किया गया है।

44. विवाचन के लिए स्थायी मशीनरी, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार ने कार्य ठेका कर मुद्दे पर सीएसएल और ओएनजीसी के विवाद में कंपनी के पक्ष में निर्णय अधिसूचित किया और निर्णय के अनुसार ओएनजीसी ने सीएसएल को 2642.22 रु की ब्याज के साथ विवादित राशि का भुगतान किया। ओएनजीसी ने इस निर्णय के खिलाफ कानून सचिव, कानून एवं न्याय मंत्रालय के सामने अपील फाइल किया। ओएनजीसी अपील के अनिर्णित निपटारे के संबंध में लेखे में कोई समायोजन नहीं किया गया है।

45. मुकदमा : कंपनी साधारण में कानूनी कार्यवाही और दावों के अधीन है। कंपनी के प्रबंधन यथोचित उम्मीद नहीं करता है कि इन कानूनी कार्रवाई जब अतत समाप्त और निर्धारित की है, कंपनी के प्रचालन परिणामों पर प्रत्यक्ष और प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दिनांक 31 मार्च 2020 की तिथि पर महत्वपूर्ण मुकदमों का विवरण।

मै. विजिल मराइन सर्वोसिस में वर्ष 2004 में एटीसीओ टगों के लिए आदेश प्राप्त करने हेतु देय एजेंसी झूट की ओर दावा उठाया था। मध्यस्थता कार्यवाही दिनांक 10 अक्टूबर 2004 को शुरू हुई। गवाहों की परीक्षा और प्रति परीक्षा पूरी की और मामला दिनांक 01 और 02 फरवरी 2014 को तर्क वितर्क के लिए दर्ज किया। मध्यस्थ ने कार्यवाहियाँ पूरी की और मै. विजिल मराइन सर्वोसिस को प्रतिवर्ष 8% दर पर ब्याज सहित 18.25 मिलियन यूएस डॉलर के एटीसीओ ठेका मूल्य के 5% दर पर कमीशन देने के लिए कंपनी को निदेश करते हुए उनका निर्णय पारित किया। इस पर असंतुष्ट सीएसएल उप न्यायलय, एर्णाकुलम के समक्ष मूल मुकदमा सं. 187/2016 फाइल की और निर्णय अमल में लाना स्थगित करते हुए एक अंतरिम आदेश प्राप्त किया।

46. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी ने एक सीएसआर समिति गठित की गई है। सीएसआर की गतिविधियों के क्षेत्र में स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा, सामाजिक सशक्तिकरण आदि और कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची में बचाए गए, शामिल है। सीएसआर निधि का उपयोग, सीएसआर समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रत्यक्ष खर्च के माध्यम से किया जाता है। खर्च करने के लिए अपेक्षित राशि और उपयोग की राशि का विवरण निम्नानुसार है :

(क) दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि के दौरान कंपनी द्वारा खर्च किए जाने के लिए अपेक्षित कुल राशि			₹ 1233.49 लाख
(ख) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	₹ 1270.94 लाख	रुपए लाख में	
विवरण		नकद में	अभी तक नकद में भुगतान करने की राशि
(i) किसी परिसंपत्ति का निर्माण/प्राप्ति		824.63	-
(ii) उपर्युक्त (i) को छोड़कर उद्देश्य		446.31	-
			कुल
			824.63
			446.31

47. भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार संबंधी पार्टी प्रकटीकरण

(₹ लाखों में)

संबंधी पार्टी	संबंध की प्रकृति	
	2019-20	2018-19
श्री मधु एस नायर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री पॉल रंजन डी (31 जुलाई 2019 तक) निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री सुरेश बाबु एन वी निदेशक (प्रचालन)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री बिजोय भास्कर निदेशक (तकनीकी)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री जोस वी जे (01 अगस्त 2019 से) निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	-
श्री सतीन्दर पाल सिंह (03 फरवरी 2020 तक) सरकारी अंशकालिक (नामांकित) निदेशक , भारत सरकार	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री एलियास जॉर्ज (20 अप्रैल 2018 तक) सरकारी अंशकालिक (नामांकित) निदेशक , केरल सरकार	-	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री संजय बंदोपाध्याय (03 फरवरी 2020 से) सरकारी अंशकालिक (नामांकित) निदेशक , भारत सरकार	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	-
श्री के आर ज्योतिलाल सरकारी अंशकालिक (नामांकित) निदेशक , केरल सरकार	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

संबंधी पार्टी	संबंध की प्रकृति	
	2019-20	2018-19
श्रीमती रूपा शेखर राय (29 जुलाई 2019 से 20 मार्च 2020 तक)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक		
श्री राधाकृष्ण मेनोन (29 जुलाई 2019 से 20 मार्च 2020 तक)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक		
श्री कृष्ण दास ई (29 जुलाई 2019 से 20 मार्च 2020 तक)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक		
श्री जिजी तोमसण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक		
श्री प्रदीप्ता बानर्जी	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक		
श्री नंद कुमारन पुत्तेषत्त	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक		
श्रीमती वी कला (31 जनवरी 2020 तक)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
कंपनी सचिव		
श्री श्यामकमल एन (01 फरवरी 2020 से) कंपनी सचिव	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	-
हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (व्यापार का प्रमुख स्थान कोलकाता)	सहायक कंपनी	74% शेयर हॉल्डिंग रखने वाली सहायक कंपनी

मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति के लेनदेन- पारिश्रमिक की प्रकृति ।

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
अल्पकालीन लाभ	353.83	275.32
रोजगार के बाद का लाभ	38.89	34.13
कुल	392.72	309.45

*31 मार्च, 2019 तक पारिश्रमिक में वेतन संशोधन बकाया दिनों 01.01.2017 से शामिल है।

लेनदेन की प्रकृति - ऋण

(₹ लाखों में)

संबंधी पार्टी का नाम	दिनांक 01.04.2019 को खुला शेष	वर्ष 2019-20 के दौरान ली गई ऋण / अग्रिम	चुकोती	दिनांक 31.03.2020 को शेष	दिनांक 31.03.2020 को अर्जित ब्याज
मधु एस नायर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पॉल रंजन डी	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00
सुरेश बाबु एन वी	0.19	0.50	0.49	0.20	0.00
बिजोय भास्कर	0.52	0.50	0.82	0.20	0.00
जोस वी जे	0.18	0.50	0.48	0.20	0.00
कला वी	0.15	0.50	0.65	0.00	0.00
श्यामकमल एन	0.18	0.60	0.54	0.24	0.00

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

संबंधी पार्टी का नाम	दिनांक 01.04.2018 को खुला शेष	वर्ष 2018-19 के दौरान ली गई ऋण / अग्रिम	चुकोती	दिनांक 31.03.2019 को शेष	दिनांक 31.03.2019 को अर्जित ब्याज
मधु एस नायर	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00
पॉल रंजन डी	0.99	0.50	1.34	0.15	0.00
सण्णि तोमस	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00
सुरेश बाबु एन वी	0.95	0.60	1.36	0.19	0.00
विजोय भास्कर	1.73	0.50	1.71	0.52	0.36
कला वी	0.77	0.50	1.12	0.15	0.00

ऋण शेष राशियों के एमपी प्राप्त करने की स्थिति के वर्ष से विचार किया जाएगा ।

लेनदेन की प्रकृति- स्वतंत्र निदेशक के सिट्टिंग शुल्क

(₹ लाखों में)

बैठक का नाम	Roopa Shekhar Rai	Krishna Das E	Radhakrishna Menon	Jiji Thomson	Nandakumaran Putezhath	Pradipta Banerji
बोर्ड बैठक	0.60	0.60	0.60	0.75	0.60	0.75
लेखापरीक्षक समिति	0.00	0.30	0.30	0.30	0.45	0.30
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व	0.45	0.00	0.45	0.30	0.30	0.00
नामांकन और पारिश्रमिक समिति	0.45	0.45	0.00	0.30	0.30	0.00
ठेका और कैपेक्स समिति	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.45
सामरिक मानव संसाधन समिति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
नई प्रौद्योगिकी, रणनीति और नई पहल के लिए समिति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
हितधारक संबंध समिति	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
पोत निर्माण सॉफ्टवेयर मूल्य बातचीत समिति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.15
2019-20 के लिए कुल भुगतान	1.50	1.50	1.35	1.95	2.25	1.80

लेनदेन की प्रकृति- अन्य संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन

सीएसएल एक सरकारी कंपनी है जो, पोत परिवहन मंत्रालय के अधीन नियंत्रित है। कंपनी ने सरकार और सरकार संबंधित संस्थाओं के साथ संबंधित पार्टी लेनदेन के संबंध में इन्ड एएस 24 के तहत तैयार विस्तृत प्रकटीकरण से छूट का लाभ उठाया है। हालांकि, इन्ड एएस 24 के अधीन, व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण लेनदेन निम्नलिखित है:

मूल कंपनी द्वारा सरकार और सरकारी संबंधित संस्थाओं के साथ लेनदेन .

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड - विशेष रूप से नियुक्त	33.03	52.25
नियंत्रित कंपनी द्वारा जारी एनसीडी में निवेश - हुगली कोचीन शिपयार्ड लि।	4400.00	4400.00
भारत सरकार को देय राशि	235.40	235.40
भारत सरकार को वर्ष के दौरान लाभांश के रूप में देय राशि	14474.11	12234.24

उपर्युक्त के अलावा, कंपनी के कारोबार के लगभग 97.70 % और व्यापार प्रायों के 97.88 % (लगभग) तथा ग्राहक अग्रिम सरकार और सरकार से संबंधित संस्थाओं के संबंध में है।

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

सीएसएल की ओर से एचसीएसएल के नामांकित निदेशकों द्वारा रखे शेयर

(₹ लाखों में)

	31.03.2020को	31.03.2019 को
	शेयरों की संख्या	
मधु एस नायर (प्रथम निदेशक)	10	10
पॉल रंजन डी (प्रथम निदेशक)	-	10
सुरेश बाबु एन वी (प्रथम निदेशक)	10	10
बिजोय भास्कर (निदेशक)	10	10
जोस वी जे (निदेशक)	10	-
कला वी (ज़ापन के अभिदाता)	-	10
श्यामकमल एन (कंपनी सचिव, सीएसएल)	10	-
के जे रमेश (ज़ापन के अभिदाता)	10	10

48. वित्तीय साधन

अंकित मूल्य पदानुक्रम मूल्यांकन मानकों के लिए इनपुट पर आधारित है जो अंकित मूल्य को मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जो या तो सुस्पष्ट या असुस्पष्ट है और निम्नलिखित तीन स्तरों में शामिल हैं:

अंकित मूल्य पदानुक्रम मूल्यांकन मानकों के लिए इनपुट पर आधारित है जो अंकित मूल्य को मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जो या तो सुस्पष्ट या असुस्पष्ट है और निम्नलिखित तीन स्तरों में शामिल हैं:

स्तर II इनपुट, स्तर I में शामिल उद्धृत दर को छोड़कर इनपुट हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में परिसंपत्ति या देयता के लिए विचार योग्य है ।

स्तर III इनपुट, परिसंपत्ति या देयता के लिए अप्रभावी इनपुट है ।

निम्न तालिका आवर्ती आधार पर अंकित मूल्य पर मापा गया वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं का संक्षेप प्रस्तुत करती है और वित्तीय विवरणों को आवर्ती आधार पर अंकित मूल्य पर मापा नहीं जाता है (लेकिन अंकित मूल्य के प्रकटीकरण अपेक्षित है ।)

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(₹ लाखों में)

वित्तीय परिसंपत्तियां/ वित्तीय देयताएं	अंकित मूल्य		अंकित मूल्य अनुक्रम
	31.03.2020 को	31.03.2019 को	
वित्तीय परिसंपत्तियां			
गैर-चालू			
(i) निवेश	6,544.52	6,037.18	स्तर III
(ii) प्राप्य व्यापार	108.24	128.73	स्तर II
(iii) ऋण	864.50	-	स्तर II
चालू			
(i) प्राप्य व्यापार	28,823.21	39,233.68	स्तर II
(ii) नकद एवं नकद समतुल्य	84,851.63	97,833.96	स्तर II
(iii) बैंक शेष (ii) को छोड़कर	132,740.27	154,451.37	स्तर II
(iv) ऋण	30.97	39.21	स्तर II
(v) अन्य	3,292.18	23,357.79	स्तर II
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	257,255.52	321,081.92	
वित्तीय देयताएं			
गैर-चालू			
(i) उधार	12,300.00	12,300.00	स्तर I
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	37,586.91	261.22	स्तर II
चालू			
(i) देय व्यापार	41,871.79	34,659.11	स्तर II
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	17,266.32	13,001.22	स्तर II
कुल वित्तीय देयताएं	109,025.03	60,221.55	

नोट:

- इक्विटी साधनों में निवेश व्यापार के लिए नहीं है। इसके बजाय, वे मध्यम या दीर्घकालिक सामरिक उद्देश्यों के लिए हैं। भारतीय लेखा मानक 109 के अनुप्रयोग पर, कंपनी ने इन निवेशों को एफवीटीओसीआई के रूप में इक्विटी साधनों में निर्दिष्ट करने के लिए चुना है, क्योंकि निदेशक का मानना है कि यह मध्यम या दीर्घकालिक सामरिक निवेश की एक अधिक सार्थक प्रस्तुति प्रदान करता है, जो कि लाभ और हानि में तुरंत अंकित मूल्य में बदलाव को दर्शाता है। डेबिट इंस्ट्रुमेंट्स में निवेश ट्रेडिंग के लिए नहीं होता है। भारतीय लेखा मानक 109 के अनुप्रयोग पर, कंपनी ने इन निवेशों को परिशोधित ऋण में नामित करने के लिए चुना है।

अंकित मूल्य अनुक्रम के स्तर 3 में शामिल निवेश उनके अंकित मूल्य पर पहुँचने के लिए लागत दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए मूल्यांकन किया गया है। उद्धृत न किए निवेशों की लागत अंकित मूल्य के अनुरूप है इसलिए कि जहां संभाव्य अंकित मूल्य माप के एक विस्तृत श्रृंखला होती है और लागत उस सीमा के भीतर अंकित मूल्य के अनुमान की ओर है।

इस अवधि में स्तर 1 और 2 के बीच कोई अंतरण नहीं है।

- ऋण, उधार बाजार दर पर है और अतः कैरिडिंग मूल्य, अंकित मूल्य है।
- प्राप्य व्यापार, व्यापार और अन्य देनदारियों, लघु अवधि के ऋण के कैरिडिंग राशि को उनके अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके अंकित मूल्य के समान माना जाएगा।

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

बैंक जमाराशियों, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों, अन्य वित्तीय देयताओं और ऋण के कैरिड्रिंग राशि और अंकित मूल्यों के बीच के अंतर, आगे, परिशोधित लागत में मापा गया है जो प्रस्तुत प्रत्येक हर सालों में महत्वपूर्ण नहीं है ।

श्रेणीवार वित्तीय साधन

(₹ लाखों में)

	31मार्च 2020			31मार्च 2019		
	एफवी टीपीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत/ लागत	एफवी टीपीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां						
निवेश (गैर चालू)						
-इक्विटी साधन		9.18	2,135.34		9.18	1,628.00
-ऋण साधन			4,400.00			4,400.00
निवेश (चालू)						
- म्यूचुवल फंड						
प्राप्य व्यापार			28,823.21			39,233.68
नकद एवं नकद समतुल्य			84,851.63			252,285.33
बैंक शेष			132,740.27			
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां			4,295.89			23,525.73
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	0.00	9.18	257,246.34	0.00	9.18	321,072.74
वित्तीय देयताएं						
ऋण			12,300.00			12,300.00
प्राप्य व्यापार			41,871.79			34,659.11
पूंजीगत लेनदारों						
अन्य वित्तीय देयताएं			54,853.23			13,262.44
कुल वित्तीय देयताएं			109,025.03	0.00	0.00	60,221.55

49. वित्तीय जोखिम प्रबंधन नीति

वित्तीय जोखिम प्रबंधन लक्ष्य और नीतियां :

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं, व्युत्पन्न को छोड़कर, में ग्राहकों के ऋण और उधार, व्यापार और अन्य भुगतान और अग्रिम शामिल होते हैं । इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य यह है कि कंपनी के प्रचालनों, कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं को वित्तपोषण करना और उसके प्रचालनों को सहायता देने के लिए गारंटियां प्रदान करना है । कंपनी के प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश, ऋण और अग्रिम, व्यापार और अन्य प्राप्य और नकद तथा बैंक शेष शामिल हैं, जो अपने प्रचालनों से सीधे व्युत्पन्न हो जाता है । कंपनी बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और संपत्ति जोखिम के लिए उजागर है । कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन की देखरेख करते हैं । जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के लिए सभी व्युत्पन्न गतिविधियों को आवश्यक संसाधनों को निर्दिष्ट करके विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन समिति की देखरेख में किया जाता है । यह कंपनी की नीति है कि अव्यवहार्य उद्देश्यों के लिए व्युत्पन्न में कोई व्यापार नहीं किया जा सकता है । निदेशक मंडल प्रत्येक इन सभी जोखिमों के प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा करती है और सहमत देती है, जो नीचे संक्षेप में दिए गए हैं ।

बाजार जोखिम

बाजार जोखिम, एक जोखिम है जो वित्तीय परिसंपत्तियों के भविष्य नकदी प्रवाह के अंकित मूल्य बाजार दर में परिवर्तन के कारण बदलते रहेंगे । बाजार जोखिम में तीन प्रकार जोखिम शामिल हैं : ब्याज दर जोखिम, मुद्रा जोखिम और अन्य कीमत जोखिम, जैसे कि इक्विटी कीमत जोखिम और सामग्री जोखिम । बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय परिसंपत्तियों में ऋण और उधार, जमा और व्युत्पन्न वित्तीय साधन शामिल हैं ।

ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम, एक जोखिम है जो वित्तीय परिसंपत्तियों के भविष्य नकदी प्रवाह के अंकित मूल्य बाजार ब्याज दर में परिवर्तन के कारण बदलते रहेंगे । बाजार में परिवर्तन के जोखिम की ओर कंपनी के ऋण जोखिम मुख्य रूप से फ्लोटिंग ब्याज दर के साथ कंपनी के दीर्घकालीन ऋण दायित्वों से संबंधित है ।

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

विदेशी मुद्रा जोखिम

व्याज दर जोखिम, एक जोखिम है जो ऋण जोखिम के भविष्य नकदी प्रवाह या अंकित मूल्य बाजार विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन के कारण बदलते रहेंगे। विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन जोखिम की ओर कंपनी के ऋण जोखिम, मुख्य रूप से कंपनी के प्रचालन गतिविधियों से संबंधित है (जब राजस्व या खर्च विदेशी मुद्रा में नामित करने पर)।

कंपनी के विदेशी मुद्रा जोखिम बोर्ड द्वारा अनुमोदित उचित रूप से प्रलेखीकृत जोखिम प्रबंधन नीति के माध्यम से प्रबंध किया जाता है।

सामग्री कीमत जोखिम

कंपनी कुछ सामग्रियों की कीमत में अस्थिरता से प्रभावित है। इसके प्रचालन गतिविधियों के लिए स्टील, मुख्य मशीनरियां, उपकरण आदि खरीदने की आवश्यकता है। अतः कंपनी को कीमत अनुकूल बनाने के लिए निकटता से खरीदने हेतु योजना है।

क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम, एक जोखिम है जो काउंडर पार्टी वित्तीय साधन या ग्राहक ठेके के अधीन अपने दायित्वों को पूरा नहीं करेंगे जो वित्तीय नुकसान के कारक है। कंपनी अपनी संचालन गतिविधियों (मुख्य रूप से आपूर्तिकारों को व्यापार प्राप्य और अग्रिम) और अपनी वित्तीय गतिविधियों से क्रेडिट जोखिम की ओर अनावृत है, जिसमें बैंक जमा और वित्तीय संस्थान, विदेशी विनिमय लेनदेन और अन्य वित्तीय साधन शामिल हैं।

50. सेगमेंट रिपोर्टिंग

कंपनी ने दो प्रमुख प्रचालन खंडों का पहचान किया है : पोत निर्माण और पोतों की मरम्मत/अपतटीय संरचना। खंडवार विश्लेषण उपर्युक्त आधार पर किया गया है और एक उचित आधार पर राशि को आर्बिट्रिट किया गया है।

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
सेगमेंट परिसंपत्तियां		
पोत निर्माण	292812.55	246394.20
पोत मरम्मत	243285.53	195899.31
अन्य	104364.17	82062.66
कुल	640462.25	524356.17
सेगमेंट देयता		
पोत निर्माण	67144.21	39406.47
पोत मरम्मत	12715.35	25944.31
अन्य	187423.19	125797.58
कुल	267282.75	191148.36
सेगमेंट राजस्व		
पोत निर्माण	285226.50	213202.07
पोत मरम्मत	57022.89	83358.26
अनार्बिट्रिट	24750.03	22728.42
कुल	366999.42	319288.75
सेगमेंट परिणाम		
पोत निर्माण	66459.10	44494.96
पोत मरम्मत	14741.55	23789.32
अनार्बिट्रिट	5141.93	6853.24
कुल	86342.58	75137.52

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

कंपनी को दो प्रमुख व्यापार खंड हैं - “पोत निर्माण” और “पोत मरम्मत”। पोत निर्माण के अधीन राजस्व में कुल राजस्व के 10% से अधिक होनेवाले एक ग्राहक (पिछले वर्ष : एक ग्राहक) से 237746.87 लाख रुपए (पिछले वर्ष : 206934.28 लाख रुपए) शामिल हैं। पोत मरम्मत के लिए, राजस्व में कुल राजस्व के 10% से अधिक होनेवाले एक ग्राहक (पिछले वर्ष : एक ग्राहक) से 49582.22 लाख रुपए (पिछले वर्ष : 61572 लाख रुपए) शामिल हैं।

51. पूंजी प्रबंधन

जब पूंजी के प्रबंधन कर रहे हैं, तब चालू विचार के रूप में जारी रखने की अपनी क्षमता की रक्षा करना कंपनी का उद्देश्य है, ताकि वे पूंजी की लागत को कम करने के लिए शेरधारकों के लिए लाभ प्रदान करना जारी रखें और इष्टतम पूंजी संरचना को बनाए रखें।

पूंजी प्रबंधन के इस उद्देश्य के लिए, पूंजी में उत्पादक के इक्विटीधारकों के लिए सभी अन्य इक्विटी आरक्षण कारणों और जारी इक्विटी पूंजी शामिल हैं। कंपनी किसी भी विदेशी लगाए गए पूंजी अपेक्षाओं के अधीन नहीं है।

पूंजी संरचना को बनाए रखने और समायोजित करने के लिए, कंपनी शेरधारकों को लाभांश भुगतान, शेरधारकों को वापसी पूंजी या नए शेयर जारी कर सकते हैं। कंपनी एक गिरिंग अनुपात जो कुल इक्विटी द्वारा विभाजित निवल ऋण है, का उपयोग करते हुए पूंजी की जांच करती है। कंपनी में निवल ऋण, ब्याज ऋण और उधार (बांड सहित) शामिल हैं।

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
दीर्घकालीन उधार	12300.00	12300.00
निवल ऋण	12300.00	12300.00
इक्विटी शेयर पूंजी	13154.04	13154.04
अन्य इक्विटी	360025.46	320053.77
कुल इक्विटी	373179.50	333207.81
गिरिंग अनुपात	3.30%	3.69%

31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्षों के दौरान, पूंजी प्रबंधन के लिए लक्ष्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

52. कंपनी ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के प्रावधानों के अनुसार नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी), चेन्नई द्वारा शुरू की गई कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (सीआईआरपी) के तहत टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड (टीएसएल) के लिए एक संकल्प योजना तैयार किया है। टीएसएल, एक ऐसी कंपनी है जो देशी और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए पोतों के निर्माण एवं मरम्मत कार्यों में लगे हुए हैं, जिसकी सुविधा केन्द्र मालपे, कर्नाटक में है। सीआईआरपी के तहत सीएसएल द्वारा प्रस्तुत संकल्प योजना को लेनदारों को समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और एनसीएलटी ने दिनांक 04 मार्च 2020 को दिए अपने अंतिम आदेशों को अनुमोदित किया है। कोविड-19 महामारी की स्थिति और लॉकडाउन के कारण, सीएसएल ने संकल्प योजना के तहत भुगतान के लिए निर्दिष्ट समय की गणना से लॉकडाउन अवधि को छोड़ने के लिए एनसीएलटी, चेन्नई के समक्ष एक याचिका दायर की थी। चूंकि याचिका दायर करने के समय लॉकडाउन की अवधि खत्म नहीं हुई थी, एनसीएलटी ने दिनांक 12 मई 2020 के अपने आदेश द्वारा सीएसएल को निदेश दिया कि लॉकडाउन अवधि की समाप्ति के बाद इसपर ध्यान दिया जाए। सीएसएल ने चेन्नई में लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के बाद एनसीएलटी से संपर्क करने का प्रस्ताव किया।

53. विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक महामारी घोषित एक विकसित मानव त्रासदी के रूप में कोरोनावायरस (कोविड-19) का प्रभाव जारी है। यह दुनिया भर के लोगों के स्वास्थ्य के साथ-साथ अर्थव्यवस्था और वाणिज्य की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। यह सभी व्यापारिक संगठनों के लिए प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है। कोविड-19 महामारी के प्रभाव वास्तविक समय में सामने आ रहे हैं। कोविड-19 का प्रकोप पहले से ही प्रभावित देशों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों की अर्थव्यवस्था पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए दिनांक 25 मार्च 2020 से राष्ट्रीय तालाबंदी की घोषणा की गई, इसके बाद कई राज्यों में माल की आवाजाही, सीमाओं को बंद करने आदि पर प्रतिबंध के साथ प्रकोप के परिणामस्वरूप भारत में आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान शुरू हुआ। इसके कारण सीएसएल की सुविधाओं और उसकी सहायक कंपनियों में परिचालन अस्थायी रूप से बाधित हो गया। सामने आया महामारी परिदृश्य अभी भी भविष्य के आकलन में कंपनी के लिए एक चुनौती पेश करता है।

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दिनांक 23 मार्च 2020 से 05 मई 2020 तक कंपनी का संचालन अस्थायी रूप से बाधित हो गया । सीएसएल परिचालन के कम पैमाने पर काम करना जारी रखता है और वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के परिणामों पर प्रभाव की उम्मीद करता है । हालांकि, कंपनी को आगामी तिमाहियों में उत्पादन में भारी वृद्धि की उम्मीद है । कंपनी को उम्मीद है कि कैपेक्स सहित चल रही परियोजनाओं में कुछ देरी होगी, लेकिन अनुबंध में अप्रत्याशित घटना के आह्वान और अनुदान से प्रभाव कम होने की संभावना है । संभावित ग्राहकों द्वारा पाइपलाइन परियोजनाओं के संभावित ठंडे बस्ते/रोक के कारण व्यावसायिक परिदृश्य भी एक चुनौती पेश करता है । लेकिन कंपनी को इसके लिए पर्याप्त व्यापार की उम्मीद है । इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि कोविड-19 का प्रभाव इन अनुमानों से भिन्न हो सकता है और कंपनी भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों में किसी भी प्रत्यक्ष परिवर्तन की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगी ।

54. ठेके/उप ठेके के मामले में, वर्ष के अंत में किए गए काम के लिए ठेकेदारों द्वारा अंतिम बिलों को प्रस्तुत न करने पर, किए गए काम के आधार पर देयता अनुमानित और प्रदान किया जाता है ।
55. व्यापार प्राप्तियां, व्यापार देय, ऋण, जमा और दावों के अधीन दर्साए गए शेष राशि पुष्टि और परिणामस्वरूप पुर्नमिलन, यदि कोई हो, के अधीन है ।
56. कंपनी ने दीर्घकालिक ठेके के संबंध में, जहां भी आवश्यक हो, महत्वपूर्ण पूर्वाभासी हानियों की ओर पर्याप्त प्रावधान किया गया है । कंपनी को कोई दीर्घकालिक व्युत्पन्न ठेके नहीं है, जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण पूर्वाभासी हानि नहीं है ।
57. कोष्ठक के आंकड़े शून्य आंकड़े को दर्शाता है ।
58. पिछले वर्ष के आंकड़े को जहां भी आवश्यक हो, वर्तमान वर्ष के प्रस्तुतीकरण की पुष्टि के लिए एकजुट और वर्गीकृत किया गया है ।

निदेशक बोर्ड के लिए और की ओर से

श्यामकमल एन
कंपनी सचिव
स.सं. — ए25337

सुरेश बाबु एन वी
निदेशक (प्रचालन)
डीआईएन- 07482491

जोस वी जे
निदेशक (वित्त) व
मुख्य वित्तीय अधिकारी
डीआईएन- 08444440

मधु एस नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन- 07376798

कोच्ची. दिनांक 20 जून 2020
संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स एलियास जॉर्ज व कंपनी
सनदी लेखाकार
(फ़र्म पंजीकरण सं.000801एस)
रंजित मैथ्यूस पी
साझेदार
(सदस्यता सं. 205377)
कोच्ची, दिनांक 20 जून 2020

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सदस्य

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

हम ने मैसर्स कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (होलिंग कंपनी) के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों और इसके नियंत्रित कंपनी हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सम्मिलित रूप से 'ग्रुप' के रूप में संदर्भित है) जिसमें दि. 31 मार्च 2020 के समेकित तुलन पत्र, उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), रोकड प्रवाह संबंधी समेकित विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण, और समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां, महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का संक्षिप्त विवरण तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं शामिल हैं, की लेखापरीक्षा की है, (जो बाद में 'समेकित भारतीय वित्तीय विवरण' के रूप में संदर्भित किया गया)।

हमारी राय में तथा हमारी सही जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण, अपेक्षित तरीके में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में अपेक्षित सूचना देती है और दि. 31 मार्च 2020 को ग्रुप के समेकित लाभ (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में समेकित परिवर्तन और समेकित नकद प्रवाह, समेकित मामलों की स्थिति, आमतौर पर संशोधित (भारतीय लेखा मानक), कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्धारित भारतीय लेखा मानक के अनुरूप एक सच्चे और निष्पक्ष विचार देता है।

राय का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट मानकों (लेखा परीक्षा) पर मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखापरीक्षा के लिए उन मानकों के तहत हमारी ज़िम्मेदारियों को लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम कंपनी के भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार कंपनी आवश्यकताओं से अलग हैं, जो कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके प्रावधानों और नियम के तहत समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं। हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा सबूत प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामला

मुख्य लेखा परीक्षा मामला वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे अधिक

महत्व के थे। इन मामलों को समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा-परीक्षा के संदर्भ में संबंधित किया गया था, और हमारी राय बनाने में, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों के नीचे वर्णित मामलों का निर्धारण किया है।

1. पोत निर्माण और पोत मरम्मत गतिविधियों के भौतिक समापन का मामला

कंपनी पोत निर्माण और पोत मरम्मत गतिविधियों से राजस्व को पूरा करने की विधि के प्रतिशत के आधार पर पहचानती है। पूरा होने का प्रतिशत भौतिक पूर्णता के अनुमानित प्रतिशत के आधार पर कंपनी के प्रबंधन द्वारा मूल्यांकन किया गया है जिसमें महत्वपूर्ण निर्णयों का अभ्यास शामिल है। नोट 2.4 (महत्वपूर्ण लेखा अनुमान और निर्णय – राजस्व मान्यता) और 2.19 (राजस्व मान्यता) समेकित वित्तीय विवरण का संदर्भ लें। कंपनी के प्रबंधन द्वारा विकसित आंतरिक प्रक्रिया नियमावली के अनुसार भौतिक पूर्णता का पता लगाया जाता है। यह प्रक्रिया और उसमें मौजूद धारणाएं कंपनी के नियोजन, डिजाइन और तकनीकी विभागों से प्राप्त इनपुट के आधार पर प्रबंधन द्वारा किए गए कुछ निर्णयों पर आधारित हैं। इसके अलावा, रिपोर्टिंग तिथि पर प्रत्येक उप-गतिविधि के वास्तविक भौतिक समापन के बारे में भी प्रबंधन का अनुमान शामिल है। हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में ऐसी प्रक्रिया को अपनाने के आधार और मान्यताओं को समझना, डेटा को जानने हेतु प्रणाली को समझना और प्रबंधन को आंतरिक रिपोर्टिंग के लिए विभिन्न कार्यों के पूरा होने की प्रगति की निगरानी करना, ऐसी प्रणाली में आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन करना, नमूने का चयन करना और लगातार जाँच और विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं का प्रदर्शन शामिल हैं। हालाँकि, हमने आय की मान्यता के उद्देश्य के लिए प्रबंधन द्वारा परिभाषित तकनीकी मूल्यांकन और गतिविधि आधारित लागत अनुमान पर पर्याप्त निर्भरता रखी है।

हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के लेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में किसी विशिष्ट प्रमुख लेखापरीक्षा मामले का सूचित नहीं किया है।

मामला का अवधारण - कोविड 19 का प्रभाव

हम स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों के नोट 53 पर ध्यान आकर्षित करते हैं, तो अपने वित्तीय परिणामों और इसके संचालन पर कोविड-19 के प्रभाव कंपनी के आकलन का वर्णन करता है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

होलिडिंग कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचनाओं में निदेशक रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, व्यावसायिक जिम्मेदारी रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद वार्षिक रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

समेकित वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय वक्तव्यों के लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि जब उपलब्ध हो जाए, तो ऊपर बताए गए अन्य जानकारी को पढ़ें और, विचार करें कि क्या अन्य जानकारी भौतिक रूप से समेकित वित्तीय विवरणों के साथ असंगत है या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है।

जब हम अन्य सूचना पढ़ते हैं, अगर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई सामग्री गलत है, तो हमें इस मामले को शासन के साथ प्रभाषित करने और लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियां और शासन के साथ प्रभार

होलिडिंग कंपनी के निदेशक मंडल, कंपनी अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों सहित, भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखाकरण नियमों के अनुरूप समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों, जो मामले की स्थिति (वित्तीय स्थिति), लाभ और हानि (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन), रोकड़ प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन के सही और निष्पक्ष रूप प्रस्तुत करता है, के संबंध में कंपनी अधिनियम में बताए मामलों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में ग्रुप की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और कपट तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव उचित लेखा नीतियों के चयन और प्रयोग, उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान करने, और समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों जो सही और निष्पक्ष रूप प्रस्तुत करता है और कपट अथवा त्रुटि के कारण अयथार्थ विवरण से मुक्त है, की तैयारी के लिए प्रासंगिक लेखा अभिलेखों के सटीकता और संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन तथा रखरखाव शामिल है, जो उपरोक्तानुसार, होलिडिंग कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरण की तैयारी की उद्देश्य के लिए प्रयोग किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, संबंधित निदेशक मंडल सुनाम प्रतिष्ठान को जारी रखने हेतु ग्रुप की क्षमता का मूल्यांकन करने, प्रकटीकरण जैसा कि लागू होता है, जब तक निदेशक मंडल ग्रुप को बंद करने या संचालन

को बंद करने का इरादा रखता है, या ऐसा करने के लिए कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है, तब तक सुनाम प्रतिष्ठान को जारी रखने से संबंधित मामले और लेखांकन को जारी रखने के आधार का उपयोग करने से संबंधित है। इन सब के लिए जिम्मेदार है।

ग्रुप में शामिल कंपनी के संबंधित निदेशक मंडल ग्रुप की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से समेकित वित्तीय विवरण वस्तुगत मिथ्या कथन से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करने के लिए जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएस के अनुसार किया गया लेखापरीक्षा हमेशा मौजूद होने पर किसी वस्तुगत मिथ्या कथन का पता लगाएगा। गलतियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और उन्हें भौतिक तब माना जाता है अगर व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन वित्तीय वक्तव्यों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित अपेक्षा की जा सकती है।

एसएस के अनुसार एक लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम भी:

1. समेकित वित्तीय विवरणों की उपादान गलतियों के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि का कारण हों, उन जोखिमों के लिए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली उपादान गलतियों का पता नहीं लगाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक हैं, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण को कुचल देना शामिल हो सकती है।
2. लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हो। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(ट) तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं कि क्या ग्रुप के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों का संचालन प्रभावशीलता है।
3. उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करें।

4. लेखांकन के सुनाम प्रतिष्ठान के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना है, और प्राप्त लेखापरीक्षा के सबूत के आधार पर, क्या यह घटना या शर्तों से संबंधित भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में चालू करने हेतु ग्रुप की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि हमारी राय को संशोधित करने हेतु इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं। हमारा निष्कर्ष लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा के सबूत पर आधारित है। हालांकि, भविष्य में होनेवाली घटनाओं या स्थितियों से ग्रुप एक सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में चालू रहने से स्थगित हो सकती है।
5. खुलासे सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।
6. समेकित वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करने के लिए ग्रुप के भीतर संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के बारे में पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करें। हम ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की दिशा, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनमें से समेकित वित्तीय विवरणों में हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिन्हें अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है, ऐसे अन्य लेखा परीक्षक उनके द्वारा किए गए लेखापरीक्षा की दिशा, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार रहते हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं।

हम अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा की योजनाबद्ध गुंजाइश और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं, जिसे हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम उन लोगों को भी एक विवरण के साथ अधिकार प्रदान करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, और उन सभी रिशतों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए एवं हमारी स्वतंत्रता पर, जहाँ लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर यथोचित रूप से विचार करने हेतु अन्य मामलों पर विचार किया जा सकता है।

अधिकार के साथ प्रभासित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे और इसलिए प्रमुख लेखा परीक्षा के मामले हैं। हम अपने लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून

या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों से इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित लाभों को पछाड़ने की उम्मीद की जाएगी।

अन्य मामले

हमने सहायक कंपनी (हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड)के वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण (अंतर कंपनी के शेष को हटाने के पहले) दिनांक 31 मार्च 2020 तक के 7,4420.22 लाख रुपए की परिसंपत्तियों और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 77.14 लाख रुपए की राशि के निवल रोकड अंतर्वाह और 2402.31 लाख रुपए के कुल राजस्व (अंतर कंपनी लेनदेन हटाने के पहले) दर्शाता है, जो समेकित वित्तीय विवरण के रूप में विचार किया जाता है। इन वित्तीय विवरणों को अन्य लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा की गई है जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किया गया है और उस समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण पर हमारी राय है कि जहां तक इस सहायक कंपनी में शामिल राशि और प्रकटीकरण के संबंध में और अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) के अनुसार हमारी रिपोर्ट के अनुसार, जहां तक उपर्युक्त सहायक कंपनी से संबंधित है, यह पूरी तरह से अन्य लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित है।

समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर उपर्युक्त हमारी राय और नीचे अन्य कानूनी एवं नियामक अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट, अन्य लेखापरीक्षक द्वारा किए गए कार्यों और उनकी रिपोर्ट पर हमारी निर्भरता के संबंध में उपर्युक्त मामले के वास्ते संशोधित नहीं की गई है।

अन्य वैध और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा अपेक्षितानुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

क. जहां तक हमारी जानकारी और विश्वास है, हमने उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक सभी सूचना और स्पष्टीकरण मांगा है और प्राप्त कर लिया है।

ख. हमारी राय में बहियों की परीक्षा करने से और अन्य लेखापरीक्षक की रिपोर्ट से मालूम होता है कि उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण की तैयारी के संबंध में कानून द्वारा अपेक्षितानुसार लेखे के उचित बहियों को सही तरीके से रखी गई है।

ग. इस रिपोर्ट में बताए समेकित तुलन पत्र, लाभ और हानि लेखा समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), समेकित रोकड प्रवाही विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण समेकित वित्तीय विवरण की तैयारी के उद्देश्य के लिए बनाए रखे लेखा बही के साथ ताल मेल में है।

- घ. हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करता है;
- ङ. कॉरपरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक जून 5, 2015 को जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) में दिए छूट की दृष्टि में, निदेशकों के आयोग्यता से संबंधित अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान होल्डिंग कंपनी और सहायक कंपनी के लिए लागू नहीं है।
- च. ग्रूप के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की उपयुक्तता और ऐसे नियंत्रणों के प्रचालन प्रभावशीलता के संबंध में, अनुबंध में प्रस्तुत अलग रिपोर्ट का संदर्भ लें।
- छ. अधिनियम की धारा 197 (16) के तहत लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के मामले के संबंध में, हम कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, इसलिए कि होल्डिंग कंपनी और उसके सहायक कंपनी को दिनांक जून 05, 2015 के अधिसूचना सं. जीएसआर सं. 463 (ई) के द्वारा धारा 197 के प्रावधानों से छूट दी गई है।
- ज. हमारी राय और हमारी सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुरूप लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जानेवाले अन्य विषय के संबंध में:

- i. ग्रूप ने अपनी समेकित वित्तीय विवरणों में अपनी समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है - समेकित वित्तीय विवरण के नोट 41, 43, 44, और 45 का संदर्भ लें ;
- ii. ग्रूप ने व्युत्पन्न ठेके सहित दीर्घकालिक ठेके पर सामग्री के पूर्वाभासी हानियों, यदि कोई हो, के लिए लागू नियम या लेखा मानकों के तहत अपेक्षितानुसार प्रावधान किया है। आगे, ग्रूप को कोई दीर्घकालिक व्युत्पन्न ठेके नहीं है जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण पूर्वाभासी हानियां नहीं हुई है - समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण के नोट 59 का संदर्भ लें।
- iii. ग्रूप द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष के लिए हस्तांतरित करने हेतु कोई राशि नहीं है।

कृते एलियास जॉर्ज एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.00801एस

रंजित मैथ्यूस पी
साझेदार

कोच्ची
जून 20, 2020

सदस्यता सं: 205377

यूडीआईएन : 20205377AAAADJ5804

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर सम तिथि के स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के परिशिष्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (८) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

राय

दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ संयोजन के रूप में, हमने इस तिथि तक, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (इसके बाद 'होल्डिंग कंपनी' के रूप में संदर्भित) और भारत में निगमित इसके नियंत्रित कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के परे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की है।

हमारी राय में, होल्डिंग कंपनी और इसके नियंत्रित कंपनी जो भारत में निगमित किया है, को, सभी महत्वपूर्ण मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को, भारत के सनदी लेखाकार के संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा

पर दिशानिर्देश नोट में बताए आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए संबंधित कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, दिनांक 31 मार्च 2020 को प्रभावी ढंग से प्रचालित किया जा रहा था।

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के यथार्थता और वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किए एक प्रक्रिया है। एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिर्कोर्डों के रखरखाव से संबंधित है जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान में उचित विस्तार में, यथार्थ और निष्पक्ष रूप में प्रभावित करता है। (2) जो एक उचित आश्वासन प्रदान करता है कि साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिए आवश्यकतानुसार लेनदेन रिर्कोर्ड किया जाता है और कंपनी के प्राप्तियों और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन

और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किया जा रहा है, और (3) जो कंपनी की परिसंपत्तियों के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग या निपटान के निरोध या यथासमय खोज से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करता है, जो वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है ।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

होल्लिंडिंग कंपनी और इसके नियंत्रित कंपनी जो भारत में निगमित किया है, के संबंधित निदेशक मंडल, भारतीय सनदी लेखाकारों के संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट में बताए आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए संबंधित कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है । इन उत्तरदायित्वों में, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षितानुसार, संबंधी कंपनी की नीतियों का अनुपालन, अपनी परिसंपत्तियों को सुरक्षित करना, धोखाधड़ी और त्रुटियों का निरोध और खोज, लेखांकन अभिलेख की सटीकता और संपूर्णता और यथार्थ वित्तीय सूचना के सामयिक तैयारी सहित अपने व्यापार के व्यवस्थित और प्रभावी आयोजन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है ।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर ग़ूप के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है । हमने दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के लिए लागू, और दोनों भारत के सनदी लेखाकार के संस्थान द्वारा जारी और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अधीन निर्धारित समझे अनुसार और आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों और वित्तीय रिपोर्टिंग ("दिशानिर्देश नोट") के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा की है । मानकों और दिशानिर्देश नोट यह अपेक्षा करता है कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया है और ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी प्रचालित किया है, के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन तथा नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है ।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता और उनके प्रचालन प्रभावशीलता के संबंध में लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए निष्पादित प्रक्रियाएं शामिल हैं । वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की एक समझ प्राप्त करना,

एक महत्वपूर्ण कमी जो मौजूद है के जोखिम के मूल्यांकन करना और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल किया है । चुनी हुई प्रक्रियाएं, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था विवरण के जोखिमों के मूल्यांकन सहित, लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर है ।

हम विश्वास करते हैं कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण और नीचे अन्य मामले पैरा में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के अनुसार अन्य लेखापरीक्षक द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर होल्लिंडिंग कंपनी और इसके सहायक कंपनी जो भारत में निगमित किया है, के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित है ।

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंतर्निहित परिसीमन

अभिसंधि की संभावना या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन उल्लंघन सहित, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंतर्निहित परिसीमन के कारण, कपट या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था विवरण घटित हो सकता है और पता नहीं लगाया है । भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन के अनुमान भी जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त बन जाएगा, या नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन के स्तर बिगड़ जाएगा ।

अन्य मामले

जहां तक सहायक कंपनी, जो भारत में निगमित किया है, के संबंध में, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के पर्याप्तता और प्रचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(त) के अधीन हमारे उपर्युक्त रिपोर्ट उस कंपनी के लेखापरीक्षक की संबंधित रिपोर्ट के आधार पर है ।

हमारी राय इस मामले के संबंध में संशोधित नहीं है ।

कृते एलियास जॉर्ज एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.00801एस

रंजित मैथ्यूस पी
साझेदार

कोच्ची
जून 20, 2020

सदस्यता सं: 205377
यूडीआईएन : 20205377AAAADJ5804

दि. 31 मार्च 2020 का समेकित तुलन पत्र

(₹ लाखों में)

व्योरा	टिप्पणी सं.	31.03.2020 को	31.03.2019 को
परिसंपत्तियां			
अप्रचलित परिसंपत्तियां			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	3	70,047.69	31,323.59
(ख) पंचीगत प्रगतिशील कार्य	4	79,925.40	34,237.06
(ग) अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां	5	6,313.91	6,279.38
(घ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश	6	9.18	9.18
(ii) ऋण	7	108.55	129.01
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	8	864.50	-
(ङ) आयकर परिसंपत्तियां (निवल)	9	6,025.42	5,727.71
(च) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	10	4,698.58	6,634.76
(छ) अन्य अप्रचलित परिसंपत्तियां	11	29,769.41	28,483.24
कुल अप्रचलित परिसंपत्तियां		197,762.64	112,823.93
चालू परिसंपत्तियां			
(क) मालसूची	12	31,341.31	28,336.71
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश	13	28,823.21	39,233.68
(ii) प्राप्य व्यापार	14	86,682.14	102,066.77
(iii) नकद व नकद तुल्यांक	15	132,840.27	155,657.48
(iv) उपर्युक्त(iii) को छोड़कर बैंक शेष	16	30.97	39.21
(v) ऋण	17	3,145.35	23,281.45
(ग) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	9	44.52	21.24
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	18	160,002.12	63,149.20
कुल चालू परिसंपत्तियां		442,909.89	411,785.74
कुल परिसंपत्तियां		640,672.53	524,609.67
इक्विटी और देयताएं			
इक्विटी :			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	19	13,154.04	13,154.04
(ख) अन्य इक्विटी	20	359,134.31	319,710.00
मालिकों के लिए जिम्मेदार इक्विटी		372,288.35	332,864.04
(ग) गैर नियंत्रित ब्याज		-	527.73
कुल इक्विटी		372,288.35	333,391.77
देयताएं:			
अप्रचलित देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार राशियां	21	12,300.00	12,300.00
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	22	37,586.91	261.22
(ख) प्रावधान	23	2,872.20	2,428.71
(ग) अन्य अप्रचलित देयताएं	24	11.45	12.59
कुल अप्रचलित देयताएं		52,770.56	15,002.52
चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) व्यापार देय			
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के लिए कुल बकाया राशि	25	686.52	725.36
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम को छोड़कर लेनदारों के कुल बकाया राशि		41,185.27	33,933.75
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	26	17,801.48	13,019.78
(ख) अन्य चालू देयताएं	27	116,098.27	86,353.81
(ग) प्रावधान	28	38,686.63	36,932.42
(घ) चालू कर देयताएं (निवल)	9	1,155.45	5,250.26
कुल चालू देयताएं		215,613.62	176,215.38
कुल इक्विटी और देयताएं		640,672.53	524,609.67

निगमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1-2

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

3-58

इसके साथ की टिप्पणियां वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग हैं।

निदेशक बोर्ड के लिए और की ओर से

श्यामकमल एन
कंपनी सचिव
स.सं. - ए25337

सुरेश बाबु एन वी
निदेशक (प्रचालन)
डीआईएन- 07482491

जोस वी जे
निदेशक (वित्त) व
मुख्य वित्तीय अधिकारी
डीआईएन- 08444440

मधु एस नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन- 07376798

कोच्ची, दिनांक 20 जून 2020

संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स एलियास जॉर्ज व कंपनी

सनदी लेखाकार

(फर्म पंजीकरण सं.000801एस)

रंजित मैथ्यूस पी

साझेदार

(सदस्यता सं. 205377)

कोच्ची, दिनांक 20 जून 2020

दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि का समेकित विवरण

(₹ लाखों में)

व्योरा	टिप्पणी सं.	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
I आय			
प्रचालनों से आय	29	342249.39	296560.33
अन्य आय	30	24508.13	22598.35
कुल आय		366757.52	319158.68
II व्यय			
उपभुक्त सामग्रियों का मूल्य	31	179599.82	150429.02
उप ठेका और अन्य प्रत्यक्ष व्यय	32	36556.98	37998.73
कर्मचारियों के भत्ताओं के लिए व्यय	33	30591.03	27755.65
वित्तीय मूल्य	34	4492.41	1430.11
मूल्यहास और ऋणमुक्त व्यय	35	4893.89	3419.86
अन्य व्यय	36	16259.61	16148.74
प्रत्याशित हानि तथा व्यय के लिए प्रावधान	37	8591.78	7225.04
कुल व्यय		280985.52	244407.15
III कर पूर्व लाभ		85772.00	74751.53
IV कर व्यय:			
(1) चालू कर	9	20634.83	29024.73
(2) आस्थगित कर	9	1936.18	(2051.97)
V वर्ष का लाभ		63200.99	47778.77
VI अन्य ब्योरेदार आय			
(क) मदें जो लाभ या हानि के सामने पुनः वर्गीकृत किए जाएंगे			
i) निर्धारित कर्मचारी के लाभ दायित्वों का पुनः मापन		(797.60)	(300.01)
ii) मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के सामने पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		200.76	104.84
वर्ष के लिए अन्य ब्योरेदार आय		(596.84)	(195.17)
VII अवधि के लिए कुल अन्य ब्योरेदार आय (अवधि के लिए लाभ और अन्य ब्योरेदार आय शामिल है)		62604.15	47583.60
लाभ के लिए जिम्मेदार:			
कंपनी के मालिक		63200.99	47813.40
अनियंत्रित ब्याज		0.00	(34.63)
वर्ष का लाभ		63200.99	47778.77
अन्य व्यापक आय के लिए जिम्मेदार			
कंपनी के मालिक		(596.84)	(195.17)
अनियंत्रित ब्याज		0.00	0.00
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय		(596.84)	(195.17)
कुल व्यापक आय			
कंपनी के मालिक		62604.15	47618.23
अनियंत्रित ब्याज		0.00	(34.63)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		62604.15	47583.60
VIII प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 10):	38		
(1) मूल (₹ में)		48.05	35.47
(2) तनुकृत (₹ में)		48.05	35.47

निगमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां
इसके साथ की टिप्पणियां वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग हैं।
निदेशक बोर्ड के लिए और को और से

1-2
3-61

श्यामकमल एन
कंपनी सचिव
स.सं. — ए25337

सुरेश बाबु एन वी
निदेशक (प्रचालन)
डीआईएन- 07482491

जोस वी जे
निदेशक (वित्त) व
मुख्य वित्तीय अधिकारी
डीआईएन- 08444440

मधु एस नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन- 07376798

कोच्ची, दिनांक 20 जून 2020
संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स एलियास जॉर्ज व कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं.000801एस)

रंजित मेथ्यूस पी
साझेदार
(सदस्यता सं. 205377)
कोच्ची, दिनांक 20 जून 2020

दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाखों में)

01.04.2019 को	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2020 को
13,154.04	(0.00)	13,154.04
01.04.2018 को	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2019 को
13,593.60	(439.56)	13,154.04

ख. अन्य इक्विटी

	आरक्षण व अधिशेष								कुल अन्य इक्विटी
	पूँजी आरक्षण	प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षण	सामान्य आरक्षण	प्रतिधारित कमाई	पूँजी मोचन आरक्षण	ऋण मोचन आरक्षण	मूल कंपनी के कुल आरोग्य राशि	एनसीआई के लिए आरोग्य राशि	
01 अप्रैल 2019 को शेष	263.56	93152.45	6322.75	206093.22	12353.76	1524.27	319710.00	527.73	320237.73
वर्ष का लाभ				63200.99			63200.99	0.00	63200.99
वर्ष के अन्य व्यापक आय				(596.84)			(596.84)	0.00	(596.84)
वर्ष के कुल व्यापक आय				62604.15			62604.15	0.00	62604.15
लाभांश (कर सहित)				(23200.10)			(23200.10)		(23200.10)
प्रतिधारित कमाई से अंतरण				(144.17)		144.17	0.00		0.00
प्रीमियम की ऋणमुक्ति		(0.12)					(0.12)		(0.12)
स्टैंप शुल्क				(1.27)			(1.27)		(1.27)
प्रतिधारित कमाई की ओर एनसीआई का अंतरण				21.65			21.65	(21.65)	0.00
एनसीआई का अधिग्रहण							0.00	(506.08)	(506.08)
31 मार्च 2020 को शेष	263.56	93152.33	6322.75	245373.48	12353.76	1668.44	359112.67	0.00	359134.31
अधिक जानकारी के लिए नोट 20 देखें।									
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में बहाल शेष	263.56	93152.56	6322.75	199064.70	11914.20	1235.94	311953.71	562.36	312516.07
वर्ष का लाभ				47813.40			47813.40	(34.63)	47778.77
वर्ष के अन्य व्यापक आय				(195.17)			(195.17)	0.00	(195.17)
वर्ष के कुल व्यापक आय				47618.23			47618.23	(34.63)	47583.60
लाभांश (कर सहित)				(19633.12)			(19633.12)		(19633.12)
प्रतिधारित कमाई से अंतरण				(288.33)		288.33	0.00		0.00
शेयरों की वापसी खरीद				(20000.02)	439.56		(19560.46)		(19560.46)
शेयरों की वापसी खरीद पर लेन-देन की लागत				(225.78)			(225.78)		(225.78)
प्रीमियम की ऋणमुक्ति		(0.12)					(0.12)		(0.12)
संक्रमण समायोजन				(442.46)			(442.46)		(442.46)
31 मार्च 2019 को शेष	263.56	93152.45	6322.75	206093.22	12353.76	1524.27	319710.00	527.73	320237.73

निगमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

इसके साथ की टिप्पणियां वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग हैं।

निदेशक बोर्ड के लिए और की ओर से

1-2

3-61

श्यामकमल एन
कंपनी सचिव
स.सं. — ए25337

सुरेश वावु एन वी
निदेशक (प्रचालन)
डीआईएन- 07482491

जोस वी जे
निदेशक (वित्त) व
मुख्य वित्तीय अधिकारी
डीआईएन- 08444440

मधु एस नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन- 07376798

कोच्ची, दिनांक 20 जून 2020

संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स एलियास जॉर्ज व कंपनी

सनदी लेखाकार

(फर्म पंजीकरण सं.000801एस)

रंजित मैथ्यूस पी

साझेदार

(सदस्यता सं. 205377)

कोच्ची, दिनांक 20 जून 2020

दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए रोकड प्रवाह समेकित विवरण

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
क. प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
कर पूर्व लाभ	85,772.00	74,751.53
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
मूल्यहास एवं ऋण परिशोधन	4,893.89	3,419.86
ब्याज व्यय	4,492.41	1,430.12
ब्याज आय	(16,497.02)	(18,514.32)
किराया आय	(64.46)	(58.97)
लाभांश आय	(0.89)	(163.34)
संपत्ति संयंत्र और उपस्कर की बिक्री/ बड़े खाते में डालने पर हानि	1.87	16.09
निवेशों की बिक्री पर लाभ	(235.30)	(711.52)
सरकार की सहायता से प्राप्त आय	(1.14)	(1.14)
विदेशी मुद्रा विनियमों पर निवल हानि/(लाभ)	-	-
व्युत्पन्न अनुबंध पर अवास्तविक नुकसान/ (लाभ) (निवल)	-	-
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर निवल (लाभ)/हानि	502.01	(88.65)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन पूर्व प्रचालन नकद प्रवाह	78,863.37	60,079.66
कार्यशील पूंजी में चलन :		
मालसूचियों में वृद्धि / घटती	(3,214.86)	685.01
व्यापार, अन्य प्रायों और परिसंपत्तियों में वृद्धि / (घटती)	(69,414.09)	(45,344.84)
व्यापार और अन्य देयों में वृद्धि / (घटती)	37,119.91	(40,495.41)
	43,354.33	(25,075.58)
प्रदत्त आयकर वापसी निवल	(18,088.36)	(20,063.00)
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (क)	25,265.97	(45,138.58)
ख. निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों की खरीद	(3,796.53)	(5,773.69)
पूंजीगत काम की प्रगति में (वृद्धि)/ कमी	(45,688.34)	(22,906.76)
तीन महीने के ऊपर परिपक्वता में सावधी जमे में वृद्धि/(कमी)	22,817.20	114,182.71
म्यूचुवल निधियों में निवेश	(66,800.00)	(238,184.87)
म्यूचुवल निधियों का मोचन	66,800.00	238,185.03
निवेश पर लेनदेन की लागत	(1.27)	-
किराया पट्टा		(1.00)
प्राप्त लाभांश	0.89	163.34
निवेशों की बिक्री पर लाभ	235.30	711.52
गैर-नियंत्रित ब्याजों के शेयरों का अधिग्रहण	(506.08)	
संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों की बिक्री या वापसी	0.66	0.39
प्राप्त ब्याज	17,133.11	20,952.31
प्राप्त किराया	64.46	58.97
निवेशों गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह (ख)	(9,740.60)	107,387.95

ब्योरा	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
ग. वित्तीय गतिविधियों से निवल नकद		
शेयरों की वापसी खरीद	0.00	(20000.02)
शेयरों की वापसी खरीद का लेनदेन लागत	0.00	(225.78)
कर्मचारियों द्वारा ऋणों का उधार/पुनर्भुगतान	28.72	16.60
पट्टा देनदारी की चुकौती	(2,388.81)	
विदेशी मुद्रा के लेन- देन पर हानि/ (लाभ)	(857.28)	124.38
प्रदत्त लाभांश	(19,244.36)	(16,312.32)
प्रदत्त लाभांश वितरण कर	(3,955.74)	(3,320.80)
प्रदत्त ब्याज	(4,492.53)	(1,163.29)
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह (ग)	(30,910.00)	(40,881.23)
घ. नकद व नकद तुल्यांको में निवल वृद्धि (क)+(ख)+(ग)	(15,384.63)	21,368.14

ब्योरा	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में नकद और नकद तुल्यांक	102,066.77	80,698.63
वर्ष के अंत में नकद और नकद तुल्यांक	86,682.14	102,066.77

निगमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1-2

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

3-57

इसके साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग हैं।

निदेशक बोर्ड के लिए और की ओर से

श्यामकमल एन
कंपनी सचिव
स.सं. — ए25337

सुरेश बाबु एन वी
निदेशक (प्रचालन)
डीआईएन- 07482491

जोस वी जे
निदेशक (वित्त) व
मुख्य वित्तीय अधिकारी
डीआईएन- 08444440

मधु एस नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन- 07376798

कोच्ची, दिनांक 20 जून 2020

संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स एलियास जॉर्ज व कंपनी

सनदी लेखाकार

(फर्म पंजीकरण सं.000801एस)

रंजित मैथ्यूस पी

साझेदार

(सदस्यता सं. 205377)

कोच्ची, दिनांक 20 जून 2020

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

1. निगमित समीक्षा और मुख्य लेखाकरण नीतियाँ

1.1. निगमित जानकारी

1.2. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (“सीएसएल” या “कंपनी”) के रूप में संदर्भित) मुख्यतः जहाजों के निर्माण और मरम्मत और जहाजों के आवधिक परत और जहाजों के जीवन विस्तार के उन्नयन सहित सभी प्रकार के जहाजों की मरम्मत और रिफिट के निर्माण में लगा हुआ है।

ग्रूप एक सार्वजनिक लिमिटेड ग्रूप है जो भारत में शामिल और स्थित है। निगमित कार्यालय का पता पैरुमानूर, कोच्ची, केरल है। दिनांक 31 मार्च 2020 को, भारत सरकार कंपनी की 72.86% इक्विटी शेयर पूंजी का हिस्सा रखता है। ग्रूप की इक्विटी शेयर व्यापार के लिए एनएसई लिमिटेड और भारत के बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध है और बीएसई लिमिटेड पर व्यापार के लिए कर मुक्त बॉन्ड में सूचीबद्ध है।

समेकित वित्तीय विवरण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (मूल ग्रूप) और इसके नियंत्रित कंपनी, हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड से संबंधित है। नियंत्रित ग्रूप अक्टूबर 23, 2017 को निगमित किया गया और सभी प्रकार के वेसलों के निर्माण कारोबार में मुख्य रूप से लगे रहने के लिए प्रस्तावित है।

ग्रूप और इसके नियंत्रित कंपनी एक साथ “ग्रूप” के रूप में संदर्भित है।

दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया और दिनांक 20 जून 2020 को जारी करने के लिए अधिकृत किया गया।

2. मुख्य लेखाकरण नीतियाँ

2.1 अनुपालन का विवरण

इन वित्तीय विवरणों को समय-समय पर संशोधित कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पढ़ी गई कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक (जिसे ‘इन्ड एएस’ कहा जाता है।) के अनुसार और भारत में आमतौर पर स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है।

2.2 वित्तीय विवरणों की तैयारी का आधार

कुछ वित्तीय साधनों जो प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्यों पर मापा जाता है, को छोड़कर ये वित्तीय विवरण

निम्नलिखित लेखाकरण नीतियों में बताए अनुसार ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं। ऐतिहासिक लागत सामान्य रूप से माल और सेवाओं के बदले में दिए गए विचार के उचित मूल्य पर आधारित है। उचित मूल्य एक ऐसी कीमत है जिसे किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाता है या मापन की तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को हस्तांतरित करने के लिए दिया जाता है।

2.2.1 समेकित वित्तीय विवरणों का समेकन का आधार

नियंत्रित कंपनियाँ ऐसी संस्थाएँ हैं जिनपर ग्रूप का नियंत्रण होता है। ग्रूप एक इकाई को नियंत्रित करता है जब ग्रूप का खुलासा होता है, या अधिकार के साथ इसकी भागीदारी से वर्तनीय रिटर्न का अधिकार होता है और इकाई की प्रसंगिक गतिविधियों को निर्देशित करने के लिए अपनी शक्ति के माध्यम से उन रिटर्न को प्रभावित करने की क्षमता होती है। नियंत्रित कंपनियाँ, तिथि से पूर्ण रूप से समेकित है, जब तक नियंत्रण समाप्त हो जाने की तिथि तक, ग्रूप को नियंत्रण अंतरित किया जाता है।

ग्रूप मूल कंपनी एवं उसकी नियंत्रित कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरणों को परिसंपत्तियों, देयताओं, इक्विटी, आय और खर्च के जैसे मदों को एकसाथ जोड़ते हुए श्रेणी वार आधार पर समेकित करता है। ग्रूप कंपनियों के बीच अंतर कंपनी लेनदेन, शेष और लेनदेन पर अवास्तविक लाभ हटा दिया जाता है। अवास्तविक नुकसान तब तक समाप्त हो जाते हैं जब तक कि लेनदेन स्थानांतरित संपत्ति की हानि का सबूत प्रदान न करें। ग्रूप द्वारा अपनाई गई नीतियों के साथ नियंत्रित कंपनियों की लेखांकन नीतियाँ बदल दी गई हैं।

नियंत्रित कंपनियों के इक्विटी और परिणामों में गैर-नियंत्रित ब्याजों को लाभ एवं हानि के समेकित विवरण, इक्विटी में परिवर्तन के समेकित विवरण और समेकित तुलन पत्र में अलग रूप से दर्शाया गया है। नियंत्रित कंपनी को अक्टूबर, 2017 में निगमित किया गया।

2.3 अनुमानित खर्चों और निर्णयों का उपयोग

इन्ड ए एस के अनुरूप में वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को लेखा नीतियों के प्रयोग को प्रभावित करने और वित्तीय विवरणों की तिथि पर परिसंपत्तियों, देयताओं और प्रकटीकरण

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

रिपोर्ट की गई राशियाँ और प्रस्तुत की गई वर्षों के लिए राजस्व एवं खर्चों की रिपोर्ट की गई राशियों का निर्णय, आकलन और अनुमान बनाने की आवश्यकता हैं। आकलनों और संबद्ध अनुमानों ऐतिहासिक अनुभव और अन्य घटकों पर आधारित हैं जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम विभिन्न अनुमानों और शर्तों के अधीन इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

आकलनों और अंतर्निहित अनुमानों की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। अगर संशोधन केवल उस अवधि को प्रभावित करता है या संशोधन की अवधि में और भविष्य की अवधियों में यदि संशोधन दोनों वर्तमान या भविष्य अवधियों को प्रभावित करता है, आकलन संशोधित जिस अवधि, में लेखाकरण आकलनों के लिए संशोधन मान्य किया जाता है।

2.4 समीक्षात्मक लेखांकन आकलन और निर्णय:

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का प्रयोग जो जटिल लेखांकन अनुमानों की आवश्यकता होती है जिसमें जटिल और व्यक्तिपरक निर्णय शामिल होते हैं और वित्तीय विवरणों में अनुमानों का उपयोग नीचे दिया गया है:

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की उपयोगी सक्रियता

ग्रूप प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संपत्ति की उपयोगी सक्रियता और बकाया मूल्यों की समीक्षा करती है। अनुमान भी बनाई जाती है कि क्या कोई वस्तु परिसंपत्ति के विवरण को पूरा करती है ताकि वह अपने पूंजीकरण के लिए गारंटी देता है और परिसंपत्ति के कौन सा घटक पूंजीकृत हो। जीवन के पुनर्मूल्यांकन भविष्य अवधियों में मूल्यहास व्ययों में परिवर्तन में परिणत हो सकता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों / देयता का मूल्यांकन

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्थगित कर परिसंपत्तियों की बकाया राशि की समीक्षा करती है। आस्थगित कर वस्तुओं के तत्त्वों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है

पट्टा

ग्रूप मूल्यांकन करता है कि क्या कोई व्यवस्था भारतीय लेखा मानक 116 की आवश्यकताओं के अनुसार एक पट्टा होने के योग्य है। पट्टे की पहचान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। ग्रूप पट्टे अवधिक (प्रत्याशित नवीनीकरण

सहित) और लागू छूट दर का आकलन करने में महत्वपूर्ण निर्णयों का उपयोग करता है।

वित्त पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में पट्टे की व्यवस्था का वर्गीकरण कई कारकों, लेकिन इस हद तक सीमित नहीं है, जैसे कि पट्टे की अवधि के अंत में पट्टे पर दी गई संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण, पट्टेदार के खरीद का विकल्प और इस तरह के विकल्प की निश्चितता का अनुमान, संपत्ति के आर्थिक जीवन के लिए पट्टे की अवधि का अनुपात, पट्टे की संपत्ति के उचित मूल्य के लिए न्यूनतम पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य का अनुपात और पट्टे की संपत्ति की विशेष प्रकृति की सीमा के मूल्यांकन पर आधारित है।

अनकोटेड निवेशों की हानि

कंपनी हर साल अपने निवेशों के बकाया मूल्य की समीक्षा करती है या जब हानि की ओर संकेत होता है अधिक प्रायः। अगर वसूली योग्य राशि उसके बकाया राशि से कम है, तो हानि की गणना करती है।

प्रावधानों की मान्यता और मापन

प्रावधानों की मान्यता और मापन संसाधनों के बहिर्वाह की संभाव्यता के निर्धारण और पिछले अनुभव तथा तुलन पत्र तिथि में ज्ञात परिस्थितियों पर आधारित है। भविष्य की एक तिथि में संसाधनों के वास्तविक बहिर्वाह प्रावधानों में शामिल आंकड़ा से भिन्न हो सकता है।

गारंटी मरम्मतों की ओर प्रावधान

गारंटी मरम्मत/ नए निर्मित पोतों/ सुपुर्द किए गए छोटे यानों और मरम्मत किए गए पोतों के संबंध में दावाओं की ओर कंपनी द्वारा किए गए तकनीकी आकलन के आधार पर एक प्रावधान किया गया है। पोत स्वामियों से प्राप्त गारंटी दावाएं वही के निपटान तक प्रत्येक वर्ष में समीक्षा की जाती है। पहले किए गए प्रावधान में कमी के मामले में, अतिरिक्त प्रावधान किया जाता है।

आकस्मिकताएं और प्रतिबद्धताएं

एक आकस्मिक देयता संभाव्य दायित्व है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है जिसका अस्तित्व एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं की घटना या गैर घटना जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है या वर्तमान दायित्व जिसे मान्यता

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नहीं है क्योंकि यह संभव नहीं है कि संसाधनों का बहिर्वाह दायित्व को सुलझाने आवश्यक होगा या इसे पर्याप्त विश्वसनीयता से नहीं मापा जा सकता है, द्वारा पुष्टि की जाएगी। कंपनी आकस्मिक देयता को पहचान नहीं पाती है लेकिन वित्तीय विवरणों में इसका अस्तित्व प्रकट करती है।

अग्रिमों / प्राप्तियों की वसूली योग्यता

कंपनी व्यापार और अन्य प्रायों की वसूली के आकलन के आधार पर प्रत्याशित क्रेडिट हानि के लिए प्रावधान किया जाता है। संदिग्ध ऋणों के पहचान के लिए निर्णय और आकलनों का उपयोग आवश्यक है। जहाँ अनुमान वास्तविक आकलनों से भिन्न है ऐसी भिन्नता परिवर्तित की गई जिस अवधि में ऐसे आकलन व्यापार और अन्य प्रायों तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के कारण व्ययों के कैरिंग मूल्य को प्रभावित किया जाएगा। प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर, प्रत्याशित जीवन पर अवलोकन किए ऐतिहासिक डिफॉल्ट दरों के आधार पर, प्रबंधन बकाया प्रायों और अग्रिमों पर प्रत्याशित क्रेडिट हानि का आकलन करता है।

उचित मूल्य मापन

प्रबंधन वित्तीय उपकरणों के उचित मूल्य (जहाँ सक्रिय बाजार उद्धरण उपलब्ध नहीं है) और गैर वित्तीय संपत्तियों के निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करता है। बाजार प्रतिभागियों उपकरण का दाम कैसे लगाएगा के साथ संगत विकासोन्मुख अनुमान और धारणाएं इसमें शामिल है। प्रबंधन अपने धारणाओं के लिए यथासंभव प्रत्यक्ष डेटा को आधार बनाता है लेकिन यह हमेशा उपलब्ध नहीं होता है। उस स्थिति में प्रबंधन उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी का उपयोग करता है। अनुमानित उचित मूल्य वास्तविक कीमतों से भिन्न हो सकता है जो रिपोर्टिंग तिथि पर एक हाथ की लंबाई लेनदेन में हासिल किए जाएंगे।

मालसूचियों के लिए प्रावधान

प्रबंधन आवधिक आधार पर मालसूची समय सूचीकरण की समीक्षा करती है। इस समीक्षा में अग्रिम मालसूची मदों के कैरिंग मूल्य के साथ संबंधित निवल वसूली मूल्य की तुलना शामिल है। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या वित्तीय विवरणों में किसी भी अप्रचलित और धीमी गति से चलती वस्तुओं के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता है या नहीं और वित्तीय विवरणों में अप्रचलित और धीमी गति से चलती मालसूचियों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है या नहीं।

परिनिर्धारित क्षति

कंपनी की परिनिर्धारित क्षतियों के सामने दावाएं वित्तीय विवरणों में समान लेनदेनों के अनुभव द्वारा पूर्ति की गई उपलब्ध जानकारी के संदर्भ में संभावित परिणाम के, प्रबंधन के मूल्यांकन के आधार पर वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाती है। परिनिर्धारित क्षतियों के संबंध में सुपुर्दगी अनुसूची के अनुसार मालों की आपूर्ति की नियत तिथि और उक्त मालों की सुपुर्दगी की प्रत्याशित तिथि के बीच देरी की अवधि के लिए एक प्रावधान मान्यता दी जाती है।

राजस्व मान्यता

कंपनी ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व की मान्यता के लिए समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्वों की प्रगति को मापने में महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। ठेकों के अपूर्ण भाग पर अनुमानित हानियों के लिए इस अवधि में यदि कोई प्रावधान किया गया है जिसमें ऐसी हानियां रिपोर्टिंग तिथि पर अनुमानित ठेका अनुमानों के आधार पर संभाव्य हो जाता है। समान लेनदेन के अनुभव द्वारा पूरक उपलब्ध जानकारी के संदर्भ में संभावित परिणाम के प्रबंधन के आकलन के आधार, कंपनी के खिलाफ परिसमाप्त नुकसान के दावे को मान्यता दी जाती है।

निर्धारित लाभ दायित्वों की मान्यता और मापन

निर्धारित लाभ योजना से उत्पन्न होनेवाले दायित्व बीमाकिक पूर्वानुमानों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। मुख्य बीमाकिक पूर्वानुमानों में छूट की दर, वेतन वृद्धि का प्रचलन और निहित भविष्य लाभ और जीवन प्रत्याशा शामिल है। सरकारी बॉन्ड पर छूट की दर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार आय के संदर्भ में निर्धारित की जाती है। अंतर्निहित बॉन्ड की परिपक्वता अवधि रोजगार बाद लाभ दायित्वों की संभाव्य परिपक्वता के अनुरूप है।

2.5 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

कंपनी ने संक्रमण तिथि यानी 01 अप्रैल 2015 को कैरिंग लागत को भारतीय लेखाकरण मानक के तहत अनुमानित लागत के रूप में विचार करने से एक बार संक्रमण छूट के लिए आवेदन किया था। इसलिए इसके बाद ऐतिहासिक लागत के रूप में माना जाता है।

पी पी ई निः शुल्क संचित मूल्यहास (पूर्ण स्वामित्व भूमि जो लागत में स्पष्ट किए को छोड़कर) और नुकसान यदि कोई है में

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

स्पष्ट किया है। पी पी ई शुरू में लागत पर मान्य किया जाता है। पी पी ई की प्रारंभिक लागत में इसकी खरीद मूल्य और किसी व्यापार छूट तथा कटौतियों के निवल गैर वापसी योग्य शुल्क और कर सहित प्रबंधन द्वारा नियत तरीके में संचालन के लिए सक्षम बनाने हेतु परिसंपत्ति को स्थान में लाने और आवश्यक स्थिति में लाने के लिए होनेवाले प्रत्यक्ष रूप से आपोष्य किसी लागत शामिल है। पी पी ई की लागत में प्रारंभिक स्वीकृति तक (योग्य परिसंपत्तियों के निर्माण या उत्पादन, अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य उधार लागत) कर्जों पर ब्याज भी शामिल है।

इसके बाद की लागतों को परिसंपत्ति के कैरियिंग मूल्य में शामिल किया है या उचित रूप से एक अलग परिसंपत्ति के रूप में स्वीकृत किया है। केवल जब यह संभाव्य है कि मद से संबंधित भविष्य आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होगा और मदों की लागत वस्तुगत है और विश्वासनीय ढंग से मापा जा सकता है। एक अलग परिसंपत्ति के रूप में गणना की गई किसी घटक की कैरियिंग राशि जब उसे प्रतिस्थापित करते समय अस्वीकृत किया जाता है। सभी अन्य मरम्मत और अनुरक्षण रिपोर्टिंग अवधि जिसमें वह खर्च किए जाते हैं, के दौरान लाभ व हानि के विवरण में प्रभावित किया है।

2.6 प्रगतिशील पूंजी कार्य और विकासाधीन अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां:

प्रगतिशील पूंजी कार्य और विकासाधीन अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां संपत्ति, संयंत्र और उपकरण हैं जो रिपोर्टिंग तिथि पर उनके नियत उपयोग के लिए अभी तक तैयार नहीं हैं जो लागत पर लाई जाती है, जिसमें प्रत्यक्ष लागत, संबंधित प्रासंगिक आकस्मिक खर्च और आरोप्य उद्धार लागत शामिल है।

2.7 अमूर्त परिसंपत्ति

डिजाइन विकास: डिजाइन विकास के लिए किए गए खर्च जो उत्पाद पर सीधे आदेश नहीं किया है, वह अगोचर परिसंपत्ति के रूप में छपाया है और 5 वर्ष की अवधि के लिए सीधी लाइन आधार ऋण परिशोधित है।

सॉफ्टवेयर: सॉफ्टवेयर का मूल्य जो आंतरिक उपयोग के लिए उपाजित संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न भाग है, अगोचर परिसंपत्ति के रूप में पूंजीगत किया है और 3 वर्ष की अवधि के लिए सीधी लाइन आधार पर ऋण परिशोधित है।

उपयोग के लिए अधिकार: भूमि और अन्य सुविधाओं के प्रयोग के लिए अधिकार हासिल करने हेतु पहले ही प्रदत्त शुल्क को अगोचर परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया जाता है और अवधि में एक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया है, जिसके लिए अधिकार प्राप्त किया गया है।

आंतरिक रूप से प्रजनित प्रक्रिया : भीतरी तौर पर उत्पन्न किए गए सॉफ्टवेयर की लागत अगोचर परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत और तीन साल की अवधि के परे एक सीधी लाइन के आधार पर ऋण परिशोधन किया है।

शेष मूल्यों, उपयोगी जीवन और अमूर्त संपत्तियों के परिशोधन के तरीकों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

2.8 पट्टे

भारतीय लेखा मानक (भारतीय लेखा मानक 116) 'पट्टे' दिनांक अप्रैल 01, 2019 से प्रभावी हो गए और ग्रूप ने संशोधित पूर्वव्यापी संक्रमण पद्धति का उपयोग करके इसे अपनाया है, जहां प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर पट्टा देयता को शेष पट्टे भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है और सही उपयोग की परिसंपत्तियों को शुरू में लागत पर मान्यता प्राप्त है, जिसमें पट्टे की देय राशि की प्रारंभिक राशि शामिल होती है जो पट्टे की आरंभ तिथि से पहले या उससे पहले किए गए पट्टे के भुगतान के लिए समायोजित की जाती है और किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत में किसी भी पट्टे पर प्रोत्साहन कम होता है। तदनुसार, तुलनाओं को पूर्वव्यापी रूप से समायोजित नहीं किया गया है।

पट्टेदार के रूप में :

ग्रूप की पट्टे परिसंपत्ति वर्ग में मुख्य रूप से भूमि और भवनों के पट्टे शामिल हैं। ग्रूप इस बात का अकलन करती है कि क्या अनुबंध की शुरुआत में एक अनुबंध पट्टा है या इसमें पट्टा शामिल है। एक अनुबंध पट्टा है, या इसमें पट्टा शामिल है, यदि अनुबंध विचार के लिए बदले में समय की अवधि के लिए किसी पहचाने गए परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। क्या अनुबंध किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, इसका आकलन करने के लिए, कंपनी यह आकलन करती है कि : (I) अनुबंध में किसी पहचान की गई संपत्ति का उपयोग शामिल है, (II) ग्रूप

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

के पास पट्टे की अवधि के माध्यम से परिसंपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ काफी हैं और (III) ग्रुप के पास संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

पट्टा शुरू होने की तारीख में, ग्रुप एक पट्टा देनदारी और सभी पट्टा व्यवस्था के लिए एक संगत राइट-टु-यूज परिसंपत्ति को मान्यता देती है, जिसमें यह पट्टेदार होता है, सिवाय बारह महीने या उससे कम अवधि (कम अवधि के पट्टे) वाले पट्टे को छोड़कर और कम मूल्य की संपत्ति के पट्टे। इन अल्पावधि और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टे के लिए कंपनी पट्टे भुगतान को सीधे आधार पर या पट्टे की अवधि के दौरान किसी अन्य व्यवस्थित आधार पर परिचालन व्यय के रूप में पहचानती है। उपयोग में आनेवाली परिसंपत्तियों को शुरू में लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें पट्टे के भुगतान की प्रारंभिक राशि पट्टे भुगतान के लिए या उससे पहले पट्टे भुगतान के लिए समायोजित की जाती है, साथ ही किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत में कोई पट्टा प्रोत्साहन कम होता है। वे बाद में लागत कम संचित मूल्यहास और हानि पर मापा जाता है, यदि कोई हो। उपयोग की जानेवाली परिसंपत्तियों को पट्टे अवधि और अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के छोटे से अधिक सीधी रेखा के आधार पर प्रारंभ तिथि से मूल्यहास किया जाता है। पट्टा देयता को शुरू में भविष्य के पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। पट्टे के भुगतानों को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है या यदि वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करके आसानी से निर्धारित नहीं किया जाता है। पट्टा देयता को बाद में पट्टा देयता पर ब्याज को प्रतिबिंबित करने के लिए ले जाने की मात्रा में वृद्धि करके और ली गई भुगतानों को प्रतिबिंबित करने के लिए ले जाने की मात्रा को कम करके पुनः भुगतान किया जाता है। एक पट्टा देयता को कुछ घटनाओं की घटना जैसे कि पट्टा अवधि में बदलाव या पट्टे के भुगतान को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए गए सूचकांक या दर में बदलाव के आधार पर पुनः मापा जाता है। पुनःमापन में आम तौर पर पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों को भी समायोजित करता है। पट्टा देनदारी और आरओयू परिसंपत्ति की अलग-अलग तुलन पत्र में प्रस्तुत किया गया है और पट्टे के भुगतान को नकदी प्रवाही के वित्तपोषण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

एक पट्टेदार के रूप में

पट्टे जिसके लिए ग्रुप एक पट्टेदार है, को वित्त या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जब कभी पट्टे की शर्तें पट्टेदार को स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को स्थानांतरित

करती हैं, तो अनुबंध को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी पट्टे प्रचालनशील पट्टे रूप में वर्गीकृत हैं। प्रचालन पट्टे के लिए, किराए की आय को एक सीधी रेखा के आधार पर या संबंधित पट्टे की अवधि में एक और व्यवस्थित आधार पर मान्यता प्राप्त है। पट्टा किराए आय के रूप में मान्यता प्राप्त राशि और पट्टा समझौते के रूप में देय वास्तविक नकदी प्रवाही के बीच के अंतर को 'अर्जित पट्टा किराया परिसंपत्ति' में समायोजित किया जाता है।

2.9 निवेश संपत्तियां

निवेश संपत्तियां किराये अर्जित करने और / अथवा पूंजी वृद्धि के लिए धारित संपत्तियां हैं। निवेश संपत्तियां प्रारंभ में लेनदेन लागत सहित लागत पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, निवेश संपत्तियों को लागत कम संचित मूल्यहास और हानियों के नुकसान पर बताया जाता है। निवेश संपत्ति तके निपटान पर कोई लाभ या हानि, निवल निपटान आय और संपत्ति की कैरियिंग राशि के बीच अंतर के रूप में निर्धारित की जाती है और लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.10 मूल्यहास

नीचे वर्णित सीमा तक, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में निर्धारित अनुसार परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी लाइन पद्धति पर प्रदान किया है।

अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) के लिए कोचीन पोर्ट ट्रस्ट से उर्पाजित परिसंपत्तियों के लिए मूल्यहास तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित शेष उपयोगी जीवन के आधार पर प्रदान किया है। उपयोग की संपत्ति का अधिकार उपयोग की तारीख से शुरू होनेवाली तारीख के आधार पर मूल्य संपत्ति के अधिकार जीवन के अंत या पट्टे की अवधि के अंत में छोटी रेखा के आधार पर मूल्यहास से हटा दिया जाता है।

प्रारंभ में स्वीकृत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक मद और किसी महत्वपूर्ण भाग निपटान पर अथवा जब इसके उपयोग या निपटान से भविष्य आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है अस्वीकृत किया जाता है। परिसंपत्ति की अस्वीकृत पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ/ हानि को लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है जब परिसंपत्ति अस्वीकृत करती है। अभी भी उपयोग में रहने वाली पूर्ण रूप से अवमूल्यन की गई परिसंपत्तियां वित्तीय विवरणों में बकाया मूल्य में रखी जाती है।

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

मूल्यहास पद्धति, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उपयोगी जीवन और बकाया मूल्यों की समीक्षा की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

प्रबंधन विश्वास करता है कि संपत्तियों के उपयोगी जीवन अधिनियम की अनुसूची II में निर्धारित वही के अनुसार, कुछ प्रकार के इमारतों और उपकरणों को छोड़कर, जिसमें तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, अधिनियम की अनुसूची II में निर्धारित से भिन्न होने की तरह उपयोगी जीवन अनुमानित किया गया है। विभिन्न संपत्ति वर्ग के लिए मूल्यहास की गणना हेतु विचार किए गए उपयोगी जीवन निम्नानुसार हैं:

संपत्ति वर्ग	उपयोगी जीवन
भवन	3-60 वर्ष
संयंत्र और उपकरण	5-15 वर्ष
फर्नीचर और फिक्सचर	8-10 वर्ष
वाहन	8-10 वर्ष
कार्यालय उपकरण	3-10 वर्ष
डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	3-6 वर्ष
डॉक और घाट	15 वर्ष
रेलवे साइडिंग	15 वर्ष
इलैक्ट्रिकल प्रतिष्ठापन	10 वर्ष
ट्रेनेज और पानी की आपूर्ति	15 वर्ष
वेसल	13-28 वर्ष

2.11 परिसंपत्तियों का हानिकरण

कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को प्रत्येक रोकड उत्पादक एकक के संदर्भ में परिसंपत्तियों के हानिकरण का मूल्यांकन करते हैं। यदि आंतरिक और बाह्य घटकों के आधार पर घटाएं या परिस्थितियों में परिवर्तन यह सूचित करते हैं कि अंकित पूर्ण रूप से वसूली योग्य न होगा, हानिकरण के कारण हानि, जो अग्रनीत राशि और वसूली योग्य राशि के बीच जो अंतर है वह तदनुसार गणना की है।

2.12 बिक्री के लिए धारित गैर चालू संपत्तियां

कंपनी एक गैर चालू संपत्ति को बिक्री के लिए धारित रूप में वर्गीकृत करती है, यदि उसकी कैरियिंग लागत मुख्य रूप से एक बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाएगी। इस स्थिति

को जैसे पूरा किए मानते हैं, केवल जब संपत्ति अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो और इसकी बिक्री अत्यधिक संभव हो। बंद संचालन सहित गैर चालू संपत्तियां जो, बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत को कैरियिंग राशि के निम्नतम में मापा जाता है और बिक्री के लिए उचित मूल्य कम लागत तथा वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया है। एक बार बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत करने पर, संपत्तियां मूल्य हास और परिशोधन के अधीन नहीं है। बंद संचालनों की बिक्री या पुनः मापन से उत्पन्न किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में एकल पंक्ति मद के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

2.13 माल सूची

- कच्चे मालों, घटकों, भण्डार और पूर्ण का भारत औसत लागत पद्धति के अनुसरण में लागत पर मूल्यांकन किया जाता है। हालांकि उत्पादन/सेवाओं में उपयोग के लिए रखी गई सामग्रियों और अन्य आपूर्ति को लागत से नीचे नहीं लिखा गया है यदि तैयार उत्पाद/सेवाओं की आपूर्ति जिसमें उन्हें शामिल किया जाएगा, उन्हें ऊपर या लागत पर बेचा जाने की उम्मीद है। अप्रचलन/अनुपयोगित/गुण हास प्रबंधन द्वारा किए गए तकनीक के मूल्यांकन के आधार पर तय किया जाता है। मार्गस्थ और निरीक्षण लंबित मालों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है। रक्षा पोतो के निर्माण के संबंध में सामग्रियों के स्टॉक जिसमें उपगत मूल्य मालिक द्वारा प्रतिपूर्ति की है, यान के निर्माण के लिए मालिक द्वारा प्रदान अग्रियों से घटाव के रूप में दर्शाया है।
- असंयत औजारों का मूल्यांकन उनके लागत के आधार पर किया गया और उनके अंकित मूल्य के 30 प्रतिशत को पुन मूल्यांकन पर होने वाली हानि के लिए प्रावधान करने के बाद किया गया।
- रहियों का मूल्य निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है।

2.14 वित्तीय साधन

जब ग्रूप साधन के संविदात्मक प्रावधानों का एक पार्टी बनती है वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को मान्य किया जाता है।

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है। लेनदेन की लागतें जो अधिग्रहण या वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं (लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को छोड़कर) की जारी को प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य है वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता की प्रारंभिक मान्यता पर मापा गया उचित मूल्य से जोड़ा या घटाया जाता है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीओसीआई)

वित्तीय परिसंपत्तियों को अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर मापा जाता है यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियां एक व्यवसाय में लगा दिया है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्र करने से प्राप्त होता है जो निर्दिष्ट तिथियों को केवल मूलधन और बकाया मूलधन राशि पर ब्याज के भुगतान करने के लिए और वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री के जरिए।

लाभ या हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)

वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित दर पर मापा जाता है जब तक यह प्रारंभिक मान्यता पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर मापा जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के अधिग्रहण के लिए सीधे आरोप्य लेनदेन लागत तत्काल से लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है।

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है अगर ये वित्तीय परिसंपत्तियां एक व्यवसाय में लगा दिया हैं, जिसका उद्देश्य संविदात्मक रोकड प्रवाह को एकत्र करने के लिए इन परिसंपत्तियों को प्रतिरक्षा करना है और वित्तीय परिसंपत्ति के संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर रोकड प्रवाहों उत्कर्ष होता है जो केवल बकाया मूलधन राशि पर ब्याज और मूल धन के भुगतान हैं।

निवेश

भारतीय लेखाकरण मानक 109 वित्तीय उपकरणों के क्षेत्र में सभी इक्विटी निवेश, उचित मूल्य पर मापा जाता है। इक्विटी

उपकरण जो व्यापार के लिए धारित है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सभी अन्य इक्विटी उपकरणों के लिए, कंपनी उचित मूल्य में अन्य व्यापक आय के बाद उचित मूल्य में परिवर्तनों में प्रस्तुत करने के लिए एक अपरिवर्तनीय चयन कर सकती है। कंपनी ऐसे चयन उपकरण से उपतकण के आधार पर बनाती है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया जाता है औ अपरिवर्तनीय है।

ऋण साधन में निवेश को निम्न दोनों स्थितियों के पूरा होने पर परिशोधित लागत पर मापा जाता है: परिसंपत्ति एक व्यावसायिक मॉडल के भीतर आयोजित की जाती है जिसका उद्देश्य है -

- (1) संविदात्मक नकदी प्रवाह इकट्ठा करने के लिए संपत्ति रखने के लिए, और
- (2) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह को निर्दिष्ट तिथियों पर जन्म देती हैं जो मूल रूप से मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान करती हैं जो मूल राशि पर बकाया हैं।

प्रारंभिक माप के बाद, इस तरह की वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। अमूर्त लागत की गणना किसी भी छूट या प्रीमियम और शुल्क या लागत को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग हैं। ईआईआर परिशोधन लाभ और हानि के विवरण में वित्त आय में शामिल है। हानि से उत्पन्न होने वाले नुकसान को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

व्यापार प्राप्तियां

ग्रूप डिलिवरेबल्स के बदले प्राप्य या अनुबंध परिसंपत्ति के रूप में विचार करने के अधिकार को वर्गीकृत करती है। प्राप्य एक विचार का अधिकार है जो बिना शर्त है और उस विचार के भुगतान से पहले केवल समय की आवश्यकता है।

ग्रूप प्रत्येक तुलन पत्र तिथि में आकलन करती है कि क्या कोई वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय परिसंपत्ति का समूह बिगड़ा हुआ है। भारतीय लेखा मानक 109 अपेक्षा करती है कि प्रत्याशित हानि एक हानि छट के माध्यम से मापा जाना।

ग्रूप सभी व्यापार प्राप्तियों के लिए आजीवन अपेक्षित उधार हानियों को पहचानती है जो एक वित्त पोषण लेनदेन नहीं बना देती हैं।

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नुकसान हानि छूट इन्ड ए एस 109 द्वारा अनुमत अनुसार एक सरलीकृत दृष्टिकोण पर आधारित है। एक व्यवहारिक उपाय के रूप में कंपनी अपने व्यापार प्राप्तियों की श्रेणी पर हानि का निर्धारण करने के लिए प्रावधान मैट्रिक्स का उपयोग करती है।

सभी व्यापार प्राप्तियों के लिए पूर्ण प्रावधान किया जाता है जब वसूली संदेहात्मक माना जाता है जब कर्ज तीन साल से अधिक है या अगर यह निश्चित है कि ऋण वसूली योग्य नहीं है।

जहाँ ऋण कानूनी कार्यवाहियों में विवादित होते हैं, अगर किसी भी निर्णय कंपनी के खिलाफ दिया जाता है तो प्रावधान किया जाता है, सद्यपि वही उच्च अधिकारियों/ अदालतों को अपील पर ले लिया गया है।

क्षतिपूर्ति हानि (या उलटाव) जो कि रिपोर्टिंग तिथि पर मान्य किया जाना है, लाभ और हानि लेखा के विवरण में एक हानि या लाभ के रूप में मान्य किया जाता है।

नकद व नकद तुल्यांक

कंपनी सभी अत्यधिक तरल वित्तीय साधनों को जो नकद की ज्ञात राशियों में आसानी से परिवर्तनीय है जो कि मूल्य में परिवर्तन की एक नगण्य जोखिम के अधीन है और नकद तुल्यांक होने के लिए खरीद की तिथि से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता होते हैं। नकद व नकद तुल्यांक में बैंकों के साथ शेष जो वापसी और उपयोग के लिए अप्रतिबंधित है, शामिल होते हैं।

वित्तीय देयताएं

वित्तीय देयताएं प्रभावी ब्याज दर पद्धति उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

इक्विटी उपकरण

इक्विटी उपकरण एक ठेका है जो अपनी सभी देयताओं को घटाने के बाद कंपनी की संपत्तियों में बचत ब्याज का प्रमाण देता है। इक्विटी उपकरणों को समायोजित सीधे जारी लागत से प्राप्त आय पर मान्य किया जाता है।

वित्तीय साधनों का ऑफ सेटिंग

वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं ऑफसेट है और निवल राशि वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट की जाती है यदि वर्तमान में मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने के लिए लागू करने

योग्य वैध अधिकार है और परिसंपत्तियों को वसूल करने और एक ही समय पर देयताओं को निपटान करने के लिए एक निवल आधार पर निपटान करने की उम्मीद है।

विदेशी मुद्रा लेनदेन

कार्यात्मक व प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपयों (“आई एन आर”) में प्रस्तुत किया जाता है जो कंपनी की क्रियाशील मुद्रा प्रदर्शन मुद्रा है।

लेनदेन और शेष:

विदेशी मुद्रा लेनदेनों को क्रियाशील मुद्रा में संबंधित लेनदेन की तिथियों पर प्रचलित विनिमय दर ग्रहण करते हुए रिपोर्ट किया जाता है। वर्ष के अंत में विदेशी मुद्राओं में बताए आर्थिक वस्तुओं को तुलन पत्र तिथि पर प्रचलित विनिमय दर में पुनः मापा जाता है। गैर आर्थिक विदेशी मुद्रा मर्दें लागत पर प्रस्तुत किया जाता है। विनिमय भिन्नता के कारण किसी भी आय या व्यय निपटान पर या संशोधित विवरण पर लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया जाता है।

व्युत्पन्न साधन और प्रतिरक्षा लेखांकन:

कंपनी कुछ विदेशी मुद्रा अग्रिम ठेकाओं को विदेशी विनिमय जोखिमों के संबंध में प्रतिरक्षा साधनों के रूप में निर्दिष्ट करती है। इन प्रतिरक्षा को नकद प्रवाह प्रतिरक्षा के रूप में लेखाबद्ध किया गया है। व्युत्पन्नों को शुरू में, दाखिल किए गए व्युत्पन्न ठेका की तिथि पर उचित मूल्य पर मान्य किया है और बाद में प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उसके उचित मूल्य की ओर फिर से मापा जाता है।

विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न ठेकाओं का उपयोग निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कंपनी की विदेशी विनिमय जोखिम नीतियों से शासित है जो कंपनी के जोखिम प्रबंध योजना से संगत ऐसी वित्तीय व्युत्पन्नों के उपयोगों पर लिखित मूल्यतत्वों प्रदान करती है। कंपनी अनिश्चित प्रयोजनों के लिए व्युत्पन्न वित्तीय साधनों का उपयोग नहीं करता है।

प्रतिरक्षा साधनों को ठेके की शुरुआत में प्रतिरक्षा के रूप में निर्दिष्ट और प्रलेखित किया गया है। विदेशी मुद्रा अनावृत्ति से जुड़े जोखिम को कम करने के लिए प्रतिरक्षा साधनों की प्रभावशीलता जो प्रतिरक्षा की जा रही है आरंभ में और निरंतर आधार पर मूल्यांकित और मापा जाता है। निर्दिष्ट प्रतिरक्षाओं

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

के अप्रभावी भाग तत्काल से लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

निर्दिष्ट प्रतिरक्षा साधन के उचित मूल्य में परिवर्तन का प्रभावी हिस्सा अन्य व्यापक आय में मान्यता दिया है और रोकड़ प्रवाह साधन रिजर्व शीर्ष के अधीन संचित किया गया है।

प्रतिरक्षा साधन समाप्त हो जाने पर या बिना किसी प्रतिस्थापन का रोलओवर (हेडजिंग रणनीति के भाग के रूप में) बेचा, समाप्त या प्रयोग किया जाता है या यदि प्रतिरक्षा के रूप में उसका पदनाम रद्द किया जाता है, या जब तक प्रतिरक्षा लेखांकन के मानदेयों को पीरा नहीं करते हैं प्रतिरक्षा लेखांकन समाप्त करता है। अन्य सर्वग्राही आयों में मान्य किए और उस समय तक इक्विटी में संचित और अवशेष किसी भी लाभ अथवा हानि विवरण में नाम्य किया जाता है जब कि पूर्वानुमानित लेनदेन अंततः लाभ और हानि को प्रभावित करता है। जब तक पूर्वानुमानित लेनदेन की उम्मीद नहीं की जाती है, इक्विटी में संचित लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में स्थानांतरित किया जाता है।

2.15 अनुबंध परिसंपत्तियां

जहां कंपनी ग्राहक पर विचार करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले किसी वस्तु या सेवाओं को किसी ग्राहक को हस्तांतरित करके प्रदर्शन करती है, कंपनी अनुबंध को संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करती है। एक अनुबंध संपत्ति कंपनी के सामान या सेवाओं के बदले में विचार करने का अधिकार है जिसे कंपनी ने किसी ग्राहक को हस्तांतरित किया है। अनुबंध परिसंपत्तियों की समीक्षा भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार हानि के लिए की जाती है।

2.16 अनुबंध देयताएं

जहां कंपनी को विचार प्राप्त होता है, या कंपनी के पास विचार की राशि का अधिकार है जो बिना शर्त (यानी प्राप्य) है, या भुगतान देय है (जो भी पहले हो), इससे पहले कि कंपनी ग्राहक को एक अच्छी या सेवा हस्तांतरित करती है, भुगतान के समय कंपनी अनुबंध, अनुबंध के रूप में प्रस्तुत करती है। एक अनुबंध देयता कंपनी का दायित्व है कि वह किसी ग्राहक को सामान या सेवाएं हस्तांतरित करे, जिसके लिए कंपनी ने ग्राहक से विचार (या विचार की राशि देय है) प्राप्त की है।

2.17 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

यदि कोई पिछली घटना के परिणामस्वरूप, कंपनी को एक मौजूदा कानूनी दायित्व है जिसका विश्वासनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है और यह संभाव्य है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों का बहिर्वाह की आवश्यकता होगी। प्रावधान (सेवा निवृत्ति लाभ और क्षतिपूर्ति की गई छुट्टी को छोड़कर) अपने मौजूदा मूल्य से छूट नहीं दी गई है और रिपोर्टिंग तिथि पर दायित्व को निपटाने के लिए अपेक्षित आर्थिक लाभों के बहिर्वाह के सबसे अच्छा अनुमान से निर्धारित किया गया है। इन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षित किया जाता है ताकि वर्तमान उत्तम अनुमानों को प्रतिबिंबित किया जा सके।

दिए गए पोटों/ छोटे यानों पर गारंटी दावे के लिए प्रावधान तकनीकी अनुमान के आधार पर किया जाता है। जहाँ भी आवश्यक हो, मामले के आधार पर सुपुर्द पोटों के लिए गारंटी दावाएँ, गारंटी अवधि को संरक्षण करते हुए बीमा पॉलिसियों के जरिए संरक्षित किया जाता है।

व्यापार के सामान्य क्रम में कंपनी के खिलाफ मुकदमेबाजी और अन्य दावों से आकस्मिक देयताएं उत्पन्न हो सकती हैं। जहाँ संभावित देयताओं में क्रिस्टलाइजिंग की कम संभावना होती है अथवा विश्वासनीय रूप से मापना बहुत मुश्किल होती है, हम उन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में माना जाता है। ऐसी देयताएं टिप्पणियों में प्रकट किया गया है लेकिन वित्तीय विवरणों में उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। यद्यपि कानूनी कार्यवाहियों के अंतिम परिणाम के संबंध में कोई आश्वासन नहीं हो सकता है, हम उम्मीद नहीं करते हैं कि वे हमारी वित्तीय स्थिति या लाभप्रदता पर असल में प्रतिकूल प्रभाव डालें। कंपनी आकस्मिक देयता को मान्य नहीं करती है लेकिन वित्तीय विवरणों में इसका अस्तित्व प्रकट करती है।

आकस्मिक संपत्तियां न तो मान्यता प्राप्त है और न ही प्रकट किया गया है। हालांकि जब आय की वसूली असल में निश्चित हैं, संबंधित संपत्ति को मान्यता दी जाती है।

2.18 राजस्व मान्यता

क) परिचालन से राजस्व

1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी, कंपनी ने एस115 'ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व' को अपनाया है। प्रारंभिक आवेदन की तारीख (1 अप्रैल, 2018) को पूरा नहीं किए

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

गए अनुबंधों के संबंध में, कंपनी ने ओपन डेट बैलेंस के समायोजन के रूप में प्रभावी तिथि पर समान लागू करने के संचयी प्रभाव को पहचानकर मानक पूर्वव्यापी लागू किया है। पूर्व में अर्जित आय और तदनुसार पिछले वर्षों के आंकड़ों को पूर्वव्यापी रूप से समायोजित नहीं किया गया है।

ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व को लेनदेन मूल्य के आधार पर मापा जाता है, जो प्राप्त या प्राप्य विचार का उचित मूल्य है। राजस्व को मान्यता तब दी जाती है जब कंपनी स्वदेशी वायुयान वाहक को छोड़कर जहाज निर्माण और जहाज की मरम्मत के लिए ग्राहकों के साथ अनुबंध के संबंध में आज तक पूरे किए गए भौतिक प्रदर्शन के मापन के आधार पर उत्पादन पद्धति का उपयोग करके ग्राहक को वादा किए गए सामान और सेवाओं को स्थानांतरित करके प्रदर्शन दायित्वों को पूरा करती है।

स्वदेशी वायुयान वाहक के निर्माण के लिए भारतीय नौसेना के साथ अनुबंध के संबंध में, जो कि आंशिक रूप से कीमत निश्चित मूल्य आधार 'और आंशिक रूप से आंशिक लागत प्लस आधार' है, निश्चित मूल्य भाग से प्राप्त राजस्व को ऊपर बताए अनुसार मान्यता प्राप्त है। सामग्री और डिजाइन आउटसोर्सिंग की खरीद और आपूर्ति के लिए अनुबंध के लागत से अधिक भाग के निशान के माध्यम से राजस्व को मान्यता दी जाती है, जब अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रदर्शन दायित्वों को आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने पर पूरा किया जाता है। सामग्री की लागत, डिजाइन आउटसोर्सिंग के मूल्य और जहाज के लिए किए गए अन्य खर्च जो नौसेना से अलग करने योग्य हैं, लाभ और हानि के बयान के लिए शुल्क लिया जाता है जब सामग्री का उपभोग किया जाता है / गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाता है / खर्च किए जाते हैं और एक साथ सकल होते हैं काम के मूल्य और आय के रूप में मान्यता प्राप्त है।

अन्य ऑपरेटिंग राजस्व को उस समय पहचाना जाता है जब कंपनी ग्राहक को दिए गए माल और सेवाओं को स्थानांतरित करके प्रदर्शन दायित्वों को पूरा करती है अन्य ऑपरेटिंग राजस्व को उस समय पहचाना जाता है जब कंपनी ग्राहक को दिए गए माल और सेवाओं

को स्थानांतरित करके प्रदर्शन दायित्वों को पूरा करती है, सिवाय पोत निर्माण वित्तीय सहायता के मामले, जो अनुबंध के संबंध में आज तक पूर्ण किए गए प्रत्यक्ष प्रदर्शन के मापन के आधार पर आउटपुट पद्धति की मान्यता प्राप्त है, जो एसबीएफए नीति के तहत पात्र हैं।

ऐसी परिस्थितियों, जहां ग्रूप यथाचित प्रदर्शन दायित्व के परिणाम को मापने में सक्षम नहीं हो सकती है, लेकिन ग्रूप को उम्मीद है कि वह प्रदर्शन दायित्व को पूरा करने में हुई लागत को वसूल करेगी, ग्रूप राजस्व को केवल उस समय तक किए गए खर्चों की सीमा क्षक मानती है जब तक कि वह प्रदर्शन दायित्व के परिणाम को यथाचित माप नहीं सकता। जहां कुल अनुबंध लागत और राजस्व के वर्तमान अनुमानों से नुकसान का संकेत मिलता है, पूरे नुकसान के लिए प्रावधान किया जाता है, चाहे जितना भी काम किया जाए।

जब अनुबंध, विलोपन या परिवर्तन को अनुबंध के दायरे या अनुबंध की कीमत के लिए अनुमोदित किया जाता है, तो अनुबंध संशोधनों को ध्यान में रखा जाता है। अनुबंध के संशोधनों के लिए लेखांकन में यह आकलन करना शामिल है कि क्या मौजूदा अनुबंध में जोड़ी गई सेवाएं अलग-अलग हैं और मूल्य निर्धारण अकेले बिक्री मूल्य पर है या नहीं। जहां जोड़े गए सामान या सेवाएं अलग-अलग नहीं हैं, राजस्व में समायोजन संचयी कैच अप के आधार पर किया जाता है। जहां जोड़े गए सामान या सेवाएं अलग-अलग हैं, और ऐसे अतिरिक्त सामान या सेवाओं की कीमत स्टैंडअलोन की बिक्री की कीमतों पर होती है, अनुबंध संशोधन को एक अलग अनुबंध के रूप में जाना जाता है; हालांकि यदि संशोधन स्टैंडअलोन बिक्री मूल्य पर मूल्य नहीं है, तो इसे मौजूदा अनुबंध की समाप्ति और नए अनुबंध के निर्माण के रूप में जाना जाता है।

यदि किसी अनुबंध में दिए गए विचार में छूट, धनवापसी, क्रेडिट, मूल्य रियायतें, परिसमाप्त क्षति या अन्य समान वस्तुओं जैसे परिवर्तनीय राशि शामिल हैं, तो कंपनी उस अनुमानित शुद्ध राशि का अनुमान लगाती है जिसके लिए कंपनी वादा किए गए सामानों को या ग्राहक के लिए सेवाएं और उसी के लिए खाते में स्थानांतरित करने के बदले में हकदार है।

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

ख) सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान तब पहचाने जाते हैं जब उचित आश्वासन दिया जाता है कि कंपनी उनसे जुड़े शर्तों का पालन करेगा और अनुदान प्राप्त होगा।

सरकारी अनुदानों को बहुतायत अवधियों जिसमें कंपनी संबंधित लागतों जिसके लिए अनुदान क्षतिपूर्ति करने का इरादा है, को व्ययों के रूप में मान्य करते हैं, लाभ और हानि विवरण में एक व्यवस्थित आधार पर मान्यता देती है। जहाँ अनुदान संपत्ति मूल्य से संबंधित है, इसे आस्थगित आय के रूप में पहचाना जाता है, और संपत्ति के प्रत्याशित उपयोगी जीवन पर अमूर्त किया जाता है। अन्य अनुदान, लाभ और हानि विवरण में व्ययों जिसके लिए ऐसे अनुदान संबंधित / कवर करने का इरादा है, के समवर्ती मान्यता दी जाती है।

सरकारी अनुदान दो पहले से किए गए व्यय या हानियों के लिए मुआवजे के रूप में प्राप्य है या कोई भविष्य संबंधी लागत न होने वाले कंपनी को तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य के लिए लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त है, जिस अवधि में वे प्राप्य हो जाते हैं। पोत निर्माण वित्तीय को पैरा (क) में निर्दिष्ट तरीके से परिचालन से राजस्व के रूप में जाना जाता है।

ग) परिसंपत्ति क्षति और अग्रिमों पर ब्याज

(क) अग्रिमों पर ब्याज (ख) और परिसंपत्ति क्षतियों के कारण कोई आय को स्वीकार नहीं किया गया जहां ये उगाहियां, करार के विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन निर्णय पर रहती है। करार पूरे होने पर अथवा इस पर अंतिम निर्णय होते वक्त इन्हें खाते में लिखा जाता है।

लंबी अवधि की अवधि वाले पूंजी कार्यों के निष्पादन के लिए दर्ज किए गए अनुबंधों के मामले में, जहां अनुबंध की मौजूदा वाणिज्यिक शर्तों में समय पर अमल के लिए विभिन्न संसाधनों को जुटाने के लिए सेवा प्रदाता के लिए अग्रिम ब्याज असर जुटाना अग्रिम प्रदान करने का प्रावधान है, जुटाना अग्रिमों का भुगतान किया जाता है और ब्याज का लेखा-जोखा आधार पर होता है।

घ) बीमा दावाओं के लिए लेखांकन

(i) वारंटी/ बिल्डर जोखिम दावे

वारंटी बीमा नीतियों के तहत पोत निर्माण और पोत मरम्मत कार्यों के लिए बीमा पॉलिसियाँ, संरक्षित गारंटी दोषों अथवा बिल्डरों की जोखिम बीमा नीति के तहत दावों के मामले में, दर्ज किए गए बीमा दावों को उस वर्ष के खातों में पहचाना जाएगा जिसमें सर्वेक्षण पूरा हो गया है और बीमा कंपनी द्वारा सूचित निपटान की संभाव्य राशि।

(ii) अन्य बीमा नीतियां

परिसंपत्ति बीमा, ट्रांसिट बीमा, समुद्री बीमा, रोकड बीमा आदि जैसी अन्य बीमा नीतियों के मामले में, बीमा कंपनी से राशि की प्राप्ति के जरिए दावों के निपटान पर लेखाओं में दावों को मान्यता दी जाती है। चिकित्सा बीमा के मामले में, दावों को बीमा कंपनी के साथ प्रस्तुत दावों के आधार पर, उचित आधार पर मान्यता प्राप्त है।

ङ) अन्य

लाभांश आय को प्राप्त होने वाले वर्ष के लेखे में स्वीकृत किया जाता है।

2.19 कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभ में वेतन और मजदूरी, भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि, उपदान निधि, चिकित्सा सहायता की ओर अंशदान जो ह्रस्वकालीन प्रकृति का है और मुआवजा अनुपस्थितियों की ओर अंशदान, जो प्रकृति में दीर्घकालीक है, शामिल है।

पश्च - रोजगार लाभ योजना

निर्धारित योगदान योजनाएं

कार्यपालकों/ पर्यवेक्षकों/कामगारों के लिए सीएसएल अधिवर्षिता पेंशन ट्रस्ट में पात्र कर्मचारियों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना में निर्धारित अंशदान दिया जाता है और वे नियत होने के रूप में प्रभारित किया जाता है। ऐसे लाभों को, अंशदान देने के अलावा कंपनी को कोई और दायित्व न होने के कारण निर्धारित अंशदान योजनाओं में वर्गीकृत किया जाता है।

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

कंपनी एक निर्धारित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजना के तत्व में, अंशदायी भविष्य निधि की ओर अंशदान भी किया जाता है। भविष्य निधि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट के न्यासियों द्वारा प्रशासित किया जाता है। ट्रस्ट द्वारा प्रशासित कंपनी के भविष्य निधि के नियमों अपेक्षित करते हैं कि यदि निवेश पर आय कम है या किसी अन्य कारण से कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के पैरा 60 के तहत सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा घोषित दर पर ब्याज देने में असमर्थ है तो, तब कंपनी द्वारा कमी दूर की जाएगी। निधि की परिसंपत्तियों और निवेशों पर आय के संबंध में, कंपनी वर्ष के अंत में किसी भी कमी की उम्मीद नहीं करती है। कमी, अगर कंपनी द्वारा किसी भी आकलन के लिए खातों में प्रदान की जाती है।

कंपनी कर्मचारी चिकित्सा सहायता ट्रस्टों जो लकि वे नियत होने के कारण खर्च के रूप में प्रभारित किया है, की ओर अंशदान भी किया जाता है। ऐसे लाभों को निर्धारित अंशदान योजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि कंपनी द्वारा किए गए योगदानों के अलावा कोई और दायित्व नहीं लेता है।

निर्धारित लाभ योजनाएं

ग्रूप उपदान के लिए, पात्र कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए एक निर्धारित लाभ सेवानिवृत्ति योजना प्रदान करती है। निर्धारित लाभ योजना के संबंध में तुलन पत्र में पहचान की गई, देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य निर्धारित लाभ दायित्व प्रस्तावित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक द्वारा प्रतिवर्ष गणना की जाती है।

उक्त दायित्व का वर्तमान मूल्य अनुमानित रोकड बहिर्वाहों को कटौती करके निर्धारित किया जाता है, जो संबंधित दायित्वों के कार्यकाल का अनुमान लगानेवाले कार्यकाल के सरकारी बांड के बाजार आय का उपयोग करते हैं।

ब्याज आय/(व्यय) की गणना निर्धारित लाभ देयता या परिसंपत्ति के निवल को छूट दर के प्रयोग द्वारा की जाती है। निवल निर्धारित लाभ देयता या संपत्ति पर निवल ब्याज आय/ (व्यय) लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया जाता है।

अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से होने वाले पुनः मापन लाभ और हानियां उस अवधि में पहचानते

हैं जिसमें वे सीधे अन्य व्यापक आय में घटित होते हैं। इन्हें इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में और तुलन पत्र में प्रतिधारित आय में शामिल किया गया है।

योजना में संशोधनों या कटौतियों से परिणत निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन तत्काल से लाभ और हानि के विवरण में पिछली सेवा लागत के रूप में मान्य किया जाता है।

अन्य कर्मचारी लाभ

मुआवजा दी गई अनुपस्थितियां

ग्रूप को मुआवजा दी गई अनुपस्थिति पर एक नीति है, जो प्रकृति में दोनों संचित और गैर संचित है। मुआवजा दी गई अनुपस्थिति संचित करने के लिए प्रत्याशित लागत अनुपयोगित पात्रता जो प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर संचित है के फलस्वरूप प्रत्याशित अतिरिक्त राशि जो प्रदत्त करना है/ लाभ उठाना है पर एक स्वतंत्र लेखक द्वारा प्रस्तावित यूनिट क्रेडिट पद्धति के प्रयोग से निष्पादित बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा निर्धारित किया जाता है। गैर संचित मुआवजा की गई अनुपस्थिति उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुपस्थिति होती है।

2.20 उधार लागत

योग्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण/ निर्माण या उत्पादन के लिए सीधे आरोग्य सामान्य और विशिष्ट उधार लागतों को जब ऐसे परिसंपत्तियां निर्दिष्ट प्रयोग के लिए तैयार हो जाने पर उस तारीख तक ऐसी परिसंपत्तियों को लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। एक योग्य परिसंपत्ति ऐसा है कि जो अपने निर्दिष्ट प्रयोग के लिए तैयार हो जाने हेतु अनिवार्य रूप से पर्याप्त अवधि लेती है। सभी अन्य उधार लागत, व्यय किया हुआ अवधि में लाभ व हानि के विवरण के साथ प्रभारित किया जाता है। उधार लागत के एक समायोजन के रूप में माना जाने वाले हद तक विनिमय अंतर भी उधार लागत में शामिल हैं।

2.21 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए गैर-लापरवाही प्रावधान के सामने किए गए व्यय के संबंध में ग्रूप ने लाभ और हानि का विवरण अपने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के व्यय प्रभार करने का विकल्प चुना है।

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

2.22 पूर्वावधि समायोजन

त्रुटियों की वजह से पूर्वावधि समायोजन, कंपनी के वित्तीय मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने से, प्रस्तुत पूर्वावधियों जिसमें त्रुटि घटित है के लिए तुलनात्मक राशियों को पुन पेश करके या यदि त्रुटि प्रस्तुत पूर्व अवधि से पहले घटित है, तो वित्तीय स्थिति के प्रारंभिक विवरण पुनः पेश करके पूर्वव्यापी प्रभाव पर सुधार किया जाता है।

2.23 आय पर कर

आय कर

आयकर व्यय में चालू कर व्यय और वर्ष के दौरान आस्थगित कर परसंपत्ति या देयता में निवल परिवर्तन शामिल है। वर्तमान और आस्थगित करों को जब वे अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्य जो मदों से संबंधित हों, जिस मामले में, चालू और आस्थगित कर क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में भी मान्य किया जाता है को छोड़कर, लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया जाता है।

चालू कर

चालू कर आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुरूप में निर्धारित अनुसार वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय होने की उम्मीद की गई कर राशि पर मापा जाता है। चालू कर परिसंपत्तियां और चालू कर देयताएं सेट ऑफ किया जाता है जब मान्यता प्राप्त राशियों को सेट ऑफ करने के लिए कानूनी तौर पर लागू करने योग्य अधिकार है और एक निवल आधार पर परिसंपत्ति और देयता को निपटान करने का उद्देश्य है।

आस्थगित कर

आस्थगित आयकर तुलन पत्र दृष्टिकोण का उपयोग करके मान्यता दिया जाता है। जब आस्थगित आयकर एक लेनदेन में एक परिसंपत्ति या देयता की मान्यता से उत्पन्न होता है वह एक व्यापार संयोजन नहीं है और लेनदेन के समय पर न लेखांकन न तो कर योग्य लाभ या हानि को प्रभावित करता है के सिवाय आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां और देयताएं, परिसंपत्तियों और देयताओं के कर आधार और उनकी कैरियिंग राशि के बीच होनेवाले कटौती योग्य और कर योग्य अस्थायी अंतर के लिए मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियां केवल उस हद तक मान्य किया जाता है कि यह संभाव्य है कि भविष्य कर योग्य लाभ के साथ साथ आस्थगित कर देयताओं के उलटाव उपलब्ध होंगे, जिसके सामने

कटौती योग्य अस्थायी भिन्नताएं, और अग्रनीत का अनुपयोगित कर क्रेडिट तथा अनुपयोगित कर हानियों उपयोग किया जा सकता है। एक आस्थगित कर परिसंपत्ति की कैरियिंग राशि प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाएगी और उस हद तक कम की जाएगी ज्योंही यह अब संभावित नहीं है कि आस्थगित आयकर परिसंपत्ति के सभी या हिस्से का उपयोग करने के लिए अनुमति देने हेतु पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को कर की दरें और कर नियमों जो अधिनियमित या रिपोर्टिंग अवधि के अंत में स्वतंत्र रूप से अधिनियमित और जब संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्ति एहसास हो जाता है या आस्थगित कर देयता का निपटारा होता है तब लागू करने अपेक्षित हा, का उपयोग करके मापा जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को ऑफ सेट किया जाता है जब चालू कर और परिसंपत्तियों को ऑफ सेट करने के लिए वैध प्रवर्तनीय अधिकार है और जब आस्थगित कर शेषों को उसी कराधान प्राधिकरण से संबंधित होते हैं।

2.24 प्रति शेयर कमाई

प्रतिशेयर के मूल कमाई वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी सेयरों की भारत औसत संख्या से कंपनी के इक्विटी शेयर धारकों को आरोग्य लाभ या हानि को विभाजित करके गणना की जाती है। प्रस्तुत किए गए किसी भी वर्ष में कंपनी को संभवतः कमजोर प्रतिभूतियां नहीं थी।

2.25 सेग्मेंट रिपोर्टिंग

ऑपरेटिंग सेग्मेंट्स किसी ऐसे उद्यम के घटकों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके लिए असतत वित्तीय जानकारी उपलब्ध होती है जो मुख्य संचालन निर्णायक द्वारा नियमित रूप से मूल्यांकन करती है, जिसमें संसाधनों को कैसे आबंटन करना और निष्पादन का मूल्यांकन करने का निर्णय करने में। कंपनी के मुख्य संचालन निर्णायक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक है।

ग्रूप ने व्यापार सेग्मेंटों (उद्योग प्रथा) को रिपोर्ट करने योग्य सेग्मेंटों के रूप में पहचान की है। व्यापार सेग्मेंट में: 1) पोत निर्माण और 2) पोतों/ अपतटीय संरचनाओं की मरम्मत शामिल है।

सेग्मेंट राजस्व, सेग्मेंट व्यय, सेग्मेंट परिसंपत्तियां और सेग्मेंट देयताएं सेग्मेंट की संचालन गतिविधियों से उनके संबंध के

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

आधार पर सेगमेंट के रूप में पहचान की गई है। राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियाँ और देयताएं जो संपूर्ण कंपनी से संबंधित हैं और एक तर्क संगत आधार पर सेगमेंटों के लिए आबंटन योग्य नहीं हैं 'अनाबंटित राजस्व/ व्यय/ परिसंपत्तियाँ/ देयताएं' के अधीन शामिल किया गया है।

2.26 समेकित रोकड प्रवाह विवरण

रोकड प्रवाहों को परोक्ष रीति का उपयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है जिससे कर के पूर्व लाभ/ हानि और रोकड प्रकृति के लेनदेन और पूर्व या भविष्य रोकड प्राप्तियों या भुगतानों के स्थान या संचलन और निवेश या वित्तीय रोकड प्रवाह से जुड़े आय या व्यय के मदों को प्रभावित करने के लिए समायोजन किया जाता है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर कंपनी के ऑपरेटिंग, निवेश और वित्तीय गतिविधियों से रोकड प्रवाह अलग किया जाता है।

रोकड प्रवाह विवरण के प्रयोजन के लिए, रोकड और रोकड तुल्यांक में बैंको में और हाथ में रोकड और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पावधि जमाएं शामिल

हैं, जो मूल्य में परिवर्तनों का एक नगण्य जोखिम, बकाया बैंक ऑवरड्राफ्ट का निवल यदि कोई है, के अधीन है। बैंक ऑवरड्राफ्ट को तुलन पत्र में चालू देयताओं में कर्ज के अंतर्गत प्रकट किया जाता है।

2.27 इक्विटी शेयरधारकों के लिए लाभांश

इक्विटी शेयरधारकों के लिए लाभांश देयता के रूप में मान्य किया जाता है और उस अवधि में शेयरधारकों की इक्विटी से कटौती की जाती है, जिसमें साधारण बैठक में इक्विटी शेयरधारकों द्वारा लाभांश अनुमोदित किया जाता है।

2.28 हाल ही के लेखांकन अधिसूचनाएं- मानक जारी किए गए हैं लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं हैं

हाल ही में लेखा विकास - कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा नए मानकों या मौजूदा मानकों में संशोधन को सूचित करता है। ऐसी कोई अधिसूचना नहीं है जो दिनांक 01 अप्रैल 2020 से लागू होगी।

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ लाखों में)

ब्योरा	सकल कैरिंग राशि				मूल्यहास				निवल कैरिंग राशि	
	01 अप्रैल 2019 को	वर्ष के दौरान जोड़/समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	31 मार्च 2020 को	01 अप्रैल 2019 को	वर्ष के लिए	समायोजन/आहरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
स्वामित्व संपत्ति										
भूमि (पूर्ण स्वामित्व)	587.54	-	-	587.54	-	-	-	-	587.54	587.54
इमारतें	13,476.97	355.27	-	13,832.24	1,929.32	529.94	-	2,459.26	11,372.98	11,547.65
प्लॉट और मशीनरी	18,115.83	795.16	1.07	18,909.92	5,591.53	1,485.68	0.55	7,076.66	11,833.26	12,524.30
फर्नीचर और जुड़ाव	1,113.59	125.88	1.65	1,237.82	372.42	114.30	0.92	485.80	752.02	741.17
गाड़ियां	515.38	83.73	-	599.11	203.19	53.30	-	256.49	342.62	312.19
कार्यालय उपस्कर	234.56	149.06	1.41	382.21	133.98	39.28	1.17	172.09	210.12	100.58
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	923.71	422.79	0.79	1,345.71	670.02	164.17	0.72	833.47	512.24	253.69
गोदी और घाट	4,466.45	-	-	4,466.45	1,243.14	299.41	-	1,542.55	2,923.90	3,223.31
रेलवे साइडिंग	1.10	-	-	1.10	-	-	-	-	1.10	1.10
विद्युत संस्थापन	1,725.64	39.36	-	1,765.00	732.10	132.70	-	864.80	900.20	993.54
नाली और जलपूर्ति	6.67	-	-	6.67	-	-	-	-	6.67	6.67
यानें	19.74	-	-	19.74	4.36	1.36	-	5.72	14.02	15.38
उप कुल	41,187.18	1,971.25	4.92	43,153.51	10,880.06	2,820.14	3.36	13,696.84	29,456.67	30,307.12
पट्टे परिसर की परिसंपत्तियां										
इमारतें	848.99	1,260.35	3.84	2,105.50	333.80	110.60	2.95	441.45	1,664.05	515.19
संयंत्र और मशीनरी	316.00	202.75	0.13	518.62	50.28	23.96	0.04	74.20	444.42	265.72
गोदी और घाट	9.62	-	-	9.62	8.35	-	-	8.35	1.27	1.27
विद्युत संस्थापन	331.57	29.20	-	360.77	97.28	34.78	-	132.06	228.71	234.29
उप कुल	1,506.18	1,492.30	3.97	2,994.51	489.71	169.34	2.99	656.06	2,338.45	1,016.47
परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार										
उपयोग का अधिकार- भूमि		39,550.14	-	39,550.14		1,360.32		1,360.32	38,189.82	
उपयोग का अधिकार- इमारतें		98.11		98.11		35.36		35.36	62.75	
उप कुल		39,648.25		39,648.25		1,395.68		1,395.68	38,252.57	
कुल	42,693.36	43,111.80	8.89	85,796.27	11,369.77	4,385.16	6.35	15,748.58	70,047.69	31,323.59

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ लाखों में)

व्योरा	सकल कैरियिंग राशि				मूल्यहास				निवल कैरियिंग राशि	
	01 अप्रैल 2018 को	वर्ष के दौरान जोड़/समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	31 मार्च 2019 को	01 अप्रैल 2018 को	वर्ष के लिए	समायोजन/आहरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
स्वामित्व संपत्ति										
भूमि (पूर्ण स्वामित्व)	587.54			587.54	-			-	587.54	587.54
इमारतें	9,621.47	3,855.50		13,476.97	1,472.52	456.80		1,929.32	11,547.65	8,148.95
संयंत्र और मशीनरी	17,247.01	881.43	12.61	18,115.83	4,133.70	1,462.13	4.30	5,591.53	12,524.30	13,113.31
फर्नीचर और जुड़ाव	875.83	240.57	2.81	1,113.59	267.26	107.04	1.88	372.42	741.17	608.57
गाड़ियां	493.86	21.56	0.04	515.38	143.18	60.02	0.01	203.19	312.19	350.68
कार्यालय उपस्कर	208.93	28.32	2.69	234.56	104.76	31.61	2.39	133.98	100.58	104.17
				-					-	-
अन्य				-					-	-
डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	869.14	59.65	5.08	923.71	501.72	172.77	4.47	670.02	253.69	367.42
गोदी और घाट	4,466.45	-	-	4,466.45	943.73	299.41		1,243.14	3,223.31	3,522.72
रेलवे साइडिंग	1.10	-	-	1.10	-			-	1.10	1.10
विद्युत संस्थापन	1,290.81	434.83	-	1,725.64	600.66	131.44		732.10	993.54	690.15
नाली और जलपूर्ति	6.67	-	-	6.67	-			-	6.67	6.67
यानें	19.74	-	-	19.74	3.00	1.36		4.36	15.38	16.74
उप कुल	35,688.55	5,521.86	23.23	41,187.18	8,170.52	2,722.58	13.05	10,880.06	30,307.12	27,518.02
पट्टे परिसर की परिसंपत्तियां										
इमारतें	838.22	10.82	0.05	848.99	250.85	82.97	0.02	333.80	515.19	587.37
संयंत्र और मशीनरी	113.45	208.99	6.44	316.00	39.11	11.34	0.17	50.28	265.72	74.34
गोदी और घाट	9.62	-	-	9.62	8.35		-	8.35	1.27	1.27
विद्युत संस्थापन	329.54	2.03	-	331.57	63.82	33.46	-	97.28	234.29	265.72
उप कुल	1,290.83	221.84	6.49	1,506.18	362.13	127.77	0.19	489.71	1,016.47	928.70
परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार										
कुल	36,979.38	5,743.70	29.72	42,693.36	8,532.66	2,850.35	13.24	11,369.77	31,323.59	28,446.72

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि में पट्टे के आधार पर दी गई (i) भारतीय विद्या भवन को (0.69045 हेक्टर) (ii) मै.इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को पाइप लगाने के लिए (0.620 हेक्टर) (iii) मै. कोचीन एयर प्रोडक्ट्स को (0.30 हेक्टर) और (ख) केरल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा धारित (0.47 हेक्टर) भूमि की मूल्य भी शामिल है।

भूमि के मूल्य में उसके साथ ली गई इमारतों का मूल्य भी शामिल है जिसके लिए मूल्य ह्रास का प्रावधान न किया गया क्योंकि इनका अलग मूल्य प्राप्त नहीं तथा कारखाने की सुविधाओं के लिए इन्हें गिरी देने ती संभावना है।

कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के लिए परिसंपत्तियों को (1291.52 लाख रु) तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकित और कार्यकाल निर्धारित किया गया है। यह कार्यकाल इन परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास की दरों पर पहुँचने हेतु एक आधार के रूप में किया गया है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को नोट सं. 3 में, कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट से ली गई भूमि इन परिसंपत्तियों के साथ निर्मित परिसंपत्तियाँ / पट्टे में लिए भूमि में स्थापित करने, को अलग अलग से प्रकट किया गया है। .

कंपनी ने वर्ष 2013-14 के दौरान कंपनी द्वारा जारी कर मुक्त बांडो के लिए प्रतिभूति के रूप में कंपनी के भू संपत्तियों पर 12300 लाख रु. का बंधक सृजित किया है।

नोट 4 : पूंजीगत प्रगतिशील कार्य

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
संयंत्र और मशीनरी, इमारतें और सिविल कार्य	75,687.89	33,693.32
पूँजी यार्ड मद	1,126.50	414.40
परियोजना प्रबंधन शुल्क और विविध पूँजी खर्च	3,104.75	129.34
मार्गस्थ वस्तुएं	6.26	
कुल	79,925.40	34,237.06

नोट 5 : अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियाँ

(₹ लाखों में)

ब्योरा	सकल कैरियिंग राशि				ऋणमुक्ति				निवल कैरियिंग राशि	
	01 अप्रैल 2019 को	वर्ष के दौरान जोड़/समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	31 मार्च 2020 को	01 अप्रैल 2019 को	वर्ष के लिए	समायोजन/आहरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
आंतरिक रूप से सृजित वेल्ड प्रक्रिया	27.67	-	-	27.67	27.67	-	-	27.67	-	-
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	1,396.74	98.40	-	1,495.14	1,283.41	83.16	-	1,366.57	128.57	113.33
भूमि और पोत मरम्मत को सुविधा का उपयोग करने का अधिकार	7,000.00	-	-	7,000.00	952.65	210.34	-	1,162.99	5,837.01	6,047.35
टाली सॉफ्टवेयर		0.53		0.53		0.01		0.01	0.52	-
उपयोग का अधिकार - नजीरगंज में भूमि (5.31 एकड़)	118.94			118.94	0.24	1.98		2.22	116.72	118.70
उपयोग का अधिकार - नजीरगंज में भूमि (10.45 एकड़)		234.07		234.07		2.98		2.98	231.09	-
	8,543.35	333.00	-	8,876.35	2,263.97	298.47	-	2,562.44	6,313.91	6,279.38

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

ब्योरा	सकल कैरिंगिंग राशि				ऋणमुक्ति				निवल कैरिंगिंग राशि	
	01 अप्रैल 2018 को	वर्ष के दौरान जोड़/समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	31 मार्च 2019 को	01 अप्रैल 2018 को	वर्ष के लिए	समायोजन/आहरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
आंतरिक रूप से सृजित वेल्ड प्रक्रिया	27.67		-	27.67	19.97	7.70	-	27.67		7.70
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	1,366.75	29.99	-	1,396.74	1,180.39	103.02		1,283.41	113.33	186.36
भूमि और पोट मरम्मत को सुविधा का उपयोग करने का अधिकार	7,000.00		-	7,000.00	742.31	210.34	-	952.65	6,047.35	6,257.69
उपयोग का अधिकार - नजीरगंज भूमि		118.94		118.94		0.24		0.24	118.70	
	8,394.42	148.93	-	8,543.35	1,942.67	321.30	-	2,263.97	6,279.38	6,451.75

अमूर्त परिसंपत्तियों के अधीन दर्शाए गए भूमि और पोट मरम्मत सुविधा के उपयोग करने का अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय पोट मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) परियोजना की स्थापना के लिए कोचीन पोर्ट ट्रस्ट को दिए गए अग्रिम शुल्क का प्रतिनिधित्व करता है, पट्टे की अवधि के दौरान दो पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने की तिथि के आधार पर आगे बढ़ाया गया था, ऋण चुकाना है। चूंकि आईएसआरएफ के लिए सभी पर्यावरण मंजूरी दिनांक 09 जनवरी 2018 तक प्राप्त की जाती है, इसलिए 30 वर्ष की पट्टा अवधि प्रभावी रूप से इस तिथि से शुरू होती है।

नोट 6 : निवेश- गैर चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
अनकोटड (पूर्णतया प्रदत्त)		
इक्विटी उपकरणों में निवेश		
अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर		
कोचीन शिपयार्ड कर्मचारी सहकारी उपभोक्ता समिति लिमिटेड - प्रत्येक 100 रुपए के 2175 बी क्लास शेयर	2.18	2.18
केरल एन्विरो इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड - प्रत्येक 10 रुपए के 70000	7.00	7.00
कोचीन वेस्ट टु एनर्जी प्राइवेट लि. - प्रत्येक 10 रुपए के 100000 इक्विटी शेयर	-	-
कुल	9.18	9.18
अनकोटड निवेश का कुल मूल्य	9.18	9.18

नोट 7: गैर चालू ऋण

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
अप्रतिभूत, वसूली योग्य:		
प्रतिभूति जमा	65.71	65.68
कर्मचारी अग्रिम		
संबंधित पार्टियों को ऋण	0.00	0.00
अन्य कर्मचारियां	42.84	63.33
कुल	108.55	129.01

ऋण जोखिम या क्रेडिट हानि में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है।

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 8: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां- गैर चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
पोत निर्माण वित्तीय सहायता योजना अनुवृत्ति	835.57	-
संप्राप्त किराया परिसंपत्ति	28.93	-
कुल	864.50	-

भारत सरकार ने दिनांक अप्रैल 01, 2016 से मार्च 31, 2026 के बीच हस्ताक्षरित पोत निर्माण अनुबंधों के लिए भारतीय शिपयार्डों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दिनांक 09 दिसंबर 2015 को भारतीय शिपयार्डों के लिए एक वित्तीय सहायता नीति को अनुमोदित किया है।

नोट 9: आयकर परिसंपत्तियां/देयता (निवल)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
गैर चालू कर परिसंपत्तियां		
प्रावधान का परिसंपत्तियां आयकर निवल	6,025.42	5,727.71
चालू कर परिसंपत्तियां / देयता		
प्रावधान का अग्रिम आयकर निवल	(1,155.45)	(5,250.26)
स्रोतों पर कर कटौती	44.52	21.24

लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त आयकर

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
चालू कर:		
चालू आयकर प्रभार	23,895.75	29,662.84
पूर्व वर्ष के संबंध में समायोजन	(3,260.92)	(638.11)
कुल (क)	20,634.83	29,024.73
आस्थगित कर :		
चालू वर्ष के संबंध में	1,936.18	(2,051.97)
कुल (ख)	1,936.18	(2,051.97)
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त आयकर व्यय (क+ख)	22,571.01	26,972.76

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

चालू वर्ष के लिए आयकर खर्च निम्नानुसार लेखा लाभ से मिल मिलाप किया जा सकता है:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
कर पूर्व लाभ	85,772.00	74,751.53
संबंधित लागू दरों पर गणित आयकर खर्च	21,730.70	26,121.12
खर्च का प्रभाव जो कर योग्य लाभ को निर्धारित करने में काट देने योग्य है	5,916.60	7,088.97
खर्च का प्रभाव जो कर योग्य लाभ को निर्धारित करने में अनुमत है।	(4,131.73)	(3,834.57)
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर हुए खर्च का प्रभाव, कर योग्य लाभ को निर्धारित करने में काट देने योग्य नहीं है।	319.87	363.82
आय का प्रभाव जो कर निर्धारित से मुक्त है।	-	(57.08)
अन्य	60.31	(19.42)
	23,895.75	29,662.84
पूर्व वर्षों के चालू कर से संबंधित चालू वर्ष में पहचाने गए समायोजन	(3,260.92)	(638.11)
आस्थगित कर परिसंपत्तियों के अनुमानों में परिवर्तन के लिए समायोजन	1,936.18	(2,051.97)
लाभ और हानि के विवरण में पहचाने गए आयकर खर्च	22,571.01	26,972.76

नोट 10: आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
आस्थगित कर दायित्व	2,787.39	3,902.25
आस्थगित कर परिसंपत्ति	(7,485.97)	(10,537.01)
कुल	(4,698.58)	(6,634.76)

2019-20 के संबंध में आस्थगित कर देयता //(परिसंपत्ति)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	प्रारंभिक शेष	लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त	इक्विटी के विवरण में मान्यता प्राप्त	जमा शेष
प्रावधान	(9,508.70)	3,083.22	0.00	(6,425.48)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3,959.20	(1,146.04)	0.00	2,813.16
अमूर्त परिसंपत्तियां	(56.94)	28.06	0.00	(28.88)
अन्य	(1,028.32)	(29.06)	0.00	(1,057.38)
कुल	(6,634.76)	1,936.18	-	(4,698.58)

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

2018-19 के संबंध में आस्थगित कर देयता //(परिसंपत्ति)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	प्रारंभिक शेष	लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त	इक्विटी के विवरण में मान्यता प्राप्त	जमा शेष
प्रावधान	(7,438.88)	(2,069.82)	0.00	(9,508.70)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3,958.04	1.16	0.00	3,959.20
अमूर्त परिसंपत्तियां	(3.47)	(53.47)	0.00	(56.94)
अन्य	(860.81)	70.16	(237.67)	(1,028.32)
कुल	(4,345.12)	(2,051.97)	(237.67)	(6,634.76)

नोट 11: अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
अप्रतिभूत, वसूली योग्य		
पूंजी अग्रिम	28,817.72	26,950.20
पूंजी अग्रिम के अलावा अग्रिम:		
प्रतिभूति जमा	222.67	674.80
अग्रिम पट्टा किराया	38.41	597.02
सीमा शुल्क विभाग के साथ जमा	261.22	261.22
अन्य दीर्घकालिक अग्रिम	429.39	-
कुल	29,769.41	28,483.24

सीमा शुल्क के संबंध में देयता को कवर करने के लिए आयुक्त (अपील) के समक्ष 261.22 लाख के कस्टम विभाग के पास जमा धनराशि अपील से संबंधित है, जो नोट नंबर 22 के तहत चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट को देय के रूप में भी दिखाया गया है- अन्य वित्तीय देयताएं- गैर वर्तमान

नोट 12 : मालसूचियाँ

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
कच्चे माल और घटक ।	28,145.83	23,409.46
घटाइए : माल सूची में अप्रचलन, अनुपयोगिता, गुणह्रास और मूल्य घटाव के लिए प्रावधान मार्गस्थ माल	(391.39)	(442.17)
मार्गस्थ माल ।	1,964.10	3,754.30
	29,718.54	26,721.59
भंडार व पूर्ण ।	780.18	709.80
घटाइए : माल सूची में अप्रचलन, अनुपयोगिता, गुणह्रास और मूल्य घटाव के लिए प्रावधान मार्गस्थ माल	(17.06)	(31.75)
मार्गस्थ माल ।	37.33	0.47
	800.45	678.52
असंयत औजार।	680.55	819.80
रद्दी माल ।	141.77	116.80
कुल	31,341.31	28,336.71

* माल सूचियों का मूल्यांकन नोट सं. 2 में दी गई लेखाकरण नीति सं. 2.13 के अनुसार किया गया है।

- मालसूची में भारतीय नौसेना की ओर से कंपनी के साथ शेष आईएसी ठेका 32838.80 लाख (पिछले वर्ष 55426.72 लाख रुपए) के कोस्ट प्लस भाग के अधीन प्राप्त खरीदे गए घटक और कच्चे माल स्टोक शामिल नहीं है और आईएसी के लिए भारतीय नौसेना द्वारा लिए अग्रिम पर दिखाया गया है।
- मालसूची में शामिल की गई अनुरक्षण पुर्जे, सामान्य प्रकृति के पूर्जों का प्रतिनिधान करता है और एक विशेष परिसंपत्ति से संबंधित नहीं है।

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 13 : प्राप्य व्यापार- चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वसूली योग्य व्यापार प्राप्य - अप्रतिभूत	28,823.21	39,233.68
क्रेडिट रिस्क में महत्वपूर्ण वृद्धिवाले व्यापार प्राप्य	13,588.08	13,123.16
घटाइए : प्रत्याशित ऋण हानि के लिए भत्ता	(13,588.08)	(13,123.16)
व्यापार प्राप्य - भ्रष्ट क्रेडिट	-	-
कुल	28,823.21	39,233.68

व्यापार प्राप्तियां सामान्य संचालन चक्र में गैर- ब्याज और प्राप्त है।

अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ते में गतिविधि

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
प्रारंभिक शेष	13,123.16	9,263.32
जोड़िए: प्रावधान किया/ वर्ष के दौरान किए स्थानांतरण	4,149.68	4,187.29
घटाइए: एकत्र राशि/ प्रावधान का परिवर्तन	3,684.76	327.45
जमा शेष	13,588.08	13,123.16

नोट 14 : रोकड और रोकड तुल्यांक

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
हाथ में रोकड	-	-
बैंक शेष		
चालू खाते में	6,145.94	19,305.01
भारतीय नौसेना की ओर से चालू खाते में	3,641.02	30,626.67
आईपीओ आय से चालू खाते में	5.04	5.09
कम से कम तीन वर्ष की आवधि जमा	23,833.98	39,400.00
आईपीओ आय में से तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता के साथ सावधि जमा	8,485.71	12,730.00
आईपीओ के निश्चित वस्तुओं के लिए तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता के साथ सावधि जमा	44,570.45	
कुल	86,682.14	102,066.77

देशी वायुयान वाहक के निर्माण के लिए भारतीय नौसेना से प्राप्त निधियां अलग खाते और अलग से प्रकट किया गया है।

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 15 : रोकड और रोकड तुल्यांक के अलावा बैंक शेष

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
तीन महीने से कम समय की मूल परिपक्वता के साथ ग्रहणाधिकार जमा अवधि ।	18,993.08	
तीन महीने से ज्यादा और 12 महीने से कम की मूल परिपक्वता के साथ बैंकों में आवधि जमा	57,180.19	131,539.08
3 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता वाले बैंकों के साथ सावधि जमा और आईपीओ की आय से 12 महीने से कम	5,050.00	24,108.86
3 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता वाले बैंकों के साथ सावधि जमा और आईपीओ के लिए निर्धारित आय से 12 महीने से कम	51,597.00	
निर्धारित शेष राशि (अवैतनिक लाभांश खाता)	20.00	9.54
कुल	132,840.27	155,657.48

* तीन महीने से कम की परिपक्वता अवधि वाले बैंकों में जमाकर्ताओं को कंपनी को दी गई गैर-निधि आधारित ऋण सुविधाओं के लिए नकद मार्जिन बनाए रखने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में 18993.08 लाख रुपए के लेनदेन के रूप में चिह्नित जमा शामिल हैं ।

** बैंकों के साथ 12 महीने तक की परिपक्वता अवधि से युक्त जमाओं में 87.34 लाख रुपए (पिछले साल 82.29 लाख) केरल उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के पक्ष में ग्रहणाधिकारी अंकित है।

**12 महीने तक परिपक्वतावाले बैंकों में जमाकर्ताओं को कंपनी को दी गई गैर-निधि आधारित ऋण सुविधाओं के प्रति नकद मार्जिन बनाए रखने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में चिह्नित 33,000.00 लाख रुपए शामिल हैं ।

नोट 16 : चालू ऋण

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
अप्रतिभूत, वसूलीयोग्य		
संबंधित पार्टियों के लिए ऋण	-	-
अन्य कर्मचारी	30.97	39.21
कुल	30.97	39.21

क्रेडिट जोखिम या क्रेडिट हानि में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है ।

नोट 17 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों- चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	3,129.36	3,761.24
कर्मचारी अग्रिमों पर उपचित ब्याज		
संबंधित पार्टियां	-	0.36
अन्य कर्मचारी	15.99	19.85
एचडीएफसी लिमिटेड के साथ मियादी जमा	-	19,500.00
कुल	3,145.35	23,281.45

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 18 : अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
अप्रतिभूत अग्रिम		
पूंजी अग्रिमों के अलावा अग्रिम		
संबंधित पार्टियों को अग्रिम	0.84	1.01
अन्य अग्रिम	11,520.97	16,281.77
अग्रिम- वसूली संदिग्ध	0.07	0.07
	11,521.88	16,282.85
घटाइए: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	0.07	0.07
	11,521.81	16,282.78
अन्य		
आईएसी कार्यों के लिए अनुबंध परिसंपत्तियां	60,570.53	-
अन्य कार्यों के लिए अनुबंध परिसंपत्तियां	30,980.80	21,716.35
बिक्री कर विभाग और सीबीईसी से शेष	474.80	422.11
विविध जमा	17.26	13.94
पूर्वदत्त व्यय	469.67	385.65
जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट	54,341.77	22,986.56
विविध चालू परिसंपत्तियां (प्राप्त दावे सहित)	1,625.49	1,341.81
कुल	160,002.12	63,149.20

नोट 19 : इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
	संख्या	₹ लाखों में	संख्या	₹ लाखों में
प्राधिकृत				
₹ 10/- प्रति इक्विटी शेयर	250000000	25,000.00	250000000	25,000.00
निर्गत, अभिदत्त एवं पूर्ण रूप से प्रदत्त				
पूर्णतः प्रदत्त ₹ 10 प्रति शेयर वाले इक्विटी शेयर	131540390	13,154.04	131540390	13,154.04
कुल	131540390	13,154.04	131540390	13,154.04

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

19.1 बकाया राशि और शेयरों का समन्वय

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
	संख्या	₹ लाखों में	संख्या	₹ लाखों में
वर्ष के आरंभ में बकाया इक्विटी शेयर	131540390	13,154.04	135936000	13,593.60
जोड़: वर्ष के दौरान जारी शेयर	0	0.00	0	0.00
कम: वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयर	0	0.00	4395610	439.56
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयर	131540390	13154.04	131540390	13,154.04

इक्विटी शेयर के साथ नियम व अधिकार संलग्न: कंपनी को ₹ 10 प्रति शेयर के प्रत्यक्ष मूल्य के इक्विटी शेयरों के केवल एक श्रेणी है जो पूर्ण रूप से प्रदत्त है। इक्विटी शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट के लिए योग्य है और जब कभी कंपनी घोषित करने पर लाभांश के लिए भी हकदार है। जब कभी बोर्ड द्वारा घोषित करने पर अंतरिम लाभांश अदा किया जाता है। वार्षिक सामान्य बैठक में बोर्ड के निर्देशकों द्वारा प्रस्तावित/ घोषित लाभांश शेयरधारकों के अनुमोदन/ नियमितकरण मिलने के बाद अदा किया जाएगा। भुगतान के समय, इक्विटी शेयरधारक अपने शेयर पूंजी के अनुपात में सभी अधिमाम्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी के शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए योग्य हैं।

19.2 कंपनी में 5% ज्यादा शेयर पूंजी के शेयरधारकों का विवरण

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
	शेयर की संख्या	होलडिंग का %	शेयर की संख्या	होलडिंग का %
भारत के राष्ट्रपति	95843464	72.86	98934442	75.21
निप्पॉन लाइफ इंडिया लिमिटेड (पूर्व रिलाइंस कैपिटल ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड)	10795352	8.21	8323743	6.33

भारत सरकार ने सेबी विनियम 1996 और समय-समय पर बनाए गए अन्य लागू कानून, नियम और विनियमों के अनुसार और सीपीएसई ईटीएफ एफएफओ-6 की जारी के सिलसिले में निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन (डीआईपीएम) विभाग के जरिए रिलाइंस कैपिटल ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के रूप में पूर्व जानेवाले परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, निप्पॉन लाइफ इंडिया लिमिटेड को दिनांक फरवरी 03, 2020 को 3090978 (प्रदत्त पूंजी के कुल 2.35%) इक्विटी शेयरों को अंतरित किया है।

नोट 20 : अन्य इक्विटी

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
पूंजी आरक्षण	263.56	263.56
पूंजी मोचन आरक्षण	12,353.76	12,353.76
प्रतिभूति प्रीमियम	93,152.32	93,152.44
ऋणपत्र मोचन आरक्षण	1,668.44	1,524.27
सामान्य आरक्षण	6,322.75	6,322.75
प्रतिधारित कमाई	245,373.48	206,093.22
	359,134.31	319,710.00

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

अन्य इक्विटी में प्रत्येक आइटम का मूवमेंट स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में विस्तृत होता है।

पूंजी आरक्षण: पूंजी निधि कंपनी की जमीन में नल तंत्र लगाने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से प्राप्त पुनःस्थापन प्रभार का प्रतिनिधान करती है।

कैपिटल रिडेम्पशन रिज़र्व : 12353.76 रुपए के कैपिटल रिडेम्पशन रिज़र्व में 11914.20 लाख शामिल है, जिन्हें प्राथमिकता वाले शेयरों के मोचन पर बनाया जा रहा है और 439.56 लाख वापस खरीदे गए शेयरों के मामूली मूल्य के बराबर राशि है, जिसका उपयोग कंपनी अधिनियम 2013 के तहत परिभाषित उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षण : सीधे क्रम के आधार बांड की अवधि पर कर मुक्त बांड के प्रीमियम पर परिशोधन किया है। कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) पूरा कर लिया है और प्रीमियम (₹93929.76 लाख) पर प्रत्येक ₹10 के 22656000 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं। भारतीय लेखाकरण मानक (इंडएएस) 32- वित्तीय उपकरण की आवश्यकताओं के अनुसार 777.93 लाख के शेयरों के ऐसे आबंटन की ओर आस्थगित कर समायोजन का निवल व्यय को प्रतिभूति प्रीमियम में डेबिट किया गया है।

ऋण मोचन आरक्षण: कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 18 (7) के साथ पढ़ित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 71 (4) के अनुसार और सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) के अनुसार, ऐसे डिबेंचरों की परिपक्वता अवधि के दौरान कंपनी द्वारा जारी बांडों की 25% मूल्य पर ऋण मोचन आरक्षण कंपनी द्वारा बना रही है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचना सं. जीएसआर 574 (ई) द्वारा अधिसूचित कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 किए गए संशोधन के अनुसार, कंपनी उनके द्वारा जारी बांड के संबंध में ऋण मोचन आरक्षण बनाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, दिनांक 30.09.2019 तक बनाए गए ऋण मोचन आरक्षण, जो 1668.44 लाख रुपए के हैं, बांड की मोचन की समय तक बहियों में बनाया रखा जाएगा।

अंतरिम लाभांश : वर्ष के दौरान, कंपनी ने 10 रुपए अंकित मूल्य के प्रति शेयर 1.63 रुपए के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया, जैसा कि दिनांक 12 नवंबर 2019 को आयोजित बोर्ड बैठक में सिफारिश की गई थी।

प्रस्तावित लाभांश: कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 31 मार्च 2020 को आयोजित बोर्ड की बैठक में 20 जून 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए ₹10 अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर के लिए ₹15/- का लाभांश सिफारिश की है।

नोट 21 : उधार

(₹ लाखों में)

व्योरा	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
(क) बांड- अन्य पार्टियों से (सुरक्षित)		
परिशोधन लागत पर		
कर मुक्त प्रतिभूत विमोचन गैर परिवर्तनीय बांड- श्रेणी 2013-14	12,300.00	12,300.00
कुल	12,300.00	12,300.00

कर मुक्त आधारिक संरचना बांड श्रेणी 2013-14

क) वित्तांश 1: प्रतिवर्ष देय 8.51% के ब्याज दर के साथ कुल 10000 लाख रु. के 10 लाख रु. के अंकित मूल्य के 1000 बांड दि. 2 दिसंबर 2023 को मोचन के लिए समतुल्य पर प्रतिदेय है।

ख) वित्तांश 2: प्रतिवर्ष देय 8.72% के ब्याज दर के साथ कुल 2300 लाख रु. के 10 लाख रु. के अंकित मूल्य के 230 बांड दि. 28 मार्च 2029 को मोचन के लिए समतुल्य पर प्रतिदेय है।

ये बांड कंपनी के भू- संपत्ति के खिलाफ प्रतिभूत हैं। सर्वे सं. 713/11 में 34.30 एकड़ से 197.12 एकड़ (487.00 सेंट), सर्वे सं. 713/12 में 23.57 एकड़, सर्वे सं. 713/13 में 59.12 एकड़, सर्वे सं. 714/06 में 50.18 एकड़, सर्वे सं. 714/2 में 10.12 एकड़, सर्वे सं. 714/4 में 8.90 एकड़ और सर्वे सं. 714/5 में 10.93 एकड़ एलमकुलम ग्राम, कणयन्नूर तालुक, एर्णाकुलम जिले, केरल के समीप पड़े है।

उपयोगिता : प्राप्त 12300 लाख रु. के मुद्दे आय में से, कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा योजना पर हुए विविध खर्च की राशि उपयोग/ समायोजित किया।

उधार की वित्तीय देयताओं की कैरियिंग राशियों और उचित मूल्यों के बीच भिन्नता प्रस्तुत किए गए प्रत्येक वर्ष में महत्वपूर्ण नहीं है।

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 22: अन्य वित्तीय देयताएं- गैर चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट को देय	261.22	261.22
पट्टा देयताएं- इंड एस 116	37,325.69	
कुल	37,586.91	261.22

सीमा शुल्क ड्यूटी के संबंध में चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट को ₹ 261.22 लाख की देयता है जो वापसी अपील के आयुक्त (अपील) के समक्ष है जिसे नोट सं 11 के अधीन सीमा शुल्क विभाग की जमा राशि के रूप में भी दिखाया गया है।

नोट 23: प्रावधान- गैर चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान - अनुपस्थिति का मुआवजा (नोट 33 का संदर्भ लें)	2,872.20	2,428.71
कुल	2,872.20	2,428.71

नोट 24: प्रावधान- अन्य गैर चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
सरकारी सहायता से उत्पन्न स्थायी आय	11.45	12.59
कुल	11.45	12.59

नोट 25 : व्यापार देय

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
व्यापार देय (अप्रतिभूत)		
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के बकाया	686.52	725.36
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के बकाया	41,185.27	33,933.75
कुल	41,871.79	34,659.11

इस हद तक, कंपनी को विक्रेताओं से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत उनकी स्थिति के बारे में सूचना प्राप्त हुई है, व्यापार भुगतान का विवरण निम्नानुसार प्रदान किया गया है:

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

ब्योरा	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ता को अवैतनिक शेष राशि;		
मूल धन	686.52	725.36
उपरोक्त मूलधन पर ब्याज	-	-
प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन से आगे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ ; सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 के 27) की धारा 16 के संदर्भ में खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि ।		
भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जो भुगतान किया गया है (वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना;	-	-
प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में अर्जित और शेष बकाया राशि पर ब्याज की राशि	-	-
सफल वर्षों में देय और देय शेष राशि , जब तक कि ऐसी तारीख जब तक कि ब्याज की बकाया राशि वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान न हो जो सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006; धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के निपटान के उद्देश्य से है,	-	-

नोट 26 : अन्य वित्तीय देयताएं- चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
प्रदत्त ब्याज लेकिन देय नहीं	281.95	281.98
अवैतनिक लाभांश	20.00	9.54
पट्टा देयताएं	2,833.72	-
अन्य		
प्रतिभूति और अन्य जमा	3,434.08	3,061.64
अन्य देय	11,231.73	9,666.62
कुल	17,801.48	13,019.78

नोट 27 : अन्य चालू देयताएं

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
स्वदेशी वायुयान वाहक कार्यों के लिए अनुबंध देयता (निवल)	-	30,830.23
अन्य कार्यों के लिए अनुबंध देयता	113,330.88	52,634.04
अन्य पोत निर्माण अनुबंधों के लिए अग्रिम	114.21	8.23
पोत मरम्मत और अन्य के लिए अग्रिम	586.08	689.51
अग्रिम के रूप में प्राप्त आय	25.33	24.34
सांविधिक देय	2,040.63	2,115.53
सरकारी सहायता से उत्पन्न होने वाली स्थाई आय	1.14	1.14
अन्य देय		50.79
कुल	116,098.27	86,353.81

भारतीय लेखा मानक 115 पर नोट सं. 39 का संदर्भ लें : “ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व”।

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 28 : चालू प्रावधान

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
कर्मचारी के लाभ के लिए प्रावधान		
उपदान	1,048.51	607.90
अनुपस्थिति का मुआवजा (नोट सं. 33 का संदर्भ लें)	533.22	464.29
अन्य	-	2,997.00
	1,581.73	4,069.19
अन्य प्रावधान		
कर और शुल्कों	209.12	211.61
पोत निर्माण हानि के लिए प्रावधान	5,287.00	205.00
व्यय/ आकस्मिकों	31,608.78	32,446.62
	37,104.90	32,863.23
कुल	38,686.63	36,932.42

28.1 प्रावधानों के गतिविधियों के विवरण

(₹ लाखों में)

विवरण	01.04.2019 को	अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	अवधि के दौरान उपयोग राशि	अवधि के दौरान अप्रयुक्त राशि बदलना	31.03.2020 को
कर्मचारी के लाभ के लिए प्रावधान					-
उपदान	607.90	440.61			1,048.51
अनुपस्थिति का मुआवजा (नोट सं. 33 का संदर्भ लें)	464.29	68.93			533.22
अन्य	2,997.00		(2,997.00)		0.00
कर और शुल्कों के लिए प्रावधान	211.61	0.17	(2.66)	-	209.12
पोत निर्माण हानि के लिए प्रावधान	205.00	5,287.00	-	(205.00)	5,287.00
व्यय / आकस्मिकों के लिए प्रावधान	32,446.62	30,332.54	(26,117.27)	(5,053.11)	31,608.78
कर्मचारी के लाभ के लिए प्रावधान					
उपदान	2,361.78	-	(1,753.88)	-	607.90
अनुपस्थिति का मुआवजा (नोट सं. 33 का संदर्भ लें)	383.78	80.51	-	-	464.29
अन्य	1,220.93	1,796.04	(31.24)	11.27	2,997.00
कर और शुल्कों के लिए प्रावधान	196.48	17.93	(2.80)	-	211.61
पोत निर्माण हानि के लिए प्रावधान	548.22	205.00	-	(548.22)	205.00
व्यय / आकस्मिकों के लिए प्रावधान	23,203.74	26,675.55	(15,461.89)	(1,970.78)	32,446.62

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 29 : प्रचालन से आय

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
उत्पादों की बिक्री		
पोत निर्माण		
देशी वायुयान वाहक (आईएसी)	237,746.87	175,676.28
देशी वायुयान वाहक को छोड़कर अन्य जहाज	46,206.78	37,341.68
इंजीनियरी कार्य	-	-
	283,953.65	213,017.96
सेवाओं की बिक्री		
पोत मरम्मत	56,856.75	83,197.46
	56,856.75	83,197.46
अन्य परिचालन राजस्व		
स्टॉक मदों की बिक्री	-	0.45
पोत निर्माण वित्तीय सहायता	835.57	-
रद्दी माल की बिक्री	603.42	344.46
	1,438.99	344.91
कुल	342,249.39	296,560.33

भारतीय लेखा मानक 115 पर नोट सं. 39 का संदर्भ लें : “ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व”।

कंपनी ने 31 अक्टूबर 2019 को स्वदेशी वायुयान वाहक के निर्माण के लिए अनुबंध के चरण III भाग पर हस्ताक्षर किया।

कंपनी ने परिचालनों से राजस्व की गणना करते हुए परिसमाप्त नुकसान की गणना के लिए कोविड 19 की वजह से लॉकडाउन अवधि को अप्रत्याशित घटना के रूप में माना है।

भारत सरकार ने दिनांक 01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2026 के बीच हस्ताक्षरित पोत निर्माण अनुबंधों के लिए भारतीय शिपयार्डों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दिनांक 09 दिसंबर 2015 को भारतीय शिपयार्ड के लिए वित्तीय सहायता नीति को मंजूरी दे दी। प्रत्यक्ष प्रदर्शन के मापन के आधार पर इस सहायता के लिए पात्रता को तिथि तक पूरी की गई है।

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 30 : अन्य आय

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
प्रशिक्षण सुविधाएं	304.29	423.67
रद्दी माल और भंडार से आय	246.42	260.62
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	-	-
प्रयोगशाला सेवाओं से आय	33.77	35.77
किराया प्राप्त	305.55	154.42
प्राप्त बाडे	5.90	7.71
बैंक जमाओं पर ब्याज	14,885.29	17,450.30
अन्यों से ब्याज	1,611.73	1,064.43
इक्विटी निवेश/ म्यूचुअल फंड से लाभांश आय	0.89	163.34
म्यूचुअल फंड से लाभांश आय	235.30	711.52
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर निवल लाभ/ (कमी)	-	88.65
प्रावधान जो आवश्यक नहीं है	5,159.25	1,916.36
विविध आय	1,719.74	321.56
कुल	24,508.13	22,598.35

विविध आय में कंपनी के अंतर सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना संबंधी सहायधन के रूप में ₹ 1.14 लाख की आस्थगित सरकारी सहायता शामिल है। वही इंड ए एस 20-सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन और सरकारी सहायता के प्रकटीकरण की अपेक्षाओं के अनुसार गणना की गई हैं।

नोट 31 : उपभुक्त सामग्रियों का मूल्य

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
कच्चे माल		
इस्पात	5,760.00	5,487.11
पाइप	798.84	1,029.04
पेंट	1,495.32	1,223.54
खरीदे गए घटक	171,545.66	142,689.33
कुल	179,599.82	150,429.02

नोट 32 : उप ठेका और अन्य प्रत्यक्ष व्यय

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
उप ठेका और किए गए कार्य	28,818.23	25,026.31
हल बीमा	530.97	208.89
अन्य प्रत्यक्ष व्यय	7,207.78	12,763.53
कुल	36,556.98	37,998.73

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 33 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
वेतन, मजदूरी, बोनस/ एक्सग्रेसिया और भत्ते	26,166.40	24,044.00
भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि में अंशदान	2,020.40	1,585.78
उपदान	305.67	310.06
कर्मचारी कल्याण खर्च	2,098.56	1,815.81
कुल	30,591.03	27,755.65

भविष्य निधि और परिवार पेंशन फंड में ₹ 20.52 लाख (पिछले साल ₹ 17.72 लाख) भविष्य निधि निरीक्षण तथा प्रशासन शुल्क की ओर शामिल है।

वेतन, मजदूरी, बोनस/अनुग्रह-अनुदान और भत्ते में 512.42 लाख रुपए (पिछले वर्ष 243.52 लाख रुपए) की राशि के कामगारों के लिए अर्ध वेतन क्षतिपूरित अनुपस्थितियों की भुनाई के लिए प्रावधान शामिल हैं।

कोचीन पोर्ट ट्रस्ट और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के लिए प्राप्त होनेवाले कर्मचारी लाभों को कंपनी कोचीन पोर्ट ट्रस्ट और मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों के बीच त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार कोचीन पोर्ट ट्रस्ट और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से प्राप्त मांगों के आधार पर हिसाब किया जा रहा है न कि बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर। उनकी अनुदान को छोड़कर, जो बिल्कुल वर्ष 2019-20 के लिए बीमांकिक किया जाता है।

अन्य लाभ योजना - क्षतिपूरित अनुपस्थिति

बीमांकिक मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त प्रमुख मान्यताएं निम्नानुसार थी:

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
छूट दर (प्रति महीने)	6.66%	7.68%
क्षतिपूर्ति स्तरों में वृद्धि की दर	3.00%	3.00%
संघर्षण दर- अर्ध वेतन छुट्टी	अधिकारियों और पर्यवेक्षक 0.7% कामगार 0.7%	अधिकारियों और पर्यवेक्षक 0.24% कामगार 0.24%
संघर्षण दर- अर्जित छुट्टी	अधिकारियों और पर्यवेक्षक 0.7% कामगार 0.7%	अधिकारियों और पर्यवेक्षक 0.6% कामगार 0.1%

ब्योरा	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
निर्धारित लाभ दायित्व की औसत अवधि (वर्षों में)	7.94	6.95

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में लाभ और हानि के विवरण में पहचान की गई राशि निम्नानुसार हैं:-

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
सेवा मूल्य:		
चालू सेवा मूल्य	213.89	208.51
निवल व्याज मूल्य	196.63	187.28
वर्ष के दौरान मान्य बीमांकिक लाभ / (हानि)	767.32	294.80
लाभ और हानि के विवरण में पहचाने गए व्यय	1177.84	690.59

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में संस्था के दायित्व से उत्पन्न हुई राशि को तुलन पत्र में शामिल किया गया है:-

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य	3405.42	2893.00
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
तुलन पत्र में पहचाने गए निवल देयता/ (परिसंपत्तियां)	3405.42	2893.00

कर्मचारी लाभ के प्रकार	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
पीवीओ के वर्तमान घटक	533.22	464.29
पीवीओ के गैर चालू घटक	2872.20	2428.71
कुल पीवीओ	3405.42	2893.00

निर्धारित लाभ देयता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार हैं:-

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में निर्धारित लाभ देयता	2893.00	2649.48
वर्तमान और पिछले की सेवा मूल्य	213.89	208.51
चालू ब्याज मूल्य	196.63	187.28
बीमांकिक (लाभ)/हानि	767.32	294.8
प्रदत्त लाभ	(665.42)	(447.07)
वर्ष के अंत में निर्धारित लाभ देयता	3,405.42	2,893.00

योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित आय	-	-
बीमांकित लाभ/ (हानि)	-	-
नियोक्ता से अंशदान	665.42	447.07
प्रदत्त लाभ	(665.42)	(447.07)
वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (मध्य- वर्ष नकदी प्रवाह)

(₹ लाखों में)

वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1	484.41	390.26
वर्ष 2	83.24	121.25
वर्ष 3	203.95	242.21
वर्ष 4	86.45	174.57
वर्ष 5	74.63	68.06
अगले 5 वर्ष	472.06	376.12

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित लाभ भुगतान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

(₹ लाखों में)

वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1	484.41	390.26
वर्ष 2	83.24	121.25
वर्ष 3	203.95	242.21
वर्ष 4	86.45	174.57
वर्ष 5	74.63	68.06
अगले 5 वर्ष	472.06	376.12

संवेदनशीलता विश्लेषण - आधा वेतन छुट्टी

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
क. छूट दर + 50 बीपी	7.16%	8.18%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	355.85	285.32
वर्तमान सेवा लागत	104.81	104.84
ख. छूट दर - 50 बीपी	6.16%	7.18%
निश्चित लाभ दायित्व (पीवीओ)	389.41	310.74
वर्तमान सेवा लागत	113.84	114.18
ग. वेतन वृद्धि दर अ 50 बीपी	3.50%	3.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	389.98	311.30
वर्तमान सेवा लागत	113.99	114.39
घ. . वेतन वृद्धि दर अ 50 बीपी	2.50%	2.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	355.23	284.73
वर्तमान सेवा लागत	104.64	104.62
बीपी "मूल अंक" दर्शाता है ।		

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

संवेदनशीलता विश्लेषण - अर्जित छुट्टी

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
क. छूट दर अ 50 बीपी	7.16%	8.18%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	2,927.06	2,516.47
वर्तमान सेवा लागत	130.04	113.29
ख. छूट दर - 50 बीपी	6.16%	7.18%
निश्चित लाभ दायित्व (पीवीओ)	3,148.26	2,680.38
वर्तमान सेवा लागत	142.08	122.79
ग. वेतन वृद्धि दर अ 50 बीपी	3.50%	3.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	3,151.90	2,683.94
वर्तमान सेवा लागत	142.28	123.00
घ. . वेतन वृद्धि दर अ 50 बीपी	2.50%	2.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	2,922.90	2,512.62
वर्तमान सेवा लागत	129.82	113.07
बीपी "मूल अंक" दर्शाता है ।		

निर्धारित लाभ योजना - अनुदान

बीमांकिक मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त प्रमुख मान्यताएं निम्नानुसार थी (मुख्य कार्यालय)

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
छूट दर (प्रति महीने)	6.66%	7.68%
क्षतिपूर्ति स्तरों में वृद्धि की दर	3.00%	3.00%
संघर्षण दर	अधिकारी एवं पर्यवेक्षक 0.7% कामगार 0.7%	अधिकारी एवं पर्यवेक्षक 0.6% कामगार 0.1%
योजनागत परिसंपत्तियों पर विवरणी के अपेक्षित दर	6.66%	7.68%

निश्चित लाभ दायित्वों की औसत अवधि (वर्षों में)	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
	7.21	6.17

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में लाभ और हानि के विवरण में पहचान की गई राशि निम्नानुसार हैं:-

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
सेवा मूल्य:		
चालू सेवा मूल्य	223.48	235.84
पिछली सेवा लागत	-	-
निवल ब्याज मूल्य	23.34	72.04
लाभ और हानि विवरण में पहचाने गए निर्धारित लाभ लागत का घटक	246.82	307.88
निवल निर्धारित लाभ देयता का पुनः मापन :		
योजना दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	636.50	352.70
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक विवरणी और ब्याज आय के बीच अंतर (लाभ)/हानि	165.18	(52.69)
अन्य व्यापक आय में पहचाने गए निर्धारित लाभ लागत का घटक	801.68	300.01

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में संस्था के दायित्व से उत्पन्न हुई राशि को तुलन पत्र में शामिल किया गया है:-

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य	5,240.37	5,078.90
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	4,191.87	4,471.00
तुलन पत्र में पहचाने गए निवल देयता/ (परिसंपत्तियां)	1,048.50	607.90

निर्धारित लाभ देयता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार हैं:-

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में निर्धारित लाभ देयता	5,078.89	5,077.72
चालू सेवा मूल्य	223.48	235.84
चालू ब्याज मूल्य	349.80	355.60
वर्तमान सेवा मूल्य	-	-
बीमांकित लाभ/ (हानि)	636.50	352.70
प्रदत्त लाभ	(1,048.30)	(942.97)
वर्ष के अंत में निर्धारित लाभ देयता	5,240.37	5,078.89

योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	4,471.00	3,211.31
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित आय	326.46	283.56
बीमांकित लाभ/ (हानि)	(165.18)	52.69
नियोक्ता से अंशदान	607.90	1,866.41
प्रदत्त लाभ	(1,048.32)	(942.97)
वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	4,191.86	4,471.00

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

(₹ लाखों में)

वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
वर्ष 2	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
वर्ष 3	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
वर्ष 4	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
वर्ष 5	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
अगले 5 वर्ष	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित लाभ भुगतान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

(₹ लाखों में)

वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1	1,942.66	1,640.47
वर्ष 2	293.47	465.71
वर्ष 3	698.96	1,064.38
वर्ष 4	327.89	648.22
वर्ष 5	240.10	283.78
अगले 5 वर्ष	1,242.55	1,144.17

संवेदनशीलता विश्लेषण

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
क. छूट दर + 50 बीपी	7.16%	8.18%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	5,071.31	4,939.22
वर्तमान सेवा लागत	236.07	211.20
ख. छूट दर - 50 बीपी	6.16%	7.18%
निश्चित लाभ दायित्व (पीवीओ)	5,423.06	5,228.76
वर्तमान सेवा लागत	269.81	236.99
ग. वेतन वृद्धि दर + 50 बीपी	3.50%	3.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	5,403.33	5,217.60
वर्तमान सेवा लागत	267.13	233.60
घ. वेतन वृद्धि दर + 50 बीपी	2.50%	2.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	5,086.36	4,947.91
वर्तमान सेवा लागत	238.93	213.33

बीपी “मूल अंक” दर्शाता है ।

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

योजना परिसंपत्तियों की मुख्य श्रेणियाँ (कुल योजना परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में)

(₹ लाखों में)

भारत सरकार की प्रतिभूति	29.90%	29.42%
राज्य सरकार की प्रतिभूति	30.96%	34.62%
उच्च गुणवत्ता के कॉर्पोरेट बांड	0.00%	0.00%
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	10.90%	9.72%
संपत्ति	0.00%	0.00%
विशेष जमा योजना	0.00%	0.00%
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधि	0.25%	0.23%
अन्य (निर्दिष्ट करने के लिए)	27.99%	26.01%
कुल	100.00%	100.00%

योजना परिसंपत्तियों का प्रबंधन कंपनी द्वारा गठित अनुदान ट्रस्ट द्वारा किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा और सीएसएल मुंबई पोत मरम्मत यूनिट के वास्तविक मूल्यांकन के उद्देश्य से इस्तेमाल की जानेवाली प्रमुख धारणाएं इस प्रकार थीं :

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
छूट दर (प्र.म.) - आईएसआरएफ	6.00%
छूट दर (प्र.म.) - सीएमएसआरयू	5.70%
मुआवजे की स्तर में वृद्धि की दर	3.00%
संघर्षण दर	2.00%
योजना परिसंपत्ति पर वापसी की अपेक्षित दर	उपलब्ध नहीं

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में लाभ और हानि/अन्य व्यापक आय में पहचान की गई राशि:-

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
सेवा मूल्य:	
चालू सेवा मूल्य	45.08
पिछली सेवा लागत	-
निवल ब्याज खर्च	13.77
लाभ और हानि विवरण में पहचाने गए निर्धारित लाभ लागत का घटक	58.85
निवल निर्धारित लाभ देयता का पुनः मापन :	
योजना दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	(4.08)
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक विवरणी और ब्याज आय के बीच अंतर (लाभ)/हानि	
अन्य व्यापक आय में पहचाने गए निर्धारित लाभ लागत का घटक	(4.08)

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में संस्था के दायित्व से उत्पन्न हुई राशि को तुलन पत्र में शामिल किया गया है:-

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में बाध्यताओं की वर्तमान मूल्य	238.83
घटाइए: वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-
तुलन पत्र में मान्य निवल देयता/ परिसंपत्तियां	238.83

निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:-

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	184.06
चालू सेवा मूल्य	45.08
चालू ब्याज मूल्य	13.77
पिछली सेवा लागत	-
बीमांकिक लाभ / (हानि)	(4.08)
प्रदत्त लाभ	-
वर्ष के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व	238.83

आईएसआरएफ और सीएमएसआरयू अनुदान कंपनी द्वारा स्वयं प्रबंधित की जाती है ।

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

(₹ लाखों में)

वर्ष	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
वर्ष 1	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
वर्ष 2	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
वर्ष 3	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
वर्ष 4	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
वर्ष 5	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
अगले 5 वर्ष	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित लाभ भुगतान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

(₹ लाखों में)

वर्ष	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
वर्ष 1	14.49	1.17
वर्ष 2	36.69	2.88
वर्ष 3	25.21	3.80
वर्ष 4	32.45	2.41
वर्ष 5	11.80	1.04
अगले 5 वर्ष	104.08	2.83

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

संवेदनशीलता विश्लेषण

(₹ लाखों में)

ब्योरा	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
क. छूट दर + 50 बीपी	7.00%	6.70%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	215.49	13.74
परिवर्तन	-4.10%	-2.73%
ख. छूट दर - 50 बीपी	5.00%	4.70%
निश्चित लाभ दायित्व (पीवीओ)	234.79	14.53
परिवर्तन	4.48%	2.91%
ग. वेतन वृद्धि दर + 50 बीपी	4.00%	4.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	234.83	14.53
परिवर्तन	4.50%	2.92%
घ. वेतन वृद्धि दर + 50 बीपी	2.00%	2.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	215.30	13.73
परिवर्तन	-4.19%	-2.78%
बीपी “मूल अंक” दर्शाता है ।		

नोट 34 : वित्तीय मूल्य

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
बैंक ब्याज	-	-
पट्टा देनदारियों पर ब्याज खर्च	3,439.62	
अन्य ब्याज	1.35	378.67
कर मुक्त बांड पर ब्याज	1,051.44	1,051.44
कुल	4,492.41	1,430.11

नोट 35 : मूल्यहास और ऋणमुक्ति व्यय

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यहास	2,989.48	2,850.35
आरओयू परिसंपत्तियों पर मूल्यहास	1,395.68	
अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों पर मूल्यहास	298.47	321.30
कुल	4,683.63	3,171.65
जोड़िए: औजारों के पुनः मूल्यांकन पर हानि	210.26	248.21
कुल	4,893.89	3,419.86

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 36 : अन्य व्यय

(₹ लाखों में)

व्योरा	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
भंडार का उपभोग	2,087.39	1,780.37
पुर्जों का उपभोग	47.44	52.76
दर और कर	21.97	16.56
बिजली	2,156.61	2,023.43
ईंधन	792.76	861.66
जल	242.26	223.26
मरम्मत एवं अनुरक्षण:		
इमारते व सडकें	643.18	659.77
प्लान्ट और मशीनरी	104.92	46.96
अन्य	1,063.39	1,271.46
अनुरक्षणात्मक तल कर्षण	299.50	540.50
परिवहन और भंडार की चढाई उतराई	167.05	129.21
यात्रा तथा सवारी खर्च	852.51	496.57
छपाई तथा लेखन सामग्रियां	100.73	89.28
डाक, टेलिफोन और टेलेक्स	64.80	40.05
विज्ञापन और प्रचार	507.64	692.67
पट्टे किराया	14.56	1,216.58
पट्टे समझौते के अधीन गारंटीकृत राशि	-	12.21
भाडे	386.62	660.56
बीमा	427.26	367.45
प्रतिभूति व्यय	1,538.30	1,559.11
लेखापरीक्षकों को भुगतान	26.95	25.96
प्रशिक्षण खर्च	624.37	658.39
विधि खर्च	58.07	16.64
परामर्श	134.78	183.11
बैंक प्रभार	496.31	112.63
व्युत्पन्न अनुबंधों पर निवल हानि/ (लाभ)	502.01	-
निगमित सामाजित उत्तरदायित्व (नोट सं. 45 का संदर्भ ले)	1,270.94	1,041.16
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का बिक्री और हानि पर राइट ऑफ	1.87	16.09
विविध खर्च	1,625.42	1,354.34
कुल	16,259.61	16,148.74

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक, अन्य सेवाओं और विविध खर्चों के लिए लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक:

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
लेखापरीक्षा शुल्क के लिए	14.71	14.25
सीमित समीक्षा / अन्य सेवाओं के लिए	7.74	6.06
प्रमाणीकरण हेतु	4.50	5.65
कुल	26.95	25.96

नोट 37 : प्रत्याशित हानि और खर्च के लिए प्रावधान

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
प्रावधान:		
संदिग्ध ऋण/अग्रिम	3,286.89	6,600.24
अप्रचलन/सतत मालसूची का सत्यापन	1.98	128.62
खर्च और फुटकर खर्च	220.91	291.18
पोत निर्माण में हानि के लिए प्रावधान	5,082.00	205.00
कुल	8,591.78	7,225.04

नोट 38 : प्रति इक्विटी शेयर कमाई

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
कर के बाद निवल लाभ (₹ लाखों में)	63,200.99	47,778.77
इक्विटी शेयरों की बारित औसत संख्या	131540390	134695595
प्रति शेयर मूल और तनुकृत कमाई (₹ में)	48.05	35.47
प्रति इक्विटी अंकित मूल्य (₹ में)	10.00	10.00

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 39 : भारतीय लेखा मानक 115 के अधीन अतिरिक्त प्रकटीकरण - “ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व”

भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार अलग किए राजस्व के प्रकटीकरण

(₹ लाखों में)

व्योरा	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व		
क. समय से हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं से आय		
(i) उत्पादों की बिक्री (उत्पाद शुल्क सहित - शून्य)		
पोत निर्माण:		
देशी वायुयान वाहक आईएसी	237746.87	175676.28
आईएसी को छोड़कर अन्य जहाज	46206.78	37341.68
इंजीनियरिंग कार्य	0.00	0.00
अन्य प्रचालन राजस्व		
पोत निर्माण वित्तीय सहायता	835.57	0.00
(ii) सेवाओं की बिक्री		
पोत मरम्मत	56856.75	83197.46
ख. एक समय में ग्राहकों को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं से राजस्व		
अन्य प्रचालन राजस्व		
पोत निर्माण रद्दी माल की बिक्री	437.29	183.66
पोत मरम्मत रद्दी माल की बिक्री	166.13	160.80
स्टॉक मदों की बिक्री	0.00	0.45
कुल	342249.39	296560.33

असंतुष्ट / आंशिक रूप से संतुष्ट प्रदर्शन दायित्वों के लिए आवंटित लेनदेन मूल्य का विवरण:

प्रदर्शन दायित्वों के लिए आवंटित लेन-देन मूल्य की कुल राशि ₹ 925080.07 जो असंतुष्ट (या आंशिक रूप से असंतुष्ट) है, रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के रूप में एक वर्ष या उससे कम की मूल अपेक्षित अवधि को उपरोक्त प्रकटीकरण में शामिल नहीं किया गया है जैसा कि भारतीय लेखा मानक 115 के तहत अनुमति दी गई है। आगे लेन-देन की कीमत के अनुमान के अनुसार उपरोक्त किसी भी तरह के परिवर्तनीय विचार शामिल नहीं होंगे जो कि विवश हैं। प्रबंधन की उम्मीद है कि 21.71% दिनांक 31.03.2020 तक असंतुष्ट / आंशिक रूप से संतुष्ट अनुबंधों के लिए आवंटित लेनदेन मूल्य का, जैसा कि ऊपर कहा गया है, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व और उसके बाद के रूप में मान्यता प्राप्त होगी।

मार्च 31, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कंपनी ने अनुबंध देयता को अप्रैल 01, 2019 के रूप में खोलने से उत्पन्न होने वाले ₹ 53210.54 लाख के राजस्व को मान्यता दी।

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

वर्ष के दौरान राजस्व के साथ अनुबंधित मूल्य की प्राप्ति

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
दिनांक अप्रैल 01, 2019 तक आदेशों की खुली कीमत*	1176242.66
जोड़ :	0.00
प्राप्त नया आदेश/परिवर्तन आदेश (निवल)	341069.70
पोत निर्माण वित्तीय सहायता सहित अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के कारण	7920.74
विनिमय दर संचलनों के कारण वृद्धि (निवल)	1430.22
कमी :	0.00
विविध, परिवर्तन आदेश सहित अन्य कटौती	13747.52
वर्ष के दौरान पूरे किए गए आदेश	8176.29
दिनांक 31 मार्च 2020 तक आदेशों के समाप्ति अनुबंधित मूल्य	1504739.51
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त कुल राजस्व :	136469.80
कमी : वर्ष के दौरान पूरे किए गए आदेशों में से राजस्व	6709.06
वर्ष के अंत में निष्पादन के अधीन आदेशों का राजस्व (I)	129760.74
पिछले वर्ष तक मान्यता प्राप्त राजस्व (वर्ष के अंत में लंबित आदेशों से) (II)	449884.96
विनिमय दर संचलनों के कारण कमी (निवल) (III)	0.00
भविष्य में स्वीकृत किए जानेवाले शेष राजस्व जैसे आदेश पुस्तिका (IV)	925093.81
दिनांक 31 मार्च 2020 तक आदेशों के समाप्ति अनुबंधित दर (I+II+III+IV)	1504739.51

नोट 40 : भारतीय लेखा मानक 116 के अधीन अतिरिक्त प्रकटीकरण - “पट्टे”

भारतीय लेखा मानक “पट्टे” दिनांक अप्रैल 01, 2019 से प्रभावी हो गए और ग्रूप ने संशोधित पूर्वव्यापी संक्रमण पद्धति का उपयोग करके इसे अपनाया है। तदनुसार, तुलनाओं को पूर्वव्यापी रूप से समायोजित नहीं किया गया है। यह, दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए 39648.25 लाख रुपए के आरओयू परिसंपत्तियों, 37725.58 लाख रुपए पट्टा देयता, 3439.63 लाख रुपए के अतिरिक्त वित्त लागत, 1395.68 लाख रुपए के अतिरिक्त मूल्यहास, 28.93 लाख रुपए के अतिरिक्त पट्टा किराया आय (पट्टेदार के रूप में) और 28.93 लाख रुपए के अर्जित पट्टा किराया परिसंपत्ति (पट्टेदार के रूप में) की स्वीकार्यता में परिणत हुआ है। व्यय और आय के रूप में स्वीकार किए गए प्रदत्त और प्राप्त वास्तविक पट्टा किराए को पट्टा देयता में कमी और उपाजित पट्टा किराया के समायोजन के रूप में हिसाब लगाया जाता है। कुल मिलाकर, दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ में कमी के परिणामस्वरूप 1788.53 लाख रुपए में परिणत हुआ है।

किराया और किराया शुल्क व्यय में दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए व्यय शामिल है, जो 37.93 लाख रुपए की राशि के लिए अल्पावधि पट्टे और कम मूल्य की संपत्ति के पट्टे से संबंधित है।

दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु पट्टे के लिए कुल नकद बहिर्वाह, जिसमें अल्पावधि और कम मूल्य के पट्टे के लिए बहिर्वाह सहित, कुल 2402.90 लाख रुपए है।

कंपनी के पास पट्टा अवधि विस्तार विकल्प हैं, जो पट्टा देयताओं की माप में परिलक्षित नहीं होते हैं।

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

एक निर्विवाद आधार पर दिनांक 31 मार्च 2020 तक की पट्टा देयताओं के अनुबंध की परिपक्वता का विवरण निम्नानुसार हैं : (₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
एक वर्ष से कम	2,465.45	2,316.26
एक से पांच साल तक	10,819.77	10,267.93
पांच वर्ष से अधिक	125,971.91	128,570.69
कुल	139,257.13	141,154.88

एक निर्विवाद आधार पर दिनांक 31 मार्च 2020 तक की पट्टा परिसंपत्तियों के अनुबंध की परिपक्वता का विवरण निम्नानुसार हैं : (₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
एक वर्ष से कम	182.35
एक से पांच साल तक	465.19
पांच वर्ष से अधिक	326.87
कुल	974.41

लेखे पर टिप्पणी

टिप्पणी 41: आकस्मिक देयताओं और प्रतिबद्धताएं

(₹ लाखों में)

	ब्योरा	31 मार्च 2020 की अवधि को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 की अवधि को समाप्त वर्ष	प्रकृति एवं बाध्यता का संक्षिप्त विवरण
		(₹ लाखों में)	(₹ लाखों में)	
क	आकस्मिक देयता (प्रदान न की गई हद तक के लिए)			
क	गारंटी			
i	ऋणपत्र	13,345.68	23,005.41	सामग्रियों/परिसंपत्तियों के प्राणण के लिए विविध बैंकों में कंपनी द्वारा खोले गए एलसी का प्रतिनिधित्व करता है
ii	बैंक गारंटी	272,384.71	151,295.89	
iii	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट को निगमित निष्पादन गारंटी	3,925.00	3,925.00	ठेके की अवधि के दौरान कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के साथ किए ठेके करार के अधीनदायित्वों के निष्पादन के लिए कोचिन पोर्ट ट्रस्ट को कंपनी द्वारा निष्पादन गारंटी दिया गया ।
ख	अन्य धन जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से देनदार है			
i	विशाल कोच्ची विकास प्राधिकरण (जीसीडीए)	69.06	69.06	कंपनी के लिए उपार्जित भूमि के लिए विशाल कोच्ची विकास प्राधिकरण द्वारा उठाए गए दावा निपटान किया है। यद्यपि निष्कासितों द्वारा पंजीकृत 8 दावाएं (69.06 लाख मूल्य निर्धारित) माननीय उच्चतम न्यायालय में विचारार्थीन है।

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

	व्योरा	31 मार्च 2020 की अवधि को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 की अवधि को समाप्त वर्ष	प्रकृति एवं बाध्यता का संक्षिप्त विवरण
		(₹ लाखों में)	(₹ लाखों में)	
ii	सीमाशुल्क	21,930.58	16,532.69	बांड के अधीन सामग्रियों और सुपुर्द किए देशी पोतों के लिए सीमाशुल्क। सीईएसटीएटी, बेंगलूर द्वारा सीमा शुल्क के वापसी रु. 69.83 लाख दी गई है, जिसके खिलाफ केरल के माननीय उच्च न्यायालय में अपील लंबित है। माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील को प्राथमिकता देने के लिए केरल के माननीय उच्च न्यायालय ने विभाग को एक निर्देश के साथ अपील का निपटारा कर दिया है। विभागीय अपील पर किसी भी अन्य जानकारी के अभाव में, इसे आकस्मिक देयता के रूप में बरकरार रखा गया है। इसमें 5857.03 लाख रुपए की राशि भी शामिल हैं, जो कंपनी द्वारा किए गए आयात पर आईजीएसटी की मांग है।
iii	विक्री कर / केरल मूल्यवर्धित कर	657.51	1,259.75	2000-01 - रु. 111.93 लाख 2001-02 - रु. 73.44 लाख 2004-05 - रु. 195.67 लाख 2007-08 - रु. 276.47 लाख (अपील के अधीन)। सभी मामलों में प्राप्त कर संकलन के अपील रोक के अंतर्गत डी सी (ए) द्वारा अनुमत अपील के प्रदत्त राशि के कारण मांग कम किया है। विस्तृत नोट टिप्पणी 41.1 (II & III) में दिया है।
		12.10	12.10	वर्ष 1996-97 के लिए मूल्य वर्द्धित कर क्रेडिट जिसे मांग में नहीं माना गया, जिसके लिए बहियों में कोई प्रावधान नहीं है।
iv	आय कर	2,107.27	2,988.44	निर्धारण वर्षों से संबंधित मांग: वित्तीय वर्ष 2010-11 - ₹ 457.63 लाख वित्तीय वर्ष 2011-12 - ₹ 406.80 लाख वित्तीय वर्ष 2014-15 - ₹ 911.07 लाख वित्तीय वर्ष 2017-18 - ₹ 331.77 लाख विस्तृत टिप्पणियां 41.1 (I) में दिया है।
v	सेवा कर	1,647.47	1,647.47	जारी की गई कारण बताओ नोटिस के अनुसार आईएसी (डिजाइन परामर्श) पर सेवा कर की मांग। अधिनिर्णयन लंबित है।
		376.88	376.68	आईएसी पर सेवा कर की वापसी दावा आयुक्त (अपील) द्वारा मंजूर की गई। फिर भी, आयुक्त (अपील) के आदेश के खिलाफ सीईएसटीएटी के सामने विभाग ने अपील फाइल किया है। साथ ही, सीएसएल पर कारण बताओ सूचना भी जारी किया है और अधिनिर्णयन लंबित है।
		323.04	323.04	कारण बताओ सूचना के अनुसार आईएसी पर सेवा कर की मांग (प्रबंधन शुल्क/हैंडलिंग प्रभार) जारी की गई।
		2,339.64	2,339.64	सेनवैट क्रेडिट पर पाबंदी और सामग्रियों पर कटौती के बिना, जिसके लिए वैट का भुगतान किया गया, पोत मरम्मत पर सेवा कर वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। दिनांक 19.03.2018 के आदेश सं. सीओसी-ईएक्ससीयूएस-000-सीओएम-18-17-18 के अनुसार कारण दिखाओं के तहत कार्यवाही छोड़ दिया है। विभाग ने सीईएसटी को अपील दायर की।

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

	व्योरा	31 मार्च 2020 की अवधि को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 की अवधि को समाप्त वर्ष	प्रकृति एवं बाध्यता का संक्षिप्त विवरण
		(₹ लाखों में)	(₹ लाखों में)	
v	सेवा कर	1,885.60	1,885.60	दिनांक 20.06.2012 के अधिसूचना सं. 25/212-एसटी के लाभ को छोड़ते हुए यूटीएलए द्वारा स्वामित्व वेसलों की मरम्मत के लिए सेवा कर की वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। दिनांक 07.03.2018 के आदेश सं. सीओसी-ईएक्ससीयूएस-000-सीओएम-11-17-18 के अनुसार कारण दिखाओं के तहत कार्यवाही छोड़ दिया है। विभाग ने सीईएसटी को अपील दायर की।
		513.71	513.71	दिनांक 20.06.2012 के अधिसूचना सं. 25/212-एसटी के लाभ को छोड़ते हुए वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान यूटीएलए द्वारा स्वामित्व वेसलों की मरम्मत के लिए सेवा कर की वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
		734.93		दिनांक 20.06.2012 के अधिसूचना सं. 25/212-एसटी के लाभ को छोड़ते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान यूटीएलए द्वारा स्वामित्व वेसलों की मरम्मत के लिए सेवा कर की वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
		79.22	79.22	2015-16 की अवधि के दौरान जहाज की मरम्मत पर सेवा कर लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें बिना सामग्री के कटौती और सेनवैट क्रेडिट के बहिष्कार की अनुमति दी गई थी।
		286.85		2016-17 की अवधि के दौरान जहाज की मरम्मत पर सेवा कर लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें बिना सामग्री के कटौती और सेनवैट क्रेडिट के बहिष्कार की अनुमति दी गई थी।
v	सेवा कर	279.46	279.46	कॉन्सटेबल वारंटी दायित्वों को पूरा करने के लिए गैर-कर योग्य क्षेत्र में व्यक्तियों की सेवाओं का लाभ उठाने और कोचीन से अबू धाबी तक बजरे के ट्रांसपोर्टेशन को प्रदान की गई सुरक्षा की लागत पर सेवा कर के गैर भुगतान के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
ख	प्रतिबद्धताएं (प्रदान न की गई हद तक के लिए)			
क	पूंजी लेखा पर निष्पादन करने के लिए शेष टेकाओं की अनुमानित राशि और प्रदान न की गई के लिए :	143,692.62	181,221.45	
ख	अन्य सुझावें			
i	प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) लाभ की अप्रयुक्त राशि (चालू खाते और सावधि जमाओं में विभिन्न बैंकों के साथ जमा की गई, उपयोग करने के लिए लंबित राशि)	4,737.06	30,802.81	विस्तृत नोट 42 नोट सं. में है।

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

41.1. आकस्मिकताएं और प्रतिबद्धताएं

(I) आयकर निर्धारण

कंपनी का आय कर निर्धारण, निर्धारण वर्ष 2017-18 तक पूरा किया गया है।

निर्धारण वर्ष 2010-11, 2011-12, 2014-15 और 2017-18 के लिए कुल रु. 1406.41 लाख के निर्धारण आदेशों के अनुसार उठाए गए मांगों को आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष फाइल की गई अपीलों के निपटान के लिए लंबित आकस्मिक देयता के अधीन दर्शाया गया है। ये मांग, मुख्य रूप से कुछ वास्तविक दावों को अस्वीकार करने के कारण से है। फिर भी, उपर्युक्त मांग कंपनी को देय प्रतिदेय के सामने समायोजित की गई है।

आकलन वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए हालांकि आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष दायर अपील को कंपनी के पक्ष में निपटाया गया है, आयकर विभाग आईटीएटी के सामने आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश सामने अपील के लिए चला गया है। आईटीएटी के समक्ष अपील के तहत कुल 700.86 लाख रुपए शामिल हैं।

(II) केजीएसटी अधिनियम के अधीन बिक्री कर निर्धारण

केजीएसटी अधिनियम के अधीन बिक्री कर निर्धारण वर्ष 2004-05 तक पूरा किया गया है और वर्ष 2002-03 और 2003-04 को छोड़ कर सभी वर्षों के लिए आदेश जारी की गई अपराहन थी। वर्ष 2000-01 और 2001-02 के लिए जारी किए गए आदेशों में प्रकट गलती के कारण, आदेशों को सुधारने के लिए आवेदन फाइल किया गया है। निर्धारण आदेशों के लंबित सुधार के संबंध में मांग आकस्मिक देयताओं के अधीन दर्शाया गया है। निर्धारण वर्ष 2004-05 के लिए, उपायुक्त (अपील) ने 202.22 लाख रु की मांग के खिलाफ कंपनी द्वारा फाइल की गई अपील को खारिज कर दिया है। कंपनी ट्रिब्यूनल को अपील दायर करने की प्रक्रिया में है।

(III) केवीएटी अधिनियम के अधीन बिक्री कर निर्धारण

निर्धारण वर्ष 2005-06 और 2007-08 तक के केवीएटी का निर्धारण पूरा किया गया है और निर्धारण वर्ष 2005-06 और 2007-08 के लिए 2836.63 लाख रु और 5554.71 लाख रु. के निर्धारण आदेशों के जारी किए गए। उपर्युक्त आदेशों के खिलाफ कंपनी द्वारा उपायुक्त (अपील) के सामने फाइल की गई अपील, आंशिक रूप में कंपनी के पक्ष में निर्णय लिया गया है और नए मूल्यांकन के लिए प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया गया है। तदनुसार मूल निर्धारण आदेशों के अनुसार मांग शून्य हो गई है। चूंकि रिपोर्टिंग तिथि पर ऐसी कोई मांग मौजूद नहीं है। संशोधित मूल्यांकन आदेश की लंबित प्राप्ति के कारण कंपनी अन्य मुद्दों पर माननीय केवीएटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील फाइल की गई। अब अपील ट्रिब्यूनल के समक्ष लंबित है। वर्ष 2006-07 के लिए निर्धारण आदेश लंबित है।

42. आईपीओ आय का उपयोग नीचे संक्षेप में दिया है:

(₹ लाखों में)

विवरण	आईपीओ आय प्राप्त हुई- अंतिम आबंटन पर आधारित	31 मार्च 2020 तक नकदी बहिर्वाह	दिनांक 31 मार्च 2020 को अप्रयुक्त राशि
सूखी गोदी की स्थापना	51000.00*	46262.97	4737.03
आईएसआरएफ का स्थापना	26500.00*	26500.00	0.00
सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य	16523.26	16523.23	0.03
समस्या से संबंधित खर्च (कंपनी की जिम्मेदारी)	2172.10**	2172.10	0.00
कुल	96195.36	91458.30	4737.06

* दर्ज विवरण पुस्तिका के आधार पर

** सामान्य कॉर्पोरेट प्रयोजन के लिए अनुमानों की तुलना आईपीओ व्यय में वृद्धि (172.10 लाख रुपये) के सामने निर्दिष्ट राशि समायोजित की गई है।

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

43. मैसर्स एपीजे शिपिंग लिमिटेड (पहले सुरेंद्रा ओवरसिस लिमिटेड) और कंपनी के बीच पोट सं. 005 के मामले में विवाद भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विवाचन के लिए भेज दिया था। विवाचन पंचनिर्णय (जुलाई 2009) कंपनी के अनुकूल था जिसके अधीन मैसर्स एपीजे शिपिंग लिमिटेड से कंपनी 2803.64 लाख रुपए प्राप्त करना है। कंपनी ने आदेश पारित करने के लिए उप न्यायालय, एर्णाकुलम के समक्ष एक याचिका फाइल की है और मामला विचाराधीन है। न्यायालय के आगे मामला विचाराधीन है। न्यायालय के अधीन लंबित अंतिम आदेश खाता बहियों में कोई जमा नहीं किया गया है।
44. विवाचन के लिए स्थायी मशीनरी, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार ने कार्य ठेका कर मुद्दे पर सीएसएल और ओएनजीसी के विवाद में कंपनी के पक्ष में निर्णय अधिसूचित किया और निर्णय के अनुसार ओएनजीसी ने सीएसएल को 2642.22 रु की ब्याज के साथ विवादित राशि का भुगतान किया। ओएनजीसी ने इस निर्णय के खिलाफ कानून सचिव, कानून एवं न्याय मंत्रालय के सामने अपील फाइल किया। ओएनजीसी अपील के अनिर्णीत निपटारे के संबंध में लेखे में कोई समायोजन नहीं किया गया है।
45. मुकदमा : कंपनी साधारण में कानूनी कार्यवाही और दावों के अधीन है। कंपनी के प्रबंधन यथोचित उम्मीद नहीं करता है कि इन कानूनी कार्रवाई जब अतत समाप्त और निर्धारित की है, कंपनी के प्रचालन परिणामों पर प्रत्यक्ष और प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

दिनांक 31 मार्च 2020 की तिथि पर महत्वपूर्ण मुकदमों का विवरण।

मै. विजिल मराइन सर्वोसिस मे वर्ष 2004 में एटीसीओ टगों के लिए आदेश प्राप्त करने हेतु देय एजेंसी छूट की ओर दावा उठाया था। मध्यस्थता कार्यवाही दिनांक 10 अक्टूबर 2004 को शुरू हुई। गवाहों की परीक्षा और प्रति परीक्षा पूरी की और मामला दिनांक 01 और 02 फरवरी 2014 को तर्क वितर्क के लिए दर्ज किया। मध्यस्थ ने कार्यवाहियों पूरी की और मै. विजिल मराइन सर्वोसिस को प्रतिवर्ष 8% दर पर ब्याज सहित 18.25 मिलियन यूएस डॉलर के एटीसीओ ठेका मूल्य के 5% दर पर कमीशन देने के लिए कंपनी को निदेश करते हुए उनका निर्णय पारित किया। इस पर असंतुष्ट सीएसएल उप न्यायालय, एर्णाकुलम के समक्ष मूल मुकदमा सं. 187/2016 फाइल की और निर्णय अमल में लाना स्थगित करते हुए एक अंतरिम आदेश प्राप्त किया।

46. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी ने एक सीएसआर समिति गठित की गई है। सीएसआर की गतिविधियों के क्षेत्र में स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा, सामाजिक सशक्तिकरण आदि और कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची में बताए गए, शामिल है। सीएसआर निधि का उपयोग, सीएसआर समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रत्यक्ष खर्च के माध्यम से किया जाता है। खर्च करने के लिए अपेक्षित राशि और उपयोग की राशि का विवरण निम्नानुसार है :

(क) दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि के दौरान कंपनी द्वारा खर्च किए जाने के लिए अपेक्षित कुल राशि	₹ 1233.49 लाख			
(ख) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	₹ 1270.94 लाख	रुपए लाख में		
	विवरण	नकद में	अभी तक नकद में भुगतान करने की राशि	कुल
(i) किसी परिसंपत्ति का निर्माण/प्राप्ति		824.63	-	824.63
(ii) उपर्युक्त (i) को छोड़कर उद्देश्य		446.31	-	446.31

47. भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार संबंधी पार्टी प्रकटीकरण

(₹ लाखों में)

संबंधी पार्टी	संबंध की प्रकृति	
	2019-20	2018-19
श्री मधु एस नायर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री पॉल रंजन डी (31 जुलाई 2019 तक) निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री सुरेश बाबु एन वी निदेशक (प्रचालन)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री विजोय भास्कर निदेशक (तकनीकी)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

संबंधी पार्टी	संबंध की प्रकृति	
	2019-20	2018-19
श्री जोस वी जे 01 अगस्त 2019 से) निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	-
श्री सतीन्दर पाल सिंह (03 फरवरी 2020 तक) सरकारी अंशकालिक (नामांकित) निदेशक , भारत सरकार	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री एलियास जॉर्ज (20 अप्रैल 2018 तक) सरकारी अंशकालिक (नामांकित) निदेशक , केरल सरकार	-	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री संजय बंदोपाध्याय (03 फरवरी 2020 से) सरकारी अंशकालिक (नामांकित) निदेशक , भारत सरकार	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	-
श्री के आर ज्योतिलाल (20 अप्रैल 2018 से) सरकारी अंशकालिक (नामांकित) निदेशक , केरल सरकार	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्रीमती रूपा शेखर राय (29 जुलाई 2019 से 20 मार्च 2020 तक) गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री राधाकृष्ण मेनोन (29 जुलाई 2019 से 20 मार्च 2020 तक) गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री कृष्ण दास ई (29 जुलाई 2019 से 20 मार्च 2020 तक) गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री जिजी तोमसण गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री प्रदीप्ता बानर्जी गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री नंद कुमारन पुत्तेरत्त गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्रीमती वी कला (31 जनवरी 2020 तक) कंपनी सचिव	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री एस बालाजी अरुण कुमार निदेशक, एचसीएसएल	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री राजेश गोपालकृष्णन मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एचसीएसएल	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री शिवु जॉन मुख्य वित्तीय अधिकारी, एचसीएसएल	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री श्यामकमल एन (01 फरवरी 2020 से) कंपनी सचिव	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	-
श्री अश्विन शर्मा एम कंपनी सचिव, एचसीएसएल	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति के लेनदेन- पारिश्रमिक की प्रकृति *

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
अल्पकालीन लाभ	353.83	275.32
रोजगार के बाद के लाभ	38.89	34.13
कुल	392.72	309.45

* 31 मार्च, 2019 तक पारिश्रमिक में वेतन संशोधन बकाया दिनों 01.01.2017 से शामिल है।

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

लेनदेन की प्रकृति - ऋण/ अग्रिम

(₹ लाखों में)

संबंधी पार्टी का नाम	दिनांक 01.04.2019 को खुला शेष	वर्ष 2019-20 के दौरान ली गई ऋण / अग्रिम	चुकोती	दिनांक 31.03.2020 को शेष	दिनांक 31.03.2020 को अर्जित ब्याज
मधु एस नायर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पॉल रंजन डी	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00
सुरेश बाबु एन वी	0.19	0.50	0.49	0.20	0.00
बिजोय भास्कर	0.52	0.50	0.82	0.20	0.00
जोस वी जे	0.18	0.50	0.48	0.20	0.00
कला वी	0.15	0.50	0.65	0.00	0.00
श्यामकमल एन	0.18	0.60	0.54	0.24	0.00

संबंधी पार्टी का नाम	दिनांक 01.04.2018 को खुला शेष	वर्ष 2018-19 के दौरान ली गई ऋण / अग्रिम	चुकोती	दिनांक 31.03.2019 को शेष	दिनांक 31.03.2019 को अर्जित ब्याज
मधु एस नायर	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00
पॉल रंजन डी	0.99	0.50	1.34	0.15	0.00
सण्णितोमस	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00
सुरेश बाबु एन वी	0.95	0.60	1.36	0.19	0.00
बिजोय भास्कर	1.73	0.50	1.71	0.52	0.36
कला वी	0.77	0.50	1.12	0.15	0.00

ऋण शेष राशियों के एमपी प्राप्त करने की स्थिति के वर्ष से विचार किया जाएगा ।

लेनदेन की प्रकृति- स्वतंत्र निदेशक के बैठक शुल्क

(₹ लाखों में)

बैठक का नाम	रूपाशेखर रॉय	कृष्णदास ई	राधाकृष्ण मेनन	जिजी तॉमसण	नंदकुमारन पुत्तेषत्त	प्रदीप्ता बैनर्जी
बोर्ड बैठक	0.60	0.60	0.60	0.75	0.60	0.75
लेखापरीक्षक समिति	0.00	0.30	0.30	0.30	0.45	0.30
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व	0.45	0.00	0.45	0.30	0.30	0.00
नामांकन और पारिश्रमिक समिति	0.45	0.45	0.00	0.30	0.30	0.00
ठेका और कैपेक्स समिति	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.45
कार्यनीति मानव संसाधन समिति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
नई प्रौद्योगिकी, रणनीति और नई पहल के लिए समिति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
हितधारक संबंध समिति	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
पोत निर्माण सॉफ्टवेयर मूल्य बातचीत समिति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.15
2019-20 के लिए कुल भुगतान	1.50	1.50	1.35	1.95	2.25	1.80

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

लेनदेन की प्रकृति- अन्य संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन

सीएसएल एक सरकारी कंपनी है जो, पोत परिवहन मंत्रालय के अधीन नियंत्रित है। कंपनी ने सरकार और सरकार संबंधित संस्थाओं के साथ संबंधित पार्टी लेनदेन के संबंध में इन्ड एस 24 के तहत तैयार विस्तृत प्रकटीकरण से छूट का लाभ उठाया है।

हालांकि, इन्ड एस 24 के अधीन, व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण लेनदेन निम्नलिखित है:

मूल कंपनी द्वारा सरकार और सरकारी संबंधित संस्थाओं के साथ लेनदेन

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
भारत सरकार को देय राशि	235.40	235.40
वर्ष के दौरान लाभांश के रूप में भारत सरकार को देय राशि	14474.11	12234.24

उपर्युक्त के अलावा, कंपनी के कारोबार के लगभग 97.70 % और व्यापार प्रायों के 97.88 % (लगभग) तथा ग्राहक अग्रिम सरकार और सरकार से संबंधित संस्थाओं के संबंध में है।

48. वित्तीय साधन

अंकित मूल्य पदानुक्रम मूल्यांकन मानकों के लिए इनपुट पर आधारित है जो अंकित मूल्य को मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जो या तो सुस्पष्ट या असुस्पष्ट है और निम्नलिखित तीन स्तरों में शामिल हैं:

स्तर I इनपुट, समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में उद्धृत दर (असमायोजित) है जिससे कंपनी माप की तिथि तक उपयोग कर सकती है।

स्तर II इनपुट, स्तर I में शामिल उद्धृत दर को छोड़कर इनपुट हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में परिसंपत्ति या देयता के लिए विचार योग्य है।

स्तर III इनपुट, परिसंपत्ति या देयता के लिए अप्रभावी इनपुट है।

निम्न तालिका आवर्ती आधार पर अंकित मूल्य पर मापा गया वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं का संक्षेप प्रस्तुत करती है और वित्तीय विवरणों को आवर्ती आधार पर अंकित मूल्य पर मापा नहीं जाता है (लेकिन अंकित मूल्य के प्रकटीकरण अपेक्षित है।)

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

वित्तीय परिसंपत्तियां/ वित्तीय देयताएं

(₹ लाखों में)

	अंकित मूल्य		अंकित मूल्य अनुक्रम
	31.03.2020 को	31.03.2019 को	
वित्तीय परिसंपत्तियां			
गैर-चालू			
(i) निवेश	9.18	9.18	स्तर III
(ii) ऋण	108.55	129.01	स्तर II
(iii) अन्य	864.50	-	स्तर II
चालू			
(i) प्राप्य व्यापार	28,823.21	39,233.68	स्तर II
(ii) नकद एवं नकद समतुल्य	86,682.14	102,066.77	स्तर II
(iii) बैंक शेष (iii) को छोड़कर	132,840.27	155,657.48	स्तर II
(iv) ऋण	30.97	39.21	स्तर II
(v) अन्य	3,145.35	23,281.45	स्तर II
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	252,504.17	320,416.78	
वित्तीय देयताएं			
गैर-चालू			
(i) उधार	12,300.00	12,300.00	स्तर I
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	37,586.91	261.22	स्तर II
चालू			
(i) देय व्यापार	41,871.78	34,659.11	स्तर II
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	17,801.48	13,019.78	स्तर II
कुल वित्तीय देयताएं	109,560.17	60,240.11	

नोट:

1. इक्विटी साधनों में निवेश व्यापार के लिए नहीं है। इसके बजाय, वे मध्यम या दीर्घकालिक सामरिक उद्देश्यों के लिए हैं। भारतीय लेखा मानक 109 के अनुप्रयोग पर, कंपनी ने इन निवेशों को एफवीटीओसीआई के रूप में इक्विटी साधनों में निर्दिष्ट करने के लिए चुना है, क्योंकि निदेशक का मानना है कि यह मध्यम या दीर्घकालिक सामरिक निवेश की एक अधिक सार्थक प्रस्तुति प्रदान करता है, जो कि लाभ और हानि में तुरंत अंकित मूल्य में बदलाव को दर्शाता है।

इक्विटी इंस्ट्रुमेंट्स में निवेश ट्रेडिंग के लिए नहीं किया जाता है। इसके बजाय, उसे मध्यम या दीर्घकालिक रणनीतिक उद्देश्य के लिए रखा जाता है। कंपनी ने इन निवेशों को सब्सिडियरी के इक्विटी उपकरणों में लागत और एफवीटीओसीआई में अन्य इक्विटी उपकरणों के अनुसार चुना है (भारतीय लेखा मानक 27 के अनुसार)। जैसा कि निदेशकों का मानना है कि यह लाभ और हानि में तुरंत उचित मूल्य में परिवर्तन को दर्शाने से ज्यादा मध्यम या दीर्घकालिक रणनीतिक निवेश की अधिक सार्थक प्रस्तुति प्रदान करता है।

अंकित मूल्य अनुक्रम के स्तर 3 में शामिल निवेश उनके अंकित मूल्य पर पहुँचने के लिए लागत दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए मूल्यांकन किया गया है। उद्धृत न किए निवेशों की लागत अंकित मूल्य के अनुरूप है इसलिए कि जहां संभाव्य अंकित मूल्य माप के एक विस्तृत श्रृंखला होती है और लागत उस सीमा के भीतर अंकित मूल्य के अनुमान की ओर है।

इस अवधि में स्तर 1 और 2 के बीच कोई अंतरण नहीं है।

2. ऋण, उधार बाजार दर पर है और अतः कैरिडिंग मूल्य, अंकित मूल्य है।

3. प्राप्य व्यापार, व्यापार और अन्य देनदारियों, लघु अवधि के ऋण के कैरिडिंग राशि को उनके अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके अंकित मूल्य के समान माना जाएगा।

बैंक जमाराशियों, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों, अन्य वित्तीय देयताओं और ऋण के कैरिडिंग राशि और अंकित मूल्यों के बीच के अंतर, आगे, परिशोधित लागत में मापा गया है जो प्रस्तुत प्रत्येक हर सालों में महत्वपूर्ण नहीं है।

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

श्रेणीवार वित्तीय साधन

(₹ लाखों में)

	31 मार्च 2020			31 मार्च 2019		
	एफवी टीपीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत	एफवी टीपीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां						
निवेश (गेर चालू)						
-इक्विटी साधन		9.18			9.18	
-ऋण साधन						
ऋण			108.55			129.01
अन्य			864.50			0.00
प्राप्य व्यापार			28,823.21			39,233.68
नकद एवं नकद समतुल्य			86,682.14			102,066.77
बैंक शेष			132,840.27			155,657.48
ऋण			30.97			39.21
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां			3,145.35			23,281.45
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		9.18	252,495.00	0.00	9.18	320,407.59
वित्तीय देयताएं						
उधार			12,300.00			12,300.00
अन्य वित्तीय देयताएं			37,586.91			261.22
प्राप्य व्यापार			41,871.79			34,659.11
पूंजीगत लेनदारों						
अन्य वित्तीय देयताएं			17,801.48			13,019.78
कुल वित्तीय देयताएं			109,560.18			60,240.11

49. वित्तीय जोखिम प्रबंधन नीति

वित्तीय जोखिम प्रबंधन लक्ष्य और नीतियां :

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं, व्युत्पन्न को छोड़कर, में ग्राहकों के ऋण और उधार, व्यापार और अन्य भुगतान और अग्रिम शामिल होते हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य यह है कि कंपनी के प्रचालनों, कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं को वित्तपोषण करना और उसके प्रचालनों को सहायता देने के लिए गारंटियां प्रदान करना है। कंपनी के प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश, ऋण और अग्रिम, व्यापार और अन्य प्राप्य और नकद तथा बैंक शेष शामिल हैं, जो अपने प्रचालनों से सीधे व्युत्पन्न हो जाता है। कंपनी बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और संपत्ति जोखिम के लिए उजागर है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन की देखरेख करते हैं। जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के लिए सभी व्युत्पन्न गतिविधियों को आवश्यक संसाधनों को निर्दिष्ट करके विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन समिति की देखरेख में किया जाता है। यह कंपनी की नीति है कि अव्यवहार्य उद्देश्यों के लिए व्युत्पन्न में कोई व्यापार नहीं किया जा सकता है। निदेशक मंडल प्रत्येक इन सभी जोखिमों के प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा करती है और सहमति देती है, जो नीचे संक्षेप में दिए गए हैं।

बाजार जोखिम

बाजार जोखिम, एक जोखिम है जो वित्तीय परिसंपत्तियों के भविष्य नकदी प्रवाह के अंकित मूल्य बाजार दर में परिवर्तन के कारण बदलते रहेंगे। बाजार जोखिम में तीन प्रकार जोखिम शामिल हैं : व्याज दर जोखिम, मुद्रा जोखिम और अन्य कीमत जोखिम, जैसे कि इक्विटी कीमत जोखिम और सामग्री जोखिम। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय परिसंपत्तियों में ऋण और उधार, जमा और व्युत्पन्न वित्तीय साधन शामिल हैं।

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम, एक जोखिम है जो वित्तीय परिसंपत्तियों के भविष्य नकदी प्रवाह के अंकित मूल्य बाजार ब्याज दर में परिवर्तन के कारण बदलते रहेंगे। बाजार में परिवर्तन के जोखिम की ओर कंपनी के ऋण जोखिम मुख्य रूप से फ्लोटिंग ब्याज दर के साथ कंपनी के दीर्घकालीन ऋण दायित्वों से संबंधित है।

विदेशी मुद्रा जोखिम

ब्याज दर जोखिम, एक जोखिम है जो ऋण जोखिम के भविष्य नकदी प्रवाह या अंकित मूल्य बाजार विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन के कारण बदलते रहेंगे। विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन जोखिम की ओर कंपनी के ऋण जोखिम, मुख्य रूप से कंपनी के प्रचालन गतिविधियों से संबंधित है (जब राजस्व या खर्च विदेशी मुद्रा में नामित करने पर)।

कंपनी के विदेशी मुद्रा जोखिम बोर्ड द्वारा अनुमोदित उचित रूप से प्रलेखीकृत जोखिम प्रबंधन नीति के माध्यम से प्रबंध किया जाता है।

सामग्री कीमत जोखिम

कंपनी कुछ सामग्रियों की कीमत में अस्थिरता से प्रभावित है। इसके प्रचालन गतिविधियों के लिए स्टील, मुख्य मशीनरियां, उपकरण आदि खरीदने की आवश्यकता है। अतः कंपनी को कीमत अनुकूल बनाने के लिए निकटता से खरीदने हेतु योजना है।

क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम, एक जोखिम है जो काउंडर पार्टी वित्तीय साधन या ग्राहक ठेके के अधीन अपने दायित्वों को पूरा नहीं करेंगे जो वित्तीय नुकसान के कारक है। कंपनी अपनी संचालन गतिविधियों (मुख्य रूप से आपूर्तिकारों को व्यापार प्राप्य और अग्रिम) और अपनी वित्तीय गतिविधियों से क्रेडिट जोखिम की ओर अनावृत है, जिसमें बैंक जमा और वित्तीय संस्थान, विदेशी विनिमय लेनदेन और अन्य वित्तीय साधन शामिल हैं।

50. सेगमेंट रिपोर्टिंग

कंपनी ने दो प्रमुख प्रचालन खंडों को पहचान किया है : पोत निर्माण और पोतों की मरम्मत/अपतटीय संरचना। खंडवार विश्लेषण उपर्युक्त आधार पर किया गया है और एक उचित आधार पर राशि को आर्बिट्ररी किया गया है।

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
सेगमेंट परिसंपत्तियां		
पोत निर्माण	292812.55	246394.20
पोत मरम्मत	243285.53	195899.31
अन्य	104574.45	82316.16
कुल	640672.53	524609.67
सेगमेंट देयता		
पोत निर्माण	67144.21	39406.47
पोत मरम्मत	12715.35	25944.31
अन्य	188524.62	125867.12
कुल	268384.18	191217.90

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
सिंगमेट राजस्व		
पोत निर्माण	285226.50	213202.07
पोत मरम्मत	57022.89	83358.26
अनावटित	24508.13	22598.35
कुल	366757.52	319158.68
सिंगमेट परिणाम		
पोत निर्माण	66459.10	44494.96
पोत मरम्मत	14741.55	23789.32
अनावटित	4571.35	6467.25
कुल	85772.00	74751.53

कंपनी को दो प्रमुख व्यापार खंड हैं - “पोत निर्माण” और “पोत मरम्मत”। पोत निर्माण के अधीन राजस्व में कुल राजस्व के 10% से अधिक होनेवाले एक ग्राहक (पिछले वर्ष : एक ग्राहक) से 237746.87 लाख रुपए (पिछले वर्ष : 206934.28 लाख रुपए) शामिल हैं। पोत मरम्मत के लिए, राजस्व में कुल राजस्व के 10% से अधिक होनेवाले एक ग्राहक (पिछले वर्ष : एक ग्राहक) से 49582.22 लाख रुपए (पिछले वर्ष : 61572लाख रुपए) शामिल हैं।

51. पूंजी प्रबंधन

जब पूंजी के प्रबंध कर रहे हैं, तब चालू विचार के रूप में जारी रखने की अपनी क्षमता की रक्षा करना कंपनी का उद्देश्य है, ताकि वे पूंजी की लागत को कम करने के लिए शेरधारकों के लिए लाभ प्रदान करना जारी रखें और इष्टतम पूंजी संरचना को बनाए रखें।

पूंजी प्रबंधन के इस उद्देश्य के लिए, पूंजी में उत्पादक के इक्विटीधारकों के लिए सभी अन्य इक्विटी आरक्षण कारणों और जारी इक्विटी पूंजी शामिल हैं। कंपनी किसी भी विदेशी लगाए गए पूंजी अपेक्षाओं के अधीन नहीं है।

पूंजी संरचना को बनाए रखने और समायोजित करने के लिए, कंपनी शेरधारकों को लाभांश भुगतान, शेरधारकों को वापसी पूंजी या नए शेर जारी कर सकते हैं। कंपनी एक गियरिंग अनुपात जो कुल इक्विटी द्वारा विभाजित निवल ऋण है, का उपयोग करते हुए पूंजी की जांच करती है। कंपनी में निवल ऋण, ब्याज ऋण और उधार (बांड सहित) शामिल हैं।

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
दीर्घकालीन उधार	12300.00	12300.00
निवल ऋण	12300.00	12300.00
इक्विटी शेर पूंजी	13154.04	13154.04
अन्य इक्विटी	359134.31	319710.00
कुल इक्विटी	372288.35	332864.04
गियरिंग अनुपात	3.30%	3.70%

दिनांक 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्षों के दौरान, पूंजी प्रबंधन के लिए लक्ष्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

52. कंपनी ने इंसांल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के प्रावधानों के अनुसार नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी), चेन्नई द्वारा शुरू की गई कॉर्पोरेट इंसांल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (सीआईआरपी) के तहत टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड (टीएसएल) के लिए एक संकल्प योजना तैयार किया है। टीएसएल, एक ऐसी कंपनी है जो देशी और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए पोतों के निर्माण एवं मरम्मत कार्यों में लगे हुए हैं, जिसकी सुविधा केन्द्र मालपे, कर्नाटक में है। सीआईआरपी के तहत सीएसएल द्वारा प्रस्तुत संकल्प योजना को लेनदारों को समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और एनसीएलटी ने दिनांक 04 मार्च 2020 को दिए अपने अंतिम आदेशों को अनुमोदित किया है। कोविड-19 महामारी की स्थिति और लॉकडाउन के कारण, सीएसएल ने संकल्प योजना के तहत भुगतान के लिए निर्दिष्ट समय की गणना से लॉकडाउन अवधि को छोड़ने के लिए एनसीएलटी, चेन्नई के समक्ष एक याचिका दायर की थी। चूंकि याचिका दायर करने के समय लॉकडाउन की अवधि खत्म नहीं हुई थी, एनसीएलटी ने दिनांक 12 मई 2020 के अपने आदेश द्वारा सीएसएल को निदेश दिया कि लॉकडाउन अवधि की समाप्ति के बाद इसपर ध्यान दिया जाए। सीएसएल ने चेन्नई में लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के बाद एनसीएलटी से संपर्क करने का प्रस्ताव किया।

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

53. विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक महामारी घोषित एक विकसित मानव त्रासदी के रूप में कोरोनावायरस (कोविड-19) का प्रभाव जारी है। यह दुनिया भर के लोगों के स्वास्थ्य के साथ-साथ अर्थव्यवस्था और वाणिज्य की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। यह सभी व्यापारिक संगठनों के लिए प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है। कोविड-19 महामारी के प्रभाव वास्तविक समय में सामने आ रहे हैं। कोविड-19 का प्रकोप पहले से ही प्रभावित देशों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों की अर्थ-व्यवस्था पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए दिनांक 25 मार्च 2020 से राष्ट्रव्यापी तालाबंदी की घोषणा की गई, इसके बाद कई राज्यों में माल की आवाजाही, सीमाओं को बंद करने आदि पर प्रतिबंध के साथ प्रकोप के परिणामस्वरूप भारत में आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान शुरू हुआ। इसके कारण सीएसएल की सुविधाओं और उसकी सहायक कंपनियों में परिचालन अस्थायी रूप से बाधित हो गया। सामने आया महामारी परिदृश्य अभी भी भविष्य के आकलन में कंपनी के लिए एक चुनौती पेश करता है।

दिनांक 23 मार्च 2020 से 05 मई 2020 तक कंपनी का संचालन अस्थायी रूप से बाधित हो गया। सीएसएल परिचालन के कम पैमाने पर काम करना जारी रखता है और वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के परिणामों पर प्रभाव की उम्मीद करता है। हालांकि, कंपनी को आगामी तिमाहियों में उत्पादन में भारी वृद्धि की उम्मीद है। कंपनी को उम्मीद है कि कैपेक्स सहित चल रही परियोजनाओं में कुछ देरी होगी, लेकिन अनुबंध में अप्रत्याशित घटना के आह्वान और अनुदान से प्रभाव कम होने की संभावना है। संभावित ग्राहकों द्वारा पाइपलाइन परियोजनाओं के संभावित ठंडे बस्ते/रोक के कारण व्यावसायिक परिदृश्य भी एक चुनौती पेश करता है। लेकिन कंपनी को इसके लिए पर्याप्त व्यापार की उम्मीद है। इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि कोविड-19 का प्रभाव इन अनुमानों से भिन्न हो सकता है और कंपनी भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों में किसी भी प्रत्यक्ष परिवर्तन की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगी।

54. सहायक कंपनी का विवरण

नाम	संबंध	कार्य की प्रकृति	बिजनेस की मुख्य जगह	दिनांक 31 मार्च 2018 को आनुपातिक स्वामित्व में प्रतिशतता
1 हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	सहायक	विविध तरह के पोतों के निर्माण और मरम्मत	कोलकाता, भारत	100%

55. सहायक कंपनी की संक्षिप्त वित्तीय जानकारी निम्नानुसार है:

इंटर कंपनी उन्मूलन के पहले सहायक कंपनी के लिए उद्घाटित राशि

(₹ लाखों में)

सारांशित तुलन पत्र	2019-20	2018-19
गैर चालू परिसंपत्ति	4926.00	1053.13
चालू परिसंपत्ति	2514.22	5599.73
कुल परिसंपत्ति	7440.22	6652.86
गैर चालू देयता	4400.00	4400.00
चालू देयता	1259.23	223.12
कुल देयता	5659.23	4623.12
निवल देयता	1780.99	2029.74
संचित एनसीआई	0.00	527.73
लाभ व हानि के संक्षेप विवरण	2019-20	2018-19
राजस्व	0.00	0.00
वर्ष के लिए लाभ/ (हानि)	(248.76)	(133.19)
अन्य विस्तृत आय	0.00	0.00
कुल विस्तृत आय	(248.76)	(133.19)
एनसीआई के लाभ/(हानि) के कारण		(34.63)
संक्षेप रोकडप्रवाह	2019-20	2018-19
परिचालन गतिविधियों से रोकड प्रवाह	(251.45)	(1457.98)
जांच गतिविधियों से रोकड प्रवाह	(2128.07)	(213.91)
वित्तीय गतिविधियों से रोकड प्रवाह	-22.79	4400.00
रोकड और रोकड समतुल्य निवल वृद्धि/ कमी	-2402.31	2728.12

दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

56. समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची III द्वारा आवश्यक जानकारी

(₹ लाखों में)

ग्रुप में संस्था का नाम	निवल परिसंपत्तियाँ			लाभ या (हानि) में शेयर		अन्य व्यापक आय में शेयर		कुल व्यापक आय में शेयर	
	दिनांक 31 मार्च 2020 को प्रतिशत में मालिकी	आनुपातिक शेयर	समेकित निवल परिसंपत्ति का प्रतिशत	लाभ/ (हानि) में शेयर	समेकित लाभ/ (हानि) का प्रतिशत	अन्य व्यापक आय में शेयर	समेकित अन्य व्यापक आय का प्रतिशत	कुल व्यापक आय में शेयर	समेकित कुल व्यापक आय का प्रतिशत
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	100.00%	373179.50	100.24%	63768.75	100.90%	-596.84	100.00%	63171.91	100.91%
सहायक									
हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	100.00%	1780.99	0.48%	-248.76	-0.39%	0	0	(248.76)	-0.40%
समेकित समायोजन		(2672.14)	-0.72%	-319.00	-0.50%	0	0	(319.00)	-0.51%
कुल योग		372288.35	100.00%	63200.99	100.00%	-596.84	100.00%	62604.15	100.00%

57. ठेके/उप ठेके के मामले में, जहां कहीं वर्ष के अंत में किए गए काम के लिए ठेकेदारों द्वारा अंतिम बिलों को प्रस्तुत न करने पर, किए गए काम के आधार पर देयता अनुमानित और प्रदान किया जाता है ।
58. व्यापार प्राप्तियां, व्यापार देय, ऋण, जमा और दावों के अधीन दर्शाए गए शेष राशि पुष्टि और परिणामस्वरूप पुनर्मिलन, यदि कोई हो, के अधीन है ।
59. कंपनी ने दीर्घकालिक ठेके के संबंध में, जहां भी आवश्यक हो, महत्वपूर्ण पूर्वाभासी हानियों की ओर पर्याप्त प्रावधान किया गया है । कंपनी को कोई दीर्घकालिक व्युत्पन्न ठेके नहीं है, जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण पूर्वाभासी हानि नहीं है ।
60. कोषक के आंकड़े शून्य आंकड़े को दर्शाता है ।
61. पिछले वर्ष के आंकड़े को जहां भी आवश्यक हो, वर्तमान वर्ष के प्रस्तुतीकरण की पुष्टि के लिए पुनःएकत्र और वर्गीकृत किया गया है ।

निदेशक बोर्ड के लिए और की ओर से

श्यामकमल एन
कंपनी सचिव
स.सं. — ए25337

सुरेश बाबु एन वी
निदेशक (प्रचालन)
डीआईएन- 07482491

जोस वी जे
निदेशक (वित्त) व
मुख्य वित्तीय अधिकारी
डीआईएन- 08444440

मधु एस नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन- 07376798

कोच्ची. दिनांक 20 जून 2020
संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स एलियास जॉर्ज व कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं.000801एस)

रंजित मैथ्यूस पी
साझेदार
(सदस्यता सं. 205377)

कोच्ची, दिनांक 20 जून 2020

अनुबंध फॉर्म सं. एओसी 1

सहायक कंपनियों/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उपक्रमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताएं शामिल विवरण
(कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उप-धारा 3 के पहला प्रावधान के अनुसार)

भाग "क" : सहायक कंपनियां

क्र.सं.	ब्यौरे	विवरण
1	क्रम सं.	1
2	सहायक कंपनी का नाम	मेसर्स हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
3	संबंधित सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि होल्डिंग कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न हो	नहीं
4	विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि के अनुसार मुद्रा और विनिमय दर की रिपोर्टिंग	लागू नहीं
5	शेयर पूंजी	2200 लाख रुपए
6	आरक्षण और अधिशेष	(419.01) लाख रुपए
7	कुल परिसंपत्तियां	7440.22 लाख रुपए
8	कुल देयताएं	7440.22 लाख रुपए
9	निवेश	नहीं
10	कुल कारोबार	नहीं
11	कराधान पूर्व लाभ	(251.58) लाख रुपए
12	कराधान के लिए प्रावधान	
	(i) वर्तमान कर	
	(ii) आस्थगित कर	(2.82) लाख रुपए
13	कराधान के बाद लाभ	(248.76) लाख रुपए
14	प्रस्तावित लाभांश	शून्य
15	शेयरधारिता का प्रतिशत	100%

नोट : निम्नलिखित जानकारी बयान के अंत में प्रस्तुत की जाएगी :

1. हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के 100% सहायक कंपनी है, को परिचालन शुरू करना शेष है ।

भाग "ख": सहायोगी और संयुक्त उद्यम : लागू नहीं

निदेशक बोर्ड के लिए और की ओर से

श्री श्यामकमल एन
कंपनी सचिव
स.सं. : ए 25337

सुरेश बाबु एन वी
निदेशक (प्रचालन)
डीआईएन- 07482491

जोस वी जे
निदेशक (वित्त) व
मुख्य वित्तीय अधिकारी
डीआईएन- 08444440

मधु एस नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन- 07376798

कोच्ची, दिनांक जून 20, 2020

संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स एलियास जॉर्ज व कंपनी

सनदी लेखाकार

(फर्म पंजीकरण सं.000801 एस)

रंजित मैथ्यूस पी

साझेदार

(सदस्यता सं. : 205377)

कोच्ची, दिनांक जून 20, 2020



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

निगमित पहचान सं. (सीआईएन) : L63032KL1972GOI002414

पंजीकृत कार्यालय : प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, एर्णाकुलम, केरल - 682015

दूरभाष सं. : +91 (484) 2361181/2501200 फैक्स : +91 (484) 2370897/2383902

ई-मेल पता : secretary@cochinshipyard.com वेबसाइट : www.cochinshipyard.com

सूचना

सूचना एतद्वारा दी जाती है कि कोचीन शिपयार्ड की सदस्यों की 48 वीं वार्षिक साधारण बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य श्रव्य दृश्य माध्यमों ('ओएवीएम') के जरिए मंगलवार, सितंबर 29, 2020 को पूर्वाह्न 11.00 बजे निम्नलिखित व्यापार कार्य करने के लिए आयोजित की जाएगी।

सामान्य व्यापार

- दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कंपनी के लेखापरीक्षित स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण, जिसके साथ-साथ इसमें निदेशक मंडल और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल हैं, को स्वीकृत करना, विचार करना और अपनाना।
- दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कंपनी के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरण, जिसके साथ-साथ इसमें निदेशक मंडल और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल हैं, को स्वीकृत करना, विचार करना और अपनाना।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए प्रति इक्विटी शेयर 1.63 रुपए (16.30%) के अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करना और प्रति इक्विटी शेयर (अंकित मूल्य 10 रुपए) 15 रुपए (150%) के अंतिम लाभांश घोषित करना।
- श्री सुरेश बाबु एन वी (डीआईएन: 07482491) के स्थान पर निदेशक को नियुक्त करना, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और पात्र होने के नाते, उन्हें पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करना।
- वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक को नियत करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत करना।

विशेष व्यापार

- गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में श्रीमती रूपा शेखर रॉय (डीआईएन : 07565156) की पुनः नियुक्ति

निम्नलिखित संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में पारित करना, यदि उपयुक्त समझे और विचार करना :

“संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149, 152 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, दिनांक जुलाई 29, 2019 से मार्च 20, 2020 तक की अवधि के लिए भारत सरकार ने अपने पत्र सं. एफ सं. एसवाई-11012/1/2016 - सीएसएल दिनांक जुलाई 29, 2019 द्वारा गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में श्रीमती रूपा शेखर रॉय (डीआईएन : 07565156) की पुनः नियुक्ति के लिए शेरधारकों की सहमति एतद्वारा दी जाती है।”

- गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में श्री राधाकृष्ण मेनन (डीआईएन : 07518727) की पुनः नियुक्ति

निम्नलिखित संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में पारित करना, यदि उपयुक्त समझे और विचार करना :

“संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149, 152 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, दिनांक जुलाई 29, 2019 से मार्च 20, 2020 तक की अवधि के लिए भारत सरकार ने अपने पत्र सं. एफ सं. एसवाई-11012/1/2016 - सीएसएल दिनांक जुलाई 29, 2019 द्वारा गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में श्री राधाकृष्ण मेनन (डीआईएन : 07518727) की पुनः नियुक्ति के लिए शेरधारकों की सहमति एतद्वारा दी जाती है।”

8. गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में श्री कृष्णदास ई (डीआईएन : 02731340) की पुनः नियुक्ति

निम्नलिखित संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में पारित करना, यदि उपयुक्त समझे और विचार करना :

“संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149, 152 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, दिनांक जुलाई 29, 2019 से मार्च 20, 2020 तक की अवधि के लिए भारत सरकार ने अपने पत्र सं. एफ सं. एसवाई-11012/1/2016 - सीएसएल दिनांक जुलाई 29, 2019 द्वारा गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में श्री कृष्णदास ई (डीआईएन : 02731340) की पुनः नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की सहमति एतद्वारा दी जाती है।”

9. निदेशक (वित्त) के रूप में श्री जोस वी जे (डीआईएन : 08444440) की नियुक्ति

निम्नलिखित संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना, यदि उपयुक्त समझे और विचार करना :

“संकल्प किया जाता है कि कंपनी (नियुक्ति और निदेशकों की योग्यता) नियम, 2014 और अन्य लागू नियम, यदि कोई हो, (फिलहाल लागू किसी सांविधिक संशोधन या तत्संबंधी पुनरधिनियमन सहित) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152, 160, 196 के प्रावधानों और लागू प्रावधान यदि कोई हो, और नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार और निदेशक मंडल के अध्यक्ष के साथ परामर्श करके पोत परिवहन मंत्रालय (भारत के राष्ट्रपति की ओर से) द्वारा जारी दिनांक जुलाई 15, 2019 के भारत सरकार के पत्र सं. एफ सं. एसवाई-11012/2/2018-सीएसएल के अनुसार, कंपनी के निदेशक (वित्त) के रूप में श्री जोस वी जे (डीआईएन : 08444440) की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों के अनुमोदन एतद्वारा दी जाती है, जो पद के लिए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी पांच वर्षों की अवधि के लिए या अपनी अधिवर्षिता की तिथि तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, अवधि के लिए जिनके कार्यालय रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी है।”

10. लागत लेखापरीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन

निम्नलिखित संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना, यदि उपयुक्त समझे और विचार करना :

“संकल्प किया जाता है कि, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, और कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 ((फिलहाल लागू किसी सांविधिक संशोधन या तत्संबंधी पुनरधिनियमन सहित) जो

समय-समय संशोधितानुसार है, कंपनी एतद्वारा मेसर्स के ए फेलिक्स एंड कंपनी, लागत लेखाकार (फर्म पंजीकरण सं. 100416) जिन्हें दिनांक मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी (लागत

अभिलेखा और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के अधीन कंपनी के लागत अभिलेख से संबंधित लागत लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए कंपनी के लेखापरीक्षक के रूप में निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किए गए थे, को देय लागू कर सहित प्रति वर्ष 1,25,000 रुपये के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन करती है।

“आगे संकल्प किया जाता है कि, कंपनी निदेशकों में से एक या कंपनी सचिव को इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक, उचित या समीचीन ऐसे सभी कदमों और सभी कार्यों को करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

श्यामकमल एन

कंपनी सचिव

सं.सं. : ए25337

स्थान : कोच्ची

दिनांक : सितंबर 04, 2020

टिप्पण :

1. कोविड-19 महामारी की निरंतरता पर ध्यान रखते हुए, कॉपोरेट मामला मंत्रालय ('एमसीए') ने दिनांक अप्रैल 08, 2020 के परिपत्र सं. 14/2020 और दिनांक अप्रैल 13, 2020 के परिपत्र सं. 17/2020 (सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) और दिनांक मई 12, 2020 के सेबी परिपत्र के साथ पठित दिनांक मई 05, 2020 के परिपत्र सं. 20/2020 द्वारा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") को एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की प्रत्यक्ष उपस्थिति के बिना आयोजित करने की अनुमति दी है। कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के प्रावधानों, सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सेबी सूचीबद्ध विनियम") और एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, वीसी/ओएवीएम के जरिए कंपनी की 48वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित की जा रही है।
2. इस वार्षिक आम बैठक में पुनःनियुक्ति की मांग करने वाले निदेशक के संबंध में संगत विवरण, सेबी सूचीबद्ध विनियम के विनियम 26 (4) और 36 (3) और भारतीय कंपनी सचिवीय संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानकों के अनुसरण में, संलग्न किया है।
3. नोटिस में निर्धारित विशेष व्यापार के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसार विवरण संलग्न किया है और यह नोटिस का एक अभिन्न अंग है।

4. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए हकदार एक सदस्य को अपनी ओर से उपस्थित होने और मतदान करने के लिए एक परोक्षी को नियुक्त करने का हकदार है और परोक्षी कंपनी का एक सदस्य नहीं होना चाहिए। चूंकि इस वार्षिक आम बैठक को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एमसीए परिपत्रों के अनुसार आयोजित किया जा रहा है, सदस्यों की प्रत्यक्ष उपस्थिति तिरस्कृत की गई है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा परोक्षी को नियुक्त करने की सुविधा वार्षिक आम बैठक में उपलब्ध नहीं होगी और अतः परोक्षी प्रपत्र और उपस्थिति पर्चा इस नोटिस के साथ नहीं संलग्न किया है। फिर भी, अधिनियम की धारा 112 और धारा 113 के अनुसरण में, भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल या निकास कॉर्पोरेट जैसे सदस्यों के प्रतिनिधियों वीसी/ओएवीएम के जरिए वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकते हैं और ई-वोटिंग जरिए अपना वोट डाल सकते हैं।
5. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में सदस्यों की उपस्थिति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कॉरम का पता लगाने के उद्देश्य से गिना जाएगा।
6. एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र दिनांक मई 12, 2020 के अनुपालन में, वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के साथ वार्षिक आम बैठक की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जा रही है जिनके ई-मेल पते निक्षेपागार के साथ पंजीकृत हैं। सदस्यों यह नोट करें कि नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 कंपनी की वेबसाइट www.cochinshipyard.com, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर उपलब्ध होगी। वार्षिक आम बैठक की नोटिस को सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी प्रसारित किया जाता है।
7. संशोधितानुसार, सेबी सूचीबद्ध विनियमों के विनियम 40 के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियां दिनांक अप्रैल 01, 2019 से केवल अप्रत्यक्षीकृत रूप में अंतरित किया जा सकता है, सिवाय प्रतिभूतियों के प्रसारण या अंतरण के लिए अनुरोध के मामले में। इस पर ध्यान रखते हुए और प्रत्यक्ष शेयरों के साथ जुड़े सभी जोखिमों को खत्म करने और पोर्टफोलियो के प्रबंधन में आसानी के लिए, प्रत्यक्ष रूप में शेयरों को संभालने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी संपत्तियों को अप्रत्यक्षीकृत रूप में परिवर्तित करने पर विचार करें। सदस्य इस संबंध में सहायता के लिए कंपनी या कंपनी के रजिस्ट्रार और अंतरण अधिकर्ताओं, लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क कर सकते हैं।
8. जिन सदस्यों ने अभी तक अपने ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि यदि उनके शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो, निक्षेपागार साझेदार के साथ और यदि शेयर प्रत्यक्ष रूप में संभाले रखे हैं, तो, लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ उसे पंजीकृत करें। सदस्यों, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों को संभाल रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि वे संबंधित डीमैट खाते के साथ अपनी ई-मेल आईडी को अद्यतन करें, ताकि कंपनी/ रजिस्ट्रार को ई-मेल के माध्यम से संचार भेजने में सक्षम बनाया जा सके।
9. सदस्यों से अनुरोध है कि अपने नाम, डाक पता, ई-मेल पता, दूरभाष/मोबाइल सं., स्थायी लेखा खाता, जनादेश, नामांकन, पॉवर ऑफ अटॉर्नी, बैंक विवरण जैसे कि बैंक का नाम और शाखा विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी आदि के संबंध में कोई परिवर्तन है, तो, यदि उनके शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, तो, अपने डीपी के साथ और यदि उनके शेयर प्रत्यक्ष रूप में है तो लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ सूचित करें।
10. बही समाप्ति और लाभांश
- सदस्यों की पंजी और कंपनी शेयर अंतरण बहियां बुधवार, सितंबर 23, 2020 से मंगलवार, सितंबर 29, 2020 (दोनों दिन शामिल हैं) तक बंद कर दिया जाएगा। निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित अंतिम लाभांश, यदि वार्षिक आम बैठक में अनुमोदित हो, जो निम्नलिखित व्यक्तियों को मंगलवार, अक्टूबर 06, 2020 को या उसके बाद स्रोत पर कर कटौती के अधीन भुगतान किया जाएगा।
- (क) इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर के संबंध में नेशनल सेक्यूरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस (ईडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा सूचित किए जाने वाले लाभार्थी मालिकों की सूची में मंगलवार, सितंबर 22, 2020 को व्यापार घंटे के अंत में लाभार्थी मालिकों के रूप में शामिल व्यक्तियां।
- (ख) मंगलवार, सितंबर 22, 2020 को या उससे पहले कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अधिकरणों के साथ लॉड्ज किए प्रत्यक्ष फॉर्म में वैध शेयर अंतरण को लागू करने के बाद कंपनी के सदस्यों की पंजी में सदस्यों के रूप में शामिल व्यक्तियां।
11. कंपनी जहां भी संभव हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा लाभांश का भुगतान करेगी और अन्य मामलों में लाभांश वारंट/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान करेगी। इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में, लाभांश का भुगतान इस प्रयोजन के लिए मंगलवार 22 सितंबर 2020 को निक्षेपागार (एनएसडीएल एवं सीडीएसएल) द्वारा किए गए लाभकारी स्वामित्व विवरणों के आधार पर किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य यह नोट किया जाए कि उनके संबंधित निक्षेपागार खातों के सामने पंजीकृत बैंक विवरणों का उपयोग लाभांश के भुगतान के लिए कंपनी द्वारा किया जाएगा। बैंक विवरण या बैंक अधिदेश के किसी भी परिवर्तन के लिए कंपनी या उसके रजिस्ट्रार

इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखनेवाले सदस्यों से सीधे प्राप्त किसी भी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकते। इस तरह के बदलाव, केवल सदस्यों के निक्षेपागार प्रतिभागी के साथ ही सूचित कर सकते हैं। वे सदस्य, जिन्होंने निक्षेपागार खाता खोलने के बाद अपना बैंक खाता बदल दिया है और निक्षेपागार खाता खोलते समय निर्दिष्ट खाते के अलावा किसी अन्य खाते में लाभांश प्राप्त करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने बैंक खाते के विवरण (नौ अंकों के बैंक कोड सहित) अपने निक्षेपागार प्रतिभागी के साथ दिनांक 22 सितंबर 2020 से पहले सही/परिवर्तित करें।

12. अदावी लाभांश :

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि की ओर अंतरण

कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी को अदत्त लाभांश खाते में पड़े किसी राशि को अंतरित करने के लिए बाध्य किया जाता है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि ("निधि") में क्रेडिट करने के लिए, अदत्त लाभांश खाते में ऐसे अंतरण की तिथि से सात वर्षों की अवधि के लिए अदत्त या अदावा रहा है।

आगे, संशोधित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय), नियम, 2016 ("आईपीएफ नियम") के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के प्रावधानों के अनुसार, सभी शेयरों जिसमें लगातार सात या उससे अधिक वर्षों के लिए लाभांश अदत्त और अदावे रहे हैं, को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचितानुसार आईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित किया जाएगा। अतः कंपनी सभी शेयरधारकों से आग्रह करती है कि वे निर्धारित अवधि के दौरान संबंधित लाभांश की भुनाई/दावा करें।

13. संयुक्त धारकों के मामले में, वह सदस्य जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर के अनुसार नामों के क्रम में पहले धारक के रूप में प्रकट होता है, वार्षिक आम बैठक में वोट देने का हकदार होगा।

14. सदस्यों से अनुरोध है कि :

1. अपने संबंधित पते में परिवर्तन, यदि कोई हो, तो, शीघ्र ही पिन कोड के साथ कंपनी/कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता को सूचित करें।
2. अपने सभी पत्राचार में फोलियो संख्या उद्धृत करें।
3. समान आदेशों में नामों के साथ बहुतायत फोलियो के मामले में, एक फॉलियो में होल्डिंग्स समेकित करें।

15. अनिवासी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे स्थायी बंदोबस्त के लिए भारत में वापस आने पर आवासीय पते में परिवर्तन शीघ्र ही कंपनी को सूचित किया जाए।

16. वित्त अधिनियम, 2020 के अधीन, दिनांक अप्रैल 01, 2020 से लाभांश आय शेयरधारकों के लिए कर योग्य होगी और कंपनी को निर्धारित दरों पर शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश से स्रोत पर कर घटाने की आवश्यकता है। विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित दरों हेतु, शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे वित्त अधिनियम, 2020 और तत्संबंधी संशोधन का संदर्भ लें। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता (प्रत्यक्ष रूप में शेयर संभालने के मामले में) और निक्षेपागार (डीमैट रूप में शेयर संभालने के मामले में) के साथ अपना पैन का अद्यतन करें।

17. पैन के साथ एक निवासी व्यक्तिगत शेयरधारक और जो आयकर के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं है, वह स्रोत पर कर की गैर-कटौती के लाभ के लिए फॉर्म सं. 15 जी/15 एच में एक वार्षिक घोषणा पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं, जो सितंबर 21, 2020 को 23:59 तक आरटीए के लिंक <https://linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html> पर उक्त दस्तावेज अपलोड करें। शेयरधारकों से यह अनुरोध किया जाता है कि यदि उनका पैन पंजीकृत नहीं है, तो कर 20% की उच्च दर से काटा जाएगा।

18. अनिवासी शेयरधारक भारत और उनके निवास स्थान के बीच कर संधि के तहत लाभकारी दरों का लाभ उठा सकते हैं, जो अनिवार्य दस्तावेजों जैसे कि गैर-स्थायी स्थापना और लाभकारी स्वामित्व घोषणा, कर निवासी प्रमाणपत्र, फॉर्म 10 एफ, अन्य किसी दस्तावेज जो कर संधि लाभ उठाने के लिए आवश्यक है, को प्रदान करने के अधीन है। आरटीए के लिंक <https://linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html> पर उक्त दस्तावेज अपलोड करें। उपरोक्त घोषणा पत्र और दस्तावेजों को शेयरधारकों द्वारा सितंबर 21, 2020 को 23:59 तक प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

19. चूंकि वार्षिक आम बैठक को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित किया जाएगा, इस नोटिस में रूट मैप को संलग्न नहीं किया गया है।

20. नोटिस में निर्दिष्ट दस्तावेज बैठक की तिथि तक सभी कार्य दिनों (यानि रविवार, महीने के दूसरे और चौथे शनिवार और सार्वजनिक छुट्टी को छोड़कर) में व्यापार घंटे के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले हैं।

21. प्रश्नों की प्रासंगिकता और वक्ताओं के क्रम को अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जाएगा। सदस्य जो बैठक के समय वार्षिक लेखे के संबंध में कोई सूचना मांगते हैं, से अनुरोध है कि वे बैठक की तिथि के कम से कम 7 दिनों के पहले कंपनी में अपने प्रश्नों को भेज दें ताकि प्रबंधन सूचना तैयार रखने में सक्षम कर सकें।

22. सदस्यों से अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता को निम्नलिखित पते पर शेयरों से संबंधित सभी संचार भेजें :

लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड

सूर्या, 35, मईफ्लवर अवन्यू

सेंथिल नगर के पीछे

सोवरीपालयम रोड

कोयंबतूर, तमिलनाडु-641028

दूरभाष : +91 (422) 2314792, 2315792

फैक्स : +91 (422) 2314792

ई-मेल : coimbatore@linkintime.co.in

23. कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 20 और सेबी (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 (संशोधितानुसार) के साथ पढित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों और एमसीए परिपत्रों के अनुसरण में, कंपनी वार्षिक आम बैठक में लेनदेन करने के लिए अपने सदस्यों को दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। इस प्रयोजन के लिए कंपनी ने प्राधिकृत ई-वोटिंग अभिकरण के रूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधार्थ सेंट्रल डिजिटल सर्विस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ एक समझौता किया है। वार्षिक आम बैठक में दूरस्थ ई-वोटिंग और ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग करते हुए एक सदस्य द्वारा वोट डालने की सुविधा सीडीएसएल द्वारा प्रदान की जाएगी।

24. सदस्य, सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके बैठक शुरू होने के निर्धारित समय 15 मिनट पहले और बाद में वीसी/ओएवीएम तरीके में वार्षिक आम बैठक में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भागीदारी की सुविधा कम से कम 1000 सदस्यों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2% या अधिक शेयर रखनेवाले शेयरधारक), प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, लेखापरीक्षा, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखापरीक्षकों आदि के अध्यक्ष आदि शामिल नहीं होंगे, जिन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बिना प्रतिबंध के वार्षिक आम बैठक में भाग लेने की अनुमति है।

दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए शेयरधारकों को अनुदेश

- वोटिंग की अवधि शनिवार सितंबर 26, 2020 (पूर्वाह्न 09.00 बजे) से शुरू होकर सोमवार, सितंबर 28, 2020 (अपराह्न 17:00 बजे) को समाप्त होती है। इस अवधि के दौरान, कट ऑफ तिथि दिनांक सितंबर 22, 2020 को प्रत्यक्ष फॉर्म में या अप्रत्यक्षीकृत फॉर्म में शेयर संभालनेवाले कंपनी के सदस्य, इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपना वोट दे सकते हैं। ई-वोटिंग मोड्यूल को इसके बाद वोटिंग के लिए सीडीएसएल द्वारा अक्षम किया जाएगा। एक व्यक्ति जो कट ऑफ तिथि को एक सदस्य न हो, तो, इस सूचना को केवल सूचना उद्देश्यों के लिए विचार किया जाना चाहिए।

- जिन शेयरधारकों ने बैठक की तारीख से पहले ही मतदान कर लिया है, वे बैठक स्थल पर वोट देने के हकदार नहीं होंगे।

- इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा वोटिंग केलिए प्रक्रिया और तरीका निम्नानुसार हैं :

i. शेयरधारकों को ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करना चाहिए।

ii. "शेयरहोल्डर्स" मोड्यूल पर क्लिक करें।

iii. अब अपना यूजर आई डी डालें:

क. सीडीएसएल के लिए : 16 अंकों का लाभार्थी आई डी।

ख. एनएसडीएल के लिए : 8 कैरेक्टर डीपी आई डी और उसके बाद 8 डिजिट क्लाइंट आई डी।

ग. प्रत्यक्ष रूप में शेयर रखनेवाले शेयरधारकों को कंपनी में पंजीकृत फोलियो नंबर दर्ज करना चाहिए।

या वैकल्पिक रूप से, यदि आप सीडीएसएल के ईसी/ईसीयस्ट ई-सर्विस के लिए पंजीकृत हैं, तो, आप आपके लॉगिन परिचय पत्र का उपयोग करके लॉगिन-माईसी से <https://www.cdslindia.com> में लॉग इन करें। एक बार जब आप सफलतापूर्वक सीडीएसएल के ईसी/ईसीयस्ट ई-सेवाओं में लॉग-इन कर लेते हैं, तो ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें और इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने के लिए सीधे आगे बढ़ें।

- अगला छवि सत्यापन जैसा कि प्रदर्शित किया गया है और लॉगिन पर क्लिक करें।

- यदि आप डीमैट फॉर्म में शेयर धारण कर रहे हैं और www.evotingindia.com पर लॉग इन किया है और किसी भी कंपनी के पहले के मतदान पर मतदान किया है, तो आपके मौजूदा पासवर्ड का उपयोग किया जाना है।

- यदि आप पहली बार के उपयोगकर्ता हैं तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

डीमैट फॉर्म और प्रत्यक्ष फॉर्म में शेयर रखनेवाले सदस्यों के लिए

पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंकों का अल्फा – न्यूमेरिक पैन दर्ज करें (दोनों डीमैट शेयरधारकों और प्रत्यक्ष शेयरधारकों के लिए लागू) <ul style="list-style-type: none">शेयरधारक जिन्होंने कंपनी / निक्षेपागार के साथ अपने पैन को अद्यतन नहीं किया है और उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अनुक्रम संख्या का उपयोग करें जो कंपनी / आरटीए या संपर्क कंपनी/आरटीए द्वारा भेज दिया है।
-----	--

लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि (डीओबी)	लॉगिन करने के लिए अपने डीमैट खाते में या कंपनी रिकार्ड में दर्ज किए गए लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि दर्ज करें। <ul style="list-style-type: none"> यदि दोनों विवरण निक्षेपागार या कंपनी के पास दर्ज नहीं हैं, तो कृपया निर्देश (iii) में उल्लिखित लाभांश बैंक विवरण क्षेत्र में सदस्य आईडी / फॉलियो संख्या दर्ज करें।
---	---

- VII. इन विवरणों को उचित रूप से दर्ज करने के बाद, “सबमिट” टैब पर क्लिक करें।
- VIII. प्रत्यक्ष रूप में शेयर रखनेवाले शेयरधारक फिर सीधे कंपनी चयन स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। हालाँकि, डीमैट फॉर्म में शेयर रखनेवाले सदस्य अब ‘पासवर्ड क्रिएशन’ मेनू पर पहुँचेंगे, जहाँ उन्हें अनिवार्य रूप से नए पासवर्ड फ़ील्ड में अपना लॉगिन पासवर्ड दर्ज करना होगा। कृपया ध्यान दें कि इस पासवर्ड का उपयोग डीमैट धारकों द्वारा किसी अन्य कंपनी के प्रस्तावों के लिए मतदान के लिए भी किया जाना है, जिस पर वे वोट देने के लिए योग्य हैं, बशर्ते कि कंपनी सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग के लिए चयन करती है। यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।
- IX. प्रत्यक्ष रूप में शेयरों को रखनेवाले शेयरधारकों के लिए, इस नोटिस में निहित प्रस्तावों पर केवल ई- वोटिंग के लिए विवरण का उपयोग किया जा सकता है।
- X. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के लिए ईवीएसएन पर क्लिक करें, जिस पर आप मतदान करना चाहते हैं।
- XI. मतदान पृष्ठ पर, आपकी “रिज़ॉल्यूशन विवरण” दिखाई देगा और उसी के सामने मतदान के लिए “येस / नो” विकल्प होगा। इच्छानुसार येस या नो विकल्प का चयन करें। विकल्प येस का अर्थ है कि आप रिज़ॉल्यूशन को स्वीकार करते हैं और विकल्प नो का अर्थ है कि आप रिज़ॉल्यूशन से असंतुष्ट हैं।
- XII. यदि आप संपूर्ण रिज़ॉल्यूशन विवरण देखना चाहते हैं, तो “रिज़ॉल्यूशन फाइल लिंक” पर क्लिक करें।
- XIII. आपने जिस प्रस्ताव पर मतदान करने का निर्णय लिया है, उसे चुनने के बाद, “सबमिट” पर क्लिक करें। एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो “ओकऱ” पर क्लिक करें, अपने वोट को बदलने के लिए, “कैसल” पर क्लिक करें और तदनुसार अपने वोट को संशोधित करें।
- XIV. एक बार आप रिज़ॉल्यूशन पर वोट देते हैं, तो आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।

- XV. आप वोटिंग पृष्ठ पर “क्लिक टू प्रिंट” विकल्प पर क्लिक करके डाले गए वोटों का प्रिंट भी ले सकते हैं।
- XVI. यदि कोई डीमैट खाता धारक परिवर्तित लॉगिन पासवर्ड भूल गया है, तो उपयोगकर्ता आईडी और छवि सत्यापन कोड दर्ज करें और पासवर्ड भूल गए पर क्लिक करें और सिस्टम द्वारा बताए अनुसार विवरण दर्ज करें।
- XVII. शेयरधारक सीडीएसएल के मोबाइल ऐप “एम-वोटिंग” का उपयोग करके भी अपना वोट डाल सकते हैं। एम-वोटिंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। कृपया अपने मोबाइल पर मतदान करते समय मोबाइल ऐप द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करें।

इस नोटिस में प्रस्तावित संकल्पों के लिए ई-वोटिंग हेतु लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए निक्षेपागारों के साथ ई-मेल पता न पंजीकृत शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया

- प्रत्यक्ष शेयरधारकों के लिए - कृपया फॉलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई कॉपी (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन कॉपी), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की हुई प्रति), जैसे आवश्यक विवरण आरटीए के आईडी coimbatore@linkintime.co.in में ई-मेल करें।
- डीमैट शेयरधारकों के लिए - कृपया डीमैट खाता विवरण (सीडीएसएल - 16 डिजिट लाभार्थी आईडी या एनएसडीएल - 16 डिजिट डीपीआईडी + सीएलआईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समर्पित लेखा विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की हुई प्रति) जैसे आवश्यक विवरण आरटीए के आईडी coimbatore@linkintime.co.in में ई-मेल करें।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेनेवाले शेयरधारकों के लिए निर्देश

- शेयरधारक को सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। शेयरधारक www.evotingindia.com पर शेयरधारकों/सदस्यों के तहत रिमोट ई-वोटिंग क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्यों के लॉगिन में उपलब्ध होगा जहाँ कंपनी का ईवीएसएन प्रदर्शित किया जाएगा।
- शेयरधारकों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप/टैबलेट के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- इसके अलावा, शेयरधारकों को बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए कैमरा और एक अच्छी गति के साथ इंटरनेट का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।

4. कृपया नोट करें कि मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से मोबाइल डिवाइस या टैबलेट या लैपटॉप से कनेक्ट होनेवाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो नुकसान का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी तरह के पूर्वोक्त बाधाओं को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।
5. शेयरधारक जो बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपने नाम, डीमैट खाता संख्या/फॉलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने पंजीकृत ई-मेल पते से अपना अनुरोध ई-मेल पते में भेजकर खुद को एक वक्ता के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं और यह सितंबर 21, 2020 (08.00 बजे) से सितंबर 23, 2020 (16:00 बजे) तक किया जाना है। कंपनी पर वार्षिक आम बैठक के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर बोलनेवालों की संख्या को सीमित करने का अधिकार है।
6. जिन शेयरधारकों ने खुद को एक वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, उन्हें केवल बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।

वार्षिक आम बैठक के दौरान ई-वोटिंग हेतु शेयरधारकों के लिए अनुदेश

1. वार्षिक आम बैठक के दिन ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर बताए गए निदेशों के समान है।
2. केवल वे शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में उपस्थित हैं और उन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से रोक नहीं है, वार्षिक आम बैठक के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के लिए पात्र होंगे।
3. यदि वार्षिक आम बैठक के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से शेयरधारकों द्वारा कोई वोट डाला जाता है और अगर वही शेयरधारकों ने वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैठक में भाग नहीं लिया है, तो ऐसे शेयरधारकों द्वारा डाले गए वोटों को सुविधार्थ अमान्य माना जाएगा, क्योंकि बैठक के दौरान ई-वोटिंग केवल बैठक में भाग लेनेवाले शेयरधारकों के लिए उपलब्ध है।
4. जिन शेयरधारकों ने दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है, वे वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। हालांकि, वे वार्षिक आम बैठक में वोट करने के पात्र नहीं होंगे।

गैर व्यक्तिगत शेयरधारकों और अभिरक्षकों के लिए टिप्पणी

1. गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों (अर्थात्, व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) और संरक्षक को www.evotingindia.com पर

लॉग इन करना आवश्यक है और खुद को कॉर्पोरेट मॉड्यूल के रूप में पंजीकृत करें।

2. संस्था का स्टॉप और हस्ताक्षर वाले पंजीकरण फॉर्म की एक स्कैन की गई कॉपी helpdesk.Voting@cdslindia.com पर ई-मेल की जानी चाहिए।
3. लॉगिन विवरण प्राप्त करने के बाद व्यवस्थापक लॉगिन और पासवर्ड का उपयोग करके एक अनुपालन उपयोगकर्ता बनाया जाना चाहिए। अनुपालन उपयोगकर्ता उस खाते (खातों) को लिंक करने में सक्षम होगा जिसके लिए वे वोट देना चाहते हैं।
4. लॉगिन में जुड़े खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल की जानी चाहिए और उन खातों के अनुमोदन पर वे अपना वोट डाल सकेंगे।
5. बोर्ड रिज़ॉल्यूशन एंड पॉवर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) की एक स्कैन की गई कॉपी, जिसे उन्होंने अभिरक्षक के पक्ष में जारी किया है, यदि कोई हो, तो उसे सत्यापन के लिए सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड किया जाना चाहिए।
6. वैकल्पिक रूप से, गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों को अपनी ओर से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के लिए अपने प्रतिनिधि को प्राधिकृत करते हुए संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि संवीक्षक को ई-मेल cochin@mehta-mehta.com पते और कंपनी को secretary@cochinshipyard.com पर भेज देने की आवश्यकता है, यदि उन्होंने व्यक्तिगत टैब से मतदान किया है और संवीक्षक के लिए सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली में उसी को अपलोड नहीं किया है।

अन्य अनुदेश

1. वे व्यक्ति जिन्होंने शेयर प्राप्त कर लिए हैं और सूचना प्रेषण के बाद कंपनी के सदस्य बन गए हैं और 22 सितंबर 2020 की कट-ऑफ तिथि के अनुसार शेयरों को संभालते हैं, आरटीए, लिंक इन्टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ई-मेल coimbatore@linkintime.co.in पर अनुरोध भेजकर नोटिस और ई-वोटिंग संबंधी अनुदेश प्राप्त कर सकते हैं और www.evotingindia.com से या सीएसएल वेबसाइट से नोटिस और ई-वोटिंग अनुदेश डाउनलोड करें।
2. संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित किए गए परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.cochinshipyard.com और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर अध्यक्ष या लिखित रूप में अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा परिणामों के घोषित होने के तुरंत बाद प्रस्तुत किया जाएगा। परिणाम तुरंत स्टॉक एक्सचेंजों जैसे कि बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भेजे

जाएंगे जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध है। परिणाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे।

3. यदि आपके पास ई-वोटिंग के बारे में कोई प्रश्न या समस्या है, तो, हेल्प सेक्शन के अधीन www.evotingindia.com में उपलब्ध ई-वोटिंग नियमावली और अक्सर पूछे जानेवाले प्रश्न (एफएक्यू) का संदर्भ लें, या helpdesk.evoting@cdslindia.com में ई-मेल करें या 1800225533 पर कॉल करें।
4. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतें श्री राकेश दलवी, प्रबंधक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्वीस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल), ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफ्तलाल मिल कम्पाउंड्स, एनएम जोशी मार्ग, लॉवर परेल (पूर्व), मुंबई-400013 को भेज सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com में ई-मेल करें या 1800225533 पर कॉल करें।

नोटिस के अनुबंध

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुरूप व्याख्यात्मक विवरण

मद सं. 6 से 8 तक

श्रीमती रूपा शेखर रॉय (डीआईएन : 07565156), श्री राधाकृष्ण मेनन (डीआईएन : 07518727) और श्री कृष्णदास ई (डीआईएन : 02731340) को दिनांक मार्च 21, 2016 से मार्च 20, 2019 तक (अधिनियम की धारा 149 (10) और 149 (11) के स्पष्टीकरण के अनुसार 'पहला कार्यकाल') तीन वर्षों की अवधि के लिए गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशकों के रूप में भारत सरकार के आदेश सं. एसएस-11012/05/2014 - एसवाई II दिनांक मार्च 21, 2016 द्वारा नियुक्त किया गया। पहला कार्यकाल को दिनांक सितंबर 20, 2016 को आयोजित कंपनी की 44 वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया गया।

इसके बाद, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. एफ सं. एसवाई-11012/1/2016-सीएसएल दिनांक जुलाई 29, 2019 द्वारा सीएसएल के बोर्ड पर जुलाई 29, 2019 से मार्च 20, 2020 तक की अवधि के लिए (दूसरा कार्यकाल - अधिनियम की धारा 149 (10) और 149 (11) के स्पष्टीकरण के अनुसार) गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशकों के रूप में उपरोक्त तीन निदेशकों को पुनः नियुक्त किया गया।

उपरोक्त निदेशकों ने बोर्ड को एक घोषणा दी है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) में प्रदान की गई स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं। उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के संदर्भ में निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

धारा 152 की उपधारा (5) के प्रावधान के संदर्भ में, निदेशक मंडल की राय है कि श्रीमती रूपा शेखर रॉय, श्री राधाकृष्ण मेनन और श्री कृष्णदास ई, स्वतंत्र निदेशकों के रूप में उनकी पुनः नियुक्ति के लिए, कंपनी अधिनियम 2013 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं।

स्वतंत्र निदेशकों के रूप में उपरोक्त निदेशकों की पुनः नियुक्ति को विनियमित करनेवाले नियम एवं शर्तें भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए थे। नियम और शर्तों को स्थापित करनेवाले स्वतंत्र निदेशकों के रूप में उनकी पुनः नियुक्ति के पत्र की एक प्रति किसी भी कार्य-दिवस पर सामान्य व्यावसायिक घंटों के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा किसी शुल्क के बिना निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा।

इन स्वतंत्र निदेशकों जिनकी पुनः नियुक्ति नोटिस के मद सं. 6 से 8 में प्रस्तावित है, की आयु, शेयरधारिता, संक्षिप्त विवरण जिसमें योग्यता, विशेषज्ञता आदि शामिल हैं, सहित अन्य विवरण संलग्न किया जाता है।

बोर्ड ने कंपनी के सदस्यों द्वारा नोटिस के मद सं. 6 से 8 तक शामिल किए अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की पुनःनियुक्ति के लिए प्रस्तावित विशेष संकल्प पारित करने हेतु सिफारिश करता है।

निदेशकों/ कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों/ उनके रिश्तेदारों में से कोई भी, श्रीमती रूपा शेखर रॉय, श्री राधाकृष्ण मेनन और श्री कृष्णदास ई को छोड़कर, किसी भी तरह से आर्थिक रूप से या अन्यथा इस नोटिस के संकल्प के मद सं. 6 से 8 तक के संकल्प से संबंधित या रुचि रखने वाले नहीं है।

मंद सं. 9

श्री जोस वी जे (डीआईएन : 08444440), कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के पूर्व महाप्रबंधक (वित्त) को दिनांक अगस्त 01, 2019 से पद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्षों या उनकी अधिवर्षिता की तिथि तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, की अवधि के लिए पोत परिवहन मंत्रालय ने अपने पत्र सं. एफ सं. एसवाई-11012/2/2018-सीएसएल दिनांक जुलाई 15, 2019 द्वारा कंपनी के निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया। नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की दिनांक जुलाई 11, 2020 को आयोजित बैठक में उनकी नियुक्ति की सिफारिश की गई थी।

उनके संक्षिप्त विवरण, जिसमें आयु, योग्यता, विशेषज्ञता आदि शामिल हैं, इसके साथ संलग्न किया जाता है।

बोर्ड तदनुसार एक सामान्य संकल्प के माध्यम से कंपनी सदस्यों द्वारा अनुमोदनार्थ नोटिस के मद सं. 8 में निर्धारित संकल्प की सिफारिश करता है।

श्री जोस वी जे इस हद तक संकल्प में हितबद्ध हैं क्योंकि यह उनकी नियुक्ति से संबंधित है।

निदेशकों/ कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों/ उनके रिश्तेदारों में से कोई भी, किसी भी तरह से आर्थिक रूप से या अन्यथा इस नोटिस के संकल्प के मद सं.9 के संकल्प से संबंधित या रुचि रखने वाले नहीं है।

मंद सं. 10

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के अनुसरण में, कंपनी को कंपनी के लागू उत्पादों के लागत रिकॉर्ड का लेखा परीक्षण करने के लिए एक लागत लेखापरीक्षक को नियुक्त करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा समिति द्वारा दिनांक जून 20, 2020 को आयोजित की 61वीं बैठक में की गई सिफारिश पर, बोर्ड ने दिनांक जून 20, 2020 को आयोजित अपनी 254 वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लागत लेखापरीक्षक के रूप में मेसर्स के ए फेलिक्स एवं कं., लागत लेखाकार की नियुक्ति पर विचार एवं अनुमोदन दिया है और प्रति वर्ष लागू कर सहित 1,25,000 रुपए के पारिश्रमिक की सिफारिश की। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (3) के अनुसार, लागत लेखापरीक्षक के पारिश्रमिक शेरधारकों द्वारा अनुसमर्थित करने की आवश्यकता है।

बोर्ड तदनुसार एक सामान्य संकल्प के माध्यम से कंपनी सदस्यों द्वारा अनुमोदनार्थ नोटिस के मद सं. 10 में निर्धारित संकल्प की सिफारिश करता है।

निदेशकों/ कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों/ उनके रिश्तेदारों में से कोई भी, किसी भी तरह से आर्थिक रूप से या अन्यथा इस नोटिस के संकल्प के मद सं.10 के संकल्प से संबंधित या रुचि रखने वाले नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

श्यामकमल एन

कंपनी सचिव

स.सं. B25337

कोच्ची

सितंबर 04, 2020

पंजीकृत कार्यालय :

प्रशासनिक भवन

कोचीन शिपयार्ड परिसर

पेरुमानूर, एर्णाकुलम, केरल -682015

सीआईएन : L63032KL1972GOI002414

दूरभाष : +91 (484) 236 1181

ई-मेल : secretary@cochinshipyard.com

वेबसाइट : www.cochinshipyard.com

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध देयता और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 36 (3) और साधारण बैठक में सचिवीय मानक-2 के अनुसार 48वीं वार्षिक साधारण बैठक में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति मांगनेवाले निदेशकों का विवरण

निदेशक का नाम	श्री सुरेश बाबु एन वी	श्री जोस वी जे
डीआईएन	07482491	08444440
आयु एवं जन्मतिथि	59 वर्ष अप्रैल 22, 1961	53 वर्ष फरवरी 04, 1967
बोर्ड पर प्रथम नियुक्ति की तिथि	अप्रैल 26, 2016	अगस्त 01, 2019
योग्यता	उन्होंने केरल विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (मेकानिकल) की उपाधि हासिल की है। उन्होंने इंदिरा गांधी नेशनल ऑपन विश्वविद्यालय से प्रबंधन डिप्लोमा है। उन्होंने कोलंबो प्लान के तहत जापान सरकार के अंतर्राष्ट्रीय सहकारी कार्यक्रम के अधीन ऑवरसीज शिपबिल्डिंग कॉ-ऑपरेशन सेंटर द्वारा आयोजित पोत निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण में एक वर्ष का ग्रूप प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा किया है। उन्होंने कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीस लिमिटेड के सेकाइडू में शिपयार्ड के साथ एक व्यावहारिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी पूरा किया है। इसके अलावा, ऑवरसीज शिपबिल्डिंग कॉ-ऑपरेशन सेंटर में आयोजित जापानी भाषा में अनुपूरक पाठ्यक्रम भी पूरा किया है।	वे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के एक सदस्य हैं और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, एर्णाकुलम से कानूनी में डिग्री भी हासिल की है।
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	श्री सुरेश बाबु एन वी दिनांक 26 अप्रैल, 2016 से कंपनी के निदेशक (प्रचालन) है। उन्हें सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड की चयन प्रक्रिया के माध्यम से पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा निदेशक (प्रचालन) के पद पर नियुक्त किया गया था। वे दिनांक 01 फरवरी 1985 में एक कार्यकारी प्रशिक्षार्थी के रूप में कंपनी में शामिल हो गए थे। उन्हें कंपनी के साथ 35 से अधिक वर्षों का कार्यानुभव है। उन्हें शिपयार्ड के विविध क्षेत्रों जैसे कि पोत निर्माण, सामग्री और पोत मरम्मत में अनुभव है।	श्री जोस वी जे, दिनांक अगस्त 01, 2019 से कंपनी के निदेशक (वित्त) हैं। उन्होंने सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड की चयन प्रक्रिया के माध्यम से पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा निदेशक (वित्त) के पद पर नियुक्त किया गया था। उन्हें विविध क्षेत्रों में जैसे कि : वित्तीय प्रबंधन, सामरिक योजना, जोखिम प्रबंधन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, बजट और लागत नियंत्रण में लगभग 29 वर्षों का कार्य अनुभव है। वे सीएसएल के सूचना प्रणाली विभाग का भी नेतृत्व कर रहे हैं।
नियुक्ति एवं पुनःनियुक्ति के नियम एवं शर्तें	उन्हें पोत परिवहन मंत्रालय के आदेश सं. एसवाई-11012/2/2010-सीएसएल दिनांक अप्रैल 26, 2016 के अनुसार दिनांक अप्रैल 26, 2016 को नियुक्त किया गया। उनके रोजगार के वर्तमान नियम एवं शर्तें पोत परिवहन मंत्रालय के आदेश सं. एसवाई-11012/2/2010-सीएसएल दिनांक मई 26, 2016 में निर्धारित की गई थीं।	उन्हें पोत परिवहन मंत्रालय के आदेश सं. एसवाई-11012/2/2018-सीएसएल दिनांक जुलाई 15, 2019 के अनुसार दिनांक अगस्त 01, 2019 को नियुक्त किया गया। उनके रोजगार के वर्तमान नियम एवं शर्तें पोत परिवहन मंत्रालय के आदेश सं. एसवाई-11012/2/2018-सीएसएल दिनांक सितंबर 19, 2019 में निर्धारित की गई थीं।
अंतिम आहरित पारिश्रमिक का विवरण	66.09 लाख रुपए	41.49 लाख रुपए
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों (विदेशी कंपनियों, निजी कंपनियों एवं धारा 8 कंपनियों को छोड़कर) में निदेशकता	हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल)	हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल)
समितियों में सदस्यता/अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में अध्यक्षता	हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की प्रतिभूति प्रस्ताव, आवंटन एवं अंतरण समिति	हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की प्रतिभूति प्रस्ताव, आवंटन एवं अंतरण समिति
वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भाग ली गई बोर्ड बैठकों की सं.	6/6	4/4
कंपनी में संभाले शेरों की सं.		
1. स्वयं	शून्य	शून्य
2. लाभकारी आधार पर अन्य व्यक्तियों के लिए	शून्य	शून्य

निदेशक का नाम	श्रीमती रूपा शेखर राय	श्री राधाकृष्ण मेनन	श्री कृष्णदास ई
डीआईएन	07565156	07518727	02731340
आयु एवं जन्मतिथि	66 वर्ष अप्रैल 19, 1954	56 वर्ष मई 30, 1964	50 वर्ष दिसंबर 16, 1969
बोर्ड पर प्रथम नियुक्ति की तिथि	मार्च 21, 2016	मार्च 21, 2016	मार्च 21, 2016
योग्यता	उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक और राष्ट्रसंत तुकडोजी महारोज नागपुर विश्वविद्यालय से कला में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने होमियोपैथिक और बयोकेमिक डॉक्टर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से होमियोपैथिक मेडिकल साइन्स में डिप्लोमा हासिल की है।	उन्होंने भारतीय विद्यापीठ न्यू लॉ कॉलेज, पूने से कानूनी, सामाजिक विज्ञापन में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है।	उन्होंने कालीकट विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की डिग्री और मैंगलोर विश्वविद्यालय से कानूनी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है।
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	श्रीमती रूपा शेखर राय दिनांक मार्च 21, 2016 से मार्च 20, 2019 (पहला कार्यकाल) तक की अवधि के लिए सीएसएल गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक थी। उन्हें भारत सरकार के आदेश सं. एसएस-11012/05/2014-एसवाई II दिनांक मार्च 21, 2016 द्वारा और दिनांक सितंबर 20, 2016 को आयोजित कंपनी के 44 वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की अनुमोदन के अनुसार सीएसएल गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक के पद में नियुक्त किया गया था। वे वर्ष 1994-95 में विदर्भा उद्योग संघ की महिला स्कंध की अध्यक्ष थीं।	श्री राधाकृष्ण मेनन दिनांक मार्च 21, 2016 से मार्च 20, 2019 (पहला कार्यकाल) तक की अवधि के लिए सीएसएल गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक थी। उन्हें भारत सरकार के आदेश सं. एसएस-11012/05/2014-एसवाई II दिनांक मार्च 21, 2016 द्वारा और दिनांक सितंबर 20, 2016 को आयोजित कंपनी के 44 वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की अनुमोदन के अनुसार सीएसएल गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक के पद में नियुक्त किया गया था। वह त्रावणकोर ट्रवल और टूरिजम कॉ-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। देवी एजेंसी और देवी ट्रेडर्स के एक उद्यमी और स्वत्वधारी होने के अलावा, वह विश्व मलयाली संगठन के उपाध्यक्ष भी हैं। वे नेशनल लाइवस्टॉक मिशन, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के सामान्य परिषद के एक गैर-सरकारी सदस्य हैं।	श्री कृष्णदास ई दिनांक मार्च 21, 2016 से मार्च 20, 2019 (पहला कार्यकाल) तक की अवधि के लिए सीएसएल गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक थी। उन्हें भारत सरकार के आदेश सं. एसएस-11012/05/2014-एसवाई II दिनांक मार्च 21, 2016 द्वारा और दिनांक सितंबर 20, 2016 को आयोजित कंपनी के 44 वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की अनुमोदन के अनुसार सीएसएल गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक के पद में नियुक्त किया गया था। वे 1996 से बार काउंसिल ऑफ केरल के रॉल पर एडवोकेट हैं और केरल के पालक्काड में जिला अदालत में प्रैक्टिस कर रहे हैं।
नियुक्ति एवं पुनःनियुक्ति के नियम एवं शर्तें	उन्हें भारत सरकार के पत्र सं. एफ सं. एसवाई-11012/1/2016 - सीएसएल दिनांक जुलाई 29, 2019 द्वारा दिनांक जुलाई 29, 2019 से मार्च 20, 2020 (दूसरा कार्यकाल) तक की अवधि के लिए सीएसएल के बोर्ड पर गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया था। गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशकों को बोर्ड या समिति की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए 15,000 रुपए की दर पर बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है।	उन्हें भारत सरकार के पत्र सं. एफ सं. एसवाई-11012/1/2016 - सीएसएल दिनांक जुलाई 29, 2019 द्वारा दिनांक जुलाई 29, 2019 से मार्च 20, 2020 (दूसरा कार्यकाल) तक की अवधि के लिए सीएसएल के बोर्ड पर गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया था। गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशकों को बोर्ड या समिति की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए 15,000 रुपए की दर पर बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है।	उन्हें भारत सरकार के पत्र सं. एफ सं. एसवाई-11012/1/2016 - सीएसएल दिनांक जुलाई 29, 2019 द्वारा दिनांक जुलाई 29, 2019 से मार्च 20, 2020 (दूसरा कार्यकाल) तक की अवधि के लिए सीएसएल के बोर्ड पर गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया था। गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशकों को बोर्ड या समिति की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए 15,000 रुपए की दर पर बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है।
अंतिम आहरित पारिश्रमिक का विवरण	₹.1,50,000/-	₹.1,35,000/-	₹.1,50,000/-

अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों (विदेशी कंपनियों, निजी कंपनियों एवं धारा 8 कंपनियों को छोड़कर) में निदेशकता	शून्य	शून्य	शून्य
समितियों में सदस्यता/अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में अध्यक्षता	शून्य	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भाग ली गई बोर्ड बैठकों की सं.	4/4	4/4	4/4
कंपनी में संभाले शेरों की सं.			
3. स्वयं	शून्य	30	125
4. लाभकारी आधार पर अन्य व्यक्तियों के लिए	शून्य	शून्य	शून्य

नोट :

- श्री सुरेश बाबु एन वी, श्री जोस वी जे, श्रीमती रूपा शेखर रॉय, श्री राधाकृष्ण मेनन और श्री कृष्णदास ई न तो एक दूसरे से न ही किसी अन्य निदेशक से या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक से संबंधित है ।



COCHIN SHIPYARD LIMITED

www.cochinshipyard.com



COCHIN SHIPYARD LIMITED



CRUISE 2030
Annual Report 2019-20

TABLE CONTENTS

	Page No.
CRUISE 2030	1
Highlights of the Year	2
Expanding Capabilities	6
Chairman's Address	9
How We Create Value	15
About Us	16
Our Operational Foot Prints	18
Our Credentials	19
Financial Highlights	20
Our People	22
Board of Directors	23
Corporate Information	25
Corporate Social Responsibility	26
Directors' Report	27
Comments of C&AG	68
Management Discussion and Analysis Report	83
Business Responsibility Report	91
Report on Corporate Governance	99
Independent Auditors' Report (Standalone)	122
Standalone Financial Statements	129
Independent Auditors' Report (Consolidated)	189
Consolidated Financial Statements	194
Notice	258

CRUISE 2030

The Company understands that long term sustenance is to position CSL as a knowledge company, capable of imbibing technological advances combined with innovation & commercial aggressiveness. This would call for a process of unlearning, re-learning, revamping & recasting, for resurgence as an organisation of the future with a long term strategy road map with visibility upto 2030.

In March 2019, CSL kicked off CRUISE 2030 (CSL's Revenue & profitability Unlock through Integrated Strategic Excellence 2030) along with M/s. Boston Consulting Group (BCG) to formulate strategic roadmap to achieve its 2030 vision of 6-8X growth. Over next 10 years, CSL has setup a bold ambition to transform from being the leading Indian Shipyard to one of the leading global shipyards. This transformation requires relentless focus on revenue growth as well as developing and sustaining global competitiveness through systematic operational excellence.

Disclaimer

Statements in this report that describe the Company's objectives, projections, estimates, expectations or predictions of the future may be 'forward-looking statements' within the meaning of the applicable securities laws and regulations. The Company cautions that such statements involve risks and uncertainty and that actual results could differ materially from those expressed or implied. Important factors that could cause differences include raw materials' cost or availability, cyclical demand and pricing in the Company's principal markets, changes in government regulations, economic developments within the countries in which the Company conducts business, and other factors relating to the Company's operations, such as litigation, labour negotiations and fiscal regimes.

HIGHLIGHTS OF THE YEAR

April 2019

April 25: Launching of 2 nos. RO-PAX Vessels for IWAI in the presence of Shri Sanjay Bandopadhyaya IAS, Additional Secretary, Ministry of Shipping, Govt. of India.

April 30: CSL signed contract for building 8 nos. Anti-Submarine Warfare Shallow Water Crafts for Indian Navy.

May 2019

May 17: CSL delivered 1 no. Tuna Long Liner Cum Gilnetter Fishing Vessel for the beneficiaries of Tamil Nadu Fisheries Dept.

June 2019

June 04: Launching of 1 no. Tuna Long Liner Cum Gilnetter Fishing Vessel for the beneficiaries of Tamil Nadu Fisheries Dept. by Smt. Sobha A, Superintendent (Office), CSL.

June 14: Launching of 1 no. Tuna Long Liner Cum Gilnetter Fishing Vessel for the beneficiaries of Tamil Nadu Fisheries Dept., by Smt. Madhavi K K, Leading Service Assistant (Office), CSL.

June 14: Steel Cutting of 2 nos. RO-RO Vessels for IWAI by Shri Alok Ranjan, ICAS, Member (Finance), IWAI.

June 26: Commencement of Block Erection of 2 nos. RO-PAX Vessels for IWAI by Shri Paul Ranjan D, Director (Finance), CSL and Shri Mathew George, Director, IWAI.

July 2019

July 01: CSL delivered 1 no. Tuna Long Liner Cum Gilnetter Fishing Vessel for the beneficiaries of Tamil Nadu Fisheries Dept.

July 10: Steel Cutting of Brows & Pontoons for INS Vikramaditya and IAC for Southern Naval Command, Kochi, by Capt. Ramesh Krishna, SSO (Projects), HQSNC, Indian Navy.

August 2019

August 02: Launching of 1 no. Tuna Long Liner Cum Gilnetter Fishing Vessel for the beneficiaries of Tamil Nadu Fisheries Dept. by Smt. Susamma P, Senior Service Assistant (Office), CSL.

August 12: Launching of 2 nos. RO-PAX Vessels for IWAI by Smt. Asha Paul W/o. Shri Mathew George, Director, IWAI and Smt. Mini C C, W/o. Shri Suresh Babu N V, Director (Operations), CSL.

August 16: Launching of 1 no. Tuna Long Liner Cum Gilnetter Fishing Vessel for the beneficiaries of Tamil Nadu Fisheries Dept. by Smt. E A Rajalekshmi, Leading Service Assistant (HK), CSL.

August 28: CSL delivered 1 no. Tuna Long Liner Cum Gilnetter Fishing Vessel for the beneficiaries of Tamil Nadu Fisheries Dept.

August 29: Launching of 1 no. Tuna Long Liner Cum Gilnetter Fishing Vessel for the beneficiaries of Tamil Nadu Fisheries Dept. by Smt. Sobha K B, Service Assistant (Canteen), CSL.

September 2019

September 04: Steel Cutting of 4 nos. 8000 DWT Mini General Cargo Ships for Utkarsh Advisory Services Private Limited (JSW Group) by Shri Pranab Jha, Vice President - Shipping, JSW Steel Limited.

September 16: Commencement of Block Erection of 2 nos. RO-PAX Vessels for IWAI by Shri Suresh Babu N V Director (Operations), CSL and Shri Bejoy Bhasker, Director (Technical), CSL.

September 19: Inauguration of CSL Maritime Park by Shri Mansukh L Mandaviya, Hon'ble Minister of State for Shipping (Independent Charge) and Chemicals & Fertilizers.

September 20: Keel Laying of 1 no. Marine Ambulance Boat for the Department of Fisheries, Govt. of Kerala, by Smt. J Mercykutty Amma, Hon'ble Minister of Fisheries, Harbour Engineering & Cashew Industry.

September 30: Launching of 1 no. Tuna Long Liner Cum Gilnetter Fishing Vessel for the beneficiaries of Tamil Nadu Fisheries Dept. by Smt. Chandrika Devi D, Jr. Superintendent (Office), CSL.

Turnover

₹ **3422** crores

Achieved Record Turnover

Shipbuilding Turnover

₹ **2852** crores

Achieved Record Shipbuilding Turnover

Profit After Tax

₹ **638** crores

Achieved Record Profit After Tax



अशोका
ASHOKA

COCHIN SHIPYARD LIMITED
LAUNCHING CEREMONY
SHIP 023
(12000 DWT EMERALD CARGO VESSEL)
ANDAMAN NICOBAR ADMINISTRATION
"SRI RAMKISHAN K. SINGHANI" (NFO)
(3000 DWT EMERALD 8 Star - CAMO, CMA)
In the presence of Senior Officers, distinguished Guests & All Employees of CSL
28 JANUARY 2020 (Tuesday)

HIGHLIGHTS OF THE YEAR

October 2019

October 21: Launching of 2 nos. RO-PAX Vessels for IWAI by Smt. Julie Jose W/o. Shri Jose V J, Director (Finance), CSL and Smt. Binu N S, W/o. Shri Bejoy Bhasker, Director (Technical), CSL.

October 28: Commencement of Block Erection of 2 nos. RO-PAX Vessels for IWAI by Shri Suresh Babu N V, Director (Operations), CSL and Shri Mathew George, Director, IWAI.

October 29: CSL signed contract for design and construction of 23 nos. of Hybrid Electric - Passenger Ferries for Kochi Metro Rail Limited.

October 31: CSL signed Phase III contract for construction of the Indigenous Aircraft Carrier for Indian Navy.

November 2019

November 01: CSL acquired 26 percent equity stake of Hooghly Cochin Shipyard Limited from the joint venture partner to become a wholly owned subsidiary of CSL.

November 07: Steel Cutting of Floating Border Outposts for Ministry of Home Affairs, Govt. of India, by Shri Mukesh Tyagi, DIG (Water Wing), Border Security Force.

November 07: Launching of 1 no. Tuna Long Liner Cum Gilnetter Fishing Vessel for the beneficiaries of Tamil Nadu Fisheries Dept. by Smt. Radhamoni G, Leading Service Assistant (HK), CSL.

November 08: CSL delivered 1 no. Tuna Long Liner Cum Gilnetter Fishing Vessel for the beneficiaries of Tamil Nadu Fisheries Dept.

November 21: Launching of 1 no. Tuna Long Liner Cum Gilnetter Fishing Vessel for the beneficiaries of Tamil Nadu Fisheries Dept. by Smt. Omana E S, Senior Assistant (Finance), CSL.

November 2019

November 22: CSL delivered 2 nos. Tuna Long Liner Cum Gilnetter Fishing Vessel for the beneficiaries of Tamil Nadu Fisheries Dept.

November 28: CSL signed agreement with Andaman and Nicobar Administration for operation and management of the Marine Dockyard, Port Blair and for development of the ship repair eco system of the islands.

December 2019

December 04: With a view to promote paperless office culture in CSL, the Company implemented SAP File Life Cycle Management, a full-fledged online file and document management system.

December 19: Launching of 1 no. Tuna Long Liner Cum Gilnetter Fishing Vessel for the beneficiaries of Tamil Nadu Fisheries Dept. by Smt. P D Lisamma, Leading Service Assistant (HK), CSL.

December 21: CSL delivered 1 no. Tuna Long Liner Cum Gilnetter Fishing Vessel for the beneficiaries of Tamil Nadu Fisheries Dept.

January 2020

January 04: Launching of 2 nos. RO-PAX Vessels for IWAI by Smt. Gayathri M, Deputy Commissioner, Income Tax, Kochi and Smt. Bindu P R, Asst. Commissioner, State Goods and Services Tax, Ernakulam.

January 24: Commencement of Block Erection of 2 nos. RO-RO Vessels for IWAI by Smt. Amita Prasad IAS, Chairperson, IWAI.

January 28: Launching of 1 no. 1200 Pax Cum 1000T Cargo Vessel for Andaman and Nicobar Administration by Smt. Rameetha K, Scientist 'G', NPOL (DRDO) and W/o. Shri Madhu S Nair, CMD, CSL.

January 2020

January 29: Launching of 1 no. Tuna Long Liner Cum Gilnetter Fishing Vessel for the beneficiaries of Tamil Nadu Fisheries Dept. by Smt. V Kala, Company Secretary and General Manager (Finance), CSL.

February 2020

February 15: Launching of 2 nos. Tuna Long Liner Cum Gilnetter Fishing Vessels for the beneficiaries of Tamil Nadu Fisheries Dept. by Smt. Nitya Kalyani, the beneficiary and Smt. Mini B, Asst. Administrative officer (SG) CSL.

March 2020

March 04: Keel laying of 2 nos. 8000 DWT Mini General Cargo Ships for JSW Shipping & Logistics Private Limited by Shri Pranab Jha, Vice President, JSW Shipping and Shri Vipon Chopra, Advisor, JSW Shipping.

March 04: CSL emerged as successful resolution applicant for Tebma Shipyards Limited undergoing Corporate Insolvency Resolution Process, under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

March 09: Launching of 1 no. Marine Ambulance Boat for the Department of Fisheries, Govt. of Kerala, by Smt. Sreelu N S, Jt. Dir. Fisheries & Exec. Dir. SAF.

March 09: CSL delivered 1 no. Tuna Long Liner Cum Gilnetter Fishing Vessel for the beneficiaries of Tamil Nadu Fisheries Dept.

March 11: The protocol signing ceremony for delivery of 4 nos. of RO-PAX Vessels for IWAI.

March 13: The protocol signing ceremony for delivery of 4 nos. of RO-PAX Vessels for IWAI.

A RARE SIGHT IN INDIAN SHIPBUILDING

Made in CSL Ro-Pax vessels and fishing vessels ready for its voyage. In March 2020, CSL delivered 8 Ro-Pax vessels to the Inland Waterways Authority of India (IWAI). The vessels designed to carry both passengers and vehicles would be operated in strategic locations in National Waterways 1 and 2. During the year, CSL delivered 8 fishing vessels and 5 vessels are ready for delivery. The vessels have been built for the beneficiaries of Tamil Nadu Fisheries Department under the 'Blue Revolution Scheme' introduced by the Government of India. These vessels targets to promote sustainable fishing practices such as Gill netting and Long lining in the deep sea and also to provide necessary fishing infrastructural facilities to support deep sea fishing. This indeed is reflection of the commitment of CSL Shipbuilding division.



EXPANDING SHIPBUILDING AND REPAIRING CAPABILITIES

New Dry-dock

CSL is in the process of setting up a new dry-dock. The new dry-dock measuring 310 x 75/60 x 13 m with a 600T Gantry crane will be capable of handling vessels upto Suezmax, Aircraft Carriers of 70000T displacement, Jack-up rigs, LNG vessels etc.



How We Are Progressing

Construction activities commenced in June 2018 were progressing seemingly well. Ground improvement works are completed. RCC piling and sheet pile installation works are in progress. Around 40% of RCC piling and 70% of sheet piling works have been completed. Contract for the supply & commissioning of 600 T gantry crane was issued on March 14, 2019 and review of design submitted by the contractor is being carried out

ISRF

The International Ship Repair Facility (ISRF) will modernise and expand the existing ship repair facility in CSL. The ISRF includes 6000T shiplift for ships upto 130 x 25 m with six work stations and allied facilities. Total outfitting berth of 1500 meters approx.



How We Are Progressing

More than 95% of the piling works, 50% of the deck concreting & 80% of the dredging activities of the ISRF are completed and the facility is expected to be commissioned in FY 2021-22.

CSL-Mumbai Ship Repair Unit (CMSRU)

CSL entered into an agreement with Mumbai Port Trust (Mbpt) for management and operation of the ship repair facilities at Mumbai Port Trust for expansion of the ship repair capacity within the Indira Dock, that may include setting up of a floating dry-dock and upgrading existing facility at Hughes dry-dock thereby enhancing the existing ship repair capacity in Mumbai Area. During the year 24 vessels were repaired at CMSRU.

CSL-Kolkata Ship Repair Unit (CKSRU)

CSL entered into an agreement with Kolkata Port Trust (KoPT) for utilizing two dry-docks at Netaji Subhas Dock and Berth No.6 for a period of 15 years, with an option to extend upto 30 years. CSL will establish a professional ship repair ecosystem, that would be beneficial for the commercial as well as defence ship repair industry in east coast of India. The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi formally inaugurated the CKSRU facility on January 12, 2020 at a function held as part of the commencement of the Sesquicentenary Celebrations of the Kolkata Port Trust.



CSL-Andaman & Nicobar Ship Repair Unit (CANSRU)

CSL has entered into an agreement with the Andaman & Nicobar Administration to commence operations at Marine Dockyard, at Port Blair, a facility that is currently being operated directly by the A&N Administration. Under the ambit of this agreement, the CSL A&N Ship Repair Unit, named (CANSRU), shall assist the Administration in developing an overall ship repair ecosystem at Andaman & Nicobar Islands. CANSRU shall also assist & associate in augmentation and modernization of existing facilities. Focus on skill development in consultation with the Administration and technical institutions located in the Islands, is also part of the mandate of the agreement. The agreement is for a period of 30 years, during which CSL is expected to spruce up the operational efficiency of the dockyard as well as improve the overall ship repair ecosystem in the Island to ensure faster turnaround and minimise downtime of the vessels, which are the lifeline for the Islands.

CHAIRMAN'S ADDRESS



Dear Shareholders

It gives me immense pleasure to welcome you all, on behalf of the Board of Directors to the 48th Annual General Meeting of your Company, Cochin Shipyard Limited (CSL). I would like to take you through the highlights of performance and achievements of the Company in the year 2019-20, impact of COVID-19 and the initiatives for the future.

Operating Scenario

The operating scenario this year saw significant changes with CSL Mumbai Ship Repair Unit (CMSRU) at Mumbai ramping up operations and increasing momentum. CSL Kolkata Ship Repair Unit (CKSRU) at Kolkata became operational and has since completed three projects. The year also saw CSL moving into Andaman & Nicobar with the inauguration of the CSL Andaman & Nicobar Ship Repair Unit (CANSRU) at Port Blair. The long term business strategy road map worked out firmly points out the necessity of pro-active marketing efforts on both commercial and defence sectors. The main focus segments on the commercial front would include coastal, inland, fishing, specialised vessels etc. The

eight Ro-Pax vessels contracted for Inland Waterways Authority of India (IWAI) for operations in NW1 & NW2 was delivered amidst the COVID-19 lockdown and sailed off to Kolkata. The yard construction at Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL), the 100% subsidiary of CSL at Kolkata is making good progress, except the delay that would accrue on account of the COVID-19 lockdown period. This is being set up as a dedicated facility for construction of inland water vessels. With further development of the inland waterways and coastal segment, the Company sees more opportunities here. CSL has also delivered 11 out of the 16 Fishing Vessels contracted for the Tamil Nadu beneficiaries. The balance 5 vessels are ready for delivery. Sensing the high potential in this arena for good quality safe and technologically advanced vessels, CSL aspires to spin off a dedicated vertical which will enable production of these vessels to cater to the high demand volume envisaged. Towards this, CSL submitted a Resolution Plan for TEBMA Shipyard Limited, which was listed under the National Company Law Tribunal (NCLT) and succeeded in obtaining favourable orders for taking over the facility. Physical activities towards this will commence once lockdown restriction are eased up.

Achievements

We feel that our diversified focus & many-front approach while at the same time retaining sights on the main business segments viz., defence & commercial ship building has helped us to achieve another year of impressive results. The Company posted an all time high turnover of ₹3422.49 crores and PAT of ₹637.69 crores. The shipbuilding income was at an all time high of ₹2,852.27 crores. The ship repair turnover during the year was ₹570.23 crores.

The Indigenous Aircraft Carrier (IAC) contract continues to progress well and the vessel was getting ready for its first sea sortie, when the pandemic struck the project has entered its trials phase. All four gas turbines of the ship were started in the month of November 2019. Also, a major milestone of pre-CST docking was completed in the month of December 2019 during which extensive work on shafting, underwater valves, underwater painting and other docking related activities were carried out. These included foundations installation of Luna, Kavach, Rezistor E, RAN 40L etc. Trials of all eight diesel generators of the ship have been completed. Four air conditioning plants of the ship has been energised. Harbour acceptance trials of ships systems such as salvage, heeling & trimming, bilge and firemain are progressing as per the schedule. Trials of IPMS (Integrated Platform Management System) are also progressing satisfactorily. Operations checks of energy distribution centers, power panels, RCOS/ HCOS and 24v DC transrectifiers have been completed. Phase-III contract of the ship has been signed and its activities related to AFC and super structure outfitting is at culmination stage. Next immediate milestone is the basin trials followed by the sea trials of the ship and its associated activities are progressing satisfactorily. Work on the two 500 pax passenger vessels for A&N Administration which has a capacity to carry 500 PAX and 150 MT Cargo is also progressing well and the first vessel is ready for sea trials. The remaining two 1200 pax passenger vessels for A&N are at the assembly / erection stage.

The work on the first two vessels in the series of 4 Nos. of 8000 Mini Bulk Carriers for the JSW Group is progressing and is nearing readiness for erection in the dry-dock. These vessels which were originally scheduled for delivery between Augusts to December 2020, has also been affected both the local effects of the COVID-19 lockdown as well as its impact on the global supply chain. Work on the construction of 9 Nos. Floating Border Outpost vessels for the BSF has commenced while the Brows & Pontoon project for the Indian Navy is on the verge of delivery.



The Company posted an all time high turnover of ₹3422.49 crores and PAT of ₹637.69 crores. The shipbuilding income was at an all time high of ₹2,852.27 crores. The ship repair turnover during the year was ₹570.23 crores.

On the ship repair front the Company achieved a turnover ₹570.23 crores out of which the turnover from Mumbai was clocked around ₹51 crores and ₹1.7 crores from that of Kolkata facility. We have repaired around 30 vessels in CMSRU, i.e, our Mumbai unit and 24 vessels were repaired during FY20. In CKSRU, i.e, the Kolkata Ship Repair Unit, we have repaired 4 vessels during the year. The overall performance of the ship repair unit of the Company is in line with our expectations.

Cochin Shipyard is today at a very crucial juncture of growth and development. While strengthening its core competencies in shipbuilding and ship repair, the Company is looking at new avenues, facilities and business opportunities. While focusing on the defence and large shipbuilding orders, CSL had also taken up small ships in the fishing segment and the Inland waterways segment, taking into consideration its vital requirement in the strategic interests of the nation. With a multi-locational operation and strategic depth, the Company hopes to sustain its growth in the coming years by overcoming the challenges on production loss and cash flow caused by the pandemic, through hard work, focussed marketing & innovative business models.

COVID-19

Shutdown of industrial activities owing to the COVID-19 induced nation-wide lockdown towards the end of the month of March 2020 has led to serious ramification in the Indian industry as evidenced by the contraction of industrial output in March 2020 by 16.7% as against the 2.7% growth in March 2019. This will have direct implication as the commercial shipbuilding industry prospects since it is dependent on world trade and the cyclicity of oil, natural gas, shipping, transportation and other trade related industries.

Cochin Shipyard Limited had suspended its production activities from March 23, 2020 to May 05, 2020 in compliance with the instruction of the State and Central Governments for preventing the spread of COVID-19 pandemic.

The Company has adopted various measures to prevent the spread of COVID-19. CSL charted out a detailed standard operating procedure and issued for compliance by all concerned. CSL contributed ₹2.5 crores to PM Cares Fund. The Company also distributed food & provisions kits worth ₹30 lakhs to the weaker sections of the society, in Kochi. All the employees of CSL contributed their one day salary each to PM Cares Fund and to Chief Ministers Distress Relief Fund (CMDRF). Customer connect was maintained by CSL through digital media to keep customers progressively apprised of the situation and to sustain the confidence of the customer. Work requirements were prioritized, ensured preparatory works were carried out and re-started operations in minimum time. CSL in the mean time, flagged off 4 Ro-Pax vessels for Inland Waterway Authority of India on April 25, 2020 on its maiden voyage from Kochi to Kolkatta. The lock-down period was effectively utilized to undertake dredging activities of the CSL Jetties to facilitate berthing of vessels.

The shipbuilding order book position of the Company is unaffected and the existing shipbuilding orders have not been cancelled. As the operations were stopped w.e.f from March 23, 2020, only six days production was lost in FY19-20. Hence, the impact on the financials of FY20 is minimal. There will not be any additional impact due to liquidated damages for delay in running projects as the company has already invoked Force Majeure (FM) clause available in all the contracts, by which the contractual delivery dates will get automatically extended to compensate the lock down period. Since CSL is practically zero debt Company except for the Tax free Bonds of ₹123 crores, debt servicing does not pose any serious impact. While there is a delay in collection of receivables from the customers especially from Govt., the Company does not foresee any credit risks.

Expansion Plans

International Ship Repair Facility (ISRF) at Kochi

The construction works of ISRF project, which commenced on November 17, 2017, is progressing in full swing. More than 95% of the piling works, 50% of the deck concreting & 80% of the dredging activities are completed and the facility is expected to be commissioned in FY 2021-22. As a part of our efforts to develop Kochi as a maritime hub of India, CSL had set up a maritime park near to the

International Ship Repair Facility at Willingdon Island, which was inaugurated by Hon'ble Minister of State (Independent Charge) for Shipping, Shri Mansukh L Mandaviya on September 19, 2019. Ten globally renowned firms in the maritime industry have already partnered with CSL for setting up their units in the Maritime Park in the first phase. CSL expects to position Kochi as a major ship repair hub with major operations in the present ship repair dock coupled with increased capacities that would be available when the ISRF is commissioned.

New 310M Dry-dock project at Kochi

Construction activities commenced in June 2018 were progressing seemingly well. Ground improvement works are completed. RCC piling and sheet pile installation works are in progress. Around 40% of RCC piling and 70% of sheet piling works have been completed. Contract for the supply & commissioning of 600 T gantry crane was issued on March 14, 2019 and review of design submitted by the contractor is being carried out. However, the COVID-19 impacted heavily on the projects due to multifarious reasons viz. return of migrant labours, disruption of material supply chain, deployment of limited work force owing to social distancing norms, curfew imposed by the government during the night etc. to name



The Company has adopted various measures to prevent the spread of COVID-19. CSL charted out a detailed standard operating procedure and issued for compliance by all concerned. CSL contributed ₹2.5 crores to PM Cares Fund. The Company also distributed food & provisions kits worth ₹30 lakhs to the weaker sections of the society, in Kochi. All the employees of CSL contributed their one day salary each to PM Cares Fund and to Chief Ministers Distress Relief Fund (CMDRF).

a few. Further, most of the equipment manufacturers, the CAPEX missionary suppliers have already invoked the force majeure clause available in the contract. So we are expecting some delays in this project. Despite of the uncertainties, the project commissioning is targeted by December 2022.

New Initiatives

Hooghly Cochin Shipyard Limited

Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL) was initially set up as a joint venture (JV) between CSL and Hooghly Dock & Port Engineers Limited (HDPEL) and pursuant to the Union Cabinet approval, HCSL has become a wholly owned subsidiary of CSL with effect from November 01, 2019. Construction works of two outfitting jetties at the Nazirgunge facility were completed on December 31, 2019 as against MoU target of February 15, 2020, thereby meeting the 'Excellent' rating criteria of the CSL MoU with Ministry of Shipping. The jetties were inaugurated on January 30, 2020 in the presence of distinguished guests. Presently, civil construction work is in progress and has crossed 50% mark. Further, the activities under various other work packages viz., Electrical, Gas Piping, Fire Fighting etc. are also progressing which are planned in line with the progress of the civil works.

The project site had to shut down its activities from March 23, 2020 to June 08, 2020 due to the lockdown imposed by the Government Authorities to contain the spread of the Pandemic. Even though the activities at the project site resumed from June 09, 2020, limited manpower is being employed to ensure compliance with the Guidelines issued by the Government Authorities on account of the Pandemic. The HCSL team is constantly monitoring the Project and aiming at earliest completion of the project and commencement of operations.

TEBMA Shipyards Limited (TSL)

As part of CSL's long term strategy, viz., CRUISE 2030, CSL aspires to achieve 6x-8x growth by 2030 and towards this the Company identified deep sea fishing vessel as one of the several opportunities. Since fishing vessel segment calls for a dedicated facility so as to cater to the large volume of business different from the conventional shipbuilding process, CSL was in search of a suitable facility to enter into this segment. During this period, CSL found an opportunity in TSL, Malpe which was undergoing Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) and bidding for TSL through IBC was considered appropriate. Accordingly CSL submitted its Resolution Plan which was approved by the National Company Law Tribunal (NCLT),



As a part of our efforts to develop Kochi as a maritime hub of India, CSL had set up a maritime park near to the International Ship Repair Facility at Willingdon Island, which was inaugurated by Hon'ble Minister of State (Independent Charge) for Shipping, Shri Mansukh L Mandaviya on September 19, 2019. Ten globally renowned firms in the maritime industry have already partnered with CSL for setting up their units in the Maritime Park in the first phase.

Chennai on March 04, 2020. CSL is in the process of implementing the said Resolution Plan.

CSL-Mumbai Ship Repair Unit (CMSRU)

CSL entered into an agreement with the Mumbai Port Trust on October 20, 2018 to upgrade, operate and manage Ship Repair Facility at Hughes dry-dock and berth nos. 5, 6, 7 and 8 of Indira Dock of Mumbai Port. Subsequent to the execution of the agreement, CSL has commenced the ship repair operations in Mumbai on January 18, 2019. Post operationalization and repairs of around nine vessels at CMSRU in financial year ending 2019, CSL has successfully undertaken repairs to 24 vessels during the FY 2019-20. This includes submarine separation operation of Indian Naval submarine INS Vela through M/s. MDL & repairs of guided-missile destroyer INS Delhi. Other services undertaken from this new facility this year include - repairs of 5 SCI vessels including the major repair to Samudra Nidhi, 2 vessels of the Indian Coast Guard in addition to providing repair services to many private owners/agencies. CSL had also taken up repairs for a foreign client and successfully completed repairs to accommodation barge SS-3 of M/s. Bayu Maritim Berkah, Indonesia."

CSL-Kolkata Ship Repair Unit (CKSRU)

CSL signed the agreement with Kolkata Port Trust on March 28, 2019 for operations and management of ship

repair facility at Netaji Subhas Dock (NSD) for a period of 30 years. The new venture is being managed by separate unit of CSL known as “CSL-Kolkata Ship Repair Unit (CKSRU). CSL commenced ship repair operations at NSD on October 10, 2019 with docking of naval vessel ‘INS Kavaratti’. The first commercial repair vessel ‘Greatship Vidya’, an Anchor Handling Offshore Support Vessel was docked at CKSRU in January 2020. The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi formally inaugurated the CKSRU facility on January 12, 2020 at a function held as part of the commencement of the Sesquicentenary Celebrations of the Kolkata Port Trust. CSL is currently in the process of setting up the necessary infrastructure facilities, recruitment of dedicated manpower, vendor empanelment and developing the ship repair ecosystem at CKSRU.

CSL-Andaman & Nicobar Ship Repair Unit (CANSRU)

CSL has entered into an agreement with the Andaman & Nicobar (A&N) Administration on November 28, 2019 to commence operations at Marine Dockyard, at Port Blair, a facility that is currently being operated directly by the A&N Administration. Under the ambit of this agreement, CANSRU shall assist the Administration in developing an overall ship repair ecosystem at Andaman & Nicobar Islands. CANSRU shall also assist & associate in augmentation and modernization of existing facilities. Focus on skill development in consultation with the Administration and technical institutions located in the Islands, is also part of the mandate of the agreement. The agreement is for a period of 30 years, during which CSL is expected to spruce up the operational efficiency of the dockyard as well as improve the overall ship repair ecosystem in the island to ensure faster turnaround and minimise downtime of the vessels, which are the lifeline for the Islands. CSL has since nominated its first set of executives for CANSRU. A CSL team consisting of officers representing various key departments conducted a dipstick audit of CANSRU as mandated in the agreement and the dipstick audit report has also been prepared. Submission of the same and further progress on the operational aspects will be possible once COVID restrictions are lifted. The recruitment process of CANSRU manning team has also been initiated at CSL.

Corporate Governance

The Company continued to comply with good corporate governance practices. The Company complies with the applicable regulations of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and also the Guidelines on Corporate

Governance issued by the Department of Public Enterprises, except that the Company was short of three Non-Official Part Time (Independent) Directors including a women director on the Board for the period from March 21, 2019 to July 28, 2019 as required under Regulation 17(1) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. CSL being a government company, the power to appoint Directors vests with the President of India and the Company has taken all possible steps within its power to comply with the above requirements. The Company also submits its quarterly progress reports on corporate governance within 15 days from the close of each quarter to the Ministry of Shipping as recommended by the DPE in this regard. The Report on Corporate Governance forms part of the Directors’ Report.

Human Resource Development

Various programmes for development and motivation of the employees were continued during the year. The Company continued to nominate executives at all levels to attend specific management development programmes at IIMA, IIMK, IIMC, ASCI, ISB etc. The Company conducted two customized management development programmes in association with the Indian Institute of Management (IIMK), Kozhikode. A one week programme on “General Management” was conducted at the IIMK main campus covering 24 executives up to the level of Senior Managers. One day customized programme was conducted at IIMK Kochi campus for top management on the topic “Macro Economic & Financial Imperatives for Industry”.

The “Young Officers’ Competency Development Programme” covering young managers upto the level of Deputy Managers was conducted. A second batch comprising of 25 executives have completed the sessions. Third batch of 32 executive trainees completed 40 sessions of the programme. The faculty for this programme is primarily drawn from in-house talent as well as retired executives. As part of facilitating knowledge transfer, a structured training programme for workmen in the trades of welder, pipe fitter, structural & engineering fitters and electrical covering 155 workmen was held during the year.

Industrial Relations

Industrial relations scenario of the Company continued to have cordial climate throughout the year. During the year, CSL introduced various employee welfare measures including, paternity leave to male employees of the Company including for valid adoption of a child below the age of one year, special leave for employees undergoing treatment for infertility, reimbursement of medical

expenses to employees undergoing infertility treatment etc. Realising the importance of good health of employees and as an initiative under the people first policy of CSL, a scheme for periodic health check-up for all regular employees of the Company was introduced during the year. The scheme also provides for early cancer detection screening for female spouses of employees. The Company disbursed full salary to the entire work force for the COVID-19 lock down period to maintain employee morale. In addition, special quarantine leave were granted to those employees, personnel on contract basis and trainees residing in containment zone.

Research and Development (R&D)

R&D activities have been undertaken during the year, mainly in the areas of welding procedure development and qualification of welders. Weld procedure development has been undertaken in-house for welding of lower thickness of grade AH 36 plate using Twin wired SAW process with copper backing. The weld procedure specification has been prepared and qualified to weld thickness from 9 mm to 13 mm of AH 36 grade steel plate. This new process saves considerable amount of man hour and effort since turning of large welded plates is avoided by enabling to complete the welding in one side only. The procedure has been validated by IRS Classification Society.

Capacity development and training in welding have been carried out during the period, under the Memorandum of Understanding with Welding Research Institute (WRI), Tiruchirappalli, a research institute under Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL).

Integrated Management System

Cochin Shipyard maintained its Integrated Management System (IMS) under the ISO 9001:2015 Quality Management System and ISO 14001:2015 Environmental Management System standards. The last surveillance audit was successfully completed in September 2019. CSL will be upgrading its Health and Safety Management system to the latest ISO 45001:2018 in September 2020.

Corporate Social Responsibility

During the year the Company was required to spend ₹12.33 crores in socially impactful CSR projects. The Company exceeded the target and the actual spent was ₹15.29 crores. The Company focused on the theme "School education and healthcare" as prescribed by the Government of India and spent 75% of its total CSR spent on the theme against the mandate of minimum 60%. In the aspirational district of Wayanad, the Company has sanctioned ₹255.50 lakhs during the year out of which ₹129.87 lakhs has been paid.

Accolades

The Company continued to post exemplary performance with reference to the MOU parameters set by GOI for the year 2019-20. However, the final rating under the MOU is yet to be received. Cochin Shipyard also received a plethora of awards in different fields, notable among them being the KMA CSR award 2019 for recognition of contribution in the category 'innovative and effective deployment of CSR fund' and also in specific contribution in the category 'health & hygiene', NIPM Best Corporate Citizen Award 2019 from National Institute of Personnel Management, in recognition of its CSR initiatives in 'healthcare' sector, Rotary International CSR Excellence Award 2019, Outstanding Safety performance award 2019 from Department of Factories & Boilers, Govt. of Kerala, in the category of very large engineering/automobile repairing and servicing, textiles and coir with more than 500 workers and various awards for implementation of the official language.

Conclusion

CSL is presently in an extremely challenging and competitive business environment. CSL has always been able to portray its competitive advantage & capabilities for bagging contracts amidst stiff competition. While strengthening its core competencies in shipbuilding and ship repair, the Company is looking at new avenues, facilities and business opportunities. With a multi-locational operation and strategic depth, the Company is poised for expected growth and development in the coming years.

I convey my thanks to all the Board Members for their valuable contribution in propelling this great organization. I thank the Ministry of Shipping, other offices of Government of India, the Government of Kerala, West Bengal and Maharashtra and the Andaman and Nicobar Administration for their unstinted support. Finally, I would like to take this opportunity to thank all the shareholders, employees and other stakeholders of the Company for the trust reposed in and solicit continued support to fulfil your expectations.

Thanking You

Jai Hind

Madhu S Nair
Chairman and Managing Director
DIN : 07376798

HOW WE CREATE VALUE

VISION

Emerge as an internationally preferred shipyard to construct world class Merchant and Naval ships, offshore vessels and structures.

Be the market leader in India for ship repairs, including conversions and up-gradation.

To be admired for our achievements, respected for our ethics and trusted for our service excellence by our valued customers.

MISSION

To build and repair ships and off-shore structures to international standards and provide value added quality engineering services.

Sustain corporate growth in competitive environment.

To adopt and undertake practices towards becoming a responsible corporate citizen.

OBJECTIVES

To sustain and enhance shipbuilding and ship repair activities through technology up-gradation and capacity augmentation.

To continuously endeavour to expand/diversify activities of the shipyard including setting up new facilities.

To carry out research & development in existing and emerging technologies in shipbuilding processes.

To move towards international benchmarking, benchmark with the best shipbuilding standards followed in India.

To motivate employees through improved specific training programs. To adopt best practices for clean and safe environment. Ride the down time with aggressive bidding and secure orders to maximize capacity.

To ensure positive customer oriented initiatives.

To build a responsible corporate citizen image through CSR & sustainability projects and compliance to corporate governance principles.

Gross Income

₹ **3670** crores

Contribution to
exchequer

₹ **514** crores

CSR spent

₹ **15.29** crores

Employee
benefit expenses

₹ **306** crores

ABOUT US

Cochin Shipyard Limited (CSL) was incorporated in the year 1972 as a fully owned Government of India Company. Presently, the Government of India holds 72.86% of equity share capital in the Company. In the last four decades, the Company has emerged as a forerunner in the Indian shipbuilding & ship repair industry and also a well-known player on the global shipbuilding front. CSL has exported 45 ships to various commercial clients outside India such as National Petroleum Construction Company (Abu Dhabi), the Clipper Group (Bahamas), Vroon Offshore (Netherlands) and SIGBA AS (Norway).

The Company has built and repaired some of the largest ships in India and is presently building the prestigious Indigenous Aircraft Carrier for the Indian Navy. Over the years, CSL has successfully responded to fluctuations in the shipbuilding requirements of the markets and have evolved from building bulk carriers to smaller and more technically sophisticated vessels such as Platform Supply Vessels (PSV) and Anchor Handling Tug Supply Vessels (AHTS). CSL has worked with several leading technology firms in the industry including Rolls Royce Marine (Norway), GTT (France), Vard Group (Norway) etc. This has added to our credibility in the international markets. Our key shipbuilding clients on the domestic front include the Indian Navy, the Indian Coast Guard and the Shipping Corporation of India Limited. CSL has also undertaken repairs of various types of vessels including upgradation of ships of the oil exploration industry as well as periodical maintenance, repairs and life extension of ships. CSL is presently one of the best performing shipyards in India.

Vessels built and delivered by
Cochin Shipyard Limited (Total as on March 31, 2020)

15

Large Vessels

35

Offshore Support Vessels

71

Small & Medium Vessels

20

Defence Vessels

OUR OPERATIONAL FOOT PRINTS



COCHIN SHIPYARD LIMITED (CSL), KOCHI

Dry-dock 1 : 255 x 43 x 9 Mtr
 Dry-dock 2 : 270 x 45 x 12 Mtr
 Dry-dock 3 : 310 x 75/60 x 13 Mtr (New)
 Berth : 1.3 KM

INTERNATIONAL SHIP REPAIR FACILITY (ISRF), KOCHI

Shiplift : 6000T (130 x 25 Mtr)
 6 Work Stations
 Dedicated Shops & Maritime Park

CSL MUMBAI SHIP REPAIR UNIT (CMSRU), MUMBAI

Dry-dock : 300 x 30 x 9 Mtr
 1Km berth for afloat repairs

CSL KOLKATA SHIP REPAIR UNIT (CKSRU), KOLKATA

Dry-docks : 172 x 23 x 8 Mtr (2 nos)

CSL-ANDAMAN & NICOBAR SHIP REPAIR UNIT (CANSRU), PORT BLAIR

Dry-dock 1 : 88 x 20 x 7 Mtr
 Dry-dock 2 : 68 x 16 x 5 Mtr
 Slipways : 25 x 8 Mtr (5 nos)

HOOGLHY COCHIN SHIPYARD LIMITED (HCSL), KOLKATA

Subsidiary Yard for Inland Vessels
 Slipway : 90 x 15m x 2 nos
 5 Outfitting Jetties

CSL-TEBMA SHIPYARD, MALPE

Standalone facility for Medium Size Vessels
 Slipway : 96 x 22 Mtr

OUR CREDENTIALS



SHIPBUILDING

Has built various types of vessels including Oil Tankers, Bulk Carriers, Tugs, Dredger, Platform Supply Vessels, Passenger Vessels, Anchor Handling Tug Supply Vessels etc. Reputed international clientele. Currently building Aircraft Carrier, Technology Demonstration Vessels, Passenger Vessels, Floating Border Outpost Vessels, Ro-Ro Vessels, Marine Ambulance Boats, Fishing Vessels, Mini General Cargo Ships, ASW Corvettes, Hybrid Electric – Passenger Vessels etc.



SHIP REPAIR

Only yard in India which has undertaken dry-dock repairs of Aircraft Carriers INS Viraat and INS Vikramaditya. Can undertake complex and sophisticated repairs to all types of vessels including Oil Rigs, Naval and Coast Guard Vessels, Offshore Vessels, Dredgers, Fishing Vessels, Passenger Ships, Port Crafts, and all other Merchant Vessels.



OFFSHORE

Has undertaken a variety of complex and sophisticated offshore upgradation contracts.




QUALITY

Cochin Shipyard upgraded its Integrated Management System by getting certified under the ISO 9001:2015 - Quality Management System and ISO 14001:2015 - Environmental Management System standards in September 2018. CSL conforms to OHSAS 18001:2007 - Occupational Health and Safety Management System. CSL will be upgrading its Health and Safety Management system to the latest ISO 45001:2018 by September 2020.

FINANCIAL HIGHLIGHTS


TURNOVER

(₹ in crores)




PROFIT BEFORE TAX

(₹ in crores)




PROFIT AFTER TAX

(₹ in crores)




EPS

(₹)




NET WORTH

(₹ in crores)



CAPITAL EMPLOYED

(₹ in crores)



Key Indicators	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11
EPS (₹ per share)	48.48	35.72	31.03	28.39	24.07	20.75	17.15	16.35	15.21	20.09
Face Value Per Share (₹)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
EBDIT/ Gross Turnover (%)	27.95	26.97	27.76	26.35	23.52	22.81	20.37	20.45	20.21	26.70
Net Profit Margin %	18.63	16.23	16.85	15.62	13.73	12.64	11.75	11.92	12.27	15.57
Return on Net Worth %	17.09	14.44	12.19	15.85	15.09	15.06	14.15	15.76	16.40	23.51
Return on Capital Employed %	16.85	15.94	12.35	15.39	16.15	14.50	13.97	19.08	18.76	27.44

(₹ in crores)

Particulars	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11
Turnover	3422.49	2965.60	2355.12	2058.87	1993.45	1859.51	1652.66	1554.16	1404.85	1461.72
Total income	3669.99	3192.89	2544.28	2217.50	2107.37	1952.97	1728.64	1642.33	1481.54	1589.17
Profit Before Tax (PBT)	863.43	751.38	604.86	493.40	419.65	367.56	290.96	275.55	252.97	344.23
Depreciation & write offs	48.73	34.16	37.51	38.51	37.19	38.33	26.43	19.22	18.07	17.06
Profit After Tax (PAT)	637.69	481.18	396.75	321.55	273.79	235.07	194.24	185.27	172.33	227.53
Equity Share Capital	131.54	131.54	135.94	113.28	113.28	113.28	113.28	113.28	113.28	113.28
Reserves & Surplus	3600.25	3200.54	3119.93	1915.30	1701.05	1447.79	1239.25	1062.42	898.41	775.38
Net Worth	3731.80	3332.08	3255.87	2028.58	1814.33	1561.07	1352.53	1175.70	1050.83	967.80
Gross Fixed Assets	853.82	426.69	369.79	357.72	569.53	636.84	602.38	444.35	376.73	362.10
Net Fixed Assets	696.54	313.03	284.47	302.85	296.44	377.44	383.41	247.30	192.61	190.67
Number of Employees	1710	1744	1781	1829	1671	1786	1751	1656	1900	1818

OUR PEOPLE

HR VISION

Emanating from the goals and objectives enshrined in the corporate mission statement, the strategic HR vision of the Shipyard is to strive and create an unique institution that integrates creativity, innovation, technology, business and good corporate governance practices for all round improvement in the quality of work life of the yard's workforce.

HR Policy

HR policies are oriented towards providing the right mix of human resources, their empowerment and enrichment so as to meet organizational targets and results.

HR Mission

To provide a vibrant platform for all those working in the yard to give their best and ensure all round growth both for the individual and organization.

Target

To plan for, introduce/implement HR policies based on performance that would ensure growth, recognition, rewards, motivation, competence building, commitment and healthy employer-employee relations.

CSL Approach

Cochin Shipyard recognizes that among all resources it is the Shipyard's abundant professional, skilled and trained Human Resources (HR) who have been propelling the Shipyard towards achievement of targets and helping CSL gain a competitive advantage. The HR of CSL forms a very critical part of the company's business strategy. HR management system procedures and approach in CSL are designed to maximize employee welfare and performance. The Company focuses on effective

management and development of HR, recruitment, training and development, performance appraisal and rewards. HR is also concerned with the organizational change and maintaining a healthy employer employee relationship climate in the organization.

OUR PEOPLE STRENGTH

1710

The manpower strength of the Company as on March 31, 2020 was 1710 consisting of 369 executives, 136 supervisors and 1205 workmen



BOARD OF DIRECTORS



SHRI MADHU S NAIR
Chairman and Managing Director

Shri Madhu S Nair assumed charge as the Chairman & Managing Director of the Company on January 01, 2016. He holds a degree of Bachelor of Technology (Naval Architecture and Ship Building) from Cochin University of Science & Technology in first class and Masters in Engineering (Naval Architecture and Ocean Engineering) from Osaka University, Japan. He has more than 32 years of professional experience with the Company since joining as Executive Trainee in June 1988 in the entire gamut of Shipyard management. He was the key driver in forging alliances with international technology partners. He was also instrumental in conceptualizing the Small Ship Division and key player in bagging international contracts while he was heading the Marketing Division. Under his leadership, CSL became a listed company after a very successful Initial Public Offer. During his tenure, CSL is undertaking two major expansion projects worth ₹2,769 crores. Also CSL is making foray into the Inland waterways transport vessel segment by setting up subsidiary Company at Kolkata. CSL has forged alliance with the Major Port Trusts in India, viz. Mumbai Port Trust and Kolkata Port Trust for developing and operating Ship Repair ecosystems and setting up separate units in those ports. CSL also established a unit at Port Blair. He is trained in shipbuilding systems at IHI Shipyard at Kure, Japan and undergone JICA Specialized training at Overseas Vocational Training Centre (OVTA), Tokyo and Osaka International Centre, Osaka, Japan and did research in Joining & Welding Research Institute, during Masters in Engineering at Osaka University, Japan. He is a member of various Professional bodies including The Royal Institution of Naval Architects, UK (RINA), Institution of Naval Architects, India. He is a strong believer in power of people and the "people first policy" conceived by him is aimed at steering CSL into a knowledge organization. He is also the Chairman of Hooghly Cochin Shipyard Limited, a wholly owned subsidiary of CSL.



SHRI SURESH BABU N V
Director (Operations)

Shri Suresh Babu N V is the Director (Operations) of the Company from April 26, 2016. He holds a degree of Bachelor of Engineering (Mechanical) from the University of Kerala. He also holds a Diploma in Management from Indira Gandhi National Open University. He has completed one year Group Training Course in Shipbuilding, Repairing and Maintenance conducted by Overseas Shipbuilding Cooperation Centre under International Cooperation Programme of the Government of Japan under Colombo Plan. He has also undergone a practical training course with shipyard in Sekaide, Japan of Kawasaki Heavy Industries Limited. Furthermore, he has completed supplementary course in Japanese language held at Overseas Shipbuilding Cooperation Centre. He joined the Company as an executive trainee in February 1985. He has more than 35 years of work experience with the Company wherein he has had experience across various areas of the shipyard such as Shipbuilding, Materials and Ship Repair divisions. He is also a Director in Hooghly Cochin Shipyard Limited, a wholly owned subsidiary of CSL.



SHRI BEJOY BHASKER
Director (Technical)

Shri Bejoy Bhasker assumed charge as the Director (Technical) of the Company on April 05, 2018. He holds a Degree of Bachelor of Technology (Mechanical) from the University of Kerala with First Rank and Gold Medal. He also holds a Degree of Master of Technology (Mechanical) from the Indian Institute of Technology, Madras. He has completed Advanced Diploma in Management from Indira Gandhi National Open University. He joined the Company on June 29, 1988 as an executive trainee. He was awarded the "Manager of the Year" award in 2014 by Kerala Management Association. He has more than 32 years of work experience with the Company wherein he was involved in Ship Design, Ship Building, Outfit and Ship Repair divisions of the Company. He is also a Director in Hooghly Cochin Shipyard Limited, a wholly owned subsidiary of CSL.



SHRI JOSE V J
Director (Finance)

Shri Jose V J assumed charge as Director (Finance) and Chief Financial Officer of Cochin Shipyard Limited from August 2019. He is a member of the Institute of Cost Accountants of India and also holds a degree in Law from Government Law College, Ernakulam. He has approximately 29 years of work experience across diverse field viz., financial management, strategic planning, risk management, forex management, budgeting and cost control. He is also heading the Information Systems Department of the Company. He is also a Director in Hooghly Cochin Shipyard Limited, a wholly owned subsidiary of CSL.



**SHRI SANJAY
BANDOPADHYAYA IAS**
Part Time Official
(Nominee) Director

Shri Sanjay Bandopadhyaya is a Part Time Official (Nominee) Director of the Company representing Ministry of Shipping, Government of India from February 03, 2020. He is a 1988 Batch IAS Officer of Madhya Pradesh Cadre. Shri Sanjay Bandopadhyaya is presently posted as Additional Secretary to Government of India, Ministry of Shipping and is entrusted with all policies, operations and development work related to Ports, Shipping, Shipbuilding & recycling, International Co-operation and Treaties, Aid-to-navigations etc. As Additional Secretary he co-ordinated the passing of the Recycling of Ships Bill 2019 and ratification of the Hong Kong Convention. He is also co-ordinating the drafting of the new Merchant Ship Bill, Aid-to-navigation Bill and the Indian Ports Bill.

He holds a Master degree of Technology in Communications and Radar Engineering from Indian Institute of Technology, Delhi, Bachelor's degree of Engineering in Electronics and Communications and Master of Arts degree in Economics. In the past he held various senior positions in both Central and State governments viz., Principal Secretary to Government of Madhya Pradesh in charge of Dept. of Technical Educational & Skill Development, Chief Executive Officer of National Automotive Testing and R&D Infrastructure Project (NATRIP), (Under Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises), Government of India, Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Road Transport & Highways, the Secretary of Energy (Power & Renewable Energy), Government of Madhya Pradesh, the Managing Director of Madhya Pradesh Laghu Udyog Nigam Ltd., the Secretary of Agriculture, Government of Madhya Pradesh, the Member (Finance) of Madhya Pradesh State Electricity Board & Additional Secretary to Government of Madhya Pradesh.

He won various prestigious awards viz., the "Platinum Icon Web Ratna Award 2012" for implementing the 'Vahan' vehicle registration and permit system for the best citizen centric service by the Government of India, National Award for e-Governance (GOLD) 2009-10 presented for State School Portal and management through electronic platform, India Tech Foundation 2007 for second Best Reforming State in India in Power Sector.



SHRI JYOTHILAL K R IAS
Part Time Official
(Nominee) Director

Shri Jyothilal K R is a Part Time Official (Nominee) Director of the Company representing Government of Kerala. He was re-appointed into the Board from August 24, 2020. He holds a degree of Bachelor of Technology in Chemical Engineering from IIT Chennai. He is an IAS Officer of 1993 batch (Kerala cadre) and served in various departments of the Government of Kerala viz., Land Revenue Management and District Administration, Fisheries/Agriculture & Co-operation, Information Technology, Food, Civil Supplies & Consumer Affairs etc. He is currently posted as Principal Secretary (Transport), Government of Kerala.

CORPORATE INFORMATION

Board of Directors

Shri Madhu S Nair
Chairman & Managing Director

Shri Suresh Babu N V
Director (Operations)

Shri Bejoy Bhasker
Director (Technical)

Shri Jose V J
Director (Finance) and
Chief Financial Officer

Shri Sanjay Bandopadhyaya IAS
Additional Secretary,
Ministry of Shipping, Govt. of India
Part Time Official (Nominee) Director

Shri Jyothilal K R IAS
Principal Secretary (Transport)
Govt. of Kerala
Part Time Official (Nominee) Director

Chief Vigilance Officer

Shri K Rajendran

Management Team

Shri Ramesh K J
Chief General Manager
(Human Resource & Training)

Shri Murugaiah M
Chief General Manager (Tech)

Shri Sreejith K N
Chief General Manager (Ship Repair)

Shri Neelakandhan A N
General Manager (Planning & Project
Management)

Shri Suresh Kumar A V
General Manager (Training)

Shri Varadarajan S
General Manager & Special Officer
(KMRL Project)

Shri Rajesh Gopalakrishnan
General Manager
(Business Development & New
Projects)

Shri Harikrishnan S
General Manager (Materials)

Shri Eldho John
General Manager (Infra Projects)

Shri Subramaniya Pillai R
General Manager (U&M)

Shri Sivakumar A
General Manager (Ship Building)

Shri Sunil Kumar K R
General Manager (IAC)

Smt. Anjana K R
General Manager (Design)

Shri Jayan K Thampi
General Manager
(Ship Repair-Mumbai)

Shri Syamkamal N
Company Secretary &
Compliance Officer

Registered Office

Cochin Shipyard Limited
Administrative Building,
Cochin Shipyard Premises,
Perumanoor, Ernakulam, Kerala,
India - 682 015

Bankers

State Bank of India
Canara Bank
Union Bank of India
IDBI Bank
Axis Bank

Statutory Auditors

M/s. Elias George & Co.
Chartered Accountants,
38/1968 A, EGC House,
HIG Avenue West End,
Gandhi Nagar, Kochi - 682 020

Secretarial Auditors

M/s. Mehta & Mehta
Company Secretaries
201-206, Shiv Smriti, 2nd Floor,
49/A, Dr. Annie Besant Road,
Above Corporation Bank, Worli,
Mumbai - 400 018

Cost Auditors

M/s. K A Felix & Co.
D31/670, Parvathy Nilayam,
Opp. Welcare Hospital, Vyttila P.O.,
Ernakulam - 682 019

Debenture Trustees

SBICAP Trustee Company Ltd.
6th Floor, Apeejay House,
3, Dinshaw Wachha Road,
Churchgate, Mumbai - 400 020

Registrar & Transfer Agents

Link Intime India Pvt. Ltd.
Surya, 35, Mayflower Avenue,
Behind Senthil Nagar,
Sowripalayam Road,
Coimbatore - 641 028

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

CSR VISION

Cochin Shipyard Limited in consonance with its corporate vision looks forward to continuing in the best tradition of being a responsible corporate citizen recognised for the quality of its products and services and respected for its ethical way of conducting business. In this, it endeavours to follow the path of shared inclusive growth, thereby distributing the fruits of its prosperity towards improved quality of life of the society and contributing to environment and nature for sustainable development.



Support for purchase of Optimist Class Sail Boats for Sea Cadet Corps.



Construction of modern public toilet block at Atlantis Junction, MG Road, Ernakulam, contributing to the promotion of sanitation in the city under Swachh Bharat Abhiyan of Government of India.



A touching gift to blind school - Provided equipments for blind friendly children's park and for Physiotherapy Centre at Kerala Blind School Society, Thottumugham, Aluva, Ernakulam District.



From death's door to doctor's hand - Support for purchase of two Maruti Eeco basic life support ambulances and three Maruti Eeco vehicles for Palliative Care Department at General Hospital, Ernakulam.



One less plastic bag campaign - Distributed 20,000 jute bags to general public in association with Times of India under Swachh Bharat Abhiyan to reduce the use of plastic bags.

Number of CSR Projects in FY20

116

Amount spent for CSR during the year

₹ **15.29** crores

DIRECTORS' REPORT

Dear Shareholders,

- Your Directors have pleasure in presenting the 48th Annual Report of your Company along with the audited financial statements for the year ended March 31, 2020.



Financial Performance

- Your Company posted yet another year of impressive performance despite the shipbuilding market scenario remaining lackluster. Diversified operational segments and product profile helped the Company to achieve a turnover of ₹3,422.49 crores for the year as compared to ₹2,965.60 crores in the year 2018-19. The profit before tax is ₹863.43 crores for the year as against ₹751.38 crores in the previous year. The net profit is ₹637.69 crores as compared to ₹481.18 crores for the previous year.
- The authorised share capital of the Company is ₹2,50,00,00,000/- divided into 25,00,00,000 equity shares of face value of ₹10/- each. The paid up share capital of the Company is ₹1,31,54,03,900/- divided into 13,15,40,390 equity shares of face value of ₹10/- each.

Financial Highlights

(₹ Crs)

Sl. No.	Particulars	2019-20	2018-19
(i)	Gross Income	3669.99	3192.89
(ii)	Profit before finance cost, depreciation & tax	956.75	799.83
(iii)	Finance costs	44.59	14.30
(iv)	Depreciation & write off	48.73	34.16
(v)	Profit Before Tax	863.43	751.38
(vi)	Tax Expense	225.74	270.20
(vii)	Net profit	637.69	481.18



Dividend

- As per Office Memorandum F.No.5/2/2016-Policy dated May 27, 2016 issued by Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM), every CPSE have to pay a minimum annual dividend of 30% of PAT or 5% of the net-worth, whichever is higher. Accordingly, your Directors are pleased to recommend a dividend of ₹15/- per share on the 13,15,40,390 fully paid equity shares of ₹10/- each. Earlier, an interim dividend of ₹1.63/- per equity share has been paid to the shareholders during 2019-20. Thus, the total dividend for the year 2019-20 is ₹16.63/- per equity share (166.30%), amounting to ₹218.75 crores. No unclaimed dividend (previous years') is due to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF).

Dividend Distribution Policy

- As per Regulation 43A of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the top five hundred listed entities shall formulate a dividend distribution policy. Accordingly, dividend distribution policy has been adopted to set out the parameters and circumstances that will be taken into account by the Board in determining the distribution of dividend to its shareholders and/or retaining the profit into the business. The policy is enclosed as **Annexure 1** to this report and is available on the CSL's website at <https://www.cochinshipyard.com/uploads/coporate/1776176ff06b7942265b7265e3f6bd97.pdf>

Transfer to Reserves

- As per the amendment made to the Companies (Share Capital and Debenture) Rules, 2014 notified

vide Notification No. G.S.R. 574(E) by the Ministry of Corporate Affairs, the Company is not required to create Debenture Redemption Reserve in respect of the bonds issued by it. As on March 31, 2020, the Company has Reserves and Surplus amounting to ₹3,600.25 crores which reflects the inherent financial strength of the Company.

Contribution to Exchequer

- The total contribution made during the year by way of income tax, customs duty, service tax (SVLDRS), GST and dividend including dividend distribution tax was approximately ₹513.73 crores.



Shipbuilding

- The Company achieved a total shipbuilding income of ₹2,852.27 crores during 2019-20 as against ₹2,132.02 crores in 2018-19. During the year 2019-20, CSL delivered eight Ro-Pax vessels for Inland Waterways Authority of India (IWAI). The yard also completed various major milestones on the projects which includes, launching of two 500 Pax cum 150 MT Cargo vessels and one 1200 Pax cum 1000 MT Cargo vessel being built for Andaman & Nicobar Administration, launching of one Marine Ambulance Boat for the Fisheries Department of Government of Kerala, launching of two nos. of Brows and pontoons for Indian Navy, steel cutting of 8000 DWT Mini General Cargo Ships for Utkarsh Advisory Services Private Limited (JSW group). CSL also delivered eight Tuna Long Liner cum Gillnetter Fishing Boats for the beneficiaries of Tamil Nadu and five numbers of Tuna Long Liner cum Gillnetter Fishing Boats are in the final stages of delivery. Further, Brows and pontoons for Indian Navy, Floating Border Outpost vessels for Ministry of Home Affairs and two nos. of Marine Ambulance Boats for Govt. of Kerala are progressing.
- Indigenous Aircraft Carrier (IAC) project has entered its trials phase. All four gas turbines of the ship were started in the month of November 2019. Also, a major milestone of pre-CST docking was completed in the month of December 2019 during which extensive work on shafting, underwater valves, underwater painting and other docking related activities were carried out. These included foundations installation of Luna, Kavach, Rezistor E, RAN 40L etc. Trials of all eight diesel generators of the ship have been completed. Four air conditioning plants of the ship have been energised. Harbour acceptance trials of ships systems such as salvage, heeling & trimming, bilge and firemain are progressing as per the schedule. Trials of IPMS (Integrated Platform Management System) are also progressing satisfactorily. Operations checks of energy distribution centers, power panels, RCOS/HCOS and 24v DC trans-rectifiers have been completed.

Phase 3 contract of the ship has been signed and its activities related to AFC and super structure outfitting is at culmination stage. Commissioning of various equipments and system has commenced after the lock down. Basin Trials of the vessels is scheduled in October 2020.

Ship Repair

- During the year, the Company achieved a total ship repair income of ₹570.23 crores. as compared to ₹833.58 crores during the financial year 2018-19. Major vessels repaired during the year in the main yard include INS Sharda, INS Jyoti, INS Tir, INS Jamuna, Samudra Sarvekshak, Dredge XXI, Nancowary & Shanti Sagar - 4. Major vessels repaired during the year in CSL Mumbai Ship Repair Unit include INS Delhi, Separation of Submarine - 4 (INS Vela), Samudra Nidhi & Support Station - 3. Major vessels repaired during the year in CSL Kolkata Ship Repair Unit are Great ship Vidhya & INS Kavaratti.



Shipbuilding Order Book Position

- During the financial year 2019-20, CSL had been successful in securing against intense competition, shipbuilding orders for 8 Nos. of ASW corvettes for Indian Navy, signing of Phase III contract of Indigenous Aircraft Carrier for Indian Navy and 23 Nos. of Hybrid Electric - Passenger Ferry (100 Pax) for Kochi Metro

Rail Limited (KMRL). The order book position as on March 31, 2020 is as follows:

Vessel Type	Nos.
Indigenous Aircraft Carrier for the Indian Navy	01
Technology Demonstration Vessel (Special Purpose Vessel) for DRDO	01
500 passenger cum 150 MT cargo vessel for A&N Administration	02
1200 passenger cum 1000 MT cargo vessel for A&N Administration	02
Tuna Longliner Cum Gillnetter Fishing Boat for Tamil Nadu	05
Ro-Ro vessels for Inland Waterways Authority of India for NW3	02
Brows & pontoons for Indian Navy	02
Marine Ambulance Boat for Kerala Government	03
Mini Bulk Carrier of 8000 T for Utkarsh Advisory Services Private Limited (JSW group)	04
Floating Border Outpost vessels for Ministry of Home Affairs	09
Anti Submarine Shallow Water Corvettes for Indian Navy	08
Hybrid Electric - Passenger Ferry (100 Pax) for KMRL	23

Expansion Projects

12. Details of major projects and initiatives taken up during 2019-20 are as follows:

i) **International Ship Repair Facility (ISRF) at Cochin Port Trust**

CSL continued to operate the dry-dock & existing facilities in the leased area (first phase) at Cochin Port premises. CSL completed the repairs of eleven ships during the financial year 2019-20. The construction works of ISRF project, which commenced on November 17, 2017, is progressing in full swing. More than 95% of the piling works, 50% of the deck concreting & 80% of the dredging activities are completed and the facility is expected to be commissioned in FY 2021-22. As a part of our efforts to develop Kochi as a maritime hub of India, CSL had set up a maritime park near to the International Ship Repair Facility at Willingdon Island, which was inaugurated by Hon'ble Minister of State (Independent Charge) for Shipping, Shri Mansukh L Mandaviya on September 19, 2019. Ten globally renowned firms in the maritime industry have

already partnered with CSL for setting up their units in the Maritime Park in the first phase. CSL expects to position Kochi as a major ship repair hub with major operations in the present ship repair dock coupled with increased capacities that would be available when the ISRF is commissioned.

ii) **New Dry-dock Project**

The new dry-dock measuring 310 x 75/60 x 13m with 600T gantry crane will be located at the northern end of the existing premises of the Company. The new dock will augment the Company's shipbuilding and ship repair capacity essentially required to tap the market potential of building specialized and technologically advanced vessels such as LNG Carriers, Aircraft Carriers of higher capacity, jack up rigs, drill ships, large dredgers and repairing of offshore platforms and larger vessels. Construction activities commenced in June 2018 and is progressing. Ground improvement works are completed. RCC piling and sheet pile installation works are in progress. Around 40% of RCC piling and 70% of sheet piling works have been completed. New dry-dock facility is expected to be commissioned in FY 2022-23. Contract for the supply & commissioning of 600T gantry crane was issued on March 14, 2019 and review of design submitted by the contractor is being carried out.

iii) **Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL)**

Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL) was initially set up as a joint venture between CSL and Hooghly Dock & Port Engineers Limited (HDPEL). Pursuant to the approval of the Union Cabinet, HCSL became a wholly owned subsidiary of CSL with effect from November 01, 2019. HCSL aspires to establish itself as one of the leading shipbuilding yard in east coast for quality inland and coastal vessel construction.

During the financial year, the construction work kick-started with the activities under civil works package and the physical progress of civil works has crossed the 50% mark. Major tenders like electrical system, fire-fighting system, gas piping, critical machinery and cranes have been awarded and works are in progress. Other various packages are being finalized and will be executed to match with the progress of the project.

Construction works of two outfitting jetties were completed on December 31, 2019 and was inaugurated on January 30, 2020 by Chairman (HCSL) cum CMD (CSL) Shri Madhu S Nair in

the presence of Shri S Balaji Arunkumar IRTS (Dy. Chairman (KoPT) & Chairman (HCSL)). The construction of the outfitting jetty was completed ahead of the MoU target date of February 15, 2020, thereby meeting the 'Excellent' rating criteria of the CSL MoU with Ministry of Shipping.

Due to the nationwide lockdown imposed on account of the COVID-19 Pandemic, the construction activities in Nazirgunge were halted from March 23, 2020 to June 08, 2020 resulting in revising the project completion date to September 2021. However, all efforts are being made to complete the project and commence the operations of the yard within the original contractual completion date of June 2021 itself.

A separate statement containing the salient features of the financial statement of subsidiaries/associates/joint venture companies in form AOC - 1 pursuant to the provisions of section 129 (3) of the Companies Act, 2013 is attached along with the financial statements.

iv) **Tebma Shipyards Limited (TSL)**

As part of CSL's long term strategy, viz., CRUISE 2030, CSL aspires to achieve 6x-8x growth by 2030 and towards this the Company identified deep sea fishing vessel as one of the several opportunities. Since fishing vessel segment calls for a dedicated facility so as to cater to the large volume of business different from the conventional shipbuilding process, CSL was in search of a suitable facility to enter into this segment. During this period, CSL found an opportunity in TSL, Malpe which was undergoing Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) and bidding for TSL through IBC was considered appropriate. Accordingly, after obtaining the approval of the Board, CSL submitted its Resolution Plan for acquiring the assets and facilities of TSL under the IBC. The Committee of Creditors (CoC) on December 26, 2019 approved the Resolution Plan. After successful passing of the Resolution Plan by the CoC of TSL, the Resolution Professional filed the Resolution Plan with the National Company Law Tribunal (NCLT), Chennai on December 27, 2019. The NCLT, after hearing, approved the Resolution Plan and pronounced the Order on March 04, 2020. CSL is in the process of implementing the said Resolution Plan.

v) **CSL-Mumbai Ship Repair Unit (CMSRU)**

CSL entered into an agreement with the Mumbai Port Trust on October 20, 2018 to

upgrade, operate and manage Ship Repair Facility at Hughes dry-dock and berth nos. 5, 6, 7 and 8 of Indira Dock of Mumbai Port. Subsequent to the execution of the agreement, CSL has commenced the ship repair operations in Mumbai on January 18, 2019. Post operationalization and repairs of around nine vessels at CMSRU in financial year ending 2019, CSL has successfully undertaken repairs to 24 vessels during the FY 2019-20. This includes submarine separation operation of Indian Naval submarine INS Vela through M/s. MDL & repairs of guided-missile destroyer INS Delhi. Other services undertaken from this new facility this year include repairs of 5 SCL vessels including the major repair to Samudra Nidhi, 2 vessels of the Indian Coast Guard in addition to providing repair services to many private owners/agencies. CSL has also taken up repairs for a foreign client and successfully completed repairs to accommodation barge SS-3 of M/s. Bayu Maritim Berkah, Indonesia.

vi) **CSL-Kolkata Ship Repair Unit (CKSRU)**

CSL signed the agreement with Kolkata Port Trust on March 28, 2019 for operations and management of ship repair facility at Netaji Subhas Dock (NSD) for a period of 30 years. The new venture is being managed by separate unit of CSL known as "CSL-Kolkata Ship Repair Unit (CKSRU)". CSL commenced ship repair operations at NSD on October 10, 2019 with docking of naval vessel 'INS Kavaratti'. The first commercial repair vessel 'Greatship Vidya', an Anchor Handling Offshore Support Vessel was docked at CKSRU in January 2020. The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi formally inaugurated the CKSRU facility on January 12, 2020 at a function held as part of the commencement of the Sesquicentenary Celebrations of the Kolkata Port Trust. CSL is currently in the process of setting up the necessary infrastructure facilities, recruitment of dedicated manpower, vendor empanelment and developing the ship repair ecosystem at CKSRU.

vii) **CSL-Andaman & Nicobar Ship Repair Unit (CANSRU)**

CSL has entered into an agreement with the Andaman & Nicobar (A&N) Administration on November 28, 2019 to commence operations at Marine Dockyard, at Port Blair, a facility that is currently being operated directly by the A&N Administration. Under the ambit of this agreement, CANSRU shall assist the Administration in

developing an overall ship repair ecosystem at Andaman & Nicobar Islands. CANSRU shall also assist & associate in augmentation and modernization of existing facilities. Focus on skill development in consultation with the Administration and technical institutions located in the Islands is also part of the mandate of the agreement. The agreement is for a period of 30 years, during which CSL is expected to spruce up the operational efficiency of the dockyard as well as improve the overall ship repair ecosystem in the island to ensure faster turnaround and minimise downtime of the vessels, which are the lifeline for the Islands. CSL has since nominated its first set of executives for CANSRU. A CSL team consisting of officers representing various key departments conducted a dipstick audit of CANSRU as mandated in the agreement and the dipstick audit report has already been submitted. Further progress on the operational aspects will be possible once COVID restrictions are lifted. The recruitment process of CANSRU manning team and empanelment of contractors have also been initiated.

Utilisation of IPO Proceeds

13. Details of utilization of funds from proceeds of IPO as on March 31, 2020 is given below:

Particulars	₹ crores	
Proceeds from Initial Public Offer (IPO)		961.95
Less: Amount estimated towards IPO expenses (Company's share)		21.72
Net IPO proceeds		940.23
Add interest amount reinvested		88.04
Total proceeds plus interest		1028.27
Less utilisation of proceeds for:		
General Corporate Purpose (GCP)	165.23	
Construction of New Dry-dock	462.63	
ISRF	265.00	892.86
Fund balance as on March 31, 2020		135.41
Parking of funds in Fixed Deposits	135.36	
Parking of Funds in Current Accounts	0.05	
Parking of funds as on March 31, 2020		135.41

CPSE ETF FFO 6 Issue

14. The Department of Investment and Public Asset Management ("DIPAM"), along with Nippon Life

India Asset Management Limited (formerly Reliance Nippon Life Asset Management Limited), as the Asset Management Company of the Scheme ("AMC"), has formulated a sixth Further Fund Offer ("FFO 6") of the Scheme, which has been offered to the public for subscription in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 and other applicable laws, rules and regulations, as framed from time to time.

15. The issue was opened on January 30, 2020 and closed on January 31, 2020. In regard to the FFO 6, the President of India, acting through the Ministry of Shipping, Government of India, has sold 30,90,978 equity shares of Cochin Shipyard Limited to the AMC.
16. The shareholding pattern of the Company prior and post issue of CPSE ETF FFO 6, is as under:

Particulars	Pre Issue		Post Issue	
	No. of shares	% of shares	No. of Shares	% of shares
President of India acting through Ministry of Shipping, Government of India	9,89,34,442	75.21	9,58,43,464	72.86
Public	3,26,05,948	24.79	3,56,96,926	27.14
Total	13,15,40,390	100.00	13,15,40,390	100.00

Impact and CSL's Response for COVID-19 Scenario

17. Cochin Shipyard Limited had suspended its production activities from March 23, 2020 to May 05, 2020 in compliance with the instruction of the State and Central Governments for preventing the spread of COVID-19 pandemic.
18. The impact of COVID-19 includes reduced scale of production due to various factors including restricted working arrangements, travel constraints, reduction in outsourced manpower (which to a certain extent due reduced migrant labour availability), service engineers, OEM representatives availability especially related to foreign equipment on account of international and inter-state travel restrictions. Projects are also run at a delayed pace due to the factors mentioned above and also on account of issues in material availability and logistic, issues related to locked down states of origin (domestic and international) and also issues relating to cash flows from customers. Further, the pandemic also caused delay of Capex projects in Kochi, Mumbai, Kolkata, Port Blair as well as subsidiaries of


CSL viz., Hooghly Cochin Shipyard Limited and Tebma Shipyards Limited which was acquired by bidding at NCLT in March 2020 and consequent loss of production. Commercial implication and contractual issues may arise on account of varied inferences of disputes. Withholding of future projects/cancellation of few running enquiries and potential projects have to be put on hold citing liquidity issues. The assessment of cumulative impact will be possible only once reasonable level of revival occurs.

19. CSL resumed its operations at the main unit in Kochi with entire permanent workforce, with effect from May 06, 2020. All permanent employees of the Company reported to work from May 06, 2020 onwards in two shifts. Each shift contain not more than 50% of the total strength. The Kochi unit alone contributes more than 90% of the turnover of the Company in a year. The units in Kolkata and Mumbai were closed due to the lockdown and re-started operations in compliance with the government guidelines on COVID-19, with effect from June 08, 2020 and July 01, 2020 respectively.
20. The Company adopted various measures to prevent the spread of COVID-19. CSL charted out a detailed standard operating procedure and issued for compliance by all concerned, which includes:-
 - Social distancing - distance marking at entrance and specific norms inside yard premises;
 - Two shift operations;
 - Contactless temperature measurements at entrance;
 - Compulsory wearing of masks - free masks supply at entrance;
 - Facility for hand washing and sanitizers provided at entrance and work sites;
 - Laptops and digital connectivity & e-mail for remote access granted to all officers on ERP system. This ensures that all officers are able to work from home effectively;
 - Various internal documentation and approval processes are carried out through online File Lifecycle Management (FLM) module of ERP system through work from home.
21. The Company disbursed full salary to the entire work force for the lock down period to maintain employee morale. Customer connect was maintained by CSL through digital media to keep customers progressively apprised of the situation and to sustain the confidence of the customer. Work requirements were prioritized, ensured preparatory works were carried out and re-started operations in minimum time. CSL in the mean time, flagged off 4 Ro-Pax vessels for Inland Waterway Authority of India on April 25, 2020 on its maiden voyage from Kochi to Kolkatta. The lock-down period was effectively utilized to undertake dredging activities of the CSL Jetties to facilitate berthing of vessels.
22. Various efforts were ensured by CSL to avoid major disruptions and maintain supply chain continuity -
 - All payments due to suppliers were released even during the lock down period through "Work From Home" mode;
 - Recoverable advance given to all the outsourced labour contractors to retain their workers;
 - Contact and regular communication with major suppliers was ensured through "Work From Home" mode;
 - Some major procurement orders processed, such as steel & aluminum plates for the prestigious Anti-Submarine Warfare Corvettes for the Indian Navy and special aluminium plates for Kochi Water Metro Project.
23. CSL contributed ₹2.5 crores to PM Cares Fund. The Company also distributed food & provisions kits worth ₹30 lakhs to the weaker sections of the society, in Kochi. All the employees of CSL contributed their one day salary each to PM Cares Fund and to Chief Ministers Distress Relief Fund (CMDRF).
24. The shipbuilding order book position of the Company is unaffected and the existing shipbuilding orders have not been cancelled. As the operations were stopped w.e.f from March 23, 2020, only six days production was lost in FY19-20. Hence, the impact on the financials of FY20 is minimal. Delay in running projects, will have an adverse impact on financial performance and profitability of the company during FY20-21 but the assessment of the impact will be possible only after stabilization of operations in the yard. However, there will not be any additional impact due to liquidated damages for delay in running projects as the company has already invoked Force Majeure (FM) clause available in all the contracts, by which the contractual delivery dates will get automatically extended to compensate the lock down period. Since CSL is practically zero debt Company except for the Tax free Bonds of ₹123 crores, debt servicing does not pose any serious impact. While there is a delay in collection of receivables from the customers especially from Govt., the Company does not foresee any credit

risks. The Company also does not foresee any liquidity challenges to meet its supplier obligations. Ongoing CAPEX will not be impacted on account of liquidity. However, on account of COVID-19 pandemic, the overall CAPEX outlay will go down owing to various other factors including shortage of migrant labour, regulatory restrictions on deployment of available workforce, disruption of material supply chain with respect to construction materials etc. CSL has already set up a Crisis War Room which proposes a zero based budgeting and other austerity measures. Adequate steps have been taken to ensure effective internal financial controls through issue of SOPs.

Manpower Status

25. The manpower strength of the Company as on March 31, 2020 was 1710 consisting of 369 executives, 136 supervisors and 1205 workmen.



Industrial Relations

26. CSL continued to nurture warm industrial relation atmosphere during the year. There was no loss of man hours on account of labour strike or unrest due to reasons directly attributable to the Company.
27. The collective bargaining process for finalizing the Long Term Wage Settlement (LTS) applicable to the CSL permanent workmen with the recognized trade unions of the Company was amicably settled after protracted discussions over a series of 46 meetings held at different levels. The Memorandum of Settlement was signed before the Dy. Chief Labour Commissioner on June 18, 2019 under Section 12(3) of the Industrial Disputes Act, 1947. As per the agreement and in line with the guidelines issued by Department of Public Enterprises vide its OM. No. W-02/0015/2016-DPE (WC-GL-XIV/17) dated November 24, 2017, the period of settlement is for ten years commencing from April 01, 2017 to March 31, 2027. A fitment benefit at an aggregate rate of 15 percent of basic pay, variable dearness allowance as on March 31, 2017 was extended to all workmen on the rolls of the Shipyard as on that date. In line with the Government directives, the corresponding variable DA, i.e., the industrial DA
- at the rate of 119.50 percent of the basic pay on March 31, 2019 stood merged along with basic pay. The LTS on wage revision boosted the general morale and happiness among the workmen of the Company. The pro-active approach of the recognized trade unions during the course of the negotiation was really commendable.
28. **Introduction of Welfare Measures**
- During the year, the CSL introduced paternity leave to male employees of the Company including for valid adoption of a child below the age of one year.
 - CSL has introduced special leave for maximum 10 days in a year to all categories of regular employees (Officers/Supervisors/Workmen) who undergo procedures as part of infertility treatment in modern medicine and rest, if any, advised after such procedures by the treating doctor. An amount not exceeding ₹1,00,000/- (Rupees one lakh only) per cycle or the actual cost whichever is lower will be reimbursed by the Company subject to a maximum of three fresh cycles.
 - Realising the importance of good health of employees and as an initiative under the people first policy of CSL, a scheme for periodic health check-up for all regular employees of the Company was introduced during the year. This health check-up is comprehensive and covers various health parameters including occupational health. The scheme also provides for early cancer detection screening for female spouses of employees.
29. The executives and non-unionised supervisors also continued to contribute their best to the Company during the year.
30. The joint management forums like joint councils, shop council, central safety committee, shop level safety committees, contract worker safety committee, canteen management committee, employees' contributory provident fund trust etc., continued to function effectively.
31. As a statutory requirement, we have also conducted secret ballot elections to the CSL Employees Canteen Managing Committee and CSL Employees Provident Fund Trust on December 20, 2019 and the newly elected office bearers also assumed charge accordingly.
32. Employees and their dependents welfare and wellbeing are well taken care through various voluntary schemes like Employees Medical Assistance Scheme, Employees

Pension Scheme, Shipyard Parivar Prathibha Puraskar Scheme, Employees Educational Assistance Scheme etc.

33. CSL also has taken active role while organizing the study visit of the “Standing Committee on Labour to Kochi and Goa from 17th to 18th January 2019”. The Committee whole heartedly appreciated the contributions made by CSL and also asked CSL to continue with the good work, care and concern for the working class.

Human Resource Development

Learning and Development Activities During 2019-20

34. The Company continued to conduct the “Young Officers Competency Development Programme” covering young managers upto the level of Deputy Managers. A second batch comprising of 25 executives have completed the sessions. Third batch of 32 executive trainees completed 40 sessions of the programme. The faculty for this programme is primarily drawn from in-house talent as well as retired executives. As part of facilitating knowledge transfer, a structured training programme for workmen in the trades of welder, pipe fitter, structural & engineering fitters and electrical covering 155 workmen was held during the year.
35. The Company started in-house development programme called Supervisory Competency Development Programme for the supervisory cadre covering 22 supervisors in the year 2019. The sessions are progressing with 16 sessions.
36. The Company conducted two customized management development programmes in association with the Indian Institute of Management (IIMK), Kozhikode. A one week programme on “General Management” was conducted at the IIMK main campus covering 24 executives up to the level of Senior Managers. One day customized programme was conducted at IIMK Kochi campus for top management on the topic “Macro Economic & Financial Imperatives for Industry”.
37. Company continued to nominate executives at all levels to attend specific management development programmes at IIMA, IIMC, ASCI, ISB etc. A total of 17 executives of Dy. General Managers and above cadre attended such courses targeted at senior executives under the scheme “Igniting Minds”.
38. 15 Executives up to the level of Dy. General Managers were given a customized 10 Day in-house C Level Certification programme on Project Management by PMA India New Delhi.
39. Further, twelve in-house programmes were conducted in CSL on a wide range of topics ranging from vigilance

sensitization to mentoring. The prominent technical programmes conducted in-house include programmes on “IMO, IACS & History of Classification Societies” conducted by renowned classification society, M/s. Indian Register of Shipping (IRS). As a follow up of Competency Mapping exercise done by M/s. Kornferry Hay Group, two in-house sessions on “Commercial Acumen” were conducted for the select target group of executives.

40. Women Development Programme: Sessions were given as exclusive in-house programmes to women employees & executives on topics like Mentoring, Yoga etc. Women employees were also given session on career development courses by Asst. Regional Director, IGNOU on the occasion of women’s day celebration along with motivational training by an international faculty.
41. Retirement Orientation Programme: In addition to the above, all the employees & executives retiring on superannuation from the roles of the Company were given a one day orientation programme consisting of topics like investment planning and tax planning, healthy lifestyle tips after retirement, motivation etc., in association with the education officers of Dattopant Thengadi National Board for Workers Education, Ministry of Labour, Govt. of India.
42. Workers Training in Japan: CSL in association with Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS Kerala) conducted a customized training programme titled “Discover Japan – style sense of values” for a 20 member team of CSL. The team consisted of one senior manager, 4 supervisors and 15 workmen chosen from various departments based on their excellent work performance. The programme was from 04 to 17 December 2019. The team visited Mitsui E&S Ship Building Company Ltd., Tokyo, Toyota Tsutsumi Plant, Mizushima Shipyard, Osaka Shipyard etc., during the programme along with lectures in Tokyo Kenshu Centre and Kansai Kenshu Center Osaka. The feedback received from the participants has been overwhelming. They have earnestly recommended that this programme particularly with AOTS be continued in future as the exposure to a different work culture coupled with excellent learning from the well structured programme would greatly benefit the Shipyard in the future.

Encouraging Leadership

43. Nethruthwa Samvridhhi Yojana – Leadership Acceleration Programme (LEAP) was launched in the year 2016 to encourage and motivate executives in the grades E1 to E4 for pursuing higher studies in premier institutes both in India and abroad. The core

benefit under the scheme is not only a grant of study leave for two years, but reimbursement of tuition fees, in installments after they come back and join for duty. A maximum of three applicants are considered on a yearly basis under LEAP scheme. During January 2019, three executives were granted study leave under LEAP scheme to pursue post graduation in various IIMs/premier institutes. In addition, under the separate scheme of study leave for officers, one more executive was granted study leave to pursue two years MBA programme at IIT Delhi.

Educational Scholarships to Wards of Employees

44. "Shipyard Pariwar Prathibha Puraskar", an educational scholarship scheme introduced from the year 2016 aims to reward and promote the star performers among the wards of regular employees of CSL. A scholarship of ₹25,000/- per year for a maximum period of 5 years shall be bestowed in the order of highest marks scored by the wards in class XII final examination. During the year 2019-20, 10 eligible students have been granted scholarship under the said scheme.

Recognising Excellence

45. CSL has introduced the Employee Excellence Awards Scheme envisaging reward and recognition of innovative ideas and practices among the employees below the level of AGMs. The highest award under the scheme is Chairman's award with a citation and cash price of ₹15,000/-. The awards are presented to the winners on the occasion of Independence day and Republic day celebrations every year to the permanent employees while fixed term contract employees and advanced trainees are honoured during the valedictory ceremony of "Productivity Month Celebrations" or on "Safety Day", "Swachta Diwas" etc. In 2019-20, 32 permanent employees and 32 contract personnel/trainees have been honored with Chairman's Commendation, which carries ₹2,000/- cash prize.

Encouraging Thought Provoking Ideas

46. The enlightening talk series 'Prajyoti', where eminent personalities who have excelled in their professional field share their thoughts with the executives of CSL continued. During the year, three such talk sessions were held by Shri C Balagopal IAS, Founder, Terumo Penpol Ltd., Vice Admiral (Rtd.) Shri SKK Krishnan, former CMD, Mazagon Dock Shipbuilders Limited and Shri G Vijayaraghavan, Founder, CEO, Technopark, Trivandrum. In addition there was also a talk on leadership by His Holiness, Swami Bodhananda Sarasvati on January 24, 2020.
47. 'Prajnan', the technical talk series launched in the year 2018, aiming at spreading knowledge about

latest technologies and changes happening around us continued during the year. This talk series promote continuous learning among executives, creating avenues for structured internal discussions on new technological areas, emerging fields and other areas of topical relevance. Five sessions were conducted during 2019-20 on topics like Overview of Patent System and Patent Filing Procedure in India, Innovate or Perish – An essential mantra for modern technical environment, ZED – Zero Defect Zero Effect, Integrated Mast, Future of Logistics & Mobility – How Artificial Intelligence is going to change the traditional games.

48. Mentor-Mentee scheme launched in the year 2016 continued this year also for ensuring personalized special attention by a senior executive. It is extended to all new executives/executive trainees joining CSL. This collaboration gives junior executives, who are freshers, a feeling of engagement, belongingness and significant improvement in the inter and intra personal relationship in the organization which lead to better retention.
49. Buddy scheme was launched in the year 2019 with the induction of new batch of executive trainees. The objective of the scheme is to encourage the younger executives in CSL to be a guide to the new entrants especially executive trainees joining CSL. The scheme will help the new entrants, especially those from outside Kochi to socialize, and get a support/guidance during their organizational entry, as well as experience a smooth transition from campus to corporate life.
50. Samanvay is the common knowledge management portal for all CPSEs. The website is designed & developed by ONGC, on behalf of the DPE. The primary objective of the Samanvay knowledge management portal is to create a platform for enabling individuals, teams & entire Public Sector Enterprises to collectively and systematically share knowledge, infrastructure, best practices, SOP etc., to learn from others' experiences. The usage of Samanvay is being closely monitored by DPE. Periodic meetings and reviews are conducted by DPE with CPSEs which are chaired by top officials of DPE, and there has been continuous follow-up from DPE to increase the usage of the portal. CSL has given user access for the portal to all officers, and the users can share lessons learnt from their work place through the portal. CSL has shared around 70 articles including lesson learnt, innovation and best practices through the Samanvay portal as on March 31, 2020.

Professional Assessments

51. Through an elaborate competency mapping exercise, four cultural competencies namely Teaming, Execution Excellence, Constraint Breaking and Continuous

Learning have been identified for CSL. It has been decided that these cultural competencies will be incorporated in all HR sub systems like Recruitment, Training, Performance Management, and Career development etc., in future.

52. During the year 2018, M/s. Korn Ferry Hay group, a leading HR consultancy organization in Asia was awarded the work order for conducting an exercise on Executives' Assessment Development Centre (ADC) and creation of Individual Development Plans (IDPs) for succession planning. In 2018, ADC was conducted to assess the competencies of 100 executives (70 in the grades of Senior Manager and below and 30 in the grades of Assistant General Manager and above) vis-à-vis the required competencies. The exercise was an elaborate exercise and greatly appreciated by the participants. The exercise also laid out roadmap for succession planning for senior management positions. During the year 2019 also, ADC was conducted successfully for additional 102 selected executives in the grades of Managers and above. M/s. Korn Ferry Hay group assessed the strengths and areas for development of the executives through online multi source feedback tool and various other assessment tools and prepared detailed IDPs. In addition to formulation of succession plan, the ADC was beneficial to CSL as it provided the right direction for future planning of HR interventions, development and learning strategies.

People Capability Maturity Model (PCMM)

53. During the year, the Company commenced activities for obtaining a level 3 PCMM certification. The timeline for obtaining the same is as follows:
 - (a) Conduct of SCAMPI-B readiness Audit – October 2020; and
 - (b) Conduct of SCAMPI-A Final Audit – six months after completion of readiness audit i.e. by March 2021.
54. PCMM is a maturity framework that focuses on continuously improving the management and development of the human assets of an organization. The PCMM helps organizations characterize the maturity of their workforce practices, establish a program of continuous workforce development, set priorities for improvement actions, integrate workforce development with process improvement and establish a culture of excellence. The PCMM consists of five maturity levels; Level 1 to Level 5. Each maturity level is a well-defined evolutionary plateau that institutionalizes new capabilities for developing

the organization's workforce. Unlike other HR models, PCMM requires that key functions/process areas, improvements, interventions, policies, procedures and practices are institutionalized across the organization, irrespective of function or level. Therefore, all improvements have to percolate throughout the organization to ensure emphasis on a participatory culture embodied in a team-based environment and encouraging individual innovation and creativity.

Training

55. Under the Apprentices Act, the Company had imparted training to 167 ITI trade apprentices, 49 engineering graduates, 68 diploma holders and 08 vocational trainees in 2020. In addition, for the first time in the history of CSL, 30 non-engineering graduates were inducted as Assistant HR apprentices in CSL associating with National Skill Development Corporation. Furthermore, specialized training mainly in the technical streams was extended to 302 trainees under the Company scheme. The Company during the year had also inducted 40 executive trainees for one year training. The GME course, approved by Director General of Shipping, Govt. of India was undergone by 62 engineering cadets during the year to qualify for marine engineering jobs onboard vessels.
56. CSL had launched special financial assistance scheme applicable to SC/ST apprentices in 2018 to provide monthly financial assistance of ₹1,500/- for meeting their expenses towards rental accommodation in Kochi. In 2019, the number of beneficiaries under the scheme was enhanced from 10 nos. to 20 nos. and accordingly, 20 trainees were provided financial assistance during the year 2019.

Status on Affirmative Action to Implement Presidential Directives on Reservations

57. Cochin Shipyard has been strictly complying with the Presidential directives and guidelines on reservation for Scheduled Caste (SC)/ Scheduled Tribes (ST)/ Other Backward Classes (OBC)/ Economically Weaker Sections (EWS) and Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) issued by the Government of India from time to time. Shipyard has appointed a liaison officer for SC/ST/PWD/Ex-Servicemen and a separate liaison officer for OBCs and EWSs to oversee the implementation of reservation policies. Reservation percentage is ensured through the maintenance of post based roster system as prescribed by the Government of India. Regular meetings with the associations of the employees belonging to these categories were conducted to discuss and redress their grievances.

Representation of SC/ST Employees

58. The representation of SC and ST employees in various groups of posts as on March 31, 2020 is given under:

Category	CSL's Total Strength	SC	ST
Group A	300	46	14
Group B	139	21	14
Group C	942	132	10
Group D	329	40	8
Total	1710	239	46

Representation of OBC Employees

59. The representation of OBC employees in various groups of posts as on March 31, 2020 is given under:

Category	CSL's Total Strength	OBC
Group A	300	76
Group B	139	19
Group C	942	404
Group D	329	182
Total	1710	681

Representation of Minority Employees


60. The representation of minority employees in various groups of posts as on March 31, 2020 is given under:

Category	CSL's Total Strength	Minority
Group A	300	82
Group B	139	38
Group C	942	237
Group D	329	96
Total	1710	453

Representation of Persons with Benchmark Disabilities

61. The representation of Persons with Benchmark Disabilities in various groups of posts as on March 31, 2020 is given under:

Category	CSL's Total Strength	PwBD
Group A	300	7
Group B	139	5
Group C	942	24
Group D	329	21
Total	1710	57



Welfare Measures for Retired Employees

62. A scheme called 'Shipyards Santhwana Sparsham' is in operation for extending financial support to those employees who retired from service prior to January 01, 2007 and in financial destitution, physical ailment, cost of equipments to overcome disabilities, loss of

house due to natural calamities. The scheme provides for monthly or lump sum financial assistance based on the recommendations of a committee that conduct an in situ examination of each case.

63. 'Shipyards Aswasa Kiranam' is a financial assistance scheme that has been implemented to support those

employees who retired from service during the period from January 01, 2007 to December 31, 2016 and facing financial difficulties, physical ailment, cost of equipments to overcome disabilities, loss of house due to natural calamities. The scheme is also for extending financial support based on a situ study by a committee and their recommendations.

64. Outpatient treatment facility for retired employees and their spouses in CSL Medical centre has been commenced during the year. They are also provided with medicines free of cost.

Provision for Safeguard of Women

65. The Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and Rules framed thereunder are strictly complied with. An Internal Complaints Committee has been constituted in accordance with the Act chaired by a senior woman executive. The Committee had closed one complaint which was received during 2018-19. The Committee did not receive any complaint during the financial year 2019-20.
66. During the year, CSL recruited a Women Welfare Officer specifically to promote women empowerment activities and to formulate and implement welfare measures according to the needs of women employees of the Company.

Integrated Management System (IMS)

67. Cochin Shipyard maintained its Integrated Management System (IMS) under the ISO 9001:2015 Quality Management System and ISO 14001:2015 Environmental Management System standards. The last surveillance audit was successfully completed in September 2019. CSL will be upgrading its Health and Safety Management system to the latest ISO 45001:2018 in September 2020.

Facility Upgrade and Capital Expenditure

68. The total capital expenditure incurred in 2019-20 amounted to ₹494.87 crores. This related to renewals and replacements, modernization and expansion, dry-dock, ISRF, infrastructure for IAC, CMSRU, CKSRU etc.

Implementation of Official Language Policy

69. In pursuance of sub rule (4) of rule 10 of the Official Language (Use for the Official Purposes of the Union) Rules, 1976, Government of India have notified, in the Gazette of India, that 80% of ministerial staff of the Company have acquired working knowledge/proficiency in Hindi.
70. Cochin Shipyard was awarded 'Rajbhasha Kirti Puraskar' in recognition of the achievements of the

PSUs and government departments in implementation of the Official Language (OL). CSL stood third among all the PSUs category in 'C' region which includes the southern states and some states of North East. Shri Madhu S Nair, Chairman & Managing Director received the award from Shri Nithyanand Rai, Hon'ble State Minister for Home Affairs in the presence of the Hon'ble Home Minister Shri Amit Shah on September 14, 2019.

71. Rajbhasha Shield (first prize) for the year 2018-19 from the Ministry of shipping for the Best Official Language Implementation.
72. Cochin Shipyard has bagged first prize for the implementation of official language from TOLIC & also the sponsored Trophy by HIL. Overall championship for the year 2019 from TOLIC & a sponsored trophy by United India Insurance. Third prize for Hindi magazine 'Sagar Ratna' from Kochi TOLIC for the year 2019.
73. Late Shankar Dayal Singh Memorial Award Scheme was introduced in CSL during 2013 as per directions from Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises. This year, the award was given to Smt. Nayana Vijayan K, Junior Commercial Assistant-SG. Incentive scheme for doing original work in Hindi has been made more attractive with a view to encourage employees to do more work in Hindi.
74. Various competitions in Hindi were organized in connection with Hindi Month celebrations 2019 for employees, children of employees, trainees and employees on contract of CSL. Eleventh issue of Hindi house journal, 'Sagar Ratna' and a 'Desktop Calendar' were released during the valedictory function of Hindi Month Celebrations, 2019. As a special programme, essay and speech competitions were organized for government school students of Kochi. As part of implementation of official language policy of Govt. of India, CSL observes first Wednesday of every month as Hindi day.
75. OL Management Seminar was organized in two batches for the Senior Executives in the year 2019. Total 140 Executives participated for the same.
76. A career development seminar was organized for college students (Post Graduates & PhD Students) at Maharajas College, Ernakulam on November 28, 2019 in which 80 students participated actively.
77. Three Hindi workshops were organized in the year 2019-20 in which a total of 56 employees participated. Spoken Hindi classes were organised in which 40 employees participated.
78. Joint Hindi fortnight celebrations were organized from November 16 to November 30, 2019 under the

auspices of Kochi TOLIC. 25 employees attended in various competitions organized in this connection. Out of the above, 12 employees won prizes.

79. Cash incentives for obtaining high marks in Hindi in 10th std. during the academic year 2018-19 were given to the children of employees. Total 12 children participated in the scheme.
80. Hindi books were distributed to various flood affected schools in Ernakulam as a joint venture with TOLIC, Kochi.
81. 32 Executive Trainees and 3 Stenographers completed their In Service Training course in Pragya and Stenography respectively and cleared the exams successfully.

Particulars of Employees and Related Disclosures

82. In accordance with Ministry of Corporate Affairs notification no. GSR 463(E) dated June 05, 2015, government companies are exempt from Section 197 of the Companies Act, 2013 and its rules thereof.

Conservation of Energy, Technology Absorption and Foreign Exchange Earnings and Outgo

83. Details are placed at **Annexure-2**. The Company's major initiative in the conservation of energy was installation of solar panels on the rooftop of various buildings inside CSL premises. The programme was commenced from the financial year 2013-14. As of March 31, 2020, solar power plant having capacity of 835 kWp has been commissioned in CSL. In addition to this, installation of 450 kWp grid connected solar power plant at roof top of outfit warehouse and bonded store & 200 kWp grid connected solar power plant at roof top of various buildings are in progress.

Risk Management

84. CSL constituted a Board level Risk Management Committee (RMC) on February 08, 2019 for an overall review of the corporate risks. The Company's risk management policy aims to put in place a comprehensive risk management system consisting of a defined process of risk management and methodology of identification, assessment, response, monitoring and reporting of risks. The policy provides the management and Board of Directors an assurance that key risks are being properly identified and effectively managed.
85. As per the policy, CSL Board at the helm will review the risk management system in CSL. The Board shall discharge its responsibility of risk oversight by ensuring the review at periodical intervals. Board may also delegate to any other person or committee, the task of independently assessing and evaluating the

effectiveness of the risk management system. The CSL management comprising of CSL Board level and below Board level executives has been entrusted with the implementation of the risk management process. In this respect the Company have RMC and Risk Management Steering Committees (RMSCs) to implement the policy in CSL. The RMC and the Board of Directors review the risk management process and policy. The yard's product mix comprising of defense and commercial shipbuilding and ship repair gives the Company a natural hedge against market risk.

Research and Development (R&D) Activities

86. R&D policy of CSL is to enhance the Company's pre-eminence in shipbuilding, ship repair and other chosen fields and products through research and development. In-house R&D activities have been undertaken during the year 2019-20 mainly in the areas of welding procedure development and qualification of welders.
87. Welding of lower thickness plates with twin wired submerged arc welding processes (Twin wired SAW) using copper backing for lower thickness plates (9-13 mm) is a new technique for which capability building in developing the weld procedure is of paramount importance to the yard. In the above context, weld procedure development has been undertaken in-house for welding of lower thickness of grade AH 36 plate using Twin wired SAW process with copper backing. The weld procedure specification has been prepared and qualified to weld thickness from 9 mm to 13 mm of AH 36 grade steel plate. This new process saves considerable amount of man hour and effort since turning of large welded plates is avoided by enabling to complete the welding in one side only. The procedure has been validated by IRS Classification Society.
88. Under the Memorandum of Understanding with Welding Research Institute (WRI), Tiruchirappalli, a research institute under Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL), capacity development and training in welding have been carried out during the period.

Health, Safety & Environment (HSE)

89. CSL is committed to establish a zero accident work environment for its employees and stakeholders. To bring in expert knowledge, the Company has instituted and recently strengthened a well-qualified Safety and Fire Services Department. The Department supervises all critical works inside the Yard and plays a pivotal role in creating a safe work environment. Besides, efficient, qualified and well equipped emergency response team is available in the yard to meet any kind of emergencies.

90. Various initiatives like safety trainings, safety alerts, toolbox talks etc., drives our employees conscious on aspects related to health, safety and environment. Induction, refresher training and specialised safety trainings are compulsory across the CSL workforce including officers, supervisors, employees and sub-contractors' workmen. Further, the Company is on the move to obtain ISO 45001 certification. As a part of this, a four tier HSE governance system has been adopted to improve the safety ownership and bring in a major cultural reform. An employee from each section has been selected as "Field Safety Representative" to be the change agents in this cultural transformation.
91. To improve upon the existing work practices, a comprehensive task-based hazard identification and risk assessment exercise was performed on the activities inside the Yard. Corrective actions of investigations are being monitored in structured forums.
92. HSE performance for the last 3 calendar years is tabulated below:

Category	2017	2018	2019
Fatal	0	6	0
Reportable accidents	2	25	4
Non Reportable Accidents	100	98	106
Frequency Rate (Reportable accidents in one million man hours)	0.20	6.95	0.36
Induction, Refresher & Specialised Trainings attended	8844	10724	13452

Industrial security

93. Cochin Shipyard is classified as a national vital organisation and the security of establishment has got national importance. The security of the establishment is entrusted with Central Industrial Security Force with a battalion of 130 CISF personnel under the command of Dy. Commandant, CISF. Overall security of the Company continued to be robust without causing any serious security concern during the year. All security systems and measures introduced and installed in the Company are of international standards. Periodic joint survey was conducted by the Company and CISF. Twenty four hours waterfront patrolling in a dedicated speed boat with armed personnel and wireless surveillance (CCTV) system covering all critical locations and installations are in place. As per the security plan and policy of the Company, periodic security drills were conducted to ensure prompt mitigating action in the event of any security breach, crisis or calamities. CISF is carrying out their security surveillance with various security gadgets including biometric access control system, x-ray baggage scanner, door frame metal detectors, hand held metal detectors, breath analysers, vehicle patrolling, boat patrolling, foot patrolling etc. The periodic mock drill exercise is conducted under direction of Intelligence Bureau with Sate Police, State Fire Department, Bomb Squad and Navy to assess the readiness of CISF force to counter any security threat. The upgradation of security gadgets as per the technical survey of CISF is underway to bring all modern security gadgets to enhance the existing security system and facilitate the CISF for a foolproof frisking mechanism at all gates.
94. Special security attention is being accorded to the Indigenous Aircraft Carrier (IAC) and an exclusive security is provided apart from the overall security arrangement of the establishment. A special security task force consisting of 46 armed CISF personnel under the command of Asst. Commandant is entrusted for exclusive security of the ship. The additional security gadgets including CCTV surveillance, biometric access system, two net water barrier, DDS, boat patrolling etc., arranged for safeguarding and avoids any imminent threat for the ship. The theft incident reported during last year in IAC is under investigation by National Investigation Agency (NIA). NIA arrested two persons in connection with the incident and retrieved the stolen computer hardware components. The issue of security was taken up at the highest levels of CISF and an additional contingent of 46 CISF security personnel have now been posted exclusively for the IAC.
95. Effective access control systems including biometric embedded turnstile gates are in place in the Company. A full-fledged visitor's facilitation center is operated for scrutiny and verification of the credentials of the visitors to the Company. Baggage scanning system has also been installed at the main entry gate of the Company. Apart from these, special systems and measures such as exclusive photo entry pass and special surveillance system, additional waterside security net around IAC etc. are positioned and operated towards total security of the IAC. A robust cyber security policy has also been adopted by the Company.
96. The monitoring of visitors, materials and vehicles movement in the Company are done through an integrated ERP module of visitors management system which ensures effective and vigilant monitoring of materials movement into and out of the Company.
97. CSL has also engaged DGR approved ex-servicemen security services for supplementing existing forces mainly catering to external properties of CSL and also internal specific locations.

98. The security strength and requirements of additional security enhancements are periodically monitored by the Head Quarters of CISF through technical resurvey for security gadgets and resurvey for manpower additions. The proposal of CISF to enhance the present strength of 130 CISF guards battalion to 230 guards battalion through the survey is approved by the management and deployment procedure is underway.

Awards and Recognitions

99. During the financial year CSL received following awards:

- (a) KMA award 2019 for recognition of contribution in the category 'innovative and effective deployment of CSR fund' and also in specific contribution in the category 'health & hygiene';
- (b) NIPM Best Corporate Citizen Award 2019 from National Institute of Personnel Management, in recognition of its CSR initiatives in 'healthcare' sector;
- (c) Rotary International CSR Excellence Award 2019. The Company won golden award for its contribution in 'healthcare and sanitation' sector and platinum award for its contribution in 'education and special education' sector;
- (d) Rajbhasha Kirti Puraskar in recognition of the achievements of the PSUs and Government departments in implementation of the official language;
- (e) Rajbhasha Shield (first prize) for the year 2018-19 from Ministry of Shipping for best official language implementation;
- (f) CSL bagged first prize for the implementation of official language from TOLIC and also the trophy sponsored by HIL. CSL has also bagged overall championship for the year 2019 from TOLIC & a trophy sponsored by United India Insurance;
- (g) Third prize for Hindi home magazine 'Sagar Ratna' from Kochi TOLIC for the year 2019; and
- (h) Outstanding Safety performance award 2019 from Department of Factories & Boilers, Govt. of Kerala, in the category of very large engineering/ automobile repairing and servicing, textiles and coir with more than 500 workers.

Participation in DEFEXPO 2020 & International Seafood Show

100. CSL participated in DEFEXPO – 2020, a flagship event of Ministry of Shipping and is a series of land, naval and internal homeland security systems exhibition conducted once in two years, organised by Ministry of Defence at Lucknow in February 2020.

101. With the technology, knowledge and experience CSL possess in the construction of prestigious Indigenous Aircraft Carrier (IAC) for Indian Navy and repair of Indian Navy & Indian Coast Guard (ICG) Vessels, DEFEXPO was an ideal platform for CSL to display its core competency, expertise and capability in Defence Ship Building / Repairs to the National / International Maritime Defence community.

102. CSL also participated in the India International Seafood Show (IISS), which is one of the largest seafood fairs in Asia, organised by the Marine Products Exports Development Authority (MPEDA). IISS as a biennial event offers sea of opportunities for exporters and importers of Indian marine products. Since CSL is venturing into the fishing segment with small sized boats, this was an opportunity and a good platform to launch the CSL product segment and to introduce this novel concept to the fishing industry. High level delegation participated in this expo conducted at Kochi. The fishing boat of CSL that was parked at the jetty of conference venue was one of the key highlights of the Expo.

Board of Directors & Key Managerial Personnel

103. As on March 31, 2020 the Board of CSL comprises of 9 directors consisting of a Chairman & Managing Director, 3 Whole Time Directors, 3 Non-Official Part Time (Independent) Directors and 1 Official Part Time (Nominee) Director each of Government of India and Government of Kerala, respectively.

104. Shri D Paul Ranjan (DIN: 06869452), Director (Finance) and Chief Financial Officer, retired from service by superannuation on July 31, 2019. Shri Jose V J (DIN: 08444440) took over charge as Director (Finance) with effect from August 01, 2019 vide Ministry of Shipping letter F.No. SY-11012/2/2018-CSL dated July 15, 2019. Shri Jose V J, Director (Finance) was also appointed as the Chief Financial Officer of the Company by the Board of Directors in their 250th meeting held on August 13, 2019. The Ministry of Shipping, Government of India vide letter no. SY-11012/1/2017-CSL dated February 03, 2020 appointed Shri Sanjay Bandopadhyaya IAS (DIN: 00088957), Additional Secretary, Ministry of Shipping, Govt. of India, as the Official Part Time (Nominee) Director on the Board of CSL in place of Shri Satinder Pal Singh IPS (DIN: 07490296) with effect from February 03, 2020.

105. Pursuant to the Ministry of Shipping, Government of India letter F.No. SY-11012/1/2016-CSL dated July 29, 2019, the 1 year tenure of Smt. Roopa Shekhar Rai (DIN:07565156), Shri Radhakrishna Menon (DIN: 07518727) and Shri Krishna Das E (DIN: 02731340), who were re-appointed as Non-Official Part Time (Independent) Directors on the Board of CSL, came to an end on March 20, 2020.

106. Smt. Kala V, Company Secretary and Compliance Officer, resigned from CSL on January 31, 2020, owing to her appointment as Company Secretary in another Public Sector Undertaking. Shri Syamkamal N, Assistant Company Secretary of CSL took over charge as the Company Secretary and Compliance Officer of the Company with effect from February 01, 2020.

107. Details of changes in Key Managerial Persons during the financial year 2019-20 and also upto the date of this report are given below:

Sl. No.	Name	DIN	Designation	Date of Appointment	Date of Cessation	Changes, if any
1	Shri Madhu S Nair	07376798	Chairman & Managing Director	January 01, 2016	Continuing*	No Change
2	Shri D Paul Ranjan	06869452	Director (Finance) & Chief Financial Officer	May 01, 2014	July 31, 2019	Superannuation
3	Shri Suresh Babu N V	07482491	Director (Operations)	April 26, 2016	Continuing	No Change
4	Shri Bejoy Bhasker	08103825	Director (Technical)	April 05, 2018	Continuing	No Change
5	Shri Jose V J	08444440	Director (Finance)	August 01, 2019	Continuing	Appointment
			Chief Financial Officer	August 13, 2019		
6	Smt. Kala V	-	Company Secretary & Compliance Officer	May 02, 1998	January 31, 2020	Resignation
7	Shri Syamkamal N	-	Company Secretary & Compliance Officer	February 01, 2020	Continuing	Appointment

* Shri Madhu S Nair was reappointed as director by way of retirement by rotation at the 47th Annual General Meeting held on August 13, 2019.

Declaration and Meeting of Independent Directors

108. The Company has received declarations from all the Independent Directors of the Company confirming that they meet the criteria of independence as prescribed under the Companies Act, 2013. A separate meeting of Independent Directors was held on June 19, 2020 which was attended by all the Non Official Part Time (Independent) Directors, viz., Shri Jiji Thomson IAS (Retd.), Shri Pradipta Banerji and Shri Nanda Kumaran Puthezhath.

Details of Board Meetings held during 2019-20

109. Six Board Meetings were held during the year 2019-20 and the gap between two meetings did not exceed 120 days. The dates on which the Board Meetings were held are as follows:

Sl. No.	Date	Board Strength	No. of Directors present
1	May 21, 2019	9	8
2	July 29, 2019	9	7
3	August 13, 2019	12	11
4	October 23, 2019	12	9
5	November 12, 2019	12	9
6	February 11, 2020	12	10

110. For more details with respect to the Directors, Board and Committee meetings held during the year and attendance of these meetings, refer Corporate Governance Report which forms part of Directors' Report.

Remuneration Policy/Evaluation of Board's Performance

111. Cochin Shipyard is a Government of India company under Ministry of Shipping. Presently, the Directors of the Company are presidential appointees and their remuneration is fixed in accordance with the DPE guidelines. Accordingly, Article 21(a) of the Articles of Association of CSL states that President will appoint Directors and determine their remuneration. Since the Board level appointments are made by President of India, the evaluation of performance of such appointees is also done by the GOI. The Independent Directors evaluated the performance of the Board as a whole in a separate meeting of Independent Directors held on June 19, 2020.

Report of the Nomination & Remuneration Committee on Company's Policy on Directors' Remuneration

112. Presently, the remuneration of Board level appointees is determined in accordance with DPE guidelines. CSL at its 228th Board meeting held on December 14, 2016 adopted the Nomination and Remuneration Policy in compliance with the provisions of Section 178 of the Companies Act, 2013. CSL in its 241st Board meeting held on May 24, 2018 and further in its 245th Board meeting held on October 31, 2018 amended the Policy. The Policy is available in the website of the Company at <https://cochinshipyard.com/Investors>

Directors Responsibility Statement

113. Your Directors state that:

- a) in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2020, the applicable accounting standards read with requirements set out under Schedule III to the Act, have been followed and there are no material departures from the same;
- b) the Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company as at March 31, 2020 and of the profit of the Company for the year ended on that date;
- c) the Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- d) the Directors have prepared the annual accounts on a 'going concern' basis;

- e) the Directors have laid down internal financial controls to be followed by the Company and that such internal financial controls are adequate and are operating effectively; and
- f) the Directors have devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems are adequate and operating effectively.

Contracts and arrangements with related parties

114. During the year, the Company had not entered into any contract/ arrangement/ transaction with related parties which could be considered material. Your Directors draw attention of the members to Note 47 to the financial statements which set out related party disclosures as per Indian Accounting Standard (Ind AS) 24. Form AOC-2 has been attached as **Annexure-3** as required under Section 134(3)(h) of the Companies Act, 2013.

Corporate Social Responsibility & Sustainable Development Committee (CSR & SD Committee)

115. As on March 31, 2020, the CSR & SD Committee of CSL comprises of Shri Jiji Thomson (DIN: 01178227), Non-Official Part Time (Independent) Director as Chairman of the Committee, Shri Nanda Kumaran Puthiezath (DIN: 02547619), Non-Official Part Time (Independent) Director, Shri Bejoy Bhasker (DIN: 08103825), Director (Technical) and Shri Jose V J (DIN: 08444440), Director (Finance), as members. The Corporate Social Responsibility and Sustainable Development Committee (CSR & SD) has formulated and recommended to the Board, a Corporate Social Responsibility Policy (CSR Policy) indicating the activities to be undertaken by the Company, which has been approved by the Board. The CSR Policy can be accessed on the Company's website at the link: <https://cochinshipyard.com/Investors>
116. Cochin Shipyard started CSR activities in the year 2010-11 based on the guidelines issued by the Department of Public Enterprises (DPE) applicable to Government Companies. CSL has put in place an effective CSR Policy and implementation machinery. The CSR implementation machinery consists of three tier system: Tier I CSL Board, Tier II CSL Board Level CSR Committee consisting four members of the Board headed by an Independent Director and Tier III CSL CSR Executive Committee consisting of six senior level executives across various departments of the Company.
117. During the year 2019-20, the Company could engage in meaningful CSR initiatives that received appreciation both within Kerala and also nationally.
118. The mandatory CSR spending for the year is ₹1,233 lakhs. The Company has spent ₹1,271 lakhs during the year, including ₹250 lakhs paid to the PM-CARES

account in response to the crisis arisen out of the COVID Pandemic. Apart from above, the Company spent ₹258 lakhs from Unspent non-statutory CSR fund/Non-statutory fund available, which was carried forward from the periods preceding the enactment of Companies Act, 2013 and Rules made thereunder; thus making the total cash outflow for CSR activities as ₹1,529 lakhs.

119. The Company focused on the theme "School education and healthcare" as prescribed by the Government of India by spending more than 75% of its total spending on the theme against the requirement of 60%. The Company has not limited its CSR spending to the local area. It has undertaken projects across various geographical regions of the country as per the Schedule VII of the Companies Act, 2013. Though Swachh Bharat initiatives have not been the focus for the current year, the Company has been liberal towards supporting projects promoting public sanitation. The Company continued to focus on the District "Wayanad" in Kerala, one of the "aspirational districts" again, as per the directive of the Government of India for CSR spending by CPSEs. During the COVID lockdown period, the Company has committed support worth ₹36.50 lakhs by way of providing essential food items, through the CSL Consumer Co-operative Society. The Annual Report on CSR activities is placed at **Annexure-4**.

Audit Committee

120. As on March 31, 2020, the Audit Committee of CSL is constituted with Shri Nanda Kumaran Puthiezath (DIN: 02547619), Non-Official Part Time (Independent) Director as Chairman, Shri Jiji Thomson (DIN: 01178227), Non-Official Part Time (Independent) Director and Shri Pradipta Banerji (DIN: 00630615), Non Official Part Time (Independent) Director as members. During the year, all recommendations of the Audit Committee were accepted by the Board of Directors. Particulars regarding the Audit Committee are provided under the section 'Board Committees' in the Report on Corporate Governance.

Corporate Governance

121. The Company is committed to maintaining the highest standards of corporate governance and has put in place an effective corporate governance system. The Company complies with the applicable regulations of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and also the Guidelines on Corporate Governance issued by the Department of Public Enterprises, except with respect to the composition of Board of Directors. CSL being a government company, the power to appoint Directors vests with the President of India and the Company has taken all possible steps within

its power to comply with the above requirements. The Company also submits its quarterly progress reports on corporate governance within 15 days from the close of each quarter to the Ministry of Shipping as recommended by the DPE in this regard. The Report on Corporate Governance forms part of the Directors' Report.

Management Discussion and Analysis

122. A separate section 'Management Discussion and Analysis Report' has been included in the Annual Report and the same forms part of the Directors' Report.

Internal Financial Controls

123. The Company has in place adequate internal financial controls with reference to financial statements. During the year, the Company had engaged M/s. Krishnamoorthy & Krishnamoorthy, Chartered Accountants, (Firm Registration No. 0014885) for reviewing and installing adequate Internal Financial Controls and to ensure proper and adequate systems for compliance with the provisions of all applicable laws. Such controls were tested and no reportable material weakness in the design or operation was observed. In order to provide for functional autonomy, the Company has a system wherein financial powers of the Board of Directors are delegated to the CMD. These powers are further sub-delegated to officers at various levels for smooth and efficient day to day functioning. An independent internal audit mechanism is in place for conducting extensive audit of various operational and financial matters. C&AG conducts proprietary audit. An independent Audit Committee of the Board of Directors also examines internal/statutory audit observations and provides guidance based on the same. The Audit Committee also looks into the internal control system, Company procedures and internal audit performance and reports to the Board of Directors. The Company has implemented an integrated ERP System (SAP) since July 2014 which is enabling better management control. SAP audit was conducted by M/s. KPMG for assessment and improvement of SAP utilizations. Assessment of the security of the SAP system was also part of the audit. A follow up audit was also undertaken by M/s. KPMG during the year. Being a frontrunner in adapting to and leveraging digital technology for optimizing its procedures and operations, CSL had taken another step further in this direction by introducing Legatrix in 2018, a digitally enabled legal and regulatory compliance and support service interface. CSL is the first shipping sector PSU to implement this novel system for streamlining its legal and regulatory compliance requirement.

Statutory Auditors

124. M/s. Elias George & Co. (Firm Registration No. 0008015), Chartered Accountants, Ernakulam were appointed as the Statutory Auditors of the Company by the Comptroller & Auditor General of India for the year 2019-20. The shareholders have delegated the power to fix the remuneration of Statutory Auditors to the Board and accordingly, the same has been fixed by the Board.

Auditors Report

125. M/s. Elias George & Co., Statutory Auditors have submitted their report on the standalone and consolidated financial statements of the Company for the financial year ended March 31, 2020, on June 20, 2020. The Report does not contain any qualification, reservation or adverse remark or disclaimer.

Comments of C&AG

126. The comments of the Comptroller and Auditor General of India under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 are placed at **Annexure-5**.

Cost Auditors

127. The Board has appointed M/s. Felix & Co. (Firm Registration No. 100416), Cost Accountants, as the Cost Auditors for conducting the audit of cost records of the Company for the financial year 2019-20. The remuneration of Cost Auditor for the financial year 2019-20 was ratified by the shareholders at the 47th AGM held on August 13, 2019.

Secretarial Auditor

128. The Board has appointed M/s. Mehta & Mehta, Practicing Company Secretaries, to conduct Secretarial Audit for the financial year 2019-20. The Secretarial Audit Report for the financial year ended March 31, 2020 is placed at **Annexure-6**.

129. The Secretarial Auditors in their Report observed that there were no requisite number of Independent Directors and Woman Director on the Board of Directors of the Company for the period April 01, 2019 to July 28, 2019 as required under Regulation 17(1) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and resultant fine amounting to ₹2,30,100/- (including GST) imposed by BSE and NSE each. It is informed that the appointment of Directors are done by Govt. of India and filling up of vacancies of the said Independent Directors and Woman Director were also pending with the Government of India. The Company had intimated to the Stock Exchanges viz., BSE & NSE explaining the position of the Company with respect to

the appointment of Directors. NSE on March 18, 2020 vide their letter no. NSE/LIST/SOP/103783 waived the fine levied on CSL. The fines are levied as per the SEBI Circular SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2018/77 dated May 03, 2018 which provides that the Stock Exchanges shall take uniform action in consultation with each other. Further, BSE has not taken any further action under the SEBI Regulations in this regard.

130. The Secretarial Auditors also observed that the Board of Directors of the Company have granted leave of absence to Shri Jyothilal K R (DIN: 01650017) Part time Official (Nominee) Director for all the meetings of the Board of Directors during the financial year under review leading to vacation of office under Section 167(1)(b) of the Act, resulting in cessation of his Directorship in the Company. It is informed that Shri Jyothilal K R, Part time Official (Nominee) Director attended the 23rd Nomination and Remuneration Committee meeting held on June 28, 2019. However, as a prudent measure, in line with the provisions of the Companies Act, 2013, the Board took note the cessation of the Directorship of Shri Jyothilal K R, Part time Official (Nominee) Director representing the Government of Kerala pursuant to Section 167(1)(b) of the Companies Act, 2013 and intimated the same to the Government of Kerala for nominating its representative on the Board of CSL.

Internal Auditor

131. The Board has appointed M/s. Varma & Varma, Chartered Accountants, Kochi, to conduct Internal Audit for the financial year 2019-20.

Extract of Annual Return

132. The extract of annual return in Form MGT 9 as per Rule 12(1) of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 is placed at **Annexure-7**. Further, the annual return of the Company as required under Section 92(3) of the Companies Act, 2013 is available in the website of the Company at <https://cochinshipyard.com/Investors>

Investor Services

133. The shares of the Company are listed in BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE"). CSL has paid listing fees to BSE and NSE on time. Link Intime India Private Limited, Mumbai are the Registrar & Transfer Agents in respect of these equity shares. The tax free bonds issued by the Company in 2013-14 are fully dematerialized with both the depositories, NSDL and CDSL. These bonds are listed on Wholesale Debt Market ("WDM") segment of BSE. CSL has paid the listing fees to BSE on time in respect of these bonds. Link Intime India Private Limited,

Mumbai is the Registrar & Transfer Agents and SBICAP Trustee Company Limited is the Debenture Trustees in respect of these bonds.

Vigilance

134. Vigilance department functions advocating transparency, equity and competitiveness in all procurement. Important CVC guidelines are discussed with Heads of Departments for its strict compliance. Emphasis was given to vigilance sensitization among the officers and supervisors for preventive vigilance.
135. Vigilance department scrutinizes the audit paras of both Internal as well as CAG audit on quarterly basis and action taken on issues related to vigilance angle, if any. Various systemic improvements achieved through vigilance initiatives during the year includes, updation of vendor list, provision for online registration of new vendors, monitoring of contract closing, addition and review of new vendor list on monthly basis, introduction of bill tracking system to enhance transparency, emphasis on e-procurement, online scrutiny of property returns of executives & supervisors, systematic disposal of Shipbuilding & Ship Repair steel scraps for ensuring grade transparency, conducted Intensive Examinations (CTE Type) for the works procurement of SAE – flanges for Ship No 20, construction of Marine Engineering Training Institute (METI) complex and hostel building & hiring of transport service.
136. Vigilance sensitization programs - Vigilance Awareness Week observed in a befitting manner as directed by the Commission. A special workshop on transparency in public procurement was arranged for the CSL Officers and the same was conducted by Shri V Ramachandran, former CTE. Elocution and essay competitions were conducted for college and school students in Ernakulum District. A grievance redressal meeting was also arranged for the suppliers and contractors of CSL. In the valedictory function conducted on October 01, 2019 Shri V Ramachandran, former CTE was the Chief Guest. Vigilance Study Circle Kerala also conducted various programmes including a Walkathon in which CSL employees actively participated.
137. Vigilance Department is scrutinizing the selection process of candidates for various posts. Further, the Department has conducted 28 surprise/periodic inspection for the year in various areas of operations and suggested corrective actions on vigilance angle. All reports to the Central Vigilance Commission are submitted in time and no reference is pending with CVC.

138. Annual Sectoral Review Meeting (2019) of Chief Vigilance Officers in various Public Sectors coming under Ministry of Shipping was conducted at Cochin Shipyard Limited on January 18, 2020 at the request of Central Vigilance Commission.

Right to Information Act

139. In order to promote transparency and accountability, your Company has implemented the provisions of the RTI Act, 2005 in its true letter and spirit and an appropriate mechanism has been set up in the Company with a dedicated centralized RTI Cell to provide information to the citizens under the provisions of this Act. All the RTI applications and the appeals received both online and offline during the year 2019-20 have been processed and information was provided in a time bound manner as stipulated in the Act, except, a few RTI requests which could not be processed due to the unprecedented outbreak of COVID-19 Pandemic resulting in closing down the operations of the Company. However, the said RTI requests have been processed after CSL resumed its operations.
140. There have been no instances of non-compliance by the Company. No penalties or strictures were imposed on the Company by any statutory authority during the last three years with respect to RTI.

Vigil Mechanism

141. The Cochin Shipyard Vigil Mechanism and Whistle Blower Policy of CSL adopted by the Board of Directors at 228th Meeting held on December 14, 2016 were functioning as Vigil Mechanism of CSL. Further, in line with the guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by Department of Public Enterprises, CSL had adopted Fraud Prevention and Detection Policy at the 214th Board Meeting held on September 16, 2014. Since the larger objective of both policies was similar, CSL adopted a combined policy viz., Whistle Blower and Fraud Prevention Policy at the 252nd Board Meeting held on November 12, 2019. The Whistle Blower and Fraud Prevention Policy of CSL is available at the link <https://cochinshipyard.com/Investors>

Details of frauds reported by Auditors under Section 143

142. Nil.

Particulars of loans, guarantees or investments

143. During the year under Report, the Company has not
 - a) given any loan to any person or other body corporate;

- b) given any guarantee or provided security in connection with a loan to any other body corporate or person; and
- c) acquired by way of subscription, purchase or otherwise, the securities of any other body corporate, as prescribed under Section 186 of the Companies Act, 2013.

Material changes and commitments

144. No material changes and commitments, affecting the financial position of the Company, have occurred between the end of the financial year of the Company and the date of this Report.

Details of change in nature of business

145. There has been no change in the nature of business of the Company during the year under report.

Deposits

146. Your Company has not accepted any deposits from the public under Chapter V of the Companies Act, 2013.

Secretarial Standards

147. The Company has complied with the applicable Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India.

Significant and Material orders

148. No significant and material orders were passed by the regulators or any courts or tribunals impacting the going concern status of the Company and affecting its operations.

Business Responsibility Report

149. The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has mandated inclusion of Business Responsibility Report ("BR Report") as part of the Annual Report for top 500 listed entities based on market capitalization. This SEBI mandate is also inserted as Regulation 34(2)(f) of SEBI (LODR) Regulations, 2015. The SEBI (LODR) Regulations, 2015 provide a format for BR Report. It also contains a list of nine key principles and various core elements under each principle to assess compliance with environmental, social and governance norms. The Company's BR Report for the year forms part of the Annual Report.

Acknowledgment

150. The Board of Directors are extremely thankful for the continued patronage and support extended by the Hon'ble Prime Minister, Hon'ble Minister of State (Independent Charge) for Shipping and all officials of

the Ministry of Shipping. The Board would also like to express their grateful appreciation for the support and co-operation from various offices of the Government of India, Government of Kerala, Government of West Bengal, Government of Maharashtra, various local bodies, the Comptroller & Auditor General of India, Statutory Auditors, Secretarial Auditors, Cost Auditors, Internal Auditors, Suppliers, Sub-contractors, Company's Bankers and our valued customers. The Board also places on record its appreciation for the contribution and support extended by all employees of Cochin Shipyard Limited. Your Directors express their appreciation and gratitude to all the shareholders/ investors for the trust and confidence reposed in the Company and look forward to their continued support and participation in sustaining the growth of the Company in the coming years.

For and on behalf of the Board of Directors

Kochi
August 07, 2020

Madhu S Nair
Chairman & Managing Director
DIN: 07376798

Annexure-1

Dividend Distribution Policy

1. Preamble

1.1. The shares of CSL are listed on Bombay Stock Exchange Ltd and National Stock Exchange of India Ltd. As per regulation 43A of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the top five hundred listed entities based on market capitalization (calculated as on March 31st of every year) need to formulate a dividend distribution policy which shall be disclosed in the Annual Report and on their websites.

1.2. This policy lays down the general framework for considering and deciding the distribution of dividend to the Company's shareholders and/or retaining of earnings for sustained growth.

2. Policy framework

2.1. The purpose of the policy is to specify in broad terms, the external and internal factors including financial parameters that will be considered while deciding on the distribution of dividend, the circumstances under which shareholders of the Company, may or may not expect dividend and the policy relating to retention and utilisation of earnings. This policy is not an alternative to the decision of the Board for recommending dividend every year based on all relevant factors namely, factors enumerated in this policy and also other additional factors that the Board may consider relevant in the overall interest of the Company. However, such additional factors if any resulting in amendment of the policy will be disclosed in the Annual Report as well as the website of the Company.

2.2. The policy will be implemented by the Company keeping in view the provisions of SEBI (LODR) Regulations, the Companies Act 2013 and also taking into consideration guidelines issued by SEBI, DPE, DIPAM, Ministry of Shipping as also other guidelines to the extent applicable to the Company.

3. Effective date

3.1. The policy will be effective from the financial year 2017-18.

4. Exclusions

4.1. The policy shall not apply to:

- a) Distribution of dividend in kind i.e. by issue of fully or partly paid bonus shares or other securities, subject to applicable law;

- b) Distribution of cash as an alternative to payment of dividend through Buyback of equity shares.

5. Factors considered while declaring dividend

5.1

- a. In pursuance of Section 123 of the Act, no dividend shall be declared or paid by the Company for any financial year except out of the profits of the Company for that year or out of the profits of the Company for any previous financial year or years arrived at after providing for depreciation. However normally, the Company will decide to declare dividend only out of current year's profits after providing for depreciation in accordance with the law and after transfer to the reserves of the Company such portion of the profits as may be considered appropriate for future growth.
- b. Interim dividend will be based on profits of the current year as per unaudited results after providing for depreciation in accordance with law and Management estimates of profits for full financial year.
- c. Dividend distribution tax payable by the Company on dividend paid to shareholders will also be considered.

5.2. The quantum of dividend declared by the Company would depend upon the following external and internal factors:

- a. The external factors that shall impact the decision to pay dividend will inter-alia include economic environment, market conditions, expectation of shareholders, statutory requirements and applicable Government directives as may be applicable from time to time.
- b. The internal factors that shall be considered for dividend will be profitability of the Company, its net worth, its requirement for funds for its Capital Expenditure towards renewals & replacement/ upgradation / R&D and expansion (CAPEX), investment in subsidiaries/JVs, stability of earnings, past dividend trends, obligation to creditors and any other factors as may impact the decision to declare dividend.

- c. The Company may endeavor to pay minimum annual dividend of 30% of Profit After Tax (PAT) or 5% of net worth, whichever is higher subject to the maximum dividend permitted under the extant legal provisions.

6. Utilisation of retained earnings

6.1. The Company is a major player in the shipbuilding and ship repair sector and is acutely conscious of the need to plough back adequate profits for operations and capital investment in order to maintain, and more importantly improve its market position in the face of emerging new technologies requiring investments to stay abreast of current technologies, competition arising from the private players, both domestic and foreign. The Company has an ambitious expansion programme, Capex requirements which includes multi-locational ship repairing/building facility, two major capital projects viz. a dry-dock at the existing premises and a new ship repair complex at Cochin Port Trust premises and also has necessarily to invest in upgrading & renewals and replacement of its existing facility and R&D projects. Further, with the anticipated higher growth in sales year on year, the incremental working capital requirements also will have to be met increasingly from cash and reserves of the Company.

7. Circumstances under which the shareholders may or may not expect dividend

7.1. The Company has been consistently paying dividends to its shareholders and that it will continue to do so in future is a reasonable expectation unless circumstances warrant the contrary.

7.2. The shareholders of the Company may or may not expect dividend depending upon the circumstances including, but not limited, to the following:-

- a) In the event of inadequacy of profits or whenever the Company has incurred losses;
- b) Whenever the Company undertakes or proposes to undertake significant capital expenditure or investment in new areas of business whether in CSL itself or in joint ventures/subsidiaries;

c) Significantly higher working capital requirement adversely impacting cash flows; or

d) Whenever the Company proposes to utilise the surplus cash for buyback of securities;

e) Any other circumstance/instance which the Board of Directors may consider relevant to the dividend declaration decisions.

7.3. The Company will take a decision on the dividend distribution keeping all external and internal factors in view and duly adopting a judicious balance between directly rewarding the shareholders through dividend declaration on the one hand and increasing shareholders wealth in future through appropriate retention of projects and its realisation for sustainable growth, on the other.

8. Parameters to be adopted with regard to various classes of shares

8.1. The Company has issued only one class of shares i.e. equity shares with equal voting rights. All the members of the Company are entitled to receive the same amount of dividend per share.

9. Interpretation & amendments

9.1. Any word used in this Policy shall have the same meaning as defined under the Companies Act, 2013, SEBI Listing Regulations, 2015 and any other applicable statutory regulations.

9.2. The Board of Directors may review, amend and modify the policy at any point of time as it may deem necessary and /or as may be required from time to time in accordance with subsequent amendments in Companies Act, 2013 & Companies Rules, Circulars, Notifications, Guidelines thereto, SEBI Listing Regulations, 2015, the relevant guidelines of Ministry of Finance, Ministry of Shipping, DPE, DIPAM etc. and other applicable statutes.

10. Disclosure

10.1. This policy shall be disclosed in the Annual Report and hosted on the Company's website to meet statutory requirements, if any.

Annexure-2

A. Conservation of Energy

a. Steps taken or impact on conservation of energy during the year 2019-20.	<p>Steps Taken</p> <ul style="list-style-type: none">• Electrification of new buildings is carried out with LED lights instead of conventional discharge lamps.• Replacement of high pressure mercury vapour lights with LED's at various bays of Hull Shop & Ship Repair Shops.• Leakages in the compressed air distribution system and other industrial gas lines are regularly monitored and rectified.• Switching off main air compressor during lunch break.• Switching off main power supply to shops, quays, & docks momentarily at 12:15 hrs. This trips man coolers, roof extractors (controlled through starters), etc. which are not required during the lunch break.• Displayed energy saving stickers & posters, conducted seminar and quiz competition for inculcating awareness among employees for energy conservation aimed at optimum use of electric power.• Power factor is continuously monitored and maintained near unity.
	<p>Impact</p> <p>Energy saving is approx. 3.94 lakhs units per annum with the implementation of measures specified above.</p>
b. Steps taken for utilizing alternate sources of energy.	<ul style="list-style-type: none">• 10.74 lakhs units of energy was generated from the existing 835 kWp grid connected solar power plant during the year 2019-20.• Installation of 450 kWp grid connected solar power plant at roof top of outfit warehouse and bonded store & 200 kWp grid connected solar power plant at roof top of various buildings are in progress.
c. Capital investment on energy conservation equipments	<ul style="list-style-type: none">• An amount of approximately ₹35 lakhs has been invested for conservation of energy.

B. Technology Absorption, Adaptation and Innovation

- | | |
|--|---|
| a. Efforts made towards technology absorption. | <ul style="list-style-type: none">• Implemented OpenFOAM Computational Fluid Dynamics software for carrying out advanced hydrodynamics study of ship hull forms during design development phase. OpenFOAM is an open-source software used widely in the industry. Implementation was done after undertaking advanced training at IIT Kharagpur during December 2019.• Implemented state-of-the-art Finite Element Analysis software tool from Dassault Systemes for structural analysis of ship structures.• External workshops/training provided in:
Noise and Vibration Workshop conducted by Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai.
International Conference of Ship & Offshore Technology conducted by IIT Kharagpur.
NAPA user meeting & workshops on NAPA stability and structural modules, which was conducted at NAPA headquarters, Helsinki.• In-house development of 3D model, functional drawings & production drawings for hull, machinery and electrical & accommodation systems for Ro-Ro vessels/berthing pontoon/ Ambulance boats/FBOP were carried out.• Procured 3D EXPERIENCE ship building software solutions from Dassault Systemes India Private Ltd., comprising of CATIA (3-D modeling), SIMULIA (for simulation and analysis), DELMIA (Manufacturing), INNOVIA (Collaborative Project management) as replacement for current software Tribon, in the coming years.• Training and set up of 3D EXPERIENCE shipbuilding software solutions for hull structure, electrical, machinery, piping, HVAC, accommodation outfit & project management are in progress. |
| b. Efforts made towards Technology Innovation. | <ul style="list-style-type: none">• Development of in house design of 100 Pax Electric Hybrid Catamaran for Kochi Water Metro. The vessel has a hybrid propulsion system consisting of Diesel Generators and latest Lithium-Titanate (LTO) batteries. Once fully operational, these boats would be one of the most eco-friendly water transport network in the world.• Development of hullform for Kochi Water Metro project, in association with MARIN, Netherlands. The design is optimized for achieving minimum propulsion power and lowest wake wash.• Development of basic design of Floating Border Outpost for Border Security Force.• Development of basic design of Ambulance boats for Kerala Fisheries department.• Development of concept design of Next Generation Missile Vessels (NGMV), for Indian Navy.• Development of concept design of Survey Training Vessel (STV) for Indian Navy.• Development of concept design of Semi-Submersible Platform (SSP) for Indian Navy.• Development of concept design of Multi- Purpose Vessel (MPV) for Indian Navy.• Development of concept design for Weed-Harvester pontoon for Dal Lake.• Development of in-house web-based application, Chronoz, for man-hour utilization capture in Design Department.• Implementation of File Life Cycle Management system which facilitates paperless office for ensuring better transparency and availability of files.• Development of 'Habitability Application' for monitoring the progress of work in 2600 accommodation compartments in IAC using SAP Portal.• Development of a mobile application called 'Rudder' for tracking the steel renewal projects in Ship Repair.• Implementation of a web/mobile application for controlling the access of external sub-contract workers by their contractors inside CSL. |
-

Disclosure of Particulars in respect of Absorption

c.	Benefits derived like product improvement, cost reduction, product development or import substitutions.	<ul style="list-style-type: none"> • Effective tracking and deployment of man-hour in basic design department, where man-hour capture tool has been implemented. • Increased flexibility for performing design iterations for developing optimized products because of having in-house FEA and CFD capability. • Capability for performing CFD & FEA calculations within the Shipyard offers cost and time saving, which if offloaded to an outside consultancy, would be very costly and time consuming and may result in forex outflow. • Improved self-reliance, better control and focus on productivity improvement. • Access to high end clientele and enhanced credibility on account of high quality design solutions. • Capability achieved in undertaking multiple projects concurrently. • Reduction of cost due to minimized rework, as interface of the systems can be viewed and corrected in 3D modelling on computer.
d.	In case of imported technology (imported during the last three years reckoned from the beginning of the financial year) following information may be furnished.	
i.	The details of technology imported	ALMA ACT CUT nesting software for plates and profiles.
ii.	The year of import	2019-20
iii.	Whether the technology been fully absorbed	The above is currently under set up and implementation and can be considered as technology undergoing absorption.
iv.	If not fully absorbed, areas where absorption has not taken place, and the reasons thereof	ALMA ACT CUT is being integrated with the 3D Experience Software Solution and would become absorbed fully once the same for the entire design department becomes live.
e.	Expenditure incurred on Research and Development	Nil

C. Foreign Exchange Earnings and Outgo

(₹ in lakhs)

Income from Foreign Exchange	2019-20	2018-19
From Shipbuilding	0.00	0.00
From Ship repair	345.70	0.00
Total	345.70	0.00
Expenditure in Foreign Exchange		
Materials (CIF Value)	102864.31	82543.51
Design & Documentation	116.52	0.00
Service Charge & Others	10528.97	12523.09
Total	113509.80	95066.60

For and on behalf of the Board of Directors

Madhu S Nair

Chairman & Managing Director
DIN: 07376798

Kochi
August 07, 2020

Annexure-3

Form No. AOC-2

(Pursuant to clause (h) of sub-section (3) of section 134 of the Companies Act, 2013 and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014)

Form for disclosure of particulars of contracts/agreements entered into by the Company with related parties referred to in subsection (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 including certain arms length transactions under third proviso thereto:

1. Details of contracts or arrangements or transactions not at arm's length basis

(a)	Name(s) of the related party and nature of relationship	Not Applicable
(b)	Nature of contracts/arrangements/transactions	Not Applicable
(c)	Duration of the contracts/arrangements/transactions	Not Applicable
(d)	Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any	Not Applicable
(e)	Justification for entering into such contracts or arrangements or transactions	Not Applicable
(f)	Date(s) of approval by the Board	Not Applicable
(g)	Amount paid as advances, if any	Not Applicable
(h)	Date on which the special resolution was passed in general meeting as required under first proviso to section 188	Not Applicable

2. Details of material contracts or arrangements or transactions at arm's length basis

(a)	Name(s) of the related party and nature of relationship	Not Applicable
(b)	Nature of contracts/arrangements/transactions	Not Applicable
(c)	Duration of the contracts/arrangements/transactions	Not Applicable
(d)	Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any	Not Applicable
(e)	Date(s) of approval by the Board	Not Applicable
(f)	Amount paid as advances, if any	None

For and on behalf of the Board of Directors

Madhu S Nair
Chairman & Managing Director
DIN: 07376798

Kochi
August 07, 2020

PROJECT-WISE CSR SPENT BY COCHIN SHIPYARD LIMITED DURING 2019-20

Sl No	Name of project with a brief	Sector in which project is covered (clause No. of Sch VII to Companies Act 2013 as amended)	Project of programme (1) Local area and other (2)Specify the State and District where projects or program was undertaken	Amount of outlay (budget) project or program wise (₹ Lakhs)	Amount spent on the projects or the programmes sub heads (1) Direct expenditure on project or programmes, (2) Overheads (₹ Lakhs)	Cumulative expenditure upto the reporting period (₹ Lakhs)	Amount spent direct or through implementing agency	Number and category of project beneficiaries
A THEME HEALTH & EDUCATION								
1	Distribution of Free Medicines (Insulin) to Type 1 Diabetic Children of BPL Families in Kottayam, Ernakulam, Alappuzha, Idukki and Thrissur District	Cl. (i) promoting health care including preventive health	Alappuzha, Kottayam, Idukki, Ernakulam and Thrissur Districts of Kerala State	9.50	1.19	3.83	Lourdes Hospital, Ernakulam	66 Type 1 Diabetic Patients
2	Financial Support for Mathrubhumi Madhuram Malayalam Scheme - an Initiative to Boost Reading Habits among Children in Needy Schools in Idukki, Kottayam and Pathanamthitta Districts	Cl. (ii) promoting education	Idukki, Kottayam and Pathanamthitta Districts	3.00	1.50	3.00	Mathrubhumi, Kottayam Unit	6000 School Students
3	Support for a Training and Development Centre for Marginalized Women at Thekkumbhagam, Vizhinjam, Thiruvananthapuram District	Cl. (ii) Employment enhancing vocational skills, especially among children, women, elderly, and the differently-abled.	Thekkumbhagam - Vizhinjam, Thiruvananthapuram District of Kerala State	30.00	3.00	30.00	Vizhinjam Thekkumbhagam, Muslim Jama'ath	50 Marginalized Women of the area
4	Support for Setting up a Rehabilitation cum Yoga Centre for the Aged at Punnyam Trust, Vazhoor, Kottayam District	Cl.(iii) setting up of homes and hostels for women and orphans	Vazhoor, Kottayam District	40.00	1.50	40.00	Punnyam Trust at Vazhoor, Kottayam District	40 aged people
5	Support for Pakalvedu (Day Care for the Aged) Functioning at Red Cross Bhavan, Kakkannad, Ernakulam District	Cl. (iii) Setting up old-age homes, day care centers and such other facilities for senior citizens	Kakkannadu Ernakulam District of Kerala State	5.00	0.46	4.96	Red Cross Society Kakkannadu, Ernakulam District	40 Aged People
6	Support for Manorama Daily Distribution Programme - an Initiative to Boost Reading Habits among Children in Government Schools in Ernakulam District	Cl. (ii) promoting education	Ernakulam District	0.95	0.48	0.95	Malayala Manorama, Kochi Unit	2500 school students
7	Support for Observing Road Safety Week for the Benefit of the Common People at Various Venues Including within the Shipyard	Cl. (ii) promoting education	Ernakulam District	0.95	0.95	0.95	Motor Vehicles Department, Government of Kerala	General Public
8	Support for Mathrubhumi Madhuram Malayalam Scheme - an initiative to Boost Reading Habits among Children in Needy Schools in Ernakulam District	Cl. (ii) promoting education	Ernakulam District	2.00	1.00	2.00	Mathrubhumi, Kochi Unit	4000 School Students
9	Support for New Urinal Facilities and Renovation of Toilets along with the Establishment of an Incinerator at Darul Uloom Higher Secondary School, Puleppady, Ernakulam District	Cl. (ii) promoting education (Swachh Bharat)	Darul Uloom Higher Secondary School, Puleppady, Ernakulam District	2.89	1.31	2.76	PTA, Darul Uloom Higher Secondary School, Puleppady, Ernakulam District	300 Students

SI No	Name of project with a brief	Sector in which project is covered (clause No. of Sch VII to Companies Act 2013 as amended)	Project of programme (1) Local area and other (2)Specify the State and District where projects or program was undertaken	Amount of outlay (budget) project or program wise (₹ Lakhs)	Amount spent on the projects or the programmes sub heads (1) Direct expenditure on project or programmes, (2) Overheads (₹ Lakhs)	Cumulative expenditure upto the reporting period (₹ Lakhs)	Amount spent direct or through implementing agency	Number and category of project beneficiaries
10	Financial Support for Purchase of Smart Class Room Equipments at Government Junior Basic School, Kundannoor, Maradu, Ernakulam District	Cl. (ii) promoting education	Kundannoor, Ernakulam District	3.00	2.95	2.95	PTA, Government Junior Basic School, Kundannoor, Maradu, Ernakulam District	40 Students
11	Support for Construction of an Additional Floor to the Existing Building of Press Club, Kottayam for Skill Development	Cl. (ii) Promoting education (iii) Livelihood enhancement projects and measures for reducing inequalities faced by Socially & economically backward groups	Kottayam District of Kerala State	20.00	4.00	20.00	Press Club, Kottayam	100 students per year
12	Support for Construction of a Girls Friendly Toilet Complex at AV Smaraka Govt. Higher Secondary School, Karivellur, Kannur District	Cl. (ii) promoting education (Swachh Bharat)	Karivellur, Kannur District	8.06	4.03	8.06	AV Smaraka Govt. Higher Secondary School, Karivellur, Kannur District	425 Students
13	Support for Construction of a New Toilet Complex at Muppaikkad LP School, Moolavattom, Kottayam District	Cl. (ii) promoting education (Swachh Bharat)	Moolavattom, Kottayam District	8.84	4.42	8.84	Muppaikkad LP School, Moolavattom, Kottayam District	165 Students
14	Support for Purchase of Class Room Furniture at Government UP School, Bavali, Mananthawadi, Wayanad District	Cl. (ii) promoting education	Bavali, Mananthawadi, Wayanad District	5.00	5.00	5.00	PTA Government UP School, Bavali, Mananthawadi, Wayanad District	135 Students
15	Support for the Construction of a Toilet Complex at Sacred Heart Higher Secondary School, Thevara, Ernakulam District under Swachh Bharat Abhiyan of Gol	Cl. (ii) promoting education (Swachh Bharat)	Thevara, Ernakulam District	12.80	6.38	12.78	Sacred Heart Higher Secondary School, Thevara, Ernakulam District	639 students
16	Support for Purchase of Optimist Class Sail Boats for Sea Cadet Corps	Cl. (ii) promoting education	Thevara, Ernakulam District	6.53	6.53	6.53	Southern Naval Command, Kochi	50 Cadets per year
17	Support for Adopt a Library Scheme - Support the Libraries in Ernakulam District, which effected by the Recent Floods	Cl. (ii) promoting education	Ernakulam District	6.70	6.70	6.70	Samoohya Samrambhaka Co - operative Society, Kochi	5000 Readers
18	Promotion of Reading Habits among School Children by Supporting a Book for Every Initiative at the International Book Fair - 2019	Cl. (ii) promoting education	Ernakulam District	8.00	8.00	8.00	Samoohya Samrambhaka Co - operative Society, Kochi	5000 Students

SI No	Name of project with a brief	Sector in which project is covered (clause No. of Sch VII to Companies Act 2013 as amended)	Project of programme (1) Local area and other (2)Specify the State and District where projects or program was undertaken	Amount of outlay (budget) project or program wise (₹ Lakhs)	Amount spent on the projects or the programmes sub heads (1) Direct expenditure on project or programmes, (2) Overheads (₹ Lakhs)	Cumulative expenditure upto the reporting period (₹ Lakhs)	Amount spent direct or through implementing agency	Number and category of project beneficiaries
19	Support for Repair/Restoration of Anganwadi Centers in Alappuzha District	Cl. (ii) promoting education	Kuttanad, Alappuzha District	20.00	9.18	19.18	District Social Justice Department, Alappuzha	180 Anganwadi Students
20	Support for Prana - Students Association of Amrita School of Business in their Endeavour to Support Special Children with Wheelchair, Stretcher and Walking Stick	Cl. (ii) promoting education including special Education	Ernakulam District	0.69	0.69	0.69	Amrita School of Business, Kochi	30 Differently Abled Persons
21	Support for Urava - Water ATM Project at Attappady, Palakkad District	Cl. (i) promoting health (Swachh Bharat)	Sholayur Grama Panchayat of Attappady, Palakkad District	30.00	1.00	30.00	Shanthy Medical Information Centre, Guruvayoor	2500 household families in Sholayur Grama Panchayat
22	Support for Construction of a Toilet Complex at ANM UP School, Gokhale Nagar, Mylambadi, Wayanad District	Cl. (ii) promoting education (Swachh Bharat)	Mylambadi, Wayanad District	4.00	4.00	4.00	PTA ANM UP School, Gokhale Nagar, Mylambadi, Wayanad District	140 Students
23	Support for Improving the Laboratory Facilities at Amboori Primary Health Centre, Parassala, Thiruvananthapuram District	Cl. (i) promoting health	Amboori, Parassala, Thiruvananthapuram District	6.06	6.06	6.06	Hospital Management Committee, Amboori Primary Health Centre, Parassala, Thiruvananthapuram District	200 Patients per Day
24	Support for a Multi - Gym at in the Training Centre for Ernakulam South Police Station for Women and Children	Cl. (i) promoting health	Thevara, Ernakulam District	6.34	6.34	6.34	City Police Commissioner, Kochi	General Public
25	Support for a Sensory Therapeutic Centre for Children with Special Needs at Sevanikethan Thiruhudaya Nivas Parel, Kurisumoodu, Changanacherry, Kottayam District	Cl. (ii) promoting education including special Education	Changanacherry, Kottayam District	16.19	7.63	15.73	Sevanikethan Thiruhudaya Nivas Parel, Kurisumoodu, Changanacherry, Kottayam District	62 Special Children
26	Support for an Elevator at Pratheeksha Bhavan - School for the Mentally Challenged at Thodupuzha, Idukki District	Cl.(iii) setting up of homes and hostels for women and orphans	Thodupuzha, Idukki District	20.00	8.40	18.40	Pratheeksha Bhavan - School for the Mentally Challenged at Thodupuzha, Idukki District	140 differently abled children
27	Support for Setting up of a Blood Bank at Thaluk Head Quarters Hospital, Mannarkad, Palakkad District	Cl. (i) promoting health care including preventive health	Mannarkad, Palakkad District	70.00	14.00	66.50	Hospital Development Society, Thaluk Head Quarters Hospital, Mannarkad, Palakkad District	200 patients per month

SI No	Name of project with a brief	Sector in which project is covered (clause No. of Sch VII to Companies Act 2013 as amended)	Project of programme (1) Local area and other (2)Specify the State and District where projects or program was undertaken	Amount of outlay (budget) project or program wise (₹ Lakhs)	Amount spent on the projects or the programmes sub heads (1) Direct expenditure on project or programmes, (2) Overheads (₹ Lakhs)	Cumulative expenditure upto the reporting period (₹ Lakhs)	Amount spent direct or through implementing agency	Number and category of project beneficiaries
28	Support for Procuring Ambulance for Shri Dnyaneshawar Mauli Mandir Sansthan, Karajgaon, District Amaravati	Cl. (i) promoting health care including preventive health	Amaravati, Maharashtra	15.00	15.00	15.00	Shri Dnyaneshawar Mauli Mandir Sansthan, Karajgaon, District Amaravati	General Public
29	Support for Revitalization of Khodiyar Temple Lake and Development of Adjacent Naval Environment Park & Training Area of INS Valsura, Jammnagar, Gujarat	Cl. (i) promoting health (Swachh Bharat)	Jammnagar, Gujarat	25.00	23.92	23.92	INS Valsura, Jammnagar, Gujarat	People who are visiting the Park
30	Support for Construction of Household Toilets in Chellanam Panchayat, Ernakulam District under Swachh Bharat Abhiyan of Gol	Cl. (i) promoting health (Swachh Bharat)	Chellanam Grama Panchayat in Ernakulam District	55.00	27.50	55.00	WIN Society, Eramalloor, Alappuzha District	100 household families
31	Support for Construction of Jijamata Primary Women Health Care and Diagnosis Centre, Quarters and Procuring of Hospital Instruments/ Equipments including an Ambulance for the benefit of the People at Sindkhed Raja, Dist. Buldana, Maharashtra	Cl. (i) promoting health care including preventive health	Sindkhed Raja, Dist. Buldana, Maharashtra	200.00	76.25	175.87	Jijau Shirishti, Matrutiirtha Sindkhedraja, District Buldana	3000 Out Patients per month
32	Support for Establishing a Cath Lab at the Cardiology Unit of A. P. Varkey Mission Hospital, Arakkunnam, Ernakulam District	Cl. (i) promoting health care including preventive health	Arakkunnam, Ernakulam District, Kerala State	100.00	90.00	90.00	A. P. Varkey Mission Hospital, Arakkunnam, Ernakulam District	200 Patients per Month
33	Support for SHIKSHA of Backwaters 2018 - Annual Management Festival of IIM, Kozhikode from 26th to 28th October 2018	Cl. (ii) promoting education	Kozhikode District	0.84	0.85	0.85	IIM, Kozhikode	1000 Student Participants
34	Support for Sansad Adarsh Gram Yojana at Venganoor Grama Panchayat, Thiruvananthapuram District	Cl. (ii) promoting education	Venganoor Grama Panchayat, Thiruvananthapuram District	28.05	28.05	28.05	Venganoor Grama Panchayat, Thiruvananthapuram District	500 Students
35	Support for Infrastructure Development of Public Library, Thiruvankulam, Ernakulam District	Cl. (ii) promoting education	Thiruvankulam, Ernakulam District, Kerala State	5.00	2.50	2.50	Public Library, Thiruvankulam, Ernakulam District	3000 readers
36	Support for Modification of Soyus Library & Reading Room, Kadavanthra, Kochi	Cl. (ii) promoting education	Kadavanthra, Ernakulam District, Kerala State	11.00	9.33	9.33	Soyus Library & Reading Room, Kadavanthra, Kochi	3000 readers
37	Support for Training for SOS Children of Aluva & Thrissur Villages for a Duration of 2 Days	Cl. (ii) promoting education	Ernakulam and Thrissur Districts of Kerala State	1.00	1.00	1.00	SOS Childrens Villages, Aluva and Thrissur	100 students

SI No	Name of project with a brief	Sector in which project is covered (clause No. of Sch VII to Companies Act 2013 as amended)	Project of programme (1) Local area and other (2)Specify the State and District where projects or program was undertaken	Amount of outlay (budget) project or program wise (₹ Lakhs)	Amount spent on the projects or the programmes sub heads (1) Direct expenditure on project or programmes, (2) Overheads (₹ Lakhs)	Cumulative expenditure upto the reporting period (₹ Lakhs)	Amount spent direct or through implementing agency	Number and category of project beneficiaries
38	Support for Installation of Water Treatment Plant at Amrita High School, Moolavattom, Kottayam District	Cl. (i) promoting health (Swachh Bharat)	Moolavattom, Kottayam District	4.35	2.18	2.18	PTA Amrita High School, Moolavattom, Kottayam District	450 Students
39	Support for Renovation of School Making them Suitable for Smart Class Room at Sahodaran Memorial High School, Cherai, Ernakulam District	Cl. (ii) promoting education	Cherai, Ernakulam District, Kerala State	5.00	2.50	2.50	PTA Sahodaran Memorial High School, Cherai, Ernakulam District	700 Students
40	Support for Renovation of School Making them Suitable for Smart Class Room at SNDP HSS, Aluva, Ernakulam District	Cl. (ii) promoting education	Aluva, Ernakulam District, Kerala State	5.00	2.50	2.50	PTA SNDP HSS, Aluva, Ernakulam District	780 Students
41	Support for Construction of School Building at St. Joseph's UP School, Karithala, Ernakulam District	Cl. (ii) promoting education	Karithala, Ernakulam District	5.00	2.50	2.50	St. Joseph's UP School, Karithala, Ernakulam District	210 Students
42	Support for Construction of a Toilet Complex at Dr. B. R. Ambedkar Memorial UP School, Muttappally, Kottayam District	Cl. (ii) promoting education (Swachh Bharat)	Muttappally, Kottayam District	5.00	2.50	2.50	PTA Dr. B. R. Ambedkar Memorial UP School, Muttappally, Kottayam District	180 Students
43	Support for School Renovation at SRV UP School, Perumpadappa, Chenthrappinni, Thrissur District	Cl. (ii) promoting education	Perumpadappa, Chenthrappinni, Thrissur District, Kerala State	5.00	2.50	2.50	PTA SRV UP School, Perumpadappa, Chenthrappinni, Thrissur District	140 Students
44	Support for Renovation of Class Room for Smart Class and Other Facilities at KMLP School, Eeroor, Thripunithura, Ernakulam District	Cl. (ii) promoting education	Eeroor, Thripunithura, Ernakulam District, Kerala State	5.00	3.35	3.35	PTA KMLP School, Eeroor, Thripunithura, Ernakulam District	90 Students
45	Support for Renovation of School for Making them Suitable for Smart Class Room at St. Mary's High School, Kannamaly, Ernakulam District	Cl. (ii) promoting education	Kannamaly, Ernakulam District, Kerala State	5.00	5.00	5.00	PTA St. Mary's High School, Kannamaly, Ernakulam District	240 Students
46	Support for Renovation of Kids Park and Furniture for Class Rooms at Government U P School, Akanad, Mudakuzha, Ernakulam District	Cl. (ii) promoting education	Akanad, Mudakuzha, Ernakulam District, Kerala State	5.00	5.00	5.00	PTA Government U P School, Akanad, Mudakuzha, Ernakulam District	160 Students
47	Support for Construction of a Toilet Complex at MTLP School, West Vengola, Ernakulam District	Cl. (ii) promoting education (Swachh Bharat)	West Vengola, Ernakulam District, Kerala State	5.00	5.00	5.00	PTA MTLP School, West Vengola, Ernakulam District	80 Students
48	Support for Procuring Medicines for Thalassaemia Patients by Manava Seva Lokkalyan Maha Sangh, Nagpur, Maharashtra	Cl. (i) promoting health	Nagpur, Maharashtra	5.00	5.00	5.00	Manava Seva Lokkalyan Maha Sangh, Nagpur, Maharashtra	200 Thalassaemia Patients

SI No	Name of project with a brief	Sector in which project is covered (clause No. of Sch VII to Companies Act 2013 as amended)	Project of programme (1) Local area and other (2)Specify the State and District where projects or program was undertaken	Amount of outlay (budget) project or program wise (₹ Lakhs)	Amount spent on the projects or the programmes sub heads (1) Direct expenditure on project or programmes, (2) Overheads (₹ Lakhs)	Cumulative expenditure upto the reporting period (₹ Lakhs)	Amount spent direct or through implementing agency	Number and category of project beneficiaries
49	Support for Construction of a New School Building at SABTM LP School, Randarkara P. O, Muvattupuzha, Ernakulam District	Cl. (ii) promoting education	Randarkara P. O, Muvattupuzha, Ernakulam District	10.00	5.00	5.00	SABTM LP School, Randarkara P. O, Muvattupuzha, Ernakulam District	240 Students
50	Support for Renovation of Old School Building at SV LP School, Thekkumbhagam, Thripunithura, Ernakulam District	Cl. (ii) promoting education	Thripunithura, Ernakulam District, Kerala State	10.00	5.00	5.00	PTA SV LP School, Thekkumbhagam, Thripunithura, Ernakulam District	165 Students
51	Support for Renovation of Old School Building at SDV LP School, Maradu, Ernakulam District	Cl. (ii) promoting education	Maradu, Ernakulam District, Kerala State	10.00	5.00	5.00	PTA SDV LP School, Maradu, Ernakulam District	140 Students
52	Support for Creating Awareness and Educating Students in Cyber Security by Commissioner of Police, Kochi City	Cl. (ii) promoting education	Ernakulam District	10.00	5.00	5.00	City Police Commissioner, Kochi	5000 School Students
53	Support for Construction of a Toilet Complex at V B U P School, Thrikkodithanam, Changanacherry, Kottayam District	Cl. (ii) promoting education (Swachh Bharat)	Thrikkodithanam, Changanacherry, Kottayam District, Kerala State	10.00	5.00	5.00	PTA V B U P School, Thrikkodithanam, Changanacherry, Kottayam District	230 Students
54	Support for Preparatory Coaching for Selection of Officers in Defence Services by Defence Service Officers Institute (DSOI) Palakkad	Cl. (ii) promoting education	Palakkad District, Kerala State	10.00	5.00	5.00	Defence Service Officers Institute (DSOI) Palakkad	50 students per year
55	Support for Purchase of Computers and Water Filters for SOS Children's Villages, Aluva and Thrissur	Cl. (ii) promoting education	Thrissur and Ernakulam District, Kerala State	15.00	6.89	6.89	SOS Childrens Villages, Aluva and Thrissur	100 Students
56	Support for Integrated Interventions for addressing Poverty, Malnutritions and Educational Backwardness of Paniya Tribes in Wayanad District	Cl. (ii) promoting education	Wayanad District, Kerala State	15.00	7.50	7.50	Dr. M S Swaminathan Foundation, Kalpetta, Wayanad District	150 Paniya Household Family
57	Support for Holistic Development of Children Affected by Drugs to AURA Social Work Organization, Chittissery, Thrissur District	Cl. (ii) promoting education	Thrissur District of Kerala State	12.00	10.80	10.80	AURA Social Work Organization, Chittissery, Thrissur District	100 School Students
58	Support for Construction of Setting up Science Lab at Government High School, Muppathadam, Aluva, Ernakula District	Cl. (ii) promoting education	Muppathadam, Ernakulam District, Kerala State	12.00	11.33	11.33	PTA Government High School, Muppathadam, Aluva, Ernakula District	400 Students
59	Support for a School Bus to Janey Centre - a Day Care Centre for Rehabilitating the Differently Abled Persons in Eeroor, Thripunithura, Ernakulam District	Cl. (ii) promoting education including special Education	Thripunithura, Ernakulam District, Kerala State	15.00	15.00	15.00	Janey Centre - A Day Care Centre for Rehabilitating the Differently Abled Persons in Eeroor, Thripunithura, Ernakulam District	73 Special Children

SI No	Name of project with a brief	Sector in which project is covered (clause No. of Sch VII to Companies Act 2013 as amended)	Project of programme (1) Local area and other (2)Specify the State and District where projects or program was undertaken	Amount of outlay (budget) project or program wise (₹ Lakhs)	Amount spent on the projects or the programmes sub heads (1) Direct expenditure on project or programmes, (2) Overheads (₹ Lakhs)	Cumulative expenditure upto the reporting period (₹ Lakhs)	Amount spent direct or through implementing agency	Number and category of project beneficiaries
60	Support for Puthuyugam - A Comprehensive Educational Project (PCEP) by District Administration, Ernakulam	Cl. (ii) promoting education	Ernakulam District, Kerala State	30.00	30.00	30.00	District Administration, Ernakulam	200 Student aspirants
61	Support for Construction of an Assembly Hall at Sree Ramakrishna Gurukula Vidyamandir Higher Secondary School, Puranattukara, Thrissur District	Cl. (ii) promoting education	Puranattukara, Thrissur District, Kerala State	30.00	30.00	30.00	PTA Ramakrishna Gurukula Vidyamandir Higher Secondary School, Puranattukara, Thrissur District	1800 Students
62	Support for Construction of Laboratories at Government HSS, Elamakkara, Ernakulam District	Cl. (ii) promoting education	Ernakulam District, Kerala State	80.00	40.00	40.00	PTA Government HSS, Elamakkara, Ernakulam District	600 Higher Secondary Students
63	Support for Procuring a Maruti Eeco Vehicle to St. Alphonsa Vocational Training Centre for Mentally Challenged Students at Kidangoor, Angamaly, Ernakulam District	Cl. (ii) promoting education including special Education	Kidangoor, Angamaly, Ernakulam District, Kerala State	5.56	5.56	5.56	St. Alphonsa Vocational Training Centre for Mentally Challenged Students at Kidangoor, Angamaly, Ernakulam District	43 Differently Abled Children
64	Support for Providing Educational Aids to the SC/ST Students in Wayanad District	Cl. (ii) promoting education	Wayanad District, Kerala State	7.50	5.87	5.87	Federation of Central Govt. SC/ST Employees (Kerala) Cochin Shipyard Unit	450 ST School Children
65	Support for Set up Four Anganwadi Projects at Wayanad District	Cl. (ii) promoting education	Wayanad District, Kerala State	120.00	80.00	80.00	District Administration, Wayanad	80 Anganwadi Students
66	Support for Construction of a Part of the First Floor of Human Excellence Building at Ramakrishna Mission, New Town, Kolkata	Cl. (ii) promoting education/Cl.(v) protection of national heritage, art and culture	New Town, Kolkata, West Bengal	120.00	100.00	100.00	Ramakrishna Mission, Bhelur Math, Kolkata	5000 Students per Year
67	Support for Construction of a Toilet Complex at Model Technical Higher Secondary School, Kaprassery, Nedumbassery, Ernakulam District	Cl. (ii) promoting education (Swachh Bharat)	Kaprassery, Nedumbassery, Ernakulam District, Kerala State	5.00	5.00	5.00	PTA Model Technical Higher Secondary School, Kaprassery, Nedumbassery, Ernakulam District	450 Students
68	Support for Construction of a Toilet Complex at Bhagavathy Vilasam High School, Nayarambalam, Ernakulam District	Cl. (ii) promoting education (Swachh Bharat)	Nayarambalam, Ernakulam District, Kerala State	5.75	5.75	5.75	PTA Bhagavathy Vilasam High School, Nayarambalam, Ernakulam District	300 Students
69	Support for Get Together of HIV +ve Patients of ART Centre, General Hospital, Ernakulam	Cl. (i) promoting health	Ernakulam District, Kerala State	0.32	0.32	0.32	ART Centre, General Hospital, Ernakulam	60 Patients

SI No	Name of project with a brief	Sector in which project is covered (clause No. of Sch VII to Companies Act 2013 as amended)	Project of programme (1) Local area and other (2)Specify the State and District where projects or program was undertaken	Amount of outlay (budget) project or program wise (₹ Lakhs)	Amount spent on the projects or the programmes sub heads (1) Direct expenditure on project or programmes, (2) Overheads (₹ Lakhs)	Cumulative expenditure upto the reporting period (₹ Lakhs)	Amount spent direct or through implementing agency	Number and category of project beneficiaries
70	Support for Procuring Ophthalmic Equipment to Sri Sathya Sai Institute of Primary Health Care, Kulappully, Shornur, Palakkad District	Cl. (i) promoting health	Kulappully, Shornur, Palakkad District, Kerala State	4.00	4.00	4.00	Sri Sathya Sai Institute of Primary Health Care, Kulappully, Shornur, Palakkad District	600 Patients per Month
71	Support for Buying a Maruti Eco Van to Karunyarvarsham Charitable Trust, Ernakulam	Cl. (i) promoting health	Ernakulam District, Kerala State	5.00	4.70	4.70	Karunyarvarsham Charitable Trust, Ernakulam	12 Bedridden Patients per Day
72	Support for Vehicle for ARDSI Dementia Day Care Centre at Eeroor, Ernakulam District	Cl. (i) promoting health	Ernakulam District, Kerala State	5.00	4.89	4.89	ARDSI Dementia Day Care Centre, Eeroor, Ernakulam District	10 Dementia Patients per Day
73	Support for Procuring a Eco Maruti Van for Home for the Destitute, Perumanoor, Kochi	Cl. (i) promoting health	Ernakulam District, Kerala State	5.00	4.98	4.98	Home for the Destitute, Perumanoor, Kochi	53 Inmates
74	Support for Purchase of a Palliative Care Vehicle (Maruti Eco) to Ayushya Centre for Healing and Wholeness, Veroor, Changanachery, Kottayam District	Cl. (i) promoting health	Changanachery, Kottayam District, Kerala State	5.00	4.96	4.96	Ayushya Centre for Healing and Wholeness, Veroor, Changanachery, Kottayam District	10 Bedridden Patients per Day
75	Support for Procuring Mobile Unit with Imaging Devised for Retinopathy of Prematurity (RO) Screening in Premature Infants Cost of Vehicles and Equipments at SSM Eye Research Foundation, Kadavanthra, Ernakulam District	Cl. (i) promoting health	Ernakulam District, Kerala State	21.00	9.00	9.00	SSM Eye Research Foundation, Kadavanthra, Ernakulam District	300 Patients per Month
76	Support for Construction of a Building for Physiotherapy Centre with Equipments at Family Health Centre, Noolpuzha, Wayanad District	Cl. (i) promoting health	Noolpuzha, Wayanad District, Kerala State	20.00	10.00	10.00	Hospital Management Committee, Family Health Centre, Noolpuzha, Wayanad District	300 Patients per Day
77	Support for a School Bus to Assisi Special School for Mentally Challenged, Panavally, Trichattukulam, Alapuzha District	Cl. (ii) promoting education including special Education	Panavally, Trichattukulam, Alapuzha District, Kerala State	14.00	14.00	14.00	Assisi Special School for Mentally Challenged, Panavally, Trichattukulam, Alapuzha District	75 Special Children
78	Support for 10 Number Water ATM - Neerurava Project at Attappady, Palakkad District	Cl. (i) promoting health (Swachh Bharat)	Sholayur Grama Panchayat of Attappady, Palakkad District, Kerala State	14.50	14.50	14.50	Shanthy Medical Information Centre, Gurusvayoor	5750 household families in Sholayur Grama Panchayat
79	Support for Blind Friendly Children's Park Equipments and Equipments in Physiotherapy Centre at Kerala Blind School Society, Thottumgham, Aluva, Ernakulam District	Cl. (ii) promoting education including special Education	Thottumgham, Aluva, Ernakulam District, Kerala State	15.00	15.00	15.00	Kerala Blind School Society, Thottumgham, Aluva, Ernakulam District	73 Blind Children

SI No	Name of project with a brief	Sector in which project is covered (clause No. of Sch VII to Companies Act 2013 as amended)	Project of programme (1) Local area and State and District where projects or program was undertaken	Amount of outlay (budget) project or program wise (₹ Lakhs)	Amount spent on the projects or the programmes sub heads (1) Direct expenditure on project or programmes, (2) Overheads (₹ Lakhs)	Cumulative expenditure upto the reporting period (₹ Lakhs)	Amount spent direct or through implementing agency	Number and category of project beneficiaries
80	Support for Purchase of Two Manuti Eco Basic Life Support Ambulances and Three Maruti Eco Vehicles for Palliative Care Department at General Hospital, Ernakulam	Cl. (i) promoting health	Ernakulam District, Kerala State	32.00	16.87	16.87	Hospital Development Society, General Hospital, Ernakulam	30 Bedridden Patients per Day
81	Support for Distribution of Blankets to Poor People in Madras Colony Cluster and Sun Light Colony, Delhi	Cl. (i) promoting health	Sun Light Colony, Delhi	2.00	2.00	2.00	Daya Trust, Mayur Vihar, Delhi	500 Poor People
82	Support for Immediate Flood Relief for Attapady Residents During Flood on 8th to 10th August 2019	Cl. (i) promoting health	Attapady, Palakkad District, Kerala State	0.44	0.44	0.44	Shanthy Medical Information Centre, Guruvayoor	40 Household Family
	SUB TOTAL (A)			1,517.81	918.47	1,263.20		
B	OTHER PROJECTS							
83	Construction of one Public Toilet Block on the North side of CSL, Contributing to the Promotion of Sanitation in the City under Swachh Bharat Abhiyan of Gol	Cl. (i) promoting health (Swachh Bharat)	Atlantis Junction, MG Road, Ernakulam	20.00	13.49	19.49	CREDAI, Kochi	General Public
84	Support for Harithardra Santhwanam - A 27 Days Swachhatha Awareness Campaign	Cl. Swachh Bharat Abhiyan of Gol	All Districts of Kerala State	1.00	0.29	0.92	Bodhananda Sruti Seva Trust, Vyttila	2000 people including students
85	Support for Construction of Houses for the Helpless and the Abandoned by PINC (Protecting Innocence with Commitment), Kalavoor, Alapuzha District	Cl.(iii) setting up of homes and hostels for women and orphans	Kalavoor, Alapuzha District	15.00	2.47	9.97	PINC (Protecting Innocence with Commitment), Kalavoor, Alapuzha District	Two abandoned families
86	Support for Conducting Workshop/ Lecture/Demonstration in Schools/ Colleges for Promoting Classical Music & Dance, Folk, Yoga, Screening Cinema Classics, Traditional Painting and other Art Forms by SPIC MACAY	Cl.(v) protection of national heritage, art and culture	Selected Govt/Govt Aided Schools in Ernakulam District	10.00	4.00	9.00	SPIC MACAY, New Delhi	5000 School Students
87	Support for the Construction of a Toilet Complex at Vivekananda Hostel, Rajashree Colony, Dastur Nagar, Amravati, Maharashtra, under Swachh Bharat Abhiyan of Gol	Cl. (ii) promoting education (Swachh Bharat)	Vivekananda Hostel, Rajashree Colony, Dastur Nagar, Amravati, Maharashtra	10.00	5.00	10.00	Pradnya Prabodhini, Amravati, Maharashtra	170 Students
88	Support for Welding for Nation Building - A Skill Development Training in Advanced Welding of 60 Marginalized Youth - 3rd Phase	Cl. (ii) and (iii) Livelihood enhancement projects and measures for reducing inequalities faced by Socially & economically backward groups	Different Districts of Kerala	35.00	8.21	24.63	Don Bosco Tech, Vaduthala, Ernakulam	60 Students

SI No	Name of project with a brief	Sector in which project is covered (clause No. of Sch VII to Companies Act 2013 as amended)	Project of programme (1) Local area and other (2)Specify the State and District where projects or program was undertaken	Amount of outlay (budget) project or program wise (₹ Lakhs)	Amount spent on the projects or the programmes sub heads (1) Direct expenditure on project or programmes, (2) Overheads (₹ Lakhs)	Cumulative expenditure upto the reporting period (₹ Lakhs)	Amount spent direct or through implementing agency	Number and category of project beneficiaries
89	Support for Construction of Ashwas Vocational Training Centre - a Mentally Challenged at Kanjirappally, Kottayam District	Cl. (ii) Promoting education, including special education (iii) Livelihood enhancement projects and measures for reducing inequalities faced by Socially & economically backward groups	Kanjirappally, Kottayam District	90.00	20.00	42.50	We Care Centre, Pastoral Centre, P.B. No.22, Kanjirappally, Kottayam District	100 Mentally Challenged children
90	Additional Support for National Safety Council for Completion of Safety Industrial Skill Building Centre	Cl. (ii) and (iii) livelihood enhancement projects and measures for reducing inequalities faced by Socially & economically backward groups	Irumpanam, Ernakulam District of Kerala State	35.00	31.81	31.81	National Safety Council -Kerala Chapter, Ernakulam	600 Trainees per year
91	Support for Maintenance and Management of Koithara Park, Panampilly Nagar, Kochi	Cl. Swachh Bharat Abhiyan of Gol	Koithara Park, Panampilly Nagar, Kochi	6.00	3.00	6.00	Centre for Heritage, Environment and Development (C - HED), Kacherippady, Cochin	People who are visiting the Park
92	Support for Sponsoring 50 Motorized Tricycles for the Welfare of the Disabled Persons in Participation with ALIMCO	Cl. (ii) and (iii) Livelihood enhancement projects and measures for reducing inequalities faced by Socially & economically backward groups	Thrissur District of Kerala State	22.50	1.10	20.00	ALIMCO in association with District Social Justice Department, Thrissur	50 disabled persons in Thrissur District
93	Support for the Promotion of Cultural Events of Paraplegic Persons by Suvarna Theaters, Valayanchirangara	Cl. (ii) and (iii) Livelihood enhancement projects and measures for reducing inequalities faced by Socially & economically backward groups	Ernakulam District, Kerala State	2.70	2.70	2.70	Suvarna Theaters, Valayanchirangara, Ernakulam District	8 disabled persons and their families
94	Support for Repair/Replacement of Charkha and Related Facilities and Rebuilding of Sales Outlet of Centre for Rural Employment & Economic Development (CREED), Aranmula, Pathanamthitta District	(ii) Livelihood enhancement projects and measures for reducing inequalities faced by Socially & economically backward groups	Aranmula, Pathanamthitta District, Kerala State	11.55	5.54	11.32	Centre for Rural Employment & Economic Development (CREED), Aranmula, Pathanamthitta District	75 Khadi Artisans

SI No	Name of project with a brief	Sector in which project is covered (clause No. of Sch VII to Companies Act 2013 as amended)	Project of programme (1) Local area and other (2)Specify the State and District where projects or program was undertaken	Amount of outlay (budget) project or program wise (₹ Lakhs)	Amount spent on the projects or the programmes sub heads (1) Direct expenditure on project or programmes, (2) Overheads (₹ Lakhs)	Cumulative expenditure upto the reporting period (₹ Lakhs)	Amount spent direct or through implementing agency	Number and category of project beneficiaries
95	Support for Art Installation - Proposed by Changampuzha Smaraka Grandhashala, Edappally, Kochi	Cl.(v) protection of national heritage, art and culture	Fort Kochi Beach, Ernakulam District, Kerala State	1.50	1.50	1.50	Changampuzha Smaraka Grandhashala, Edappally, Kochi	5000 General Public
96	Support for Rasaranjanam - A Kathakali Performance by Thripunithura Kathakali Kendram	Cl.(v) protection of national heritage, art and culture	Thripunithura, Ernakulam District	5.90	5.90	5.90	Thripunithura Kathakali Kendram, Thripunithura, Ernakulam District	5000 Participants
97	Support for 27th All Kerala Children's Fest 2019 - A Project of Cochin Shipyard Recreation Club	Cl.(v) protection of national heritage, art and culture	The entire state of Kerala	15.00	15.00	15.00	Cochin Shipyard Recreation Club, Kochi	6000 Children
98	Support for Construction of Art Gallery at MV Devan Foundation, Pallimom, Kollam District	Cl.(v) protection of national heritage, art and culture	Pallimom, Kollam District, Kerala State	30.00	15.00	15.00	M V Devan Foundation & Devan Kalagramam, Pallimom P. O, Kollam District	10000 visitors per year
99	Support for Bodha Paurnami - Anti Drug Movement by Kerala Kaumudhi in Kottayam and Idukki District	Cl. (ii) promoting education	Kottayam and Idukki Districts of Kerala State	2.00	2.00	2.00	Kerala Kaumudhi, Kottayam Unit	5000 School Students
100	Support for Sradha Special School, Ernakulam	Cl. (ii) promoting education including special Education	Ernakulam District, Kerala State	15.25	9.31	9.31	Ernakulam Women's Association	60 Special Children
101	Support for Skill Development Training for Tribal Students at Wayanad Girijana Seva Trust, Mattilayam, Vellamunda, Wayanad District	Cl. (ii) and (iii) Livelihood enhancement projects and measures for reducing inequalities faced by Socially & economically backward groups	Wayanad District, Kerala State	25.00	12.50	12.50	Wayanad Girijana Seva Trust, Mattilayam, Vellamunda, Wayanad District	60 ST Students
102	Support for Transportation of Elderly People by Air, Conducted by Rotary Club of Cochin - Vypin Island	Cl. (ii) and (iii) Livelihood enhancement projects and measures for reducing inequalities faced by Socially & economically backward groups	Vypin, Ernakulam District, Kerala State	0.25	0.25	0.25	Rotary Club of Vypin Island	30 Old age people
103	Support for Entrepreneurship Development Programme for Women by Kerala State Productivity Council, Cochin	Cl. (ii) promoting education, employment enhancing vocational skills especially among women and livelihood enhancement project Cl. (iii) empowering women and measures for reducing inequalities faced by socially and economically backward groups	Ernakulam District, Kerala State	2.50	1.91	1.91	Kerala State Productivity Council, Cochin	50 Aspiring Women Entrepreneurs

SI No	Name of project with a brief	Sector in which project is covered (clause No. of Sch VII to Companies Act 2013 as amended)	Project of programme (1) Local area and other (2)Specify the State and District where projects or program was undertaken	Amount of outlay (budget) project or program wise (₹ Lakhs)	Amount spent on the projects or the programmes sub heads (1) Direct expenditure on project or programmes, (2) Overheads (₹ Lakhs)	Cumulative expenditure upto the reporting period (₹ Lakhs)	Amount spent direct or through implementing agency	Number and category of project beneficiaries
104	Support for Construction of Vocational Training Centre for Differently Abled at Swaraya Special Child Development and Vocational Training Centre for Differently Abled, Kuttur, Thrissur District	Cl. (ii) Promoting education, including special education (iii) Livelihood enhancement projects and measures for reducing inequalities faced by Socially & economically backward groups	Thrissur District of Kerala State	58.00	26.71	26.71	Swaraya Special Child Development and Vocational Training Centre for Differently Abled, Kuttur, Thrissur District	150 Inmates
105	Support for Implementation of Miyawaki Method Afforestation in a Vacant Plot Near CSL Residential Quarters by Natures Green Guardian Foundation, Thiruvananthapuram	Cl. (iv) Ensuring environmental sustainability, ecological balance, protection of flora and fauna, animal welfare, agro forestry, conservation of natural resources and maintaining quality of soil, air and water	Panampilly Nagar, Ernakulam District	15.00	3.75	3.75	Natures Green Guardian Foundation, Thiruvananthapuram	General Public
106	Support for 1 Less Plastic Bag - In Association with Times of India under Swachh Bharat Abhiyan	Cl. Swachh Bharat Abhiyan of Gol	Ernakulam District, Kerala State	15.00	15.00	15.00	Times of India, Cochin Unit	20000 jute bags distributed to general public
107	Uniquely Me - Support for Differently Abled on Occasion of November 14th by CEFE, Ernakulam	Cl. (ii) promoting education including special Education	Ernakulam District, Kerala State	0.50	0.50	0.50	Center For Empowerment and Enrichment (CEFE), Kochi	300 Special Children
108	Support for Providing Fishing Nets and Long Liner Hooks for the Identified Beneficiaries at Rameshwaram, Tamil Nadu	(iii) Livelihood enhancement projects and measures for reducing inequalities faced by Socially & economically backward groups	Rameshwaram, Tamil Nadu	60.00	48.00	48.00	Deputy Director of Fisheries, (Regional) Ramanathapuram, Tamil Nadu	32 Fishermen
109	Support for Installing 5 Units of Garden Waste Composter	Cl. Swachh Bharat Abhiyan of Gol	Ernakulam District, Kerala State	0.93	0.93	0.93	Sub Collector, Fort Kochi	General Public
110	Support for Drinking Water Scheme at En Uru Tribal Village at Pookkodu, Wayanad District	Cl. Swachh Bharat Abhiyan of Gol	Wayanad District, Kerala State	10.00	5.00	5.00	Sub Collector, Mananthawady	15 household ST families and general public

SI No	Name of project with a brief	Sector in which project is covered (clause No. of Sch VII to Companies Act 2013 as amended)	Project of programme (1) Local area and other (2)Specify the State and District where projects or program was undertaken	Amount of outlay (budget) project or program wise (₹ Lakhs)	Amount spent on the projects or the programmes sub heads (1) Direct expenditure on project or programmes, (2) Overheads (₹ Lakhs)	Cumulative expenditure upto the reporting period (₹ Lakhs)	Amount spent direct or through implementing agency	Number and category of project beneficiaries
111	Support for Plastic waste management system - to be located at land provided by Indian Navy at their premises. Waste generated by both the Navy and collected from local area to be used. To be implemented by District Administration, Indian Navy	Cl. Swachh Bharat Abhiyan of Gol	Ernakulam District, Kerala State	40.00	8.00	8.00	District Administration, Ernakulam	Indian Navy and General Public
112	Support for Construction of a New Library cum Skill Development Centre to Kerala Puliyar Maha Sabha, V. H. Colony, Aluva, Ernakulam District	Cl. (iii) Livelihood enhancement projects and measures for reducing inequalities faced by Socially & economically backward groups	Aluva, Ernakulam District, Kerala State	23.70	11.85	11.85	Kerala Puliyar Maha Sabha, V. H. Colony, Aluva, Ernakulam District	600 SC household family
113	Support for Renovation and Construction of Training and Research Facility at Kerala State Productivity Council, Kalamassery, Ernakulam District	Cl. (ii) and (iii) Livelihood enhancement projects and measures for reducing inequalities faced by Socially & economically backward groups	Kalamassery, Ernakulam District, Kerala State	15.00	7.50	7.50	Kerala State Productivity Council, Kalamassery, Ernakulam District	100 students per year
114	Support for Different Art Centre at Academy of Magical Sciences, Thiruvananthapuram	Cl. (ii) and (iii) Livelihood enhancement projects and measures for reducing inequalities faced by Socially & economically backward groups	Thiruvananthapuram, Kerala State	20.00	20.00	20.00	Academy of Magical Sciences, Thiruvananthapuram	300 differently abled children per year
115	Support for Conducting One Year Football Coaching Camp by Mohamadans Sporting Club, Vaduthala, Alappuzha District	Cl. (vii) Training to promote rural sports, nationally recognized sports, Paralympics sports and Olympic sports	Vaduthala, Alappuzha District, Kerala State	2.00	1.00	1.00	Mohamadans Sporting Club, Vaduthala, Alappuzha District	50 School Students
116	Support to PM Care	PM Care	Pan India	250.00	250.00	250.00	PM Care	
	SUB TOTAL (B)			866.28	559.21	649.98		
C	INDIRECT EXPENSES							
1	Overhead/Administrative Expenses			58.91	51.39	51.91		
	SUB TOTAL (C)			58.91	51.39	51.91		
	GRAND TOTAL (A+B+C)			2443.00	1529.08	1964.44		

Annexure-5

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF COCHIN SHIPYARD LIMITED, FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2020

The preparation of financial statements of Cochin Shipyard Limited for the year ended 31 March 2020 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the Company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 20 June 2020.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Cochin Shipyard Limited for the year ended 31 March 2020 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditor and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

(R AMBALAVANAN)

Director General of Commercial Audit, Chennai

Place: Chennai
Date: 07.08.2020

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) READ WITH SECTION 129(4) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF COCHIN SHIPYARD LIMITED, FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2020

The preparation of consolidated financial statements of Cochin Shipyard Limited for the year ended 31 March 2020 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the Company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) read with section 129(4) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 read with section 129(4) of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 20 June 2020.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 143(6)(a) read with section 129(4) of the Act of the consolidated financial statements of Cochin Shipyard Limited for the year ended 31 March 2020. We conducted a supplementary audit of the financial statements of Cochin Shipyard Limited and Hooghly Cochin Shipyard Limited for the year ended on that date. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditor and is limited primarily to inquiries of the statutory auditor and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

(R AMBALAVANAN)

Director General of Commercial Audit, Chennai

Place: Chennai
Date: 07.08.2020

Annexure-6

Form No. MR-3 SECRETARIAL AUDIT REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED MARCH 31, 2020

[Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To,
The Members,
Cochin Shipyard Limited,
Administrative Building,
Cochin Shipyard Premises,
Perumanoor, Cochin,
Ernakulam, Kerala - 682015

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Cochin Shipyard Limited** (hereinafter called "the Company"). Secretarial audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts / statutory compliance and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Company has, during the audit period covering the financial year ended on March 31, 2020, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board processes and compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and the records maintained by the Company for the financial year ended on March 31, 2020 according to the provisions of:

- (i) The Companies Act, 2013 ('the Act') and the rules made thereunder;
- (ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;
- (iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;
- (iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made there under to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings (during the period under review not applicable to the Company);
- (v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-
 - (a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
 - (b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
 - (c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (during the period under review not applicable to the Company);
 - (d) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 (during the period under review not applicable to the Company);
 - (e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008 (during the period under review not applicable to the Company);
 - (f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client (during the period under review not applicable to the Company);
 - (g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 (during the period under review not applicable to the Company); and
 - (h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018 (during the period under review not applicable to the Company);
- (vi) Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010;
- (vii) Guidelines on Corporate Social Responsibility and Sustainability for Central Public Sector Enterprises;

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India;
- Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;

During the period under review the Company has complied with the provisions of Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above **subject to the following observations;**

- There was no Woman Director on the Board of Directors of Company for the period April 01, 2019 to July 28, 2019 as required under Regulation 17(1) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;
- There were no requisite number of Independent Directors on the Board of Directors of the Company for the period April 01, 2019 to July 28, 2019 as required under Regulation 17(1) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;
- A fine has been levied by both BSE Limited ("BSE") & National Stock Exchange of India Limited (NSE) for Non-Compliance of Corporate Governance conditions of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 i.e. Non-Appointment of Woman Director & Non-Appointment of Independent Directors for as follows:

Sr. No.	Fines levied by Stock Exchanges	Amount	Period for which fine levied
1	BSE Limited ("BSE") & National Stock Exchange of India Limited ("NSE")	*NSE: INR 64,900/- (₹ Sixty Four Thousand Nine Hundred Only)# BSE: INR 64,900/- (₹ Sixty Four Thousand Nine Hundred Only)#	Quarter ended on June 30, 2019
2	BSE Limited ("BSE") & National Stock Exchange of India Limited ("NSE")	*NSE: INR 1,65,200/- (₹ One Lakh Sixty Five Thousand Two Hundred Only)# BSE: INR 1,65,200/- (₹ One Lakh Sixty Five Thousand Two Hundred Only)#	Quarter ended on September 30, 2019

* After the representations made by the Company the fine levied by NSE were waived.

#The fine amounts mentioned above are inclusive of Goods and Service Tax @18%

- The Board of Directors of the Company have granted leave of absence to Mr. KalluvilaVeedu Ravindran Jyothilal (DIN: 01650017) Non-Executive Nominee Director for all the meetings of the Board of Directors during the financial year under review leading to vacation of office under Section 167(1)(b) of the Act, resulting in cessation of his Directorship in the Company;

We further report that:

The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of the Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Adequate notice is given to all Directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through while the dissenting members' views, if any, are captured and recorded as part of the Minutes.

We further report that there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period the Company had the following specific events / actions having a major bearing on the Company's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc.

- The members of the Company at the Annual General Meeting held on August 13, 2019, approved dividend of ₹ 13.00/- per share for Financial Year 2018-19.
- The Board of Directors at their Board Meeting held on November 12, 2019, declared an interim dividend of ₹ 1.63/- per share.

For **Mehta & Mehta,**
Company Secretaries
(ICSI Unique Code P1996MH007500)

Atul Mehta
Partner

PCS No: 5782
CP No: 2486
UDIN: F005782B00037470

Place: Mumbai
Date: June 24, 2020

Note: This report is to be read with our letter of even date which is annexed as 'ANNEXURE A' and forms an integral part of this report.

Annexure A

To,
The Members,
Cochin Shipyard Limited,
Administrative Building,
Cochin Shipyard Premises,
Perumanoor, Cochin,
Ernakulam, Kerala - 682015

Our report of even date is to be read along with this letter.

- 1) Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
 - 2) We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices we followed provide a reasonable basis for our opinion.
 - 3) We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Company.
 - 4) Wherever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
 - 5) The compliance of the provisions of corporate laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
- 6) As regard the books, papers, forms, reports and returns filed by the Company under the provisions referred to in point vi & vii of our Secretarial Audit Report in Form No. MR-3 the adherence and compliance to the requirements of the said regulations is the responsibility of management. Our examination was limited to checking the execution and timeliness of the filing of various forms, reports, returns and documents that need to be filed by the Company with various authorities under the said regulations. We have not verified the correctness and coverage of the contents of such forms, reports, returns and documents.
 - 7) The secretarial audit report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

**For Mehta & Mehta,
Company Secretaries**
(ICSI Unique Code P1996MH007500)

Atul Mehta
Partner

PCS No: 5782
CP No: 2486
UDIN: F005782B00037470

Place: Mumbai
Date: June 24, 2020

Annexure-7

FORM NO. MGT 9 EXTRACT OF ANNUAL RETURN

As on financial year ended on 31.03.2019
Pursuant to Section 92 (3) of the Companies Act, 2013 and Rule 12(1) of the Companies
(Management & Administration) Rules, 2014

I. Registration & Other Details:

1.	CIN	L63032KL1972GOI002414
2.	Registration Date	March 29, 1972
3.	Name of the Company	Cochin Shipyard Limited
4.	Category/Sub-category of the Company	Public Company/ Limited by Shares
5.	Address of the Registered office & contact details	Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor Cochin, Ernakulam, Kerala, India - 682 015, Ph: +91 484-2501307 Fax: + 91 484-2384001 e-mail: secretary@cochinshipyard.com website: www.cochinshipyard.com
6.	Whether listed company	Yes
7.	Name, Address & contact details of the Registrar & Transfer Agent, if any.	Link Intime India Private Limited Surya, 35, Mayflower Avenue, Behind Senthil Nagar, Sowripalayam Road, Coimbatore, Tamil Nadu, 641028 Phone: +91 422-2314792, 2315792 Fax: +91 422-2314792 E-mail: coimbatore@linkintime.co.in website: www.linkintime.co.in

II. Principal Business Activities of the Company (All the business activities contributing 10 % or more of the total turnover of the company shall be stated)

Sl. No.	Name and description of main products / services	NIC Code of the product/service	% to total turnover of the Company
1	Building of ships & floating structures	3011	83.34
2	Specialised repair and maintenance of ships and floating structures	3315	16.66

III. Particulars of Holding, Subsidiary and Associate Companies

Sl. No.	Name and address of the Company	CIN/GLN	Holding/ Subsidiary/ Associate	% of shares held	Applicable section
1	HOOGHLY COCHIN SHIPYARD LIMITED The Legacy, 25 A Shakespeare Sarani, Level 1 Kolkata -700017	U35900WB2017GOI223197	Subsidiary	100	2(87)

IV. Share Holding Pattern (Equity Share Capital Breakup as Percentage of Total Equity)

(i) Category-wise Share Holding

Sr No	Category of Shareholders	Shareholding at the beginning of the year - 2019			Shareholding at the End of the year - 2020			% Change during the year	
		Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical		Total
(A)	Shareholding of Promoter and Promoter Group								
[1]	Indian								
(a)	Individuals / Hindu Undivided Family	0	0	0	0.0000	0	0	0	0.0000
(b)	Central Government / State Government(s)	98934442	0	98934442	75.2122	95843464	0	95843464	72.8624
(c)	Financial Institutions / Banks	0	0	0	0.0000	0	0	0	0.0000
(d)	Any Other (Specify)								
	Sub Total (A)(1)	98934442	0	98934442	75.2122	95843464	0	95843464	72.8624
[2]	Foreign								
(a)	Individuals (Non-Resident Individuals / Foreign Individuals)	0	0	0	0.0000	0	0	0	0.0000
(b)	Government	0	0	0	0.0000	0	0	0	0.0000
(c)	Institutions	0	0	0	0.0000	0	0	0	0.0000
(d)	Foreign Portfolio Investor	0	0	0	0.0000	0	0	0	0.0000
(e)	Any Other (Specify)								
	Sub Total (A)(2)	0	0	0	0.0000	0	0	0	0.0000
	Total Shareholding of Promoter and Promoter Group(A)=(A)(1)+(A)(2)	98934442	0	98934442	75.2122	95843464	0	95843464	72.8624
(B)	Public Shareholding								
[1]	Institutions								
(a)	Mutual Funds / UTI	11715007	0	11715007	8.9060	12600271	0	12600271	9.5790
(b)	Venture Capital Funds	0	0	0	0.0000	0	0	0	0.0000
(c)	Alternate Investment Funds	44035	0	44035	0.0335	29639	0	29639	0.0225
(d)	Foreign Venture Capital Investors	0	0	0	0.0000	0	0	0	0.0000
(e)	Foreign Portfolio Investor	3936748	0	3936748	2.9928	2726769	0	2726769	2.0730
(f)	Financial Institutions / Banks	1083003	0	1083003	0.8233	2776758	0	2776758	2.1110
(g)	Insurance Companies	0	0	0	0.0000	1780165	0	1780165	1.3533
(h)	Provident Funds/ Pension Funds	0	0	0	0.0000	0	0	0	0.0000
(i)	Any Other (Specify)								
	Sub Total (B)(1)	16778793	0	16778793	12.7556	19913602	0	19913602	15.1388
[2]	Central Government/ State Government(s)/ President of India								
	Sub Total (B)(2)	0	0	0	0.0000	0	0	0	0.0000
[3]	Non-Institutions								
(a)	Individuals								
(i)	Individual shareholders holding nominal share capital upto Rs. 1 lakh.	10390822	7	10390829	7.8993	11123278	6	11123284	8.4562
(ii)	Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs. 1 lakh	973130	0	973130	0.7398	1384126	0	1384126	1.0522

Sr No	Category of Shareholders	Shareholding at the beginning of the year - 2019			Shareholding at the End of the year - 2020			% Change during the year		
		Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical		Total	% of Total Shares
(b)	NBFCs registered with RBI	11871	0	11871	0.0090	9900	0	9900	0.0075	-0.0015
(d)	Overseas Depositories (holding DRs) (balancing figure)	0	0	0	0.0000	0	0	0	0.0000	0.0000
(e)	Any Other (Specify)									
	Trusts	17665	0	17665	0.0134	23665	0	23665	0.0180	0.0046
	Foreign Nationals	30	0	30	0.0000	60	0	60	0.0000	0.0000
	Hindu Undivided Family	577208	0	577208	0.4388	684648	0	684648	0.5205	0.0817
	Non Resident Indians (Non Repat)	203118	0	203118	0.1544	253055	0	253055	0.1924	0.0380
	Non Resident Indians (Repat)	755937	0	755937	0.5747	800807	0	800807	0.6088	0.0341
	Foreign Portfolio Investor (Individual)	1550	0	1550	0.0012	4700	0	4700	0.0036	0.0024
	Clearing Member	142427	0	142427	0.1083	188334	0	188334	0.1432	0.0349
	Bodies Corporate	2753390	0	2753390	2.0932	1310745	0	1310745	0.9965	-1.0967
	Sub Total (B)(3)	15827148	7	15827155	12.0322	15788318	6	15788324	11.9988	-0.0334
	Total Public Shareholding(B)=(B)(1)+(B)(2)+(B)(3)	32605941	7	32605948	24.7878	35696920	6	35696926	27.1376	2.3498
	Total (A)+(B)	131540383	7	131540390	100.0000	131540384	6	131540390	100.0000	0.0000
(C)	Non Promoter - Non Public									
[1]	Custodian/DR Holder	0	0	0	0.0000	0	0	0	0.0000	0.0000
[2]	Employee Benefit Trust (under SEBI (Share based Employee Benefit) Regulations, 2014)	0	0	0	0.0000	0	0	0	0.0000	0.0000
	Total (A)+(B)+(C)	131540383	7	131540390	100.0000	131540384	6	131540390	100.0000	0.0000

(ii) Shareholding of Promoters

Sr No	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year - 2019			Shareholding at the End of the year - 2020			% change in shareholding during the year
		No of Shares Held	% of Total of the Company	% of Shares Pledged / encumbered to total shares	No of Shares Held	% of the Total of the Company	% of Shares Pledged / encumbered to total shares	
1	The President of India	98934442	75.2122	0	95843464	72.8624	0	-2.3498
	Total	98934442	75.2122	0	95843464	72.8624	0	-2.3498

(iii) Change in Promoters Shareholding (please specify, if there is no change)

Sr No	Name & Type of Transaction	Shareholding at the beginning of the year - 2019		Transactions during the year		Cumulative Shareholding at the end of the year - 2020	
		No. of Shares Held	% of Total Shares of the Company	Date of Transaction	No. of Shares	No. of Shares Held	% of Total Shares of the Company
1	The President of India	98960314	75.2319			98960314	75.2319
	Transfer			Apr 05, 2019	(12936)	98947378	75.2221
	Transfer			Feb 07, 2020	(3090978)	95856400	72.8722
	At the End of the Year					95895208	72.9017

(iv) Shareholding Pattern of Top Ten Shareholders: (Other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs)

Sr No	Name & Type of Transaction	Shareholding at the beginning of the year - 2019		Transactions during the year		Cumulative Shareholding at the end of the year - 2020	
		No. of Shares Held	% of Total Shares of the Company	Date of Transaction	No. of Shares	No. of Shares Held	% of Total Shares of the Company
1	The President of India	98947378	75.2221			98947378	75.2221
	Transfer			Feb 07, 2020	(3090978)	95856400	72.8722
	At the End of the Year					287543328	218.5970
2	Reliance Capital Trustee Co Ltd - A/c Nippon India Tax Saver (ELSS) Fund	8323743	6.3279			8323743	6.3279
	Transfer			Apr 26, 2019	(34823)	8288920	6.3014
	Transfer			May 03, 2019	(74797)	8214123	6.2446
	Transfer			May 10, 2019	(12280)	8201843	6.2352
	Transfer			May 24, 2019	(251860)	7949983	6.0438
	Transfer			May 31, 2019	(7120)	7942863	6.0383
	Transfer			Jun 07, 2019	116376	8059239	6.1268
	Transfer			Jun 14, 2019	74000	8133239	6.1831
	Transfer			Jun 21, 2019	80000	8213239	6.2439
	Transfer			Aug 09, 2019	20000	8233239	6.2591
	Transfer			Aug 23, 2019	100000	8333239	6.3351
	Transfer			Sep 13, 2019	111750	8444989	6.4201
	Transfer			Sep 20, 2019	9240	8454229	6.4271
	Transfer			Sep 27, 2019	10000	8464229	6.4347
	Transfer			Oct 18, 2019	10000	8474229	6.4423
	Transfer			Oct 25, 2019	1200000	9674229	7.3546
	Transfer			Nov 15, 2019	71800	9746029	7.4092
	Transfer			Nov 29, 2019	(177759)	9568270	7.2740
	Transfer			Dec 06, 2019	(261572)	9306698	7.0752
	Transfer			Dec 13, 2019	(71333)	9235365	7.0209
	Transfer			Dec 20, 2019	(140579)	9094786	6.9141
	Transfer			Dec 27, 2019	(27966)	9066820	6.8928
	Transfer			Jan 17, 2020	(50000)	9016820	6.8548
	Transfer			Jan 24, 2020	86307	9103127	6.9204
	Transfer			Jan 31, 2020	1366812	10469939	7.9595
	Transfer			Feb 07, 2020	2569162	13039101	9.9126
	Transfer			Feb 14, 2020	(739378)	12299723	9.3505
	Transfer			Feb 21, 2020	(375478)	11924245	9.0651
	Transfer			Feb 28, 2020	(153968)	11770277	8.9480
	Transfer			Mar 06, 2020	(12765)	11757512	8.9383
	Transfer			Mar 13, 2020	(669028)	11088484	8.4297
	Transfer			Mar 20, 2020	(417977)	10670507	8.1120

Sr No	Name & Type of Transaction	Shareholding at the beginning of the year - 2019		Transactions during the year		Cumulative Shareholding at the end of the year - 2020	
		No. of Shares Held	% of Total Shares of the Company	Date of Transaction	No. of Shares	No. of Shares Held	% of Total Shares of the Company
	Transfer			Mar 27, 2020	51879	10722386	8.1514
	Transfer			Mar 31, 2020	72966	10795352	8.2069
	At the End of the Year					10795352	8.2069
3	Life Insurance Corporation of India	207670	0.1579			207670	0.1579
	Transfer			Dec 06, 2019	110000	317670	0.2415
	Transfer			Dec 13, 2019	146364	464034	0.3528
	Transfer			Dec 20, 2019	128891	592925	0.4508
	Transfer			Dec 27, 2019	97841	690766	0.5251
	Transfer			Dec 31, 2019	12095	702861	0.5343
	Transfer			Jan 03, 2020	31521	734382	0.5583
	Transfer			Jan 10, 2020	31988	766370	0.5826
	Transfer			Jan 17, 2020	48096	814466	0.6192
	Transfer			Feb 07, 2020	96759	911225	0.6927
	Transfer			Feb 14, 2020	184642	1095867	0.8331
	Transfer			Feb 21, 2020	170656	1266523	0.9628
	Transfer			Feb 28, 2020	275844	1542367	1.1725
	Transfer			Mar 06, 2020	357099	1899466	1.4440
	Transfer			Mar 13, 2020	242031	2141497	1.6280
	Transfer			Mar 20, 2020	199469	2340966	1.7797
	At the End of the Year					2340966	1.7797
4	ICICI Lombard General Insurance Company Ltd.	1300000	0.9883			1300000	0.9883
	Transfer			Sep 20, 2019	100000	1400000	1.0643
	Transfer			Jan 24, 2020	300000	1700000	1.2924
	At the End of the Year					1700000	1.2924
5	ICICI Prudential Balanced Advantage Fund	86871	0.0660			86871	0.0660
	Transfer			May 17, 2019	32	86903	0.0661
	Transfer			May 24, 2019	16	86919	0.0661
	Transfer			Jul 05, 2019	16	86935	0.0661
	Transfer			Jul 26, 2019	16	86951	0.0661
	Transfer			Aug 09, 2019	37799	124750	0.0948
	Transfer			Aug 16, 2019	28670	153420	0.1166
	Transfer			Aug 23, 2019	69596	223016	0.1695
	Transfer			Aug 30, 2019	72011	295027	0.2243
	Transfer			Sep 06, 2019	9756	304783	0.2317
	Transfer			Sep 20, 2019	150000	454783	0.3457
	Transfer			Sep 27, 2019	32	454815	0.3458
	Transfer			Sep 30, 2019	16	454831	0.3458

Sr No	Name & Type of Transaction	Shareholding at the beginning of the year - 2019		Transactions during the year		Cumulative Shareholding at the end of the year - 2020	
		No. of Shares Held	% of Total Shares of the Company	Date of Transaction	No. of Shares	No. of Shares Held	% of Total Shares of the Company
	Transfer			Oct 04, 2019	16	454847	0.3458
	Transfer			Oct 11, 2019	16	454863	0.3458
	Transfer			Oct 18, 2019	2	454865	0.3458
	Transfer			Oct 25, 2019	(83461)	371404	0.2823
	Transfer			Nov 22, 2019	16	371420	0.2824
	Transfer			Dec 27, 2019	25	371445	0.2824
	Transfer			Jan 10, 2020	16	371461	0.2824
	Transfer			Jan 24, 2020	(371154)	307	0.0002
	Transfer			Jan 31, 2020	16	323	0.0002
	Transfer			Feb 07, 2020	16	339	0.0003
	Transfer			Feb 14, 2020	230008	230347	0.1751
	Transfer			Feb 28, 2020	722	231069	0.1757
	Transfer			Mar 06, 2020	335082	566151	0.4304
	Transfer			Mar 13, 2020	420849	987000	0.7503
	Transfer			Mar 20, 2020	10767	997767	0.7585
	Transfer			Mar 27, 2020	(11178)	986589	0.7500
	Transfer			Mar 31, 2020	(29890)	956699	0.7273
	At the End of the Year					956699	0.7273
6	Valuequest India Moat Fund Limited	0	0.0000			0	0.0000
	Transfer			Feb 28, 2020	648414	648414	0.4929
	Transfer			Mar 27, 2020	145000	793414	0.6032
	At the End of the Year					793414	0.6032
7	Aditya Birla Sun Life Trustee Private Limited A/c Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund	911255	0.6928			911255	0.6928
	Transfer			Apr 05, 2019	(12755)	898500	0.6831
	Transfer			Jan 24, 2020	(6006)	892494	0.6785
	Transfer			Jan 31, 2020	(22382)	870112	0.6615
	Transfer			Feb 07, 2020	(62785)	807327	0.6137
	Transfer			Feb 14, 2020	(32327)	775000	0.5892
	Transfer			Feb 28, 2020	(100000)	675000	0.5132
	Transfer			Mar 27, 2020	(117250)	557750	0.4240
	Transfer			Mar 31, 2020	(22334)	535416	0.4070
	At the End of the Year					535416	0.4070
8	National Insurance Company Ltd.	317682	0.2415			317682	0.2415
	At the End of the Year					317682	0.2415

Sr No	Name & Type of Transaction	Shareholding at the beginning of the year - 2019		Transactions during the year		Cumulative Shareholding at the end of the year - 2020	
		No. of Shares Held	% of Total Shares of the Company	Date of Transaction	No. of Shares	No. of Shares Held	% of Total Shares of the Company
9	HDFC Trustee Company Ltd. A/c HDFC Balanced Advantage Fund	1900556	1.4448			1900556	1.4448
	Transfer			Jan 24, 2020	(642800)	1257756	0.9562
	Transfer			Feb 28, 2020	(624000)	633756	0.4818
	Transfer			Mar 06, 2020	(373756)	260000	0.1977
	At the End of the Year					260000	0.1977
10	Missouri Local Government Employees Retirement System	0	0.0000			0	0.0000
	Transfer			Apr 05, 2019	2438	2438	0.0019
	Transfer			Apr 12, 2019	5705	8143	0.0062
	Transfer			Dec 27, 2019	4938	13081	0.0099
	Transfer			Jan 03, 2020	15958	29039	0.0221
	Transfer			Jan 10, 2020	14391	43430	0.0330
	Transfer			Jan 17, 2020	20330	63760	0.0485
	Transfer			Jan 24, 2020	4146	67906	0.0516
	Transfer			Jan 31, 2020	54842	122748	0.0933
	Transfer			Feb 14, 2020	20186	142934	0.1087
	Transfer			Mar 06, 2020	23560	166494	0.1266
	At the End of the Year					166494	0.1266
	11	Pinebridge Global Funds - Pinebridge India Equity Fund	2531818	1.9247			2531818
Transfer				Apr 12, 2019	(6449)	2525369	1.9198
Transfer				Apr 19, 2019	(8806)	2516563	1.9131
Transfer				Apr 26, 2019	(2931)	2513632	1.9109
Transfer				Jun 14, 2019	(40454)	2473178	1.8802
Transfer				Jun 21, 2019	(24003)	2449175	1.8619
Transfer				Sep 20, 2019	(149998)	2299177	1.7479
Transfer				Oct 11, 2019	(1000000)	1299177	0.9877
Transfer				Oct 18, 2019	(56000)	1243177	0.9451
Transfer				Oct 25, 2019	(1243177)	0	0.0000
At the End of the Year						0	0.0000
State Bank of India		428814	0.3260			428814	0.3260
Transfer				May 10, 2019	(4290)	424524	0.3227
Transfer			May 17, 2019	(15000)	409524	0.3113	
Transfer			May 24, 2019	(30777)	378747	0.2879	
Transfer			May 31, 2019	(83000)	295747	0.2248	
Transfer			Jun 07, 2019	(79000)	216747	0.1648	
Transfer			Jun 14, 2019	(42830)	173917	0.1322	
Transfer			Jun 21, 2019	(81886)	92031	0.0700	

Sr No	Name & Type of Transaction	Shareholding at the beginning of the year - 2019		Transactions during the year		Cumulative Shareholding at the end of the year - 2020	
		No. of Shares Held	% of Total Shares of the Company	Date of Transaction	No. of Shares	No. of Shares Held	% of Total Shares of the Company
	Transfer			Jun 29, 2019	(26677)	65354	0.0497
	Transfer			Jul 05, 2019	(53353)	12001	0.0091
	Transfer			Jul 12, 2019	(12001)	0	0.0000
	At the End of the Year					0	0.0000
13	Union Small Cap Fund	311530	0.2368			311530	0.2368
	Transfer			Apr 05, 2019	(69429)	242101	0.1841
	Transfer			May 31, 2019	(16963)	225138	0.1712
	Transfer			Sep 20, 2019	(45251)	179887	0.1368
	Transfer			Sep 27, 2019	(94454)	85433	0.0649
	Transfer			Oct 11, 2019	(867)	84566	0.0643
	Transfer			Nov 22, 2019	1086	85652	0.0651
	Transfer			Jan 03, 2020	(774)	84878	0.0645
	Transfer			Jan 10, 2020	3147	88025	0.0669
	Transfer			Jan 17, 2020	(948)	87077	0.0662
	Transfer			Jan 24, 2020	(87077)	0	0.0000
	At the End of the Year					0	0.0000
14	Government Singapore - E	233194	0.1773			233194	0.1773
	Transfer			Aug 23, 2019	(82997)	150197	0.1142
	Transfer			Sep 20, 2019	(21892)	128305	0.0975
	Transfer			Sep 27, 2019	(24238)	104067	0.0791
	Transfer			Sep 30, 2019	(1495)	102572	0.0780
	At the End of the Year			Oct 25, 2019	(102572)	0	0.0000

(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel

Sr No.	Name	Shareholding at the beginning of the year - 2019		Transactions during the year		Cumulative Shareholding at the end of the year - 2020	
		No. of shares held	% of total shares of the Company	Date of transaction	No. of shares	No. of shares held	% of total shares of the Company
1	Madhu S Nair	600	0.0005	-	-	600	0.0005
2	Bejoy Bhasker	510	0.0004	-	-	510	0.0004
3	Radhakrishna Menon	30	0.0000	-	-	NA*	NA*
4	Krishna Das E	125	0.0001	-	-	NA*	NA*

*Demitted office on March 20, 2020 due to completion of tenure.

V. Indebtedness - Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment. (₹ In Crore)

	Secured loans excluding deposits	Unsecured loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year				
i) Principal Amount	123.00	-	-	123.00
ii) Interest due but not paid	-	-	-	-
iii) Interest accrued but not due	2.82	-	-	2.82
Total (i+ii+iii)	125.82	-	-	125.82
Change in Indebtedness during the financial year				
Addition	-	-	-	-
Reduction	-	-	-	-
Net Change	-	-	-	-
Indebtedness at the end of the financial year				
i) Principal Amount	123.00	-	-	123.00
ii) Interest due but not paid	-	-	-	-
iii) Interest accrued but not due	2.82	-	-	2.82
Total (i+ii+iii)	125.82	-	-	125.82

VI. Remuneration of Directors and Key Managerial Personnel

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager (In ₹)

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Name of MD/WTD/ Manager				Total Amount
		Shri Madhu S Nair, Chairman & Managing Director (DIN: 07376798)	Shri D Paul Ranjan Director (Finance) & CFO (DIN: 06869452)	Shri Suresh Babu N V Director (Operations) (DIN: 07482491)	Shri Bejoy Bhasker Director (Technical) (DIN: 08103825)	
1.	Gross Salary	7813014.90	5756476.78	6608986.34	5346972.35	29674335.83
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	7664562.90	5748726.78	6492537.34	5251151.35	29176128.83
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income-tax Act, 1961	148452.00	7750.00	116449.00	95821.00	498207.00
	(c) Profits in lieu of salary u/s 17(3) of the Income-tax Act, 1961	-	-	-	-	-
2.	Stock Option	-	-	-	-	-
3.	Sweat Equity	-	-	-	-	-
4.	Commission	-	-	-	-	-
5.	Others, please specify	-	-	-	-	-
	Total (A)	7813014.90	5756476.78	6608986.34	5346972.35	29674335.83

In accordance with Ministry of Corporate Affairs notification no. GSR 463(E) dated 5th June, 2015, Government Companies are exempt from Section 197 of the Companies Act, 2013 and its rules thereon.

(₹ In Crore)

B. Remuneration to other Directors

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Name of Directors							Total Amount
1.	Independent Directors	Smt. Roopa Shekhar Rai (DIN: 07565156)	Shri Radhakrishna Menon (DIN: 07518727)	Shri Krishna Das E (DIN: 02731340)	Shri Jiji Thomson (DIN: 01178227)	Shri Praadipta Banerji (DIN: 00630615)	Shri Nanda Kumaran Puthethath (DIN: 02547619)	1035000	
	Fee for attending Board/Committee meetings	150000	135000	150000	195000	180000	225000		
	Commission	-	-	-	-	-	-		
	Others, please specify	-	-	-	-	-	-		
	Total (1)	150000	135000	150000	195000	180000	225000	1035000	
2.	Other Non-Executive Directors	Shri Satinder Pal Singh IPS, Nominee Director, Govt. of India (DIN: 07490296)	Shri Jyothilal K R, IAS, Nominee Director, Govt. of Kerala (DIN: 01650017)	Shri Sanjay Bandopadhyaya IAS, Nominee Director, Govt. of India (DIN: 00088957)					
	Fee for attending Board/Committee meetings	-	-	-	-	-	-		
	Commission	-	-	-	-	-	-		
	Others, please specify	-	-	-	-	-	-		
	Total (2)	-	-	-	-	-	-		
	Total (B)=(1+2)	150000	135000	150000	195000	180000	225000	1035000	
	Total Managerial Remuneration (A+B)							30709336	
	Overall Ceiling as per the Act	In accordance with Ministry of Corporate Affairs notification no. GSR 463(E) dated 5th June 2015, Government Companies are exempt from Section 197 of the Companies Act, 2013 and its rules thereof.							

C. Remuneration to Key Managerial Personnel other than MD/Manager/WTD

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			Total
		Smt. Kala V* Company Secretary	Shri Syamkamal N # Company Secretary		
	Gross salary	4706845.16	1392854.10		6099699.26
1.	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	4556653.16	1344228.10		5900881.26
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income-tax Act, 1961	150192.00	48626.00		198818.00
	(c) Profits in lieu of salary u/s 17(3) of the Income-tax Act, 1961	-	-		-
2.	Stock Option	-	-		-
3.	Sweat Equity	-	-		-
	Commission	-	-		-
4.	- as % of profit	-	-		-
	others, specify	-	-		-
5.	Others, please specify	-	-		-
	Total	4706845.16	1392854.10		6099699.26

* Resigned from service on January 31, 2020

Appointed as Company Secretary with effect from February 01, 2020.

VII. Penalties / Punishment/ Compounding of Offences:

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty / Punishment/ Compounding fees imposed	Authority [RD / NCLT/ COURT]	Appeal made, if any (give details)
A. Company					
Penalty	-	-	-	-	-
Punishment	-	-	-	-	-
Compounding	-	-	-	-	-
B. Directors					
Penalty	-	-	-	-	-
Punishment	-	-	-	-	-
Compounding	-	-	-	-	-
C. Other Officers In Default					
Penalty	-	-	-	-	-
Punishment	-	-	-	-	-
Compounding	-	-	-	-	-

For and on behalf of the Board of Directors

Kochi
August 07, 2020**Madhu S Nair**
Chairman & Managing Director
DIN: 07376798

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT

Forward Looking Statements

1. Statements in this Management Discussion and Analysis of financial condition and results of operations of the Company describing the Company's objectives, expectations or predictions may be forward looking within the meaning of applicable securities laws and regulations. Forward looking statements are based on certain assumptions and expectations of future events. The Company cannot guarantee that these assumptions and expectations are accurate or will be realised. The Company assumes no responsibility to publicly amend, modify or revise forward looking statements on the basis of any subsequent developments, information or events. Actual results may differ materially from those expressed in the statement. Important factors that could influence the Company's operations include government's strategy relating to acquisition of naval platforms, changes in government regulations, tax laws, economic developments within the country and such other factors globally. The financial statements are prepared under historical cost convention, on accrual basis of accounting and in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 and comply with the Accounting Standards specified under section 133 of the Act. The Company has used estimates and judgements relating to the financial statements on a prudent and reasonable basis, in order that the financial statements reflect in a true and fair manner, the state of affairs for the year.
2. The following discussions on our financial condition and result of operations should be read together with our audited consolidated financial statements and the notes to these statements included in the annual report

Shipbuilding Industry

Global Shipbuilding Industry

3. The global shipbuilding prospects got some fillip due to large ageing fleet replacements and new regulatory restrictions implemented by the International Maritime Organization (IMO). The global fuel, sulphur cap, which came into force in January 2020, is part of the IMO's response to heightening environmental concerns, contributed in part by harmful emissions from ships. Further, commitments to reduce the total emissions to 50% by 2050 is a forward looking initiative with

farfetched impact providing plenty of opportunity for the industry to adopt new technology and thus driving next generation fleet replacements. That is likely to have modest positive effect for the shipyards and the suppliers in medium and long term basis.

4. The uncertainties in the political sphere and trade wars looming large, the world real GDP had a stagnant growth on year on year basis. This had direct impact on the seaborne trade and thus limiting the appetite for the new shipbuilding orders on the international stage.

Indian Shipbuilding Industry

5. The Indian shipbuilding industry still continues to be driven by the defence requirements and domestic demand primarily in coastal and inland vessels. As per published report, the Indian Navy's perspective plan aims to increase the Navy's fleet from the present 137 to 200 Nos. by 2027. This is expected to provide a spurt in the indigenous shipbuilding. Besides, the Indian Navy's indigenisation plan is also expected to give a fillip to the growth of ancillaries and generally improve the shipbuilding environment in the country. The vision of GOI as per the draft Defence Production Policy, circulated recently was "To make India among the top five countries of the world in Aerospace and Defence Industries", with active participation of public and private sector, fulfilling the objective of self-reliance as well as demand of other friendly countries. In this segment, the Company has signed the contract for 8 Nos. ASW - SWC vessels (Anti-Submarine Shallow Water Craft).
6. Coastal shipping in India is waiting for a stimulus for its growth that is expected out of Sagarmala programme declared by Government of India in 2015. As part of the programme, a National Perspective Plan (NPP) for the comprehensive development of India's 7,500 km coastline, 14,500 km of potentially navigable waterways and maritime sector was published by Ministry of shipping in 2016. Port led industrialisation, port modernisation, port development and connectivity enhancement is expected to create a wider impact in the coastal shipping & inland waterway segment in India. In the inland waterway segment, through the World Bank funded 'Jal Marg Vikas' Project, Government is aiming at increasing the inland waterway cargo movement from the current 8 million tonnes to 27 million tonnes

in the next two years. \$88 million worth sanctions accorded to Assam Government is an additional boost to help modernize Assam's passenger ferry sector that runs on its rivers including the mighty Brahmaputra. With these schemes, the Indian commercial segment projects a positive growth in shipbuilding segments too in a period of 3-5 years from now.

7. Cochin Shipyard has signed a contract on July 11, 2018 with IWAI for construction of 10 ROPAX/RORO vessels for use in inland waterways segment, 8 of them are delivered at Kolkata which will commence operations shortly.
8. The fishing vessels built by CSL under 'Blue Revolution Scheme' also has been a successful venture, and has generated demand for Engineered Fishing vessels in the Fishing Industry. The scheme introduced by Government of India aims for replacement of trawl fishing boats with deep sea fishing vessels in a phased manner with funding assistance from the Government of India and State Governments under 'Blue Revolution Scheme'. This helps in promoting sustainable fishing practices such as Gill netting and Long lining in the deep sea and also to provide necessary fishing infrastructural facilities to support deep sea fishing, which will be a game changer in Fishing industry too.

Ship Repair Industry

Global Ship Repair Industry

9. As per the published report by future market insights, the global market for ship repair and maintenance service is expected to witness significant growth in 2018, reaching a market value of \$20,532.6 million while growing at a y-o-y growth rate of 6.4% as compared to 2017. The report further states that ship repair and maintenance services market is estimated to reach \$40 billion by 2028 supported by developments in the markets in South East Asia and India. As per the AT Kearney report on ship repair, though India's share in global ship repair is less than 1%, the country's location is favourable with 7-9% of the global trade passing within 300 NM of the coastline.
10. The new environmental regulations, such as Ballast Water Management Convention and the 2020 Sulphur Cap, are expected to impact the ship repair market as well.

Indian Ship Repair Industry

11. As per the AT Kearney report, India has a market potential of ₹2,600 crores from repair of domestic fleet out of which only 15% share is currently captured. The report has further highlighted that India can grow its ship repair industry to ₹9,000 crores in the next 10 years

through infrastructure and process improvement. The report has highlighted low levels of process efficiency, lack of infrastructure to service vessels above 10000 DWT and weak ancillary landscape as road blocks for developing the industry. A key recommendation of the report was to lease out the repair facilities at major ports to specialist to augment revenue opportunity.

Government Policy on Shipbuilding and Ship Repair

12. The most important policy initiative of Government of India in the maritime sector is the Sagarmala Programme which envisions port led industrialization through setting up of Coastal Economic Zones (CEZ) and coastal economic units within the CEZ.
13. In the shipbuilding segment a host of measures have been introduced in the last few years including financial assistance scheme, infrastructure status, permitting of 100% FDI, right of first refusal to Indian yards in case of government procurement etc. These incentives are still continuing.
14. As per the Maritime Agenda 2010-2020 issued by Ministry of Shipping, the following targets are set for ship repair industry:
 - a. To be self-sufficient in ship repair requirements of the country and to emerge as a dominant ship repair centre.
 - b. To achieve a share of 10% in global ship repair industry by 2020.
15. One of the major initiatives under the Sagarmala project was to lease out the ship repair facilities available at the major ports to specialists to generate more revenue and create a positive ship repair industrial climate. Based on this the Ministry had decided that CSL, a Govt. entity under the same Ministry may be offered the first opportunity for ship repair operations at various port facilities. Accordingly, CSL entered into an agreement with Mumbai Port Trust on October 20, 2018 and commenced operations and management of the Indira Dock on January 18, 2019. CSL has also commenced ship repair operations at Netaji Subhas Dock of Kolkata Port Trust which was taken on lease basis. Subsequently, CSL has also taken over ship repair operations at Marine Dockyard facility at Port Blair which is presently being operated by A&N Administration. These initiatives would help better utilization of existing ship repair facilities in the country and is likely to positively impact the Company's revenue.
16. CSL's initiatives in setting up of ship repair facilities at Cochin Port premises through the setting up of International Ship Repair Facility (ISRF) at Cochin Port premises progressed during the year. The construction of the ISRF at Cochin Port Trust premises commenced

on November 17, 2017. Shri Nitin Gadkari, Hon'ble Union Minister for Shipping, Road Transport, Highways, Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, performed the ground breaking ceremony for the ISRF. The establishment of the above facility for undertaking repair of small and medium size vessels along with other maritime facilities will lead to the development of ancillary industries and would facilitate the emergence of Kochi as the maritime hub of India.

17. All the above initiatives would give the Company a pan India presence in the ship repair segment.

Operations

18. Our Company's performance continued to be promising in all segments. The total turnover of the Company is ₹3,422.49 crore as against the previous year of ₹2,965.60 crore. The shipbuilding income during the year is ₹2,852.27 crore as against the previous year income of ₹2,132.02 crore. During the year, CSL delivered 8 fishing vessels and 5 vessels are ready to be delivered. The vessels delivered to the fishermen folks at Rameshwaram, was well appreciated and the Yard

is presently looking at scaling up its fishing segment and develop engineered new-generation fishing vessels affordable to common fishermen in India. The Yard also looks for construction of fishing vessels for international markets in collaboration with industry majors in this segment. CSL also delivered 8 Nos. Ro-Ro vessels to IWAI. Ro-Pax vessels (2 Nos.) are being made ready for delivery. These vessels, which are also developed with in-house design, are likely to give tremendous impetus to this segment which in-turn will be an opportunity for CSL to find more business in the inland water transportation segment, which is already a focus area of the government with many infrastructure investments underway. Construction of 500 Pax cum 150 T Cargo vessels (2 Nos.) for A&N Administration and Technology Demonstration vessel for DRDO, are at the final stages of completion. Final phases in the construction of Indigenous Aircraft Carrier for Indian Navy, is also progressing and will be commencing its trials shortly. The River Sea Mini Bulk Carriers (4 Nos.) being built is progressing on schedule. This segment in the coastal shipping is also gearing up for significant growth, getting more attention from many big shippers and is likely to provide more such for the Company.

Financial Information

19. The financial information of the Company pertaining to the last decade is given below:

(Amount in ₹ crore)

Year	Paid up capital	Nominal value of shares (₹ per share)	Capital employed	Net worth	Profit Before Tax	Tax on Profits	Net Profits	EPS (₹)	Dividend	Payout ratio
19-20	131.54	10	3784.81	3731.80	863.43	225.74	637.69	48.48	218.75	0.34
18-19	131.54	10	3017.66	3332.08	751.38	270.20	481.18	35.72	171.00	0.35
17-18	135.94	10	3212.22	3255.87	604.86	208.11	396.75	31.03	163.12	0.41
16-17	113.28	10	2089.05	2028.58	493.40	171.85	321.55	28.39	101.61	0.32
15-16	113.28	10	1695.35	1814.33	419.65	145.86	273.79	24.07	86.65	0.32
14-15	113.28	10	1621.24	1561.07	367.56	132.49	235.07	20.75	16.99	0.07
13-14	113.28	10	1389.98	1352.53	290.96	96.71	194.24	17.15	16.99	0.08
12-13	113.28	10	970.84	1175.70	275.55	90.28	185.27	16.35	16.99	0.09
11-12	152.42	10	918.68	1050.83	252.97	80.63	172.33	15.21	16.99	0.10
10-11	192.42	10	829.27	967.80	344.23	116.70	227.53	20.09	11.32	0.05

Key Financial Ratios

Sl. No.	Particulars	FY 2019-20	FY 2018-19	Change (in %) as compared to FY 2018-19	Detailed explanation for change of 25% or more
1.	Debtors Turnover	10.06	6.09	65.10	The main reason for reduction in debtors in FY 2019-20 is due to collection of Rs.128 crores from Indian Navy for INS Vikramaditya
2.	Inventory Turnover	11.47	9.91	15.76	NA
3.	Interest Coverage	86.36	53.54	61.29	Improvement is mainly on account of increase in profit and new Ind AS on Leases
4.	Current Ratio	2.05	2.31	-10.97	NA
5.	Debt Equity Ratio	0.03	0.04	-10.71	NA
6.	Operating Profit Margin (%)	18.00	17.67	1.88	NA
7.	Net Profit Margin (%)	18.63	16.24	14.70	NA

Return on Net Worth

Particulars	FY 2019-20	FY 2018-19	Change (in %) as compared to FY 2018-19	Detailed explanation for change
Return on Networkth	17.09	14.44	18.33	Change is on account of increase in surplus

Proposed / Declared Dividend

20 As per Office Memorandum F.No.5/2/2016-Policy dated May 27, 2016 issued by Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM), every CPSE have to pay a minimum annual dividend of 30% of PAT or 5% of the net-worth, whichever is higher. Accordingly, your Directors are pleased to recommend a dividend of ₹15/- per share on the 13,15,40,390 fully paid equity shares of ₹10/- each. Earlier, an interim dividend of ₹1.63/- per equity share has been paid to the shareholders during 2019-20. Thus, the total dividend for the year 2019-20 is ₹16.63/- per equity share (166.30%) amounting to ₹ 218.75 crores.

Segment-wise/ Product-wise Performance

21. The Company is engaged in two major activities viz., shipbuilding and repair of ships/offshore rigs etc. Segment wise analysis has been made on the above basis and amounts allocated on a reasonable basis. The segment wise performance is given below:

(₹ lakhs)

Particulars	As at 31.03.2020	As at 31.03.2019
Segment Assets		
Shipbuilding	292812.55	246394.20
Ship Repair	243285.53	195899.31
Others	104364.17	82062.66
Total	640462.25	524356.17

Particulars	As at 31.03.2020	As at 31.03.2019
Segment Liabilities		
Shipbuilding	67144.21	39406.47
Ship Repair	12715.35	25944.31
Others	187423.19	125797.58
Total	267282.75	191148.36
Segment Revenue		
Shipbuilding	285226.50	213202.07
Ship Repair	57022.89	83358.26
Unallocated	24750.03	22728.42
Total	366999.42	319288.75
Segment Result		
Shipbuilding	66459.10	44494.96
Ship Repair	14741.55	23789.32
Unallocated	5141.93	6853.24
Total	86342.58	75137.52

The Company has two major business segments – “shipbuilding” and “ship repair”. Revenue under shipbuilding includes ₹2,37,746.87 lakhs (previous year: ₹2,06,934.28 lakhs) from one customer (previous year: two customers) having more than 10% revenue of the total revenue, and for ship repair includes ₹49,582.22 lakhs (previous year: ₹61,572 lakhs) from three customers (previous year: one customer) having more than 10% revenue of the total revenue.

SWOT

Strengths:

- (a) Highly trained, motivated and knowledgeable manpower with an average of 15 years of experience at all levels of hierarchy resulting in extremely high quality workmanship;
- (b) A well planned and laid out shipyard enabling smooth work flow;
- (c) A modern 'state of the art' design centre manned by highly trained, experienced and competent naval architects/engineers, draftsman etc.;
- (d) Highly evolved shipbuilding processes and practices permitting modular construction of ships;
- (e) A very good product mix compatibility comprising of defence ships, commercial ships, offshore support ships;
- (f) Availability of quality sub-contractors and good supply chain network; and
- (g) 'State of the art' facilities especially in terms of craneage, transporters, covered mobile shops, covered marine coating facility, high quality welding equipment, international standard hull fabrication facilities, substantial material storage facilities etc.

Weaknesses:

- (a) Virtually non-existent indigenous ancillary industries and consequently non-availability of major equipment/raw materials in India;
- (b) Infrastructure constraints due to non-availability of large sized dock to build and repair ships beyond 1,10,000 DWT and 1,25,000 DWT respectively. (This will be overcome with the proposed new dry-dock);
- (c) Difficulty to arrange long term project finance to ship owners which is offered by other overseas shipbuilding countries; and
- (d) Comparatively higher social and employee overheads and certain restrictive labour practices especially for contracting labour.

Opportunities:

- (a) Projected increase in requirement of ships for the domestic commercial segment, owing to the new GOI policy to encourage "Make in India";
- (b) Projected demand in the defence sector;
- (c) Indian Navy, Coast Guard and other maritime security agencies have embarked on an ambitious expansion programme which will open new opportunities;

- (d) LNG fuelled vessels, both deep sea and coastal;
- (e) Emerging opportunities in the inland waterways and coastal shipping sector in India;
- (f) Fishing vessels for both domestic and overseas market;
- (g) Tap opportunities for FRP boats for coastal security; and
- (h) Huge demand - supply gap for the repair of commercial and defence ships and virtually no competition in India.

Threats:

- (a) Spread of contagious diseases like COVID-19 pandemic;
- (b) Natural disasters;
- (c) Distress pricing policies of competitors;
- (d) Adverse reputational impact on the Indian shipbuilding industry due to under performance by Indian yards;
- (e) Rising cost of labour; and
- (f) Non-flexible government regulations on procurement policies delaying the product delivery timelines and cost.

CRUISE - 2030

22. Key to long term sustenance would be to position CSL as a knowledge Company, capable of imbibing technological advances combined with innovation & commercial aggressiveness. This would call for a process of unlearning, re-learning, revamping & recasting, for resurgence as an organisation of the future. Accordingly, it has been decided to formulate a long term strategy road map with visibility upto 2030. Towards this, the Yard has embarked on CRUISE 2030 (CSL Revenue Unlock through Integrated Strategic Excellence). M/s. Boston Consulting Group, leading global consultants, has been on-board to help benchmark CSL against leading international shipyards, identify areas of productivity/efficiency improvement, ascertain & evaluate various growth opportunities and create a strategic growth plan for CSL for 2030. Based on the strategy and plan, CSL is poised to cruise towards its goal set for 2030. The major focus areas for CSL will be defence segment, coastal segment, and other small vessel segments. The Company is also working towards tapping potential in new technology emerging areas like autonomous vessels, hybrid/battery operated vessels, alternate fuels as also venturing into various marine advance solutions. The infrastructure enhancement through automation and expansions are also on cards as per the new strategy set for CSL.

Risks and Concerns

23. The risks for the Company arise from the inherent nature of the shipbuilding industry. About 20 to 30% of the Company's revenue is from the commercial shipbuilding which is highly cyclical in nature. The commercial shipbuilding industry prospects are dependent on world trade and the cyclicity of oil, natural gas, shipping, transportation and other trade related industries. Offshore Industry continues to be in the trough. The pandemic situation in the last quarter has created concerns world over and the situation are on watch for the probable indications towards the tectonic shifts in the international economy with significant impact in the shipbuilding & repair industries too.
24. Substantial portion of the Company's activities involve the fabrication and refurbishment of large steel structures and its erection which would entail the operation of cranes and other heavy machinery and other operating hazards. The operational risks faced by the Company also could result in fires and explosions etc. Though the losses caused on such eventualities are covered under a standard fire and special perils policy, CSL do not have insurance for business interruption. These risks could expose the Company to substantial liability for personal injury, wrongful death, product liability, property damage, pollution and other environmental damages.
25. Another high risk area for the Company is the availability and price of major raw materials. The major raw materials include steel (the grade and quality of which, in each project, depends on the applicable classification rules) and other materials, equipment and other components such as pumps, propellers and engines. In fiscals 2018, 2019 and 2020 respectively, the Company's material consumption costs constituted 60.10%, 61.61% and 63.99% of its total costs, respectively. In particular, bought out components accounted for nearly 95% of our total raw material cost in these recent fiscals.
26. Shortages in the supply of raw materials may result in an increase in the price of these raw materials. For example, there are supply-side constraints in relation to steel in India which we expect will continue in future. The Indian steel industry has been unable to compete globally due to which the GOI has imposed significant duties on the import of steel from other countries such as China to protect the domestic steel industry. This has adverse impacts when CSL is unable to source steel economically. In addition, the cost of certain raw materials, such as steel, aluminium, copper etc., may fluctuate in line with any changes in their global supply and demand and thus impacting the material cost.
27. In the event that the price of the Company's raw materials increase, the Company will not be able to pass these price increases to its customers on its existing fixed contracts and its business, financial condition and results of operations can be adversely affected.
28. Changes in currency exchange rates may influence our results of operations. Globally, a substantial part of all worldwide ship sales transactions and purchase of offshore structures is generally conducted in USD. Currently there are no export orders outstanding, and hence there is no hedging exposure on the export receivables. However, in the case of import components in respect of shipbuilding/ship repair contracts denominated in Rupee terms, CSL is exposed to exchange rate fluctuation risk unless the contract with the ship owner provides for an exchange variation reimbursement clause. Currently some of the shipbuilding contracts do not contain such provision. Hence, adverse fluctuation in the currency rates will affect and influence our results of operations.
29. Pandemics like COVID-19 and the resultant lock down also impose various risks on the operations of the Company. The scale of production will be reduced due to various factors including restricted working arrangements, travel constraints, reduction in outsourced manpower (which to a certain extent due to reduced migrant labour availability), non-availability of service engineers and OEM representatives especially related to foreign equipment on account of international and inter-state travel restrictions. Projects can also run at a delayed pace due to the factors mentioned above and also on account of issues in material availability and logistic, issues related to locked down states of origin (domestic and international) and also issues relating to cash flows from customers.
30. Also there are possibilities of withholding of future projects by clients, cancellation of running enquiries and potential projects might have to be put on hold citing liquidity issues. Additionally, impaired cargo movement through road, shipping channels and air routes (due to labour shortages, operational hurdles at ports, airlines cutting down on operations) would add to cost of imports as well as exports further pressuring Company. The assessment of cumulative impact will be possible only once reasonable level of revival occurs.

Product Diversification

31. With the GOI focusing on the blue revolution and the recent impetus for the upliftment of the fishing community all along the coastal India, CSL sees a surge both in the demand as well as in the quality of the fishing vessel segment in India. With the construction

of 11 of 16 fishing boats delivered and performing well and with the volumes to the tune of many thousands being projected by the industry, CSL feels that this could eventually turn out to be a separate vertical by itself, if everything goes as planned by the government. To bring impetus to this segment, Company has successfully bid for Tebma Shipyards Limited through NCLT process and obtained the order in March 2020.

32. There is good scope on the inland transportation segment. In this regard Company already is working closely with Inland Waterways Authority of India (IWAI) by constructing 10 vessels for the inland waterways and is expecting more projects from this segment. The operationalisation of HCSL will put the Company in a better position to meet the customer demands in this segment which primarily is going to grow in NW1 and NW2 in the initial stage. Similarly, the urban water transport segment is seeing new project initiatives and the Company has successfully won contract to built 23 Nos. of battery powered boats which will put the Company in an elite group to built such future generation vessels and thus drive the market further. Company is examining the possibility of conversion of vessels to run on alternate fuels such as methanol fuel, for which a proposal submitted is under the consideration of the Ministry/IWAI.

Internal Control

33. The Company has promulgated an internal control and internal audit manual and has in place adequate internal control systems. The internal audit function is carried out by an independent firm of Chartered Accountants who carry out an in-depth review of internal control systems in critical areas based on the audit programme approved by the Board level Audit Committee headed by an Independent Director. A review of the internal control procedures was undertaken by M/s. Krishnamoorthy & Krishnamoorthy, Chartered Accountants, (Firm Registration No. 001488S) as a separate exercise.

Human Resource Development and Industrial Relations

34. The details regarding Human Resource Development and Industrial Relations are more specifically covered in the Directors' Report.

Women Empowerment

35. CSL has constituted an Internal Complaints Committee in accordance with the guidelines and norms prescribed by Sexual Harassment of Women at Workplace (Provision, Prohibition and Redressal) Act, 2013. A senior woman executive is the Chairperson of the Internal Complaints Committee. The Certified

Standing Orders applicable to workmen include sexual harassment as an act constituting misconduct. The Internal Complaints Committee is empowered to enquire into such complaints as per the procedure laid down in the Certified Standing Orders and Industrial Employment (Standing Orders) Acts and Rules.

36. WIPS Cell of CSL conducted the following programmes for the benefit of the women employees.
- CSL hosted WIPS Southern Regional meeting on July 26, 2019, at Hotel Monsoon Empress. The delegates from other Southern Region CPSUs like BHEL, NLC, NPCIL, HAL, ONGC, etc., and more than 50 ladies from CSL participated in the full day meeting. Eminent International trainer, Ms. Jessica Mondroina gave a session on women empowerment regarding the topic "Power of Beauty, Brain & Brawn". This was followed by another session "Making Presence Felt - The Human Side of being Indispensable at Work" by Ms. Deepa Sethi, Professor, IIM, Kozhikode.
 - A self defence programme for all women employees, trainees and on contract employees was organised in 4 batches on 9th, 10th, 13th and 14th of January 2020 with the help of Kerala Police as part of Nirbhaya project.
 - The International Women's day was celebrated on March 09, 2020 in CSL as a full day event at The Mercy Luxury Business Hotel, Ravipuram. Chief guest of the function was Smt. M Beena IAS, Chairperson of Cochin Port Trust. An in-house awareness session on financial aspects "Provident Fund, Tax and Pension", interactive educative session on "Higher Education, Women Empowerment and Gender Equality" by Dr. Sindhu P Nair, Assistant Regional Director, IGNOU Kochi and motivational talk on "Not by Chance but by Choice- Happiness and Success can be your Destiny!" by Ms. Jessica Mundroina, International Trainer, were the highlights of the day. The day concluded with a practical and energetic physical fitness session by fitness trainer Smt. Rithu Paul.

37. The Company ensures the participation of women in various forum including Joint Council, Shop Council, Central Safety Council, Shop Safety Council, Employees Contributory Provident Fund Trust, Employees Cochin Shipyard Recreation Club, Employees Cochin Shipyard Consumer Society etc.

Technology Conservation

38. CSL continuously strives for conservation and upgradation of technology to remain competitive in the global shipbuilding market. Towards this the Company has taken the following initiatives:

- i. Development of in house design of 100 Pax Electric Hybrid Catamaran for Kochi Water Metro. The vessel has a hybrid propulsion system consisting of Diesel Generators and latest Lithium-Titanate (LTO) batteries. Once fully operational, these boats would be one of the most eco-friendly water transport network in the world.
- ii. Development of hullform for Kochi Water Metro project, in association with MARIN, Netherlands. The design is optimized for achieving minimum propulsion power and lowest wake wash.
- iii. Development of basic design of Floating Border Outpost for Border Security Force.
- iv. Development of basic design of Ambulance boats for Kerala Fisheries department.
- v. Development of concept design of Next Generation Missile Vessels (NGMV), for Indian Navy.
- vi. Development of concept design of Survey Training Vessel (STV) for Indian Navy.
- vii. Development of concept design of Semi-Submersible Platform (SSP) for Indian Navy.
- viii. Development of concept design of Multi- Purpose Vessel (MPV) for Indian Navy.
- ix. Development of concept design for Weed-Harvester pontoon for Dal Lake.
- x. Development of in-house web-based application, Chronoz, for man-hour utilization capture in Design Department.
- xi. Implementation of File Life Cycle Management system which facilitates paperless office for ensuring better transparency and availability of files.
- xii. Development of 'Habitability Application' for monitoring the progress of work in 2600 accommodation compartments in IAC using SAP Portal.
- xiii. Development of a mobile application called 'Rudder' for tracking the steel renewal projects in Ship Repair.
- xiv. Implementation of a web/mobile application for controlling the access of external sub-contract workers by their contractors inside CSL.

Corporate Social Responsibility (CSR) and Sustainability

39. For more details, please refer the annual report on CSR activities placed at Annexure-4 to Directors' Report.

Micro Small and Medium Enterprises (MSME) as per the Public Procurement Policy 2012

40. The Company is making all out efforts to increase the procurement/ availing services from MSMEs. The Company has achieved a target of 33%, against the required target of 25% procurement of goods and services from MSMEs, out of total indigenous procurement for FY 2019-20, till March 31, 2020. SC/ST and Women MSME entrepreneurs are also getting benefitted due to CSL's initiatives.
41. With a view to promote procurement/avail services, through MSMEs, as per the Public Procurement Policy 2012, promulgated by the Government of India (GOI), Cochin Shipyard Limited attended International MSME EXPO, Summit and Trade Fair - 2019 held from August 23-25, 2019, at Pragati Maidan, New Delhi.
42. Other initiatives include, making CSL website user-friendly for MSME vendors and regular uploading of procurement data and other details in "MSME Sambandh" portal launched by Ministry of MSME, GOI.

Cautionary statement

43. Statement in this 'Management Discussion and Analysis Report' describing the objectives, expectations, assumptions or predictions of the Company may be forward looking statements within the meaning of applicable rules and regulations. Actual results could differ materially from those expressed or implied. Important factors that could make a difference to the operations of the Company include economic conditions affecting demand/supply, price conditions in the domestic and international markets, Government policies and regulations, statutes and other incidental factors.

For and on behalf of the Board of Directors

Kochi
August 07, 2020

Madhu S Nair
Chairman & Managing Director
DIN: 07376798

BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT

In terms of Regulation 34 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Annual Reports of the top five hundred listed entities based on market capitalization at the BSE and NSE shall contain a Business Responsibility Report (BRR) describing the initiatives taken by the Company from an environmental, social and governance perspective, which includes CSL.

The reporting framework is based on the National Voluntary Guidelines on Social, Environmental and Economic Responsibilities of Business (NVGs) released by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, in July 2011 which contains 9 Principles and Core Elements for each of the 9 Principles. Following is the Business Responsibility Report of our Company based on the format suggested by SEBI.

Section A: General Information about the Company

1. Corporate Identity Number (CIN) of the Company	L63032KL1972GOI002414
2. Name of the Company	Cochin Shipyard Limited
3. Registered address	Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Ernakulam, Kerala - 682015
4. Website	www.cochinshipyard.com
5. E-mail id	secretary@cochinshipyard.com
6. Financial Year reported	2019-20
7. Sector(s) that the Company is engaged in (industrial activity code-wise)	Shipbuilding and Ship Repair (Industrial Group 301 and 331 as per National Industrial Classification of the Ministry of Statistics and Programme Implementation)
8. List three key products/services that the Company manufactures/provides (as in balance sheet)	The Company is engaged in business of shipbuilding and ship repair. Inter-alia considering nature of production process and infrastructure facilities used, there are no other reportable segment.
9. Total number of locations where business activity is undertaken by the Company	
a) Number of International Locations (Provide details of major 5)	Nil
b) Number of National Locations	Four
10. Markets served by the Company - Local/State/National/International	Local, State, National and International

Section B: Financial Details of the Company

1. Paid up Capital	₹131.54 crores
2. Total Turnover	₹3422.49 crores
3. Total profit after taxes	₹637.69 crores
4. Total spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of profit after tax (%)	2.40
5. List of activities in which expenditure in 4 above has been incurred:-	CSL's CSR activities are carried out in the following focus areas: <ul style="list-style-type: none"> • Healthcare • School education • Sanitation

Section C: Other Details

Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies?	Yes, CSL has one subsidiary viz., Hooghly Cochin Shipyard Limited.
Do the Subsidiary Company/ Companies participate in the BR initiatives of parent company? If yes, then indicate the number of such subsidiary company(s)	No. The subsidiary company was incorporated only in October 2017 and is yet to commence operations. Hence, the company has not started to participate in the BR initiatives of CSL.
Do any other entity/entities (e.g. suppliers, distributors etc.) that the Company does business with, participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/ entities? [Less than 30%, 30-60%, More than 60%]	The Company has adopted well established procedures for outsourcing and procurement activities in order to ensure quality, on time delivery and optimum cost. Care is taken to have a panel of vendors with sound integrity. The Company has introduced e-payment, integrity pact etc., for a more transparent method of procurement. The standard terms and conditions of purchase order conforms to the Company policy on safety, environment etc., and are accepted by the vendor. Hence, majority (more than 60%) conform to the key principles of the business responsibility.

Section D: BR Information

1. Details of Director/Directors responsible for BR	
(a) Details of the Director/Directors responsible for implementation of the BR policy/policies 1. DIN 2. Name 3. Designation	BR function relating to corporate social responsibility and sustainability is monitored by the Corporate Social Responsibility & Sustainable Development (CSR & SD) Committee of the Board of Directors. The details of the composition of the CSR & SD Committee are provided in the Corporate Governance Report. As on March 31, 2020, the CSR & SD Committee of the Company is under the Chairmanship of Shri Jiji Thomson. The details of the Chairman of CSR & SD Committee of CSL are as follows: DIN : 01178227 Name: Shri Jiji Thomson Designation : Independent Director Email ID : jjithomson@gmail.com
(b) Details of the BR head	The Board has not assigned responsibilities specifically to any Director to function as the BR head.

2. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy/policies (Reply in Y/N)

The 9 principles outlined in the National Voluntary Guidelines are as follows:

P1	Businesses should conduct and govern themselves with ethics, transparency and accountability.
P2	Businesses should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle.
P3	Businesses should promote the well-being of all employees.
P4	Businesses should respect the interests of and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized.
P5	Businesses should respect and promote human rights.
P6	Businesses should respect, protect and make efforts to restore the environment.
P7	Businesses when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner.
P8	Businesses should support inclusive growth and equitable development.
P9	Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner.

Sl. No.	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1	Do you have a policy/ policies for....	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y
3	Does the policy conform to any national / international standards? If yes, specify? (50 words)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		Various policies at CSL conform to different applicable statutes/ guidelines/ rules etc. issued by GOI, and updated from time to time. Industry practices, national/ international standards are kept in view while formulating policies.								
4	Has the policy being approved by the Board? Is yes, has it been signed by MD/ owner/ CEO/appropriate Board Director?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y
		Different policies are approved by the Board/Competent Authorities as per delegation of power.								
5	Does the Company have a specified Committee of the Board/ Director/Official to oversee the implementation of the policy?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y
6	Indicate the link for the policy to be viewed online?	The policies are available on Company's website: https://cochinshipyard.com/Investors								
7	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Yes. The policies have been communicated to the stakeholders by uploading on the Company's above mentioned website. Quality, Health, Safety and Environmental Policy is uploaded in intranet of the Company as well as CSL's website. The same is also displayed at all major locations of the Company.								
8	Does the Company have in-house structure to implement the policy/ policies.	Yes								
9	Does the Company have a grievance redressal mechanism related to the policy/ policies to address stakeholders' grievances related to the policy/ policies?	The Board has set up a Committee to address the grievances of the stakeholders, debenture holders and other persons holding securities in the Company as required under the Companies Act, 2013 and under the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. In addition, the Company has also set up a vigil mechanism to address the genuine concerns, of any of the Directors and employees.								
10	Has the Company carried out independent audit/evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	The Company is subject to various audits such as Statutory Audit by firm of Chartered Accountants appointed by the Comptroller & Auditor General, Internal Audit, C&AG Audit, Cost Audit, Secretarial Audit, Energy Audit, Safety Audit, Integrated Management Systems Audit etc. These audits ensure compliance to various internal and external policies.								

3. Governance related to BR

- a) Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the Company. Within 3 months, 3-6 months, Annually, More than 1 year

The senior management of the Company reviews BR performance on an on-going basis. The Board/ Committees constituted by it review the same annually.

- b) Does the Company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?

Yes. The Company publishes BR Report annually as part of its annual report. The hyperlink for viewing the report: <https://cochinshipyard.com/annual-report>

Section E: Principle-Wise Performance

Principle 1: Businesses should conduct and govern themselves with ethics, transparency and accountability

1. **Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the Company? Yes/No. Does it extend to the Group/Joint Ventures/Suppliers/Contractors/NGOs /Others?**

The Company has positioned an Integrity Pact which is signed with bidders to enable them to raise any issues with regard to high value tenders of more than ₹100 lakhs floated from time to time. People of high repute and integrity are appointed as Independent External Monitors to oversee implementation of the said Integrity Pact.

The pact essentially envisages an agreement between the prospective vendors/bidders and CSL committing the persons/officials of both sides, not to resort to any corrupt practices in any aspect/stage of the contract. Any violation of the same would entail disqualification of the bidders and exclusion from future business dealings.

2. **How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management?**

During the financial year 2019-20, 15 investor complaints were received by the Company through SEBI SCORES Platform, NSE and BSE and Registrar & Transfer Agent. All these complaints were attended to and resolved on priority basis.

Principle 2: Businesses should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle.

1. **List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/or opportunities.**

The Company is engaged in the business of shipbuilding and ship repair. As such the Company has only one product, which has been designed to incorporate social or environmental concerns as well as benefit from the available opportunities.

2. **For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product (optional):**

- (a) **Reduction during sourcing / production / distribution achieved since the previous year throughout the value chain.**

The Company recognizes its commitment to achieve economic development through sustainable methods. This is proposed to be

achieved through employment of appropriate technology, transparency in procurement and outsourcing and participation in sustainable development programmes.

- (b) **Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since the previous year.**

CSL has implemented various energy conservation measure viz., installation of solar power plant, electrification of new buildings is carried out with LED lights instead of conventional discharge lamps, replacement of high pressure mercury vapour lights with LED lights, switching off main air compressor during lunch break, switching off main power supply to shops, quays, & docks momentarily at 12:15 hrs. which trips man coolers, roof extractors (controlled through starters), etc., which are not required during the lunch break, displayed energy saving stickers & posters, conducted seminar and quiz competition for inculcating awareness among employees for energy conservation aimed at optimum use of electric power, continuously monitoring and maintaining power factor near unity etc. Energy savings of approximately 3.94 lakhs units per annum have been achieved with the implementation of measures specified above.

3. **Does the Company have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)? If yes, what percentage of your inputs was sourced sustainably?**

The Company has been following approved criteria for the selection of vendors to ensure sustainable sourcing which inter alia includes vendors having ISO 9000 certification, vendors approved by regulatory bodies, various authorized dealers of the manufacturer, ability to provide materials as per laid down specification and other requirements, ability to supply materials as per stipulated delivery period. Annual evaluation of the orders placed on a vendor is completed to decide the average performance. A vendor is removed / suspended from approved vendor list based on his average performance over the period of evaluation. Vendors list is reviewed and updated once in a year.

4. **Has the Company taken any steps to procure goods and services from local and small producers, including communities surrounding their place of work? If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?**

With a view to promote procurement/avail services through local and small producers and service providers including Micro, Small and Medium

Enterprises (MSME), as per the Public Procurement Policy 2012, promulgated by the Government of India (GOI), the Company is making all out efforts to increase the procurement/ availing services from MSMEs. The Company has achieved a target of 33%, against the required target of 25% procurement of goods and services from MSMEs, out of total indigenous procurement for FY 2019-20, till March 31, 2020. SC/ ST and Women MSME entrepreneurs are also getting benefitted due to CSL's initiatives

With a view to promote procurement/avail services through MSMEs, as per the Public Procurement Policy 2012, promulgated by the Government of India (GOI), Cochin Shipyard Limited attended International MSME EXPO, Summit and Trade Fair – 2019 held from August 23-25, 2019, at Pragati Maidan, New Delhi.

Other initiatives include, making CSL website user-friendly for MSME vendors and regular uploading of procurement data and other details in "MSME Sambandh" portal launched by Ministry of MSME, GOI.

5. **Does the Company have a mechanism to recycle products and waste? If yes what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5-10%, >10%)?**

Due to the nature of products of the Company and the waste generated, mechanism to recycle is not available. However, the wastes are disposed off through agencies dealing in such disposal or recycling and approved by the environmental authorities.

7. **Number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the year.**

Sl. No.	Category	No. of complaints filed during the financial year	No. of complaints pending as on end of the financial year
1.	Child Labour / forced Labour/ involuntary labour	The Company does not hire child labour, forced labour or involuntary labour. No Compliant.	Not Applicable
2.	Sexual harassment	Nil	Nil
3.	Discriminatory employment	Nil	Nil

8. **What percentage of your under mentioned employees were given safety and skill upgradation training in the last year?**

Permanent Employees: 100%

Permanent Women Employees: 100%

Casual/Temporary/Contractual Employees: 100%

Employees with Disabilities: 100%

Principle 3: Businesses should promote the well being of all employees

- Total number of employees:** 1710 (permanent employees)
- Total number of employees hired on temporary / contractual /casual basis:** Average 3691 per day
- The number of permanent women employees:** 152
- The number of permanent employees with disabilities:** 57
- Do you have an employee association that is recognized by management?**

Yes, CSL have six employee association recognised by the management viz.:

- Cochin Shipyard Officers Association (CSOA)
- Cochin Shipyard Supervisory Staff Association (CSSSA)
- Cochin Shipyard Employees Organisation (CSEO)
- Cochin Shipyard Employees Federation (CSEF)
- Cochin Shipyard Employees Union (CSEU)
- Shipyard Employees Sangh (SES)

6. **What percentage of your permanent employees is members of this recognized employee association?**

Most executives are members of Cochin Shipyard Officers Association. In the case of permanent workmen, most of them are affiliated to various recognised unions. Four recognised unions have been conferred recognition by the Company on the basis of referendum.

Principle 4: Businesses should respect the interests of, and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized.

- Has the Company mapped its internal and external stakeholders?**

Yes, the Company has mapped its internal as well as external stakeholders

2. Out of the above, has the Company identified the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders?

CSL's CSR projects aims at benefiting the disadvantaged, vulnerable and marginalised community who are present across Kerala particularly in remote rural/tribal communities. Further, CSL ensures that the reservation policy as advised by Govt. of India is implemented. CSL is also involved in improving the quality of life of persons for whom projects are specially designed. The Company has identified (i) SC/ST (ii) differently abled as disadvantaged, vulnerable and marginalized for employment purpose.

3. Are there any special initiatives taken by the Company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

CSL has made commitments for various projects across Kerala in its CSR thrust areas, largely catering to disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholder's viz., education, sanitation & smart class rooms for children, healthcare initiatives for tribal communities, several initiatives for differently abled persons, empowerment of women through income enhancing skill development programs and other interventions in rural/tribal/semi-urban areas. The Company follows all the GOI regulations regarding reservations for SC/ST and differently abled.

Principle 5: Businesses should respect and promote human rights

1. Does the policy of the Company on human rights cover only the Company or extend to the group/joint ventures/suppliers/contractors/NGOs/others?

The human resource policies of the Company cover all aspects of human rights of its employees and others associated with it for operation of its business and covers human rights of employees of the subsidiary also. No complaints have been received in the past financial year on human rights.

The Company is committed to uphold and maintain the dignity of women employees and it has in place a policy which provides for protection against sexual harassment of women at work place and for prevention and redressal of such complaints. During the year under review, no such complaints were received.

The Company is committed to comply with all human rights practices across subsidiary and other stakeholders associated with the Company.

2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?

During the year under review, 15 complaints were received from investors and all the complaints were resolved to their satisfaction.

Principle 6: Business should respect, protect, and make efforts to restore the environment

1. Does the policy related to Principle 6 cover only the Company or extends to the group/joint ventures/suppliers/contractors/NGOs/others?

Covers the Company. As a part of the integrated approach of the Company, our commitment to the mother nature is demonstrated through our ongoing effort to reduce the adverse impact on the environment and reinforcing the positive contribution. We strive to achieve this by identifying the significant environmental aspects of its activities and products and developing programs and processes to reduce or control them with an aim of protecting the environment. The Company also persuades and encourages its business partners/vendors/contractors to move towards environmental friendly processes, right from design to disposal.

2. Does the Company have strategies/ initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc? If yes, please give hyperlink for webpage etc.

The Company has a detailed manual which describe the common procedures that need to be established for the effective implementation of the environmental management system, meeting the requirements of the international standards ISO 14001:2015.

3. Does the Company identify and assess potential environmental risks?

Yes.

4. Does the Company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if yes, whether any environmental compliance report is filed?

Presently, CSL does not have any project under Clean Development Mechanism

5. Has the Company undertaken any other initiatives on - clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc.? If yes, please give hyperlink for web page etc.

The Company has undertaken various initiatives like, installation of solar power plant, electrification of new buildings is carried out with LED lights instead of conventional discharge lamps, replacement of high pressure mercury vapour lights with LED lights, switching off main air compressor supply during lunch break, switching off main power supply to shops,

quays, & docks momentarily at 12:15 hrs. which trips man coolers, roof extractors (controlled through starters), etc., which are not required during the lunch break, displayed energy saving stickers & posters, conducted seminar and quiz competition for inculcating awareness among employees for energy conservation aimed at optimum use of electric power, continuously monitoring and maintaining power factor near unity etc. These initiatives resulted in energy savings of approximately 3.94 lakhs units per annum.

6. Are the emissions/waste generated by the Company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported?

Yes.

7. Number of show cause/legal notices received from CPCB/SPCB which are pending (i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year.

In financial year 2019-20, there are no pending CPCB/SPCB show cause/legal notices.

Principle 7: Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner.

1. Is your Company a member of any trade and chamber or association? If Yes, name only those major ones that your business deals with:

- a) Indian Shipbuilders Association
- b) Indo Japan Chamber of Commerce
- c) Confederation of Indian Industry (CII)
- d) Cochin Chamber of Commerce and Industry
- e) All India Management Association
- f) The Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI)
- g) Standing Conference of Public Enterprises (SCOPE)
- h) Society of Indian Defence Manufacturers (SIDM)

2. Have you advocated/lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes/No; if yes, specify the broad areas (drop box: governance and administration, economic reforms, inclusive development policies, energy security, water, food security, sustainable business principles, others).

The above-mentioned organisations act as a platform for CSL to address issues that might impact its stakeholders. CSL encourages participation in advocating policy level processes rather than lobbying on any specific issues.

Principle 8: Businesses should support inclusive growth and equitable development.

1. Does the Company have specified programmes/initiatives/projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If yes, details thereof.

As mentioned in the sections above, CSL's CSR projects aim at benefitting the community from low socio-economic strata, across the state of Kerala and are identified as vulnerable. These projects are attempting for inclusive growth & equitable development of such communities.

2. Are the programmes/projects undertaken through in-house team/own foundation/external NGO/government structures/any other organization?

CSL largely collaborates with various NGOs, foundations, government agencies, and other professional agencies for execution of the project on the ground.

3. Have you done any impact assessment of your initiative?

Yes. Impact assessment is crucial to view the effect of the activity conducted. CSL conducts impact assessment as a part of the project for the majority of projects.

4. What is your Company's direct contribution to community development projects - amount in INR and the details of the projects undertaken?

In financial year 2019-20, the contribution to community development projects was ₹14.78 crores. Please refer to the Report on CSR Activities forming part of this Annual Report.

5. Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.

Engagement of the community is paramount for sustaining any community development program on ground. We ensure engagement of the community at the very planning stage and thereafter induct them at the implementation level. This not only ensures acceptance of the programme on ground but also its continuity and sustainability.

Principle 9: Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner.

1. What percentage of customer complaints/consumer cases are pending as on the end of financial year?

The Company's customers are large corporate houses, corporations both national and international

or Ministries of the Central Government. During the year under review the Company has not received any complaints.

2. **Does the Company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/No/N.A./Remarks (additional information)**

Not applicable as it engages in shipbuilding and ship repair operations.

3. **Is there any case filed by any stakeholder against the Company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behaviour during the last five years and pending as on end of financial year? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.**

No cases have been filed by any stakeholders against the Company regarding unfair trade practices during the year under review.

4. **Did your Company carry out any consumer survey/ consumer satisfaction trends?**

Yes. All the contracted vessels are conducted with a customer satisfaction survey, and feedbacks are taken from owners willing to share their experience. The surveys are conducted by an independent third party firm in order to have open & genuine feedback from the customer.

Customer satisfaction survey is conducted in two phases for the vessels contracted, one on Construction Phase (Phase I) and one after completion of warranty period (Phase II). Phase I is intended for an interim feedback during the ongoing construction stage, in order to identify any concerns from the owner during the construction phase. This also helps the Yard to understand the area of concerns (if any), and can initiate actions appropriately for improvements to the level of owner expectations. Phase II survey is after the delivery and the completion of warranty period of the vessel where owner would have sufficient time to understand the performance & quality of construction, which will provide an overall perspective of their satisfaction for the new building contracted & delivered.

The surveys conducted cover all phases of construction starting from the pre-contract stage. Feedbacks are requested from owners regarding approachability, accessibility, quality of construction, overall technical capabilities of the Yard & post delivery services. The independent agency submits a report in each financial year for the surveys conducted, and elaborates regarding the feedbacks from various clients, specifying the areas where Shipyard is performing well & areas where improvements are suggested. This independent report provides a scope to understand the strength & weakness of the Yard from the owner perspective, and is much helpful while approaching the same client / similar clients.

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

Company's Philosophy on Corporate Governance

1. Cochin Shipyard recognizes the importance of Corporate Governance to emerge as a model corporate. The Company has adopted policies and procedures which are aimed at effectively discharging its responsibilities to various stakeholders, viz., shareholders, creditors, customers, employees and society at large. CSL strongly believes that the Company can emerge as a strong global leader only by following good & sound Corporate Governance principles. The Company has been rated 'Excellent' in Corporate Governance practices as per the evaluation criteria prescribed by the Department of Public Enterprises consistently for the last several years.

Board of Directors

2. The Board of Directors of Cochin Shipyard Limited plays a pivotal role in ensuring good Corporate Governance. The composition of the Board of the Company is governed by the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the "Listing Regulations"). The composition of the Board during the financial year ended March 31, 2020 is as follows:

Sl. No.	Name of Director	Director Identification Number (DIN)	Category of Directorship
1	Shri Madhu S Nair *	07376798	Chairman & Managing Director
2	Shri D Paul Ranjan **	06869452	Director (Finance)
3	Shri Suresh Babu N V	07482491	Director (Operations)
4	Shri Bejoy Bhasker	08103825	Director (Technical)
5	Shri Jose V J ***	08444440	Director (Finance)
6	Shri Satinder Pal Singh IPS #	07490296	Official Part Time (Nominee) Director, Government of India
7	Shri Sanjay Bandopadhyaya IAS #	00088957	Official Part Time (Nominee) Director, Government of India
8	Shri Jyothilal K R. IAS †	01650017	Official Part Time (Nominee) Director, Government of Kerala
9	Smt. Roopa Shekhar Rai ∞	07565156	Non Official Part Time (Independent) Director
10	Shri Radhakrishna Menon ∞	07518727	Non Official Part Time (Independent) Director
11	Shri Krishna Das E ∞	02731340	Non Official Part Time (Independent) Director
12	Shri Jiji Thomson IAS (Retd.)	01178227	Non Official Part Time (Independent) Director
13	Shri Pradipta Banerji	00630615	Non Official Part Time (Independent) Director
14	Shri Nanda Kumaran Puthethath	02547619	Non Official Part Time (Independent) Director

* Shri Madhu S Nair, Chairman & Managing Director was re-appointed (retirement by rotation) in the 47th Annual General Meeting of CSL held on August 13, 2019.

** Shri D Paul Ranjan, Director (Finance) retired from services by superannuation on July 31, 2019.

*** Ministry of Shipping vide letter F. No.SY-11012/2/2018-CSL dated July 15, 2019 appointed Shri Jose V J, former General Manager (Finance), CSL as the Director (Finance) of CSL. He is a member of the Institute of Cost Accountants of India and also holds a degree in Law from Government Law College, Ernakulam. He has approximately 29 years of work experience across diverse field viz., financial management, strategic planning, risk management, forex management, budgeting and cost control. He is also heading the Information Systems Department. He is also a CSL Nominee Director in the Board of Hooghly Cochin Shipyard Limited, a wholly owned subsidiary of Cochin Shipyard Limited.

The Ministry of Shipping, vide letter No.SY-11012/1/2017-CSL dated February 03, 2020 appointed Shri Sanjay Bandopadhyaya, IAS, Additional Secretary, Ministry of Shipping, Govt. of India as Official Part Time (Nominee) Director of CSL, in place of Shri Satinder Pal Singh IPS, Joint Secretary, Ministry of Shipping, Govt. of India. Shri Sanjay Bandopadhyaya is a 1988 Batch IAS Officer of Madhya Pradesh Cadre. He is presently posted as Additional Secretary to Government of India, Ministry of Shipping and is entrusted with administration and development of Shipping Activities, Merchant Shipping Act, Shipbuilding, International Co-operation and Treaties, Ports and stressed projects. He holds a Master degree of Technology in Communications and Radar Engineering from Indian Institute of Technology, Delhi, Bachelor degree of Engineering in Electronics and Communications and Master of Arts degree in Economics. In the past he held various senior positions in both central and state governments. He won various prestigious awards viz., the "Platinum Icon Web Ratna Award 2012" for implementing the 'Vahan' vehicle registration and permit system for the best citizen centric service by the Government of India, National Award for e-Governance (GOLD), 2009-10 presented for State School Portal and management through electronic platform, India Tech Foundation 2007 for second Best Reforming State in India in Power Sector.

† Shri Jyothilal K R. IAS Official Part Time (Nominee) Director of CSL vacated his office under Section 167(1)(b) of the Act with effect from June 20, 2020.

∞ Pursuant to the Ministry of Shipping, Government of India letter no. SY-11012/1/2016-CSL dated July 29, 2019, the tenure of Smt. Roopa Shekhar Rai, Shri Radhakrishna Menon and Shri Krishna Das E, who were re-appointed as Non-Official Part Time (Independent) Directors on the Board of CSL, completed on March 20, 2020.

3. Disclosure of relationship between Directors inter-se: Nil
4. None of the Directors of the Company were members in more than ten committees or act as Chairperson of more than five committees across all listed entities in which he/she is a Director. None of the Independent Directors of the Company held Directorships in more than seven listed companies.
5. The Companies Act, 2013 read with relevant Rules made thereunder, facilitates the participation of the Director in the Board/Committee meetings through video conferencing. The Directors viz., Shri Satinder Pal Singh IPS, Shri Sanjay Bandopadhyaya IAS, Shri Pradipta Banerji, Smt. Roopa Shekhar Rai and Shri Krishna Das E have availed the facility during the financial year 2019-20.
6. The meetings of the Board of Directors and Committees have been conducted in the manner as specified in Listing Regulations and Companies Act, 2013.

Attendance of Directors at Board Meetings and Annual General Meeting (AGM)

7. Six Board Meetings were held during the year under review. Details of attendance of Directors at the Board Meetings and AGM are given below:

Name of Director	2019					2020	AGM
	May 21	Jul 29	Aug 13	Oct 23	Nov 12	Feb 11	Aug 13, 2019
Shri Madhu S Nair	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Shri Satinder Pal Singh IPS	✓*	×	✓	✓	×	NA	✓
Shri Sanjay Bandopadhyaya IAS	NA	NA	NA	NA	NA	✓*	NA
Shri Jyothilal K R, IAS	×	×	×	×	×	×	×
Shri D Paul Ranjan	✓	✓	NA	NA	NA	NA	NA
Shri Suresh Babu N V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Shri Bejoy Bhasker	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Shri Jose V J	NA	NA	✓	✓	✓	✓	✓
Smt. Roopa Shekhar Rai	NA	NA	✓	✓	✓	✓	✓
Shri Radhakrishna Menon	NA	NA	✓	✓	✓	✓	✓
Shri Krishna Das E	NA	NA	✓	✓	✓	✓	✓
Shri Jiji Thomson IAS (Retd.)	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓
Shri Pradipta Banerji	✓	✓	✓*	×	✓	✓	×
Shri Nanda Kumaran Puthethath	✓	✓	✓	×	×	✓	✓

* attended through video conferencing

NA - Not applicable

Other Directorships and Committee positions:

8. The total number of other Directorship(s) held by Directors and other positions of Membership/Chairmanship on Committees, as on March 31, 2020 are given below:-

Name of the Director	No. of Directorship in other public limited companies		Board Committee positions held in other public limited companies		Name of other Listed Entity where the person is a Director	Category of Directorship in the Listed Entity
	Chairman	Member	Chairman	Member		
Shri Madhu S Nair	1	1	-	-	-	-
Shri Sanjay Bandopadhyaya IAS	-	-	-	-	-	-
Shri Jyothilal K R, IAS	-	6	1	2	-	-
Shri Suresh Babu N V	-	1	-	-	-	-
Shri Bejoy Bhasker	-	1	-	-	-	-
Shri Jose V J	-	1	-	-	-	-
Shri Jiji Thomson IAS (Retd.)	-	-	-	-	-	-
Shri Pradipta Banerji	-	-	-	-	-	-
Shri Nanda Kumaran Puthethath	1	3	-	2	Atlas Jewellery India Limited	Non-Executive Director

- The Directorships held by Directors as mentioned above does not include Alternate Directorships, Directorships in Private Limited Companies, Foreign Companies and Companies registered under Section 8 of the Companies Act, 2013.
 - Memberships/Chairmanships of only the Audit Committees and Stakeholders Relationship Committees of all Public Limited Companies and Government Companies have been considered.
9. None of the Directors except the following hold any shares in the Company as on March 31, 2020:

Name of the Director	No. of Equity Shares Held
Shri Madhu S Nair	600
Shri Bejoy Bhasker	510

Chart of skills/expertise/competence of the Board of Directors

Sl. No.	Skills/Expertise/Competency	Shri Madhu S Nair	Shri Suresh Babu N V	Shri Bejoy Bhasker	Shri Jose V J	Shri Sanjay Bandopadhyaya, IAS	Shri K R Jyothilal, IAS	Shri Jiji Thomson IAS (Retd.)	Shri Pradipta Banerji	Shri Nanda Kumaran Puthethath
1	Ship building/repair Industry Experience	✓	✓	✓	✓					
2	Knowledge of Ship building/repair Sector	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Accounting knowledge				✓					✓
4	Financial/investment knowledge	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
5	Law			✓	✓	✓	✓	✓		
6	Marketing experience	✓	✓	✓	✓					
7	Information Technology			✓	✓	✓				
8	Developing and implementing risk management systems	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Human Resource Management experience	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓
10	Strategy/Corporate plan development and implementation	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Directorship experience in other listed companies							✓		✓
12	Directorship experience in unlisted companies	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	Integrity and high ethical standards	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	Leadership skills	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	Social welfare orientation	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓
16	Experience in government relations	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Independent Directors

10. Independent Directors have been appointed by the Ministry of Shipping, Government of India for a term of 3 years. The main terms of appointment can be accessed at <https://cochinshipyard.com/board-of-directors/independent>
11. Familiarization programme for Independent Directors generally form part of the Board process. The Independent Directors are updated on an on-going basis at the Board/Committee meetings, inter-alia, on the following:
 - Nature of industry in which the Company operates;
 - Business environment and operational model of various business divisions of the Company including important developments thereon; and
 - Important changes in regulatory framework having impact on the Company.
12. Details of the familiarization programme for Independent Directors can be accessed at <https://cochinshipyard.com/uploads/FTPStaging/INDPDIR/famil.pdf>
13. In the opinion of the Board, the Independent Directors fulfill the conditions specified in the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and are independent of the management.

Meetings of Independent Directors

14. According to Schedule IV to the Companies Act, 2013 a separate meeting of the Independent Directors of the Company was held on June 19, 2020 which was attended by all the Non Official Part Time (Independent) Directors, viz., Shri Jiji Thomson IAS (Retd.), Shri Pradipta Banerji and Shri Nanda Kumaran Puthezath.

Availability of information to the members of the Board

15. The Board has complete access to any information within the Company and to any employee of the Company. The Board welcomes the presence of executives in the Board meetings, who can provide additional insights into the issues being discussed in the meeting. The information normally required to be placed before the Board include the following:

- a) To make calls on shareholders in respect of money unpaid on shares.
- b) To authorize buy-back of securities.
- c) To issue securities including debentures, in India or abroad.
- d) To borrow monies.
- e) To invest funds of the Company.
- f) To grant loans or give guarantee or provide security in respect of loans.
- g) To approve financial statement and Board's Report.
- h) To diversify the business of the Company.
- i) To approve amalgamation, merger or reconstruction.
- j) To take over a company or acquire a controlling interest or substantial stake in another company.
- k) To appoint or remove Key Managerial Personnel (KMP).
- l) To appoint internal auditor and secretarial auditor.
- m) General notices of interest of Directors.
- n) Terms of reference of Board Committees.
- o) Minutes of meetings of Audit Committee and other Committees of the Board, resolutions passed by circulation and also the minutes of Board meeting of subsidiary company.
- p) Annual operating plans of businesses, capital budgets and any updates.
- q) Quarterly results of the Company and its operating divisions or business segments.
- r) Declaration of dividend.
- s) Sale of investments, subsidiaries and assets which are material in nature and not in normal course of business.
- t) Quarterly details of foreign exchange exposures and the steps taken by the management to limit the risks of adverse exchange rate movement, if material.
- u) Internal audit findings and external audit reports (through the Audit Committee).
- v) Status of business risk exposures, its management and related action plans.
- w) Details of any joint venture or collaboration agreement.
- x) Show cause, demand, prosecution notices and penalty notices which are materially important.
- y) Fatal or serious accidents, dangerous occurrences, any material effluent or pollution problems.
- z) All policy matters deliberated and introduced for implementation.
- aa) Any material default in financial obligations to and by the Company, or substantial non-payment for goods sold by the Company.
- bb) Any issue which involves possible public or product liability claims of substantial nature, including any judgment or order, which may have passed strictures on the conduct of the Company or taken an adverse view regarding another enterprise that can have negative implications on the Company.
- cc) The information on recruitment and remuneration of senior officers just below the Board level including appointment or removal of Chief Financial Officer and the Company Secretary.
- dd) Non-compliance of any regulatory, statutory or listing requirements and shareholders service such as non-payment of dividend, delay in share transfer etc.
- ee) Significant labour problems and their proposed solutions. Any significant development in human resources/industrial relations front like implementation of Voluntary Retirement Scheme (VRS) etc.
- ff) Capital budgets and any updates.
- gg) Transactions that involve substantial payment towards goodwill, brand equity, or intellectual property.
- hh) Quarterly details of foreign exchange exposures and the steps taken by management to limit the risks of adverse exchange rate movement, if material.

Board material distributed in advance

16. Notice of each Board Meeting and Committee Meeting is sent to all the members not less than seven days in advance except when it is convened as emergency meeting. The agenda notes for each Board/Committee meeting is drafted in consultation with the Chairman and are circulated to the Directors not less than seven days in advance except when it is convened as emergency meeting with the concurrence of all Board/Committee members. All material information is incorporated in the agenda papers for facilitating meaningful and focused discussions at the meeting. Where it is not practicable to attach any document to the agenda, the same is tabled at the meeting with specific reference to the subject in the agenda. In special and exceptional circumstances, additional or supplementary item(s) on the agenda are permitted with the consent of all Directors present at the meeting.
17. CSL digitalised its meetings by introduction of a Board Management software viz., Dess Digital Meetings, which enables to securely create, distribute and manage meeting documents in digital format. It ensures that the Board members get the communication at the right time and securely. This Board management software will streamline the entire meeting process right from the preparation of agenda papers till the finalisation of minutes of the meetings, which will in turn save time, effort & cost and improve governance.

Recording Minutes of proceedings at Board and Committee meeting

18. The Company Secretary records the minutes of the proceedings of each Board and Committee meetings. Draft minutes are circulated to all the members of the Board/Committee for their comments within fifteen days from the conclusion of the meeting. The final minutes are entered in the minute book within 30 days from conclusion of the meeting.

Post Meeting Follow-up Mechanism

19. The important decisions taken at the Board/Committee meetings are promptly communicated to the departments/divisions concerned. Action taken report on the decisions/minutes of the previous meeting(s) is placed at the immediately succeeding meeting of the Board/Committee.

Compliance

20. The Company Secretary while preparing the agenda notes, minutes etc. of the meeting(s) is responsible for and is required to ensure adherence to all the applicable

laws and regulations including the Companies Act, 2013 read with the Rules issued thereunder as also the Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India and notified by the Government of India.

Board Committees

21. During the financial year 2019-20, the Board of CSL had five statutory Committees viz., Audit Committee, Nomination & Remuneration Committee, Corporate Social Responsibility and Sustainable Development Committee, Stakeholders Relationship Committee and Risk Management Committee.
22. During the financial year 2019-20, the Board of CSL had four non-statutory Committees viz., Contracts & Capex Committee, Committee for New Technology, Strategy and New Initiatives, Share Transfer Committee and Shipbuilding Software Price Negotiation Committee.

Audit Committee

23. The Audit Committee of CSL was formed on August 21, 2008. Owing to the completion of tenure of three Independent Directors, the Audit Committee was re-constituted on March 21, 2020.

Terms of reference

24. The following are the terms of reference of the Audit Committee:
 - (i) Oversight of the listed entity's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statement is correct, sufficient and credible;
 - (ii) Recommendation for appointment, remuneration and terms of appointment of auditors of our Company based on the order of Comptroller & Auditor General of India;
 - (iii) Approval of payment to statutory auditors for any other services rendered by the statutory auditors;
 - (iv) Reviewing, with the management, the annual financial statements and auditor's report thereon before submission to the Board for approval, with particular reference to:
 - (a) Matters required to be included in the director's responsibility statement to be included in the Board's report in terms of clause (c) of sub-section (3) of Section 134 of the Companies Act, 2013;
 - (b) Changes, if any, in accounting policies and practices and reasons for the same;
 - (c) Major accounting entries involving estimates based on the exercise of judgment by management;

- (d) Significant adjustments made in the financial statements arising out of audit findings;
 - (e) Compliance with listing and other legal requirements relating to financial statements;
 - (f) Disclosure of any related party transactions; and
 - (g) Modified opinion(s) in the draft audit report.
- (v) Reviewing, with the management, the quarterly financial statements before submission to the Board for approval;
 - (vi) Reviewing, with the management, the statement of uses/application of funds raised through an issue (public issue, rights issue, preferential issue, etc.), the statement of funds utilized for purposes other than those stated in the offer document/prospectus/notice and the report submitted by the monitoring agency, monitoring the utilisation of proceeds of a public or rights issue, and making appropriate recommendations to the Board to take up steps in this matter;
 - (vii) Reviewing and monitoring the auditor's independence and performance, and effectiveness of audit process;
 - (viii) Approval or any subsequent modification of transactions of our Company with related parties;
 - (ix) Scrutiny of inter-corporate loans and investments;
 - (x) Valuation of undertakings or assets of our Company, wherever it is necessary;
 - (xi) Evaluation of internal financial controls and risk management systems;
 - (xii) Reviewing, with the management, performance of statutory and internal auditors, adequacy of the internal control systems;
 - (xiii) Reviewing the adequacy of internal audit function, if any, including the structure of the internal audit department, staffing and seniority of the official heading the department, reporting structure coverage and frequency of internal audit;
 - (xiv) Discussion with internal auditors of any significant findings and follow up there on;
 - (xv) Reviewing the findings of any internal investigations by the internal auditors into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the Board;
- (xvi) Discussion with statutory auditors before the audit commences, about the nature and scope of audit as well as post-audit discussion to ascertain any area of concern;
 - (xvii) To look into the reasons for substantial defaults in the payment to the depositors, debenture holders, shareholders (in case of non-payment of declared dividends) and creditors;
 - (xviii) To review the functioning of the whistle blower mechanism;
 - (xix) Approval of appointment of chief financial officer after assessing the qualifications, experience and background, etc. of the candidate;
 - (xx) Review the following information:
 - (a) Management discussion and analysis of financial condition and results of operations;
 - (b) Statement of significant related party transactions (as defined by the audit committee), submitted by management;
 - (c) Management letters/letters of internal control weaknesses issued by the statutory auditors;
 - (d) Internal audit reports relating to internal control weaknesses; and
 - (e) The appointment, removal and terms of remuneration of the chief internal auditor shall be subject to review by the audit committee;
 - (f) Statement of deviations:
 - (i) Quarterly statement of deviation(s) including report of monitoring agency, if applicable, submitted to stock exchange(s) in terms of regulation 32(1) of the SEBI Listing Regulations;
 - (ii) Annual statement of funds utilized for purposes other than those stated in the offer document/prospectus/notice in terms of regulation 32(7) of the SEBI Listing Regulations;
 - (xxi) To review the follow up action on the audit observations of the C&AG audit;
 - (xxii) Recommend the appointment, removal and fixing of remuneration of Cost Auditors and Secretarial Auditors;

(xxiii) Audit Committee shall also review the utilization of loans and/or advances from/investment by the holding company in the subsidiary exceeding Rupees 100 crore or 10% of the asset size of the subsidiary, whichever is lower including existing loans /advances/investments existing as on the date of coming into force of this provision;

(xxiv) Review of compliance with the provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 as amended, at least once in a financial year;

(xxv) Verify that the systems for internal control required to be maintained pursuant to the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 as amended are adequate and are operating effectively; and

(xxvi) Carrying out any other function as specified by the Board from time to time.

Powers of the Audit Committee

25. The Committee is entrusted with the following powers:
- To investigate any activity within its terms of reference;
 - To seek information on and from any employee;
 - To obtain outside legal or other professional advice, subject to the approval of the Board of Directors; and
 - To secure attendance of outsiders with relevant expertise, if it considers necessary.
26. The recommendations of the Audit Committee on any matter relating to the financial management, including the audit report, shall be binding on the Board.
27. If the Board does not accept the recommendations of the Audit Committee, it shall record the reasons thereof and communicate such reasons to the shareholders.

Constitution

28. As on March 31, 2020, the Audit Committee is constituted with Shri Nanda Kumaran Puthezhath, Non Official Part Time (Independent) Director as Chairperson, Shri Jiji Thomson, Non Official Part Time (Independent) Director, and Shri Pradipta Banerji, Non Official Part Time (Independent) Director as members.
29. Audit Committee meetings are also attended by Director (Finance), representatives of Secretarial Auditors, Statutory Auditors and Internal Auditors of the Company as invitees. The Internal audit function has been outsourced to a firm of Chartered Accountants. The Company Secretary acts as the Secretary to the Committee.

Audit Committee meetings held during 2019-20 and attendance

30. The Committee met four times during the year 2019-20. The necessary quorum was present at these meetings. The attendance during these meetings were as follows:

Sl. No.	Name of the Director	May 21, 2019	Jul 29, 2019	Nov 12, 2019	Feb 11, 2020
1	Shri Radhakrishna Menon	NA	NA	✓	✓
2	Shri Krishna Das E	NA	NA	✓	✓
3	Shri Nanda Kumaran Puthezhath	✓	✓	×	✓
4	Shri Jiji Thomson	✓	✓	NA	NA
5	Shri Pradipta Banerji	✓	✓	NA	NA

NA - Not applicable

Nomination & Remuneration Committee

31. The Nomination & Remuneration Committee of Cochin Shipyard Limited was constituted vide Circular Resolution adopted on December 13, 2008. Owing to the completion of tenure of three Independent Directors, the Nomination & Remuneration Committee was re-constituted on March 21, 2020.

Terms of reference

32. Following are the terms of reference of the Nomination & Remuneration Committee:
- Decide on the annual bonus/performance pay/variable pay pool and policy for its distribution across the executives and non-unionized supervisors of our Company;
 - Formulation and modification of schemes for providing perks and allowances for officers and non-unionized supervisors;
 - Any new scheme of compensation like medical scheme, pension etc. to officers, non-unionized supervisors and the employees as the case may be; and
 - Exercising such other roles assigned to it by the provisions of the SEBI Listing Regulations and any other laws and their amendments from time to time.

Constitution

33. As on March 31, 2020, the Committee comprises of Shri Jiji Thomson, Non Official Part Time (Independent) Director as Chairperson, Shri Jyothilal K R, IAS, Official Part Time (Nominee) Director and Shri Nanda Kumaran Puthezhath, Non Official Part Time (Independent) Director, as members.

Nomination & Remuneration Committee meetings held during 2019-20 and attendance

34. Five meetings of the Nomination & Remuneration Committee were held during 2019-20. The necessary quorum was present at these meetings. The attendance during these meetings were as follows:

Sl. No.	Name of the Member	Jun 28, 2019	Jul 29, 2019	Feb 11, 2020	Mar 13, 2020	Mar 19, 2020
1	Shri Krishna Das E	NA	NA	✓	✓	✓*
2	Shri Jyothilal K R IAS	✓	×	×	×	×
3	Smt. Roopa Shekhar Rai	NA	NA	✓	✓*	✓*
4	Shri Jiji Thomson	✓	✓	NA	NA	NA
5	Shri Nanda Kumaran Puthezhath	✓	✓	NA	NA	NA

* attended through video conferencing

NA - Not applicable

Remuneration Policy

35. Under Article 21(a) of the Articles of Association of the Company, the Directors shall be paid such remuneration as the President of India may from time to time determine. The pay and allowances of Board level executives are paid in accordance with the terms of appointment, Department of Public Enterprises (DPE) Guidelines on the above subject and other benefits and perquisites in accordance with the rules of CSL. The remuneration of below Board level executives and non-unionized supervisors is as per DPE guidelines and as approved by administrative ministry (Ministry of Shipping). The remuneration of worker is as per the long term settlement between the management and recognized trade unions.
36. Details of remuneration paid to the Chairman & Managing Director and the Whole Time Directors are placed at **Annexure I** to this report.

Sitting fees

37. The Non Official Part Time (Independent) Directors are paid sitting fees at the rate of ₹15,000/- for attending each meeting of the Board or Committee thereof. The Official Part Time (Nominee) Directors are not paid any remuneration. The criteria for making payment to Non-Executive Directors is available in the Company's website at the following link: <https://cochinshipyard.com/board-of-directors/independent>
38. Sitting fees paid to the Non Official Part Time Directors for 2019-20 are as follows:

Sl. No.	Name	Fees (in ₹)
1	Smt. Roopa Shekhar Rai	1,50,000
2	Shri Radhakrishna Menon	1,35,000
3	Shri Krishna Das E	1,50,000
4	Shri Jiji Thomson IAS (Retd.)	1,95,000
5	Shri Pradipta Banerji	1,80,000
6	Shri Nanda Kumaran Puthezhath	2,25,000

39. Since the Non Official Part Time (Independent) Directors are appointed by the President of India, the evaluation of performance of such Directors is also done by the GOI.

Stakeholders Relationship Committee

40. The Stakeholders Relationship Committee of CSL was constituted vide resolution no. 227/08 at the 227th Board Meeting held on September 20, 2016. Owing to the completion of tenure of three Independent Directors, the Stakeholders Relationship Committee was re-constituted on March 21, 2020.

Terms of reference

41. Following are the terms of reference of the Stakeholders Relationship Committee:
- Resolving the grievances of the security holders of the company including complaints related to transfer/transmission of shares, non-receipt of annual report, non-receipt of declared dividends, issue of new/duplicate certificates, general meetings etc.;
 - Review of measures taken for effective exercise of voting rights by shareholders;
 - Review of adherence to the service standards adopted by the listed entity in respect of various services being rendered by the Registrar & Share Transfer Agent; and

- (iv) Review of the various measures and initiatives taken by the listed entity for reducing the quantum of unclaimed dividends and ensuring timely receipt of dividend warrants/annual reports/statutory notices by the shareholders of the company.

Constitution

42. As on March 31, 2020, the Committee comprises of Shri Nanda Kumaran Puthethath, Non Official Part Time (Independent) Director as Chairperson of the Committee, Shri Suresh Babu N V, Director (Operations) and Shri Jose V J, Director (Finance) as members.

Stakeholders Relationship Committee meetings held during the year and attendance

43. One meeting of Stakeholders Relationship Committee was held during the year 2019-20 on February 11, 2020. Necessary quorum was present at this meeting. The attendance during this meeting was as follows:

Sl. No.	Name of the Member	Feb 11, 2020
1	Shri Krishna Das E	✓
2	Shri Suresh Babu N V	✓
3	Shri Jose V J	✓

Name, designation and address of the Compliance Officer

Shri Syamkamal N
 Company Secretary & Compliance Officer
 Cochin Shipyard Limited,
 Administrative Building, Cochin Shipyard Premises,
 Perumanoor, Ernakulam, Kerala – 682015
 Tel: +91 (484) 2501306, Fax: +91 (484) 2384001
 Email: secretary@cochinshipyard.com Website: www.cochinshipyard.com

Status of Investor Complaints as on March 31, 2020 and reported under Regulation 13(3) of the Listing Regulations is as under:

Complaints as on April 01, 2019	0
Received during the year	15
Resolved during the year	15
Not solved to the satisfaction of shareholders	0
Pending as on March 31, 2020	0

Risk Management Committee

44. The Risk Management Committee of CSL was formed on February 08, 2019.

Terms of reference

45. Following are the terms of reference of Risk Management Committee:

- (i) Monitoring and reviewing of the risk management plans including steps taken for ensuring cyber security;
- (ii) Ensure required risk documentation is done on quarterly basis;
- (iii) Provide updates and seek approval from Board of Directors on risk management; and
- (iv) Such other functions as may be specified by the Board from time to time.

Constitution

46. Risk management Committee of CSL was constituted on February 08, 2019. Prior to the Constitution of the Committee, the risks had been periodically reviewed by the Board and the Audit Committee. As on March 31, 2020, the Committee comprises of Shri Suresh Babu N V, Director (Operations), Shri Bejoy Bhasker, Director (Technical) and Shri Jose V J, Director (Finance), as members.

Risk Management Committee meetings held during the year and attendance

47. One meeting of the Risk Management Committee was held during the financial year 2019-20. Necessary quorum was present at this meeting. The attendance during this meeting was as follows:

Sl. No.	Name of the Member	Jan 28, 2020
1	Shri Suresh Babu N V	✓
2	Shri Bejoy Bhasker	✓
3	Shri Jose V J	✓

Corporate Social Responsibility & Sustainable Development (CSR & SD) Committee

48. A sub-committee of the Board was constituted vide resolution no. 181/09 at the 181st meeting of the Board held on September 05, 2008 to decide on the matters relating to Corporate Social Responsibility in CPSEs.
49. The Sustainable Development Committee was constituted at the 197th Board Meeting held on November 23, 2011. The DPE vide OM No.3(9)/2010-DPE(MoU) dated September 23, 2011 has issued detailed guidelines on Sustainable Development in CPSEs.
50. Company decided to merge the Corporate Social Responsibility Committee and Sustainable Development Committee to decide the matters relating to CSR activities in line with the guidelines laid down under Schedule VII of the Companies Act, 2013. Owing to the completion of tenure of three

Independent Directors, the CSR & SD Committee was re-constituted on March 21, 2020.

Terms of reference

51. The following are the terms of reference of the Corporate Social Responsibility & Sustainable Development Committee:
- Recommend CSR and sustainability development policy to the Board;
 - Recommend plan of action and projects to be initiated in the short, medium and long term for CSR and sustainability development;
 - To recommend the annual CSR and sustainability development plan and budget; and
 - Periodic review of CSR and sustainability development policy, plans and budgets.

Constitution

52. As on March 31, 2020, the Committee comprises of Shri Jiji Thomson, Non Official Part Time (Independent) Director as Chairperson of the Committee, Shri Bejoy Bhasker, Director (Technical), Shri Nanda Kumaran Puthethath, Non Official Part Time (Independent) Director and Shri Jose V J, Director (Finance) as members.

CSR & SD Committee meetings held during the year and attendance

53. Five meetings of CSR & SD Committee were held during the year 2019-20. The attendance during these meetings were as follows:

Sl. No.	Name of Director	Jun 28 2019	Jul 29 2019	Nov 12 2019	Dec 20 2019	Feb 11 2020
1	Smt. Roopa Shekhar Rai	NA	NA	✓	✓	✓
2	Shri Radhakrishna Menon	NA	NA	✓	✓	✓
3	Shri D Paul Ranjan	✓	✓	NA	NA	NA
4	Shri Bejoy Bhasker	✓	✓	✓	✓	✓
5	Shri Jiji Thomson	✓	✓	NA	NA	NA
6	Shri Nanda Kumaran Puthethath	✓	✓	NA	NA	NA
7	Jose V J	NA	NA	✓	✓	✓

NA - Not applicable

General Body Meetings

54. The date, time and venue of the last three Annual General Meetings were as follows:

Year	Date	Time	Venue	Special resolution passed
2018-19	Aug 13, 2019	11:00 Hrs	The Mercy Hotel, M.G. Road, Ravipuram, Kochi - 682015	Nil
2017-18	Aug 14, 2018	11:00 Hrs	Kerala Fine Arts Society Hall, Foreshore Road, Pallimukku, Ernakulam - 682016	Nil
2016-17	Jul 17, 2017	09:30 Hrs	Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Cochin - 682015	Nil

Postal Ballot

55. During the FY 2019-20, no resolution was put through by postal ballot.
56. None of the business proposed to be transacted in the ensuing AGM requires the passing of a special resolution by way of postal ballot.

Means of Communication

57. All price-sensitive information and matters that are material to shareholder are disclosed to the respective Stock Exchanges, where the securities of the Company are listed. All submission to the Exchanges is made through the respective electronic filing systems.
58. The financial results for the quarter/half-year/year were published as under:

Quarter/half-year/year	In the month of
Quarter ending June 30, 2019	July
Quarter/half-year ending September 30, 2019	November
Quarter ending December 31, 2019	February
Year ending March 31, 2020	June

59. Quarterly/half-yearly/annual results, notices and information relating to General Meetings, etc. are published in leading newspapers viz., Business Line (all editions), Mathrubhumi (Cochin edition) and Jansatta (all editions) and are notified to the Stock Exchanges as required under the Listing Regulations.

60. The quarterly/half-yearly/annual financial results and other communication to shareholders and Stock Exchanges, inter-alia, presentations to institutional investors & analysts, press releases etc., are made available in the Company's website www.cochinshipyard.com under 'Investors' section. They are also filed with the National Stock Exchange of India Limited (NSE) through NSE Electronic Application Processing System (NEAPS) and with BSE Limited (BSE) through BSE Online Portal.
61. The Management hold quarterly briefs with analysts and institutional investors. The presentation made to the institutional investors and analysts for quarterly/annual results are available on the Company's website under 'Investors' section.

General Shareholder Information

62. Annual General Meeting for FY 2020

Date : September 29, 2020
Time : 11:00 hrs.

Venue : The Company is conducting meeting through VC / OAVM pursuant to the MCA Circular dated May 5, 2020 and as such there is no requirement to have a venue for the AGM. For details please refer to the Notice of this AGM.

63. Financial Year: April 01, 2019 to March 31, 2020.

Dividend Payment

64. The final dividend for the year ended March 31, 2020 if approved at the AGM, will be paid, subject to deduction of tax at source, on or after Tuesday, October 06, 2020. The Company will be making the dividend payment by electronic mode wherever

possible and by dividend warrants/demand drafts in other cases.

65. The particulars of dividend declared in the previous three financial years are given below:

Financial Year	Dividend Per Share (₹)
2016-17	8.97
2017-18	12.00
2018-19	13.00

CSL had also declared an interim dividend of ₹1.63/- per equity share for the financial year 2019-20.

Listing of shares and stock code

66. The Company's equity shares are listed at the following Stock Exchanges and listing fees for the year 2019-20 has been paid to the Stock Exchanges.

Name and address of the Stock Exchange	Stock Code
BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Tower, Dalal Street, Mumbai – 400 001	540678
National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, 5 th Floor, Bandra - Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051	COCHINSHIP


67. The International Securities Identification Number (ISIN) for the Company's shares is INE704P01017.
68. Market Price data – high, low during each month in the last financial year (i.e. year under review):

Price and volume of shares traded


Month/ Year	BSE Limited			National Stock Exchange of India Limited		
	High (₹)	Low (₹)	Volume (Nos. in Lakhs)	High (₹)	Low (₹)	Volume (Nos. in Lakhs)
Apr 2019	408.15	374.60	0.93	408.55	373.00	10.30
May 2019	390.00	352.35	1.22	389.40	351.15	23.57
Jun 2019	406.35	374.35	0.85	408.00	374.00	11.60
Jul 2019	395.85	348.20	0.66	389.95	350.00	8.92
Aug 2019	365.65	333.00	0.65	365.90	331.65	9.10
Sep 2019	368.00	328.30	0.74	368.55	329.00	13.56
Oct 2019	408.35	320.15	14.60	412.00	326.90	43.30
Nov 2019	424.55	370.00	2.77	424.55	390.00	32.70
Dec 2019	408.80	380.10	1.28	409.20	379.15	17.92
Jan 2020	491.15	372.50	4.04	491.70	372.05	90.56
Feb 2020	383.25	332.20	3.12	383.60	335.00	65.09
Mar 2020	345.95	209.00	4.51	346.75	209.10	71.94

Performance in comparison to broad based indices:

CSL vs NSE NIFTY



CSL vs BSE SENSEX



Details of securities suspended: Not applicable.

Registrar and Share Transfer Agents (RTA):

Link Intime India Private Limited,
Surya, 35, Mayflower Avenue,
Behind Senthil Nagar,
Sowripalayam Road, Coimbatore,
Tamil Nadu - 641 028
Tel: 0422 2315792; Fax: 0422 2314792
E-mail: coimbatore@linkintime.co.in

Share Transfer System

69. The Company's shares being in the compulsory demat list, are transferable through the depository system.

Distribution of Shareholding

70. Distribution of shareholding based on number of folio (as on March 31, 2020)

No. of shares held	Members		Shares	
	No.	%	No.	%
1-500	152930	97.6035	8097374	6.1558
501-1000	2164	1.3811	1630892	1.2398
1001-2000	827	0.5278	1201391	0.9133
2001-3000	260	0.1659	658543	0.5006
3001-4000	109	0.0696	393485	0.2991
4001-5000	97	0.0619	449657	0.3418
5001-10000	153	0.0976	1096055	0.8332
>10000	145	0.0925	118012993	89.7162
Total	156685	100.0000	13,15,40,390	100.0000

Dematerialization of shares and liquidity

71. The Company's shares are compulsorily traded in dematerialized form and are available on both the depositories, viz. NSDL and CDSL.

Percentage of shares held in:-

Physical form	:	0.00
Electronic form with NSDL	:	93.63
Electronic form with CDSL	:	6.37

The Company's equity shares are regularly traded on the BSE and NSE.

Outstanding Global Depository Receipts (GDRs) or American Depository Receipts (ADRs) or warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity: None

Foreign exchange risk and hedging of activities

- 72. The Company has a formulated Forex Risk Management Policy duly approved by the Board and the forex exposures are being hedged depending upon the market conditions.
- 73. To keep the minimum impact due to adverse exchange variations, the Company is keeping a constant watch on the forex market fluctuations and has been exploring various options of foreign currency borrowings like buyer's credit etc. as part of effective working capital management. However, since the total cost of buyer's credit including hedging cost is higher than deposit rate of banks, we were not able to avail any buyer's credit during the recent times. However, various options are being looked into and a continuous watch on the same is being kept. Status of the forex exposure and the hedging position is reviewed by the Audit Committee and the Board on a quarterly basis.

Plant Locations

- Ship Building & Ship Repair facility at Perumanoor, Ernakulam District, Kochi – 682 015
- International Ship Repair facility at Cochin Port Trust, Willingdon Island, Kochi – 682 009
- Ship repair facility at Indira Dock, Mumbai
- Ship repair facility at Netaji Subhas Dock, Kolkata
- Ship repair facility at Marine Dockyard, Port Blair

Address for Correspondence

Company Secretary & Compliance Officer
 Cochin Shipyard Limited,
 Administrative Building, Cochin Shipyard Premises,
 Perumanoor, Ernakulam, Kerala – 682015
 Tel: +91 (484) 2501306, Fax: +91 (484) 2384001
 Email: secretary@cochinshipyard.com
 Website: www.cochinshipyard.com

Credit Ratings

Instrument	ISIN	Rating
8.51% Tax Free Secured Redeemable Non-Convertible Bonds	INE704P07014	AA+ by India Rating and CARE Rating
8.72% Tax Free Secured Redeemable Non-Convertible Bonds	INE704P07030	AA+ by India Rating and CARE Rating

Other Disclosures

Related Party Transactions:

- 74. During the year under review, there were no materially significant related party transactions that had or may have conflict with the interest of the Company at large. The Company has a policy for related party transactions, which can be accessed at the following link: <https://cochinshipyard.com/uploads/coporate/183d8b6d86dbcd98336ba05c52dc6bfd.pdf>

Non-compliance by the Company:

- 75. No penalties/strictures have been imposed on the Company by the Sock Exchanges or Securities and Exchange Board of India (SEBI) or any other statutory authority on any matter relating to capital markets during the last three years except fine amounting to ₹1,95,000/- imposed by BSE and NSE each for not having requisite number of Independent Directors and Woman Director on the Board of Directors of the Company for the period June 20, 2019 to July 28, 2019 as required under Regulation 17(1) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The appointments of Directors are done by Govt. of India and filling up of vacancies of the said Independent Directors and Woman Director were also pending with the Government of India. The Company had intimated to the Stock Exchanges viz., BSE & NSE explaining the position of the Company with respect to the appointment of Directors. NSE on March 18, 2020 vide their letter no. NSE/LIST/SOP/103783 waived the fine levied on CSL. The fines are levied as per the SEBI Circular SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2018/77 dated May 03, 2018 which provides that the Stock Exchanges shall take uniform action in consultation with each other. Further, BSE has not taken any further action under the SEBI Regulations in this regard.

As on March 31, 2020, there is no Woman Director on the Board of CSL and there were only three Independent Directors as against the statutory requirement of six, due to the completion of tenure of three Independent Directors including a Woman Director on March 20, 2020. The said vacancies have been intimated to the Government of India.

Vigil Mechanism and Whistle Blower Policy:

- 76. Cochin Shipyard has adopted a Whistle Blower Policy approved by the Board at its 198th meeting held on February 22, 2012. Cochin Shipyard is a Government of India undertaking and follows Government guidelines on reporting of any illegal or unethical practices. Directors/employees/stakeholders/representative bodies of employees are given freedom to report to their immediate Supervisor/Chief Vigilance Officer or Chairman and Managing Director, details of any

violation of rules, regulations and unethical conduct. The Directors and Senior Management are bound to maintain confidentiality of such reporting and ensure that the whistle blowers are afforded protection against any harassment and not subjected to any discriminatory practices. During the period under report no personnel has been denied access to the Audit Committee. The Board in its 228th meeting held on December 14, 2016 amended its Whistle Blower Policy. Further, in line with the guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by Department of Public Enterprises, CSL had adopted Fraud Prevention and Detection Policy at the 214th Board Meeting held on September 16, 2014. Since the larger objective of both policies was similar, CSL adopted a combined policy viz., Whistle Blower and Fraud Prevention Policy at the 252nd Board Meeting held on November 12, 2019. The said policy is available in the website of the Company at <https://cochinshipyard.com/uploads/investors/86e4f639de81552f10f00afec6917a09.pdf>

Code of Conduct for Prevention of Insider Trading:

77. The Company has in place a Code of Conduct for Prevention of Insider Trading in compliance with the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015. The Code lays down guidelines, which advise on procedures to be followed and disclosures to be made, while dealing with the shares of the Company, and cautioning them of the consequences of violations. The Code of Conduct for Prevention of Insider Trading is hosted on the website of the Company and can be accessed at: <https://cochinshipyard.com/Investors>

Mandatory Requirements:

78. A comprehensive report on the status of compliance with all the applicable corporate laws, rules and regulations by the Company is placed before the Board on a quarterly basis for their information and review. The Company has complied with all the mandatory requirements of the Code of Corporate Governance as specified in Regulations 17 to 27 and clauses (b) to (i) of sub regulation (2) of Regulation 46 of the Listing Regulations, except with regard to the composition of Board of Directors as explained above.

Non-Mandatory Requirements

79. The Company has complied with the following non-mandatory requirements of the Listing Regulations relating to Corporate Governance. The status of compliance with the non-mandatory requirements listed in Regulation 27 (1) read with Part E of Schedule II of the Listing Regulations is as under:

- During the year under review, there is no audit qualification in the Company's financial statements. The Company continues to adopt best practices to ensure regime of unmodified audit position.

Subsidiary Company:

80. Regulation 16 of the Listing Regulations defines a 'material subsidiary' as subsidiary, whose income or net worth exceeds 10% of the consolidated income or net worth respectively, of the listed entity and its subsidiaries in the immediately preceding accounting year. Under this definition, the Company does not have any unlisted material subsidiary incorporated in India.

81. Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL) is the subsidiary company of Cochin Shipyard Limited (CSL) which was incorporated as Joint Venture Company on October 23, 2017, venturing with Hooghly Dock & Port Engineers Limited. However, since November 01, 2019, HCSL is a wholly owned subsidiary of CSL.

82. Pursuant to the Explanation under Regulation 16(1) (c) of the Listing Regulations, the Company has formulated a policy for determining 'material subsidiaries' which is disclosed on the Company's website at the following web link: <https://cochinshipyard.com/Investors>

83. Details of compliance with the requirement of Corporate Governance guidelines:

In terms of Listing Regulations and DPE guidelines on Corporate Governance, Certificate regarding Compliance of Corporate governance guidelines from Practicing Company Secretary is placed at **Annexure II** to this report.

84. Details of Presidential Directives issued by Central Government and their compliance during the year and also in the last three years:

The Company has complied with all presidential directives issued by Central Government regarding the operation of PSUs.

85. Items of expenditure debited in books of accounts, which are not for the purposes of the business: Nil

86. Expenses incurred which are personal in nature and incurred for the Board of Directors and Top Management: Nil

The administrative and office expenditure of the Company for the year 2019-20 was 1.89 % of the total expenditure as against 2% in 2018-19. Financial expenditure stood at 1.59% of the total expenditure in 2019-20, against 0.59% in the previous year.

87. A certificate from a company secretary in practice, that none of the Directors on the Board of the Company have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by the SEBI/Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority, is placed at **Annexure III** to this report.

88. The Company has paid an amount of ₹24.50 lakhs to M/s. Elias George & Co., Statutory Auditors for the services provided to the Company and its subsidiary.

Code of Conduct

89. The Board has prescribed a Code of Conduct ('Code') for all the Board members and Senior Management of the Company. All Board members and Senior Management personnel have confirmed compliance with the Code for the year 2019-20. The Code is hosted on the website of the Company and can be accessed at: <https://cochinshipyard.com/Investors>

90. A declaration signed by the Chairman and Managing Director of the Company is given below:

I hereby declare that all the members of the Board of Directors and Senior Management personnel have affirmed compliance with the Code of Conduct of the Board of Directors and Senior Management personnel in respect of the financial year 2019-20.

Sd/-
Madhu S Nair
Chairman and Managing Director
DIN: 07376798

CEO/CFO Certification

91. The CEO/CFO certification of the financial statements for the year is appended at **Annexure IV** to this report.

Risk Management Process

92. CSL reviewed the existing risk management policy and adopted a revised policy encompassing a comprehensive system of Risk Management at its 214th Board Meeting held on September 16, 2014. The salient features of the new risk management policy is as follows:

(i) Risk Management Vision Statement: Minimize the organizational risks to an acceptable level and adopt risk management practices which would help the Company to attain its goals and objectives while at the same time ensuring minimization of risks.

- a. Total exposure of the listed entity to commodities in INR: 57.60 crores.
- b. Exposure of the listed entity to various commodities:

(ii) Risk Management Policy:

- (a) The Risk Management process is implemented to improve the Company's ability to prevent risks and ensure timely detection of risk.
- (b) To identify risks and its mitigation.
- (c) Risk Management process to be standardized.
- (d) Facilitate sharing of risk information.

93. The risk management policy intends to put in place an effective risk management framework and an appropriate reporting mechanism. The management of Cochin Shipyard would periodically identify the various risks and assess/analyze their impact on the Company. Risk mitigation and management measures would be put in place to effectively manage these risks. The Board may approve changes to the policy from time to time in order to align it with the changes in business environment.

Risk Management System and Structure

94. The Board has constituted a Risk Management Committee to review the risk management system within CSL. The Board also discharge its responsibility of risk oversight by ensuring the review at periodical intervals. The CSL management comprising of CSL Board level and below Board level executives are entrusted with the implementation of the risk management process. In this respect, Risk Management Steering Committee and Functional Risk Management Committees have been constituted to implement the policy in CSL.

95. Due to the peculiar nature of business carried on by CSL, it avoids the risk relating to its commodities.

96. Exposure of the listed entity to commodity and commodity risks faced by the entity throughout the year:

Commodity Name	Exposure in INR towards the particular commodity	Exposure in Quantity terms towards the particular commodity	% of such exposure hedged through commodity derivatives				Total
			Domestic market		International market		
			OTC	Exchange	OTC	Exchange	
Steel	57.60 crores	10955 Tonnes	-	-	-	-	-

- c. In order to avoid risk relating to increase in input cost, the Company places order for all major inputs with staggered delivery at the time of signing of shipbuilding contract. The offers are checked with the estimates taken for arriving at the estimated cost. In the case of ship repair, major components are normally supplied to ship owners at cost plus basis as the components are normally of the owners preference.

Shareholding pattern

97. The Company has issued 13,15,40,390 equity shares of ₹10/- each, details of which as on March 31, 2020 are as follows:

Sl. No.	Category	No. of shareholders	No. of shares	% holding
1	Central Government	1	95843464	72.8624
2	Alternate Investment Funds	2	29639	0.0225
3	Clearing Members	180	188334	0.1432
4	Directors	2	1110	0.0008
5	Financial Institutions	3	2766648	2.1033
6	Foreign Nationals	1	60	0.0000
7	Foreign Portfolio Investors (Corporate)	65	2726769	2.0730
8	Foreign Portfolio Investors (Individual)	4	4700	0.0036
9	Hindu Undivided Family	5324	684648	0.5205
10	Mutual Funds	21	12600271	9.5790
11	Insurance Companies	5	1780165	1.3533
12	NBFCs registered with RBI	2	9900	0.0075
13	Nationalised Banks	1	10000	0.0076
14	Non-Nationalised Banks	1	110	0.0001
15	Non Resident (Non Repatriable)	1032	253055	0.1924
16	Non Resident Indians	2698	800807	0.6088
17	Other Bodies Corporate	639	1310745	0.9965
18	Public	146696	12506300	9.5075
19	Trusts	8	23665	0.0180
	Total	156685	131540390	100.0000

Means of Communication

98. The quarterly/half yearly/yearly financial results are posted on the websites of the BSE, NSE and the Company, after consideration and approval by the Board and are also published in one English national daily having all India circulation and atleast in one Malayalam national daily, Kochi edition within 48 hours of its approval. These results have also been published in one Hindi national daily having all India circulation. The Annual Report of the Company is posted in the website viz., www.cochinshipyard.com. The website of the Company also displays all official news releases.

Audit Qualifications

99. The Report submitted by M/s. Elias George & Co, Statutory Auditors of the Company does not contain any qualification, reservation or adverse remark or disclaimer.
100. The Secretarial Auditors, M/s. Mehta & Mehta, in their Report observed that there were no requisite number of Independent Directors and Woman Director on the Board of Directors of the Company for the period April 01, 2019 to July 28, 2019 as required under Regulation 17(1) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and resultant fine amounting to ₹2,30,100/- (including GST) imposed by BSE and NSE each. It is informed that the appointment of Directors are done by Govt. of India and filling up of vacancies of the said Independent Directors and Woman Director were also pending with the Government of India. The Company had intimated to the Stock Exchanges viz., BSE & NSE explaining the position of the Company with respect to the appointment of Directors. NSE on March 18, 2020 vide their letter no. NSE/LIST/SOP/103783 waived the fine levied on CSL. The fines are levied as per the SEBI Circular SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2018/77 dated May 03, 2018 which provides that the Stock Exchanges shall take uniform action in consultation with each other. Further, BSE has not taken any further action under the SEBI Regulations in this regard.

101. The Secretarial Auditors also observed that the Board of Directors of the Company have granted leave of absence to Shri Jyothilal K R (DIN: 01650017) Part time Official (Nominee) Director for all the meetings of the Board of Directors during the financial year under review leading to vacation of office under Section 167(1)(b) of the Act, resulting in cessation of his Directorship in the Company. It is informed that Shri Jyothilal K R, Part time Official (Nominee) Director attended the 23rd Nomination and Remuneration Committee meeting held on June 28, 2019. However, as a prudent measure, in line with the provisions of the Companies Act, 2013, the Board took note the cessation of the Directorship of Shri Jyothilal K R, Part time Official (Nominee) Director representing the Government of Kerala pursuant to Section 167(1) (b) of the Companies Act, 2013 and intimated the same to the Government of Kerala for nominating its representative on the Board of CSL.

Training Board Members

102. The Board members of CSL are senior executives who have a very vast, wide and varied experience in the areas of education, industry, defence, management, human resource management and administration. CSL has benefited from their vision and knowledge. Presentations are made to the Board members on the Company's performance, business model, corporate plan and future outlook, on their induction in the Board. In addition, at the Board/Committee/other meetings, detailed presentations are made by the senior management personnel/professionals/consultants on business related issues, risk assessment, risk policy etc. The directors are encouraged to identify and attend specific training programmes to improve their effectiveness. The Board has also adopted a policy regarding training of Directors.

For and on behalf of the Board of Directors

Kochi
August 07, 2020

Madhu S Nair
Chairman & Managing Director
DIN: 07376798

Annexure I to Corporate Governance Report

DETAILS OF MANAGERIAL REMUNERATION						(Amount in ₹)
Name of the Director	Total of Basic Pay, DA, HRA & other perks & Allowances- FY 2019-20	Performance Related Payment (PRP)*	Performance Criteria	Details of Service Contracts, Notice period, severance fees	Stock Option details	Total
Shri Madhu S Nair Chairman & Managing Director	4276689.90	3536325.00	Based on performance criteria laid down by DPE.	Appointed vide MOS letter No. SY-11011/ 1/2009-CSL dated December 11, 2015 for a period of 5 years with effect from the date of assumption of charge of the post or till the date of his superannuation or until further orders whichever event occurs the earliest. Notice period in case of leaving service before the contractual term is 3 months or in the absence of notice, 3 months pay may be remitted. Shri Madhu S Nair took charge as CMD on January 01, 2016.	NIL	7813014.90
Shri D Paul Ranjan, Director (Finance)	3073363.78	2683113.00	Same as above	Appointed vide MOS letter No. SY-11012/ 1/2009-CSL Vol-II dated April 04, 2014 for a period of 5 years with effect from the date of assumption of charge of the post on or after May 01, 2014 or till the date of his superannuation or until further orders whichever event occurs the earliest. Further the Ministry of Shipping vide letter F. No.SY-11012/1/2009-CSL Vol.II dated January 07, 2019 extended his tenure w.e.f. May 01, 2019 till July 31, 2019 i.e the date of his superannuation. Notice period in case of leaving service before the contractual term is 3 months or in the absence of notice, 3 months pay may be remitted.	NIL	5756476.78
Shri Suresh Babu NV, Director (Operations)	4073836.34	2535150.00	Same as above	Appointed vide MOS letter No. SY-11012/2/2010 -CSL dated April 26, 2016 for a period of 5 years with effect from the date of assumption of charge of the post on or after April 26, 2016 or till the date of his superannuation or until further orders whichever event occurs the earliest. Notice period in case of leaving service before the contractual term is 3 months or in the absence of notice, 3 months pay may be remitted.	NIL	6608986.34
Shri Bejoy Bhasker, Director (Technical)	3827700.35	1519272.00	Same as above	Appointed vide MOS letter No. SY-11012/ 4/2017-CSL dated April 04, 2018 for a period of 5 years with effect from the date of assumption of charge of the post or till the date of his superannuation or until further orders whichever event occurs the earliest. Notice period in case of leaving service before the contractual term is 3 months or in the absence of notice 3 months pay may be remitted.	NIL	5346972.35
Shri Jose VJ, Director (Finance)	3222173.46	926712.00	Same as above	Appointed vide MOS letter No. SY-11012/ 2/2018-CSL dated July 15, 2019 for a period of 5 years with effect from the date of assumption of charge of the post on or after August 01, 2019 or till the date of his superannuation or until further orders whichever event occurs the earliest. Notice period in case of leaving service before the contractual term is 3 months or in the absence of notice 3 months pay may be remitted.	NIL	4148885.46

* PRP included above pertains to the period 2017-18, paid during 2019-20.

For and on behalf of the Board of Directors

Kochi
August 07, 2020

Madhu S Nair
Chairman & Managing Director
DIN: 07376798

CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

As stipulated in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

To,
The Members,
COCHIN SHIPYARD LIMITED

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by **Cochin Shipyard Limited** (hereinafter referred as "Company") for the Financial year ended March 31, 2020 as prescribed under Regulations 17 to 27, clauses (b) to (i) of sub-regulation (2) of regulation 46 and paras C, D and E of Schedule V of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (hereinafter referred as "Listing Regulations").

We state that compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management, and our examination was limited to procedures and implementation thereof adopted by the Company for ensuring compliance with conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Company.

In our opinion, and to the best of our information and according to our examination of the relevant records and the explanations given to us, we certify that the Company has complied with the conditions of Corporate Governance as prescribed under Listing Regulations **subject to the following observations:**

- 1) There was no Woman Director on the Board of Directors of Company for the period April 01, 2019 to July 28, 2019 as required under Regulation 17(1) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;
- 2) There were no requisite number of Independent Directors on the Board of Directors of the Company for the period April 01, 2019 to July 28, 2019 as required under Regulation 17(1) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;
- 3) A fine has been levied by both BSE Limited ("BSE") & National Stock Exchange of India Limited (NSE) for Non-Compliance of Corporate Governance conditions of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 i.e. Non-Appointment of Woman Director & Non-Appointment of Independent Directors for as follows:

Sr. No.	Fines levied by Stock Exchange	Amount	Period for which fine levied
1	BSE Limited ("BSE") & National Stock Exchange of India Limited ("NSE")	*NSE: INR 64,900/- (Rs. Sixty Four Thousand Nine Hundred Only)# BSE: INR 64,900/- (Rs. Sixty Four Thousand Nine Hundred Only)#	Quarter ended on June 30, 2019
2	BSE Limited ("BSE") & National Stock Exchange of India Limited ("NSE")	*NSE: INR 1,65,200/- (Rs. One Lakh Sixty Five Thousand Two Hundred Only)# BSE: INR 1,65,200/- (Rs. One Lakh Sixty Five Thousand Two Hundred Only)#	Quarter ended on September 30, 2019

*After the representations made by the Company the fine levied by NSE were waived.

#The fine amounts mentioned above are inclusive of Goods and Service Tax @18%

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

This certificate is issued solely for the purposes of complying with Listing Regulations and may not be suitable for any other purpose.

For Mehta & Mehta,
Company Secretaries
(ICSI Unique Code P1996MH007500)

Atul Mehta
Partner

FCS No: 5782

CP No.: 2486

UDIN: F005782B000374733

Place: Mumbai
Date: June 24, 2020

CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

As stipulated in the Guidelines on Corporate Governance for CPSEs issued by the Department of Public Enterprises, Government of India

To,

The Members,

Cochin Shipyard Limited

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by **Cochin Shipyard Limited** (hereinafter referred as "Company") for the Financial year ended March 31, 2020, as stipulated under Clause 8.2.1 of Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises 2010 ("CPSEs") issued by Department of Public Enterprises ("DPE"), Government of India Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises.

We state that compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management, and our examination was limited to procedures and implementation thereof adopted by the Company for ensuring compliance with the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Company.

In our opinion and to the best of our information and according to our examination of the relevant records and the explanations given to us, we certify that the company has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned guidelines subject to the following observations:

- 1) There was no Woman Director on the Board of Directors of Company for the period April 01, 2019 to July 28, 2019 as required under Regulation 17(1) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;
- 2) There were no requisite number of Independent Directors on the Board of Directors of the Company for the period April 01, 2019 to July 28, 2019 as required under Regulation 17(1) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;
- 3) A fine has been levied by both BSE Limited ("BSE") & National Stock Exchange of India Limited (NSE) for Non-Compliance of Corporate Governance conditions of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 i.e. Non-Appointment of Woman Director & Non-Appointment of Independent Directors for as follows:

Sr. No.	Fines levied by Stock Exchanges	Amount	Period for which fine levied
1	BSE Limited ("BSE") & National Stock Exchange of India Limited ("NSE")	*NSE: INR 64,900/- (Rs. Sixty Four Thousand Nine Hundred Only)# BSE: INR 64,900/- (Rs. Sixty Four Thousand Nine Hundred Only)#	Quarter ended on June 30, 2019
2	BSE Limited ("BSE") & National Stock Exchange of India Limited ("NSE")	*NSE: INR 1,65,200/- (Rs. One Lakh Sixty Five Thousand Two Hundred Only)# BSE: INR 1,65,200/- (Rs. One Lakh Sixty Five Thousand Two Hundred Only)#	Quarter ended on September 30, 2019

*After the representations made by the Company the fine levied by NSE were waived.

#The fine amounts mentioned above are inclusive of Goods and Service Tax @18%

- 4) *The Board of Directors of the Company have granted leave of absence to Mr. Kalluvilaveedu Ravindran Jyothilal (DIN: 01650017) Non-Executive Nominee Director for all the meetings of the Board of Directors during the financial year under review leading to vacation of office under Section 167(1)(b) of the Act, resulting in cessation of his Directorship in the Company;*

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

This certificate is issued solely for the purposes of complying with Listing Regulations and may not be suitable for any other purpose.

For Mehta & Mehta,
Company Secretaries
(ICSI Unique Code P1996MH007500)

Arun K Kamalolbhavan
Partner

FCS No: 9609

CP No.: 11657

UDIN: F009609B000487460

Place: Cochin

Date: July 22, 2020

Annexure III

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause (10)(i) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

To,
Cochin Shipyard Limited,
Administrative Building,
Cochin Shipyard Premises,
Perumanoor, Cochin,
Ernakulam, Kerala - 682015

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of **Cochin Shipyard Limited having CIN L63032KL1972GOI002414** and having registered office at Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Cochin, Ernakulam, Kerala - 682015 (hereinafter referred to as 'the Company'), produced before us by the Company for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10(i) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications (including Directors Identification Number (DIN) status at the portal www.mca.gov.in) as considered necessary and explanations furnished to us by the Company & its officers, We hereby certify that none of the Directors on the Board of the Company as stated below for the Financial Year ending on 31st March, 2020 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs or any such other Statutory Authority **except Mr. Kalluvilaveedu Ravindran Jyothilal who vacated office as Director of the Company under Section 167(1)(b) of the Companies Act, 2013.**

Sr. No.	Name of Directors	DIN	Date of appointment in Company
1.	Madhu Sankunny Nair	07376798	01/01/2016
2.	Nikerthil Velayudhan Sureshababu	07482491	26/04/2016
3.	Bejoy Bhasker	08103825	05/04/2018
4.	Valiyaparambil Jacob Jose	08444440	01/08/2019
6.	Sanjay Bandopadhyaya	00088957	03/02/2020
7.	*Kalluvilaveedu Ravindran Jyothilal	01650017	20/04/2018
8.	Jiji Thomson	01178227	15/07/2017
9.	Pradipta Banerji	00630615	15/07/2017
10.	Nanda Kumaran Puthezhath	02547619	15/07/2017

***Not eligible for continuation as a Director of the Company pursuant to Section 167(1)(b) of the Companies Act, 2013, due to absence from all the meetings of the Board of Directors of the Company held during the financial year under review.**

Ensuring the eligibility for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For Mehta & Mehta,
Company Secretaries
(ICSI Unique Code P1996MH007500)

Atul Mehta
Partner
FCS No: 5782
CP No.: 2486

Place: Mumbai
Date: June 24, 2020

UDIN: F005782B000374766

Annexure IV

CEO/CFO CERTIFICATION

To
The Board of Directors
Cochin Shipyard Limited
Kochi - 682 015

Dear Sirs,

Sub: CEO/CFO Certificate

1. We have reviewed Financial Statements and Cash Flow Statement of Cochin Shipyard Limited for the year ended March 31, 2020 and that to the best of our knowledge and belief:
 - (i) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
 - (ii) these statements together present a true and fair view of the Company's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
2. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Company during the year which are fraudulent or illegal or violative of the Company's code of conduct.
3. We accept responsibility for establishing and maintaining internal control for financial reporting. We have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Company pertaining to financial reporting and have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies, if any.
4. We have indicated to the Auditors and the Audit Committee that:
 - (i) There has not been any significant change in internal control over financial reporting during the year;
 - (ii) There has not been any significant change in accounting policies during the year requiring notes to financial statements; and
 - (iii) We are not aware of any instance during the year of significant fraud with involvement therein of the management or an employee having a significant role in the Company's internal control system over financial reporting.

Jose V J
Director (Finance)
DIN:08444440

Kochi
June 20, 2020

Madhu S Nair
Chairman and Managing Director
DIN: 07376798

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To
the Members of
Cochin Shipyard Limited

Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying standalone financial statements of Cochin Shipyard Limited ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2020, the Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), the Statement of Changes in Equity and the Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended ("Ind AS"), and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2020, and its profit (including Other Comprehensive Income), changes in equity and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the *Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements* section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the standalone financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the standalone financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and

in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matter described below to be the key audit matter to be communicated in our report.

1. Measurement of Physical Completion of Ship Building and Ship Repair activities.

The company recognises revenue from ship building and ship repair activities based on percentage of completion method. The percentage of completion is arrived at based on estimated percentage of physical completion as assessed by the management of the company which involves exercise of significant judgements. Refer Note 2.4 (Critical Accounting Estimates & Judgements - Revenue Recognition) & 2.19(a) (Revenue Recognition - Revenue from Operations) to the Standalone Financial Statements. The physical completion is ascertained as per an in-house procedure manual developed by the management of the company. The procedure and the assumptions therein are based on certain judgements made by the management based on inputs received from the planning, design and technical departments of the company. Further, the ascertainment of the actual physical completion of each sub-activity on reporting date also involves management estimation. Our audit approach consisted of understanding the basis and assumptions made in adopting such procedure, understanding the system for capturing data and monitoring the progress of completion of various works for internal reporting to the management, evaluating the internal controls in such system, selecting samples and performing substantive checking and analytical procedures. However, we have placed substantial reliance on the technical assessment and activity-based cost estimate defined by the management for the purpose of recognition of income.

Emphasis of Matter - Effects of COVID-19

We draw attention to Note 53 of the standalone financial statements which describes the Company's assessment on the impact of COVID-19 on its financial results and its operations.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Information Other than the Financial Statements and Auditors' Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Director's Report, Management Discussion and Analysis, Business Responsibility Report, Report on Corporate Governance, but does not include the standalone financial

statements and our auditor's report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the standalone financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the other information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take necessary actions as per applicable laws and regulations.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance (including Other Comprehensive Income), changes in equity and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Indian Accounting Standards specified in the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015(as amended) under section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, the Board of Directors are responsible for assessing the Company's ability to continue as going concern, disclosing, as applicable, matters relating to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3) (i) of the Companies Act, 2013, we are responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial statements, including the

disclosures, and whether the standalone financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the standalone financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013, we give in the "Annexure A" a statement on the matters specified in paragraph 3 and 4 of the Order.
2. Based on the verification of records of the Company and based on information and explanation given to us, we give in "Annexure B" report on the Directions and Sub-Directions issued by the Comptroller and Auditor General of India in terms of sub-section (5) of Section 143 of the Companies Act, 2013
3. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:
 - (a) We have sought and obtained all information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
 - (b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.
 - (c) The standalone Balance Sheet, the standalone Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), the standalone Statement of Changes in Equity and the standalone Statement of Cash Flows dealt with

by this Report are in agreement with the books of account.

- (d) In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Indian Accounting Standards specified under Section 133 of the Act.
- (e) In view of the exemption given vide notification no. G.S.R 463(E) dated June 5, 2015, issued by Ministry of Corporate Affairs, provisions of Section 164(2) of the Act regarding disqualification of Directors, are not applicable to the Company.
- (f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure C".
- (g) With respect to the other matters to be included in the Auditors' Report in accordance with the requirements of Section 197(16) of the Act, we offer no comments as the Company is exempted from the provisions of Section 197 vide notification no. G.S.R. 463(E) dated June 5, 2015.
- (h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 (as amended), in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its Standalone financial statements – Refer Notes 41, 43, 44 and 45 to the Financial Statements.
 - ii. The Company has made provision, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long-term contracts. Further, the company did not have any long-term derivative contracts for which there were any material foreseeable losses; - Refer Note 56 to the Financial Statements.
 - iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

For Elias George & Co.
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 000801S

Ranjit Mathews P
Partner

Kochi
20 June, 2020

Membership No. 205377
UDIN: 20205377AAAADJ5804

ANNEXURE-A TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

The Annexure referred to in our Independent Auditors' Report to the members of the Company on the audit of standalone financial statements for the year ended 31st March 2020.

We report that:

- (i) (a) The company has maintained proper records showing full particulars including quantitative details and situation of fixed assets.
- (b) As explained to us, there is a regular program of physical verification of fixed assets, which in our opinion is reasonable having regard to the size of the company and the nature of assets. During the year, as informed to us, no material discrepancies have been noticed on such verification.
- (c) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the title deeds of immovable properties are held in the name of the Company.
- (ii) As explained to us, the inventories were physically verified during the year in accordance with the inventory verification procedure adopted by the Management. In our opinion, the frequency of such physical verification needs to be increased. Based on information provided to us, the discrepancies noticed on such physical verification were not material.
- (iii) According to the information and explanation given to us, Company has not granted any loans, secured or unsecured to companies, firms, limited liability partnerships or other parties covered in register maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013. Accordingly the provisions of clause (iii) (a), (b), (c) of the Order are not applicable to the Company.
- (b) There are no dues of income tax, sales tax, service tax, goods and service tax, duty of customs, duty of excise and value added tax which have not been deposited with the appropriate authorities on account of disputes, except the following:

- (iv) In our opinion and according to the information and explanation provided to us, the company has complied with the provisions of Sections 185 and 186 of the Companies Act, 2013 in respect of loans, investments, guarantees and securities.
- (v) According to the information and explanation given to us, the company has not accepted any deposits from public and hence the directives issued by the Reserve Bank of India and the provisions of Section 73 to 76 or any other relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the rules framed thereunder are not applicable.
- (vi) We have broadly reviewed the books of accounts maintained by the company pursuant to the Rules made by the Central Government for the maintenance of cost records under Section 148(1) of the Act, and are of the opinion that *prima facie*, the prescribed accounts and records have been made and maintained. We have not, however, made detailed examination of the records with a view to determine whether they are accurate and complete.
- (vii) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, in respect of statutory dues:
- (a) The company has been generally regular in depositing undisputed statutory dues including provident fund, employees' state insurance, income-tax, sales tax, service tax, goods and service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and other statutory dues with the appropriate authorities. According to the information and explanation given to us, no undisputed amounts payable in respect of the above were in arrears as at 31st March, 2020 for a period of more than six months from the date they become payable.

Rupees in lakhs

Name of the Statute	Nature of Dues	Amount (₹)	Amount deposited/ adjusted	Amount unpaid	Financial year to which the amount relates	Forum where dispute is pending
Income Tax Act, 1961	Income Tax	1,406.41	1,406.41*	-	AY 2010-11	Commissioner of Income Tax (Appeals)
					AY 2011-12	
					AY 2014-15	
					AY 2017-18	
	Income Tax	700.86	700.86*	-	AY 2010-11 AY 2011-12	Income Tax Appellate Tribunal

Name of the Statute	Nature of Dues	Amount (₹)	Amount deposited/adjusted	Amount unpaid	Financial year to which the amount relates	Forum where dispute is pending
Kerala General Sales Tax, 1963	Sales Tax	515.11	20.38	494.73	1996-97	Assessing Officer, Commercial Taxes
					2000-01	
					2001-02	
	Sales Tax	293.51	-	293.51	1999-2000	Assessing Officer, Commercial Taxes (Remanded back to Assessing Officer by Kerala Sales Tax Appellate Tribunal)
	Sales Tax	202.22	6.55	195.67	2004-05	Hon'ble Kerala Sales Tax Appellate Tribunal
Kerala Value Added Tax Act, 2004	Value Added Tax	356.47	80	276.47	2007-08	Hon'ble Kerala Sales Tax Appellate Tribunal
Finance Act,1994	Service Tax	5439.06	26	5413.06	2007-08 to 2014-15	Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal, Bangalore
		24.08	-	24.08	2003-04 to 2014-15	Hon'ble High Court of Kerala
Customs Act,1962	Duty of Customs	27.46	-	27.46	1984-1990	Chief Commissioner of Customs, Bangalore
		301.03	261.22	39.81	2003-2004	Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal, Bangalore
		25.8	-	25.8	2004-2005	Commissioner of Customs, Kochi
		14,961.22	-	14,961.22	2010-2015	- do - (Case dismissed by Hon'ble High Court of Kerala directing department to file appeal under Section 130E of the Customs Act with the Hon'ble Supreme Court)
Employees' State Insurance Act, 1948	Employees' State Insurance	10.59	1	9.59	2010-2013	Hon'ble Insurance Court, Alappuzha

*Adjusted against the refund due for the subsequent years.

- (viii) According to the information and explanation given to us, the Company does not have any loans or borrowings from any financial institutions, banks or government during the year. In respect of bonds issued, the Company has not defaulted in payment of any dues.
- (ix) In our opinion and according to the information and explanation given to us, money raised by way of initial public offer have been applied by the Company during the year for the purposes for which they are raised. The Company has not raised any term loan during the year.
- (x) To the best of our knowledge and according to the information and explanations provided to us, we report that no fraud by the Company or on the Company by its officers and employees was noticed or reported during the year.
- (xi) In view of exemption given vide notification no. G.S.R. 463(E) dated June 5,2015, issued by the Ministry of Corporate Affairs, provisions of Section 197 read with Schedule V of the Companies Act, 2013 regarding

managerial remuneration are not applicable to the company.

- (xii) The Company is not a Nidhi company as prescribed under Section 406 of the Companies Act, 2013 and therefore the reporting under Clause 3(xii) of the Order is not applicable.
- (xiii) In our opinion and based on the information and explanation provided to us, all transactions with the related parties are in compliance with section 177 and 188 of Companies Act, 2013 where applicable, and the details have been disclosed in the standalone Financial Statements as required by the applicable Indian Accounting Standards.
- (xiv) According to the information and explanations given to us and based on our examination of records of the Company, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year and therefore provisions of Section 42 of the Companies Act, 2013 are not applicable to the Company.

(xv) According to the information and explanations provided to us, the Company has not entered into any non-cash transaction with directors or persons connected with them as referred to in Section 192 of Companies Act, 2013.

(xvi) In our opinion, the company is not required to be registered under Section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934.

For Elias George & Co.
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 000801S

Ranjit Mathews P
Partner
Membership No. 205377
UDIN: 20205377AAAADJ5804

Kochi
20 June, 2020

ANNEXURE - B TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

With reference to the Annexure B referred to in the Independent Auditors' Report to the members of the Company on the audit of standalone financial statements for the year ended March 31, 2020, we report the following:

A. General Directions

1. Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.

In our opinion, the company has a system in place to process all the accounting transactions through IT system. Based on the information and explanations given to us, and based on procedures performed by us, we are of the opinion that the company has an adequate internal control system to prevent and detect processing of accounting transactions outside the IT system. As per information provided to us, there has been no such instance reported during the year.

2. Whether there is any restructuring of any existing loan or cases of waiver write off of debts/loans/ interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated.

According to the information and explanation given to us and based on our examination of the records of the company, there has not been any restructuring of any existing loan or cases of waiver/ write off of debts/ loans/ interest etc. made by a lender to the company.

3. Whether funds received/receivable for specific schemes from Central/ State agencies were properly accounted for/ utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.

In our opinion, and based on the information and explanations given to us, the funds received/ receivable for specific schemes from Central/ State agencies were properly accounted for/ utilized as per their terms and conditions.

B. Sub Directions

No Sub Directions were issued for the period under audit.

For Elias George & Co.
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 000801S

Ranjit Mathews P
Partner
Membership No. 205377
UDIN: 20205377AAAADJ5804

Kochi
20 June, 2020

ANNEXURE - C TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

The Annexure referred to in our Independent Auditors' Report to the members of Cochin Shipyard Limited on the audit of standalone financial statements for the year ended 31st March 2020.

Report on the Internal Financial Controls under clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

Opinion

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Cochin Shipyard Limited ("the Company") as of March 31, 2020 in conjunction with our audit of the

standalone financial statements of the Company for the year ended on that date.

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2020, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed

under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

For Elias George & Co.
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 000801S

Ranjit Mathews P
Partner
Kochi
20 June, 2020
Membership No. 205377
UDIN: 20205377AAAADJ5804

STANDALONE BALANCE SHEET

as at March 31, 2020

(₹ in lakhs)			
Particulars	Note No.	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
ASSETS			
Non-current assets			
(a) Property, plant and equipment	3	69,653.51	31,303.04
(b) Capital work-in-progress	4	76,820.65	34,107.72
(c) Intangible assets	5	5,965.58	6,160.68
(d) Financial assets			
(i) Investments	6	6,544.52	6,037.18
(ii) Loans	7	108.24	128.73
(iii) Other Financial Assets	8	864.50	-
(e) Income tax assets (net)	9	6,025.42	5,727.71
(f) Deferred tax assets (net)	10	4,635.94	6,574.94
(g) Other non-current assets	11	29,290.38	27,976.59
Total Non-Current assets		199,908.74	118,016.59
Current assets			
(a) Inventories	12	31,341.31	28,336.71
(b) Financial Assets			
(i) Trade receivables	13	28,823.21	39,233.68
(ii) Cash and cash equivalents	14	84,851.63	97,833.96
(iii) Bank balances other than (ii) above	15	132,740.27	154,451.37
(iv) Loans	16	30.97	39.21
(v) Other Financial assets	17	3,292.18	23,357.79
(c) Other current assets	18	159,473.94	63,086.86
Total Current assets		440,553.51	406,339.58
Total Assets		640,462.25	524,356.17
EQUITY AND LIABILITIES			
Equity :			
(a) Equity share capital	19	13,154.04	13,154.04
(b) Other equity	20	360,025.46	320,053.77
Total Equity		373,179.50	333,207.81
Liabilities :			
Non-current liabilities			
(a) Financial liabilities			
(i) Borrowings	21	12,300.00	12,300.00
(ii) Other financial liabilities	22	37,586.91	261.22
(b) Provisions	23	2,872.20	2,428.71
(c) Other non current liabilities	24	11.45	12.59
Total Non-Current Liabilities		52,770.56	15,002.52
Current liabilities			
(a) Financial liabilities			
(i) Trade payables			
Total outstanding dues of Micro Enterprises and Small Enterprises	25	686.52	725.36
Total outstanding dues of creditors other than Micro Enterprises and Small Enterprises		41,185.27	33,933.75
(ii) Other financial liabilities	26	17,266.32	13,001.22
(b) Other current liabilities	27	116,081.50	86,302.85
(c) Provisions	28	38,137.13	36,932.40
(d) Current tax liabilities (net)	9	1,155.45	5,250.26
Total Current Liabilities		214,512.19	176,145.84
Total Equity and Liabilities		640,462.25	524,356.17

Corporate overview and Significant Accounting Policies

1-2

Notes to the Financial Statements

3-58

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

For and on behalf of Board of Directors

SYAMKAMAL N

Company Secretary
M. No. A25337

Kochi, dated June 20, 2020

As per our report attached

For M/s Elias George and Co.,
Chartered Accountants
(Firm Registration No.000801S)

RANJIT MATHEWS P

Partner
(Membership Number: 205377)
Kochi, dated June 20, 2020

SURESH BABU N V

Director (Operations)
DIN - 07482491

JOSEV J

Director (Finance) & Chief Financial Officer
DIN - 08444440

MADHU S NAIR

Chairman and Managing Director
DIN - 07376798

STANDALONE STATEMENT OF PROFIT & LOSS

For the year ended March 31, 2020

(₹ in lakhs)				
	Particulars	Note No.	For the year ended March 31, 2020	For the year ended March 31, 2019
I	Income			
	Revenue from operations	29	342249.39	296560.33
	Other income	30	24750.03	22728.42
	Total Income		366999.42	319288.75
II	Expenses:			
	Cost of materials consumed	31	179599.82	150429.02
	Sub contract and other direct expenses	32	36556.98	37998.73
	Employee benefits expense	33	30567.32	27755.65
	Finance costs	34	4459.41	1430.11
	Depreciation and amortisation expense	35	4873.12	3415.53
	Other expenses	36	16008.41	15897.15
	Provision for anticipated losses and expenditure	37	8591.78	7225.04
	Total expenses		280656.84	244151.23
III	Profit before tax		86342.58	75137.52
IV	Tax expense:			
	(1) Current tax	9	20634.83	29024.73
	(2) Deferred tax	9	1939.00	(2005.00)
V	Profit for the year		63768.75	48117.79
VI	Other comprehensive income			
	A) Items that will not be reclassified to profit or loss			
	i) Remeasurements of defined employee benefit obligations		(797.60)	(300.01)
	ii) Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss		200.76	104.84
	Other comprehensive income for the year		(596.84)	(195.17)
VII	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit and Other Comprehensive Income for the period)		63171.91	47922.62
VIII	Earnings per equity share of ₹ 10 each :	38		
	(1) Basic (₹)		48.48	35.72
	(2) Diluted (₹)		48.48	35.72

Corporate overview and Significant Accounting Policies

1-2

Notes to the Financial Statements

3-58

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

For and on behalf of Board of Directors

SYAMKAMAL N

Company Secretary
M. No. A25337

Kochi, dated June 20, 2020

As per our report attached

For M/s **Elias George and Co.,**
Chartered Accountants
(Firm Registration No.000801S)

RANJIT MATHEWS P

Partner
(Membership Number: 205377)
Kochi, dated June 20, 2020

SURESH BABU N V

Director (Operations)
DIN - 07482491

JOSE V J

Director (Finance) & Chief Financial Officer
DIN - 08444440

MADHU S NAIR

Chairman and Managing Director
DIN - 07376798

STANDALONE STATEMENT OF CASH FLOWS

for the year ended March 31, 2020

(₹ in lakhs)		
Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
A. Cash flow from operating activities		
Profit before tax	86,342.58	75,137.52
Adjustments for :		
Depreciation and amortisation	4,873.12	3,415.53
Interest expense	4,459.41	1,430.11
Interest income	(16,725.17)	(18,594.93)
Rental income	(152.48)	(58.97)
Dividend income	(0.89)	(163.34)
Loss on sale/write off of plant, property and equipment	1.87	16.09
Profit on sale of investments	(235.30)	(711.52)
Income recognised on Govt. assistance	(1.14)	(1.14)
Loss/(gain) on derivative contracts (net)	-	-
Unrealised loss/(gain) on derivative contracts (net)	-	-
Net (gain) /loss on foreign currency transactions	502.01	(88.65)
Operating cash flow before working capital changes	79,064.01	60,380.70
Movements in working capital :		
(Increase) / decrease in inventories	(3,214.86)	685.01
(Increase) / decrease in trade, other receivables and assets	(68,952.59)	(45,321.63)
Increase / (decrease) in trade and other payables	36,429.94	(40,530.86)
	43,326.50	(24,786.78)
Income tax paid net of refunds	(18,065.07)	(20,063.00)
Net cash flows from operating activities (A)	25,261.43	(44,849.78)
B. Cash flow from investing activities		
Purchase of property, plant and equipment	(3,549.74)	(5,749.06)
(Increase) / decrease in capital work In progress	(42,712.93)	(22,623.38)
(Increase) / decrease in Term deposits with maturity above three months	21,711.10	115,388.82
Investment in Mutual Funds	(66,800.00)	(238,184.87)
Redemption of Mutual Funds	66,800.00	238,185.03
Dividend received	0.89	163.34
Profit on sale of investments	235.30	711.52
Investment in NCD of HCSL Subsidiary	-	(4,400.00)
Investment in Equity shares of HCSL Subsidiary	(507.34)	-
Sale or withdrawal of plant, property and equipment	0.66	0.39
Interest received	17,290.78	20,820.27
Rent received	152.48	58.97
Net cash flows from investing activities (B)	(7,378.80)	104,371.03

(₹ in lakhs)		
Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
C. Cash flow from financing activities		
Buy back of shares	0.00	(20000.02)
Transaction cost of Buy back of shares	0.00	(225.78)
Borrowings/ Repayment of loans by employees	28.72	16.60
Net gain /loss on foreign currency transactions	(857.28)	124.38
Repayment of lease liability	(2,376.78)	-
Dividend paid	(19,244.36)	(16,312.32)
Dividend distribution tax paid	(3,955.74)	(3,320.80)
Interest paid	(4,459.52)	(1,163.29)
Net cash flows from financing activities (C)	(30,864.96)	(40,881.23)
D. Net Increase in Cash & Cash Equivalents (A)+(B)+(C)	(12,982.33)	18,640.02
Cash and cash equivalent at the beginning of the Year	97,833.96	79,193.94
Cash and cash equivalent at the end of the Year	84,851.63	97,833.96
Cash and Cash Equivalents' include earmarked funds of ₹ 56702.22 lakhs as on Mar 31, 2020.		

Corporate overview and Significant Accounting Policies

1-2

Notes to the Financial Statements

3-58

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

For and on behalf of Board of Directors

SYAMKAMAL N

Company Secretary
M. No. A25337

Kochi, dated June 20, 2020

As per our report attached

For **M/s Elias George and Co.,**
Chartered Accountants
(Firm Registration No.0008015)

RANJIT MATHEWS P

Partner
(Membership Number: 205377)
Kochi, dated June 20, 2020

SURESH BABU N V

Director (Operations)
DIN - 07482491

JOSE V J

Director (Finance) & Chief Financial Officer
DIN - 08444440

MADHU S NAIR

Chairman and Managing Director
DIN - 07376798

STANDALONE STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

for the year ended March 31, 2020

A. Equity Share Capital		(₹ in lakhs)
As at April 01, 2019	Changes in equity share capital during the year	As at March 31, 2020
13,154.04	0.00	13,154.04
As at April 01, 2018	Changes in equity share capital during the year	As at March 31, 2019
13,593.60	-439.56	13,154.04

B. Other Equity							(₹ in lakhs)
	Reserves and Surplus						Total
	Capital Reserve	Securities Premium	General Reserve	Retained Earnings	Capital Redemption Reserve	Debenture Redemption Reserve	
Balance as at April 01, 2019	263.56	93,152.44	6,322.75	206,436.99	12,353.76	1,524.27	320,053.77
Profit for the year				63,768.75			63,768.75
Other comprehensive income for the year				(596.84)			(596.84)
Total comprehensive income for the year				63,171.91			63,171.91
Dividends (including taxes)				(23,200.10)			(23,200.10)
Transfer from retained earnings				(144.17)		144.17	0.00
Buy back of shares		-		-	-		-
Transaction costs on Buy back of shares				-			-
Amortisation of premium		(0.12)					(0.12)
Transition adjustments				-			-
Balance as at March 31, 2020	263.56	93,152.32	6,322.75	246,264.63	12,353.76	1,668.44	360,025.46
Refer Note 20 for further details							Contd...
Standalone Statement of Changes in Equity for the year ended March 31, 2020							
Balance as at April 01, 2018	263.56	93,152.56	6,322.75	199,104.08	11,914.20	1,235.94	311,993.09
Profit for the year				48,117.79			48,117.79
Other comprehensive income for the year				(195.17)			(195.17)
Total comprehensive income for the year				47,922.62			47,922.62
Dividends (including taxes)				(19,633.12)			(19,633.12)
Transfer from retained earnings				(288.33)		288.33	0.00
Buy back of shares				(20,000.02)	439.56		(19,560.46)
Transaction costs on Buy back of shares				(225.78)			(225.78)
Amortisation of premium		(0.12)					(0.12)
Transition adjustments				(442.46)			(442.46)
Balance as at March 31, 2019	263.56	93,152.44	6,322.75	206,436.99	12,353.76	1,524.27	320,053.77

Refer Note 20 for further details

For and on behalf of Board of Directors

SYAMKAMAL N
Company Secretary
M. No. A25337

SURESH BABU N V
Director (Operations)
DIN - 07482491

JOSE V J
Director (Finance) & Chief Financial Officer
DIN - 08444440

MADHU S NAIR
Chairman and Managing Director
DIN - 07376798

Kochi, dated June 20, 2020

As per our report attached

For **M/s Elias George and Co.,**
Chartered Accountants
(Firm Registration No.000801S)

RANJIT MATHEWS P
Partner
(Membership Number: 205377)
Kochi, dated June 20, 2020

1. CORPORATE OVERVIEW AND SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1.1. Corporate information

Cochin Shipyard Limited (referred to as “CSL” or “the Company”) is mainly engaged in the construction of vessels and repairs and refits of all types of vessels including upgradation of ships periodical layup repairs and life extension of ships.

The Company is a public limited company incorporated and domiciled in India. The address of its corporate office is Perumanoor, Kochi, Kerala. As at March 31, 2020, the Government of India holds 72.86% of the Company’s equity share capital. The Company’s equity shares are listed for trading on NSE Limited and BSE Limited in India and tax free bonds are listed for trading on BSE Limited.

The financial statements for the year ended March 31, 2020 were approved by the Board of Directors and authorised for issue on June 20, 2020.

2. Significant Accounting Policies

2.1 Statement of compliance

These financial statements have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (referred to as “Ind AS”) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended from time to time and other Accounting Principles generally accepted in India.

2.2 Basis of preparation of Financial Statements

These financial statements have been prepared on the historical cost basis, except for certain financial instruments which are measured at fair values at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies below. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services. Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

2.3 Use of estimates and judgements

The preparation of the financial statements in conformity with the Ind AS requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities and disclosures as at date of the financial statements and the reported amounts of the revenues and expenses for the years presented. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors

that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period in which the estimate is revised if the revision affects only that period or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

2.4 Critical Accounting estimates and judgements:

The application of significant accounting policies that require critical accounting estimates involving complex and subjective judgements and the use of assumptions in the financial statements have been disclosed below:

Useful lives of property, plant and equipment

The Company reviews the estimated useful lives and residual values of property, plant and equipment at the end of each reporting period. Assumptions are also made as to whether an item meets the description of asset so as to warrant its capitalisation and which component of the asset may be capitalised. Reassessment of life may result in change in depreciation expense in future periods.

Valuation of deferred tax assets / liabilities

The Company reviews the carrying amount of deferred tax assets / liabilities at the end of each reporting period. Significant judgements are involved in determining the elements of deferred tax items.

Leases

The Company evaluates if an arrangement qualifies to be a lease as per the requirements of Ind AS 116. Identification of a lease requires significant judgment. The Company uses significant judgements in assessing the lease term (including anticipated renewals) and the applicable discount rate.

The classification of the leasing arrangement as a finance lease or operating lease is based on an assessment of several factors, including, but not limited to, transfer of ownership of leased asset at end of lease term, lessee’s option to purchase and estimated certainty of exercise of such option, proportion of lease term to the asset’s economic life, proportion of present value of minimum lease payments to fair value of leased asset and extent of specialised nature of the leased asset.

Impairment of unquoted investments

The Company reviews its carrying value of investments annually, or more frequently when there is indication for impairment. If the recoverable amount is less than its carrying amount, the impairment loss is accounted for.

Recognition and measurement of provisions

The recognition and measurement of provisions are based on the assessment of the probability of an outflow of resources and on past experience and circumstance known at the balance sheet date. The actual outflow of resources at a future date may therefore vary from the figure included in provisions.

Provision towards Guarantee repairs

A provision is made towards guarantee repairs/claims in respect of newly built ships/small crafts delivered and repaired ships on the basis of the technical estimation done by the Company. The guarantee claims received from the ship owners are reviewed every year till settlement of the same. In case of a shortfall in the provision made earlier, additional provisions are made.

Contingencies and commitments

A contingent liability is a possible obligation that arises from past events whose existence will be confirmed by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Company or a present obligation that is not recognised because it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation or it cannot be measured with sufficient reliability. The Company does not recognise a contingent liability but discloses its existence in the financial statements.

Recoverability of advances / receivables

The Company makes provisions for expected credit loss based on an assessment of the recoverability of trade and other receivables. The identification of doubtful debts requires use of judgement and estimates. Where the expectation is different from the original estimate, such difference will impact the carrying value of the trade and other receivables and expenses on account of provision for doubtful debts in the period in which such estimate has been changed. At each balance sheet date, based on historical default rates observed over expected life, the management assesses the expected credit loss on outstanding receivables and advances.

Fair value measurements

Management applies valuation techniques to determine the fair value of financial instruments (where active market quotes are not available) and non-financial assets. This involves developing estimates and assumptions consistent with how market participants would price the instrument. Management bases its assumptions on observable data as far as possible but this is not always available. In that case management uses the best information available. Estimated fair values may vary from the actual prices that would be achieved in an arm's length transaction at the reporting date.

Provision for inventories

Management reviews the inventory ageing on a periodic basis. This review involves comparison of the carrying value of the aged inventory items with the respective net realisable value. The purpose is to ascertain whether a provision is required to be made in the financial statements for any obsolete and slow-moving items and that adequate provision for obsolete and slow-moving inventories has been made in the financial statements.

Liquidated Damages

Claims for liquidated damages against the Company are recognized in the financial statements based on the management's assessment of the probable outcome with reference to the available information supplemented by experience of similar transactions.

Revenue Recognition

The Company exercises significant judgement in measuring progress of performance obligations satisfied over time for recognition of revenue from contracts with customers. Provision for estimated losses if any, on the uncompleted part of the contracts are provided in the period in which such losses become probable based on the expected contract estimates at the reporting date. Claims for liquidated damages against the Company are recognized based on the management's assessment of the probable outcome with reference to the available information supplemented by experience of similar transactions.

Recognition and measurement of defined benefit obligations

The obligation arising from defined benefit plan is determined on the basis of actuarial assumptions. Key actuarial assumptions include discount rate, trends in salary escalation and vested future benefits and life expectancy. The discount rate is determined with reference to market yields at the end of the reporting period on the Government bonds. The period to maturity of the underlying bonds correspond to the probable maturity of the post employment benefit obligations.

2.5 Property , Plant and Equipment (PPE)

The Company had applied for the one time transition exemption of considering the carrying cost on the transition date i.e. April 1, 2015 as the deemed cost under Ind AS. Hence regarded thereafter as historical cost.

Property, Plant and Equipments are stated at cost less accumulated depreciation (other than free hold land which are stated at cost) and impairment losses, if any.

PPE are initially recognised at cost. The initial cost of PPE comprises its purchase price, and any costs directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management including non refundable duties and taxes net of any trade discounts and rebates. The cost of PPE also includes interest on borrowings (borrowing cost directly attributable to acquisition, construction or production of qualifying assets) upto initial recognition.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the items are material and can be measured reliably. The carrying amount of any component accounted for as a separate asset is derecognised when replaced. All other repairs and maintenance are charged to Statement of profit and loss during the reporting period in which they are incurred.

2.6 Capital work in progress and intangible assets under development:

Capital work in progress and intangible assets under development are property, plant and equipment that are not yet ready for their intended use at the reporting date, which are carried at cost, comprising direct cost, related incidental expenses and attributable borrowing cost.

2.7 Intangible Assets

Design development: Cost incurred on Design Development which are not directly chargeable on a product are capitalized as Intangible Asset and amortised on a straight-line basis over a period of five years.

Software: Cost of software which is not an integral part of the related hardware acquired for internal use is capitalised as intangible asset and amortised on a straight-line basis over a period of three years.

Right to use: Up- front fee paid for securing right to use of land and other facility is capitalized as intangible asset and amortised on a straight line basis over the period of lease for which the right has been obtained.

Internally generated procedure: Cost of internally generated procedure is capitalized as Intangible Asset and amortised on a straight-line basis over a period of three years.

The residual values, useful lives and methods of amortization of intangible assets are reviewed at each financial year end and adjusted prospectively, if appropriate.

2.8 Leases

Indian Accounting Standard (Ind AS 116) "Leases" became effective from April 01, 2019 and the Company has adopted the same using modified retrospective transition method, where at the date of initial application, the lease liability is measured at the present value of remaining lease payments and the right-of-use assets are initially recognised at cost, which comprises of the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or prior to the commencement date of the lease plus any initial direct costs less any lease incentives. Accordingly, the comparatives have not been retrospectively adjusted

As a Lessee:

The Company's lease asset classes primarily consist of leases for Land and Buildings. The Company assesses whether a contract is or contains a lease, at inception of a contract. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Company assesses whether: (i) the contract involves the use of an identified asset (ii) the Company has substantially all of the economic benefits from use of the asset through the period of the lease and (iii) the Company has the right to direct the use of the asset.

At the date of commencement of the lease, the Company recognises a lease liability and a corresponding right-of-use ("RoU") asset for all lease arrangements in which it is a lessee, except for leases with a term of twelve months or less (short term leases) and leases of low value assets. For these short term and leases of low value assets, the Company recognises the lease payments as an operating expense on a straightline basis or another systematic basis over the term of the lease. The right-of-use assets are initially recognised at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or prior to the commencement date of the lease plus any initial direct costs less any lease incentives. They are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Right-of-use assets are depreciated from the commencement date on a straight-line basis over the shorter of the lease term and useful life of the underlying asset. The lease liability is initially measured at the present value of the future lease payments. The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease or, if not readily determinable, using the incremental borrowing rates. The lease liability is subsequently remeasured by increasing the carrying amount to reflect interest on the lease liability and reducing the

carrying amount to reflect the lease payments made. A lease liability is remeasured upon the occurrence of certain events such as a change in the lease term or a change in an index or rate used to determine lease payments. The remeasurement normally also adjusts the leased assets. Lease liability and RoU asset have been separately presented in the Balance Sheet and lease payments have been classified as financing cash flows.

As a lessor:

Leases for which the Company is a lessor is classified as a finance or operating lease. Whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee, the contract is classified as a finance lease. All other leases are classified as operating leases.

For operating leases, rental income is recognized on a straight line basis or another systematic basis over the term of the relevant lease .The difference between the amount recognised as lease rental income and actual cashflows payable as per the lease agreement is adjusted in ("Accrued Lease Rental asset").

2.9 Investment Properties

Investment properties are properties held to earn rentals and/or for capital appreciation. Investment properties are measured initially at cost including transaction costs. Subsequent to initial recognition, investment properties are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. Any gain or loss on disposal of investment property is determined as the difference between net disposal proceeds and the carrying amount of the property and is recognised in the Statement of Profit and Loss

2.10 Depreciation

Depreciation on property, plant and equipment is provided on straight-line method based on useful life of the asset as prescribed in Schedule II to the Companies Act, 2013 except to the extent described below.

For the assets acquired from Cochin Port Trust for International Ship Repair Facility (ISRF),depreciation is provided on the basis of remaining useful life as assessed by technical experts. Right Of Use assets are depreciated from the commencement date on a straight line basis over the shorter of the end of the useful life of the Right Of Use asset or the end of the lease term.

An item of property, plant and equipment and any significant part initially recognised is derecognised upon disposal or when no future economic benefits

are expected from its use or disposal. Any gain/loss arising on derecognition of the asset is included in the Statement of profit and loss when the asset is derecognised.Fully depreciated assets still in use are retained in financial Statements at residual value .

Depreciation method, useful lives and residual values are reviewed at each reporting date and adjusted prospectively, if appropriate.

Management believes that useful life of assets are same as those prescribed in Schedule II to the Act, except for certain types of buildings and equipments wherein based on technical evaluation, useful life has been estimated to be different from that prescribed in Schedule II of the Act.Useful life considered for calculation of depreciation for various assets class are as follows:

Asset Class	Useful Life
Buildings	3-60 years
Plant and equipment	5-15 years
Furniture and fixtures	8-10 years
Vehicles	8-10 years
Office equipment	3-10 years
Data Processing Equipments	3-6 years
Docks and quays	15 years
Railway sidings	15 years
Electrical installation	10 years
Drainage and water supply	15 years
Vessels	13-28 years

2.11 Impairment of Assets

The Company assesses the impairment of assets with reference to each cash generating unit, at each Balance Sheet date. If events or changes in circumstances based on internal and external factors indicate that the carrying value may not be recoverable in full, the loss on account and the recoverable amount, is accounted for accordingly. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs of disposal and value in use.

2.12 Non-current assets held for sale

Company classifies a non-current asset as held for sale if its carrying amount will be recovered principally through a sale transaction. This condition is regarded as met only when the asset is available for immediate sale in its present condition and its sale is highly probable.

Non-current assets including discontinued operations, classified as held for sale are measured at the lower of

the carrying amounts and fair value less costs to sell and presented separately in the financial statements. Once classified as held for sale, the assets are not subject to depreciation or amortisation.

Any profit or loss arising from the sale or re-measurement of discontinued operations is presented as part of a single line item in statement of profit and loss

2.13 Investment in subsidiary

The Company has accounted for its subsidiary at cost in its standalone financial statements in accordance with Ind AS- 27, Separate Financial Statements.

2.14 Inventories

- (a) Raw materials, components, stores and spares are valued at weighted average cost method or net realisable value whichever is lower. However materials and other supplies held for use in the production /services are not written down below cost if the finished products/supply of services in which they will be incorporated are expected to be sold at or above cost. Provision for obsolescence / non- usability / deterioration is determined on the basis of technical assessment made by the management. Goods in transit are valued at lower of cost and net realisable value. Stock of materials in respect of construction of defence vessels wherein the cost incurred is reimbursed by the owner are shown as reduction from the advances paid by the owner for construction of the vessel.
- (b) Loose tools in stock are valued at cost after providing for loss on revaluation estimated at 30% of book value.
- (c) Stock of scrap is valued at net realizable value after adjusting customs duty, if any, payable on the scrap.

2.15 Financial instruments

Financial assets and liabilities are recognised when the Company becomes a party to the contractual provisions of the instrument

Financial assets and liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities (other than financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss) are added to or deducted from the fair value measured on initial recognition of financial asset or financial liability.

Financial assets at Fair Value through other comprehensive income (FVTOCI)

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if these financial assets are held within a business whose objective is achieved

by both collecting contractual cash flows that give rise on specified dates to solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding and by selling financial assets.

Financial assets at Fair Value through statement of profit and loss (FVTPL)

Financial assets are measured at fair value through profit or loss unless it is measured at amortised cost or at fair value through other comprehensive income on initial recognition. The transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets and liabilities at fair value through profit or loss are immediately recognised in statement of profit and loss.

Financial assets at amortised cost

Financial assets are subsequently measured at amortised cost if these financial assets are held within a business whose objective is to hold these assets in order to collect contractual cash flows and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Investments

All equity investments in scope of Ind AS 109 Financial Instruments, are measured at fair value. Equity instruments which are held for trading are classified as at FVTPL. For all other equity instruments, the Company may make an irrevocable election to present in other comprehensive income subsequent changes in the fair value. The Company makes such election on an instrument-by- instrument basis. The classification is made on initial recognition and is irrevocable.

Investment in a 'debt instrument' is measured at the amortised cost if both the following conditions are met: The asset is held within a business model whose objective is -

- (1) To hold assets for collecting contractual cash flows, and
- (2) Contractual terms of the asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.

After initial measurement, such financial assets are subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate (EIR) method. Amortised cost is calculated by taking into account any discount or premium and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortisation is included in finance income in the Statement of Profit and Loss. The losses arising from impairment are recognised in the Statement of Profit and Loss.

Trade Receivables

The Company classifies the right to consideration in exchange for deliverables as either a receivable or as contract asset. A receivable is a right to consideration that is unconditional and only the passage of time is required before the payment of that consideration is due.

The Company assesses at each Balance Sheet date whether a financial asset or a Company of financial asset is impaired. Ind AS 109 requires expected credit loss to be measured through a loss allowance.

The Company recognises lifetime expected credit losses for all trade receivables that do not constitute a financing transaction. Impairment loss allowance is based on a simplified approach as permitted by Ind AS 109. As a practical expedient, the company uses a provision matrix to determine the impairment loss on the portfolio of its trade receivables.

Full provision is made for all trade receivables considered doubtful of recovery when the debt is more than three years or if it is probable / certain that the debt is not recoverable.

Where debts are disputed in legal proceedings, provision is made if any decision is given against the company even if the same is taken up on appeal to higher authorities/courts.

Impairment loss allowance (or reversal) that is required to be recognised at the reporting date is recognised as an impairment loss or gain in the Statement of Profit & Loss Account.

Cash and cash equivalents

The Company considers all highly liquid financial instruments, which are readily convertible into known amounts of cash that are subject to an insignificant risk of change in value and having original maturities of three months or less from the date of purchase, to be cash equivalents. Cash and cash equivalents consist of balances with banks which are unrestricted for withdrawal and usage.

Financial liabilities

Financial liabilities are measured at amortised cost using the effective interest rate method.

Equity Instruments

An equity instrument is a contract that evidences residual interest in the assets of the company after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recognised at the proceeds received net of direct issue cost.

Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in financial statements if there is a currently enforceable legal right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, to realise the assets and settle the liabilities simultaneously.

Foreign Currency Transactions

Functional & Presentation Currency

The financial statements are presented in Indian Rupees ("INR"), which is the functional currency and presentation currency of the Company.

Transactions & Balances:

Foreign exchange transactions are recorded in functional currency adopting the exchange rate prevailing on the dates of respective transactions. Monetary items denominated in foreign currencies at the year end are re-measured at the exchange rate prevailing on the balance sheet date. Non monetary foreign currency items are carried at cost. Any income or expense on account of exchange difference either on settlement or on restatement is recognised in the statement of Profit and Loss.

Derivative instruments and hedge accounting:

The Company designates certain foreign exchange forward contracts as hedge instruments in respect of foreign exchange risks. These hedges are accounted for as cash flow hedges. Derivatives are initially recognised at fair value on the date a derivative contract is entered into and are subsequently re-measured to their fair value at the end of each reporting period.

The use of foreign currency and derivative contracts is governed by the Company's foreign exchange risk management policy approved by the Board of Directors which provide written directives on the use of such financial derivatives consistent with the Company's risk management strategy. The company does not use derivative financial instruments for speculative purposes.

The hedge instruments are designated and documented as hedges at the inception of the contract. The effectiveness of hedge instruments to reduce the risk associated with the foreign currency exposure that is being hedged is assessed and measured at inception and on an ongoing basis. The ineffective portion of designated hedges are recognised immediately in the Statement of Profit and Loss.

The effective portion of change in the fair value of the designated hedging instrument is recognised in the Other Comprehensive Income and accumulated under the heading cash flow hedge reserve.

Hedge accounting is discontinued when the hedging instrument expires or is sold, terminated or exercised without replacement or rollover (as part of hedging strategy), or if its designation as a hedge is revoked, or when the hedge no longer meets the criteria for hedge accounting. Any gain or loss recognised in Other Comprehensive Income and accumulated in equity till that time remains and is recognised in Statement of Profit and Loss when the forecasted transaction ultimately affects the profit or loss. When a forecasted transaction is no longer expected to occur, the cumulative gain or loss accumulated in equity is transferred to the Statement of Profit and Loss.

2.16 Contract Assets

Where the Company performs by transferring goods or services to a customer before the customer pays consideration or before payment is due, the Company presents the contract as a contract asset. A contract asset is Company's right to consideration in exchange for goods or services that the Company has transferred to a customer. Contract assets are reviewed for impairment in accordance with Ind AS 109.

2.17 Contract Liabilities

Where the Company receives consideration, or the Company has a right to an amount of consideration that is unconditional (ie a receivable), before the Company transfers a good or service to the customer, the Company presents the contract as a contract liability when the payment is made or the payment is due (whichever is earlier). A contract liability is Company's obligation to transfer goods or services to a customer for which the Company has received consideration (or an amount of consideration is due) from the customer.

2.18 Provisions , Contingent Liabilities and Contingent assets

A provision is recognised if, as a result of a past event, the Company has a present legal obligation that can be estimated reliably, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation. Provisions (excluding retirement benefits and compensated leave) are not discounted to its present value and are determined by the best estimate of the outflow of economic benefits required to settle the obligation at the reporting date. These are reviewed at each reporting date adjusted to reflect the current best estimates.

Provision towards guarantee claims in respect of ships/ small crafts delivered wherever provided/ maintained is based on technical estimation. For the ships delivered, guarantee claims are covered by way of insurance policies covering the guarantee period on case to case basis, wherever required.

In the normal course of business, contingent liabilities may arise from litigations and other claims against the Company. Where the potential liabilities have a low probability of crystallizing or are very difficult to quantify reliably, the Company treats them as contingent liabilities. Such liabilities are disclosed in the notes but are not provided for in the financial statements. Although there can be no assurance regarding the final outcome of the legal proceedings, Company does not expect them to have a materially adverse impact on our financial position or profitability. The Company does not recognise a contingent liability but discloses its existence in the financial statements.

Contingent assets are neither recognised nor disclosed. However, when realisation of income is virtually certain, related asset is recognised

2.19 Revenue Recognition

a) Revenue from Operations

Effective April 1, 2018, the Company has adopted Ind AS115 "Revenue from Contracts with Customers". In respect of contracts that were not completed on the date of initial application (April 1, 2018), the company has applied the standard retrospectively by recognizing the cumulative effect of applying the same at the effective date, as an adjustment to the Opening balance of Retained earnings and accordingly figures for earlier years have not been retrospectively adjusted.

Revenue from contracts with customers is measured based on transaction price, which is the fair value of consideration received or receivable. Revenue is recognized when the company satisfies performance obligations by transferring promised goods and services to the customer over a period of time using output method based on measurement of physical performance completed to date in respect of contracts with customers for ship building and ship repair other than Indigenous Aircraft Carrier (IAC).

In respect of contract with Indian Navy for construction of Indigenous Aircraft Carrier, which is partly 'fixed price basis' and partly 'cost plus basis', the revenue from fixed price portion is recognized as explained above. The revenue by way of mark up from cost plus part of the contract for procuring and supply of materials and design outsourcing is recognized when performance obligations as per the terms of the contract are fulfilled

upon making payments to the suppliers. The cost of materials, value of design outsourcing and other expenses incurred for the vessel which are recoverable separately from Navy are charged off to the statement of Profit and Loss when materials are consumed/ activities are performed/expenses are incurred and are simultaneously grossed up with the value of work done and recognized as income.

Other Operating Revenue is recognized at the point of time when the company satisfies performance obligations by transferring promised goods and services to the customer except in the case of Ship Building Financial Assistance (SBFA) which is recognised over a period of time being output method based on measurement of physical performance completed to date in respect of contracts which are eligible under SBFA policy.

In circumstances, where the Company may not be able to reasonably measure the outcome of a performance obligation, but the Company expects to recover the costs incurred in satisfying the performance obligation, the Company recognises revenue only to the extent of the costs incurred until such time that it can reasonably measure the outcome of the performance obligation. Where current estimates of total contract costs and revenue indicate a loss, provision is made for the entire loss, irrespective of the amount of work done.

Contract modifications are accounted when additions, deletions or changes are approved either to the contract scope or contract price. The accounting for modifications of contracts involves assessing whether the services added to an existing contract are distinct and whether the pricing is at the stand alone selling price. Where the goods or services added are not distinct, adjustment to revenue is made on a cumulative catch up basis. Where the goods or services added are distinct, and such additional goods or services are priced at standalone selling prices, the contract modification is accounted for as a separate contract; whereas if the modification is not priced at standalone selling price, the same is accounted as a termination of the existing contract and creation of a new contract.

If the consideration promised in a contract includes variable amounts like discounts, rebates, refunds, credits, price concessions, liquidated damages or other similar items, the Company estimates the net amount of consideration to which the Company is entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer and accounts for the same.

b) Government Grants

Government grants are recognised when there is reasonable assurance that the Company will comply with the conditions attaching to them and that the grants will be received.

Government grants are recognised in Statement of Profit and Loss on a systematic basis over the periods in which the Company recognises as expenses, the related costs for which the grants are intended to compensate. Where the Grant relates to an asset value, it is recognised as deferred income, and amortised over the expected useful life of the asset. Other grants are recognised in the statement of Profit & Loss concurrent to the expenses to which such grants relate/ are intended to cover.

Government grants that are receivable as compensation for expenses or losses already incurred or for the purpose of giving immediate financial support to the Company with no future related costs are recognised in statement of profit & loss in the period in which they become receivable. Ship Building Financial Assistance is accounted as revenue from operations in the manner specified in para (a)

Government grants are recognised when there is reasonable assurance that the Company will comply with the conditions attaching to them and that the grants will be received.

Government grants are recognised in Statement of Profit and Loss on a systematic basis over the periods in which the Company recognises as expenses, the related costs for which the grants are intended to compensate. Where the Grant relates to an asset value, it is recognised as deferred income, and amortised over the expected useful life of the asset. Other grants are recognised in the statement of Profit & Loss

concurrent to the expenses to which such grants relate/ are intended to cover.

Government grants that are receivable as compensation for expenses or losses already incurred or for the purpose of giving immediate financial support to the Company with no future related costs are recognised in statement of profit & loss in the period in which they become receivable. Ship Building Financial Assistance is accounted as revenue from operations in the manner specified in para a)

c) Liquidated damages and interest on advances

No income is recognized on (a) interest on advances given and (b) liquidated damages, where the levies depend on decisions regarding force majeure condition of contract. These are accounted for on completion of contracts and / or when final decisions are taken.

In the case of contracts entered into for execution of capital works having long gestation period, where the extant commercial terms of the contract provides for provision of extending interest bearing mobilisation advance to the service provider for mobilising various resources for timely execution, mobilisation advances are paid and interest is accounted on accrual basis

d) Accounting for insurance claims

(i) Warranty/Builder Risk claims

In the case of guarantee defects covered under warranty insurance policies or claims under Insurance Policies taken for ship building and ship repair works, the insurance claims lodged are recognized in the financial statements in the year in which the survey is completed and the probable amount of settlement intimated by the insurance Company.

(ii) Other Insurance Policies

In the case of other Insurance Policies like Asset Insurance, Transit Insurance, Marine Insurance, Cash Insurance etc., the claims are recognized in the the financial statments on settlement of the claims by way of receipt of the amount from the Insurance Company.

In the case of Medical insurance, claims are recognized on due basis, based on the claims submitted with the insurance company.

e) Others

Dividend income is recognized when the Company's right to receive payment has been established.

2.20 Employee benefits

Employee benefits consist of salaries and wages, contribution to provident fund, superannuation fund, gratuity fund, towards medical assistance, which are short term in nature and contribution towards compensated absences , which is long term in nature.

Post-employment benefit plans

Defined Contribution plans

Defined contribution to Employees Pension scheme for eligible employees are made to CSL Superannuation Pension Trust for Executives and Supervisors and CSL Workmen Pension Trust and are charged as expense as they fall due. Such benefits are classified as Defined Contribution Schemes as the Company does not carry any further obligations, apart from the contributions made.

The Company also makes contribution towards provident fund, in substance a defined contribution retirement benefit plan. The provident fund is administered by the Trustees of the Cochin Shipyard Limited Employees Contributory Provident Fund Trust. The rules of the Company's provident fund administered by the Trust, require that if the Board of Trustees are unable to pay interest at the rate declared by the Employees' Provident Fund by the Government under para 60 of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952 for the reason that the return on investment is less or for any other reason, then the deficiency shall be made good by the Company. The deficiency, if any assessed by the Company is provided for in the accounts.

The Company also makes contribution towards Employees Medical Assistance Trusts which are charged as expense as they fall due. Such benefits are classified as Defined Contribution Schemes as the Company does not carry any further obligations, apart from the contributions made.

Defined benefit plans

The Company provides for gratuity, a defined benefit retirement plan covering eligible employees. The liability or asset recognised in the balance sheet in respect of its defined benefit plan is the present value

of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated periodically by actuaries using the projected unit credit method.

The present value of the said obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows, using market yields of government bonds that have terms approximating the terms of the related liability.

The interest income / (expense) are calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability or asset. The net interest income / (expense) on the net defined benefit liability or asset is recognised in the Statement of Profit and loss.

Remeasurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognised in the period in which they occur, directly in other comprehensive income. They are included in retained earnings in the Statement of Changes in Equity and in the Balance Sheet.

Changes in the present value of the defined benefit obligation resulting from plan amendments or curtailments are recognised immediately in Statement of profit and loss as past service cost.

Other employee benefits

Compensated absences

The Company has a policy on compensated absence which are both accumulating and non-accumulating in nature. The expected cost of accumulating compensated absence is determined by Actuarial valuation performed by an independent actuary at each Balance Sheet date using projected unit credit method on the additional amount expected to be paid/availed as a result of unused entitlement that has accumulated at the Balance Sheet date. Expense on non-accumulating compensated absence is recognised in the period in which the absences occur.

2.21 Borrowing cost

General and specific borrowing costs directly attributable to acquisition/ construction or production of qualifying assets (net of income earned on temporary deployment of funds) are capitalized as part of cost of such assets upto the date when such assets are ready for the intended use. A qualifying asset is one that necessarily takes substantial period of time to get ready for its intended use. All other borrowing costs are charged to the Statement of Profit and Loss in the period in which they are incurred. Borrowing cost also includes exchange differences to the extent regarded as an adjustment to the borrowing costs

2.22 Corporate Social Responsibility

The Company has opted to charge its Corporate Social responsibility (CSR) expenditure to the Statement of Profit & Loss, except in respect of expenditure incurred against the non-lapsable provision held under the guidelines of Department of Public Enterprises (DPE)

2.23 Prior period adjustment

Prior period adjustments due to errors, having material impact on the financial affairs of the Company, are corrected retrospectively by restating the comparative amounts for prior periods presented in which the error occurred or if the error occurred before the earliest period presented, by restating the opening statement of financial position.

2.24 Taxes on Income

Income tax

Income tax expense comprises current tax expense and the net change in the deferred tax asset or liability during the year. Current and deferred taxes are recognised in Statement of Profit and Loss, except when they relate to items that are recognised in other comprehensive income or directly in equity, in which case, the current and deferred tax are also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

Current tax

Current tax is measured at the amount of tax expected to be payable on the taxable income for the year as determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961. Current tax assets and current tax liabilities are off set when there is a legally enforceable right to set off the recognized amounts and there is an intention to settle the asset and the liability on a net basis.

Deferred tax

Deferred income tax is recognised using the Balance Sheet approach. Deferred income tax assets and liabilities are recognised for deductible and taxable temporary differences arising between the tax base of assets and liabilities and their carrying amount, except when the deferred income tax arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and affects neither accounting nor taxable profit or loss at the time of the transaction.

Deferred tax assets are recognised only to the extent that it is probable that either future taxable profits or reversal of deferred tax liabilities will be available, against which the deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax credits and unused tax losses can be utilised.

The carrying amount of a deferred tax asset shall be reviewed at the end of each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred income tax asset to be utilised.

Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred tax asset is realised or the deferred tax liability is settled.

Deferred tax assets and liabilities are off set when there is a legally enforceable right to offset current tax assets and liabilities and when the deferred tax balances relate to the same taxation authority.

2.25 Earnings Per Share

Basic earnings per share is computed by dividing profit or loss attributable to equity shareholders of the Company by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. The Company did not have any potentially dilutive securities in any of the years presented.

2.26 Segment Reporting

Operating segments are defined as components of an enterprise for which discrete financial information is available that is evaluated regularly by the chief operating decision maker, in deciding how to allocate resources and assessing performance. The Company's chief operating decision maker is the Chairman & Managing Director.

The Company has identified business segments (industry practice) as reportable segments. The business segments comprise: 1) Ship Building and 2) Repair of Ships/offshore structures.

Segment revenue, segment expenses, segment assets and segment liabilities have been identified to segments

on the basis of their relationship to the operating activities of the segment. Revenue, expenses, assets and liabilities which relate to the Company as a whole and are not allocable to segments on a reasonable basis have been included under "unallocated revenue / expenses / assets / liabilities".

2.27 Statement of cash flows

Cash Flows are reported using the Indirect Method, whereby profit/loss before tax is adjusted for the effect of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments and items of income or expenses associated with investing or financial cash flows. Cash flows from operating, investing and financial activities of the Company are segregated based on the available information.

For the purpose of statement of cash flow, Cash and cash equivalent comprise cash at banks and on hand and short-term deposits with an original maturity of three months or less, which are subject to an insignificant risk of changes in value, net of outstanding bank overdrafts, if any. Bank overdrafts, if any, are disclosed within borrowings in current liabilities in the Balance Sheet

2.28 Dividend to equity shareholders

Dividend to equity shareholders is recognised as a liability and deducted from shareholders' equity, in the period in which the dividends are approved by the equity shareholders in the general meeting.

2.29 Recent accounting pronouncements - Standards issued but not yet effective

Recent Accounting Developments Ministry of Corporate Affairs ("MCA") notifies new standards or amendments to the existing standards. There is no such notification which would have been applicable from April 1, 2020.

Notes to the Standalone

Financial Statements for the year ended March 31, 2020

Note 3 : Property, Plant and Equipment

(₹ in lakhs)

Particulars	Gross carrying amount				Depreciation				Net Carrying amount	
	As at 1st April 2019	Additions/ adjustments during the year	Disposal/ adjustments during the year	As at 31st Mar 2020	As at 1st April 2019	For the year	Adjustment/ (withdrawal)	As at 31st Mar 2020	As at 31st Mar 2020	As at 31st March 2019
Owned Assets										
Land (Freehold)	587.54	-		587.54	-			-	587.54	587.54
Buildings	13,459.99	345.44		13,805.43	1,926.33	521.85		2,448.18	11,357.25	11,533.66
Plant and equipment	18,115.59	793.50	1.07	18,908.02	5,591.52	1,485.63	0.55	7,076.60	11,831.42	12,524.07
Furniture and fixtures	1,113.31	125.88	1.65	1,237.54	372.40	114.27	0.92	485.75	751.79	740.91
Vehicles	515.38	83.73		599.11	203.19	53.30		256.49	342.62	312.19
Office equipment	234.56	148.89	1.41	382.04	133.98	39.26	1.17	172.07	209.97	100.58
Others										
Data Processing Equipments	916.58	422.24	0.79	1,338.03	668.96	161.90	0.72	830.14	507.89	247.62
Docks and quays	4,466.45	-		4,466.45	1,243.14	299.41		1,542.55	2,923.90	3,223.31
Railway sidings	1.10	-		1.10	-	-		-	1.10	1.10
Electrical installation	1,725.64	39.36		1,765.00	732.10	132.70		864.80	900.20	993.54
Drainage and water supply	6.67	-		6.67	-	-		-	6.67	6.67
Vessels	19.74	-		19.74	4.36	1.36		5.72	14.02	15.38
Sub Total	41,162.55	1,959.04	4.92	43,116.67	10,875.98	2,809.68	3.36	13,682.30	29,434.37	30,286.57
Assets on leased premises										
Buildings	848.99	1,260.35	3.84	2,105.50	333.80	110.60	2.95	441.45	1,664.05	515.19
Plant and equipment	316.00	202.75	0.13	518.62	50.28	23.96	0.04	74.20	444.42	265.72
Docks and quays	9.62	-		9.62	8.35	-		8.35	1.27	1.27
Electrical installation	331.57	29.20		360.77	97.28	34.78		132.06	228.71	234.29
Sub Total	1,506.18	1,492.30	3.97	2,994.51	489.71	169.34	2.99	656.06	2,338.45	1,016.47
Right Of Use Assets										
Right of Use - Land		39,172.92		39,172.92		1,354.98		1,354.98	37,817.94	
Right of Use - Buildings		98.11		98.11		35.36		35.36	62.75	
Sub Total	-	39,271.03	-	39,271.03	-	1,390.34	-	1,390.34	37,880.69	-
Total	42,668.73	42,722.37	8.89	85,382.21	11,365.69	4,369.36	6.35	15,728.70	69,653.51	31,303.04

Notes to the Standalone

Financial Statements for the year ended March 31, 2020

Note 3 : Property, Plant and Equipment

(₹ in lakhs)

Particulars	Gross carrying amount				Depreciation				Net Carrying amount	
	As at 1st April 2018	Additions/ adjustments during the year	Disposal/ adjustments during the year	As at 31st March 2019	As at 1st April 2018	For the year	Adjustment/ (withdrawal)	As at 31st March 2019	As at 31st March 2019	As at 31st March 2018
Owned Assets										
Land (Freehold)	587.54	-	-	587.54	-	-	-	-	587.54	587.54
Buildings	9,621.47	3,838.52		13,459.99	1,472.52	453.81		1,926.33	11,533.66	8,148.95
Plant and equipment	17,247.01	881.19	12.61	18,115.59	4,133.70	1,462.12	4.30	5,591.52	12,524.07	13,113.31
Furniture and fixtures	875.83	240.29	2.81	1,113.31	267.26	107.02	1.88	372.40	740.91	608.57
Vehicles	493.86	21.56	0.04	515.38	143.18	60.02	0.01	203.19	312.19	350.68
Office equipment	208.93	28.32	2.69	234.56	104.76	31.61	2.39	133.98	100.58	104.17
Others										
Data Processing Equipments	869.14	52.52	5.08	916.58	501.72	171.71	4.47	668.96	247.62	367.42
Docks and quays	4,466.45	-	-	4,466.45	943.73	299.41	-	1,243.14	3,223.31	3,522.72
Railway sidings	1.10	-	-	1.10	-	-	-	-	1.10	1.10
Electrical installation	1,290.81	434.83	-	1,725.64	600.66	131.44	-	732.10	993.54	690.15
Drainage and water supply	6.67	-	-	6.67	-	-	-	-	6.67	6.67
Vessels	19.74	-	-	19.74	3.00	1.36		4.36	15.38	16.74
Sub Total	35,688.55	5,497.23	23.23	41,162.55	8,170.53	2,718.50	13.05	10,875.98	30,286.57	27,518.02
Assets on leased premises										
Buildings	838.22	10.82	0.05	848.99	250.85	82.97	0.02	333.80	515.19	587.37
Plant and equipment	113.45	208.99	6.44	316.00	39.11	11.34	0.17	50.28	265.72	74.34
Docks and quays	9.62	-	-	9.62	8.35	-	-	8.35	1.27	1.27
Electrical installation	329.54	2.03	-	331.57	63.82	33.46	-	97.28	234.29	265.72
Sub Total	1,290.83	221.84	6.49	1,506.18	362.13	127.77	0.19	489.71	1,016.47	928.70
Right Of Use Assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	36,979.38	5,719.07	29.72	42,668.73	8,532.66	2,846.27	13.24	11,365.69	31,303.04	28,446.72

Notes to the Standalone

Financial Statements for the year ended March 31, 2020

Freehold Land includes the value of (a) land allotted on lease basis to (i) Bharatiya Vidya Bhavan (0.69045 hectare) (ii) M/s Indian Oil Corporation Ltd (0.620 hectare) for laying pipeline (iii) land leased to M/s Cochin Air Products (0.30 hectare) and (b) land leased to Kerala State Electricity Board (0.47 hectare).

Value of land includes value of buildings acquired along with the land for which depreciation has not been provided as the value is not separately available and most of these buildings are likely to be demolished for putting up facilities for the factory.

Assets taken over from Cochin Port Trust (CoPT) (₹ 1291.52 lakhs) have been valued and life assessed by technical experts. This life has been taken as a base for arriving at the remaining useful life for providing depreciation for these assets. These assets together with assets constructed/installed on land taken on lease from CoPT, Mumbai Port Trust (MbPT) and Kolkata Port Trust (KoPT) have been disclosed separately as assets on leased premises in the note no 3 to Property, Plant & Equipments.

The Company has created mortgage for ₹ 12300 Lakhs on the landed properties of the Company as security for the tax free bonds issued by the Company during the year 2013-14.

Note 4 : Capital work -in -progress

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Plant and machinery, Buildings and Civil works	75,687.89	33,693.32
Capital yard items	1,126.50	414.40
Goods in Transit	6.26	-
Total	76,820.65	34,107.72

Note 5 : Intangible assets

(₹ in lakhs)

Particulars	Gross carrying amount				Amortisation				Net Carrying amount	
	As at 1st April 2019	Additions/ adjustments during the year	Disposal/ adjustments during the year	As at 31st Mar 2020	As at 1st April 2019	For the year	Adjustment/ (withdrawal)	As at 31st Mar 2020	As at 31st Mar 2020	As at 31st March 2019
Internally generated weld procedure	27.67	-	-	27.67	27.67	-	-	27.67	-	-
Computer software	1,396.74	98.40	-	1,495.14	1,283.41	83.16	-	1,366.57	128.57	113.33
Right to use - land and ship repair facility	7,000.00	-	-	7,000.00	952.65	210.34	-	1,162.99	5,837.01	6,047.35
	8,424.41	98.40	-	8,522.81	2,263.73	293.50	-	2,557.23	5,965.58	6,160.68

Notes to the Standalone

Financial Statements for the year ended March 31, 2020

(₹ in lakhs)

Particulars	Gross carrying amount				Amortisation				Net Carrying amount	
	As at 1st April 2018	Additions/ adjustments during the year	Disposal/ adjustments during the year	As at 31st March 2019	As at 1st April 2018	For the year	Adjustment/ (withdrawal)	As at 31st March 2019	As at 31st March 2019	As at 31st March 2018
Internally generated weld procedure	27.67	-	-	27.67	19.97	7.70	-	27.67	-	7.70
Computer software	1,366.75	29.99	-	1,396.74	1,180.39	103.02	-	1,283.41	113.33	186.36
Right to use - land and ship repair facility	7,000.00	-	-	7,000.00	742.31	210.34	-	952.65	6,047.35	6,257.69
	8,394.42	29.99	-	8,424.41	1,942.67	321.06	-	2,263.73	6,160.68	6,451.75

The Right to use of land and ship repair facility shown under Intangible Assets represents the upfront fee paid to Cochin Port Trust towards setting up of International Ship Repair Facility (ISRF) project, to be amortised over the period of lease which was further extended based on the date of obtaining of Environmental Clearance. As all environmental clearances for ISRF are obtained as on January 09, 2018, the lease period of 30 years effectively starts from this date.

Note 6 : Investments-Non Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Unquoted (Fully Paid up)		
Investment in equity instruments		
a) At Cost		
Equity shares in subsidiary company		
Hooghly Cochin Shipyard Ltd - 22000000 Equity shares of face value of ₹ 10 each	2,135.34	1,628.00
b) At Fair Value Through Other Comprehensive Income		
Cochin Shipyard Employees Consumer Co-operative Society Limited 2175 'B Class' shares of ₹ 100 each	2.18	2.18
Kerala Enviro Infrastructure Limited - 70000 equity shares of ₹10 each	7.00	7.00
Cochin Waste to Energy Private Limited -100000 equity shares of ₹10 each	-	-
Investment in Debt instruments		
a) At Amortised cost		
Investment in Non Convertible Debentures (NCD) of M/s Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL) a subsidiary of Cochin Shipyard Ltd, 440000, 6.5% Unsecured Redeemable Non-convertible Debentures of ₹1000 each	4,400.00	4,400.00
Total	6,544.52	6,037.18
Aggregate value of unquoted investment	6,544.52	6,037.18

M/s Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL) a subsidiary of Cochin Shipyard Ltd, was incorporated on October 23, 2017 as an arrangement between M/s Cochin Shipyard Ltd (CSL) and M/s Hooghly Dock & Port Engineers Limited (HDPEL) wherein CSL had invested in 16280000 equity shares of face value of ₹10 each for cash (74%) and Hooghly Dock & Port Engineers Limited had invested in 5720000 equity shares of face value of ₹ 10 each for consideration other than cash (26%). During the year, the Company acquired 57,20,000 (26%) equity shares of Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL) held by HDPEL, for an amount of ₹ 506.08 lakhs and HCSL has now become a wholly owned (100%) subsidiary of CSL. The paid up equity share capital of HCSL is ₹ 22,00,00,000 divided into 2,20,00,000 equity shares of ₹ 10 each. and this investment in HCSL is accounted at cost as per Ind AS 27- Separate Financial Statements.

Notes to the Standalone

Financial Statements for the year ended March 31, 2020

Note 7: Loans - Non Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Unsecured, considered good:		
Security deposits	65.40	65.40
Employee advances		
Loans to related parties	0.00	0.00
Other employees	42.84	63.33
Total	108.24	128.73

No significant increase in credit risk or credit impairment

Note 8: Other Financial Assets - Non Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Ship Building Financial Assistance Scheme Subsidy	835.57	-
Accrued Lease Rental Asset	28.93	
Total	864.50	-

Govt. of India approved a Financial Assistance Policy for Indian Shipyards on 9th December 2015 for grant of financial assistance to Indian Shipyards for shipbuilding contracts signed between April 1, 2016 to March 31, 2026. Eligibility for this Assistance based on measurement of physical performance completed to date is accounted for .

Note 9: Income tax assets / liability (net)

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Non current tax assets		
Income Tax Assets net of provisions	6,025.42	5,727.71
Current tax assets / (liabilities)		
Advance income tax net of provisions	(1,155.45)	(5,250.26)

Income tax recognised in the Statement of profit and loss

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2020	For the year ended March 31, 2019
Current tax:		
Current income tax charge	23,895.75	29,662.84
Adjustment in respect of prior years	(3,260.92)	(638.11)
Total (A)	20,634.83	29,024.73
Deferred tax:		
In respect of current year	1,939.00	(2,005.00)
Total (B)	1,939.00	(2,005.00)
Income tax expense recognised in the Statement of Profit and Loss (A+B)	22,573.83	27,019.73

Notes to the Standalone

Financial Statements for the year ended March 31, 2020

The income tax expense for the year can be reconciled to the accounting profit as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2020	For the year ended March 31, 2019
Profit before tax	86,342.58	75,137.52
Income tax expense calculated at respective applicable rates	21,730.70	26,256.00
Effect of expenses that are not deductible in determining taxable profit	5,916.60	7,088.97
Effect of expenses that are allowable in determining taxable profit	(4,131.73)	(3,834.57)
Effect of expenses incurred on Corporate Social Responsibility not deductible in determining taxable profit	319.87	363.82
Effect of income that is exempt from taxation		(57.08)
Others	60.31	(154.30)
	23,895.75	29,662.84
Adjustments recognised in the current year in relation to the current tax of prior years	(3,260.92)	(638.11)
Adjustments for changes in estimates of deferred tax assets	1,939.00	(2,005.00)
Income tax expense recognised in the Statement of Profit and Loss	22,573.83	27,019.73

Note 10: Deferred tax assets (net)

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Deferred tax liabilities	2,787.39	3,901.30
Deferred tax assets	(7,423.33)	(10,476.24)
Total	(4,635.94)	(6,574.94)

Deferred tax liabilities/(assets) in relation to 2019-20

(₹ in lakhs)

Particulars	Opening balance	Recognised in Statement of Profit and Loss	Recognised in Statement of Equity	Closing Balance
Provisions	(9,508.69)	3,083.22	0.00	(6,425.47)
Property, plant and equipment	3,958.25	(1,145.11)	0.00	2,813.14
Intangible assets	(56.94)	28.06	0.00	(28.88)
Others	(967.56)	(27.17)	0.00	(994.73)
Total	(6,574.94)	1,939.00	-	(4,635.94)

Notes to the Standalone

Financial Statements for the year ended March 31, 2020

Deferred tax liabilities/(assets) in relation to 2018-19

(₹ in lakhs)

Particulars	Opening balance	Recognised in Statement of Profit and Loss	Recognised in Statement of Equity	Closing Balance
Provisions	(7,438.88)	(2,069.81)	0.00	(9,508.69)
Property, plant and equipment	3,958.04	0.21	0.00	3,958.25
Intangible assets	(3.47)	(53.47)	0.00	(56.94)
Others	(847.96)	118.07	(237.67)	(967.56)
Total	(4,332.27)	(2,005.00)	(237.67)	(6,574.94)

Note 11: Other non-current assets

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Unsecured, considered good		
Capital advances	28,817.72	26,950.20
Advances other than capital advances:		
Security deposits	211.44	207.23
Advance lease rentals	-	557.94
Deposits with Customs department	261.22	261.22
Total	29,290.38	27,976.59

Deposit with Custom Department of ₹ 261.22 lakhs pertains to a refund appeal lying before Commissioner (Appeals) to cover a liability in respect of customs duty which is also shown as Payable to Chennai Port Trust under Note No. 22- Other Financial Liabilities- Non Current

Notes to the Standalone

Financial Statements for the year ended March 31, 2020

Note 12 : Inventories

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Raw Materials and components*	28,145.83	23,409.46
Less : Provision for obsolescence, non-usability, deterioration and reduction in value of inventory	(391.39)	(442.17)
Goods-in transit*	1,964.10	3,754.30
	29,718.54	26,721.59
Stores & Spares*	780.18	709.80
Less : Provision for obsolescence, non-usability, deterioration and reduction in value of inventory	(17.06)	(31.75)
Goods-in transit*	37.33	0.47
	800.45	678.52
Loose Tools*	680.55	819.80
Scrap*	141.77	116.80
Total	31,341.31	28,336.71

* Valuation of inventories is done in accordance with Accounting Policy no. 2.14 given in Note no.2

- (i) Inventory does not include stock of raw materials and bought out components procured under "Cost Plus" part of the IAC contract amounting to ₹ 32838.80 lakhs (previous year ₹ 55426.72 lakhs) held on behalf of Indian Navy lying with the Company and is shown under Advances from Indian Navy for Indigenous Aircraft Carrier.
- (ii) Maintenance spares included in the inventory represent spares of general nature and are not related to a particular asset.

Note 13 : Trade Receivables-Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Trade Receivables considered good - Unsecured	28,823.21	39,233.68
Trade Receivables which have significant increase in Credit Risk	13,588.08	13,123.16
Less: Allowance for Expected credit loss	(13,588.08)	(13,123.16)
Trade Receivables - credit impaired	-	-
Total	28,823.21	39,233.68

Trade receivables are non-interest bearing and receivable in normal operating cycle.

Movement in the expected credit loss allowance

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Opening balance	13,123.16	9,263.32
Add: Provision made/transfer during the year	4,149.68	4,187.29
Less: Amount collected/reversal of provision	3,684.76	327.45
Closing Balance	13,588.08	13,123.16

Notes to the Standalone

Financial Statements for the year ended March 31, 2020

Note 14 : Cash and Cash equivalents

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Cash on hand	-	
Balance with Banks		
In current account	6,061.15	19,172.20
In current account on behalf of Indian Navy	3,641.02	30,626.67
In current account out of IPO Proceeds	5.04	5.09
Term deposits with original maturity of less than three months	22,088.26	35,300.00
Term deposits with original maturity of less than three months out of IPO Proceeds	8,485.71	12,730.00
Term deposits with original maturity of less than three months earmarked for objects of IPO	44,570.45	-
Total	84,851.63	97,833.96

Funds received from Indian Navy for the construction of Indigenous Aircraft Carrier are held in a separate account and is separately disclosed.

Note 15 : Bank balances other than cash and cash equivalents

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Lien Marked Term deposits with original maturity of less than three months*	18,993.08	
Term Deposits with banks with original maturity more than 3 months and less than 12 months**	57,080.19	130,332.97
Term Deposits with banks with original maturity more than 3 months and less than 12 months out of IPO Proceeds	5,050.00	24,108.86
Term Deposits with banks with original maturity more than 3 months and less than 12 months earmarked for objects of IPO	51,597.00	-
Earmarked balances (Unpaid Dividend account)	20.00	9.54
Total	132,740.27	154,451.37

* Deposits with banks with maturity less than three months include ₹ 18993.08 lakhs lien marked deposits in favour of Union Bank of India for maintaining cash margin towards the Non-Fund based credit facilities granted to the Company.

** Deposits with banks with maturity upto 12 months, include ₹ 87.34 lakhs (previous year ₹ 82.29 lakhs) lien marked in favour of The Registrar of High Court of Kerala.

** Deposits with banks with maturity up to 12 months include ₹ 33,000.00 lakhs lien marked in favour of Union Bank of India for maintaining cash margin towards the Non-Fund based credit facilities granted to the Company.

Notes to the Standalone

Financial Statements for the year ended March 31, 2020

Note 16 : Loans - Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Unsecured, considered good		
Loans to related parties	-	-
Other employees	30.97	39.21
Total	30.97	39.21

No significant increase in credit risk or credit impairment

Note 17 : Other Financial Assets - Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Interest accrued on fixed deposits	3,122.61	3,684.00
Interest accrued from Others	153.58	153.58
Interest accrued on employee advances		
Related parties		0.36
Other employees	15.99	19.85
Fixed Deposit with HDFC Ltd	-	19,500.00
Total	3,292.18	23,357.79

Note 18 : Other Current Assets

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Unsecured advances		
Advances other than capital advances		
Advances to related party	0.84	1.01
Other advances	11,525.24	16,281.77
Advances considered doubtful	0.07	0.07
	11,526.15	16,282.85
Less: Provision for doubtful advances	0.07	0.07
	11,526.08	16,282.78
Others		
Contract Assets for IAC works	60,570.53	
Contract Assets for other works	30,980.80	21,716.35
Balance with Sales Tax department and CBEC	474.80	422.11
Miscellaneous deposits	17.26	13.94
Prepaid expenditure	463.98	384.52
Input Tax Credit on GST	54,194.03	22,926.42
Miscellaneous current assets	1,246.47	1,340.74
Total	159,473.94	63,086.86

Notes to the Standalone

Financial Statements for the year ended March 31, 2020

Note 19 : Equity Share Capital

Particulars	As at March 31, 2020		As at March 31, 2019	
	Number	₹ in lakhs	Number	₹ in lakhs
Authorised				
Equity shares of ₹ 10/- each	250000000	25,000.00	250000000	25,000.00
Issued, Subscribed and Fully paid up				
Equity shares of ₹ 10 each fully paid up	131540390	13,154.04	131540390	13,154.04
Total	131540390	13,154.04	131540390	13,154.04

19.1 Reconciliation of number of shares and amounts outstanding

Particulars	As at March 31, 2020		As at March 31, 2019	
	Number	₹ in lakhs	Number	₹ in lakhs
Equity Shares outstanding at the beginning of the year	131540390	13,154.04	135936000	13,593.60
Add : shares issued during the year	0	0.00	0	0.00
Less : Shares bought back during the year	0	0.00	4395610	439.56
Equity Shares outstanding at the end of the year	131540390	13,154.04	131540390	13,154.04

Terms & Rights attached to Equity shares: The Company has only one class of equity shares having a face value of ₹10 per share which is fully paid up. Equity shareholders are eligible for one vote per share held, and are entitled to dividends as and when declared by the Company. Interim dividend is paid as and when declared by the Board. Final dividend proposed by the Board of Directors is subject to approval/regularisation by the share holders in the Annual General meeting. In the event of liquidation, the equity shareholders are eligible to receive the remaining assets of the company after distribution of all preferential amounts, in proportion to their shareholding.

19.2 Details of shareholders holding more than 5% shares in the company

Particulars	As at March 31, 2020		As at March 31, 2019	
	Number of Shares held	% of holding	Number of Shares held	% of holding
The President of India	95843464	72.86	98934442	75.21
Nippon Life India Ltd (Formerly Reliance Capital Trustee Co. Ltd).	10795352	8.21	8323743	6.33

Govt of India has transferred 3090978 equity shares (aggregating to 2.35% of paid up capital) on Feb 3,2020 to the Asset Management Company , Nippon Life India Ltd formerly known as Reliance Capital Trustee Company Ltd through the Department of Investment and Public Asset Mangement (DIPAM) in connection with the issue of CPSE ETF FFO - 6 and in accordance with the SEBI Regulations ,1996 and other applicable laws,rules and regulations as framed from time to time

Notes to the Standalone

Financial Statements for the year ended March 31, 2020

Note 20 : Other Equity

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Capital Reserves	263.56	263.56
Capital Redemption Reserve	12,353.76	12,353.76
Securities Premium	93,152.32	93,152.44
Debenture Redemption Reserve	1,668.44	1,524.27
General Reserve	6,322.75	6,322.75
Retained Earnings	246,264.63	206,436.99
Total	360,025.46	320,053.77

Movement of each item in Other Equity is detailed in Statement of Changes in Equity

Capital Reserve: Capital reserve represents restoration charges received from Ms Indian Oil Corporation Ltd for laying pipe line through the Company's land.

Capital Redemption Reserve: Capital Redemption Reserve of ₹ 12353.76 includes ₹ 11914.20 lakhs being reserves created on redemption of preference shares and ₹ 439.56 lakhs being a sum equal to the nominal value of the shares bought back, which will be utilised for the purpose defined under the Companies Act 2013.

Securities Premium: Premium on tax free bonds is amortised on straight line basis over the period of bonds. The company had completed the Initial Public Offer (IPO) during 2017-18 and had allotted 22656000 equity shares of ₹ 10 each at premium (₹ 93929.76 lakhs). Expenses incurred net of deferred tax adjustment towards such allotment of shares amounting ₹ 777.93 lakhs has been debited in Securities Premium in accordance with the requirements of Indian Accounting Standard (Ind AS) 32- Financial Instruments.

Debenture Redemption Reserve: The Company was hitherto creating Debenture Redemption Reserve at 25% of the value of bonds issued by the company over the maturity period of such debentures in accordance with Section 71(4) of the Companies Act, 2013 read with Rule 18(7) of the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 and as per SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008. As per the amendment made to the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 notified vide Notification No. G.S.R. 574(E) by the Ministry of Corporate Affairs, the company is not required to create Debenture Redemption Reserves in respect of the bonds issued by it. However, the Debenture Redemption Reserve already created up to 30.09.2019, ₹ 1668.44 Lakhs, shall be retained in the books till the time of redemption of the bonds.

Interim dividend : During the year, the Company paid an interim dividend of ₹ 1.63 per equity share of face value of ₹ 10 as recommended at the board meeting held on November 12, 2019

Proposed dividend : The Board of Directors of the Company have recommended a final dividend of ₹ 15 /- per equity share of face value of ₹ 10/- for the financial year ended March 31, 2020 at the board meeting held on June 20, 2020.

Note 21 : Borrowings

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Bonds - (Secured)		
At amortised cost		
Tax Free Redeemable Non Convertible Bonds -Series 2013-14	12,300.00	12,300.00
Total	12,300.00	12,300.00

Notes to the Standalone

Financial Statements for the year ended March 31, 2020

Tax Free Infrastructure Bond Series 2013-14

- a) Tranche 1: 1000 bonds of face value of ₹10 lakhs totalling ₹10000 lakhs with interest rate of 8.51% payable annually, redeemable at par, due for redemption on 02nd December 2023
- b) Tranche 2: 230 bonds of face value of ₹10 lakhs totalling ₹ 2300 lakhs with interest rate of 8.72% payable annually, redeemable at par, due for redemption on 28th March 2029 .

These bonds are secured against the landed properties of the Company admeasuring 197.12 ares (487.00 cents) made up of 34.30 ares in Sy No. 713/11, 23.57 ares in Sy No. 713/12, 59.12 ares in Sy No. 713/13, 50.18 ares in Sy No. 714/06, 10.12 ares in Sy No. 714/2, 8.90 ares in Sy No. 714/4 and 10.93 ares in Sy No. 714/5 of land all are lying contiguously in Elamkulam village, Kanayannur taluk, Ernakulam Dist, Kerala.

Utilisation : Out of the issue proceeds of ₹ 12300 lakhs received, the Company has fully utilised/adjusted funds towards various expenditure incurred on International Ship Repair Facility (ISRF) project.

Difference between carrying amounts and fair values of financial liabilities of borrowings is not significant in each of the year presented.

Note 22: Other Financial liabilities - Non Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Payable to Chennai Port Trust	261.22	261.22
Lease Liabilities - Ind AS 116	37,325.69	-
Total	37,586.91	261.22

Liability of ₹ 261.22 lakhs to Chennai Port Trust in respect of customs duty is covered by a refund appeal lying before Commissioner (Appeals) which is also shown as deposits with Customs department under Note No. 11

Note 23: Provisions - Non Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Provision for employee benefits - Compensated absences (Refer Note No 33)	2,872.20	2,428.71
Total	2,872.20	2,428.71

Note 24: Other non current liabilities

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Deferred Income arising from Government Assistance	11.45	12.59
Total	11.45	12.59

Notes to the Standalone

Financial Statements for the year ended March 31, 2020

Note 25 : Trade Payables

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Trade payables (Unsecured)		
Outstanding dues of Micro enterprises and Small enterprises	686.52	725.36
Outstanding dues of creditors other than Micro enterprises and Small enterprises	41,185.27	33,933.75
Total	41,871.79	34,659.11

To the extent, the Company has received intimation from the vendors regarding their status under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, the details of trade payables are provided as under:

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Amount remaining unpaid to supplier at the end of each accounting year;		
Principal	686.52	725.36
Interest on above Principal	-	-
The amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of the Micro, Small, and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), along with the amount of the payment made to supplier beyond the appointed day during each accounting year;		
The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which has been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under Micro, Small, and Medium Enterprises Development Act, 2006;	-	-
The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year	-	-
The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance of a deductible expenditure under section 23 of the Micro, Small, and Medium Enterprises Development Act, 2006;	-	-

Note 26 : Other Financial Liabilities - Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Interest accrued but not due	281.95	281.98
Unpaid Dividend	20.00	9.54
Lease Liabilities	2,433.83	
Others		
Security and other deposits	3,313.51	3,043.15
Others Payables	11,217.03	9,666.55
Total	17,266.32	13,001.22

Notes to the Standalone

Financial Statements for the year ended March 31, 2020

Note 27 : Other Current Liabilities

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Contract Liability for Indigenous Aircraft Carrier works (Net)	-	30,830.24
Contract Liability for other works	113,330.88	52,634.04
Advances for other ship building contracts	114.21	8.23
Advances for ship repair and others	586.08	689.51
Income received in advance	25.33	24.34
Statutory dues	2,023.86	2,115.35
Deferred Income arising from Government Assistance	1.14	1.14
Total	116,081.50	86,302.85

Refer Note No 39 on Ind AS 115 "Revenue from Contract with Customers"

Note 28 : Provisions - Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Provision for Employee benefits		
Gratuity	1,048.51	607.90
Compensated absences (Refer Note No 33)	533.22	464.29
Others	-	2,997.00
	1,581.73	4,069.19
Other Provisions		
Taxes and duties	209.12	211.61
Provision for shipbuilding loss	5,287.00	205.00
Expenditure / contingencies	31,059.28	32,446.60
	36,555.40	32,863.21
Total	38,137.13	36,932.40

28.1 Details of movement of provisions

(₹ in lakhs)

Particulars	As at 01.04.2019	Provision made during the period	Amounts used during the period	Unused amounts reversed during the period	As at 31.03.2020
Provision for employee benefits					
Gratuity	607.90	440.61			1,048.51
Compensated absences	464.29	68.93			533.22
Others	2,997.00	-	(2,997.00)		0.00
Provision for taxes and duties	211.61	0.17	(2.66)		209.12
Provision for shipbuilding loss	205.00	5,287.00		(205.00)	5,287.00
Provision for expenditure / contingencies	32,446.60	29,783.06	(26,117.27)	(5,053.11)	31,059.28

Notes to the Standalone

Financial Statements for the year ended March 31, 2020

(₹ in lakhs)

Particulars	As at 01.04.2018	Provision made during the period	Amounts used during the period	Unused amounts reversed during the period	As at 31.03.2019
Provision for employee benefits					
Gratuity	2,361.78		(1,753.88)		607.90
Compensated absences	383.78	80.51			464.29
Others	1,220.93	1,796.04	(31.24)	11.27	2,997.00
Provision for taxes and duties	196.48	17.93	(2.80)	-	211.61
Provision for shipbuilding loss	548.22	205.00	0.00	(548.22)	205.00
Provision for expenditure / contingencies	23,203.74	26,675.55	(15,461.89)	(1,970.80)	32,446.60

Note 29 : Revenue from operations

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
Sale of products		
Ship building:		
Indigenous Aircraft Carrier (IAC)	237,746.87	175,676.28
Vessels other than IAC	46,206.78	37,341.68
Engineering works	-	-
	283,953.65	213,017.96
Sale of services		
Ship repairs	56,856.75	83,197.46
	56,856.75	83,197.46
Other operating revenue		
Sale of stock items	-	0.45
Ship Building Financial Assistance	835.57	-
Sale of scrap	603.42	344.46
	1,438.99	344.91
Total	342,249.39	296,560.33

Refer Note No 39 on Ind AS 115 "Revenue from Contract with Customers"

The Company signed the Phase III Part of Contract for Construction of Indigenous Aircraft Carrier on October 31, 2019

The Company has considered the lock down period due to COVID 19 as Force Majeure for computation of Liquidated Damages while calculating Revenue from operations

Govt. of India approved a Financial Assistance Policy for Indian Shipyards on 9th December 2015 for grant of financial assistance to Indian Shipyards for shipbuilding contracts signed between April 1, 2016 to March 31, 2026. Eligibility for this Assistance based on measurement of physical performance completed to date is accounted for .

Notes to the Standalone

Financial Statements for the year ended March 31, 2020

Note 30 : Other Income

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
Training facilities	304.29	423.67
Income from sale of scrap and stores	246.42	260.62
Profit on sale of fixed assets	-	-
Income from laboratory services	33.77	35.77
Rent received	303.34	154.32
Hire charges received	5.90	7.71
Interest on bank deposits	14,827.83	17,377.34
Interest from others	1,897.34	1,217.59
Dividend income from equity investments/ Mutual Funds	0.89	163.34
Profit on sale of Mutual Funds	235.30	711.52
Net gain on foreign currency transactions	-	88.65
Provision no longer required	5,159.25	1,916.36
Miscellaneous income	1,735.70	371.53
Total	24,750.03	22,728.42

Miscellaneous income includes ₹ 1.14 lakhs being deferred government assistance in the form of subsidy relating to installation of Solar Power plant inside the yard. The same has been accounted as per the requirements of Ind AS 20 - Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance.

Note 31 : Cost of Materials Consumed

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
Raw Materials		
Steel	5,760.00	5,487.11
Pipe	798.84	1,029.04
Paint	1,495.32	1,223.54
Bought out components	171,545.66	142,689.33
Total	179,599.82	150,429.02

Notes to the Standalone

Financial Statements for the year ended March 31, 2020

Note 32 : Sub Contract and Other Direct Expenses

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
Sub contract and off loaded jobs	28,818.23	25,026.31
Hull insurance	530.97	208.89
Other direct expenses	7,207.78	12,763.53
Total	36,556.98	37,998.73

Note 33 : Employee Benefits Expense

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
Salaries, wages, bonus/exgratia and allowances	26,145.73	24,044.00
Contribution to Provident Fund and Family Pension Fund	2,020.40	1,585.78
Gratuity	305.67	310.06
Staff welfare expenses	2,095.52	1,815.81
Total	30,567.32	27,755.65

Contribution to Provident Fund and Family Pension Fund includes provident fund inspection and administration charges ₹ 20.52 lakhs (previous year ₹17.72 lakhs)

Salaries, Wages, bonus/exgratia and allowances includes provision for encashment of half pay compensated absences for workmen amounting to ₹ 512.42 lakhs (previous year ₹ 243.52 lakhs)

Employee benefit expenses includes ₹ 33.03 Lakhs (previous year ₹ 52.25 Lakhs) being secondment to subsidiary (Hooghly Cochin Shipyard Ltd)

The employee benefits accruing to the employees on deputation from Cochin Port Trust and Mumbai Port Trust are being accounted based on demands received from Cochin Port Trust & Mumbai Port Trust as per tripartite agreement between the Company, Cochin Port Trust & Mumbai Port Trust and the recognised Trade unions of the Port and not based on actuarial valuation except for gratuity which is actuarially valued for 2019-20.

Other Benefit Plan - Compensated absences

The principal assumptions used for the purpose of actuarial valuation were as follows:

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Discount Rate (p.a)	6.66%	7.68%
Rate of increase in compensation levels	3.00%	3.00%
Attrition Rate- Half Pay Leave	Officers & Supervisors 0.7% Workers 0.7%	Officers & Supervisors 0.24% Workers 0.24%
Attrition Rate- Earned Leave	Officers & Supervisors 0.7% Workers 0.7%	Officers & Supervisors 0.6% Workers 0.1%

Notes to the Standalone

Financial Statements for the year ended March 31, 2020

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Average Duration of Defined Benefit Obligation (In years)	7.94	6.95

Amount recognised in the Statement of Profit and Loss in respect of defined benefit plans are as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
Service Cost:		
Current Service Cost	213.89	208.51
Net Interest expense	196.63	187.28
Actuarial (Gain)/Loss recognised during the period	767.32	294.80
Expenses recognised in the statement of profit and loss	1177.84	690.59

The amount included in the Balance Sheet arising from the entity's obligation in respect of its defined benefit plan is as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
Present Value of Defined Benefit Obligation at end of the year	3405.42	2893.00
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	-	-
Net Liabilities /(Assets) recognized in the Balance Sheet	3405.42	2893.00

Type of Employee Benefit	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
Current Component of PVO	533.22	464.29
Non-Current Component of PVO	2872.20	2428.71
TOTAL PVO	3405.42	2893.00

Movements in present value of the defined benefit obligation are as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
Defined Benefit Obligation at beginning of the year	2893.00	2649.48
Current & Past Service Cost	213.89	208.51
Current Interest Cost	196.63	187.28
Actuarial (Gain)/ Loss	767.32	294.8
Benefits paid	(665.42)	(447.07)
Defined Benefit Obligation at end of the year	3,405.42	2,893.00

Notes to the Standalone

Financial Statements for the year ended March 31, 2020

Movements in the fair value of the plan assets are as follows:

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	-	-
Expected Return on Plan Assets	-	-
Actuarial (Gain)/ Loss	-	-
Contributions from the employer	665.42	447.07
Benefits paid	(665.42)	(447.07)
Fair Value of the Assets at the end of the year	-	-

Expected Contributions in Following Years [mid-year cash flows]

Year	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
Year 1	484.41	390.26
Year 2	83.24	121.25
Year 3	203.95	242.21
Year 4	86.45	174.57
Year 5	74.63	68.06
Next 5 Years	472.06	376.12

"NA " denoted " Not Available"

Expected Benefit Payments in Following Years [mid-year cash flows]

Year	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
Year 1	484.41	390.26
Year 2	83.24	121.25
Year 3	203.95	242.21
Year 4	86.45	174.57
Year 5	74.63	68.06
Next 5 Years	472.06	376.12

Sensitivity Analysis - Half Pay Leave

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
A. Discount Rate + 50 BP	7.16%	8.18%
Defined Benefit Obligation [PVO]	355.85	285.32
Current Service Cost	104.81	104.84
B. Discount Rate - 50 BP	6.16%	7.18%
Defined Benefit Obligation [PVO]	389.41	310.74
Current Service Cost	113.84	114.18

Notes to the Standalone

Financial Statements for the year ended March 31, 2020

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
C. Salary Escalation Rate + 50 BP	3.50%	3.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	389.98	311.30
Current Service Cost	113.99	114.39
D. Salary Escalation Rate - 50 BP	2.50%	2.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	355.23	284.73
Current Service Cost	104.64	104.62
BP denotes "Basis Points"		

Sensitivity Analysis - Earned Leave

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
A. Discount Rate + 50 BP	7.16%	8.18%
Defined Benefit Obligation [PVO]	2,927.06	2,516.47
Current Service Cost	130.04	113.29
B. Discount Rate - 50 BP	6.16%	7.18%
Defined Benefit Obligation [PVO]	3,148.26	2,680.38
Current Service Cost	142.08	122.79
C. Salary Escalation Rate + 50 BP	3.50%	3.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	3,151.90	2,683.94
Current Service Cost	142.28	123.00
D. Salary Escalation Rate - 50 BP	2.50%	2.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	2,922.90	2,512.62
Current Service Cost	129.82	113.07
BP denotes "Basis Points"		

Defined Benefit Plan-Gratuity

The principal assumptions used for the purpose of actuarial valuation were as follows (Head office):

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
Discount Rate (p.a)	6.66%	7.68%
Rate of increase in compensation levels	3.00%	3.00%
Attrition Rate	Officers & Supervisors 0.7% Workers 0.7%	Officers & Supervisors 0.6% Workers 0.1%
Expected Rate of Return on Plan Asset	6.66%	7.68%

Notes to the Standalone

Financial Statements for the year ended March 31, 2020

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
Average Duration of Defined Benefit Obligations (In years)	7.21	6.17

Amount recognised in the Statement of Profit and Loss/Other comprehensive income in respect of defined benefit plans are as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
Service Cost:		
Current Service Cost	223.48	235.84
Past Service Cost	-	-
Net Interest expense	23.34	72.04
Components of defined benefit costs recognised in statement of profit and loss	246.82	307.88
Remeasurement of the net defined benefit liability:		
Actuarial (Gain)/Loss on Plan Obligations	636.50	352.70
Difference between Actual Return and Interest income on Plan assets (gain)/loss	165.18	(52.69)
Components of defined benefit costs recognised in Other Comprehensive Income	801.68	300.01

The amount included in the Balance Sheet arising from the entity's obligation in respect of its defined benefit plan is as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
Present Value of Defined Benefit Obligation at end of the year	5,240.37	5,078.90
Less: Fair Value of Plan Assets at the end of the year	4,191.87	4,471.00
Net Liabilities /(Assets) recognized in the Balance Sheet	1,048.50	607.90

Movements in present value of the defined benefit obligation are as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
Defined Benefit Obligation at beginning of the year	5,078.89	5,077.72
Current Service Cost	223.48	235.84
Current Interest Cost	349.80	355.60
Past Service Cost	-	-
Actuarial (Gain)/ Loss	636.50	352.70
Benefits paid	(1,048.30)	(942.97)
Defined Benefit Obligation at end of the year	5,240.37	5,078.89

Notes to the Standalone

Financial Statements for the year ended March 31, 2020

Movements in the fair value of the plan assets are as follows:

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	4,471.00	3,211.31
Expected Return on Plan Assets	326.46	283.56
Actuarial Gain/(Loss)	(165.18)	52.69
Contributions from the employer	607.90	1,866.41
Benefits paid	(1,048.32)	(942.97)
Fair Value of the Assets at the end of the year	4,191.86	4,471.00

Expected Contributions in Following Years [mid-year cash flows]

Year	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
Year 1	NA	NA
Year 2	NA	NA
Year 3	NA	NA
Year 4	NA	NA
Year 5	NA	NA
Next 5 Years	NA	NA

"NA " denoted " Not Available"

Expected Benefit Payments in Following Years [mid-year cash flows]

Year	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
Year 1	1,942.66	1,640.47
Year 2	293.47	465.71
Year 3	698.96	1,064.38
Year 4	327.89	648.22
Year 5	240.10	283.78
Next 5 Years	1,242.55	1,144.17

Sensitivity Analysis

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
A. Discount Rate + 50 BP	7.16%	8.18%
Defined Benefit Obligation [PVO]	5,071.31	4,939.22
Current Service Cost	236.07	211.20
B. Discount Rate - 50 BP	6.16%	7.18%
Defined Benefit Obligation [PVO]	5,423.06	5,228.76
Current Service Cost	269.81	236.99
C. Salary Escalation Rate + 50 BP	3.50%	3.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	5,403.33	5,217.60

Notes to the Standalone

Financial Statements for the year ended March 31, 2020

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
Current Service Cost	267.13	233.60
D. Salary Escalation Rate - 50 BP	2.50%	2.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	5,086.36	4,947.91
Current Service Cost	238.93	213.33
BP denotes "Basis Points"		

MAJOR CATEGORIES OF PLAN ASSETS (AS PERCENTAGE OF TOTAL PLAN ASSETS)

Government of India Securities	29.90%	29.42%
State Government Securities	30.96%	34.62%
High Quality Corporate Bonds	0.00%	0.00%
Equity shares of listed companies	10.90%	9.72%
Property	0.00%	0.00%
Special Deposit Scheme	0.00%	0.00%
Funds managed by Insurer	0.25%	0.23%
Others (to specify)	27.99%	26.01%
Total	100.00%	100.00%

The plan assets are managed by the Gratuity Trust formed by the Company.

The principal assumptions used for the purpose of actuarial valuation of International Ship Repair Facility (ISRF) and CSL Mumbai Ship Repair Unit (CMSRU) were as follows:

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020
Discount Rate (p.a)-ISRF	6.00%
Discount Rate (p.a)-CMSRU	5.70%
Rate of increase in compensation levels	3.00%
Attrition Rate	2.00%
Expected Rate of Return on Plan Asset	NA

Amount recognised in the Statement of Profit and Loss/Other comprehensive income in respect of defined benefit plans are as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020
Service Cost:	
Current Service Cost	45.08
Past Service Cost	-
Net Interest expense	13.77
Components of defined benefit costs recognised in statement of profit and loss	58.85
Remeasurement of the net defined benefit liability:	
Actuarial (Gain)/Loss on Plan Obligations	(4.08)
Difference between Actual Return and Interest income on Plan assets (gain)/loss	
Components of defined benefit costs recognised in Other Comprehensive Income	(4.08)

Notes to the Standalone

Financial Statements for the year ended March 31, 2020

The amount included in the Balance Sheet arising from the entity's obligation in respect of its defined benefit plan is as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020
Present Value of Defined Benefit Obligation at end of the year	238.83
Less: Fair Value of Plan Assets at the end of the year	-
Net Liabilities /(Assets) recognized in the Balance Sheet	238.83

Movements in present value of the defined benefit obligation are as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020
Defined Benefit Obligation at beginning of the year	184.06
Current Service Cost	45.08
Current Interest Cost	13.77
Past Service Cost	-
Actuarial (Gain)/ Loss	(4.08)
Benefits paid	-
Defined Benefit Obligation at end of the year	238.83

ISRF & CMSRU gratuity is self managed by the Company.

Expected Contributions in Following Years [mid-year cash flows]

Year	ISRF	CMSRU
Year 1	NA	NA
Year 2	NA	NA
Year 3	NA	NA
Year 4	NA	NA
Year 5	NA	NA
Next 5 Years	NA	NA
"NA " denoted " Not Available"		

Expected Benefit Payments in Following Years [mid-year cash flows]

Year	ISRF	CMSRU
Year 1	14.49	1.17
Year 2	36.69	2.88
Year 3	25.21	3.80
Year 4	32.45	2.41
Year 5	11.80	1.04
Next 5 Years	104.08	2.83

Notes to the Standalone

Financial Statements for the year ended March 31, 2020

Sensitivity Analysis

Particulars	ISRF	CMSRU
A. Discount Rate + 100 BP	7.00%	6.70%
Defined Benefit Obligation [PVO]	215.49	13.74
Variation	-4.10%	-2.73%
B. Discount Rate - 100 BP	5.00%	4.70%
Defined Benefit Obligation [PVO]	234.79	14.53
Variation	4.48%	2.91%
C. Salary Escalation Rate + 100 BP	4.00%	4.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	234.83	14.53
Variation	4.50%	2.92%
D. Salary Escalation Rate - 100 BP	2.00%	2.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	215.30	13.73
Variation	-4.19%	-2.78%
BP denotes "Basis Points"		

Note 34 : Finance Costs

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
Bank interest	-	-
Interest expense on lease liabilities	3,406.62	
Interest others	1.35	378.67
Interest on tax free bonds	1,051.44	1,051.44
Total	4,459.41	1,430.11

Note 35 : Depreciation and Amortisation Expense

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
Depreciation on property, plant and equipments	2,979.02	2,846.27
Depreciation on RoU Assets	1,390.34	-
Amortisation of other intangible asset	293.50	321.06
Total	4,662.86	3,167.33
Add : Loss on revaluation of tools	210.26	248.20
Total	4,873.12	3,415.53

Notes to the Standalone

Financial Statements for the year ended March 31, 2020

Note 36 : Other Expenses

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
Consumption of stores	2,087.39	1,780.37
Consumption of spares	47.44	52.76
Rates and taxes	19.66	16.48
Power	2,134.70	1,998.38
Fuel	792.76	861.66
Water	242.26	223.26
Repairs and maintenance:		
Building and roads	638.75	652.75
Plant and machinery	104.92	46.96
Others	1,062.04	1,269.74
Maintenance dredging	299.50	540.50
Transport and stores handling	167.05	129.21
Travelling and conveyance expenses	849.58	496.00
Printing and stationery	98.66	88.02
Postage, telephone and telex	64.03	39.66
Advertisement and publicity	477.30	637.38
Lease rent	11.58	1,214.78
Guaranteed Amount under lease agreement	-	12.21
Hire charges	363.50	640.06
Insurance charges	427.26	367.45
Security expenses	1,393.59	1,437.53
Payments to Auditors	24.50	24.15
Training expenses	624.37	658.39
Legal expenses	58.07	16.64
Consultancy	130.46	176.48
Bank charges	496.09	112.62
Net loss on foreign currency transactions	502.01	-
Corporate social responsibility (Refer Note no.46)	1,270.94	1,041.16
Loss on sale/write off of property, plant and equipments	1.87	16.09
Miscellaneous expenses	1,618.13	1,346.46
Total	16,008.41	15,897.15

Notes to the Standalone

Financial Statements for the year ended March 31, 2020

Auditors remuneration, Auditors remuneration for other services and Miscellaneous expenses include:

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
For Audit Fees	12.50	12.50
For Limited Review/other services	7.50	6.00
For Certifications	4.50	5.65
Total	24.50	24.15

Note 37 : Provision for Anticipated Losses and Expenditure

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
Provision for:		
Doubtful debts / advances	3,286.89	6,600.24
Non moving / perpetual inventory verification	1.98	128.62
Expenses and contingencies	220.91	291.18
Provision for loss on Ship Building	5,082.00	205.00
Total	8,591.78	7,225.04

Note 38 : Earnings per Equity Share

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
Net Profit after tax (₹ in lakhs)	63,768.75	48,117.79
Basic and Diluted Earnings Per Share (EPS) (in ₹)	48.48	35.72
Face value per share (in ₹)	10.00	10.00

Note 39: Additional Disclosures under Ind AS 115-"Revenue from Contract with Customers"

Disclosures of Disaggregated revenue as per INDAS 115

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
Revenue from Contracts with customers		
A. Revenue from goods or services transferred over time		
(i) Sale of products (Including Excise Duty Nil)		
Ship building:		
Indigenous Aircraft Carrier (IAC)	237746.87	175676.28
Vessels other than IAC	46206.78	37341.68
Engineering works	0.00	0.00
Other operating revenue		
Ship Buildng Financial Assistance	835.57	0.00

Notes to the Standalone

Financial Statements for the year ended March 31, 2020

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
(ii) Sale of services		
Ship repairs	56856.75	83197.46

B. Revenue from goods or services transferred to customers at a point in time

Other operating revenue		
Sale of Ship Building Scrap	437.29	183.66
Sale of Ship Repair Scrap	166.13	160.80
Sale of stock items		0.45
Total	342249.39	296560.33

Details of transaction price allocated to unsatisfied/ partially satisfied performance obligations:

Aggregate amount of the transaction price allocated to the performance obligations that are unsatisfied (or partially unsatisfied) as of the end of the reporting period amounts to ₹ 925080.07 lakhs (excluding Cost Plus Part of IAC contract). The amount of transaction price relating to unsatisfied performance obligation that are part of a contract that has an original expected duration of one year or less has not been included in the above disclosure as permitted under Ind AS 115. Further the estimate of the transaction price as above would not include any estimated amounts of variable consideration that are constrained. Management expects that 21.71 % of transaction price allocated to unsatisfied/ partially satisfied contracts as of 31.03.2020, as stated above, will be recognised as revenue during FY 2020-21 and the remaining thereafter.

During the year ended March 31, 2020 the Company recognised revenue of ₹ 53210.54 lakhs arising from opening Contract Liability as of April 01, 2019

Reconciliation of contracted price with revenue during the year

Particulars	As at March 31, 2020
Opening contracted price of orders as at April 1, 2019*	1176242.66
Add:	0.00
Fresh orders/change orders received (net)	341069.70
Increase due to additional consideration including Shipbuilding Financial assistance	7920.74
Increase due to exchange rate movements (net)	1430.22
Less:	0.00
Other deductions including variations, change orders etc.	13747.52
Orders completed during the year	8176.29
Closing contracted price of orders as at March 31, 2020	1504739.51
Total Revenue recognised during the year:	136469.80
Less: Revenue out of orders completed during the year	6709.06
Revenue out of orders under execution at the end of the year (I)	129760.74
Revenue recognised upto previous year (from orders pending completion at the end of the year) (II)	449884.96
Decrease due to exchange rate movements (net) (III)	0.00
Balance revenue to be recognised in future viz. Order book (IV)	925093.81
Closing contracted price of orders as at March 31, 2020 (I+II+III+IV)	1504739.51

Notes to the Standalone

Financial Statements for the year ended March 31, 2020

Note 40: Additional Disclosures under Ind AS 116-"Leases"

Indian Accounting Standard (Ind AS 116) "Leases" became effective from April 01, 2019 and the Company has adopted the same using modified retrospective transition method. Accordingly, the comparatives have not been retrospectively adjusted. This has resulted in recognition of RoU assets of ₹ 39271.03 Lakhs, lease liability of ₹ 37325.69 Lakhs, additional finance cost of ₹ 3406.62 Lakhs, additional depreciation of ₹ 1390.34 Lakhs, additional lease rent income (as a lessor) of ₹ 28.93 Lakhs and accrued lease rent asset (as a lessor) of ₹ 28.93 Lakhs for the year ended March 31, 2020. The actual lease rentals paid and received which were hitherto recognised as expense and income are now accounted as reduction in lease liability and adjustment to accrued lease rent. Overall, it has resulted in a reduction of profit for the year ended March 31, 2020 by ₹ 1775.17 Lakhs.

Rent and Hire charges Expense includes expense incurred for the year ended 31.03.2020 relating to Short term leases and leases of low value assets amounting to ₹ 35.61 lakhs

Total Cash outflow for leases for the year ended March 31, 2020 including outflow for short term and low value leases is ₹ 2390.86 lakhs

The Company has lease term extension options that are not reflected in the measurement of lease liabilities.

The details of the contractual maturities of lease liabilities as at March 31, 2020 on an undiscounted basis are as follows

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Less than one year	2,440.69	2,276.26
One to five years	10,686.34	10,052.42
More than five years	122,762.30	123,386.54
Total	135,889.33	135,715.22

The details of the contractual maturities of leased assets as at March 31, 2020 on an undiscounted basis are as follows

Particulars	As at March 31, 2020
Less than one year	182.35
One to five years	465.19
More than five years	326.87
Total	974.41

NOTES ON ACCOUNTS

Note 41: CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS

Particulars	For the period ended 31 Mar 2020	For the period ended 31 Mar 2019	Brief Description of the nature and obligation
	(₹ in Lakhs)	(₹ in Lakhs)	
A			
CONTINGENT LIABILITY (To the extent not provided for)			
a			
Guarantees			
i			
Letters of Credit	13,345.68	23,005.41	Represents Letter of Credit opened by the Company in various banks for procurement of materials/assets
ii			
Bank Guarantees	272,384.71	151,295.89	

Notes to the Standalone

Financial Statements for the year ended March 31, 2020

Particulars		For the period ended 31 Mar 2020	For the period ended 31 Mar 2019	Brief Description of the nature and obligation
iii	Corporate Performance Guarantee to Cochin Port Trust	3,925.00	3,925.00	Performance guarantee given by Company to CoPT for performance of obligations under the contract agreement entered with CoPT during the contract period.
b	Other money for which the company is contingently liable			
i	Greater Cochin Development Authority (GCDA)	69.06	69.06	Claim raised by GCDA for the land acquired for the Company is settled. However 8 land acquisition revision petition cases (Valued at ₹ 69.06 lakhs) filed by evictees is pending with the Hon'ble Supreme Court and High Court.
ii	Customs duties	21,930.58	16,532.69	Customs duty for materials under Bond and indigenous vessels delivered. Includes an amount of ₹ 69.83 lakhs being Customs duty refund granted by CESTAT, Bangalore, against which an appeal was filed by the Department before the Hon'ble High Court of Kerala. The Hon'ble High Court of Kerala has since disposed off the appeal with a direction to the Department to prefer the appeal before the Hon'ble Supreme Court of India. In absence of any further information on the departmental appeal, the same has been retained as Contingent Liability. It also includes an amount of ₹ 5857.03 lakhs being differential IGST demanded on imports made by the company
iii	Sales Tax/Kerala Value Added Tax	657.51	1,259.75	2000-01 - ₹ 111.93 Lakhs 2001-02 - ₹ 73.44 Lakhs 2004-05 - ₹ 195.67 Lakhs 2007-08 - ₹ 276.47 Lakhs (Under appeal.) Stay of collection of tax obtained in all cases. Demand reduced to the extent of amount paid and appeal allowed by Deputy Commissioner (Appeals). Detailed notes in Note no. 41.1 (II & III)

Notes to the Standalone

Financial Statements for the year ended March 31, 2020

Particulars		For the period ended 31 Mar 2020	For the period ended 31 Mar 2019	Brief Description of the nature and obligation
		12.10	12.10	VAT credit for the year 1996-97 which has not been considered in the demand, for which no provision exists in the books
iv	Income Tax	2,107.27	2,988.44	Demand relating to Assessment Years: AY 2010-11 - ₹ 457.63 Lakhs AY 2011-12 - ₹ 406.80 Lakhs AY 2014-15 - ₹ 911.07 Lakhs AY 2017-18 - ₹ 331.77 Lakhs Detailed notes in Note no. 41.1 (I)
v	Service Tax	1,647.47	1,647.47	Demand of Service Tax on IAC (Design Consultancy) as per Show Cause Notice issued. Adjudication pending
		376.88	376.68	Refund claim of Service Tax on IAC granted by Commissioner (Appeal). However Department filed Appeal before CESTAT against the order of Commissioner(Appeals). Also issued Show Cause Notice on CSL & adjudication pending.
		323.04	323.04	Demand of Service Tax on IAC (Management Fee/Handling Charges) as per Show Cause Notice issued. Adjudication pending
		2,339.64	2,339.64	Show Cause Notice issued for levy of service tax on ship repair without allowing deduction of materials for which VAT paid and disallowance of Cenvat Credit. Proceedings under the show cause has been dropped vide order no. COC-EXCUS-000-COM-18-17-18 dt 19.03.2018. Department filed appeal to CESTAT.
		1,885.60	1,885.60	Show Cause Notice issued for levy of Service Tax on the repair of vessels owned by UTLA by denying the benefit of Notification No.25/212-ST dt. 20-6-2012 available for the repair of vessels owned by Govt. Departments. Proceedings under the show cause has been dropped vide order no. COC-EXCUS-000-COM-11-17-18 dt 07.03.2018. Department filed appeal to CESTAT.

Notes to the Standalone

Financial Statements for the year ended March 31, 2020

Particulars		For the period ended 31 Mar 2020	For the period ended 31 Mar 2019	Brief Description of the nature and obligation
		513.71	513.71	Show Cause Notice issued for levy of Service Tax on the repair of vessels during FY 2015-16 owned by UTLA by denying the benefit of Notification No.25/212-ST dt. 20-6-2012 available for the repair of vessels owned by Govt. Departments.
v	Service Tax	734.93	-	Show Cause Notice issued for levy of Service Tax on the repair of vessels during FY 2016-17 owned by UTLA by denying the benefit of Notification No.25/212-ST dt. 20-6-2012 available for the repair of vessels owned by Govt. Departments.
		79.22	79.22	Show Cause Notice issued for levy of service tax on ship repair during the period 2015-16 without allowing deduction of materials for which VAT paid and disallowance of Cenvat Credit.
		286.85	-	Show Cause Notice issued for levy of service tax on ship repair during the period 2016-17 without allowing deduction of materials for which VAT paid and disallowance of Cenvat Credit.
		279.46	279.46	Show Cause Notice issued for non payment of service tax on availing services of persons in non-taxable territory for meeting contractual warranty obligations and on cost of security provided to the transportation of Barge from Cochin to Abu Dhabi.
B	COMMITMENTS (To the extent not provided for)			
a	Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for:	134,742.67	175,080.02	
b	Other commitments			

Notes to the Standalone

Financial Statements for the year ended March 31, 2020

Particulars		For the period ended 31 Mar 2020	For the period ended 31 Mar 2019	Brief Description of the nature and obligation
i	Investment in subsidiary (Hooghly Cochin Shipyard Ltd) for which the company has restriction for their disposal for 5 years from the effective date of the concession agreement.	2,135.34	1,628.00	
ii	Unutilised amount of Initial Public Offer (IPO) proceeds (Pending utilisation amount deposited with various banks in current account and term deposits)	4,737.06	30,802.81	Detailed notes in Note no. 42

41.1. CONTINGENCIES AND COMMITMENTS

(I) Income Tax Assessments

The Income Tax Assessment of the company have been completed up to AY 2017-18.

Demands raised as per the assessment orders totaling to ₹ 1406.41 lakhs for the Assessment Years 2010-11, 2011-12, 2014-15 and 2017-18 are shown under Contingent Liability pending disposal of the appeals filed before the Commissioner of Income Tax (Appeals). The demands are mainly due to disallowance of certain genuine claims. However the above demands have been adjusted against the refund due for the subsequent years.

For the Assessment years 2010-11 and 2011-12 although the appeals filed before the Commissioner of Income Tax (Appeals) has been disposed in favour of the company, the Income Tax Department has gone for appeal against the order of Commissioner of Income Tax (Appeals) before the ITAT, the amount involved under appeal before the ITAT amounts to ₹ 700.86 lakhs.

(II) Sales Tax Assessment under KGST Act

The Sales Tax assessments under Kerala General Sales Tax Act up to the Assessment Year 2004-05 have been completed and orders were issued for all the years except for the year 2002-03 & 2003-04. Due to apparent mistake in the orders issued for the year 2000-01 and 2001-02, applications have been filed for rectification of the orders. Pending rectification to the assessment orders the demands thereto have been shown under Contingent Liabilities. For the Assessment year 2004-05, the Deputy Commissioner (Appeals) has dismissed the appeal filed by the Company against the demand for ₹ 202.22 lakhs. The Company has filed appeal with the Tribunal.

(III) Sales Tax Assessments under KVAT Act

The KVAT assessments from Assessment Year 2005-06 to Assessment Year 2007-08 have been completed and assessment orders were issued for Assessment Year 2005-06 and Assessment Year 2007-08 with a demand of ₹ 2836.63 lakhs and ₹ 5554.71 lakhs respectively. The appeals filed by the Company against the above orders, before the Deputy Commissioner (Appeals) have been partially decided in favour of the Company and remanded for fresh assessments. Accordingly the demands as per the original assessment orders have become null. As such no demand

Notes to the Standalone

Financial Statements for the year ended March 31, 2020

exists as on reporting date. Pending receipt of the revised assessment order, the company filed appeal before the Hon'ble KVAT Appellate Tribunal on the other issues. Tribunal has issued order in favour of CSL for the assessment year 2005-06. The appeal for assessment year 2007-08 is currently pending before the Tribunal. Assessment order for the year 2006-07 is pending.

42. The Utilisation of IPO proceeds is summarised below:

(₹ in lakhs)

Particulars	IPO proceeds received -Based on Final allotment	Actual cash outflow upto March 31, 2020	Unutilised amount as at March 31, 2020
Setting up of Dry Dock	51000.00*	46262.97	4737.03
Setting up of ISRF	26500.00*	26500.00	0.00
General corporate purposes	16523.26	16523.23	0.03
Issue related expenses (Attributable to the Company)	2172.10**	2172.10	0.00
Total	96195.36	91458.30	4737.06

* As per Prospectus Filed

** Increase in IPO expenditure (₹ 172.10 lakhs) compared to the estimates is adjusted against amount specified for General Corporate Purpose

43. The dispute between M/s Apeejay Shipping Ltd (formerly known as Surendra Overseas Ltd) and the Company, in the matter of ship 005 was referred for arbitration by the Hon'ble Supreme Court of India. The arbitration award (July 2009) was in favour of the Company under which the Company is to receive ₹2803.64 lakhs from M/s Apeejay Shipping Ltd. The company has filed a petition before Sub Court, Ernakulam for passing a decree. M/s Apeejay Shipping Ltd has moved to the Sub Court to quash the Award of the Umpire and the Company has filed Counter Affidavit against this move. The matter is pending before the court. No credit has been taken in the books of account, pending final decree of the Court.
44. Permanent Machinery for Arbitration, Department of Public Enterprises, Govt. of India, has notified award in favour of the Company in the dispute between the Company and M/s Oil and Natural Gas Corporation Ltd (ONGC) on the Works Contract Tax issue and ONGC has paid to the Company the disputed sum along with interest amounting to ₹2642.22 Lakhs as per the award. ONGC has gone on appeal before the Law Secretary, Ministry of Law & Justice against the award. Pending disposal of ONGC appeal, no adjustment has been made in the accounts.
45. Litigations : The Company is subject to legal proceedings and claims, in the ordinary course of business. The Company's Management does not reasonably expect that these legal actions, when ultimately concluded and determined, will have material and adverse effect on the Company's results of operation.

Details of material litigations as on 31 March 2020

M/s. Vigil Marine Services in 2004 raised claims towards Agency Commission payable for winning orders for ATCO Tugs. The arbitration proceedings commenced on 10 Oct 2004. Examination and cross examination of witnesses completed and posted the matter for arguments on 01 and 02 Feb 2014. The Arbitrator completed the proceedings and passed his award directing the Company to pay commission to M/s Vigil Marine Services at the rate of 5% of the ATCO contract value of U S Dollar 18.25 Million with interest @ 8% per annum. Aggrieved on this CSL filed Original Suit No 187/2016 before Sub Court, Ernakulam and obtained an interim order staying execution of the award. However the Company has already provided for the principal amount and interest thereon.

Notes to the Standalone

Financial Statements for the year ended March 31, 2020

46. **Corporate Social Responsibility (CSR)** : As per section 135 of the Companies Act 2013, CSR committee has been formed by the Company. The areas of CSR activity includes Health Care, Education, Social Empowerment, etc., and those specified in Schedule VII of the Companies Act 2013. The utilisation of CSR funds are done through direct spending as per the recommendations of CSR committee. Details of amount required to be spent and the amount utilised are given below:

(a) Gross amount required to be spent by the Company during the period ended March 31, 2020	₹ 1233.49 lakhs		
(b) Amount spent during the year	₹ 1270.94 lakhs	₹ in Lakhs	
Particulars		In cash	Yet to be paid in cash
(i) Construction/acquisition of any asset		824.63	-
(ii) On purposes other than (i) above		446.31	-
			Total
			824.63
			446.31

47. **Related Party disclosure as per Ind AS 24**

Related Party	Nature of Relationship	
	2019-20	2018-19
Shri Madhu S Nair Chairman & Managing Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Paul Ranjan D (Up to July 31, 2019) Director (Finance) & Chief Financial Officer	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Suresh Babu N V Director (Operations)	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Bejoy Bhasker Director (Technical)	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Jose V J (From August 01, 2019) Director (Finance) & Chief Financial Officer	Key Managerial Personnel	--
Shri Satinder Pal Singh (Upto February 03, 2020) Official Part Time (Nominee) Director, Government of India	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Elias George (Upto April 20, 2018) Official Part Time (Nominee) Director, Government of Kerala	--	Key Managerial Personnel
Shri Sanjay Bandopadyaya (From February 03, 2020) Official Part Time (Nominee) Director, Government of India	Key Managerial Personnel	--
Shri K R Jyothilal Official Part Time (Nominee) Director, Government of Kerala	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Smt. Roopa Shekhar Rai (From July 29, 2019 to March 20, 2020) Non Official Part Time (Independent) Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Radhakrishna Menon (From July 29, 2019 to March 20, 2020) Non Official Part Time (Independent) Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Krishna Das E (From July 29, 2019 to March 20, 2020) Non Official Part Time (Independent) Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Jiji Thomson Non Official Part Time (Independent) Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Pradipta Banerjee Non Official Part Time (Independent) Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Nanda Kumaran Puthezhath Non Official Part Time (Independent) Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Smt V Kala (Upto January 31, 2020) Company Secretary	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Syamkamal N (From February 01, 2020) Company Secretary	Key Managerial Personnel	--
Hooghly Cochin Shipyard Limited (Principal place of business:Kolkata)	Subsidiary Company	Subsidiary Company with 74 % shareholding

Notes to the Standalone

Financial Statements for the year ended March 31, 2020

Nature of transaction-Remuneration to Key Managerial Person*

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Short term benefit	353.83	275.32
Post employment Benefit	38.89	34.13
Total	392.72	309.45

*Remuneration as on March 31, 2019 includes pay revision arrears w.e.f 01.01.2017

Nature of transaction-Loans/advances

(₹ in lakhs)

Name of Related Party	Opening Balance as on 1/4/2019	Loans/ advances Taken during 2019-20	Repay ment	Balance as on 31/03/20	Interest accrued as on 31/03/20
MADHU S NAIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAUL RANJAN D	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00
SURESH BABU N V	0.19	0.50	0.49	0.20	0.00
BEJOY BHASKER	0.52	0.50	0.82	0.20	0.00
JOSE V J	0.18	0.50	0.48	0.20	0.00
KALA V	0.15	0.50	0.65	0.00	0.00
SYAMKAMAL N	0.18	0.60	0.54	0.24	0.00

(₹ in lakhs)

Name of Related Party	Opening Balance as on 1/4/2018	Loans/advances Taken during 2018-19	Repay ment	Balance as on 31/03/19	Interest accrued as on 31/03/19
MADHU S NAIR	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00
PAUL RANJAN D	0.99	0.50	1.34	0.15	0.00
SUNNY THOMAS	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00
SURESH BABU N V	0.95	0.60	1.36	0.19	0.00
BEJOY BHASKER	1.73	0.50	1.71	0.52	0.36
KALA V	0.77	0.50	1.12	0.15	0.00

Loan balances have been considered from the year of attaining KMP status.

Notes to the Standalone

Financial Statements for the year ended March 31, 2020

Nature of transaction-Sitting Fee to Independent Directors

(₹ in lakhs)

Name of the meeting	Roopa Shekhar Rai	Krishna Das E	Radhakrishna Menon	Jiji Thomson	Nandakumaran Puthezhath	Pradipta Banerji
Board Meeting	0.60	0.60	0.60	0.75	0.60	0.75
Audit Committee	0.00	0.30	0.30	0.30	0.45	0.30
Corporate Social Responsibility Committee	0.45	0.00	0.45	0.30	0.30	0.00
Nomination and Remuneration Committee	0.45	0.45	0.00	0.30	0.30	0.00
Contracts and Capex Committee	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.45
Strategic HR Committee	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Committee for New Technology, Strategy and New Initiatives	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
Stakeholders Relationship Committee	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
Shipbuilding Software Price Negotiation Committee	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.15
Total payment for 2019-20	1.50	1.50	1.35	1.95	2.25	1.80

Nature of transaction - Transaction with other related parties

As CSL is a Government company under the control of Ministry of Shipping (MoS), the Company has availed exemption from detailed disclosures prepared under Ind AS 24 with respect to related party transactions with Government and Government related entities.

However, as required under Ind AS 24, following are the individually significant transactions:

Transactions with Government and Government related entities by the parent company.

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Secondment to subsidiary - Hooghly Cochin Shipyard Ltd.	33.03	52.25
Investment in NCDs issued by subsidiary - Hooghly Cochin Shipyard Ltd.	4400.00	4400.00
Amount payable to Government of India	235.40	235.40
Amount paid as dividend during the year to Govt. of India	14474.11	12234.24

In addition to the above, around 97.70 % of the companies turnover and 97.88 % (approx) of trade receivables and customer advance is with respect to Government and Government related entities.

Notes to the Standalone

Financial Statements for the year ended March 31, 2020

Shares held by Nominee Directors in HCSL on behalf of CSL

	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
	No of Shares	
MADHU S NAIR (First Director)	10	10
PAUL RANJAN D (First Director)	--	10
SURESH BABU N V (First Director)	10	10
BEJOY BHASKER (Director)	10	10
JOSE V J (Director)	10	--
KALA V (Subscriber to Memorandum)	--	10
SYAMKAMAL N (Company Secretary, CSL)	10	--
K J RAMESH (Subscriber to Memorandum)	10	10

48. FINANCIAL INSTRUMENTS

The fair value hierarchy is based on inputs to valuation techniques that are used to measure fair value that are either observable or unobservable and consist of the following three levels:

Level I inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date.

Level II inputs are inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly.

Level III inputs are unobservable inputs for the asset or liability.

The following table summarises financial assets and liabilities measured at fair value on a recurring basis and financial assets that are not measured at fair value on a recurring basis (but fair value disclosures are required)

Notes to the Standalone

Financial Statements for the year ended March 31, 2020

(₹ in lakhs)

Financial assets/ financial liabilities	Fair value as at		Fair Value hierarchy
	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019	
Financial Assets			
Non Current			
(i) Investments	6,544.52	6,037.18	Level III
(ii) Loans	108.24	128.73	Level II
(iii)Others	864.50	-	Level II
Current			
(i) Trade Receivables	28,823.21	39,233.68	Level II
(ii)Cash & Cash equivalents	84,851.63	97,833.96	Level II
(iii)Bank Balances other than (ii)	132,740.27	154,451.37	Level II
(iv) Loans	30.97	39.21	Level II
(v)Others	3,292.18	23,357.79	Level II
Total Financial Assets	257,255.52	321,081.92	
Financial Liabilities			
Non Current			
(i) Borrowings	12,300.00	12,300.00	Level I
(ii) Other financial liabilities	37,586.91	261.22	Level II
Current			
(i) Trade Payables	41,871.79	34,659.11	Level II
(ii) Other financial liabilities	17,266.32	13,001.22	Level II
Total Financial Liabilities	109,025.03	60,221.55	

Note:

- The investments in equity instruments are not held for trading. Instead, they are held for medium or long term strategic purpose. The Company has chosen to designate these investments in equity instruments of Subsidiary at cost (as per Ind AS 27)and other equity instruments at FVTOCI(as per Ind AS 109), as the directors believe that this provides a more meaningful presentation of medium or long term strategic investments, than reflecting changes in fair value immediately in profit or loss. The investments in debt instruments are not held for trading. Upon the application of Ind AS 109, the Company has chosen to designate these investments at Amortised Cost

Investments included in level 3 of fair value hierarchy have been valued using the cost approach to arrive at their fair value. The cost of unquoted investments approximate the fair value because there is a wide range of possible fair value measurements and the cost represents estimate of fair value within that range.

There were no transfers between Level 1 and 2 in the period.

- Loans, Borrowings are at the market rates and therefore the carrying value is the fair value.
- The carrying amount of trade receivables, trade and other payables and short term loans are considered to be the same as their fair value due to their short term nature.

Notes to the Standalone

Financial Statements for the year ended March 31, 2020

Difference between carrying amounts and fair values of bank deposits, other financial assets, other financial liabilities and borrowings subsequently measured at amortised cost is not significant in each of the years presented

Financial Instruments by category

(₹ in lakhs)						
	31st March 2020			31st March 2019		
	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost/At Cost	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost
Financial Assets						
Investments (Non-current)						
-Equity instruments		9.18	2,135.34		9.18	1,628.00
-Debt instruments			4,400.00			4,400.00
Investments (Current)						
-Mutual Funds						
Trade receivables			28,823.21			39,233.68
Cash & Cash equivalents			84,851.63			252,285.33
Bank Balances			132,740.27			
Other Financial Assets			4,295.89			23,525.73
Total Financial Assets	0.00	9.18	257,246.34	0.00	9.18	321,072.74
Financial liabilities						
Borrowings			12,300.00			12,300.00
Trade payables			41,871.79			34,659.11
Capital creditors						
Other financial liabilities			54,853.23			13,262.44
Total Financial Liabilities			109,025.03	0.00	0.00	60,221.55

49. Financial Risk Management Policy

Financial Risk Management Objective and Policies:

The Company's principal financial liabilities, other than derivatives, comprise of loans and borrowings, trade and other payables and advances from customers. The main purpose of these financial liabilities is to finance the Company's operations, projects under implementation and to provide guarantees to support its operations. The Company's principal financial assets include Investment, loans and advances, trade and other receivables and cash and bank balances that derive directly from its operations. The Company is exposed to market risk, credit risk and liquidity risk. The Company's senior management oversees the management of these risks. All derivative activities for risk management purposes are carried out by under the supervision of the Forex Risk Management Committee by assigning necessary resources. It is the Company's policy that no trading in derivatives for speculative purposes may be undertaken. The Board of Directors reviews and agrees policies for managing each of these risks, which are summarised below.

Market Risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of financial assets will fluctuate because of changes in market prices. Market risk comprises three types of risk: interest rate risk, currency risk and other price risk, such as equity price risk and commodity risk. Financial Assets affected by market risk include loans and borrowings, deposits and derivative financial instruments.

Notes to the Standalone

Financial Statements for the year ended March 31, 2020

Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Company's exposure to the risk of changes in market interest rates relates primarily to the Company's long-term debt obligations with floating interest rates.

Foreign Currency Risk

Foreign currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of an exposure will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Company's exposure to the risk of changes in foreign exchange rates relates primarily to the Company's operating activities (when revenue or expense is denominated in a foreign currency).

Foreign currency risk of the company is managed through a properly documented risk management policy approved by the board.

Commodity Price Risk

The Company is affected by the price volatility of certain commodities. Its operating activities require the purchase of steel, major machineries, equipments etc. Therefore, the Company plans its purchases closely to optimise the price.

Credit Risk

Credit risk is the risk that a counter party will not meet its obligations under a financial instrument or customer contract, leading to a financial loss. The Company is exposed to credit risk from its operating activities (primarily trade receivables and advances to suppliers) and from its financing activities, including deposits with banks and financial institutions, foreign exchange transactions and other financial instruments.

50. Segment Reporting

The Company has identified two major operating segments viz, Shipbuilding and Repair of ships/ offshore structures. Segment wise analysis has been made on the above basis and amounts allocated on a reasonable basis.

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Segment Assets		
Ship building	292812.55	246394.20
Ship Repair	243285.53	195899.31
Others	104364.17	82062.66
Total	640462.25	524356.17
Segment Liability		
Ship building	67144.21	39406.47
Ship Repair	12715.35	25944.31
Others	187423.19	125797.58
Total	267282.75	191148.36
Segment Revenue		
Ship building	285226.50	213202.07
Ship Repair	57022.89	83358.26
Unallocated	24750.03	22728.42
Total	366999.42	319288.75
Segment Result		
Ship building	66459.10	44494.96
Ship Repair	14741.55	23789.32
Unallocated	5141.93	6853.24
Total	86342.58	75137.52

The Company has two major business segments – “Ship Building” and “Ship Repair”. Revenue under Ship building includes ₹ 237746.87 lakhs (Previous year: ₹ 206934.28 lakhs) from one customer (Previous year: two customers) having more than 10 % revenue of the total revenue, and for Ship repair includes ₹ 49582.22 lakhs (Previous year: ₹ 61572 lakhs) from three customers (Previous year: one customer) having more than 10% revenue of the total revenue.

Notes to the Standalone

Financial Statements for the year ended March 31, 2020

51. Capital Management

The company's objective when managing capital are to safeguard their ability to continue as a going concern so that they can continue to provide returns for shareholders and maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

For the purpose of capital management, capital includes issued equity capital and all other equity reserves attributable to the equity holders of the parent. The company is not subject to any externally imposed capital requirements.

To maintain or adjust the capital structure, the company may adjust the dividend payment to shareholders, return on capital to shareholders or issue new shares. The company monitors capital using a gearing ratio, which is net debt divided by total equity. The Company includes within net debt, interest bearing loans and borrowings (including bonds).

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Long term borrowings	12300.00	12300.00
Net Debt	12300.00	12300.00
Equity Share Capital	13154.04	13154.04
Other equity	360025.46	320053.77
Total Equity	373179.50	333207.81
Gearing Ratio	3.30%	3.69%

No changes were made in the objectives, policies or processes for managing capital during the years ended March 31, 2020 and March 31, 2019.

52. The Company has bid and submitted a Resolution Plan for Tebma Shipyard Limited (TSL) under the Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) commenced by the National Company Law Tribunal (NCLT), Chennai as per the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. TSL is a Company engaged in construction and repair of ships for domestic and international clients having its facility in Malpe, Karnataka. The Resolution Plan submitted by CSL under the CIRP has been accepted by the Committee of Creditors (CoC) and NCLT has approved the same vide its final order dated on 04 Mar 2020. Due to the Covid -19 pandemic situation and pursuant lock down , CSL had filed a petition before NCLT Chennai for excluding the lock down period from calculation of the time specified for payment under the Resolution Plan. As the lock down period was not over at the time of filing of the petition , NCLT has vide its order dated 12 May 2020 directed CSL to approach it after cessation of the lock down period. CSL proposes to approach NCLT again after easing of lockdown restrictions in Chennai.
53. The impact of Coronavirus disease (COVID-19) continues to be an evolving human tragedy declared a global pandemic by the World Health Organisation (WHO). It is adversely affecting the health of people worldwide as well as on the state of economy and commerce. It continues to be a matter of major concern for all the business organizations. The impacts of the COVID-19 pandemic are unfolding in real time. The COVID-19 outbreak has already had a significant effect on the economies of affected countries and international financial markets. Supply Chain disruptions in India as a result of the outbreak started with restrictions on movement of goods, closure of borders etc., in several states followed by a nationwide lockdown from the 25th of March 2020 announced by the Indian Government, to stem the spread of COVID-19. Due to this the operation at CSL's facilities and its subsidiaries was temporarily disrupted.

The operations of the Company was temporarily disrupted from 23rd March 2020 to 5th May 2020. CSL continues to work on a reduced scale of operations and expects an impact on the first quarter results of the financial year 2020-21. However, the Company expects to ramp up the production significantly in the ensuing quarters. The Company expects some delay in the running projects including Capex but impact is likely to be lessened by invocation and grant of the Force Majeure clause in the contract. The business landscape also presents a challenge because of the likely shelving/

Notes to the Standalone

Financial Statements for the year ended March 31, 2020

withholding of the pipeline projects by the potential clients but the Company expects sufficient business for it. The unfolding pandemic scenario still presents a challenge for the company in assessing the future.

The impact of COVID-19 may differ from that estimated as at the date of approval of these financial statements and the Company will continue to closely monitor any material changes to future economic conditions.

The operations of the Company was temporarily disrupted from 23rd March 2020 to 5th May 2020. CSL continues to work on a reduced scale of operations and expects an impact on the first quarter results of the financial year 2020-21. However, the Company expects to ramp up the production significantly in the ensuing quarters. The Company expects some delay in the running projects including Capex but impact is likely to be lessened by invocation and grant of the Force Majeure clause in the contract. The business landscape also presents a challenge because of the likely shelving/ withholding of the pipeline projects by the potential clients but the Company expects sufficient business for it. The unfolding pandemic scenario still presents a challenge for the company in assessing the future.

The impact of COVID-19 may differ from that estimated as at the date of approval of these financial statements and the Company will continue to closely monitor any material changes to future economic conditions.

54. In the case of contracts/ sub-contracts, wherever final bills are not submitted by the contractors for the work done as at the close of the year, liability is estimated and provided based on the work done.
55. Balance shown under Trade Receivables, Trade Payables , loans, deposits and claims are subject to confirmation and consequent reconciliation, if any
56. The Company has made adequate provision towards material foreseeable losses wherever required, in respect of long term contracts. The Company do not have any long term derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.
57. Figures in brackets denote negative figures.
58. Previous year figures have been regrouped and classified wherever necessary to conform to the current year presentation.

For and on behalf of Board of Directors

SYAMKAMAL N

Company Secretary
M. No. A25337

SURESH BABU N V

Director (Operations)
DIN - 07482491

JOSE V J

Director (Finance) & Chief Financial Officer
DIN - 08444440

MADHU S NAIR

Chairman and Managing Director
DIN - 07376798

Kochi, dated June 20, 2020

As per our report attached

For **M/s Elias George and Co.,**

Chartered Accountants

(Firm Registration No.000801S)

RANJIT MATHEWS P

Partner

(Membership Number: 205377)

Kochi, dated June 20, 2020

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To
the Members of
Cochin Shipyard Limited

Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying consolidated financial statements of Cochin Shipyard Limited (hereinafter referred to as the "Holding Company") and its subsidiary (Holding company and its subsidiary together referred to as "the Group") which comprise the consolidated Balance Sheet as at 31st March 2020, the consolidated Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), the consolidated Statement of Changes in Equity and the consolidated Statement of Cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the Consolidated Financial Statements").

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid consolidated financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended ("Ind AS"), and accounting principles generally accepted in India, of the consolidated state of affairs of the Group as at March 31, 2020, of its consolidated profit (including Other Comprehensive Income), its consolidated changes in equity and its consolidated cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the *Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements* section of our report. We are independent of the Group in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI") together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements under the provisions of the Act and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matter described below to be the key audit matter to be communicated in our report.

1. Measurement of Physical Completion of Ship Building and Ship Repair activities.

The company recognises revenue from ship building and ship repair activities based on percentage of completion method. The percentage of completion is arrived at based on estimated percentage of physical completion as assessed by the management of the company which involves exercise of significant judgements. Refer Note 2.4 (Critical Accounting Estimates and Judgement) & 2.18(a) (Revenue Recognition- Revenue from operations) to the Consolidated Financial Statements. The physical completion is ascertained as per an in-house procedure manual developed by the management of the company. The procedure and the assumptions therein are based on certain judgements made by the management based on inputs received from the planning, design and technical departments of the company. Further, the ascertainment of the actual physical completion of each sub-activity on reporting date also involves management estimation. Our audit approach consisted of understanding the basis and assumptions made in adopting such procedure, understanding the system for capturing data and monitoring the progress of completion of various works for internal reporting to the management, evaluating the internal controls in such system, selecting samples and performing substantive checking, and analytical procedures. However, we have placed substantial reliance on the technical assessment and activity based cost estimate defined by the management for the purpose of recognition of income.

The auditors of Hooghly Cochin Shipyard Limited have not communicated any specific key audit matter in their report.

Emphasis of Matter – Effects of COVID-19

We draw attention to Note 53 of the consolidated financial statements which describes the Group's assessment on the impact of COVID-19 on its financial results and its operations.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Information Other than the Financial Statements and Auditors' Report Thereon

The Holding Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Director's Report, Management Discussion and Analysis, Business Responsibility Report, Report on Corporate Governance, but does not include the consolidated financial statements and our auditors' report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the other information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take necessary actions as per applicable laws and regulations.

Responsibilities of Management and Those Charged With Governance for the Consolidated Financial Statements

The Holding Company's Board of Directors is responsible for the preparation and presentation of these consolidated financial statements in terms of the requirements of the Act that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance (including Other Comprehensive Income) and consolidated cash flows of the Group in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Indian Accounting Standards (Ind AS) specified under section 133 of the Act. The respective Board of Directors of the companies included in the Group are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other irregularities; the selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the consolidated financial statements by the Directors of the Holding Company, as aforesaid.

In preparing the consolidated financial statements, the respective Board of Directors of the companies included in the Group are responsible for assessing the ability of the Group to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters relating to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of the companies included in the Group are responsible for overseeing the financial reporting process of the Group.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3) (i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether

a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Group to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of the financial statements of such entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the consolidated financial statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance of the Holding Company regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

We did not audit the financial statements of the company's subsidiary (Hooghly Cochin Shipyard Limited), whose Standalone financial statements reflect total assets of ₹ 7,440.22 Lakhs as at March 31, 2020, total revenues of ₹ 77.14 Lakhs and net cash outflows amounting ₹ 2,402.31 Lakhs for the year ended on that date, as considered in the consolidated financial statements (before eliminating inter Company balances and transactions). These financial statements have been audited by another auditor whose report has been furnished to us by the management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of this subsidiary, and our report in terms of sub-section (3) of Section 143 of the Act, in so far as it relates to the aforesaid subsidiary, is based solely on the report of the other auditor.

Our opinion on the consolidated financial statements, and our report on Other Legal and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the report of the other auditor.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

As required by Section 143(3) of the Act, we report that:

- (a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit of the aforesaid consolidated financial statements.
- (b) In our opinion, proper books of account as required by law relating to preparation of the aforesaid consolidated financial statements have been kept so far as it appears from our examination of those books and the report of the other auditor.
- (c) The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), the consolidated Statement of Changes in Equity and the Consolidated Statement of Cash Flows dealt with by this Report are in agreement with the relevant books of account maintained for the purpose of preparation of the consolidated financial statements.
- (d) In our opinion, the aforesaid consolidated financial statements comply with the Indian Accounting Standards specified under Section 133 of the Act.
- (e) In view of exemption given vide notification no. G.S.R. 463(E) dated June 5 2015, issued by Ministry of Corporate Affairs, provisions of Section 164(2) of the Act, regarding disqualification of Directors, are not applicable to the Holding Company and its subsidiary, since they are Government Companies.

- (f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Group and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in Annexure.
- (g) With respect to the matter to be included in the Auditors' Report under Section 197(16) of the Act, we offer no comments as the Holding Company and its Subsidiary are exempted from the provisions of Section 197 vide notification no. G.S.R. 463(E) dated June 5, 2015.
- (h) With respect to the other matters to be included in the Auditors' Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - i. The consolidated financial statements disclose the impact of pending litigations on the consolidated financial position of the Group:- Refer notes 41,43,44 and 45 to the Consolidated financial statements
 - ii. The Group has made provision, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long-term contracts. Further, the company did not have any long term derivative contracts for which there were any material foreseeable losses. Refer Note 59 to the Consolidated financial statements.
 - iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Group.

For Elias George & Co.
Chartered Accountants
Firm Regn.No. 000801S

Ranjit Mathews P
Partner
Membership No. 205377
UDIN: 20205377AAAADK9698

Kochi
June 20, 2020

ANNEXURE TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT OF EVEN DATE ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF COCHIN SHIPYARD LIMITED

Report on the Internal Financial Controls under clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

Opinion

In conjunction with our audit of the consolidated financial statements of the Company as of and for the year ended March 31, 2020, we have audited the internal financial controls over financial reporting of Cochin Shipyard Limited (hereinafter referred to as "the Holding Company") and its subsidiary company incorporated in India, as of that date.

In our opinion to the best of our information and according to the explanation given to us, the Holding Company and its subsidiary company incorporated in India, have, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2020, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the ICAI.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The respective Board of Directors of the Holding company and its subsidiary company incorporated in India, are responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the company incorporated in India considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Holding company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the 'Guidance Note') and the Standards on Auditing issued by the ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and both issued by the ICAI. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and

evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and audit evidence obtained by other auditors in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Other Matters

Our aforesaid report under Section 143(3)(i) of the Act on the adequacy and operating effectiveness of the internal financial controls over financial reporting insofar as it relates to the subsidiary company incorporated in India is based on the corresponding report of the auditor of the subsidiary company incorporated in India.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

For Elias George & Co.
Chartered Accountants
Firm Regn.No. 000801S

Ranjit Mathews P
Partner

Kochi
June 20, 2020

Membership No. 205377
UDIN: 20205377AAAADK9698

CONSOLIDATED BALANCE SHEET

as at March 31, 2020

(₹ in lakhs)

Particulars	Note No.	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
ASSETS			
Non-current assets			
(a) Property, plant and equipment	3	70,047.69	31,323.59
(b) Capital work-in-progress	4	79,925.40	34,237.06
(c) Intangible assets	5	6,313.91	6,279.38
(d) Financial assets			
(i) Investments	6	9.18	9.18
(ii) Loans	7	108.55	129.01
(iii) Other Financial assets	8	864.50	-
(e) Income tax assets (net)	9	6,025.42	5,727.71
(f) Deferred tax assets (net)	10	4,698.58	6,634.76
(g) Other non-current assets	11	29,769.41	28,483.24
Total Non-Current assets		197,762.64	112,823.93
Current assets			
(a) Inventories	12	31,341.31	28,336.71
(b) Financial Assets			
(ii) Trade receivables	13	28,823.21	39,233.68
(iii) Cash and cash equivalents	14	86,682.14	102,066.77
(iv) Bank balances other than (iii) above	15	132,840.27	155,657.48
(v) Loans	16	30.97	39.21
(vi) Other Financial assets	17	3,145.35	23,281.45
(c) Current tax assets (net)	9	44.52	21.24
(d) Other current assets	18	160,002.12	63,149.20
Total Current assets		442,909.89	411,785.74
Total Assets		640,672.53	524,609.67
EQUITY AND LIABILITIES			
Equity :			
(a) Equity share capital	19	13,154.04	13,154.04
(b) Other equity	20	359,134.31	319,710.00
Equity attributable to owners		372,288.35	332,864.04
(c) Non Controlling interests		-	527.73
Total Equity		372,288.35	333,391.77
Liabilities :			
Non-current liabilities			
(a) Financial liabilities			
(i) Borrowings	21	12,300.00	12,300.00
(ii) Other financial liabilities	22	37,586.91	261.22
(b) Provisions	23	2,872.20	2,428.71
(c) Other non current liabilities	24	11.45	12.59
Total Non-Current Liabilities		52,770.56	15,002.52
Current liabilities			
(a) Financial liabilities			
(i) Trade payables			
Total outstanding dues of Micro Enterprises and Small Enterprises	25	686.52	725.36
Total outstanding dues of creditors other than Micro Enterprises and Small Enterprises		41,185.27	33,933.75
(ii) Other financial liabilities	26	17,801.48	13,019.78
(b) Other current liabilities	27	116,098.27	86,353.81
(c) Provisions	28	38,686.63	36,932.42
(d) Current tax liabilities (net)	9	1,155.45	5,250.26
Total Current Liabilities		215,613.62	176,215.38
Total Equity and Liabilities		640,672.53	524,609.67

Corporate overview and Significant Accounting Policies

1-2

Notes to the Financial Statements

3-61

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

For and on behalf of Board of Directors

SYAMKAMAL N

Company Secretary
M. No. A25337

Kochi, dated June 20, 2020

As per our report attached

For **M/s Elias George and Co.,**
Chartered Accountants
(Firm Registration No.000801S)

RANJIT MATHEWS P

Partner
(Membership Number: 205377)
Kochi, dated June 20, 2020

SURESH BABU N V

Director (Operations)
DIN - 07482491

JOSEV J

Director (Finance) & Chief Financial Officer
DIN - 08444440

MADHU S NAIR

Chairman and Managing Director
DIN - 07376798

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT AND LOSS

For the year ended March 31, 2020

(₹ in lakhs)

	Particulars	Note No.	For the year ended March 31, 2020	For the year ended March 31, 2019
I	Income			
	Revenue from operations	29	342249.39	296560.33
	Other income	30	24508.13	22598.35
	Total Income		366757.52	319158.68
II	Expenses:			
	Cost of materials consumed	31	179599.82	150429.02
	Sub contract and other direct expenses	32	36556.98	37998.73
	Employee benefits expense	33	30591.03	27755.65
	Finance costs	34	4492.41	1430.11
	Depreciation and amortisation expense	35	4893.89	3419.86
	Other expenses	36	16259.61	16148.74
	Provision for anticipated losses and expenditure	37	8591.78	7225.04
	Total expenses		280985.52	244407.15
III	Profit before tax		85772.00	74751.53
IV	Tax expense:			
	(1) Current tax	9	20634.83	29024.73
	(2) Deferred tax	9	1936.18	(2051.97)
V	Profit for the year		63200.99	47778.77
VI	Other comprehensive income			
	A) Items that will not be reclassified to profit or loss			
	i) Remeasurements of defined employee benefit obligations		(797.60)	(300.01)
	ii) Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss		200.76	104.84
	Other comprehensive income for the year		(596.84)	(195.17)
VII	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit and Other Comprehensive Income for the period)		62604.15	47583.60
	Profit attributable to:			
	Owners of the Company		63200.99	47813.40
	Non-controlling interest		0.00	(34.63)
	Profit for the year		63200.99	47778.77
	Other comprehensive income attributable to:			
	Owners of the Company		(596.84)	(195.17)
	Non-controlling interest		0.00	0.00
	Other comprehensive income for the year		(596.84)	(195.17)
	Total Comprehensive Income			
	Owners of the Company		62604.15	47618.23
	Non-controlling interest		0.00	(34.63)
	Total Comprehensive income for the year		62604.15	47583.60
VIII	Earnings per equity share of ₹ 10 each :	38		
	(1) Basic (₹)		48.05	35.47
	(2) Diluted (₹)		48.05	35.47

Corporate overview and Significant Accounting Policies

1-2

Notes to the Financial Statements

3-61

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

For and on behalf of Board of Directors

SYAMKAMAL N

Company Secretary
M. No. A25337

Kochi, dated June 20, 2020

As per our report attached

For M/s **Elias George and Co.**,
Chartered Accountants
(Firm Registration No.000801S)

RANJIT MATHEWS P

Partner
(Membership Number: 205377)
Kochi, dated June 20, 2020

SURESH BABU N V

Director (Operations)
DIN - 07482491

JOSE V J

Director (Finance) & Chief Financial Officer
DIN - 08444440

MADHU S NAIR

Chairman and Managing Director
DIN - 07376798

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

For the year ended March 31, 2020

A. Equity Share Capital

(₹ in lakhs)

As at 01.04.2019	Changes in equity share capital during the year	As at 31.03.2020
13,154.04	(0.00)	13,154.04
As at 01.04.2018	Changes in equity share capital during the year	As at 31.03.2019
13,593.60	(439.56)	13,154.04

B. Other Equity

(₹ in lakhs)

	Reserves and Surplus								Total other equity
	Capital Reserve	Securities Premium	General Reserve	Retained Earnings	Capital Redemption Reserve	Debenture Redemption Reserve	Total attributable to the Parent Company	Attributable to NCI	
Balance as at April 01, 2019	263.56	93152.45	6322.75	206093.22	12353.76	1524.27	319710.00	527.73	320237.73
Profit for the year				63200.99			63200.99	0.00	63200.99
Other comprehensive income for the year				(596.84)			(596.84)	0.00	(596.84)
Total comprehensive income for the year				62604.15			62604.15	0.00	62604.15
Dividends (including taxes)				(23200.10)			(23200.10)		(23200.10)
Transfer from retained earnings				(144.17)		144.17	0.00		0.00
Amortisation of premium		(0.12)					(0.12)		(0.12)
Stamp Duty				(1.27)			(1.27)		(1.27)
NCI transfer to Retained Earnings				21.65			21.65	(21.65)	0.00
Acquisition of NCI							0.00	(506.08)	(506.08)
Balance as at March 31, 2020	263.56	93152.33	6322.75	245373.48	12353.76	1668.44	359112.67	0.00	359134.31
Refer Note 20 for further details									
Restated balance at the beginning of the reporting period	263.56	93152.56	6322.75	199064.70	11914.20	1235.94	311953.71	562.36	312516.07
Profit for the year				47813.40			47813.40	(34.63)	47778.77
Other comprehensive income for the year				(195.17)			(195.17)	0.00	(195.17)
Total comprehensive income for the year				47618.23			47618.23	(34.63)	47583.60
Dividends (including taxes)				(19633.12)			(19633.12)		(19633.12)
Transfer from retained earnings				(288.33)		288.33	0.00		0.00
Buy back of shares				(20000.02)	439.56		(19560.46)		(19560.46)
Transaction costs on Buy back of shares				(225.78)			(225.78)		(225.78)
Amortisation of premium		(0.12)					(0.12)		(0.12)
Transition adjustments				(442.46)			(442.46)		(442.46)
Balance as at March 31, 2019	263.56	93152.45	6322.75	206093.22	12353.76	1524.27	319710.00	527.73	320237.73

For and on behalf of Board of Directors

SYAMKAMAL N
Company Secretary
M. No. A25337

SURESH BABU N V
Director (Operations)
DIN - 07482491

JOSE V J
Director (Finance) & Chief Financial Officer
DIN - 08444440

MADHU S NAIR
Chairman and Managing Director
DIN - 07376798

Kochi, dated June 20, 2020

As per our report attached

For **M/s Elias George and Co.,**
Chartered Accountants
(Firm Registration No.000801S)

RANJIT MATHEWS P
Partner
(Membership Number: 205377)
Kochi, dated June 20, 2020

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS

for the year ended March 31, 2020

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
A. Cash flow from operating activities		
Profit before tax	85,772.00	74,751.53
Adjustments for :		
Depreciation and amortisation	4,893.89	3,419.86
Interest expense	4,492.41	1,430.12
Interest income	(16,497.02)	(18,514.32)
Rental income	(64.46)	(58.97)
Dividend income	(0.89)	(163.34)
Loss on sale/write off of plant, property and equipment	1.87	16.09
Profit on sale of investments	(235.30)	(711.52)
Income recognised on Govt. assistance	(1.14)	(1.14)
Loss/(gain) on derivative contracts (net)	-	-
Unrealised loss/(gain) on derivative contracts (net)	-	-
Net (gain) /loss on foreign currency transactions	502.01	(88.65)
Operating cash flow before working capital changes	78,863.37	60,079.66
Movements in working capital :		
(Increase) / decrease in inventories	(3,214.86)	685.01
(Increase) / decrease in trade, other receivables and assets	(69,414.09)	(45,344.84)
Increase / (decrease) in trade and other payables	37,119.91	(40,495.41)
	43,354.33	(25,075.58)
Income tax paid net of refunds	(18,088.36)	(20,063.00)
Net cash flows from operating activities (A)	25,265.97	(45,138.58)
B. Cash flow from investing activities		
Purchase of property, plant and equipment	(3,796.53)	(5,773.69)
(Increase) / decrease in capital work In progress	(45,688.34)	(22,906.76)
(Increase) / decrease in Term deposits with maturity above three months	22,817.20	114,182.71
Investment in Mutual Funds	(66,800.00)	(238,184.87)
Redemption of Mutual Funds	66,800.00	238,185.03
Transaction cost on investments	(1.27)	-
Lease rent		(1.00)
Dividend received	0.89	163.34
Profit on sale of investments	235.30	711.52
Acquisition of share of Non Controlling Interest	(506.08)	
Sale or withdrawal of plant, property and equipment	0.66	0.39
Interest received	17,133.11	20,952.31
Rent received	64.46	58.97
Net cash flows from investing activities (B)	(9,740.60)	107,387.95

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
C. Cash flow from financing activities		
Buy back of shares	0.00	(20000.02)
Transaction cost of Buy back of shares	0.00	(225.78)
Borrowings/ Repayment of loans by employees	28.72	16.60
Repayment of Lease liability	(2,388.81)	
Net gain /loss on foreign currency transactions	(857.28)	124.38
Dividend paid	(19,244.36)	(16,312.32)
Dividend distribution tax paid	(3,955.74)	(3,320.80)
Interest paid	(4,492.53)	(1,163.29)
Net cash flows from financing activities (C)	(30,910.00)	(40,881.23)
D. Net Increase in Cash & Cash Equivalents (A)+(B)+(C)	(15,384.63)	21,368.14

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Cash and cash equivalent at the beginning of the Year	102,066.77	80,698.63
Cash and cash equivalent at the end of the Year	86,682.14	102,066.77
Cash and Cash Equivalents' include earmarked funds of ₹ 56702.22 lakhs as on Mar 31, 2020.		

Corporate overview and Significant Accounting Policies

1-2

Notes to the Financial Statements

3-57

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

For and on behalf of Board of Directors

SYAMKAMAL NCompany Secretary
M. No. A25337

Kochi, dated June 20, 2020

As per our report attached

For **M/s Elias George and Co.,**
Chartered Accountants
(Firm Registration No.000801S)**RANJIT MATHEWS P**Partner
(Membership Number: 205377)
Kochi, dated June 20, 2020**SURESH BABU N V**Director (Operations)
DIN - 07482491**JOSEV J**Director (Finance) & Chief Financial Officer
DIN - 08444440**MADHU S NAIR**Chairman and Managing Director
DIN - 07376798

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

1. CORPORATE OVERVIEW AND SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1.1. Corporate information

Cochin Shipyard Limited (referred to as “CSL” or “the Group”) is mainly engaged in the construction of vessels and repairs and refits of all types of vessels including upgradation of ships periodical layup repairs and life extension of ships.

The Group is a public limited Group incorporated and domiciled in India. The address of its corporate office is Perumanoor, Kochi, Kerala. As at March 31, 2020, the Government of India holds 72.86% of the Group's equity share capital. The Group's equity shares are listed for trading on NSE Limited and BSE Limited in India and tax free bonds are listed for trading on BSE.

The consolidated financial statements relate to Cochin Shipyard Limited (Parent Group) and its Subsidiary Group, Hooghly Cochin Shipyard Limited. The subsidiary Group was incorporated on October 23, 2017 and is proposed to be mainly engaged in the business of construction and repair of vessels of all types.

The Group and its Subsidiary are together referred to as “Group”.

The consolidated financial statements for the year ended March 31, 2020 were approved by the Board of Directors and authorised for issue on Jun 20, 2020.

2. Significant Accounting Policies

2.1 Statement of compliance

These consolidated financial statements have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (referred to as “Ind AS”) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended from time to time and other Accounting Principles generally accepted in India.

2.2 Basis of preparation of consolidated financial statements

These consolidated financial statements have been prepared on the historical cost basis, except for certain financial instruments which are measured at fair values

at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies below. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services. Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

2.2.1 Basis of consolidation of consolidated financial statements

Subsidiaries are entities (including structured entities) over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power to direct the relevant activities of the entity. Subsidiaries are fully consolidated commencing from the date on which control is transferred to the Group until the date on which control ceases.

The Group consolidate the consolidated financial statements of the parent and its subsidiaries on line by line basis adding together like items of assets, liabilities, equity, income and expenses. InterGroup transactions, balances and unrealised gains on transactions between Group companies are eliminated. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the transferred asset. Accounting policies of subsidiaries have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

Non-controlling interests, in the results and equity of subsidiaries are shown separately in the Consolidated Statement of Profit and Loss, Consolidated Statement of Changes in Equity and Consolidated Balance Sheet respectively. Subsidiary Group was incorporated in October 2017

2.3 Use of estimates and judgements

The preparation of the consolidated financial statements in conformity with the Ind AS requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities and disclosures as at date of the consolidated financial statements and the reported amounts of the revenues and expenses for the years presented. The estimates

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period in which the estimate is revised if the revision affects only that period or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

2.4 Critical Accounting estimates and judgements:

The application of significant accounting policies that require critical accounting estimates involving complex and subjective judgements and the use of assumptions in the consolidated financial statements have been disclosed below:

Useful lives of property, plant and equipment

The Group reviews the estimated useful lives and residual values of property, plant and equipment at the end of each reporting period. Assumptions are also made as to whether an item meets the description of asset so as to warrant its capitalisation and which component of the asset may be capitalised. Reassessment of life may result in change in depreciation expense in future periods.

Valuation of deferred tax assets / liabilities

The Group reviews the carrying amount of deferred tax assets / liabilities at the end of each reporting period. Significant judgements are involved in determining the elements of deferred tax items.

Leases

The Group evaluates if an arrangement qualifies to be a lease as per the requirements of Ind AS 116. Identification of a lease requires significant judgment. The Group uses significant judgements in assessing the lease term (including anticipated renewals) and the applicable discount rate.

The classification of the leasing arrangement as a finance lease or operating lease is based on an assessment of several factors, including, but not limited to, transfer of ownership of leased asset at end of lease term, lessee's

option to purchase and estimated certainty of exercise of such option, proportion of lease term to the asset's economic life, proportion of present value of minimum lease payments to fair value of leased asset and extent of specialised nature of the leased asset.

Impairment of unquoted investments

The Group reviews its carrying value of investments annually, or more frequently when there is indication for impairment. If the recoverable amount is less than its carrying amount, the impairment loss is accounted for.

Recognition and measurement of provisions

The recognition and measurement of provisions are based on the assessment of the probability of an outflow of resources and on past experience and circumstance known at the balance sheet date. The actual outflow of resources at a future date may therefore vary from the figure included in provisions.

Provision towards Guarantee repairs

A provision is made towards guarantee repairs/claims in respect of newly built ships/small crafts delivered and repaired ships on the basis of the technical estimation done by the Group. The guarantee claims received from the ship owners are reviewed every year till settlement of the same. In case of a shortfall in the provision made earlier, additional provisions are made.

Contingencies and commitments

A contingent liability is a possible obligation that arises from past events whose existence will be confirmed by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Group or a present obligation that is not recognised because it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation or it cannot be measured with sufficient reliability. The Group does not recognise a contingent liability but discloses its existence in the consolidated financial statements.

Recoverability of advances / receivables

The Group makes provisions for expected credit loss based on an assessment of the recoverability of trade and other receivables. The identification of doubtful

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

debts requires use of judgement and estimates. Where the expectation is different from the original estimate, such difference will impact the carrying value of the trade and other receivables and expenses on account of provision for doubtful debts in the period in which such estimate has been changed. At each balance sheet date, based on historical default rates observed over expected life, the management assesses the expected credit loss on outstanding receivables and advances.

Fair value measurements

Management applies valuation techniques to determine the fair value of financial instruments (where active market quotes are not available) and non-financial assets. This involves developing estimates and assumptions consistent with how market participants would price the instrument. Management bases its assumptions on observable data as far as possible but this is not always available. In that case management uses the best information available. Estimated fair values may vary from the actual prices that would be achieved in an arm's length transaction at the reporting date.

Provision for inventories

Management reviews the inventory ageing on a periodic basis. This review involves comparison of the carrying value of the aged inventory items with the respective net realisable value. The purpose is to ascertain whether a provision is required to be made in the consolidated financial statements for any obsolete and slow-moving items and that adequate provision for obsolete and slow-moving inventories has been made in the consolidated financial statements.

Liquidated Damages

Claims for liquidated damages against the Group are recognized in the financial statements based on the management's assessment of the probable outcome with reference to the available information supplemented by experience of similar transactions.

Revenue Recognition

The Group exercises significant judgement in measuring progress of performance obligations satisfied over time for recognition of revenue from contracts with customers. Provision for estimated losses if any, on the

uncompleted part of the contracts are provided in the period in which such losses become probable based on the expected contract estimates at the reporting date. Claims for liquidated damages against the Group are recognized based on the management's assessment of the probable outcome with reference to the available information supplemented by experience of similar transactions.

Recognition and measurement of defined benefit obligations

The obligation arising from defined benefit plan is determined on the basis of actuarial assumptions. Key actuarial assumptions include discount rate, trends in salary escalation and vested future benefits and life expectancy. The discount rate is determined with reference to market yields at the end of the reporting period on the Government bonds. The period to maturity of the underlying bonds correspond to the probable maturity of the post employment benefit obligations.

2.5 Property , Plant and Equipment (PPE)

The Group had applied for the one time transition exemption of considering the carrying cost on the transition date i.e. April 1, 2015 as the deemed cost under Ind AS. Hence regarded thereafter as historical cost.

Property, Plant and Equipments are stated at cost less accumulated depreciation (other than free hold land which are stated at cost) and impairment losses, if any. PPE are initially recognised at cost. The initial cost of PPE comprises its purchase price, and any costs directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management including non refundable duties and taxes net of any trade discounts and rebates. The cost of PPE also includes interest on borrowings (borrowing cost directly attributable to acquisition, construction or production of qualifying assets) upto initial recognition.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the items are material

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

and can be measured reliably. The carrying amount of any component accounted for as a separate asset is derecognised when replaced. All other repairs and maintenance are charged to Statement of profit and loss during the reporting period in which they are incurred.

2.6 Capital work in progress and intangible assets under development:

Capital work in progress and intangible assets under development are property, plant and equipment that are not yet ready for their intended use at the reporting date, which are carried at cost, comprising direct cost, related incidental expenses and attributable borrowing cost.

2.7 Intangible Assets

Design development: Cost incurred on Design Development which are not directly chargeable on a product are capitalized as Intangible Asset and amortised on a straight-line basis over a period of five years.

Software: Cost of software which is not an integral part of the related hardware acquired for internal use is capitalised as intangible asset and amortised on a straight-line basis over a period of three years.

Right to use: Up- front fee paid for securing right to use of land and other facility is capitalized as intangible asset and amortised on a straight line basis over the period of lease for which the right has been obtained.

Internally generated procedure: Cost of internally generated weld procedure is capitalized as Intangible Asset and amortised on a straight-line basis over a period of three years.

The residual values, useful lives and methods of amortization of intangible assets are reviewed at each financial year end and adjusted prospectively, if appropriate.

2.8 Leases

Indian Accounting Standard (Ind AS 116) "Leases" became effective from April 01, 2019 and the Group has adopted the same using modified retrospective transition method, where at the date of initial application, the lease liability is measured at the present

value of remaining lease payments and the right-of-use assets are initially recognised at cost, which comprises of the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or prior to the commencement date of the lease plus any initial direct costs less any lease incentives. Accordingly, the comparatives have not been retrospectively adjusted

As a Lessee:

The Group's lease asset classes primarily consist of leases for Land and Buildings. The Group assesses whether a contract is or contains a lease, at inception of a contract. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group assesses whether: (i) the contract involves the use of an identified asset (ii) the Group has substantially all of the economic benefits from use of the asset through the period of the lease and (iii) the Group has the right to direct the use of the asset.

At the date of commencement of the lease, the Group recognises a lease liability and a corresponding right-of-use ("RoU") asset for all lease arrangements in which it is a lessee, except for leases with a term of twelve months or less (short term leases) and leases of low value assets. For these short term and leases of low value assets, the Group recognises the lease payments as an operating expense on a straightline basis or another systematic basis over the term of the lease. The right-of-use assets are initially recognised at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or prior to the commencement date of the lease plus any initial direct costs less any lease incentives. They are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Right-of-use assets are depreciated from the commencement date on a straight-line basis over the shorter of the lease term and useful life of the underlying asset. The lease liability is initially measured at the present value of the future lease payments. The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease or, if not readily determinable, using the incremental borrowing rates. The lease liability is subsequently remeasured by increasing the carrying amount to

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

reflect interest on the lease liability and reducing the carrying amount to reflect the lease payments made. A lease liability is remeasured upon the occurrence of certain events such as a change in the lease term or a change in an index or rate used to determine lease payments. The remeasurement normally also adjusts the leased assets. Lease liability and RoU asset have been separately presented in the Balance Sheet and lease payments have been classified as financing cash flows.

As a lessor:

Leases for which the Group is a lessor is classified as a finance or operating lease. Whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee, the contract is classified as a finance lease. All other leases are classified as operating leases.

For operating leases, rental income is recognized on a straight line basis or another systematic basis over the term of the relevant lease. The difference between the amount recognised as lease rental income and actual cashflows payable as per the lease agreement is adjusted in ("Accrued Lease Rental asset").

2.9 Investment Properties

Investment properties are properties held to earn rentals and/or for capital appreciation. Investment properties are measured initially at cost including transaction costs. Subsequent to initial recognition, investment properties are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. Any gain or loss on disposal of investment property is determined as the difference between net disposal proceeds and the carrying amount of the property and is recognised in the Statement of Profit and Loss

2.10 Depreciation

Depreciation on property, plant and equipment is provided on straight-line method based on useful life of the asset as prescribed in Schedule II to the Companies Act, 2013 except to the extent described below.

For the assets acquired from Cochin Port Trust for International Ship Repair Facility (ISRF), depreciation is provided on the basis of remaining useful life as

assessed by technical experts. Right Of Use assets are depreciated from the commencement date on a straight line basis over the shorter of the end of the useful life of the Right Of Use asset or the end of the lease term.

An item of property, plant and equipment and any significant part initially recognised is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain/loss arising on derecognition of the asset is included in the Statement of profit and loss when the asset is derecognised. Fully depreciated assets still in use are retained in consolidated financial statements at residual value .

Depreciation method, useful lives and residual values are reviewed at each reporting date and adjusted prospectively, if appropriate.

Management believes that useful life of assets are same as those prescribed in Schedule II to the Act, except for certain types of buildings and equipments wherein based on technical evaluation, useful life has been estimated to be different from that prescribed in Schedule II of the Act. Useful life considered for calculation of depreciation for various assets class are as follows:

Asset Class	Useful Life
Buildings	3-60 years
Plant and equipment	5-15 years
Furniture and fixtures	8-10 years
Vehicles	8-10 years
Office equipment	3-10 years
Data Processing Equipments	3-6 years
Docks and quays	15 years
Railway sidings	15 years
Electrical installation	10 years
Drainage and water supply	15 years
Vessels	13-28 years

2.11 Impairment of Assets

The Group assesses the impairment of assets with reference to each cash generating unit, at each Balance

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

Sheet date. If events or changes in circumstances based on internal and external factors indicate that the carrying value may not be recoverable in full, the loss on account and the recoverable amount, is accounted for accordingly. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs of disposal and value in use.

2.12 Non-current assets held for sale

Group classifies a non-current asset as held for sale if its carrying amount will be recovered principally through a sale transaction. This condition is regarded as met only when the asset is available for immediate sale in its present condition and its sale is highly probable.

Non-current assets including discontinued operations, classified as held for sale are measured at the lower of the carrying amounts and fair value less costs to sell and presented separately in the consolidated financial statements. Once classified as held for sale, the assets are not subject to depreciation or amortisation.

Any profit or loss arising from the sale or re-measurement of discontinued operations is presented as part of a single line item in statement of profit and loss

2.13 Inventories

- (a) Raw materials, components, stores and spares are valued at weighted average cost method or net realisable value whichever is lower. However materials and other supplies held for use in the production /services are not written down below cost if the finished products/supply of services in which they will be incorporated are expected to be sold at or above cost. Provision for obsolescence / non- usability / deterioration is determined on the basis of technical assessment made by the management. Goods in transit are valued at lower of cost and net realisable value. Stock of materials in respect of construction of defence vessels wherein the cost incurred is reimbursed by the owner are shown as reduction from the advances paid by the owner for construction of the vessel.
- (b) Loose tools in stock are valued at cost after providing for loss on revaluation estimated at 30% of book value.

- (c) Stock of scrap is valued at net realizable value after adjusting customs duty, if any, payable on the scrap.

2.14 Financial instruments

Financial assets and liabilities are recognised when the Group becomes a party to the contractual provisions of the instrument

Financial assets and liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities (other than financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss) are added to or deducted from the fair value measured on initial recognition of financial asset or financial liability.

Financial assets at Fair Value through other comprehensive income (FVTOCI)

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if these financial assets are held within a business whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows that give rise on specified dates to solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding and by selling financial assets.

Financial assets at Fair Value through statement of profit and loss (FVTPL)

Financial assets are measured at fair value through profit or loss unless it is measured at amortised cost or at fair value through other comprehensive income on initial recognition. The transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets and liabilities at fair value through profit or loss are immediately recognised in statement of profit and loss.

Financial assets at amortised cost

Financial assets are subsequently measured at amortised cost if these financial assets are held within a business whose objective is to hold these assets in order to collect contractual cash flows and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

Investments

All equity investments in scope of Ind AS 109 Financial Instruments, are measured at fair value. Equity instruments which are held for trading are classified as at FVTPL. For all other equity instruments, the Group may make an irrevocable election to present in other comprehensive income subsequent changes in the fair value. The Group makes such election on an instrument-by-instrument basis. The classification is made on initial recognition and is irrevocable.

Investment in a 'debt instrument' is measured at the amortised cost if both the following conditions are met: The asset is held within a business model whose objective is -

- (1) To hold assets for collecting contractual cash flows, and
- (2) Contractual terms of the asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.

After initial measurement, such financial assets are subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate (EIR) method. Amortised cost is calculated by taking into account any discount or premium and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortisation is included in finance income in the Statement of Profit and Loss. The losses arising from impairment are recognised in the Statement of Profit and Loss.

Trade Receivables

The Group classifies the right to consideration in exchange for deliverables as either a receivable or as contract asset. A receivable is a right to consideration that is unconditional and only the passage of time is required before the payment of that consideration is due.

The Group assesses at each Balance Sheet date whether a financial asset or a Group of financial asset is impaired. Ind AS 109 requires expected credit loss to be measured through a loss allowance.

The Group recognises lifetime expected credit losses for all trade receivables that do not constitute a

financing transaction. Impairment loss allowance is based on a simplified approach as permitted by Ind AS 109. As a practical expedient, the Group uses a provision matrix to determine the impairment loss on the portfolio of its trade receivables.

Full provision is made for all trade receivables considered doubtful of recovery when the debt is more than three years or if it is probable / certain that the debt is not recoverable.

Where debts are disputed in legal proceedings, provision is made if any decision is given against the Group even if the same is taken up on appeal to higher authorities/courts.

Impairment loss allowance (or reversal) that is required to be recognised at the reporting date is recognised as an impairment loss or gain in the Statement of Profit & Loss Account.

Cash and cash equivalents

The Group considers all highly liquid financial instruments, which are readily convertible into known amounts of cash that are subject to an insignificant risk of change in value and having original maturities of three months or less from the date of purchase, to be cash equivalents. Cash and cash equivalents consist of balances with banks which are unrestricted for withdrawal and usage.

Financial liabilities

Financial liabilities are measured at amortised cost using the effective interest rate method.

Equity Instruments

An equity instrument is a contract that evidences residual interest in the assets of the Group after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recognised at the proceeds received net of direct issue cost.

Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in consolidated financial statements if there is a currently enforceable legal right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, to realise the assets and settle the liabilities simultaneously.

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

Foreign Currency Transactions

Functional & Presentation Currency

The consolidated financial statements are presented in Indian Rupees ("INR"), which is the functional currency and presentation currency of the Group.

Transactions & Balances:

Foreign exchange transactions are recorded in functional currency adopting the exchange rate prevailing on the dates of respective transactions. Monetary items denominated in foreign currencies at the year end are re-measured at the exchange rate prevailing on the balance sheet date. Non monetary foreign currency items are carried at cost. Any income or expense on account of exchange difference either on settlement or on restatement is recognised in the statement of Profit and Loss.

Derivative instruments and hedge accounting:

The Group designates certain foreign exchange forward contracts as hedge instruments in respect of foreign exchange risks. These hedges are accounted for as cash flow hedges. Derivatives are initially recognised at fair value on the date a derivative contract is entered into and are subsequently re-measured to their fair value at the end of each reporting period.

The use of foreign currency and derivative contracts is governed by the Group's foreign exchange risk management policy approved by the Board of Directors which provide written directives on the use of such financial derivatives consistent with the Group's risk management strategy. The Group does not use derivative financial instruments for speculative purposes.

The hedge instruments are designated and documented as hedges at the inception of the contract. The effectiveness of hedge instruments to reduce the risk associated with the foreign currency exposure that is being hedged is assessed and measured at inception and on an ongoing basis. The ineffective portion of designated hedges are recognised immediately in the Statement of Profit and Loss.

The effective portion of change in the fair value of the designated hedging instrument is recognised in the

Other Comprehensive Income and accumulated under the heading cash flow hedge reserve.

Hedge accounting is discontinued when the hedging instrument expires or is sold, terminated or exercised without replacement or rollover (as part of hedging strategy), or if its designation as a hedge is revoked, or when the hedge no longer meets the criteria for hedge accounting. Any gain or loss recognised in Other Comprehensive Income and accumulated in equity till that time remains and is recognised in Statement of Profit and Loss when the forecasted transaction ultimately affects the profit or loss. When a forecasted transaction is no longer expected to occur, the cumulative gain or loss accumulated in equity is transferred to the Statement of Profit and Loss.

2.15 Contract Assets

Where the Group performs by transferring goods or services to a customer before the customer pays consideration or before payment is due, the Group presents the contract as a contract asset. A contract asset is Group's right to consideration in exchange for goods or services that the Group has transferred to a customer. Contract assets are reviewed for impairment in accordance with Ind AS 109.

2.16 Contract Liabilities

Where the Group receives consideration, or the Group has a right to an amount of consideration that is unconditional (ie a receivable), before the Group transfers a good or service to the customer, the Group presents the contract as a contract liability when the payment is made or the payment is due (whichever is earlier). A contract liability is Group's obligation to transfer goods or services to a customer for which the Group has received consideration (or an amount of consideration is due) from the customer.

2.17 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent assets

A provision is recognised if, as a result of a past event, the Group has a present legal obligation that can be estimated reliably, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation. Provisions (excluding retirement benefits and compensated leave) are not discounted to its

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

present value and are determined by the best estimate of the outflow of economic benefits required to settle the obligation at the reporting date. These are reviewed at each reporting date adjusted to reflect the current best estimates.

Provision towards guarantee claims in respect of ships/ small crafts delivered wherever provided/ maintained is based on technical estimation. For the ships delivered, guarantee claims are covered by way of insurance policies covering the guarantee period on case to case basis, wherever required.

In the normal course of business, contingent liabilities may arise from litigations and other claims against the Group. Where the potential liabilities have a low probability of crystallizing or are very difficult to quantify reliably, the Group treats them as contingent liabilities. Such liabilities are disclosed in the notes but are not provided for in the consolidated financial statements. Although there can be no assurance regarding the final outcome of the legal proceedings, Group does not expect them to have a materially adverse impact on our financial position or profitability. The Group does not recognise a contingent liability but discloses its existence in the consolidated financial statements.

Contingent assets are neither recognised nor disclosed. However, when realisation of income is virtually certain, related asset is recognised

2.18 Revenue Recognition

a) Revenue from Operations

Effective April 1, 2018, the Group has adopted Ind AS115 "Revenue from Contracts with Customers". In respect of contracts that were not completed on the date of initial application (April 1, 2018), the Group has applied the standard retrospectively by recognizing the cumulative effect of applying the same at the effective date, as an adjustment to the Opening balance of Retained earnings and accordingly figures for earlier years have not been retrospectively adjusted.

Revenue from contracts with customers is measured based on transaction price, which is the

fair value of consideration received or receivable. Revenue is recognized when the Group satisfies performance obligations by transferring promised goods and services to the customer over a period of time using output method based on measurement of physical performance completed to date in respect of contracts with customers for ship building and ship repair other than Indigenous Aircraft Carrier (IAC).

In respect of contract with Indian Navy for construction of Indigenous Aircraft Carrier, which is partly 'fixed price basis' and partly 'cost plus basis', the revenue from fixed price portion is recognized as explained above. The revenue by way of mark up from cost plus part of the contract for procuring and supply of materials and design outsourcing is recognized when performance obligations as per the terms of the contract are fulfilled upon making payments to the suppliers. The cost of materials, value of design outsourcing and other expenses incurred for the vessel which are recoverable separately from Navy are charged off to the statement of Profit and Loss when materials are consumed/activities are performed/expenses are incurred and are simultaneously grossed up with the value of work done and recognized as income.

Other Operating Revenue is recognized at the point of time when the Group satisfies performance obligations by transferring promised goods and services to the customer except in the case of Ship Building Financial Assistance (SBFA) which is recognised over a period of time being output method based on measurement of physical performance completed to date in respect of contracts which are eligible under SBFA policy.

In circumstances, where the Group may not be able to reasonably measure the outcome of a performance obligation, but the Group expects to recover the costs incurred in satisfying the performance obligation, the Group recognises revenue only to the extent of the costs incurred until such time that it can reasonably measure the outcome of the performance obligation. Where current estimates of total contract costs and

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

revenue indicate a loss, provision is made for the entire loss, irrespective of the amount of work done.

Contract modifications are accounted when additions, deletions or changes are approved either to the contract scope or contract price. The accounting for modifications of contracts involves assessing whether the services added to an existing contract are distinct and whether the pricing is at the stand alone selling price. Where the goods or services added are not distinct, adjustment to revenue is made on a cumulative catch up basis. Where the goods or services added are distinct, and such additional goods or services are priced at standalone selling prices, the contract modification is accounted for as a separate contract; whereas if the modification is not priced at standalone selling price, the same is accounted as a termination of the existing contract and creation of a new contract.

If the consideration promised in a contract includes variable amounts like discounts, rebates, refunds, credits, price concessions, liquidated damages or other similar items, the Group estimates the net amount of consideration to which the Group is entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer and accounts for the same.

b) Government Grants

Government grants are recognised when there is reasonable assurance that the Group will comply with the conditions attaching to them and that the grants will be received.

Government grants are recognised in Statement of Profit and Loss on a systematic basis over the periods in which the Group recognises as expenses, the related costs for which the grants are intended to compensate. Where the Grant relates to an asset value, it is recognised as deferred income, and amortised over the expected useful life of the asset. Other grants are recognised in the statement of Profit & Loss concurrent to the expenses to which such grants relate/ are intended to cover.

Government grants that are receivable as compensation for expenses or losses already incurred or for the purpose of giving immediate financial support to the Group with no future related costs are recognised in statement of profit & loss in the period in which they become receivable. Ship Building Financial Assistance is accounted as revenue from operations in the manner specified in para a)

c) Liquidated damages and interest on advances

No income is recognized on (a) interest on advances given and (b) liquidated damages, where the levies depend on decisions regarding force majeure condition of contract. These are accounted for on completion of contracts and / or when final decisions are taken.

In the case of contracts entered into for execution of capital works having long gestation period, where the extant commercial terms of the contract provides for provision of extending interest bearing mobilisation advance to the service provider for mobilising various resources for timely execution, mobilisation advances are paid and interest is accounted on accrual basis

d) Accounting for insurance claims

(i) Warranty/Builder Risk claims

In the case of guarantee defects covered under warranty insurance policies or claims under Insurance Policies taken for ship building and ship repair works, the insurance claims lodged are recognized in the financial statements in the year in which the survey is completed and the probable amount of settlement intimated by the insurance Company.

(ii) Other Insurance Policies

In the case of other Insurance Policies like Asset Insurance, Transit Insurance, Marine Insurance, Cash Insurance etc., the claims are recognized in the the financial statements on settlement of the claims by way of receipt of the amount from the Insurance Company.

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

In the case of Medical insurance, claims are recognized on due basis, based on the claims submitted with the insurance Company.

e) **Others**

Dividend income is recognized when the Group's right to receive payment has been established.

2.19 Employee benefits

Employee benefits consist of salaries and wages, contribution to provident fund, superannuation fund, gratuity fund, towards medical assistance, which are short term in nature and contribution towards compensated absences, which is long term in nature.

Post-employment benefit plans

Defined Contribution plans

In respect of parent company, defined contribution to Employees Pension scheme for eligible employees are made to CSL Superannuation Pension Trust for Executives and Supervisors and CSL Workmen Pension Trust and are charged as expense as they fall due. Such benefits are classified as Defined Contribution Schemes as the Group does not carry any further obligations, apart from the contributions made.

The parent company also makes contribution towards provident fund, in substance a defined contribution retirement benefit plan. The provident fund is administered by the Trustees of the Cochin Shipyard Limited Employees Contributory Provident Fund Trust. The rules of the Group's provident fund administered by the Trust, require that if the Board of Trustees are unable to pay interest at the rate declared by the Employees' Provident Fund by the Government under para 60 of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952 for the reason that the return on investment is less or for any other reason, then the deficiency shall be made good by the company. The deficiency, if any assessed by the parent company is provided for in the accounts.

The parent company also makes contribution towards Employees Medical Assistance Trusts which are charged as expense as they fall due. Such benefits are classified as Defined Contribution Schemes as the Group does not carry any further obligations, apart from the contributions made.

Defined benefit plans

The Group provides for gratuity, a defined benefit retirement plan covering eligible employees. The liability or asset recognised in the balance sheet in respect of its defined benefit plan is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated periodically by actuaries using the projected unit credit method.

The present value of the said obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows, using market yields of government bonds that have terms approximating the terms of the related liability.

The interest income / (expense) are calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability or asset. The net interest income / (expense) on the net defined benefit liability or asset is recognised in the Statement of Profit and loss.

Remeasurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognised in the period in which they occur, directly in other comprehensive income. They are included in retained earnings in the Statement of Changes in Equity and in the Balance Sheet.

Changes in the present value of the defined benefit obligation resulting from plan amendments or curtailments are recognised immediately in Statement of profit and loss as past service cost.

Other employee benefits

Compensated absences

The Group has a policy on compensated absence which are both accumulating and non-accumulating in nature. The expected cost of accumulating compensated absence is determined by Actuarial valuation performed by an independent actuary at each Balance Sheet date using projected unit credit method on the additional amount expected to be paid/availed as a result of unused entitlement that has accumulated at the Balance Sheet date. Expense on non-accumulating compensated absence is recognised in the period in which the absences occur.

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

2.20 Borrowing cost

General and specific borrowing costs directly attributable to acquisition/ construction or production of qualifying assets (net of income earned on temporary deployment of funds) are capitalized as part of cost of such assets upto the date when such assets are ready for the intended use. A qualifying asset is one that necessarily takes substantial period of time to get ready for its intended use. All other borrowing costs are charged to the Statement of Profit and Loss in the period in which they are incurred. Borrowing cost also includes exchange differences to the extent regarded as an adjustment to the borrowing costs

2.21 Corporate Social Responsibility

The Group has opted to charge its Corporate Social responsibility (CSR) expenditure to the Statement of Profit & Loss, except in respect of expenditure incurred against the non-lapsable provision held under the guidelines of Department of Public Enterprises (DPE)

2.22 Prior period adjustment

Prior period adjustments due to errors, having material impact on the financial affairs of the Group, are corrected retrospectively by restating the comparative amounts for prior periods presented in which the error occurred or if the error occurred before the earliest period presented, by restating the opening statement of financial position.

2.23 Taxes on Income

Income tax

Income tax expense comprises current tax expense and the net change in the deferred tax asset or liability during the year. Current and deferred taxes are recognised in Statement of Profit and Loss, except when they relate to items that are recognised in other comprehensive income or directly in equity, in which case, the current and deferred tax are also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

Current tax

Current tax is measured at the amount of tax expected to be payable on the taxable income for the year as determined in accordance with the provisions of

the Income Tax Act, 1961. Current tax assets and current tax liabilities are off set when there is a legally enforceable right to set off the recognized amounts and there is an intention to settle the asset and the liability on a net basis.

Deferred tax

Deferred income tax is recognised using the Balance Sheet approach. Deferred income tax assets and liabilities are recognised for deductible and taxable temporary differences arising between the tax base of assets and liabilities and their carrying amount, except when the deferred income tax arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and affects neither accounting nor taxable profit or loss at the time of the transaction.

Deferred tax assets are recognised only to the extent that it is probable that either future taxable profits or reversal of deferred tax liabilities will be available, against which the deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax credits and unused tax losses can be utilised.

The carrying amount of a deferred tax asset shall be reviewed at the end of each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred income tax asset to be utilised.

Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred tax asset is realised or the deferred tax liability is settled.

Deferred tax assets and liabilities are off set when there is a legally enforceable right to offset current tax assets and liabilities and when the deferred tax balances relate to the same taxation authority.

2.24 Earnings Per Share

Basic earnings per share is computed by dividing profit or loss attributable to equity shareholders of the Group by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. The Group did not have any potentially dilutive securities in any of the years presented.

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

2.25 Segment Reporting

Operating segments are defined as components of an enterprise for which discrete financial information is available that is evaluated regularly by the chief operating decision maker, in deciding how to allocate resources and assessing performance. The Group's chief operating decision maker is the Chairman & Managing Director.

The Group has identified business segments (industry practice) as reportable segments. The business segments comprise: 1) Ship Building and 2) Repair of Ships/offshore structures.

Segment revenue, segment expenses, segment assets and segment liabilities have been identified to segments on the basis of their relationship to the operating activities of the segment. Revenue, expenses, assets and liabilities which relate to the Group as a whole and are not allocable to segments on a reasonable basis have been included under "unallocated revenue / expenses / assets / liabilities".

2.26 Consolidated Statement of cash flows

Cash Flows are reported using the Indirect Method, whereby profit/loss before tax is adjusted for the effect of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or

payments and items of income or expenses associated with investing or financial cash flows. Cash flows from operating, investing and financial activities of the Group are segregated based on the available information.

For the purpose of statement of cash flow, Cash and cash equivalent comprise cash at banks and on hand and short-term deposits with an original maturity of three months or less, which are subject to an insignificant risk of changes in value, net of outstanding bank overdrafts, if any. Bank overdrafts, if any, are disclosed within borrowings in current liabilities in the Balance Sheet

2.27 Dividend to equity shareholders

Dividend to equity shareholders is recognised as a liability and deducted from shareholders' equity, in the period in which the dividends are approved by the equity shareholders in the general meeting.

2.28 Recent accounting pronouncements - Standards issued but not yet effective

Recent Accounting Developments Ministry of Corporate Affairs ("MCA") notifies new standards or amendments to the existing standards. There is no such notification which would have been applicable from April 1, 2020.

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

Note 3 : Property, Plant and Equipment

(₹ in lakhs)

Particulars	Gross carrying amount				Depreciation				Net Carrying amount	
	As at 1st April 2019	Additions/ adjustments during the year	Disposal/ adjustments during the year	As at 31st Mar 2020	As at 1st April 2019	For the year	Adjustment/ (withdrawal)	As at 31st Mar 2020	As at 31st Mar 2020	As at 31st March 2019
Owned Assets										
Land (Freehold)	587.54	-	-	587.54	-	-	-	-	587.54	587.54
Buildings	13,476.97	355.27	-	13,832.24	1,929.32	529.94	-	2,459.26	11,372.98	11,547.65
Plant and equipment	18,115.83	795.16	1.07	18,909.92	5,591.53	1,485.68	0.55	7,076.66	11,833.26	12,524.30
Furniture and fixtures	1,113.59	125.88	1.65	1,237.82	372.42	114.30	0.92	485.80	752.02	741.17
Vehicles	515.38	83.73	-	599.11	203.19	53.30	-	256.49	342.62	312.19
Office equipment	234.56	149.06	1.41	382.21	133.98	39.28	1.17	172.09	210.12	100.58
Others	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data Processing Equipments	923.71	422.79	0.79	1,345.71	670.02	164.17	0.72	833.47	512.24	253.69
Docks and quays	4,466.45	-	-	4,466.45	1,243.14	299.41	-	1,542.55	2,923.90	3,223.31
Railway sidings	1.10	-	-	1.10	-	-	-	-	1.10	1.10
Electrical installation	1,725.64	39.36	-	1,765.00	732.10	132.70	-	864.80	900.20	993.54
Drainage and water supply	6.67	-	-	6.67	-	-	-	-	6.67	6.67
Vessels	19.74	-	-	19.74	4.36	1.36	-	5.72	14.02	15.38
Sub Total	41,187.18	1,971.25	4.92	43,153.51	10,880.06	2,820.14	3.36	13,696.84	29,456.67	30,307.12
Assets on leased premises										
Buildings	848.99	1,260.35	3.84	2,105.50	333.80	110.60	2.95	441.45	1,664.05	515.19
Plant and equipment	316.00	202.75	0.13	518.62	50.28	23.96	0.04	74.20	444.42	265.72
Docks and quays	9.62	-	-	9.62	8.35	-	-	8.35	1.27	1.27
Electrical installation	331.57	29.20	-	360.77	97.28	34.78	-	132.06	228.71	234.29
Sub Total	1,506.18	1,492.30	3.97	2,994.51	489.71	169.34	2.99	656.06	2,338.45	1,016.47
Right of Use Assets										
Right of Use-Land	-	39,550.14	-	39,550.14	-	1,360.32	-	1,360.32	38,189.82	-
Right of Use-Buildings	-	98.11	-	98.11	-	35.36	-	35.36	62.75	-
Sub Total	-	39,648.25	-	39,648.25	-	1,395.68	-	1,395.68	38,252.57	-
Total	42,693.36	43,111.80	8.89	85,796.27	11,369.77	4,385.16	6.35	15,748.58	70,047.69	31,323.59

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

Note 3 : Property, Plant and Equipment

(₹ in lakhs)

Particulars	Gross carrying amount				Depreciation			Net Carrying amount		
	As at 1st April 2018	Additions/ adjustments during the year	Disposal/ adjustments during the year	As at 31st March 2019	As at 1st April 2018	For the year	Adjustment/ (withdrawal)	As at 31st March 2019	As at 31st March 2019	As at 31st March 2018
Owned Assets										
Land (Freehold)	587.54			587.54	-			-	587.54	587.54
Buildings	9,621.47	3,855.50		13,476.97	1,472.52	456.80		1,929.32	11,547.65	8,148.95
Plant and equipment	17,247.01	881.43	12.61	18,115.83	4,133.70	1,462.13	4.30	5,591.53	12,524.30	13,113.31
Furniture and fixtures	875.83	240.57	2.81	1,113.59	267.26	107.04	1.88	372.42	741.17	608.57
Vehicles	493.86	21.56	0.04	515.38	143.18	60.02	0.01	203.19	312.19	350.68
Office equipment	208.93	28.32	2.69	234.56	104.76	31.61	2.39	133.98	100.58	104.17
				-					-	-
Others				-					-	-
Data Processing Equipments	869.14	59.65	5.08	923.71	501.72	172.77	4.47	670.02	253.69	367.42
Docks and quays	4,466.45	-	-	4,466.45	943.73	299.41		1,243.14	3,223.31	3,522.72
Railway sidings	1.10	-	-	1.10	-			-	1.10	1.10
Electrical installation	1,290.81	434.83	-	1,725.64	600.66	131.44		732.10	993.54	690.15
Drainage and water supply	6.67	-	-	6.67	-			-	6.67	6.67
Vessels	19.74	-	-	19.74	3.00	1.36		4.36	15.38	16.74
Sub Total	35,688.55	5,521.86	23.23	41,187.18	8,170.52	2,722.58	13.05	10,880.06	30,307.12	27,518.02
Assets on leased premises										
Buildings	838.22	10.82	0.05	848.99	250.85	82.97	0.02	333.80	515.19	587.37
Plant and equipment	113.45	208.99	6.44	316.00	39.11	11.34	0.17	50.28	265.72	74.34
Docks and quays	9.62	-	-	9.62	8.35		-	8.35	1.27	1.27
Electrical installation	329.54	2.03	-	331.57	63.82	33.46	-	97.28	234.29	265.72
Sub Total	1,290.83	221.84	6.49	1,506.18	362.13	127.77	0.19	489.71	1,016.47	928.70
Right of Use Assets										
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	36,979.38	5,743.70	29.72	42,693.36	8,532.66	2,850.35	13.24	11,369.77	31,323.59	28,446.72

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

Freehold Land includes the value of (a) land allotted on lease basis to (i) Bharatiya Vidya Bhavan (0.69045 hectare) (ii) M/s Indian Oil Corporation Ltd (0.620 hectare) for laying pipeline (iii) land leased to M/s Cochin Air Products (0.30 hectare) and (b) land leased to Kerala State Electricity Board (0.47 hectare).

Value of land includes value of buildings acquired along with the land for which depreciation has not been provided as the value is not separately available and most of these buildings are likely to be demolished for putting up facilities for the factory.

Assets taken over from Cochin Port Trust (CoPT) (₹ 1291.52 lakhs) have been valued and life assessed by technical experts. This life has been taken as a base for arriving at the remaining useful life for providing depreciation for these assets. These assets together with assets constructed/installed on land taken on lease from CoPT, Mumbai Port Trust (MbPT) and Kolkata Port Trust (KoPT) have been disclosed separately as assets on leased premises in the note no 3 to Property, Plant & Equipments.

The Company has created mortgage for ₹ 12300 Lakhs on the landed properties of the Company as security for the tax free bonds issued by the Company during the year 2013-14.

Note 4 : Capital work -in -progress

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Plant and machinery, Buildings and Civil works	75,687.89	33,693.32
Capital yard items	1,126.50	414.40
Project Management fees and miscellaneous capital expenditure	3,104.75	129.34
Goods in transit	6.26	
Total	79,925.40	34,237.06

Note 5 : Intangible assets

(₹ in lakhs)

Particulars	Gross carrying amount			Amortisation				Net Carrying amount		
	As at 1st April 2019	Additions/ adjustments during the year	Disposal/ adjustments during the year	As at 31st March 2020	As at 1st April 2019	For the year	Adjustment/ (withdrawal)	As at 31st March 2020	As at 31st March 2020	As at 31st March 2019
Internally generated weld procedure	27.67	-	-	27.67	27.67	-	-	27.67	-	-
Computer software	1,396.74	98.40	-	1,495.14	1,283.41	83.16	-	1,366.57	128.57	113.33
Right to use - land and ship repair facility	7,000.00	-	-	7,000.00	952.65	210.34	-	1,162.99	5,837.01	6,047.35
Tally Software		0.53		0.53		0.01		0.01	0.52	-
Right to use - Land at Nazirgunge (5.31 Acres)	118.94			118.94	0.24	1.98		2.22	116.72	118.70
Right to use - Land at Nazirgunge (10.45 Acres)		234.07		234.07		2.98		2.98	231.09	-
Total	8,543.35	333.00	-	8,876.35	2,263.97	298.47	-	2,562.44	6,313.91	6,279.38

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

(₹ in lakhs)

Particulars	Gross carrying amount				Amortisation				Net Carrying amount	
	As at 1st April 2018	Additions/ adjustments during the year	Disposal/ adjustments during the year	As at 31st March 2019	As at 1st April 2018	For the year	Adjustment/ (withdrawal)	As at 31st March 2019	As at 31st March 2019	As at 31st March 2018
Internally generated weld procedure	27.67		-	27.67	19.97	7.70	-	27.67		7.70
Computer software	1,366.75	29.99	-	1,396.74	1,180.39	103.02		1,283.41	113.33	186.36
Right to use - land and ship repair facility	7,000.00		-	7,000.00	742.31	210.34	-	952.65	6,047.35	6,257.69
Right to use - Land at Nazirgunge		118.94		118.94		0.24		0.24	118.70	
Total	8,394.42	148.93	-	8,543.35	1,942.67	321.30	-	2,263.97	6,279.38	6,451.75

The Right to use of land and ship repair facility shown under Intangible Assets represents the upfront fee paid to Cochin Port Trust towards setting up of International Ship Repair Facility (ISRF) project, to be amortised over the period of lease which was further extended based on the date of obtaining of Environmental Clearance. As all environmental clearances for ISRF are obtained as on January 09, 2018, the lease period of 30 years effectively starts from this date.

Note 6 : Investments-Non Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Unquoted (Fully Paid up)		
Investment in equity instruments		
At Fair Value Through Other Comprehensive Income		
Cochin Shipyard Employees Consumer Co-operative Society Limited 2175 'B Class' shares of ₹ 100 each	2.18	2.18
Kerala Enviro Infrastructure Limited - 70000 equity shares of ₹10 each	7.00	7.00
Cochin Waste to Energy Private Limited -100000 equity shares of ₹10 each	-	-
Total	9.18	9.18
Aggregate value of unquoted investment	9.18	9.18

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

Note 7: Loans - Non Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Unsecured, considered good:		
Security deposits	65.71	65.68
Employee advances		
Loans to related parties	0.00	0.00
Other employees	42.84	63.33
Total	108.55	129.01

No significant increase in credit risk or credit impairment

Note 8: Other Financial Assets - Non Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Ship Building Financial Assistance Scheme Subsidy	835.57	-
Accrued Lease Rental Asset	28.93	-
Total	864.50	-

Govt. of India approved a Financial Assistance Policy for Indian Shipyards on 9th December 2015 for grant of financial assistance to Indian Shipyards for shipbuilding contracts signed between April 1, 2016 to March 31, 2026. Eligibility for this Assistance based on measurement of physical performance completed to date is accounted for .

Note 9: Income tax assets / liability (net)

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Non current tax assets		
Income Tax Assets net of provisions	6,025.42	5,727.71
Current tax assets / (liabilities)		
Advance income tax net of provisions	(1,155.45)	(5,250.26)
Tax Deducted at source	44.52	21.24

Income tax recognised in the Statement of profit and loss

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2020	For the year ended March 31, 2019
Current tax:		
Current income tax charge	23,895.75	29,662.84
Adjustment in respect of prior years	(3,260.92)	(638.11)
Total (A)	20,634.83	29,024.73
Deferred tax:		
In respect of current year	1,936.18	(2,051.97)
Total (B)	1,936.18	(2,051.97)
Income tax expense recognised in the Statement of Profit and Loss (A+B)	22,571.01	26,972.76

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

The income tax expense for the year can be reconciled to the accounting profit as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2020	For the year ended March 31, 2019
Profit before tax	85,772.00	74,751.53
Income tax expense calculated at respective applicable rates	21,730.70	26,121.12
Effect of expenses that are not deductible in determining taxable profit	5,916.60	7,088.97
Effect of expenses that are allowable in determining taxable profit	(4,131.73)	(3,834.57)
Effect of expenses incurred on Corporate Social Responsibility not deductible in determining taxable profit	319.87	363.82
Effect of income that is exempt from taxation	-	(57.08)
Others	60.31	(19.42)
	23,895.75	29,662.84
Adjustments recognised in the current year in relation to the current tax of prior years	(3,260.92)	(638.11)
Adjustments for changes in estimates of deferred tax assets	1,936.18	(2,051.97)
Income tax expense recognised in the Statement of Profit and Loss	22,571.01	26,972.76

Note 10: Deferred tax assets (net)

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Deferred tax liabilities	2,787.39	3,902.25
Deferred tax assets	(7,485.97)	(10,537.01)
Total	(4,698.58)	(6,634.76)

Deferred tax liabilities/(assets) in relation to 2019-20

(₹ in lakhs)

Particulars	Opening balance	Recognised in Statement of Profit and Loss	Recognised in Statement of Equity	Closing Balance
Provisions	(9,508.70)	3,083.22	0.00	(6,425.48)
Property, plant and equipment	3,959.20	(1,146.04)	0.00	2,813.16
Intangible assets	(56.94)	28.06	0.00	(28.88)
Others	(1,028.32)	(29.06)	0.00	(1,057.38)
Total	(6,634.76)	1,936.18	-	(4,698.58)

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

Deferred tax liabilities/(assets) in relation to 2018-19

(₹ in lakhs)

Particulars	Opening balance	Recognised in Statement of Profit and Loss	Recognised in Statement of Equity	Closing Balance
Provisions	(7,438.88)	(2,069.82)	0.00	(9,508.70)
Property, plant and equipment	3,958.04	1.16	0.00	3,959.20
Intangible assets	(3.47)	(53.47)	0.00	(56.94)
Others	(860.81)	70.16	(237.67)	(1,028.32)
Total	(4,345.12)	(2,051.97)	(237.67)	(6,634.76)

Note 11: Other non-current assets

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Unsecured, considered good		
Capital advances	28,817.72	26,950.20
Advances other than capital advances:		
Security deposits	222.67	674.80
Advance lease rentals	38.41	597.02
Deposits with Customs department	261.22	261.22
Other long term advances	429.39	-
Total	29,769.41	28,483.24

Deposit with Custom Department of ₹ 261.22 lakhs pertains to a refund appeal lying before Commissioner (Appeals) to cover a liability in respect of customs duty which is also shown as Payable to Chennai Port Trust under Note No. 22- Other Financial Liabilities- Non Current

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

Note 12 : Inventories

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Raw Materials and components*	28,145.83	23,409.46
Less : Provision for obsolescence, non-usability, deterioration and reduction in value of inventory	(391.39)	(442.17)
Goods-in transit*	1,964.10	3,754.30
	29,718.54	26,721.59
Stores & Spares*	780.18	709.80
Less : Provision for obsolescence, non-usability, deterioration and reduction in value of inventory	(17.06)	(31.75)
Goods-in transit*	37.33	0.47
	800.45	678.52
Loose Tools*	680.55	819.80
Scrap*	141.77	116.80
Total	31,341.31	28,336.71

* Valuation of inventories are done in accordance with Accounting Policy no. 2.13 given in Note no.2

- (i) Inventory does not include stock of raw materials and bought out components procured under "Cost Plus" part of the IAC contract amounting to ₹ 32838.80 lakhs (previous year ₹ 55426.72 lakhs) held on behalf of Indian Navy lying with the Company and is shown under Advances from Indian Navy for Indigenous Aircraft Carrier.
- (ii) Maintenance spares included in the inventory represent spares of general nature and are not related to a particular asset.

Note 13 : Trade Receivables-Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Trade Receivables considered good - Unsecured	28,823.21	39,233.68
Trade Receivables which have significant increase in Credit Risk	13,588.08	13,123.16
Less: Allowance for Expected credit loss	(13,588.08)	(13,123.16)
Trade Receivables - credit impaired	-	-
Total	28,823.21	39,233.68

Trade receivables are non-interest bearing and receivable in normal operating cycle.

Movement in the expected credit loss allowance

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Opening balance	13,123.16	9,263.32
Add: Provision made/transfer during the year	4,149.68	4,187.29
Less: Amount collected/reversal of provision	3,684.76	327.45
Closing Balance	13,588.08	13,123.16

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

Note 14 : Cash and Cash equivalents

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Cash on hand	-	-
Balance with Banks		
In current account	6,145.94	19,305.01
In current account on behalf of Indian Navy	3,641.02	30,626.67
In current account out of IPO Proceeds	5.04	5.09
Term deposits with original maturity of less than three months	23,833.98	39,400.00
Term deposits with original maturity of less than three months out of IPO Proceeds	8,485.71	12,730.00
Term deposits with original maturity of less than three months earmarked for objects of IPO	44570.45	
Total	86,682.14	102,066.77

Funds received from Indian Navy for the construction of Indigenous Aircraft Carrier are held in a separate account and is separately disclosed.

Note 15 : Bank balances other than cash and cash equivalents

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Lien Marked Term deposits with original maturity of less than three months*	18,993.08	
Term Deposits with banks with original maturity more than 3 months and less than 12 months	57,180.19	131,539.08
Term Deposits with banks with original maturity more than 3 months and less than 12 months out of IPO Proceeds	5,050.00	24,108.86
Term Deposits with banks with original maturity more than 3 months and less than 12 months earmarked for objects of IPO	51,597.00	
Earmarked balances (Unpaid Dividend account)	20.00	9.54
Total	132,840.27	155,657.48

* Deposits with banks with maturity less than three months include ₹ 18993.08 lakhs lien marked deposits in favour of Union Bank of India for maintaining cash margin towards the Non-Fund based credit facilities granted to the Company.

** Deposits with banks with maturity upto 12 months, include ₹ 87.34 lakhs (previous year ₹ 82.29 lakhs) lien marked in favour of The Registrar of High Court of Kerala.

** Deposits with banks with maturity up to 12 months include ₹ 33,000.00 lakhs lien marked in favour of Union Bank of India for maintaining cash margin towards the Non-Fund based credit facilities granted to the Company.

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

Note 16 : Loans - Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Unsecured, considered good		
Loans to related parties	-	-
Other employees	30.97	39.21
Total	30.97	39.21

No significant increase in credit risk or credit impairment

Note 17 : Other Financial Assets - Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Interest accrued on fixed deposits	3,129.36	3,761.24
Interest accrued on employee advances		
Related parties	-	0.36
Other employees	15.99	19.85
Fixed Deposit with HDFC Ltd	-	19,500.00
Total	3,145.35	23,281.45

Note 18 : Other Current Assets

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Unsecured advances		
Advances other than capital advances		
Advances to related party	0.84	1.01
Other advances	11,520.97	16,281.77
Advances considered doubtful	0.07	0.07
	11,521.88	16,282.85
Less: Provision for doubtful advances	0.07	0.07
	11,521.81	16,282.78
Others		
Contract Assets for IAC works	60,570.53	-
Contract Assets for other works	30,980.80	21,716.35
Balance with Sales Tax department and CBEC	474.80	422.11
Miscellaneous deposits	17.26	13.94
Prepaid expenditure	469.67	385.65
Input Tax Credit on GST	54,341.77	22,986.56
Miscellaneous current assets (Including claims receivable)	1,625.49	1,341.81
Total	160,002.12	63,149.20

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

Note 19 : Equity Share Capital

Particulars	As at March 31, 2020		As at March 31, 2019	
	Number	₹ in lakhs	Number	₹ in lakhs
Authorised				
Equity shares of ₹ 10/- each	250000000	25,000.00	250000000	25,000.00
Issued, Subscribed and Fully paid up				
Equity shares of ₹ 10 each fully paid up	131540390	13,154.04	131540390	13,154.04
Total	131540390	13,154.04	131540390	13,154.04

19.1 Reconciliation of number of shares and amounts outstanding

Particulars	As at March 31, 2020		As at March 31, 2019	
	Number	₹ in lakhs	Number	₹ in lakhs
Equity Shares outstanding at the beginning of the year	131540390	13,154.04	135936000	13,593.60
Add : shares issued during the year	0	0.00	0	0.00
Less : Shares bought back during the year	0	0.00	4395610	439.56
Equity Shares outstanding at the end of the year	131540390	13154.04	131540390	13,154.04

Terms & Rights attached to Equity shares: The Company has only one class of equity shares having a face value of ₹10 per share which is fully paid up. Equity shareholders are eligible for one vote per share held, and are entitled to dividends as and when declared by the Company. Interim dividend is paid as and when declared by the Board. Final dividend proposed by the Board of Directors is subject to approval/regularisation by the share holders in the Annual General meeting. In the event of liquidation, the equity shareholders are eligible to receive the remaining assets of the company after distribution of all preferential amounts, in proportion to their shareholding.

19.2 Details of shareholders holding more than 5% shares in the company

Particulars	As at March 31, 2020		As at March 31, 2019	
	Number of Shares held	% of holding	Number of Shares held	% of holding
The President of India	95843464	72.86	98934442	75.21
Nippon Life India Ltd (formerly Reliance Capital Trustee Co. Ltd.)	10795352	8.21	8323743	6.33

Govt of India has transferred 3090978 equity shares (aggregating to 2.35% of paid up capital) on Feb 3,2020 to the Asset Management Company , Nippon Life India Ltd formerly known as Reliance Capital Trustee Company Ltd through the Department of Investment and Public Asset Mangement (DIPAM) in connection with the issue of CPSE ETF FFO - 6 and in accordance with the SEBI Regulations ,1996 and other applicable laws,rules and regulations as framed from time to time

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

Note 20 : Other Equity

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Capital Reserves	263.56	263.56
Capital Redemption Reserve	12,353.76	12,353.76
Securities Premium	93,152.32	93,152.44
Debenture Redemption Reserve	1,668.44	1,524.27
General Reserve	6,322.75	6,322.75
Retained Earnings	245,373.48	206,093.22
	359,134.31	319,710.00

Movement of each item in Other Equity is detailed in Statement of Changes in Equity

Capital Reserve: Capital reserve represents restoration charges received from Ms Indian Oil Corporation Ltd for laying pipe line through the Company's land.

Capital Redemption Reserve: Capital Redemption Reserve of ₹ 12353.76 includes ₹ 11914.20 lakhs being reserves created on redemption of preference shares and ₹ 439.56 lakhs being a sum equal to the nominal value of the shares bought back, which will be utilised for the purpose defined under the Companies Act 2013.

Securities Premium: Premium on tax free bonds is amortised on straight line basis over the period of bonds. The company had completed the Initial Public Offer (IPO) during 2017-18 and had allotted 22656000 equity shares of ₹ 10 each at premium (₹ 93929.76 lakhs). Expenses incurred net of deferred tax adjustment towards such allotment of shares amounting ₹ 777.93 lakhs has been debited in securities premium. In accordance with the requirements of Indian Accounting Standard (Ind AS) 32- Financial Instruments.

Debenture Redemption Reserve: The Company was hitherto creating Debenture Redemption Reserve at 25% of the value of bonds issued by the company over the maturity period of such debentures in accordance with Section 71(4) of the Companies Act, 2013 read with Rule 18(7) of the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 and as per SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008. As per the amendment made to the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 notified vide Notification No. G.S.R. 574(E) by the Ministry of Corporate Affairs, the company is not required to create Debenture Redemption Reserves in respect of the bonds issued by it. However, the Debenture Redemption Reserve already created up to 30.09.2019, ₹ 1668.44 Lakhs, shall be retained in the books till the time of redemption of the bonds.

Interim dividend : During the year, the Company paid an interim dividend of ₹ 1.63 per equity share of face value of ₹ 10 as recommended at the board meeting held on November 12, 2019.

Proposed dividend : The Board of Directors of the Company have recommended a final dividend of ₹ 15/- per equity share of face value of ₹ 10/- for the financial year ended March 31, 2020 at the board meeting held on June 20, 2020.

Note 21 : Borrowings

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
(a) Bonds - from other parties (Secured)		
At amortised cost		
Tax Free Redeemable Non Convertible Bonds -Series 2013-14	12,300.00	12,300.00
Total	12,300.00	12,300.00

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

Tax Free Infrastructure Bond Series 2013-14

- Tranche 1: 1000 bonds of face value of ₹10 lakhs totalling ₹10000 lakhs with interest rate of 8.51% payable annually, redeemable at par, due for redemption on 02nd December 2023
- Tranche 2: 230 bonds of face value of ₹10 lakhs totalling ₹ 2300 lakhs with interest rate of 8.72% payable annually, redeemable at par, due for redemption on 28th March 2029.

These bonds are secured against the landed properties of the Company admeasuring 197.12 ares (487.00 cents) made up of 34.30 ares in Sy No. 713/11, 23.57 ares in Sy No. 713/12, 59.12 ares in Sy No. 713/13, 50.18 ares in Sy No. 714/06, 10.12 ares in Sy No. 714/2, 8.90 ares in Sy No. 714/4 and 10.93 ares in Sy No. 714/5 of land all are lying contiguously in Elamkulam village, Kanayannur taluk, Ernakulam Dist, Kerala.

Utilisation : Out of the issue proceeds of ₹12300 lakhs received, the Company has fully utilised/adjusted funds towards various expenditure incurred on International Ship Repair Facility (ISRF) project.

Difference between carrying amounts and fair values of financial liabilities of borrowings is not significant in each of the year presented.

Note 22: Other Financial liabilities - Non Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Payable to Chennai Port Trust	261.22	261.22
Lease Liabilities - Ind AS 116	37,325.69	
Total	37,586.91	261.22

Liability of ₹ 261.22 lakhs to Chennai Port Trust in respect of customs duty is covered by a refund appeal lying before Commissioner (Appeals) which is also shown as deposits with Customs department under Note No. 11

Note 23: Provisions - Non Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Provision for employee benefits - Compensated absences (Refer Note No 33)	2,872.20	2,428.71
Total	2,872.20	2,428.71

Note 24: Other non current liabilities

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Deferred Income arising from Government Assistance	11.45	12.59
Total	11.45	12.59

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

Note 25 : Trade Payables

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Trade payables (Unsecured)		
Outstanding dues of Micro enterprises and Small enterprises	686.52	725.36
Outstanding dues of creditors other than Micro enterprises and Small enterprises	41,185.27	33,933.75
Total	41,871.79	34,659.11

To the extent, the Company has received intimation from the vendors regarding their status under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, the details of trade payables are provided as under:

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Amount remaining unpaid to supplier at the end of each accounting year;		
Principal	686.52	725.36
Interest on above Principal	-	-
The amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of the Micro, Small, and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), along with the amount of the payment made to supplier beyond the appointed day during each accounting year;		
The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which has been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under Micro, Small, and Medium Enterprises Development Act, 2006;	-	-
The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year	-	-
The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance of a deductible expenditure under section 23 of the Micro, Small, and Medium Enterprises Development Act, 2006;	-	-

Note 26 : Other Financial Liabilities - Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Interest accrued but not due	281.95	281.98
Unpaid Dividend	20.00	9.54
Lease Liability	2,833.72	-
Others		
Security and other deposits	3,434.08	3,061.64
Others Payables	11,231.73	9,666.62
Total	17,801.48	13,019.78

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

Note 27 : Other Current Liabilities

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Contract Liability for Indigenous Aircraft Carrier works (Net)	-	30,830.23
Contract Liability for other works	113,330.88	52,634.04
Advances for other ship building contracts	114.21	8.23
Advances for ship repair and others	586.08	689.51
Income received in advance	25.33	24.34
Statutory dues	2,040.63	2,115.53
Deferred Income arising from Government Assistance	1.14	1.14
other payables		50.79
Total	116,098.27	86,353.81

Refer Note No 39 on Ind AS 115 "Revenue from Contract with Customers"

Note 28 : Provisions - Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Provision for Employee benefits		
Gratuity	1,048.51	607.90
Compensated absences(Refer Note No 33)	533.22	464.29
Others	-	2,997.00
	1,581.73	4,069.19
Other Provisions		
Taxes and duties	209.12	211.61
Provision for shipbuilding loss	5,287.00	205.00
Expenditure / contingencies	31,608.78	32,446.62
	37,104.90	32,863.23
Total	38,686.63	36,932.42

28.1 Details of movement of provisions

(₹ in lakhs)

Particulars	As at 01.04.2019	Provision made during the period	Amounts used during the period	Unused amounts reversed during the period	As at 31.03.2020
Provision for employee benefits					-
Gratuity	607.90	440.61			1,048.51
Compensated absences (Refer Note No 33)	464.29	68.93			533.22
Others	2,997.00		(2,997.00)		0.00
Provision for taxes and duties	211.61	0.17	(2.66)	-	209.12
Provision for shipbuilding loss	205.00	5,287.00	-	(205.00)	5,287.00
Provision for expenditure / contingencies	32,446.62	30,332.54	(26,117.27)	(5,053.11)	31,608.78

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

(₹ in lakhs)

Particulars	As at 01.04.2018	Provision made during the period	Amounts used during the period	Unused amounts reversed during the period	As at 31.03.2019
Provision for employee benefits					
Gratuity	2,361.78	-	(1,753.88)	-	607.90
Compensated absences	383.78	80.51	-	-	464.29
Others	1,220.93	1,796.04	(31.24)	11.27	2,997.00
Provision for taxes and duties	196.48	17.93	(2.80)	-	211.61
Provision for shipbuilding loss	548.22	205.00	-	(548.22)	205.00
Provision for expenditure / contingencies	23,203.74	26,675.55	(15,461.89)	(1,970.78)	32,446.62

Note 29 : Revenue from operations

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
Sale of products		
Ship building:		
Indigenous Aircraft Carrier (IAC)	237,746.87	175,676.28
Vessels other than IAC	46,206.78	37,341.68
Engineering works	-	-
	283,953.65	213,017.96
Sale of services		
Ship repairs	56,856.75	83,197.46
	56,856.75	83,197.46
Other operating revenue		
Sale of stock items	-	0.45
ShipBuilding Financial Assistance	835.57	-
Sale of scrap	603.42	344.46
	1,438.99	344.91
Total	342,249.39	296,560.33

Refer Note No 39 on Ind AS 115 "Revenue from Contract with Customers"

The Company signed the Phase III Part of Contract for Construction of Indigenous Aircraft Carrier on October 31, 2019

The Company has considered the lock down period due to COVID 19 as Force Majeure for computation of Liquidated Damages while calculating Revenue from operations

Govt. of India approved a Financial Assistance Policy for Indian Shipyards on 9th December 2015 for grant of financial assistance to Indian Shipyards for shipbuilding contracts signed between April 1, 2016 to March 31, 2026. Eligibility for this Assistance based on measurement of physical performance completed to date is accounted for .

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

Note 30 : Other Income

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
Training facilities	304.29	423.67
Income from sale of scrap and stores	246.42	260.62
Profit on sale of fixed assets	-	-
Income from laboratory services	33.77	35.77
Rent received	305.55	154.42
Hire charges received	5.90	7.71
Interest on bank deposits	14,885.29	17,450.30
Interest from others	1,611.73	1,064.43
Dividend income from equity investments/ Mutual Funds	0.89	163.34
Profit on sale of Mutual Funds	235.30	711.52
Net gain on foreign currency transactions	-	88.65
Provision no longer required	5,159.25	1,916.36
Miscellaneous income	1,719.74	321.56
Total	24,508.13	22,598.35

Miscellaneous income includes ₹ 1.14 lakhs being deferred government assistance in the form of subsidy relating to installation of Solar Power plant inside the yard. The same has been accounted as per the requirements of Ind AS 20 - Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance.

Note 31 : Cost of Materials Consumed

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
Raw Materials		
Steel	5,760.00	5,487.11
Pipe	798.84	1,029.04
Paint	1,495.32	1,223.54
Bought out components	171,545.66	142,689.33
Total	179,599.82	150,429.02

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

Note 32 : Sub Contract and Other Direct Expenses

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
Sub contract and off loaded jobs	28,818.23	25,026.31
Hull insurance	530.97	208.89
Other direct expenses	7,207.78	12,763.53
Total	36,556.98	37,998.73

Note 33 : Employee Benefits Expense

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
Salaries, wages, bonus/exgratia and allowances	26,166.40	24,044.00
Contribution to Provident Fund and Family Pension Fund	2,020.40	1,585.78
Gratuity	305.67	310.06
Staff welfare expenses	2,098.56	1,815.81
Total	30,591.03	27,755.65

Contribution to Provident Fund and Family Pension Fund includes provident fund inspection and administration charges ₹ 20.52 lakhs (previous year ₹17.72 lakhs)

Salaries, Wages, bonus/exgratia and allowances includes provision for encashment of half pay compensated absences for workmen amounting to ₹ 512.42 lakhs (previous year ₹ 243.52 lakhs)

The employee benefits accruing to the employees on deputation from Cochin Port Trust and Mumbai Port Trust are being accounted based on demands received from Cochin Port Trust & Mumbai Port Trust as per tripartite agreement between the Company, Cochin Port Trust & Mumbai Port Trust and the recognised Trade unions of the Port and not based on actuarial valuation except for gratuity which is actuarially valued for 2019-20.

Other Benefit Plan - Compensated absences

The principal assumptions used for the purpose of actuarial valuation were as follows:

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Discount Rate (p.a)	6.66%	7.68%
Rate of increase in compensation levels	3.00%	3.00%
Attrition Rate- Half Pay Leave	Officers & Supervisors 0.7% Workers 0.7%	Officers & Supervisors 0.24% Workers 0.24%
Attrition Rate- Earned Leave	Officers & Supervisors 0.7% Workers 0.7%	Officers & Supervisors 0.6% Workers 0.1%

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Average Duration of Defined Benefit Obligation (In years)	7.94	6.95

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

Amount recognised in the Statement of Profit and Loss in respect of defined benefit plans are as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
Service Cost:		
Current Service Cost	213.89	208.51
Net Interest expense	196.63	187.28
Actuarial (Gain)/Loss recognised during the period	767.32	294.80
Expenses recognised in the statement of profit and loss	1177.84	690.59

The amount included in the Balance Sheet arising from the entity's obligation in respect of its defined benefit plan is as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
Present Value of Defined Benefit Obligation at end of the year	3405.42	2893.00
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	-	-
Net Liabilities /(Assets) recognized in the Balance Sheet	3405.42	2893.00

Type of Employee Benefit	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
Current Component of PVO	533.22	464.29
Non-Current Component of PVO	2872.20	2428.71
TOTAL PVO	3405.42	2893.00

Movements in present value of the defined benefit obligation are as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
Defined Benefit Obligation at beginning of the year	2893.00	2649.48
Current & Past Service Cost	213.89	208.51
Current Interest Cost	196.63	187.28
Actuarial (Gain)/ Loss	767.32	294.8
Benefits paid	(665.42)	(447.07)
Defined Benefit Obligation at end of the year	3,405.42	2,893.00

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

Movements in the fair value of the plan assets are as follows:

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	-	-
Expected Return on Plan Assets	-	-
Actuarial (Gain)/ Loss	-	-
Contributions from the employer	665.42	447.07
Benefits paid	(665.42)	(447.07)
Fair Value of the Assets at the end of the year	-	-

Expected Contributions in Following Years [mid-year cash flows]

Year	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
Year 1	484.41	390.26
Year 2	83.24	121.25
Year 3	203.95	242.21
Year 4	86.45	174.57
Year 5	74.63	68.06
Next 5 Years	472.06	376.12

"NA " denoted " Not Available"

Expected Benefit Payments in Following Years [mid-year cash flows]

Year	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
Year 1	484.41	390.26
Year 2	83.24	121.25
Year 3	203.95	242.21
Year 4	86.45	174.57
Year 5	74.63	68.06
Next 5 Years	472.06	376.12

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

Sensitivity Analysis - Half Pay Leave

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
A. Discount Rate + 50 BP	7.16%	8.18%
Defined Benefit Obligation [PVO]	355.85	285.32
Current Service Cost	104.81	104.84
B. Discount Rate - 50 BP	6.16%	7.18%
Defined Benefit Obligation [PVO]	389.41	310.74
Current Service Cost	113.84	114.18
C. Salary Escalation Rate + 50 BP	3.50%	3.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	389.98	311.30
Current Service Cost	113.99	114.39
D. Salary Escalation Rate - 50 BP	2.50%	2.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	355.23	284.73
Current Service Cost	104.64	104.62
BP denotes "Basis Points"		

Sensitivity Analysis - Earned Leave

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
A. Discount Rate + 50 BP	7.16%	8.18%
Defined Benefit Obligation [PVO]	2,927.06	2,516.47
Current Service Cost	130.04	113.29
B. Discount Rate - 50 BP	6.16%	7.18%
Defined Benefit Obligation [PVO]	3,148.26	2,680.38
Current Service Cost	142.08	122.79
C. Salary Escalation Rate + 50 BP	3.50%	3.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	3,151.90	2,683.94
Current Service Cost	142.28	123.00
D. Salary Escalation Rate - 50 BP	2.50%	2.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	2,922.90	2,512.62
Current Service Cost	129.82	113.07
BP denotes "Basis Points"		

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

Defined Benefit Plan-Gratuity

The principal assumptions used for the purpose of actuarial valuation were as follows (Head office):

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
Discount Rate (p.a)	6.66%	7.68%
Rate of increase in compensation levels	3.00%	3.00%
Attrition Rate	Officers & Supervisors 0.7% Workers 0.7%	Officers & Supervisors 0.6% Workers 0.1%
Expected Rate of Return on Plan Asset	6.66%	7.68%

Average Duration of Defined Benefit Obligations (In years)	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
	7.21	6.17

Amount recognised in the Statement of Profit and Loss/Other comprehensive income in respect of defined benefit plans are as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
Service Cost:		
Current Service Cost	223.48	235.84
Past Service Cost	-	-
Net Interest expense	23.34	72.04
Components of defined benefit costs recognised in statement of profit and loss	246.82	307.88
Remeasurement of the net defined benefit liability:		
Actuarial (Gain)/Loss on Plan Obligations	636.50	352.70
Difference between Actual Return and Interest income on Plan assets (gain)/loss	165.18	(52.69)
Components of defined benefit costs recognised in Other Comprehensive Income	801.68	300.01

The amount included in the Balance Sheet arising from the entity's obligation in respect of its defined benefit plan is as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
Present Value of Defined Benefit Obligation at end of the year	5,240.37	5,078.90
Less: Fair Value of Plan Assets at the end of the year	4,191.87	4,471.00
Net Liabilities /(Assets) recognized in the Balance Sheet	1,048.50	607.90

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

Movements in present value of the defined benefit obligation are as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
Defined Benefit Obligation at beginning of the year	5,078.89	5,077.72
Current Service Cost	223.48	235.84
Current Interest Cost	349.80	355.60
Past Service Cost	-	-
Actuarial (Gain)/ Loss	636.50	352.70
Benefits paid	(1,048.30)	(942.97)
Defined Benefit Obligation at end of the year	5,240.37	5,078.89

Movements in the fair value of the plan assets are as follows:

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	4,471.00	3,211.31
Expected Return on Plan Assets	326.46	283.56
Actuarial Gain/ (Loss)	(165.18)	52.69
Contributions from the employer	607.90	1,866.41
Benefits paid	(1,048.32)	(942.97)
Fair Value of the Assets at the end of the year	4,191.86	4,471.00

Expected Contributions in Following Years [mid-year cash flows]

Year	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
Year 1	NA	NA
Year 2	NA	NA
Year 3	NA	NA
Year 4	NA	NA
Year 5	NA	NA
Next 5 Years	NA	NA

"NA " denoted " Not Available"

Expected Benefit Payments in Following Years [mid-year cash flows]

Year	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
Year 1	1,942.66	1,640.47
Year 2	293.47	465.71
Year 3	698.96	1,064.38
Year 4	327.89	648.22
Year 5	240.10	283.78
Next 5 Years	1,242.55	1,144.17

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

Sensitivity Analysis

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
A. Discount Rate + 50 BP	7.16%	8.18%
Defined Benefit Obligation [PVO]	5,071.31	4,939.22
Current Service Cost	236.07	211.20
B. Discount Rate - 50 BP	6.16%	7.18%
Defined Benefit Obligation [PVO]	5,423.06	5,228.76
Current Service Cost	269.81	236.99
C. Salary Escalation Rate + 50 BP	3.50%	3.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	5,403.33	5,217.60
Current Service Cost	267.13	233.60
D. Salary Escalation Rate - 50 BP	2.50%	2.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	5,086.36	4,947.91
Current Service Cost	238.93	213.33
BP denotes "Basis Points"		

MAJOR CATEGORIES OF PLAN ASSETS (AS PERCENTAGE OF TOTAL PLAN ASSETS)

Government of India Securities	29.90%	29.42%
State Government Securities	30.96%	34.62%
High Quality Corporate Bonds	0.00%	0.00%
Equity shares of listed companies	10.90%	9.72%
Property	0.00%	0.00%
Special Deposit Scheme	0.00%	0.00%
Funds managed by Insurer	0.25%	0.23%
Others (to specify)	27.99%	26.01%
Total	100.00%	100.00%

The plan assets are managed by the Gratuity Trust formed by the Company.

The principal assumptions used for the purpose of actuarial valuation of International Ship Repair Facility (ISRF) and CSL Mumbai Ship Repair Unit (CMSRU) were as follows:

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020
Discount Rate (p.a)-ISRF	6.00%
Discount Rate (p.a)-CMSRU	5.70%
Rate of increase in compensation levels	3.00%
Attrition Rate	2.00%
Expected Rate of Return on Plan Asset	NA

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

Amount recognised in the Statement of Profit and Loss/Other comprehensive income in respect of defined benefit plans are as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020
Service Cost:	
Current Service Cost	45.08
Past Service Cost	-
Net Interest expense	13.77
Components of defined benefit costs recognised in statement of profit and loss	58.85
Remeasurement of the net defined benefit liability:	
Actuarial (Gain)/Loss on Plan Obligations	(4.08)
Difference between Actual Return and Interest income on Plan assets (gain)/loss	
Components of defined benefit costs recognised in Other Comprehensive Income	(4.08)

The amount included in the Balance Sheet arising from the entity's obligation in respect of its defined benefit plan is as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020
Present Value of Defined Benefit Obligation at end of the year	238.83
Less: Fair Value of Plan Assets at the end of the year	-
Net Liabilities /(Assets) recognized in the Balance Sheet	238.83

Movements in present value of the defined benefit obligation are as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020
Defined Benefit Obligation at beginning of the year	184.06
Current Service Cost	45.08
Current Interest Cost	13.77
Past Service Cost	-
Actuarial (Gain)/ Loss	(4.08)
Benefits paid	-
Defined Benefit Obligation at end of the year	238.83
ISRF & CMSRU gratuity is self managed by the Company.	

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

Expected Contributions in Following Years [mid-year cash flows]

Year	ISRF	CMSRU
Year 1	NA	NA
Year 2	NA	NA
Year 3	NA	NA
Year 4	NA	NA
Year 5	NA	NA
Next 5 Years	NA	NA

"NA " denoted " Not Available"

Expected Benefit Payments in Following Years [mid-year cash flows]

Year	ISRF	CMSRU
Year 1	14.49	1.17
Year 2	36.69	2.88
Year 3	25.21	3.80
Year 4	32.45	2.41
Year 5	11.80	1.04
Next 5 Years	104.08	2.83

Sensitivity Analysis

Particulars	ISRF	CMSRU
A. Discount Rate + 100 BP	7.00%	6.70%
Defined Benefit Obligation [PVO]	215.49	13.74
Variation	-4.10%	-2.73%
B. Discount Rate - 100 BP	5.00%	4.70%
Defined Benefit Obligation [PVO]	234.79	14.53
Variation	4.48%	2.91%
C. Salary Escalation Rate + 100 BP	4.00%	4.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	234.83	14.53
Variation	4.50%	2.92%
D. Salary Escalation Rate - 100 BP	2.00%	2.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	215.30	13.73
Variation	-4.19%	-2.78%
BP denotes "Basis Points"		

Note 34 : Finance Costs

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
Bank interest	-	-
Interest expense on lease liabilities	3,439.62	
Interest others	1.35	378.67
Interest on tax free bonds	1,051.44	1,051.44
Total	4,492.41	1,430.11

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

Note 35 : Depreciation and Amortisation Expense

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
Depreciation on property, plant and equipments	2,989.48	2,850.35
Depreciation on RoU Assets	1,395.68	
Amortisation of other intangible asset	298.47	321.30
Total	4,683.63	3,171.65
Add : Loss on revaluation of tools	210.26	248.21
Total	4,893.89	3,419.86

Note 36 : Other Expenses

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
Consumption of stores	2,087.39	1,780.37
Consumption of spares	47.44	52.76
Rates and taxes	21.97	16.56
Power	2,156.61	2,023.43
Fuel	792.76	861.66
Water	242.26	223.26
Repairs and maintenance:		
Building and roads	643.18	659.77
Plant and machinery	104.92	46.96
Others	1,063.39	1,271.46
Maintenance dredging	299.50	540.50
Transport and stores handling	167.05	129.21
Travelling and conveyance expenses	852.51	496.57
Printing and stationery	100.73	89.28
Postage, telephone and telex	64.80	40.05
Advertisement and publicity	507.64	692.67
Lease rent	14.56	1,216.58
Guaranteed Amount under lease agreement	-	12.21
Hire charges	386.62	660.56
Insurance charges	427.26	367.45
Security expenses	1,538.30	1,559.11
Payments to Auditors	26.95	25.96
Training expenses	624.37	658.39
Legal expenses	58.07	16.64
Consultancy	134.78	183.11
Bank charges	496.31	112.63
Net loss /(gain) on derivative contracts	502.01	-
Corporate social responsibility (Refer Note no.45)	1,270.94	1,041.16
Loss on sale/write off of property, plant and equipments	1.87	16.09
Miscellaneous expenses	1,625.42	1,354.34
Total	16,259.61	16,148.74

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

Auditors remuneration, Auditors remuneration for other services and Miscellaneous expenses include:

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
For Audit Fees	14.71	14.25
For Limited Review/other services	7.74	6.06
For Certifications	4.50	5.65
Total	26.95	25.96

Note 37 : Provision for Anticipated Losses and Expenditure

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
Provision for:		
Doubtful debts / advances	3,286.89	6,600.24
Non moving / perpetual inventory verification	1.98	128.62
Expenses and contingencies	220.91	291.18
Provision for loss on Ship Building	5,082.00	205.00
Total	8,591.78	7,225.04

Note 38 : Earnings per Equity Share

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
Net Profit after tax (₹ in lakhs)	63,200.99	47,778.77
Weighted average number of Equity Shares	131540390	134695595
Basic and Diluted Earnings Per Share (EPS) (in ₹)	48.05	35.47
Face value per share (in ₹)	10.00	10.00

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

Note 39: Additional Disclosures under Ind AS 115-"Revenue from Contract with Customers"

Disclosures of Disaggregated revenue as per INDAS 115

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2020	For the year ended Mar 31, 2019
Revenue from Contracts with customers		
A. Revenue from goods or services transferred over time		
(i) Sale of products (Including Excise Duty Nil)		
Ship building:		
Indigenous Aircraft Carrier (IAC)	237746.87	175676.28
Vessels other than IAC	46206.78	37341.68
Engineering works	0.00	0.00
Other operating revenue		
Ship Building Financial Assistance Subsidy	835.57	0.00
(ii) Sale of services		
Ship repairs	56856.75	83197.46
B. Revenue from goods or services transferred to customers at a point in time		
Other operating revenue		
Sale of Ship Building Scrap	437.29	183.66
Sale of Ship Repair Scrap	166.13	160.80
Sale of stock items	0.00	0.45
Total	342249.39	296560.33

Details of transaction price allocated to unsatisfied/ partially satisfied performance obligations:

Aggregate amount of the transaction price allocated to the performance obligations that are unsatisfied (or partially unsatisfied) as of the end of the reporting period amounts to ₹ 925080.07 lakhs (excluding Cost Plus Part of IAC contract). The amount of transaction price relating to unsatisfied performance obligation that are part of a contract that has an original expected duration of one year or less has not been included in the above disclosure as permitted under Ind AS 115. Further the estimate of the transaction price as above would not include any estimated amounts of variable consideration that are constrained. Management expects that 21.71 % of transaction price allocated to unsatisfied/ partially satisfied contracts as of 31.03.2020, as stated above, will be recognised as revenue during FY 2020-21 and the remaining thereafter.

During the year ended March 31, 2020 the Company recognised revenue of ₹ 53210.54 lakhs arising from opening Contract Liability as of April 01,2019

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

Reconciliation of contracted price with revenue during the year

Particulars	As at March 31, 2020
Opening contracted price of orders as at April 1, 2019*	1176242.66
Add:	0.00
Fresh orders/change orders received (net)	341069.70
Increase due to additional consideration including Shipbuilding Financial assistance	7920.74
Increase due to exchange rate movements (net)	1430.22
Less:	0.00
Other deductions including variations, change orders etc.	13747.52
Orders completed during the year	8176.29
Closing contracted price of orders as at March 31, 2020	1504739.51
Total Revenue recognised during the year:	136469.80
Less: Revenue out of orders completed during the year	6709.06
Revenue out of orders under execution at the end of the year (I)	129760.74
Revenue recognised upto previous year (from orders pending completion at the end of the year) (II)	449884.96
Decrease due to exchange rate movements (net) (III)	0.00
Balance revenue to be recognised in future viz. Order book (IV)	925093.81
Closing contracted price of orders as at March 31, 2020 (I+II+III+IV)	1504739.51

Note 40: Additional Disclosures under Ind AS 116-"Leases"

Indian Accounting Standard (Ind AS 116) "Leases" became effective from April 01, 2019 and the Group has adopted the same using modified retrospective transition method. Accordingly, the comparatives have not been retrospectively adjusted. This has resulted in RoU assets of ₹ 39648.25 Lakhs, lease liability of ₹ 37725.58 Lakhs, additional finance cost of ₹ 3439.63 Lakhs and additional depreciation of ₹ 1395.68 Lakhs, additional lease rent income (as a lessor) of ₹ 28.93 Lakhs and accrued lease rent asset (as a lessor) of ₹ 28.93 Lakhs for the year ended March 31, 2020. The actual lease rentals paid and received which were hitherto recognised as expense and income are now accounted as reduction in lease liability and adjustment to accrued lease rent. Overall, it has resulted in a reduction of profit for the year ended March 31, 2020 by ₹ 1788.53 Lakhs.

Rent and Hire charges Expense includes expense incurred for the year ended 31.03.2020 relating to Short term leases and leases of low value assets amounting to ₹ 37.93 lakhs

Total Cash outflow for leases for the year ended March 31, 2020 including outflow for short term and low value leases is ₹ 2402.90 lakhs

The Company has lease term extension options that are not reflected in the measurement of lease liabilities.

The details of the contractual maturities of lease liabilities as at March 31, 2020 on an undiscounted basis are as follows

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Less than one year	2,465.45	2,316.26
One to five years	10,819.77	10,267.93
More than five years	125,971.91	128,570.69
Total	139,257.13	141,154.88

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

The details of the contractual maturities of leased assets as at March 31, 2020 on an undiscounted basis are as follows

Particulars	As at March 31, 2020
Less than one year	182.35
One to five years	465.19
More than five years	326.87
Total	974.41

NOTES ON ACCOUNTS

Note 41: CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS

Particulars	For the period ended 31 Mar 2020 (₹ in Lakhs)	For the period ended 31 Mar 2019 (₹ in Lakhs)	Brief Description of the nature and obligation
A	CONTINGENT LIABILITY (To the extent not provided for)		
a	Guarantees		
i	13,345.68	23,005.41	Represents Letter of Credit opened by the Company in various banks for procurement of materials/assets
ii	272,384.71	151,295.89	Bank Guarantees
iii	3,925.00	3,925.00	Corporate Performance Guarantee to Cochin Port Trust
b	Other money for which the company is contingently liable		
i	69.06	69.06	Claim raised by GCDA for the land acquired for the Company is settled. However 8 land acquisition revision petition cases (Valued at ₹ 69.06 lakhs) filed by evictees is pending with the Hon'ble Supreme Court and High Court.
ii	21,930.58	16,532.69	Customs duty for materials under Bond and indigenous vessels delivered. Includes an amount of ₹ 69.83 lakhs being Customs duty refund granted by CESTAT, Bangalore, against which an appeal was filed by the Department before the Hon'ble High Court of Kerala. The Hon'ble High Court of Kerala has since disposed off the appeal with a direction to the Department to prefer the appeal before the Hon'ble Supreme Court of India. In absence of any further information on the departmental appeal, the same has been retained as Contingent Liability. It also includes an amount of ₹ 5857.03 lakhs being differential IGST demanded on imports made by the company
iii	657.51	1,259.75	2000-01 - ₹ 111.93 Lakhs 2001-02 - ₹ 73.44 Lakhs 2004-05 - ₹ 195.67 Lakhs 2007-08 - ₹ 276.47 Lakhs (Under appeal.) Stay of collection of tax obtained in all cases. Demand reduced to the extent of amount paid and appeal allowed by Deputy Commissioner (Appeals). Detailed notes in Note no. 41.1 (II & III)

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

Particulars		For the period ended 31 Mar 2020	For the period ended 31 Mar 2019	Brief Description of the nature and obligation
		12.10	12.10	VAT credit for the year 1996-97 which has not been considered in the demand, for which no provision exists in the books
iv	Income Tax	2,107.27	2,988.44	Demand relating to Assessment Years: AY 2010-11 - ₹ 457.63 Lakhs AY 2011-12 - ₹ 406.80 Lakhs AY 2014-15 - ₹ 911.07 Lakhs AY 2017-18 - ₹ 331.77 Lakhs Detailed notes in Note no. 41.1 (l)
v	Service Tax	1,647.47	1,647.47	Demand of Service Tax on IAC (Design Consultancy) as per Show Cause Notice issued. Adjudication pending
		376.88	376.68	Refund claim of Service Tax on IAC granted by Commissioner (Appeal). However Department filed Appeal before CESTAT against the order of Commissioner(Appeals). Also issued Show Cause Notice on CSL & adjudication pending.
		323.04	323.04	Demand of Service Tax on IAC (Management Fee/Handling Charges) as per Show Cause Notice issued. Adjudication pending
		2,339.64	2,339.64	Show Cause Notice issued for levy of service tax on ship repair without allowing deduction of materials for which VAT paid and disallowance of Cenvat Credit. Proceedings under the show cause has been dropped vide order no. COC-EXCUS-000-COM-18-17-18 dt 19.03.2018. Department filed appeal to CESTAT.
		1,885.60	1,885.60	Show Cause Notice issued for levy of Service Tax on the repair of vessels owned by UTLA by denying the benefit of Notification No.25/212-ST dt. 20-6-2012 available for the repair of vessels owned by Govt. Departments. Proceedings under the show cause has been dropped vide order no. COC-EXCUS-000-COM-11-17-18 dt 07.03.2018. Department filed appeal to CESTAT.
		513.71	513.71	Show Cause Notice issued for levy of Service Tax on the repair of vessels during FY 2015-16 owned by UTLA by denying the benefit of Notification No.25/212-ST dt. 20-6-2012 available for the repair of vessels owned by Govt. Departments.
		734.93		Show Cause Notice issued for levy of Service Tax on the repair of vessels during FY 2016-17 owned by UTLA by denying the benefit of Notification No.25/212-ST dt. 20-6-2012 available for the repair of vessels owned by Govt. Departments.
		79.22	79.22	Show Cause Notice issued for levy of service tax on ship repair during the period 2015-16 without allowing deduction of materials for which VAT paid and disallowance of Cenvat Credit.

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

Particulars		For the period ended 31 Mar 2020	For the period ended 31 Mar 2019	Brief Description of the nature and obligation
v	Service Tax	286.85		Show Cause Notice issued for levy of service tax on ship repair during the period 2016-17 without allowing deduction of materials for which VAT paid and disallowance of Cenvat Credit.
		279.46	279.46	Show Cause Notice issued for non payment of service tax on availing services of persons in non-taxable territory for meeting contractual warranty obligations and on cost of security provided to the transportation of Barge from Cochin to Abu Dhabi.
B	COMMITMENTS (To the extent not provided for)			
a	Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for:	143,692.62	181,221.45	
b	Other commitments			
i	Unutilised amount of Initial Public Offer (IPO) proceeds (Pending utilisation amount deposited with various banks in current account and term deposits)	4,737.06	30,802.81	Detailed notes in Note no. 42

41.1. CONTINGENCIES AND COMMITMENTS

(I) Income Tax Assessments

The Income Tax Assessment of the company have been completed up to AY 2017-18.

Demands raised as per the assessment orders totaling to ₹ 1406.41 lakhs for the Assessment Years 2010-11, 2011-12, 2014-15 and 2017-18 are shown under Contingent Liability pending disposal of the appeals filed before the Commissioner of Income Tax (Appeals). The demands are mainly due to disallowance of certain genuine claims. However the above demands have been adjusted against the refund due for the subsequent years.

For the Assessment years 2010-11 and 2011-12 although the appeals filed before the Commissioner of Income Tax (Appeals) has been disposed in favour of the company, the Income Tax Department has gone for appeal against the order of Commissioner of Income Tax (Appeals) before the ITAT, the amount involved under appeal before the ITAT amounts to ₹ 700.86 lakhs.

(II) Sales Tax Assessment under KGST Act

The Sales Tax assessments under Kerala General Sales Tax Act up to the Assessment Year 2004-05 have been completed and orders were issued for all the years except for the year 2002-03 & 2003-04. Due to apparent mistake in the orders issued for the year 2000-01 and 2001-02, applications have been filed for rectification of the orders. Pending rectification to the assessment orders the demands thereto have been shown under Contingent Liabilities. For the Assessment year 2004-05, the Deputy Commissioner (Appeals) has dismissed the appeal filed by the Company against the demand for ₹ 202.22 lakhs. The Company has filed appeal with the Tribunal.

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

(III) Sales Tax Assessments under KVAT Act

The KVAT assessments from Assessment Year 2005-06 to Assessment Year 2007-08 have been completed and assessment orders were issued for Assessment Year 2005-06 and Assessment Year 2007-08 with a demand of ₹ 2836.63 lakhs and ₹ 5554.71 lakhs respectively. The appeals filed by the Company against the above orders, before the Deputy Commissioner (Appeals) have been partially decided in favour of the Company and remanded for fresh assessments. Accordingly the demands as per the original assessment orders have become null. As such no demand exists as on reporting date. Pending receipt of the revised assessment order, the company filed appeal before the Hon'ble KVAT Appellate Tribunal on the other issues. Tribunal has issued order in favour of CSL for the assessment year 2005-06. The appeal for assessment year 2007-08 is currently pending before the Tribunal. Assessment order for the year 2006-07 is pending.

42. The Utilisation of IPO proceeds is summarised below:

(₹ in lakhs)

Particulars	IPO proceeds received -Based on Final allotment	Actual cash outflow upto March 31, 2020	Unutilised amount as at March 31, 2020
Setting up of Dry Dock	51000.00*	46262.97	4737.03
Setting up of ISRF	26500.00*	26500.00	0.00
General corporate purposes	16523.26	16523.23	0.03
Issue related expenses (Attributable to the Company)	2172.10**	2172.10	0.00
Total	96195.36	91458.30	4737.06

* As per Prospectus Filed

** Increase in IPO expenditure (₹ 172.10 lakhs) compared to the estimates is adjusted against amount specified for General Corporate Purpose

43. The dispute between M/s Apeejay Shipping Ltd (formerly known as Surendra Overseas Ltd) and the Company, in the matter of ship 005 was referred for arbitration by the Hon'ble Supreme Court of India. The arbitration award (July 2009) was in favour of the Company under which the Company is to receive ₹2803.64 lakhs from M/s Apeejay Shipping Ltd. The company has filed a petition before Sub Court, Ernakulam for passing a decree. M/s Apeejay Shipping Ltd has moved to the Sub Court to quash the Award of the Umpire and the Company has filed Counter Affidavit against this move. The matter is pending before the court. No credit has been taken in the books of account, pending final decree of the Court.
44. Permanent Machinery for Arbitration, Department of Public Enterprises, Govt. of India, has notified award in favour of the Company in the dispute between the Company and M/s Oil and Natural Gas Corporation Ltd (ONGC) on the Works Contract Tax issue and ONGC has paid to the Company the disputed sum along with interest amounting to ₹2642.22 Lakhs as per the award. ONGC has gone on appeal before the Law Secretary, Ministry of Law & Justice against the award. Pending disposal of ONGC appeal, no adjustment has been made in the accounts.
45. Litigations : The Company is subject to legal proceedings and claims, in the ordinary course of business. The Company's Management does not reasonably expect that these legal actions, when ultimately concluded and determined, will have material and adverse effect on the Company's results of operation.

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

Details of material litigations as on 31 March 2020

M/s. Vigil Marine Services in 2004 raised claims towards Agency Commission payable for winning orders for ATCO Tugs. The arbitration proceedings commenced on 10 Oct 2004. Examination and cross examination of witnesses completed and posted the matter for arguments on 01 and 02 Feb 2014. The Arbitrator completed the proceedings and passed his award directing the Company to pay commission to M/s Vigil Marine Services at the rate of 5% of the ATCO contract value of U S Dollar 18.25 Million with interest @ 8% per annum. Aggrieved on this CSL filed Original Suit No 187/2016 before Sub Court, Ernakulam and obtained an interim order staying execution of the award. However the Company has already provided for the principal amount and interest thereon.

46. **Corporate Social Responsibility (CSR)** : As per section 135 of the Companies Act 2013, CSR committee has been formed by the Company. The areas of CSR activity includes Health Care, Education, Social Empowerment, etc., and those specified in Schedule VII of the Companies Act 2013. The utilisation of CSR funds are done through direct spending as per the recommendations of CSR committee. Details of amount required to be spent and the amount utilised are given below:

(a) Gross amount required to be spent by the Company during the period ended March 31, 2020				₹ 1233.49 lakhs
(b) Amount spent during the year	₹ 1270.94 lakhs			(₹ in lakhs)
Particulars		In cash	Yet to be paid in cash	Total
(i) Construction/acquisition of any asset		824.63	-	824.63
(ii) On purposes other than (i) above		446.31	-	446.31

47. Related Party disclosure as per Ind AS 24

Related Party	Nature of Relationship	
	2019-20	2018-19
Shri Madhu S Nair Chairman & Managing Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Paul Ranjan D (Up to July 31, 2019) Director (Finance) & Chief Financial Officer	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Suresh Babu N V Director (Operations)	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Bejoy Bhasker Director (Technical)	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Jose V J (From August 01, 2019) Director (Finance) & Chief Financial Officer	Key Managerial Personnel	--
Shri Satinder Pal Singh (Upto February 03, 2020) Official Part Time (Nominee) Director, Government of India	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Elias George (Upto April 20, 2018) Official Part Time (Nominee) Director, Government of Kerala	--	Key Managerial Personnel
Shri Sanjay Bandopadyaya (From February 03, 2020) Official Part Time (Nominee) Director, Government of India	Key Managerial Personnel	--

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

Related Party	Nature of Relationship	
	2019-20	2018-19
Shri K R Jyothilal Official Part Time (Nominee) Director, Government of Kerala	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Smt. Roopa Shekhar Rai (From July 29, 2019 to March 20, 2020) Non Official Part Time (Independent) Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Radhakrishna Menon (From July 29, 2019 to March 20, 2020) Non Official Part Time (Independent) Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Krishna Das E (From July 29, 2019 to March 20, 2020) Non Official Part Time (Independent) Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Jiji Thomson Non Official Part Time (Independent) Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Pradipta Banerjee Non Official Part Time (Independent) Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Nanda Kumaran Puthethath Non Official Part Time (Independent) Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Smt V Kala (Upto January 31, 2020) Company Secretary	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri S Balaji Arunkumar Director, HCSSL	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Rajesh Gopalkrishnan Chief Executive Officer, HCSSL	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Shibu John Chief Financial Officer, HCSSL	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Syamkamal N (From February 01, 2020) Company Secretary	Key Managerial Personnel	-
Shri Aswin Sarma M Company Secretary, HCSSL	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel

Nature of transaction-Remuneration to Key Managerial Person*

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Short term benefit	353.83	275.32
Post employment Benefit	38.89	34.13
Total	392.72	309.45

* Remuneration as on March 31, 2019 includes pay revision arrears w.e.f 01.01.2017.

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

Nature of transaction-Loans/advances

(₹ in lakhs)

Name of Related Party	Opening Balance as on 1/4/2019	Loans/advances Taken during 2019-20	Repay ment	Balance as on 31/03/20	Interest accrued as on 31/03/20
MADHU S NAIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAUL RANJAN D	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00
SURESH BABU N V	0.19	0.50	0.49	0.20	0.00
BEJOY BHASKER	0.52	0.50	0.82	0.20	0.00
JOSE V J	0.18	0.50	0.48	0.20	0.00
KALA V	0.15	0.50	0.65	0.00	0.00
SYAMKAMAL N	0.18	0.60	0.54	0.24	0.00

(₹ in lakhs)

Name of Related Party	Opening Balance as on 1/4/2018	Loans/advances Taken during 2018-19	Repay ment	Balance as on 31/03/19	Interest accrued as on 31/03/19
MADHU S NAIR	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00
PAUL RANJAN D	0.99	0.50	1.34	0.15	0.00
SUNNY THOMAS	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00
SURESH BABU N V	0.95	0.60	1.36	0.19	0.00
BEJOY BHASKER	1.73	0.50	1.71	0.52	0.36
KALA V	0.77	0.50	1.12	0.15	0.00

Loan balances have been considered from the year of attaining KMP status.

Nature of transaction-Sitting Fee to Independent Directors

(₹ in lakhs)

Name of the meeting	Roopa Shekhar Rai	Krishna Das E	Radhakrishna Menon	Jiji Thomson	Nandakumaran Puthezath	Pradipta Banerji
Board Meeting	0.60	0.60	0.60	0.75	0.60	0.75
Audit Committee	0.00	0.30	0.30	0.30	0.45	0.30
Corporate Social Responsibility Committee	0.45	0.00	0.45	0.30	0.30	0.00
Nomination and Remuneration Committee	0.45	0.45	0.00	0.30	0.30	0.00
Contracts and Capex Committee	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.45
Strategic HR Committee	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

(₹ in lakhs)

Name of the meeting	Roopa Shekhar Rai	Krishna Das E	Radhakrishna Menon	Jiji Thomson	Nandakumaran Puthezhath	Pradipta Banerji
Committee for New Technology, Strategy and New Initiatives	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
Stakeholders Relationship Committee	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
Shipbuilding Software Price Negotiation Committee	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.15
Total payment for 2019-20	1.50	1.50	1.35	1.95	2.25	1.80

Nature of transaction - Transaction with other related parties

As CSL is a Government company under the control of Ministry of Shipping (MoS), the company has availed exemption from detailed disclosures prepared under Ind AS 24 with respect to related party transactions with Government and Government related entities.

However, as required under Ind AS 24, following are the individually significant transactions:

Transactions with Government and Government related entities by the parent company.

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Amount payable to Government of India	235.40	235.40
Amount paid as dividend during the year to Govt. of India	14474.11	12234.24

In addition to the above, around 97.70 % of the companies turnover and 97.88 % (approx) of trade receivables and customer advance is with respect to Government and Government related entities.

48. FINANCIAL INSTRUMENTS

The fair value hierarchy is based on inputs to valuation techniques that are used to measure fair value that are either observable or unobservable and consist of the following three levels:

Level I inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date.

Level II inputs are inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly.

Level III inputs are unobservable inputs for the asset or liability.

The following table summarises financial assets and liabilities measured at fair value on a recurring basis and financial assets that are not measured at fair value on a recurring basis (but fair value disclosures are required)

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

Financial assets/ financial liabilities

(₹ in lakhs)

	Fair value as at		Fair Value hierarchy
	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019	
Financial Assets			
Non Current			
(i) Investments	9.18	9.18	Level III
(ii) Loans	108.55	129.01	Level II
(iii) Others	864.50	-	Level II
Current			
(i) Trade Receivables	28,823.21	39,233.68	Level II
(ii) Cash & Cash equivalents	86,682.14	102,066.77	Level II
(iii) Bank Balances other than (iii)	132,840.27	155,657.48	Level II
(iv) Loans	30.97	39.21	Level II
(v) Others	3,145.35	23,281.45	Level II
Total Financial Assets	252,504.17	320,416.78	
Financial Liabilities			
Non Current			
(i) Borrowings	12,300.00	12,300.00	Level I
(ii) Other financial liabilities	37,586.91	261.22	Level II
Current			
(i) Trade Payables	41,871.78	34,659.11	Level II
(ii) Other financial liabilities	17,801.48	13,019.78	Level II
Total Financial Liabilities	109,560.17	60,240.11	

Note:

- The investments in equity instruments are not held for trading. Instead, they are held for medium or long term strategic purpose. The Company has chosen to designate these investments in equity instruments of Subsidiary at cost (as per Ind AS 27) and other equity instruments at FVTOCI (as per Ind AS 109), as the directors believe that this provides a more meaningful presentation of medium or long term strategic investments, than reflecting changes in fair value immediately in profit or loss.

Investments included in level 3 of fair value hierarchy have been valued using the cost approach to arrive at their fair value. The cost of unquoted investments approximate the fair value because there is a wide range of possible fair value measurements and the cost represents estimate of fair value within that range.

There were no transfers between Level 1 and 2 in the period.

- Loans, Borrowings are at the market rates and therefore the carrying value is the fair value.
- The carrying amount of trade receivables, trade and other payables and short term loans are considered to be the same as their fair value due to their short term nature.

Difference between carrying amounts and fair values of bank deposits, other financial assets, other financial liabilities and borrowings subsequently measured at amortised cost is not significant in each of the years presented.

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

Financial Instruments by category

(₹ in lakhs)

	31st March 2020			31st March 2019		
	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost
Financial Assets						
Investments (Non-current)						
- Equity instruments		9.18			9.18	
- Debt instruments						
Loans			108.55			129.01
Others			864.50			0.00
Trade receivables			28,823.21			39,233.68
Cash & Cash equivalents			86,682.14			102,066.77
Bank Balances			132,840.27			155,657.48
Loans			30.97			39.21
Other Financial Assets			3,145.35			23,281.45
Total Financial Assets		9.18	252,495.00	0.00	9.18	320,407.59
Financial liabilities						
Borrowings			12,300.00			12,300.00
Other financial liabilities			37,586.91			261.22
Trade payables			41,871.79			34,659.11
Capital creditors						
Other financial liabilities			17,801.48			13,019.78
Total Financial Liabilities			109,560.18			60,240.11

49. Financial Risk Management Policy

Financial Risk Management Objective and Policies:

The Company's principal financial liabilities, other than derivatives, comprise of loans and borrowings, trade and other payables and advances from customers. The main purpose of these financial liabilities is to finance the Company's operations, projects under implementation and to provide guarantees to support its operations. The Company's principal financial assets include Investment, loans and advances, trade and other receivables and cash and bank balances that derive directly from its operations. The Company is exposed to market risk, credit risk and liquidity risk. The Company's senior management oversees the management of these risks. All derivative activities for risk management purposes are carried out by under the supervision of the Forex Risk Management Committee by assigning necessary resources. It is the Company's policy that no trading in derivatives for speculative purposes may be undertaken. The Board of Directors reviews and agrees policies for managing each of these risks, which are summarised below.

Market Risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of financial assets will fluctuate because of changes in market prices. Market risk comprises three types of risk: interest rate risk, currency risk and other price risk, such as equity price risk and commodity risk. Financial Assets affected by market risk include loans and borrowings, deposits and derivative financial instruments.

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Company's exposure to the risk of changes in market interest rates relates primarily to the Company's long-term debt obligations with floating interest rates.

Foreign Currency Risk

Foreign currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of an exposure will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Company's exposure to the risk of changes in foreign exchange rates relates primarily to the Company's operating activities (when revenue or expense is denominated in a foreign currency).

Foreign currency risk of the company is managed through a properly documented risk management policy approved by the board.

Commodity Price Risk

The Company is affected by the price volatility of certain commodities. Its operating activities require the purchase of steel, major machineries, equipments etc. Therefore, the Company plans its purchases closely to optimise the price.

Credit Risk

Credit risk is the risk that a counter party will not meet its obligations under a financial instrument or customer contract, leading to a financial loss. The Company is exposed to credit risk from its operating activities (primarily trade receivables and advances to suppliers) and from its financing activities, including deposits with banks and financial institutions, foreign exchange transactions and other financial instruments.

50. Segment Reporting

The Company has identified two major operating segments viz, Shipbuilding and Repair of ships/ offshore structures. Segment wise analysis has been made on the above basis and amounts allocated on a reasonable basis.

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Segment Assets		
Ship building	292812.55	246394.20
Ship Repair	243285.53	195899.31
Others	104574.45	82316.16
Total	640672.53	524609.67
Segment Liability		
Ship building	67144.21	39406.47
Ship Repair	12715.35	25944.31
Others	188524.62	125867.12
Total	268384.18	191217.90

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Segment Revenue		
Ship building	285226.50	213202.07
Ship Repair	57022.89	83358.26
Unallocated	24508.13	22598.35
Total	366757.52	319158.68
Segment Result		
Ship building	66459.10	44494.96
Ship Repair	14741.55	23789.32
Unallocated	4571.35	6467.25
Total	85772.00	74751.53

The Company has two major business segments – “Ship Building” and “Ship Repair”. Revenue under Ship building includes ₹ 237746.87 lakhs (Previous year: ₹ 206934.28 lakhs) from one customer (Previous year: two customers) having more than 10 % revenue of the total revenue, and for Ship repair includes ₹ 49582.22 lakhs (Previous year: ₹ 61572 lakhs) from three customers (Previous year: one customer) having more than 10% revenue of the total revenue.

51. Capital Management

The company's objective when managing capital are to safeguard their ability to continue as a going concern so that they can continue to provide returns for shareholders and maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

For the purpose of capital management, capital includes issued equity capital and all other equity reserves attributable to the equity holders of the parent. The company is not subject to any externally imposed capital requirements.

To maintain or adjust the capital structure, the company may adjust the dividend payment to shareholders, return on capital to shareholders or issue new shares. The company monitors capital using a gearing ratio, which is net debt divided by total equity. The Company includes within net debt, interest bearing loans and borrowings (including bonds).

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Long term borrowings	12300.00	12300.00
Net Debt	12300.00	12300.00
Equity Share Capital	13154.04	13154.04
Other equity	359134.31	319710.00
Total Equity	372288.35	332864.04
Gearing Ratio	3.30%	3.70%

No changes were made in the objectives, policies or processes for managing capital during the years ended March 31, 2020 and March 31, 2019.

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

52. The Company has bid and submitted a Resolution Plan for Tebma Shipyard Limited (TSL) under the Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) commenced by the National Company Law Tribunal (NCLT), Chennai as per the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. TSL is a Company engaged in construction and repair of ships for domestic and international clients having its facility in Malpe, Karnataka. The Resolution Plan submitted by CSL under the CIRP has been accepted by the Committee of Creditors (CoC) and NCLT has approved the same vide its final order dated on 04 Mar 2020. Due to the Covid -19 pandemic situation and pursuant lock down , CSL had filed a petition before NCLT Chennai for excluding the lock down period from calculation of the time specified for payment under the Resolution Plan. As the lock down period was not over at the time of filing of the petition , NCLT has vide its order dated 12 May 2020 directed CSL to approach it after cessation of the lock down period. CSL proposes to approach NCLT again after easing of lockdown restrictions in Chennai.
53. The impact of Coronavirus disease (COVID-19) continues to be an evolving human tragedy declared a global pandemic by the World Health Organisation (WHO). It is adversely affecting the health of people worldwide as well as on the state of economy and commerce. It continues to be a matter of major concern for all the business organizations. The impacts of the COVID-19 pandemic are unfolding in real time. The COVID-19 outbreak has already had a significant effect on the economies of affected countries and international financial markets. Supply Chain disruptions in India as a result of the outbreak started with restrictions on movement of goods, closure of borders etc., in several states followed by a nationwide lockdown from the 25th of March 2020 announced by the Indian Government, to stem the spread of COVID-19. Due to this the operation at CSL's facilities and its subsidiaries was temporarily disrupted.

In view of the same, the Company has considered all possible effects that may result from Covid-19 on the carrying amounts of financials assets, inventory, receivables, advances, property plant and equipment, Intangibles etc as well as liabilities accrued. The Company has looked at the possible future uncertainties in the economic conditions because of the pandemic from internal and external information such as the current contracts, financial strength of the supply chains and customers etc. Based on such information and based on current estimates the Company expects the carrying amount of these assets will be recovered and there is no significant impact on liabilities accrued.

The operations of the Company was temporarily disrupted from 23rd March 2020 to 5th May 2020. CSL continues to work on a reduced scale of operations and expects an impact on the first quarter results of the financial year 2020-21. However, the Company expects to ramp up the production significantly in the ensuing quarters. The Company expects some delay in the running projects including Capex but impact is likely to be lessened by invocation and grant of the Force Majeure clause in the contract. The business landscape also presents a challenge because of the likely shelving/ withholding of the pipeline projects by the potential clients but the Company expects sufficient business for it. The unfolding pandemic scenario still presents a challenge for the company in assessing the future.

The impact of COVID-19 may differ from that estimated as at the date of approval of these financial statements and the Company will continue to closely monitor any material changes to future economic conditions.

54 . Details of Subsidiaries

	Name	Relationship	Nature of activity	Principal place of business	As at 31st March 2020 Proportionate ownership in %
1	Hooghly Cochin Shipyard Limited	Subsidiary	Construction of vessels of various types and repairs thereof	Kolkata, India	100%

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

55. Summarised financial information of subsidiary company is as follows:

The amounts disclosed for subsidiary are before inter-company eliminations

Summarised Balancesheet	2019-20	2018-19
Non-current assets	4926.00	1053.13
Current assets	2514.22	5599.73
Total Assets	7440.22	6652.86
Non-current liabilities	4400.00	4400.00
Current liabilities	1259.23	223.12
Total Liabilities	5659.23	4623.12
Net Assets	1780.99	2029.74
Accumulated NCI	0.00	527.73
Summarised Statement of Profit & Loss	2019-20	2018-19
Revenue	0.00	0.00
Profit/(Loss) for the year	(248.76)	(133.19)
Other Comprehensive Income	0.00	0.00
Total Comprehensive Income	(248.76)	(133.19)
Profit/(Loss) attributable to NCI		(34.63)
Summarised Cashflows	2019-20	2018-19
Cashflows from operating activities	(251.45)	(1457.98)
Cashflows from investing activities	(2128.07)	(213.91)
Cashflows from financing activities	-22.79	4400.00
Net increase/decrease in cash and cash equivalents	-2402.31	2728.12

56. INFORMATION REQUIRED BY SCHEDULE III OF THE COMPANIES ACT 2013, WITH RESPECT TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Name of the entity in the group	Net Asset			Share in Profit or (Loss)		Share in Other Comprehensive Income		Share in Total Comprehensive Income	
	Ownership in % As at March 31, 2020	Proportionate Share	As % of Consolidated Net Asset	Share in Profit/ (Loss)	As % of Consolidated Profit/ (Loss)	Share in Other Comprehensive Income	As % of Consolidated Other Comprehensive Income	Share in Total Comprehensive Income	As % of Consolidated Total Comprehensive income
Cochin Shipyard Limited	100.00%	373179.50	100.24%	63768.75	100.90%	-596.84	100.00%	63171.91	100.91%
Subsidiary									
Hooghly Cochin Shipyard Limited	100.00%	1780.99	0.48%	-248.76	-0.39%	0	0	(248.76)	-0.40%
Consolidation adjustments		(2672.14)	-0.72%	-319.00	-0.50%	0	0	(319.00)	-0.51%
Grand Total		372288.35	100.00%	63200.99	100.00%	-596.84	100.00%	62604.15	100.00%

Notes to the Consolidated

Financial Statements for the year ended 31st March 2020

57. In the case of contracts/ sub-contracts, wherever final bills are not submitted by the contractors for the work done as at the close of the year, liability is estimated and provided based on the work done.
58. Balance shown under Trade Receivables, Trade Payables , loans, deposits and claims are subject to confirmation and consequent reconciliation, if any
59. The Company has made adequate provision towards material foreseeable losses wherever required, in respect of long term contracts. The Company do not have any long term derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.
60. Figures in brackets denote negative figures.
61. Previous year figures have been regrouped and classified wherever necessary to conform to the current year presentation.

For and on behalf of Board of Directors

SYAMKAMAL N

Company Secretary
M. No. A25337

SURESH BABU N V

Director (Operations)
DIN - 07482491

JOSE V J

Director (Finance) & Chief Financial Officer
DIN - 08444440

MADHU S NAIR

Chairman and Managing Director
DIN - 07376798

Kochi, dated June 20, 2020

As per our report attached

For **M/s Elias George and Co.,**

Chartered Accountants

(Firm Registration No.000801S)

RANJIT MATHEWS P

Partner

(Membership Number: 205377)

Kochi, dated June 20, 2020

Annexure

FORM No AOC 1

Statement containing salient features of the financial statement of Subsidiaries/associate companies/joint ventures
(Pursuant to first proviso to sub-section (3) of section 129 read with rule 5 of Companies (Accounts) Rules, 2014)

Part "A" : Subsidiaries

Sl No	Particulars	Details
1	Sl No	1
2	Name of the subsidiary	M/s Hooghly Cochin Shipyard Ltd
3	Reporting Period for the subsidiary concerned, if different from the holding company's reporting period	No
4	Reporting currency and Exchange rate as on the last date of the relevant financial year in the case of foreign subsidiaries	Not Applicable
5	Share Capital	₹ 2200 Lakhs
6	Reserves and Surplus	₹ (419.01) Lakhs
7	Total Assets	₹ 7440.22 Lakhs
8	Total Liabilities	₹ 7440.22 Lakhs
9	Investments	Nil
10	Turnover	Nil
11	Profit Before Taxation	(₹ 251.58) Lakhs
12	Provision for taxation	
	(i) Current Tax	
	(ii) Deferred Tax	₹ (2.82) Lakhs
13	Profit after taxation	₹ (248.76) Lakhs
14	Proposed Dividend	Nil
15	% of shareholding	100%

Notes: The following information shall be furnished at the end of the statement:

- Hooghly Cochin Shipyard Ltd, 100% subsidiary of Cochin Shipyard Ltd, is yet to commence operations

Part "B": Associates and Joint Ventures :Not applicable

SYAMKAMAL N

Company Secretary
M. No. A25337

SURESH BABU N V

Director (Operations)
DIN - 07482491

JOSE V J

Director (Finance) & Chief Financial Officer
DIN - 08444440

MADHU S NAIR

Chairman and Managing Director
DIN - 07376798

Kochi, dated June 20, 2020

As per our report attached

For **M/s Elias George and Co.**,
Chartered Accountants
(Firm Registration No.000801S)

RANJIT MATHEWS P

Partner
(Membership Number: 205377)
Kochi, dated June 20, 2020



COCHIN SHIPYARD LIMITED

Corporate Identity Number: L63032KL1972GOI002414

Registered Office: Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Ernakulam, Kerala – 682015

Tel. No: +91 (484) 2361181/2501200 **Fax No:** +91 (484) 2370897/2383902

E-mail: secretary@cochinshipyard.com **Website:** www.cochinshipyard.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 48th Annual General Meeting (AGM) of Cochin Shipyard Limited (CSL) will be held on Tuesday, September 29, 2020 at 11:00 hrs. IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the following business:

Ordinary Business

1. To receive, consider and adopt the audited standalone financial statements of the Company for the financial year ended March 31, 2020, together with the Reports of the Board of Directors' and the Auditors' thereon.
2. To receive, consider and adopt the audited consolidated financial statements of the Company for the financial year ended March 31, 2020, together with the Report of the Auditors' thereon.
3. To confirm the payment of interim dividend of ₹1.63 (16.30%) per equity share and to declare final dividend of ₹15/- (150%) per equity share (face value ₹10/-) for the financial year 2019-20.
4. To appoint a Director in place of Shri Suresh Babu N V (DIN: 07482491), who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment.
5. To authorize the Board of Directors to fix the remuneration of the auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) for the financial year 2020-21.

Special Business

6. **Re-appointment of Smt. Roopa Shekhar Rai (DIN: 07565156) as Non-official Part Time (Independent) Director**

To consider and if thought fit, to pass the following resolution as special resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 149, 152 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder,

consent of the shareholders of the Company be and is hereby accorded for re-appointment of Smt. Roopa Shekhar Rai (DIN: 07565156) as the Non-official Part Time (Independent) Director by Government of India vide letter F.No.SY-11012/1/2016-CSL dated July 29, 2019 for a period from July 29, 2019 to March 20, 2020."

7. **Re-appointment of Shri Radhakrishna Menon (DIN: 07518727) as Non-official Part Time (Independent) Director**

To consider and if thought fit, to pass the following resolution as special resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 149, 152 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, consent of the shareholders of the Company be and is hereby accorded for re-appointment of Shri Radhakrishna Menon (DIN: 07518727) as the Non-official Part Time (Independent) Director by Government of India vide letter F.No.SY-11012/1/2016-CSL dated July 29, 2019 for a period from July 29, 2019 to March 20, 2020."

8. **Re-appointment of Shri Krishna Das E (DIN: 02731340) as Non-official Part Time (Independent) Director**

To consider and if thought fit, to pass the following resolution as special resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 149, 152 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, consent of the shareholders of the Company be and is hereby accorded for re-appointment of Shri Krishna Das E (DIN: 02731340) as the Non-official Part Time (Independent) Director by Government of India vide letter F.No.SY-11012/1/2016-CSL dated July 29, 2019 for a period from July 29, 2019 to March 20, 2020."

9. Appointment of Shri Jose V J (DIN: 08444440) as Director (Finance)

To consider and if thought fit, to pass the following resolution as ordinary resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 152, 160, 196 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 and other applicable Rules, if any, (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), and in accordance with the Government of India letter F.No. SY-11012/2/2018-CSL dated July 15, 2019 issued by the Ministry of Shipping (on behalf of the President of India), in consultation with the Chairman of the Board of Directors and as per the recommendation made by the Nomination and Remuneration Committee, the approval of the shareholders be and is hereby accorded for the appointment of Shri Jose V J (DIN: 08444440), as Director (Finance) of the Company for a period of five years with effect from the date of his assumption of charge of the post, or till the date of his superannuation, or until further orders, whichever is earlier, whose office is liable to retire by rotation.”

10. Ratification of Remuneration of Cost Auditor

To consider and if thought fit, to pass the following resolution as ordinary resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 148 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force), as amended from time to time, the Company hereby ratifies the remuneration of ₹1,25,000/- per annum plus applicable tax payable to M/s. K A Felix & Co., Cost Accountants, (Firm Registration No.100416) who are appointed by the Board of Directors as Cost Auditors of the Company to conduct cost audits relating to cost records of the Company under the Companies (Cost Records and Audit) Rules, 2014 for the year ending March 31, 2021.

“RESOLVED FURTHER THAT any one of the Directors or the Company Secretary of the Company be and is hereby authorized to do all acts and take all such steps as may be necessary, proper or expedient to give effect to this resolution.”

By the Order of the Board of Directors

Syamkamal N
Company Secretary
M. No. A25337

Kochi
September 04, 2020

Notes:

1. In view of the continuing COVID-19 Pandemic, the Ministry of Corporate Affairs (“MCA”) vide its Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 read with Circular No.14/2020 dated April 8, 2020 and Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 (collectively referred to as “MCA Circulars”) and SEBI Circular dated May 12, 2020, permitted the holding of the Annual General Meeting (“AGM”) through VC / OAVM, without the physical presence of the members at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 (“Act”), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“SEBI Listing Regulations”) and MCA Circulars, the 48th AGM of the Company is being held through VC/OAVM.
2. The relevant details, pursuant to Regulation 26(4) and 36(3) of the SEBI Listing Regulations and Secretarial Standards on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, in respect of Director seeking re-appointment at this AGM is annexed.
3. The statement pursuant to Section 102(1) of the Companies Act, 2013 with respect to the special business set out in the Notice is annexed and forms part of the Notice.
4. Pursuant to the provisions of the Act, a member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and the proxy need not be a member of the Company. Since, this AGM is being held pursuant to the MCA Circulars through VC/OAVM, physical attendance of members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the members will not be available for the AGM and hence the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to this Notice. However, in pursuance of Section 112 and Section 113 of the Act, representatives of the members such as the President of India or the Governor of a State or body corporate can attend the AGM through VC/OAVM and cast their votes through e-voting.
5. The attendance of the members in the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.
6. In compliance with the MCA Circulars and SEBI Circular dated May 12, 2020, Notice of the AGM along with the Annual Report 2019-20 is being sent only through electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Depositories. Members may note that the Notice and Annual Report 2019-20 will also be available on the Company’s website www.cochinshipyard.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The AGM Notice is

also disseminated on the website of CDSL i.e. www.evotingindia.com

7. As per Regulation 40 of SEBI Listing Regulations, as amended, securities of listed companies can be transferred only in dematerialized form with effect from April 01, 2019, except in case of request received for transmission or transposition of securities. In view of this and to eliminate all risks associated with physical shares and for ease of portfolio management, members holding shares in physical form are requested to consider converting their holdings to dematerialized form. Members can contact the Company or Company's Registrar and Transfer Agents, Link Intime India Private Limited for assistance in this regard.

8. Members who have not yet registered their email addresses are requested to register the same with their Depository Participant (DP) in case the shares are held by them in electronic form and with Link Intime India Private Limited in case the shares are held by them in physical form. Members, who are holding the shares in electronic form, are requested to update their email IDs with the concerned demat account, to enable the Company/Registrar to send communications through e-mail.

9. Members are requested to intimate changes, if any, pertaining to their name, postal address, email address, telephone/mobile numbers, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, power of attorney, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC etc., to their DPs in case the shares are held by them in electronic form and to Link Intime India Private Limited in case the shares are held by them in physical form.

10. Book Closure and Dividend:

The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will be closed from Wednesday, September 23, 2020 to Tuesday, September 29, 2020, both days inclusive.

The final dividend, as recommended by the Board of Directors, if approved at the AGM, will be paid, subject to deduction of tax at source, on or after Tuesday, October 06, 2020 to those persons:

- a) whose names appear as beneficial owners at the end of the business hours on Tuesday, September 22, 2020 in the list of beneficial owners to be furnished by the National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) in respect of the shares held in electronic form; and
- b) whose names appear as members in the Register of Members of the Company after giving effect to valid share transfers in physical form lodged with the Company/Registrar and Share Transfer Agents on Tuesday, September 22, 2020.

11. Company will be making the dividend payment by electronic mode wherever possible and by dividend warrants/demand drafts in other cases. In respect of shares held in electronic form, the dividend will be paid on the basis of beneficial ownership details furnished by the Depositories (NSDL & CDSL) as at the close of business hours on Tuesday, September 22, 2020 for this purpose. Members holding shares in electronic form may note that bank particulars registered against their respective depository accounts will be used by the Company for payment of dividend. The Company or its Registrars cannot act on any request received directly from the members holding shares in electronic form for any change of bank particulars or bank mandate. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the members. Members who have changed their bank account after opening the Depository Account and want to receive dividend in an account other than the one specified while opening the Depository Account, are requested to change/correct their bank account details (including the nine digit Bank code) with their Depository Participant, before September 22, 2020.

12. Unclaimed Dividend:

Transfer to Investor Education and Protection Fund:

Members are hereby informed that under the Companies Act, 2013, the Company is obliged to transfer any money lying in the Unpaid Dividend Account, which remains unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer to the Unpaid Dividend Account, to the credit of the Investor Education and Protection Fund ('the Fund') established by the Central Government.

Further, pursuant to the provisions of Section 124 of the Companies Act, 2013, read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended ('IEPF Rules'), all the shares on which dividend remain unpaid/unclaimed for a period of seven consecutive years or more shall be transferred to the demat account of the IEPF Authority as notified by the Ministry of Corporate Affairs. Hence, the Company urges all the shareholders to encash/claim their respective dividend during the prescribed period.

13. In case of joint holders, the member whose name appears as the first holder in the order of names as per the Register of Members of the Company will be entitled to vote at the AGM.

14. Members are requested to:

- (i) Intimate to the Company/Company's Registrar & Share Transfer Agent, changes if any, in their

- respective addresses along with the pin code at an early date.
- (ii) Quote folio numbers in all their correspondences.
 - (iii) Consolidate holdings into one folio in case of multiplicity of folios with names in identical orders.
15. Non-Resident Indian shareholders are requested to inform the Company immediately the change in the residential status on return to India for permanent settlement.
 16. Pursuant to Finance Act, 2020, dividend income will be taxable in the hands of shareholders w.e.f. April 01, 2020 and the Company is required to deduct tax at source from dividend paid to shareholders at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, the shareholders are requested to refer to the Finance Act, 2020 and amendments thereof. The shareholders are requested to update their PAN with the Registrar & Share Transfer Agent of the Company (in case of shares held in physical mode) and depositories (in case of shares held in demat mode).
 17. A Resident individual shareholder with PAN and who is not liable to pay income tax can submit a yearly declaration in Form No. 15G/15H, to avail the benefit of non-deduction of tax at source by uploading the aforesaid document on the link of RTA, <https://linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html> by 23:59 hrs. on September 21, 2020. Shareholders are requested to note that in case their PAN is not registered, the tax will be deducted at a higher rate of 20%.
 18. Non-resident shareholders can avail beneficial rates under tax treaty between India and their country of residence, subject to providing necessary documents i.e. No Permanent Establishment and Beneficial Ownership Declaration, Tax Residency Certificate, Form 10F, any other document which may be required to avail the tax treaty benefits by uploading the aforesaid document on the link of RTA, <https://linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html>. The aforesaid declarations and documents need to be submitted by the shareholders, latest by 23:59 hrs. on September 21, 2020.
 19. Since AGM will be held through VC/OAVM, the route map is not annexed to this Notice.
 20. The documents referred to in the Notice are open for inspection by the members at the registered office of the Company on all working days (that is, except Sundays, second and fourth Saturdays of the months and public holidays) during business hours up to the date of the Meeting.
 21. Relevancy of question and the order of speakers will be decided by the Chairman. Members seeking any information with regard to annual accounts at the time of meeting are requested to send their queries to the Company at least seven days before the date of meeting so as to enable the management to keep the information ready.
 22. Members are requested to send all communications relating to shares to our Registrar & Share Transfer Agent at the following address:

Link Intime India Pvt. Ltd
Surya, 35, Mayflower Avenue,
Behind Senthil Nagar,
Sowripalayam Road,
Coimbatore, Tamil Nadu - 641028
Phone: +91 (422) 2314792, 2315792
Fax: +91 (422) 2314792
E-mail: coimbatore@linkintime.co.in
 23. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended), and MCA Circulars, the Company is providing facility of remote e-voting to its members in respect of the business to be transacted at the AGM. For this purpose, the Company has entered into an agreement with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized e-voting agency. The facility of casting votes by a member using remote e-voting as well as the e-voting system on the date of the AGM will be provided by CDSL.
 24. Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available to atleast 1000 members on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc., who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first served basis.
- Instructions to shareholders for remote e-voting**
- (i) The voting period begins on Saturday, September 26, 2020 (09:00 hrs.) and ends on Monday, September 28, 2020 (17:00 hrs.). During this period, shareholders of

the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date, Tuesday, September 22, 2020 may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. A person who is not a member as on the cut-off date should treat this Notice for information purpose only.

- (ii) Shareholders who have already voted prior to the meeting date would not be entitled to vote at the meeting venue.
 - (iii) The process and manner of voting by electronic means is as follows:
 - (i) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com
 - (ii) Click on "Shareholders" module.
 - (iii) Now enter your User ID
 - a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - c. Shareholders holding shares in physical form should enter folio number registered with the Company.
- OR
- Alternatively, if you are registered for CDSL's EASI/EASIEST e-services, you can log-in at <https://www.cdslindia.com> from Login - Myeasi using your login credentials. Once you successfully log-in to CDSL's EASI/EASIEST e-services, click on e-Voting option and proceed directly to cast your vote electronically.
- (iv) Next, enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
 - (v) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier e-voting of any company, then your existing password is to be used.
 - (vi) If you are a first time user follow the steps given below:

For Shareholders holding shares in Demat Form and Physical Form	
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) Shareholders who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the sequence number sent by Company/RTA or contact Company/RTA.

Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Company records in order to login. If both the details are not recorded with the depository or Company please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iii).
--	--

- (vii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- (viii) Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- (ix) For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- (x) Click on the EVSN for Cochin Shipyard Limited.
- (xi) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- (xii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.
- (xiii) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.
- (xiv) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- (xv) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the voting page.
- (xvi) If a demat account holder has forgotten the login password, then enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

(xvii) Shareholders can also cast their vote using CDSL's mobile app "m-Voting". The m-Voting app can be downloaded from respective store. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while remote e-voting on your mobile.

Process for those shareholders whose email addresses are not registered with the depositories for obtaining login credentials for e-voting for the resolutions proposed in this notice

1. For Physical shareholders - please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), Aadhar (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to RTA email id coimbatore@linkintime.co.in
2. For Demat shareholders - please provide Demat account details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), Aadhar (self attested scanned copy of Aadhar Card) to RTA email id coimbatore@linkintime.co.in

Instructions for shareholders attending the AGM through VC/OAVM

1. Shareholder will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the CDSL e-Voting system. Shareholders may access the same at www.evotingindia.com under shareholders/members login by using the remote e-voting credentials. The link for VC/OAVM will be available in shareholder/members login where the EVSN of Company will be displayed.
2. Shareholders are encouraged to join the Meeting through laptop/tablet for better experience.
3. Further, shareholders will be required to allow camera and use internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
4. Please note that participants connecting from mobile devices or tablets or through laptop connecting via mobile hotspot may experience audio/video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use stable Wi-Fi or LAN connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
5. Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request from their registered e-mail address mentioning their name, demat account number/folio number, email

id, mobile number at speakers@cochinshipyard.com from September 21, 2020 (08.00 hrs.) to September 23, 2020 (16:00 hrs.). The Company reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the AGM.

6. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.

Instructions for shareholders for e-voting during the AGM

1. The procedure for e-voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for Remote e-voting.
2. Only those shareholders, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system available during the AGM.
3. If any votes are cast by the shareholders through the e-voting available during the AGM and if the same shareholders have not participated in the meeting through VC/OAVM facility, then the votes cast by such shareholders shall be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the shareholders attending the meeting.
4. Shareholders who have voted through remote e-voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.

Note for Non – Individual Shareholders and Custodians

1. Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves in the "Corporates" module.
2. A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
3. After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
4. The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
5. A scanned copy of the Board Resolution/Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.

6. Alternatively, non individual shareholders are required to send the relevant Board Resolution/Authority letter etc. authorizing its representative to attend the AGM through VC/OAVM on its behalf and to vote through remote e-voting, to the Scrutinizer at the email address cochin@mehta-mehta.com and to the Company at the email address secretary@cochinshipyard.com, if they have voted from individual tab & not uploaded the same in the CDSL e-voting system for the scrutinizer to verify.

Other instructions

1. Persons who have acquired shares and become members of the Company after the dispatch of Notice and hold shares as on cut-off date of September 22, 2020, may obtain the Notice and e-voting instruction by sending request to the RTA, Link Intime India Pvt. Ltd. at their e-mail id coimbatore@linkintime.co.in or download Notice and e-voting instructions from www.evotingindia.com or CSL website www.cochinshipyard.com.
2. The results declared along with the Scrutinizer's Report, will be placed on the website of the Company www.cochinshipyard.com and on the website of CDSL www.evotingindia.com immediately after the declaration of results by the Chairman or a person authorised by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the Stock Exchanges where the Company's shares are listed viz., BSE Ltd. and National Stock Exchange of India Limited. The results shall also be displayed on the notice board at the Registered Office of the Company.
3. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800225533.
4. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, Central Depository Services (India) Limited (CDSL), A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.

Annexure to the Notice

EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO SECTION 102 OF THE COMPANIES ACT, 2013

Item Nos. 6 to 8

Smt. Roopa Shekhar Rai (DIN: 07565156), Shri Radhakrishna Menon (DIN: 07518727) and Shri Krishna Das E (DIN: 02731340) were appointed by the Government of India vide Order No. SS-11012/05/2014 - SY.II dated March 21, 2016 as Non-Official Part Time (Independent) Directors for a period of three years i.e., from March 21, 2016 to March 20, 2019 ("First Term" as per the explanation to Section 149(10) and 149(11) of the Act). The First Term was approved by the shareholders at the 44th Annual General Meeting of the Company held on September 20, 2016.

Subsequently, Government of India re-appointed the above three Directors as Non-Official Part Time (Independent) Directors vide letter F. No. SY-11012/1/2016-CSL dated July 29, 2019 on the Board of CSL, for a period from July 29, 2019 to March 20, 2020 (Second Term as per the explanation to Section 149(10) and 149(11) of the Act).

The above Directors have given a declaration to the Board that they meet the criteria of independence as provided in Section 149(6) of the Companies Act, 2013. They are not disqualified from being appointed as Director in terms of Section 164 of the Companies Act, 2013.

In terms of proviso to sub-section (5) of Section 152, the Board of Directors is of the opinion that Smt. Roopa Shekhar Rai, Shri Radhakrishna Menon and Shri Krishna Das E fulfils the conditions specified in the Companies Act, 2013, for their re-appointment as Independent Directors.

The terms and conditions regulating the re-appointment of the above Directors as Independent Directors were determined by the Government of India. A copy of the letter of their re-appointment as Independent Directors setting out the terms and conditions would be available for inspection without any fee by the members at the Registered Office of the Company during normal business hours on any working day.

The other details including the age, shareholding, brief resume containing qualification, expertise etc. of these Independent Directors, whose re-appointment is proposed at item nos. 6 to 8 of the Notice is annexed herewith.

The Board recommends the passing of the proposed special resolutions for re-appointment of the Independent Directors as contained in item no. 6 to 8 of this Notice by the members of the Company.

None of the Directors/Key Managerial Personnel of the Company/their relatives except Smt. Roopa Shekhar Rai, Shri Radhakrishna Menon and Shri Krishna Das E are concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution at item nos.6 to 8 of the Notice.

Item No.9

Shri Jose V J (DIN: 08444440), former General Manager (Finance) of Cochin Shipyard Limited was appointed as the Director (Finance) of the Company by the Ministry of Shipping, Government of India vide their letter F. No. SY-11012/2/2018-CSL dated July 15, 2019 for a period of five years with effect from the date of his assumption of charge of the post i.e August 01, 2019, or till the date of his superannuation, or until further orders, whichever is the earliest. His appointment was recommended by the Nomination and Remuneration Committee at its meeting held on July 11, 2020.

His brief resume containing, age, qualification, expertise etc. is annexed herewith.

The Board accordingly recommends the resolution set out in item no. 8 of the Notice for the approval of the members of the Company by way of an ordinary resolution.

Shri Jose V J is interested in the resolution to the extent as it concerns his appointment.

None of the other Directors/Key Managerial Personnel of the Company/their relatives are in any way, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution at item no.9 of the Notice.

Item No.10

In pursuance of Section 148 of the Companies Act, 2013 and Rule 14 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, the Company is required to appoint a Cost Auditor to audit the cost records of the applicable products of the Company.

On the recommendation of the Audit Committee at its 61st meeting held on June 20, 2020, the Board at its 254th meeting held on June 20, 2020 has considered and approved the appointment of M/s. K A Felix & Co., Cost Accountants as the Cost Auditor for the financial year 2020-21 and recommended a remuneration of ₹1,25,000/- per annum plus applicable tax. As per Section 148(3) of the Companies Act, 2013, the remuneration of Cost Auditor is required to be ratified by the shareholders.

The Board accordingly recommends the resolution set out in item no. 10 of the accompanying Notice for the approval of the members of the Company by way of an ordinary resolution.

None of the Directors/Key Managerial Personnel of the Company/their relatives are in any way, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution at item no.10 of the Notice.

By Order of the Board of Directors

Kochi
September 04, 2020

Syamkamal N
Company Secretary
M.No. A25337

Registered Office:
Administrative Building,
Cochin Shipyard Premises,
Perumanoor, Ernakulam, Kerala - 682015
CIN: L63032KL1972GOI002414
Tel: +91 (484) 236 1181
E-mail: secretary@cochinshipyard.com
Website: www.cochinshipyard.com

DETAILS OF DIRECTORS SEEKING APPOINTMENT/RE-APPOINTMENT AT THE 48TH AGM [PURSUANT TO REGULATION 36(3) OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015 AND SECRETARIAL STANDARD – 2 ON GENERAL MEETINGS]

Name of the Director	Shri Suresh Babu N V	Shri Jose V J
DIN	07482491	08444440
Age & Date of Birth	59 years; April 22, 1961	53 years; February 04, 1967
Date of first appointment on the Board	April 26, 2016	August 01, 2019
Qualifications	He holds a degree of Bachelor of Engineering (Mechanical) from the University of Kerala. He holds a diploma in management from Indira Gandhi National Open University. He has completed one year group training course in shipbuilding, repairing and maintenance conducted by Overseas Shipbuilding Cooperation Centre under International Cooperation Programme of the Government of Japan under Colombo Plan. He has also undergone a practical training course with shipyard in Sekaidu of Kawasaki Heavy Industries Limited. Furthermore, he has completed supplementary course in Japanese language held at Overseas Shipbuilding Cooperation Centre.	He is a member of the Institute of Cost Accountants of India and also holds a degree in Law from Government Law College, Ernakulam.
Expertise in specific functional areas	Shri Suresh Babu N V is the Director (Operations) of the Company from April 26, 2016. He was appointed to the position of Director (Operations) by the Ministry of Shipping through a selection process of Public Enterprises Selection Board. He joined the Company as an executive trainee in February 01, 1985. He has more than 35 years of work experience with the Company wherein he has had experience across various areas of the shipyard such as ship building, materials and ship repair.	Shri Jose V J is the Director (Finance) of the Company from August 01, 2019. He was appointed to the position of Director (Finance) by the Ministry of Shipping through a selection process of Public Enterprises Selection Board. He has approximately 29 years of work experience across diverse field viz., financial management, strategic planning, risk management, forex management, budgeting and cost control. He is also heading the Information Systems Department of CSL.
Terms and conditions of appointment or reappointment	He was appointed on April 26, 2016 pursuant to Ministry of Shipping Order No. SY-11012/2/2010-CSL dated April 26, 2016. The current terms and conditions of his employment were prescribed by Ministry of Shipping Order F. No. SY-11012/2/2010-CSL dated May 26, 2016.	He was appointed on August 01, 2019 pursuant to Ministry of Shipping Order F. No. SY-11012/2/2018-CSL dated July 15, 2019. The current terms and conditions of his employment were prescribed by Ministry of Shipping Order F. No. SY-11012/2/2018-CSL dated September 19, 2019.
Details of remuneration last drawn (FY 2019-20)	₹ 66.09 lakhs	₹ 41.49 lakhs
Directorships in other Public Limited Companies (excluding foreign companies, private companies & section 8 companies)	Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL)	Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL)
Membership of Committees / Chairmanship in other Public Limited Companies	Member of Securities Offer, Allotment & Transfer Committee of Hooghly Cochin Shipyard Limited	Member of Securities Offer, Allotment & Transfer Committee of Hooghly Cochin Shipyard Limited
No. of Board Meetings attended during the Financial Year 2019-20	6/6	4/4
No. of shares held in the Company:		
(a) Own	Nil	Nil
(b) For other persons on a beneficial basis	Nil	Nil

Name of the Director	Smt. Roopa Shekhar Rai	Shri Radhakrishna Menon	Shri Krishna Das E
DIN	07565156	07518727	02731340
Age & Date of Birth	66 years; April 19, 1954	56 years; May 30, 1964	50 years; December 16, 1969
Date of first appointment on the Board	March 21, 2016	March 21, 2016	March 21, 2016
Qualifications	She holds a Degree of Bachelor in Science from Nagpur University and Master of Arts from Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University. She also holds a Diploma in Homoeopathic Medical Science from Homoeopathic and Biochemic Doctor's Training Institute.	He holds a Degree of Bachelor in Legal, Social Science from Bharati Vidyapeeth's New Law College, Pune.	He holds a Degree of Bachelor in Commerce from University of Calicut and a Bachelor of Law from Mangalore University.
Expertise in specific functional areas	Smt. Roopa Shekhar Rai was the Non-Official Part Time (Independent) Director of CSL for a period of three years i.e, from March 21, 2016 to March 20, 2019 (First Term). She was appointed to the position of Non-Official Part Time (Independent) Director of CSL by the Government of India vide Order No. SS-11012/05/2014 - SY.II dated March 21, 2016 and pursuant to the approval of the shareholders at the 44 th AGM of the Company held on September 20, 2016. She was the Chairperson of the Ladies Wing of Vidarbha Industries Association in the year 1994-95.	Shri Radhakrishna Menon was the Non-Official Part Time (Independent) Director of CSL for a period of three years i.e, from March 21, 2016 to March 20, 2019 (First Term). He was appointed to the position of Non-Official Part Time (Independent) Director of CSL by the Government of India vide Order No. SS-11012/05/2014 - SY.II dated March 21, 2016 and pursuant to the approval of the shareholders at the 44 th AGM of the Company held on September 20, 2016. He is the President of Travancore Travel and Tourism Cooperative Society Limited. In addition to being an entrepreneur and proprietor of Devi Agency and Devi Traders, he is also the Vice-President of the World Malayalee Organisation. He is a Non-Official Member of General Council for National Livestock Mission, Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, Government of India.	Shri Krishna Das E was the Non-Official Part Time (Independent) Director of CSL for a period of three years i.e, from March 21, 2016 to March 20, 2019 (First Term). He was appointed to the position of Non-Official Part Time (Independent) Director of CSL by the Government of India vide Order No. SS-11012/05/2014 - SY.II dated March 21, 2016 and pursuant to the approval of the shareholders at the 44 th AGM of the Company held on September 20, 2016. He is an Advocate on the roll of the Bar Council of Kerala since 1996 and practising in the District Court at Palakkad, Kerala.
Terms and conditions of appointment or reappointment	She was re-appointed as the Non-Official Part Time (Independent) Director on the Board of CSL by the Government of India vide letter F. No. SY-11012/1/2016-CSL dated July 29, 2019, for a period from July 29, 2019 to March 20, 2020 (Second Term). The Non Official Part Time (Independent) Directors are paid sitting fees at the rate of ₹15,000/- for attending each meeting of the Board or Committee thereof.	He was re-appointed as the Non-Official Part Time (Independent) Director on the Board of CSL by the Government of India vide letter F. No. SY-11012/1/2016-CSL dated July 29, 2019, for a period from July 29, 2019 to March 20, 2020 (Second Term). The Non Official Part Time (Independent) Directors are paid sitting fees at the rate of ₹15,000/- for attending each meeting of the Board or Committee thereof.	He was re-appointed as the Non-Official Part Time (Independent) Director on the Board of CSL by the Government of India vide letter F. No. SY-11012/1/2016-CSL dated July 29, 2019, for a period from July 29, 2019 to March 20, 2020 (Second Term). The Non Official Part Time (Independent) Directors are paid sitting fees at the rate of ₹15,000/- for attending each meeting of the Board or Committee thereof.
Details of remuneration (including sitting fees and commission) for FY 2019-20	₹1,50,000/-	₹1,35,000/-	₹1,50,000/-
Directorships in other Public Limited Companies (excluding foreign companies, private companies & section 8 companies)	Nil	Nil	Nil

Membership of Committees / Chairmanship in other Public Limited Companies	Nil	Nil	Nil
No. of Board Meetings attended during FY 2019-20	4/4	4/4	4/4
No. of shares held in the Company:			
(a) Own	Nil	30	125
(b) For other persons on a beneficial basis	Nil	Nil	Nil

Note:

- Shri Suresh Babu N V, Shri Jose V J, Smt. Roopa Shekhar Rai, Shri Radhakrishna Menon and Shri Krishna Das E are neither related to each other nor any other Director or Key Managerial Personnel.



COCHIN SHIPYARD LIMITED

www.cochinshipyard.com